5.2

मेरा गाँव–मेरे लोग

(वड़हिया का वृत्त)

ता ललिता ग्रंथालय कैलास विद्यातीर्थ
43

लेखक

विश्वनाथ सिंह

क्वाहं, कोऽहं, कुलं किं मे, किदृशी ममं संस्कृतिः ।
स्वधर्मों नहि लुप्येत, स्वयं संचिन्तयेद्बुधः ॥

प्रकाशक :
विश्वनाथ सिंह
'अरुणोदय'
ग्राम+डाकघर : बड़हिया
जिला : मुंगेर

१००० प्रतियां / २९-१०-१९७२

मूल्य १५ रुपये

मुद्रक :
यूनियन प्रेस, मुंगेर

समर्पण

यह "मेरा गाँव—मेरे लोग"

मेरे गाँव और मेरे लोगों

को

सादर समर्पित

२९-१०-१९७२ विश्वनाथ सिंह

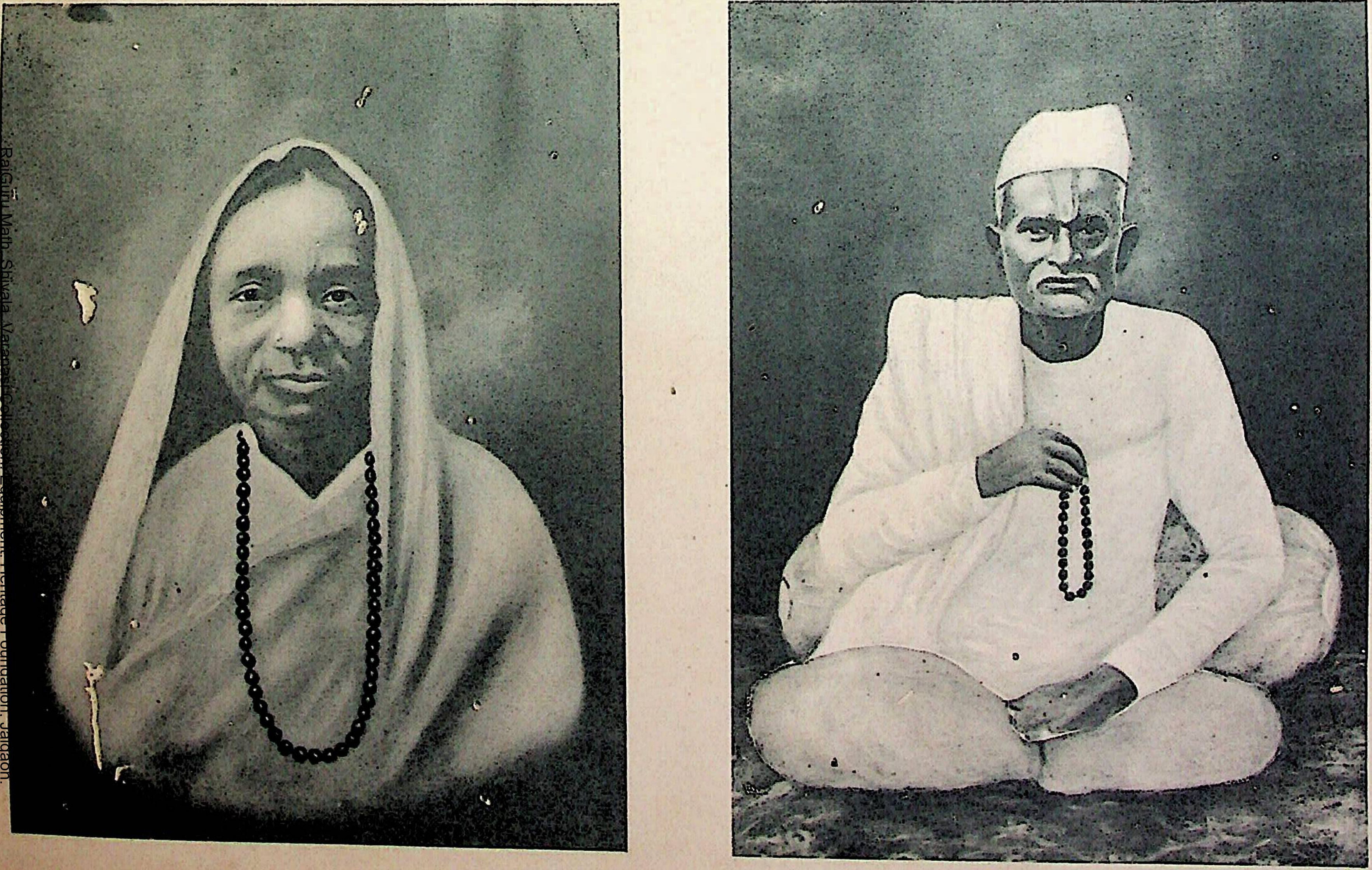

श्री मातृ-पितृ चरणेषु !

भूमिका

बड़ही या बड़हिया मुंगेर जिले के अन्तर्गत भूमिहारों का प्रसिद्ध ग्राम है। बड़हिया में अन्य जातियों के लोग नहीं बसते हों, ऐसी बात नहीं है, किन्तु प्रमुखता वहां भूमिहारों की है और देश की समस्त भूमिहार मण्डली में बड़हिया का नाम विख्यात है। बड़हिया के लोग रोबा- दबंग और प्रतापी समझे जाते हैं। नयी राजनीति में उसका स्थान यह है कि बड़हिया के लोग अगर एकमत होकर ठान लें कि अमुक उम्मीदवार को विजय बनाना है तो वह उम्मीदवार अवश्य जीत जायेगा।

इस ग्रन्थ के लेखक श्री विश्वनाथ सिंह इसी विशाल और प्रतापी ग्राम के निवासी हैं। इस ग्रन्थ में विश्वनाथ बाबू ने अपने ग्राम का सर्वेक्षण उसी दृष्टि से किया है जिस दृष्टि से उन्नीसवीं सदी के तेजस्वी अंग्रेज अफसर जिलों के गजेटियर लिखते थे और इस ग्रन्थ का महत्व भी वही है जो गजेटियरों का माना जाता हैं।

बड़हिया के बहाने इस ग्रन्थ में उन सभी रीति-रिवाजों और रस्मों का वर्णन आ गया है जो बिहार के गावों में प्रचलित थे या आज भी प्रचलित हैं। नृ-वंश-शास्त्र के जो विद्यार्थी हमारे ग्रामों के अतीत और वर्त्तमान को, जनता की आदतों और रस्म-रिवाजों को समझना चाहते हों, यह पुस्तक उनके बड़े काम की चीज होगी।

ग्रन्थ का सबसे रोचक और ज्ञानवर्द्धक अध्याय वह है जिसमें लेखक ने भूमिहारों के ब्राह्मणत्व का प्रतिपादन किया है। स्वर्गीय डाक्टर काशी प्रसाद जायसवाल और महा पंडित राहुल सांकृत्यायन दोनों यह मानते थे कि भूमिहार वैशाली के लिच्छवी वंश से निकाले हैं। लेकिन लिच्छवी कौन थे? जैन पुराण के अनुमार भगवान महावीर पहले किसी ब्राह्मणी के गर्भ में आये थे, लेकिन देवताओं ने उन्हें चुराकर क्षत्राणी के गर्भ में पहुँचा दिया। फिर भी भगवान महावीर ज्ञातृकुल के माने जाते हैं जिससे जत्थरिया शब्द निकला है। वैशाली के अन्तर्गत जत्थरिया भूमिहार बहुत हैं। तो वे ब्राह्मण माने जायेंगे या क्षत्रिय? ब्राह्मणी का गर्भ चुराकर उसे देवताओं ने क्षत्राणी के पेट में डाल दिया, इस पौराणिक जनश्रुति से कौन-सा अनुमान निकाला जा सकता है।

इससे भिन्न मत मेरे इतिहास गुरु स्वर्गीय डाक्टर सुविमल चन्द्र सरकार का था। वे कहते थे कि क्रान्तिकारी वहीं जन्म लेते हैं, जहां क्रान्ति का वातावरण मौजूद होता है। बिहार के आर्य मध्यदेशीय आर्यों के रोब में नहीं थे। वे कट्टर वैदिक धर्म से कुछ दूर जा पड़े थे। इसलिये मध्य देशीय ब्राह्मण इधर के ब्राह्मणों को हेय दृष्टि से देखते थे। जब भगवान बुद्ध का अवतार हुआ उनके आदि अनुगामी मगध और वैशाली में ही अधिक संख्या में उत्पन्न हुए। पीछे, जब अशोक ने बौद्ध धर्म को राज्याश्रय दिया, तब उसने उन ब्राह्मणों को जमीन देकर अयाचक बना दिया, जो बुद्ध के अनुयायी हो गये थे। इससे मध्य देशीय ब्राह्मण और भी चिढ़ गये तथा बिहार के इस अयाचक-ब्रह्मण संप्रदाय से उनका द्वेष और भी बढ़ गया।

पता नहीं, यह मत कहां तक ठीक है। लेखक ने एतत्संबंधी नाना मतों का सार अपनी पुस्तक में समो दिया है। उन सभी मतों के साथ डाक्टर सरकार के उपर्युक्त मत को भी मिलाकर विचार करना चाहिए।

मैं श्री विश्वनाथ सिंह जी को बधाई देता हूँ कि ग्राम-भक्ति के शौक में आकर उन्होंने एक अच्छे ग्रन्थ की रचना कर दी। यह पुस्तक पठनीय और संग्रहणीय है।

पटना—१६
११-११-७२

रामधारी सिंह 'दिनकर'

निवेदन

जो कुछ लिखा गया है, इतिहास नहीं है। गाथा भी नहीं। देश या देश के एक खंड या गांव की इतिहास भी नहीं है। एक अंचल की भी गाथा नहीं है। यह तो मात्र एक परिवार की कहानी है और इसी दृष्टि से लिखी गई है।

उक्त परिवार, बाबा प्राण चौधरी के परिवार की कहानी कहने के बहाने इतनी सी ही बातों का समावेश आ गया है जिन्हें प्रसंग के अनुकूल समझा गया। परन्तु उसी कारण से बहुत सी बातों का समावेश नहीं भी किया जा सका; जिनका सम्बन्ध उस परिवार से सीधा नहीं पाया जाता है। बड़हिया ग्राम में अनेक जातियाँ हैं, अनेक परिवार हैं, जिनकी कहानी भी जानने और सुनने योग्य है। अनेक पुरूष हैं और हुए हैं जो उल्लेखनीय हैं एवं अनेक घटनाएँ एवं विवरण हैं जिनका समावेश बड़हिया के इतिहास में यथास्थान होना आवश्यक और उचित है। परन्तु किया नहीं जा सका। कारण, प्रस्तुत विषय में उनका स्थान नहीं है। मैं इतिहासज्ञ नहीं हूं; इतिहासकार भी नहीं। इतिहास की कला और विज्ञान से अनभिज्ञ हूं और पिछले चालीस वर्ष से अध्ययन-अध्यापन की दुनियाँ से बाहर हूं। किन्तु इस एक विशाल परिवार की संख्या, शिक्षा, संस्कृति, संपन्नता और उमंग भरा जीवन से अवश्य प्रभावित हुआ हूँ।

विशाल भारत की विशालता इन्हीं आंचलिक गाथाओं से बनी है। अतएव अपनी प्राचीनता की झांकी प्रस्तुत करने का आकर्षण स्वाभाविक है।

इंगलैंड इत्यादि देशों में पारिवारिक इतिहास को लेखबद्ध करते रहने की प्रथा है। अपने देश के भी राजा परिवारों की यह प्रथा रही है। इस प्रकार के ग्रामीण इतिहास का क्या श्रोत हैं? इनके क्या आयाम और विधाएँ हैं? क्या इनका महत्त्व है और किन सामग्रियों की आवश्यकता इस इतिहास की रचना के लिये होती हैं; ये सब विषय मुझे मालूम नहीं। फिर भी इस ओर आर्कषित होकर यह प्रयास किया है जो सर्वथा अनाधिकार है।

सन् १९६४ से मैंने बारम्बार लगातार चेष्टा की। स्थानीय अधिकारी पुरूषों, व्यक्तियों और संस्थाओं का ध्यान आर्कषित किया। अनुरोध और आग्रह किया। परन्तु, सहयोग और सहायता नाम मात्र की भी नहीं मिली। जिस कारण यह कार्य अधूरा और अपूर्ण है। त्रुटि पूर्ण है एवं संभव है कि कुछ भ्रमात्मक भी हो। इन त्रुटियों का मुझे खेद है यद्यपि जबाबदेही मैं नहीं स्वीकारता। चूंकि मैं सन्तुष्ट हूं कि अपनी ओर से परिश्रम और ईमान में त्रुटि नहीं होने दी है। एक इतिहास लेखक ने अपने अनुभव के आधार पर कहा हैं कि सावधानी पूर्वक शोध कार्य से मेरा यह विश्वास हो गया है कि इस उपेक्षित विशाल भंडार में काफी

सामग्री उपलब्ध है जिनको सुरक्षित रखना आवश्यक है। Careful Re-search has convinced me that there neglected heaps contain much that in worthy being preserved.

और भी कि प्रत्येक परिवार यत्नपूर्वक अपना इतिहास रखता ही है; किन्तु अपने पड़ोसी से छिपाए रहता है। Each house scrupulously preserves its own archives but carefully conceals them from its neighbour.

अपने अतीत को याद रखते हुए वर्त्तमान में स्थित होकर भविष्य का निर्माण करने में हमें अपने समस्त अनुभव और उपार्जित ज्ञान का भी लाभ मिल सके ऐसी, अभिलाषा के साथ इसकी रचना की गई है। हमारे इतिहास ने जबर्दस्त करवट ली है। हमारी सभी रीति, रिवाज, सभ्यता, विश्वास, आशा, प्रेरणा, आदतें जोरों से बदल रही हैं। हमारी सभ्यता के मूलाधार उखाड़ कर फेंक दिये गये हैं। वर्ण, आश्रम, जाति, गोत्र, प्रवर, शिखा, सूत्र, गायत्री, चूड़ाकरण, उपनयन, विवाह, श्राद्ध, तर्पण, छूआछूत, प्रायश्चित, पूजा, उपासना, तीर्थाटन, गुरु–दीक्षा; मंत्र, तन्त्र, पितृपूजन, देवपूजन, प्रेतपूजन, टोटका, ज्योतिष, शुभ मुहूर्त, संयुक्त-परिवार प्रथा, जातीयता, ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था, ग्राम न्याय-पंचायत, जीवन की सादगी, पौनिया वृतियां, अशिक्षा, बाल विवाह, पर्दा, कुलीनता, वर्ग व्यवस्था, दासता, दास प्रथा और श्रम; कृषि और स्वास्थ्य के मामले में भी दैवी विश्वास की निर्भरता इत्यादि सभी हजारों सैकड़ों वर्ष की प्राचीन परम्पराओं एवं संकीर्णताओं से जकड़ा हुआ हमारा व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन अब मुक्त होकर, स्वतन्त्र विकास पथ पर उन्मुख हो चला है। समय निकट है कि हमारी संताने और उनकी संताने अपने इति वृत को भूल जांयगी और जानने की रूचि भी नहीं रखेंगी। तब चाहने पर भी, परिश्रम करने पर भी हमें इस प्रकार के इतिहास की सामग्रियों को प्राप्त करना और भी कठिन या असंभव हो जायगा। हमारे इतिहास प्रेमियों का ध्यान इस ओर आकर्षित हो, यह भी इस प्रयास का एक अभिप्राय है।

इस अलिखित इतिहास के अधिकांश अंश दन्त कथाओं और किम्वदन्तियों अर्थात श्रुति एवं स्मृति पर आधारित है। बड़े-बूढ़ों से सुनी हुई बातें जिस तरह जहां तक याद हैं, उन्हें स्थान दिया गया है। मेरी जन्मतिथि २९ अक्टूबर १९०७ है और अपनी जिन्दगी में जो कुछ आंखों देख सका हूं उनका विवरण अपनी याद से दिया है। यदि कहीं कोई मत, मंतव्य प्रकट किया है तो उसे मेरा व्यक्तिगत मत माना जाकर तुच्छ किया जा सकता है।

राजनैतिक प्रगति के इतिहास खंड का विवरण अपनी याद और डायरी के आधारपर दिया है। १९२६ ई० से १९५८ तक की प्रायः समस्त घटनाओं का मैं प्रत्यक्षदर्शी साक्षी रहा हूं। कुछ न कुछ भाग प्रत्येक घटना में लेता रहा हूं। फिर भी सिद्ध जी, यमुना बाबू; रामरीझन बाबू, बांके बाबू जो अभी सौभाग्य से जीवित हैं, अधिक तथ्य और सूचनाओं के ज्ञाता हैं। आग्रह करने पर भी वे कुछ सहायता मुझे नहीं दे पाये हैं। इस खंड में यदि गलत ब्योरे पाये जायं तो वे एवं अन्य अधिकारी [illegible] सुधारने की चेष्टा करें। सन

१९४८।४९ 'में श्री कृष्ण अभिनन्दन ग्रन्थ' मेरी देखरेख और निर्देश में संकलित होकर प्रकाशित किया गया। मुंगेर जिला के स्वाधीनता संग्राम के इतिहास के प्रकरण में बड़हिया का विवरण भी आता है। इसके संकलन कर्त्ता एवं लेखक स्व० श्री गदाधर प्रसाद जी सुयोग्य इतिहास लेखक थे। परन्तु उक्त ग्रन्थ में प्रकाशित सामग्री का संपादन मैंने नहीं किया था। बिहार केसरी श्री बाबू, श्री नन्द कुमार बाबू और मैंने किसी परिस्थितिवश यह निर्णय किया था कि अपने-अपने बारे में कुछ स्वयं लिखकर या लिखाकर उस पुस्तक में नहीं दें या दिलावें और इस निर्णय में हमें सफलता भी मिली।

मुझसे अधिक वृद्ध, अनुभवी जानकार एवं समर्थ पुरुष सौभाग्यवश वर्त्तमान हैं और उनसे संबंधित विषयों पर प्रचुर सूचनाएं मिल सकती हैं।

मुझसे अधिक सुयोग्य विद्वान और निपुण शोधकर्त्ता भी सौभाग्य वश विद्यमान हैं जो यथोचित परिश्रम, अनुसन्धान कर विविध सामग्रियों का पता लेकर आवश्यकतानुसार संशोधन, सम्पादन और प्रकाशन कर सकते हैं, ऐसी मेरी अभिलाषा और आशा है। मेरे इस प्रयास से यदि कुछ ऐसी प्रेरणा अंकुरित हो तो इस परिश्रम को मैं सफल मानूंगा।

कुछेक संपन्न घराने में पुराने कागज मौजूद हैं। सन् १६१२ ई० से भी अधिक पुराने कागज मिल सकते हैं, ऐसा मेरा अनुमान और विश्वास है। जिला एवं राजधानी के दफ्तरों में पुराने कागज मिलेंगे। बरौनी, संदलपुर, दिघवा दिबौली के पुराने इतिहासों से कुछ ज्ञातव्य बातों का पता चल सकता है। स्थानीय लोकगीत, कहावत, मुहावरे, कहानियों का भंडार अछूता पड़ा है। नये शिक्षा-प्राप्त बुद्धिजीवी, मसिजीवी की सूची बढ़ती जा रही है। इन सबके बारे में अनुसन्धान आवश्यक है। प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थ, हस्तलिपियों, चित्र, भजन और संगीत का भंडार भी अवश्य उपलब्ध है। इनके स्वाभाविक एवं अनावश्यक संकोच को दूर कर सामग्रियां प्राप्त करनी ही होंगी।

संभव है, कितने ही आवश्यक, उपयोगी और महत्त्व के विषय, घटनाओं या व्यक्तियों का उल्लेख आवश्यकतानुसार नहीं हुआ है। उनके प्रति मेरी उपेक्षा नहीं समझी जाय। सूचना के अभाव या बिस्मृति के कारण ही ऐसा हुआ होगा।

संख्या, संपन्नता, बल, पौरूष, जीवन, यौवन, उमंग, स्वाभिमान और कर्मठता की मात्रा इन लोगों को यथेष्ठ मिली हुई है। शिक्षा की प्रगति सन्तोष जनक हो रही है। अपनी बुद्धि का संबंध यदि हम विवेक से कर दें, जोश का होश के साथ, स्वच्छन्द का संयम के साथ और अतीत का भविष्य के साथ तो प्रगति एवं उन्नति के पथ पर सुसंगठित और सुव्यवस्थित रुप से अग्रसर होने का हमारा मार्ग प्रशस्त होगा। अपने अतीत की बातों से भी कुछ न कुछ प्रेरणा अवश्य ही हमें मिलेगी। मेरे जन्म काल १९०७ से आज तक क्रान्ति के बाद क्रान्ति आती रही है। सभी प्रकार के विश्वास और जीवन मूल्यों को लोप कर दिया गया है। नाना

प्रकार के प्रयोग सफल और निष्फल कर दिये गये हैं। एक बुद्धि का सहारा लेकर मानव समाज आगे बढ़ना चाहता है। नये विश्वास, नये जीवन मूल्य, नये आदर्श, नये उद्देश्य एवं नई परम्पराओं का प्रतिस्थापन निर्विवाद रुप से नहीं हो पाया है।

संक्रान्ति के इस मुहूर्त में अपने भविष्य-निर्माण में यदि कुछ संबल हम अपनी कुल-परम्पराओं और स्थानीय संस्कारों से भी प्राप्त कर सकें, तो भी हमारा यह परिश्रम सार्थक होगा।

विभिन्न पुस्तकों से या प्रतिवेदनों से जो उद्धरण इस पुस्तक में दिये गये हैं, उनकी सूचनाओं या उनके मन्तव्य का उत्तरदायित्व मेरा नहीं हो सकता। मेरी सहमति भी नहीं समझी जाय। वे मात्र सूचनार्थ प्रस्तुत किये गये हैं।

सामग्रियों के संग्रह, लेखन, प्रकाशन सभी में मेरे अनेक स्वजन एवं कृपालु साथियों से प्राप्त सहयोग के लिये में उनका नाम उल्लेख किये विना ही उनके प्रति आभार और आदर प्रकट करता हूं। परन्तु श्रीकृष्ण सेवा सदन, मुंगेर के सुयोग्य व्यवस्थापक श्री वीरेश्वर सिंह, शास्त्री के संपूर्ण सहयोग का उल्लेख कृतज्ञता पूर्वक अवश्य करुंगा जिनके अथक सहयोग के विना इस का प्रकाशन संभव ही नहीं था।

राष्ट्र कवि श्री दिनकर जी ने इसका अवलोकन कर आशीर्वाद दिया है यह उनकी महती कृपा है।

अपने ६६ वें जन्म दिवस पर आज २९-१०-१९७२ को अपनी यह तुच्छ भेंट श्रद्धा तथा विश्वास के साथ उपस्थित करते हुए में प्रसन्न तथा सन्तुष्ट हूं।

विनीत

विश्वनाथ सिंह

विषय सूची

खण्ड १

		पृष्ठ
अध्याय :	१. परिचय : भौगोलिक —	१
	२. ऐतिहासिक परिचय —	१९
	३. जाति —	२९
	४. गोत्र —	५५
	५. मूल —	६१
	६. वंश —	६५
	७. धर्म साधना —	७३
	८. संस्कार —	९१
	९. लोक जीवन —	१०९
	१०. भूमि व्यवस्था —	१४१
	११. कृषि चर्चा —	१५५
	१२. व्यवसाय —	१७५
	१३. राजनीति —	१७९
	१४. सार्वजनिक संस्थाएँ —	२२१
	१५. पुराने दस्तावजों की जवानी —	२३१
	१६. बड़हिया थाने का संक्षिप्त परिचय —	२४७
	१७. अधूरे प्रसंग —	२६१

खण्ड २

परिशिष्ट : १ जय मां जगदम्बे — २६५

२ कविता — २७५

३ ग्राम - गीत — २८५

४ हमारा स्वास्थ्य — ३११

५ हमारी सभ्यता और संस्कृति — ३१७

६ कृषि क्रान्ति — ३२७

७ व्यायाम, मनोरंजन अनुशासन — ३३५

८ नार्यस्तु यत्र पूज्यन्ते — ३४१

९ बुद्धिजीवियों के नाम — ३४७

१० ग्रन्थकार परिचय — ३५३

११ वंशावली — ३५९

अध्याय—१

परिचय : भौगोलिक

अध्याय—१

परिचय : भौगोलिक

मुंगेर जिला की भौगोलिक स्थिति की अक्षांश रेखाएँ २४२२/२५४६ एवं देशान्तर रेखाएँ ८५.३६/८६.५१ निर्धारित की गई है। वड़हिया इस जिला की पश्चिम सीमा पर अवस्थित है।

गंगा नदी के दक्षिण-पश्चिम किनारे पर मुंगेर जिला का पश्चिम छोर जहां पर पटने जिले की पूर्वी सीमा मिलती है; पूर्वी रेल की मेन लाइन पर वसा हुआ यह वड़हिया गाँव हैं।

पुराना नाम इसका अवश्य ही 'वड़ही' था। राजस्व विभाग के कागजों एवं दस्तावेजों में इसका यही नाम बराबर से चला आ रहा है **मौजा बड़ही पाली ताजपुर**। इधर पचास सालसे इसका नाम वड़हिया कहा जाने लगा है और अब अधिक प्रचलित नाम यही है। इसका परगना सलेमाबाद पाता है। १८५७ ई० के एक कागज में भी 'वड़हिया' नाम लिखा पाया गया है।

कभी वड़हिया गाँव गंगा की मुख्यधारा पर ही वसा हुआ था। गंगा के पुराने सूखे हुए सोते भी गाँव के पूरब वर्त्तमान हैं और गंगतरी के नाम से विदित है। अभी तो गंगा यहां से २ से ५ मील पूरव या उत्तर रहा करती है। इस बीच की करीब २२०० बीघे दियारा की ज़मीन वड़हिया वासियों के अधीन है।

वड़हिया वस्ती के सटे हुए पश्चिम से पूर्वी रेलवे की मेन लाइन यहां पर उत्तर दक्षिण दिशा में गुजरती है। इस रेलवे लाइन के पश्चिम से, जिसे गाँव में **नाली** ('लाइन' का अपभ्रंश) बोला जाता है, इसके ७ मील पश्चिम स्थित पाली गाँव तक और उत्तर कोनी टाल से जो मोकामा टाल को छूता है, दक्षिण ८ मील पर मानपुर गाँव तक का क्षेत्र वड़हिया टाल के नाम से विख्यात है।

लगभग ६० वर्गमील का यह क्षेत्र एक चकला में एक लाख बीघे का बतलाया जाता है। वड़हिया के उत्तर पटना जिला के पंचमहला, डुमरा तथा औरंगा गाँव हैं। दक्षिण में इन्दुपुर, ताजपुर, और बोधनगर। परन्तु, ताजपुर और बोधनगर वड़हिया मौजा के ही अंश हैं। वड़हिया के समूचे क्षेत्र को याद करने के लिये ही शायद इसका नाम वड़हिया-पाली-ताजपुर पड़ा था। उत्तर की ओर पटना जिला एवं पूरब की ओर गंगाजी रहने के कारण उन दोनों का समावेश नाम में नहीं पाया जाता है।

इसकी वस्ती का क्षेत्र फल इस समय उत्तर-दक्षिण २ मील और पूरब-पश्चिम १ मील; अर्थात २ वर्गमील है। पूरब-पश्चिम ओर आम के पुराने घने बाग लगे हुए हैं। इनके बीच कोई सीमा-चिह्न नहीं रहने के कारण एक ही व्यक्ति या एक ही परिवार की संपत्ति की तरह ये बगीचे दीखते हैं।

एक, दक्षिण-उत्तर गाँव के बीच से; और दूसरी, पश्चिम छोर पर से जाने वाली दो सड़कों के अतिरिक्त यहां पथ का नितान्त अभाव है। जहाँ-तहाँ सकरी और गन्दी गलियाँ जरूर हैं।

वड़हिया का दक्षिणी हिस्सा बाजार है। इस भाग में भूमिहार नहीं हैं। मारवाड़ी व्यापारी एवं देशवाली दूकानदार इत्यादि बसे हुए हैं।

वड़हिया साधारणतः नीची जमीन में स्थित है। जनसंख्या की अधिकता के कारण गड्हों, गाछी और वगीचों में वस्ती फैलती जाती है। सड़क-राह-गली की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। मिट्टी काली केवाल है। कादो, कीचड़, धूल और गंदगी की तकलीफ काफी रहती है।

नजामत :

बड़हिया गाँव, बड़हिया टाल और बड़हिया दियारा सभी मिलाकर एक विशाल क्षेत्र है। इनके सभी अराजी मुख्यतः तीन राजस्व नामों से परिचित हैः नजामत, जागीर और खास महाल।

मोगल सलतनत के दौरान पुलिस एवं फौजदारी महकमे के प्रमुख अधिकारी **नाजिम** कहलाते थे। माल एवं दिवानी के प्रमुख अधिकारी को **दीवान** कहा जाता था। मोगल साम्राज्य का शासन सूबों (प्रान्त) में बँटा था और प्रान्तीय शासक सूबेदार कहलाते थे। ये सूबेदार दीवानी और फौजदारी विभाग के शासन प्रायः अपने अधीन रखते थे।

जब ईस्ट इन्डिया कम्पनी को दीवानी का वन्दोवस्त १२-८-१७६५ को मिल गया तो भी नजामत उसी नाजिम के जिम्मे रह गया था। उनके नजामत-काम के खर्च के लिये ईस्ट इन्डिया कम्पनी को दीवान के हैसियत से इन्तजाम करना पड़ता था। इस खर्च के लिये जो जायदाद कम्पनी ने निकाल कर अलग कर दी थी वह जायदाद नजामत कहलाती थी। मुगल-शासकों की कमजोरी बढ़ जाने पर कम्पनी ने सभी जायदाद पर प्रभुत्व स्थापित कर लिया।

जो जमीन इस प्रकार १० वर्षीय और वाद में स्थायी बन्दोवस्त में यहां के मालिकों को मिली थी वह नजामत कही जाती है। संभवतः ऐसी जमीन का रकवा २२००० वीघे हैं। यह सभी वड़हिया टाल में हैं। करीव २६०० वीघे चौर पानी रहने के कारण किसी ने वन्दोवस्त लेना आवश्यक नहीं समझा। वह सरकार के जिम्मे पड़ी रही और **कैसरे हिन्द की जमीन** कहलाती थी। २६०० वीघे के कारण इसका नाम **छवीसैय्या महाल** पड़ गया। सरकारी अवकाश प्राप्त या हताहत फौजी सिपाहियों एवं अफसरों या उनके परिवारों को वन्दोवस्ती में दी गई जमीन **जागीर** कहलाती है। जागीर, दियारा और टाल, दोनों ही जगह है। इसका क्षेत्र २२०० वीघे है।

दियारा की जमीन करीब तीन हजार वीघे हैं। जनसंख्या कम थीं, भूमि अति अधिक थी। टाल की ज्यादातर जमीन गैर-आवाद थी। झील, चौर, जंगल, कास, कुश, घास, पानी, काँटा, झाड़ी इत्यादि को साफ कर पानी निकालकर जमीन सुखा कर उसे काविल आवाद वनाने की जरूरत थी, जिसके लिए काफी धन, जन, धैर्य एवं परिश्रम की आवश्यकता थी। मनुष्य की जरूरतें कम थीं और वैज्ञानिक साधनों या सरकारी सहायता का नितान्त अभाव था। फलतः आधी से अधिक जमीन गैर आवाद ही पड़ी थीं, जिसे सरकार धीरे-धीरे जागीरदारों या गांव के लोगों को बन्दोवस्त देती रही। बड़हिया, ताजपुर, वोधनगर और चूहरचक सड़क किनारे के गाँव हैं।

टाल क्षेत्र के भीतर वसे हुए छोटे-छोटे गाँव हैं; पाली, सरौरा, महरामचक, गिरिधरपुर, निजामपुर, भानपुर, संझायन, कमरपुर, फरीदपुर, फाजिल, कोठवा, अकड़पुर, नथनपुर। ये भी गिनती में बारह हैं और 'बारह गामां' कहलाते हैं।

वड़हिया, इंगलिश, महरामचक यहां के खतियानी (रेवेन्यू) टोले हैं। वड़हिया टाल से होकर हरुहर नदी उत्तर से दक्षिण वहती है। टाल को उर्वरा वनाने वाली प्राणशक्ति यही नदी है।

इसकी चौड़ाई कम किन्तु गहराई काफी है। इसकी रेहू मछली सुप्रसिद्ध है। सकरी नदी (शक्तिमती) का ही स्थानीय नाम हरुहर है।

इसके दोनों तट पर पूरव और पश्चिम फैले हुए खेत हैं। इन खेतों के पुकारू नाम हैं और किसानों के लिये वे ही वास्तविक नाम हैं। उनके कागजी-दफ्तरी नामों से किसानों को क्या सरोकार? इन पुकारू नामों को **कीता** कहते हैं। नदी के पश्चिम के कुछ **कीतों** के नाम ये हैं :—पाली, मनुसमारा, सकरी, टांडापर, मनहोर, चमरा पतारी, वगडेवा, वेंगा, चक्रदाहा, सकुचा, गोपीनाथ, कोयलापारी, हंस-राज, भराउठ, सिंघिया, टेढ़की, मथकटुवा, सुकाही, निसह, वांधतर।

नदी के पूरव के कुछ कीतों के नाम हैं :—पोखरतर, छविसैया, गोड़धोवा, रकसपुर, कोनी, नहड़ाँ, चिड़ैय-मारा, दूधपनियाँ, ठाढ़ी-पतारी, पथरा, रकसंहर, भीतरैल, घाघा, धोवियाघाट, कोहवरवा, गौरघाट, इजराजोर, खिलहा, कटिहारी, चौर, कारी-माटी, सियापर, डोमरिया, शेरनियां, कोयली, निमियां-तालाव, दरौंक पतार, कोढ़वा, सरौरा, महरामचक, रामचोआ, फाजिल, कपड़फोड़ा।

टाल क्षेत्र के गौरघाट, नहड़ा, दूधपनियां, गोड़धोवा, कपड़फोड़ा, भीतरैल, सकरी, चौर कोहरवरावा, कोनी, चिड़इमारा, टाँड़ापर, ढाढ़ी-पतारी, धोवियाघाट इत्यादि स्थानों में **वंडर** हैं।

समय के प्रवाह में **वडर** के मानी और काम वदल गये हैं। इन्हें अभी खेत के रूप में देखकर हम **वंडर** को भी खेत के कीता या पारी का नाम समझने लगें हैं।

नदी के वाढ़ और वर्षा के फाजिल पानी को खेतों से वाहर निकल जाने के लिये और कुछ दिनों तक फाजिल पानी को खेती के काम के लिये जमा रखने के लियें स्थान-स्थान पर सोते वना दिये गये थे जिन्हें **वंडर** कहा जाता था।

परन्तु, धीरे-धीरे ये सोते भरते गये और खेती के काम में आ गये। इतने वड़े विशाल क्षेत्र में खेतों के बीच कोई आल नहां रहता, पानी में डूवे रहने के कारण रहने नहीं पाता। रास्ता नहीं रहता। किसान या पशुओं का स्थाई वास भी नहीं रहता, और न खलिहान का स्थान। कार्तिक से वैशाख तक तो यह क्षेत्र किसान एवं मजदूरों से भर जाता है। किसानों और मजदूरों के झोपड़े, दूकानें, रास्ते, मवेशियों के वथान, खलिहान सब तैयार कर लिये जाते हैं। छः महीनों की यह गुलजार दुनियाँ जेठ में उजड़ जाती है। और फिर जल प्लावन। यह जल प्लावन पिछली सृष्टि का एक चिन्ह भी शेष नहीं रहने देता। कार्तिक से फिर नवीन सृष्टि प्रारम्भ होती है।

हरुहर के बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष इसे उर्वर कर देता है। घास, पौधे, गोवर और फसलों के खुट्टी उसी पानी में सड़कर खाद बन जाते हैं। फसल को तैयार करने में यहां अपेक्षाकृत कम समय, कम खर्च और कम परिश्रम की जरूरत पड़ती है।

वड़हिया मौजा के अन्तर्गत स्थित ग्रामों का विवरण

(१९६१ के गणनानुसार)

थाता न०	नाम	अराजी (एकड़ में)	जनसंख्या	थाना न०	नाम	अराजी (एकड़ में)	जनसंख्या
१७२	निज़ामपुर	२५५		१८०	नथनपुर	१४८९	५९७
१७३	गिरिधरपुर	३१८	५४६	१८१	कोंढवा	२२६७	२०७
१७५	कमरपुर	५४०	२७६	१८५	छद्दिसैंया	१७८९	शून्य
१७७	भानपुर	८८६	५१५	१८६	वड़हिया इंगलिश	३६५१	अधिसूचित क्षेत्र
१७८	पाली	४९२१	९२६	१८७	वड़हिया खास	१३२९	
१७९	महरामचक	५३७४	९१०				

टाल :—

इस विशाल टाल क्षेत्र की परिधि के भीतर चन्द स्वतन्त्र ग्राम भी हैं जो वड़हिया की जमीन्दारी में नहीं थे। ये हैं : वीरूपुर, सरमा, जखौर, निजाय एवं सदाइवीघा। ये सभी भूमिहार गाँव हैं, स्वयं मालिक और किसान।

इनमें से वीरूपुर के मालिक वड़हिया के ही वंशज थे। किन्तु, उन्हें इनसे सम्पत्ति नहीं मिली। शेष चार भिन्न गोत्रीय एवं अल्प संख्यक हैं। ट्रेन से जाते हुए यात्री इस ओर सावन से आश्विन तक पानी ही पानी देखते हैं। यह समस्त भूखंड २,३ महीने पानी में रहकर आश्विन में ऊपर होता है। स्वाति और चित्रा नक्षत्र में इनकी आवादी होती है। गेहूँ, चना मसूरी, केराव, खेसाड़ी, राई, सरसों की फसलें कार्तिक में वोई जाकर फागुन तक कट जाती हैं और चैत्र-वैशाख तक तैयार होकर किसानों के घर पहुँच जाती हैं। आवादी हल से जोतकर की जाती है। इसे वाउग़हा कहते हैं। विना जोते वीज छींटकर आवादी होती है तो छींटा कहते हैं। कभी-कभी समय वीत जाने तक भी पानी नहीं हटने पाता हैं और खेत न जोता जाता है और न वीज छींटा जाता है। फिर भी, पिछली फसल के गिरे हुए वीज उग जाते हैं और कुछ अनाज पैदा हो जाता है। उसे उटेर कहते हैं। बूँट और गेहूं मिलाकर एक साथ खेती होती है। राई, सरसों प्रायः सभी फसलों के साथ पैदा किया जाता है इसे दोहना कहते हैं। टाल क्षेत्र में और कोई फसल नहीं होती है। इस खेती के काम करने वाले खेतिहर मजदूर इस क्षेत्र में स्थित उपरोक्त वारह गाँव के निवासी हैं। इन वारह गांवों में कोई भी भूमिहार परिवार नहीं हैं। सब शूद्र ही हैं। भूमिहार खेती का सब काम कर लेता है, परन्तु हल अपने हाथ से नहीं जोतता है। जोतने वाला हलवाहा है। हल से लगा हुआ चोंगा से वीज गिराने वाले को चोंगवाहा कहते हैं।

भौगोलिक स्थिति, सतह एवं मिट्टी की एक दशा के कारण समस्त टाल की भूमि आवादी और कटनी के लिये एक साथ ही तैयार हो जाती है। आवादीका काम दो से तीन सप्ताह के भीतर हो जाता है, कटनी और खलिहान

का काम चार से छः सप्ताह में। अतएव जमुई, वरवीघा, वेगूसराय, इत्यादि दूर-दूर के मजदूर दोनों मौके पर आकर काम कर जाते हैं। कटनी और खलिहानी की मजदूरी में न नकद पैसे दिये जाते हैं और न अनाज। कटी हुई फसल ही दी जाती है। उसे वे स्वयं साफ कर अनाज निकाल लेते हैं।

वड़हिया गाँव में पहले पहल पृथु ठाकुर और जैजल ठाकुर आकर बसे। उनने इस ग्राम क्षेत्र का वन्दोवस्त लिया। उस समय टाल क्षेत्र गैर आवाद रहा होगा तव दियारा का अस्तित्व ही नहीं था।

कितनी पीढ़ियों के वाद मराँची कांड में प्राण ठाकुर को हरूहर का टाल क्षेत्र मिला। उनकी चौथी, पांचवीं और छठी पीढ़ी, अर्थात् १००-१५० वर्ष के वाद दमामी वन्दोवस्त का समय आया। यह समय १७६७ से १७९३ ई० का है। इस स्थायी प्रवन्ध में वारह पुरखों ने अपने पुरखों के नाम से वन्दोवस्त लिया और वे ही इस क्षेत्र के मालिक जमीन्दार हुए। उनका विवरण इस प्रकार है।

नाम	तौजी	जमा अराजी	जमा माल	वन्दोवस्तदार
धनराज	४	२३६२ ए० २ रॉड ३ पोल	१६४३	शिमरन सिंह
दानी	३४	—	—	
इन्द	१०	३३४० ए० ३ रॉ० ३० पोल	८६६	भमन सिंह
श्री कंठ	१९		२४०	दिलीप राय
श्री रामचरण	११	३५०० बीघे के करीव	६६१	दिलीप सिंह
प्रयाग	२०	४६८ ए० १५ रो०	१७९	सुमरन राय
जीवन	२१	—	—	—
रामसेन	२३	३०० बीघे के करीव	९०	महादेव सिंह
दुखहरण	२४	—	१२०	कोयली राय
गोपीनाथ	२५	—	१०५	सेवक राय
गौर	३५	—	७००	—
शिव		—	१००	युगल राय

एक कागज से जाहीर होता है कि रामचरण का स्थायी प्रबन्ध सन १२०२ फसली में श्री दिलीप सिंह को मिला। यह १७९५ ई० का साल था। सभी वन्दोवस्त इसी आस-पास में हुए होंगे।

आपस में बंटवारा होते-होते नये-नये तौजी कायम होते गये। परन्तु नजामत के साविक तौजी ये ही बारह हैं। इनमें से चन्द मालिकों ने कुछ लाखिराज वन्दोवस्त भी लिया था। किसी कारण जिसका माल माफ कर दिया गया था। जैसे —

धनराज ४३४ सी० ३१७२ सी प्रयाग ४७९ सी० ४९५ सी
जीवन ४४३ सी० ५३८ सी

कुछ तौजी लाखिराज कैलाशी कहलाते हैं। पता नहीं, यह किनका था। समझा जाता है कि यह पुरोहित कुल के लोगों का था, जो धीरे-धीरे विककर वावुओं के हाथ में आ गया।

जागीर और जागीरदार

बड़हिया गाँव के दक्षिण भाग में अभी वाजार है। पहले यह सव परती था। वहाँ उसे वड़हिया इंगलिश या वड़हिया वाजार कहा जाता है। इस इंगलिश के भी दो भाग हैं: पुरानी छावनी और नयी छावनी।

वृटिश सरकार ने नगरों में व्यापार द्वारा प्रभुत्व स्थापित करने के वाद वंगाल-विहार का दीवानी वन्दोवस्त १७६५ ई० में लिया और इस अधिकार से मोगल वादशाह के कर की वसूली के लिये ग्राम क्षेत्र में भी प्रवेश किया; एवं युद्ध और व्यापार के अतिरिक्त शासन कार्य में भाग लेना शुरू कर दिया। गाँवों में अपनी स्थिति दृढ़ करने के उद्देश्य से अपने विश्वासी सैनिकों में से जो अवकाश प्राप्त होते थे, जो हताहत होते थे या जिन्हें पुरस्कार देना उचित समझा जाता था; उन्हें या उनके परिवार वालों को गांवों में जमीन देकर वसाया जाने लगा। प्रायः यह कार्य इस भूभाग में गंगा नदी के किनारे या पुरानी शाही सड़क के किनारे किया गया। इन्हीं के समानान्तर रेल की लाइनें भी विछायी गयी। प्रत्येक दश मील पर एक टोली ऐसे लोगों की वसाई गई। जागीर में जमीन मिलने के कारण ये जागीरदार कहलाये और इंगलिश कम्पनी या सरकार के द्वारा स्थापित किये जाने के कारण यह स्थान टोला इंगलिश कहलाया। वड़हिया से दसमील पूरव लक्खीसराय में और दसमील पच्छिम मोकामा में; और वाद में वाढ़ इत्यादि स्थानों में इसी प्रकार जागीरदारों के इंगलिश टोले पाये जाते हैं। सुना जाता है कि इस प्रकार लखनऊ से भागलपुर तक ७५० इंगलिश छावनी वसाये गये थे। इन जागीरदारों को गाँव में इंगलिशया भी कहा जाता है। वड़हिया के जागीरदार प्रायः सवके सव उत्तर प्रदेश के प्रयाग, कानपुर, लखनऊ, उन्नाव, कन्नोज आदि क्षेत्र के हिन्दू-मुस्लमान सभी थे। इन्हें वाइस सौ वीघे जमीन जागीर में यहां मिली थी।

कहा जाता है कि व्रह्म देश (वर्मा) के युद्ध के वाद १७९० ई० में यहां नई छावनी की स्थापना हुई थी; और उसके पहले १७८५ ई० में लखनऊ की लड़ाई के वाद पुरानी छावनी की स्थापना हुई थी।

१८५७ के स्वातंत्र्य युद्ध के वाद भी कुछ जागीर-दार वसाये गये थे। मालूम होता है कि अधिकारियों ने इस प्रकार की जागीरें देकर इन फौजियों को वसाने का काम कुछ साल करने के वाद उसे कानूनी रूप देकर नियमित कर दिया। वाद में तो उसी कानूनी अधिकार से यह काम किया गया। जनता की ओर से किसी प्रकार का विरोध या प्रतिरोध हुआ, इसका कुछ पता नहीं चलता। सभवतः उन्हें कोई असुविधा हुई नहीं। गाँव की फाजिल एवं अनुपयोगी जमीनें उन्हें दी गई थी। गाँव के अनुपयुक्त भाग में वे वसाये गये। इस नीति का राजनैतिक तात्पर्य समझने की चेतना उन्हें नहीं रही होगी।

परन्तु वे सव के सव जागीरदार कृषक नहीं थे। सेना में रह चुकने के वाद कुछ शहरी और वाजारू आदतों के शिकार थे। मस्त मौजी और विलासी अमलों के शिकार एवं लापरवाह। करीव सौ-सवासौ वर्ष वीतते- वीतते प्रायः सवके सव, ९० प्रतिशत तो जरूर स्थानीय जनता के हाथ अपनी संपत्ति वेचकर अपने देश को वापस

चले गये। अब जो हैं, वे गिनती के ही हैं और कुल ५०० बीघे से अधिक उनके दखल मेंनहीं बच गई है।

१८०४ ई० के बंगाल रेगुलेशन १ की धारा १३ की एक विज्ञप्ति मिति १२-१०-१८३५ के अनुसार बड़हिया में उस समय १२६ जागीर-दार थे। इनमें से १११ जागीरदारों ने इस कानून के अन्तर्गत मुकर्रर किये गये जमा को स्वीकार कर लिया। १२ जागीरदारों ने कबूल नहीं किया था और ३ जागीरदार मर चुके थे।

मालूम होता है कि १८०४ ई० के उक्त कानून के पहले व्यवस्थित रूप से जमा निश्चित नहीं हो रहा था और न सिलसिले से वसूली हो पाती थी। तहसील के रुपये का गोलमाल होता ही होगा। सन् १८०८ ई० के बंगाल रेगुलेशन १० एवं ११ एवं १८२२ ई० के बंगाल रेगुलेशन न० ७ द्वारा पुनः इन जागीरों की व्यवस्था में आवश्यक सुधार और नियंत्रण लाया गया।

भागलपुर कमिश्नरी न० १२ को मुंगेर के डिपुटी कलेक्टर मिस्टर विल्सन ने अपने प्रतिवेदन से सूचित किया कि उन्होंने १८३४ ई० (१२४१ फसली साल) में १११ कलमजागीर का दमामी बन्दोबस्त कर दिया।

रेवेन्यू कमिश्नर के पत्र दिनांक १६-६-१८३५ एवं सदर रेवेन्यू बोर्ड के पत्र दिनांक २४-८-१८३४ एवं २६-७-१८३३ से भी उपरोक्त बातों की पुष्टि मिलती हैं। मुंगेर के पदासीन डिप्टी कुलेक्टर फ्रेडरिक विलियम्स के सरकारी आदेश पत्र मिति २५-३-१८३३ से निम्नांकित बातें स्पष्ट होती हैं: (क) "Invalid Soldiers or heirs" अशक्त सैनिक या उनके उत्तराधिकारी को जागीर दी जाती थी।

(ख) परंती एवं गैर आबाद या कृषि अयोग्य-जमीन जागीर में दी जाती थी: "Fallow and Uncultivable"

(ग) बड़हिया टाल की भूमि की मिट्टी केवाल थी कालेरंग की।

(घ बड़हिया दियारे की भूमि की मिट्टी दोरस थी।

(ङ) टाल की मिट्टी में नोनी लगती थीं और कीड़ा भी।

(च) सरकार से जागीर लिये बिना, या सरकार को कीमत दिये बिना, इन जमीनों' पर दखल रखने वाले को बेदखल किया गया था।

छ) जागीर के मालगुजारी का सरह आठ आने से एक रुपया बीघा था, ज्यादातर आठ आना। उपरोक्त पत्राचार से पता चलता है कि सदर राजस्व विभाग (बोर्ड ऑफ रेवेन्यू) का मुख्यालय कलकत्ता में था जो सदर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कहा जाता था। उस समय बड़हिया, भागलपुर कमिश्नरी के बिहार शरीफ जिले के मुंगेर सबडिवीजन में था। मुंगेर में एक डिप्टी कलेक्टर रहते थे। बढ़हिया मेंपुलिसथाना था।

यथा संभवः जागीरों की सूची प्रस्तुत करने की चेष्टा की गई है, जो नीचे की तालिका से प्रकट है। जागीरों को नाम बन्दोबस्त पानेवाले जागीरदारों के नाम पर चलता है और वही उस तौजी महाल या जायदाद का भी नाम समझा जाता है।

नाम जागीर	स्थान	तौर्जा न०	अराजी	नाम जागीर	स्थान	तौजी न०	अराजी
सनेही सिंह कुमैदान	फरीदपुर	७१		जोगराज सिंह सूबेदार	सरौरा दियारा	८२	
रामदीन सिंह	,,	७२		बशारत अली खां सू०	घाघा सरौरा	८३	
दुलम सिंह सूबेदार		७४		मन्ना राम सिंह सू०	मानपुर	८६	
दरियाव सिंह सूबेदार	किल्लू	७८		विश्राम सिंह सूबेदार	घाभा दियारा	८५	

भगवत सिंह सूबेदार	धोबियाघाट	८७	
भीम सिंह सूबेदार		८८	
अह्लाद सिंह सू०	फाजिल,कारी मिट्टी दियारा	८४	
फेकू सिंह हवलदार	कारी मिट्टी दियारा		
भुवन मिश्र जमादार		८९	
गिरधारी सिंह सूबेदार		९०	
बरियार सिंह सूबेदार		९१	
बैजनाथ सिंह सूबेदार	घाघा	९३	
फैज अली जमादार		९४	
दुर्गादास जमादार		९५	
मीर शेर अली जमादार		९६	
मंशाराम जमादार	घाघा दियारा	९७	
लाल खां जमादार		९८	
मनसा जमादार		९९	
प्राण सिंह जमादार		१००	
मंगल सिंह सिपाही		१०१	
मरदन मिह जमादार		१०२	
नन्दराम जमादार		१०४	
शेख करीम उल्लाह जमादार		१०६	
मौहर मिह जमादार		१०८	
सीताराम सिंह जमादार		१०९	
गंगाराम जमादार		११०	
राम निवास मिश्र जमादार		११२	
शेख रमजान हवलदार		११३	
शेख रमजान हवलदार		११४	
मिर्जा खास बेग	घाघा	११५	
चेत सिंह हवलदार		११६	

मान सिंह हवलदार		११७	
इनायत खां हवलदार		११८	
गोपाल पांडेय		११९	
घनश्याम सिंह हवलदार		१२१	
किन्नू सिंह हवलदार		१२२	
प्रेम सिंह हवलदार	मानपुर	१२४	
शेख मेहरबान		१२५	
खैर उल्लाह		१२६	
फक्र उलाह		१२७	
शीतल सिंह		१२९	
शोभा सिंह		१३२	
हुलास त्रिवेदी		१३३	
गंगाराम हवलदार		१३६	
गंभीर त्रिवेदी	घाघा	१३५	
कुंजल शिंह नायक		१३८	
देव सिंह नायक		१३९	
अधार शुक्ल नायक		१४१	
तुलाराम पांडेय		१४२	६० बीघा
राम किसुन नायक		१४३	
राम सिंह नायक		१४४	
रोशन खां नायक		१४५	
भवन सिंह नायक		१४६	
भैरो सिंह नायक		१४७	
मोती राम नायक		१४८	
वंदी सिंह नायक		१४९	
वहराम खां नायक		१५१	
गयास खां मुरांद अली नायक		१५२	२२ बीघा २ कठा
इमाम बक्स नायक		१५३	

भागवत सिंह खुर्द	१५५	मस्तराम सिंह सिपाही	१७५
अल्ता वक्स सिपांही	१५८	देहल प्रसाद तंबोली	१७७
पीर महम्मद सिपाही	१६१	शुभ सिंह सिपाही	१८५
मेहराव खां सिपाही	१५९	रामवक्श सिंह सिपाही	१८९
जागीर घौघल सिंह सिपाही	१६२	बहादुर सिंह सिपाही	१९४
छत्र सिंह सिपाही	१६३	घनश्याम सिंह कुमैदान	१९७
गज सिंह सिपाही	१६५	लालदास जमादार	४७५०
छछू पांडेय सिपाही	१६७	राम किशुन सिंह जमादार	५७६३
खड़ग सिंह सिपाही	१६६	गुलाम गर्दिश	२२९०
बंदी सिंह नायक	१६९	भानपुर	१
बोधी पांडेय सिपाही	१७१	चकभाव सिंह	२३६४।७५७४
प्राण सिंह सिपाही	१७२	चक फाजिल	२३६५
जगू सिंह सिपाही	१७३	कमरपुर	२७५१
नेवाजी सिंह सिपाही	१७५		

निम्नोक्त तौजी का विवरण अप्राप्य है।

७३, ७५, ७६, ७७, ८०, ८१, ९२, १०५, १०७, १११, ११७ ११८, १२०, १२३, १२८, १३०, १३१, १३४, १३७, १४०, १५०, १५४, १५६, १५७, १६०, १६४, १६८, १७०, १७६, १७९, १८०, १८१, १८२, १८३, १८४, १८६, १८७, १८८, १९०, १९१, १९२, १९३, १९५, १९६.

तौजी न० ७१ से लगातार १९७ न० तक इन १२७ जागीरों की सूची है। यद्यपि १८३३-३४ के सरकारी कागजों के अनुसार सभी जागीरों की कुल संख्या १२६ थी। किसी को दो जागीरों के मिलने के कारण एक संख्या अधिक हो सकती है।

एक तौजी न० २२९० महाल गुलाम गर्दिश सभी जागीरदारों के लिये "रेयायान मोजारियानरा राजी वो साकिर दास्ते कारे जिरायत खुद बगोरन" दे दिया गया था। यहां ही सब जागीरदार रहते थे। इसमें खेत नहीं है। अभी बाजार बसा हुआ है।

इन १२६ जागीरदारों में से इस समय एक दर्जन से अधिक वर्तमान नहीं है। इनकी नामावली है :

१ श्री सूर्यनारायण सिंह / फेकू सिंह हवलदार तौजी न०........के बंशज
२ श्री रामनारायण सिंह / अह्लाद सिंह तौजी न० ८४
३ श्री शिवचन्द्र दूबे एम० ए०

४ श्री तुंगनाथ तिवारी
५ श्री रामेश्वर मिश्र-सिपाही और कवि
६ श्री बदरी मिश्र
७ श्री मनी तिवारी
८ श्री महावीर मिश्र
९ श्री अजीज
१० श्री मीर साहब
११ श्री गोगू गोप
१२ श्री बोतल गोप
१३ श्री बदरी खटिक
१४ श्री चण्डीदत्त मिश्र का परिवार

उपरोक्त श्री सूर्यनारायण सिंह इस स्थान के उल्लेखनीय व्यक्ति हैं। स्थानीय जनजीवन में इनका विशिष्ट स्थान है। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के लिये कईबार जेल यातना उठाई और आर्थिक दण्ड सहन किया। कांग्रेस संस्था एवं अन्य संस्थाओं में प्रतिष्ठित पद पर रहकर लोक सेवा करते रहे। अधिसूचित क्षेत्र समिति के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। ये जागीरदार फेकू सिंह हवलदार के पौत्र एवं चन्द्रमोहन सिंह के पुत्र थे।

उपरोक्त श्री रामनारायण सिंह के परिवार एवं जागीर का क्रमवद्ध इतिहास उपलब्ध है। उसके संक्षिप्त विवरण से इन जागीरों के सम्वन्ध की कुछ ज्ञातव्य वातें प्रकाश में आती है।

उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिला के मौजा वेलवा के निवासी राजपूत परिवार अह्लाद सिंह फौज के सूबेदार थे। सन् १७९० ई० में इन्हें यहाँ जागीर मिली और यहीं १-१२-१७९३ को उनका देहान्त हुआ। उनकी वंशावली इस प्रकार है :—

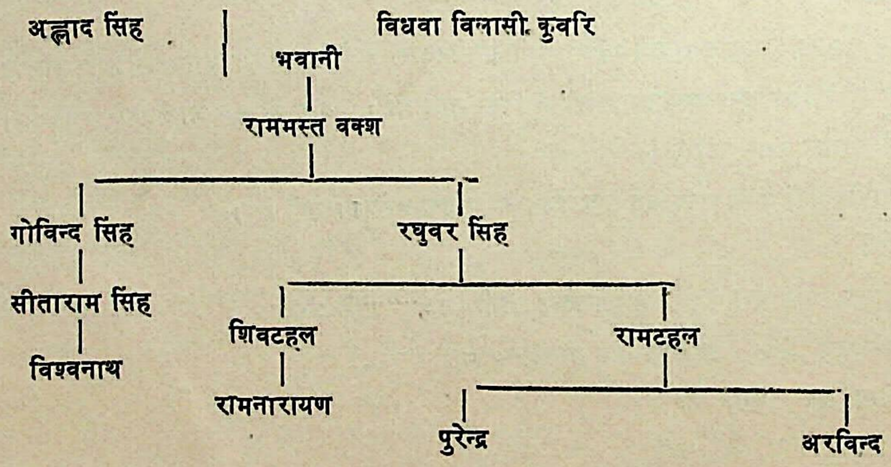
अह्लाद सिंह
विधवा विलासी कुवरि
भवानी
राममस्त वक्श
गोविन्द सिंह
रघुवर सिंह
सीताराम सिंह
विश्वनाथ
शिवटहल
रामटहल
रामनारायण
पुरेन्द्र
अरविन्द

अह्लाद सिंह सूबेदार टीपू सुलतान से लड़ने अंग्रेजों की तरफ से गये थे। एक हजार की सेना में १२६ आदमी बच पाए थे। उनमें से यह एक थे।

इनके जागीर के हुक्मनामा की भाषा इस प्रकार है :—

"दरीं इमान मिलत्त एकरान, लाजमुल फरमान, वनाम, मुस्तइदयान, हालो इस्तकवाल, मौजा बेलवा प्रगना अमला, सूबे इलाहाबाद बईस्म अह्लाद सिंह जमीन्दार वजमा नौ सौ हफ्त पंज रुपया वईस्मी अह्लाद सिंह जमीन्दार दादे सनद मजकूर नसलन वतरीक इसबदार खाह दयानबलो कलमी ३१ जुलूस।

इनके एक रूवकारी में शर्त्त है "अराजी बूदवास जाय सकूनत का-बिल इन्तकाल नहीं हो सकता है। जागीरदार से भी पट्टा कौल-करार लिया गया।"

६ फरवरी १८०७ ई० (१६ मांघ १२१४ फसली) को अह्लाद सिंह की जागीर मौजा वो थाना बड़हिया प्रगना सलेमावाद जिला बिहार उनकी वारिस बेवा मासमात विलासी कुंवर और नावालिग़ बेटा भवानी वक्श को मिली। १८३० ई० में एक विवरण तैयार हुआ जिसके मोताविक तौजी न० ८४ जागीर अह्लाद सिंह सूबेदार, वजरिए सनद १७९० ई० के नीचे लिखी जमीन दी गई :—

काली मिट्टी	—	९ बीघा	—	१३ कट्ठा		
दियारा	—	१३ बीघा	—	१ कट्ठा	—	१० धूर
चक फाजिल	—	१६४ बीघा	—	९ कट्ठा	—	—
सकूनत		१ ,,		१ ,,		१२ ,,

मुंगेर के डिप्टी कलेक्टर फ्रेडरिक विलियम के २५ मार्च १८३३ ई० (१३ चैत १२४० फसली) के रूवकार से इसकी पुष्टि होती है।

१८ जुलाई १८३६ ई० में अह्लाद सिंह के लड़का भवानी वक्श को १८०४ के रेगुलेशन १ के मोताविक दमामी पट्टा दे दिया गया। इसके मोताविक १८४ बी० ७ क० ८ धूर की खेत और १ बी० २ क० २ धूर सकूनत मोवलिक ५७ रु० १४ आना १ दाम ७ कौड़ी मालगुजारी पर दी गई थी। सन् १८९४ ई० के एक करींदा पट्टा नामक कागज से इस जागीर की कुछ जमीन चक फाजिल मौजापाली में सूदभरना में दी गई थी। इसकी शर्तों के अनुसार माल और सेस के अलावे पटवारी का नेग एक पैसा फी बीघा एवं बराहिल का मांगन एक सेर अनाज फी बीघा भी देना पड़ता था।

मिल्कियत हिस्से के बंटवारा के लिये उस समय एक रुपया = १६ आने के और उसके निम्नानुसार १६०० टुकड़े किये जा सकते थे :

१ रुपया	१६ आना
१ आना	२० गंडा या दाम
१ गंडा	२० कौड़ी
१ कौड़ी	२० बौड़ी

१ बौड़ी	२० फौड़ी
१ फोड़ी	२० रेवड़ी
१ रेवड़ी	२० रेवड़ा
१ रेवड़ा	२० बाट
१ बाट	२० बगली

हिसाव २० के दर से चलता था। जिस प्रकार ऊपर महाशंख तक का आविष्कार हुआ नीचे भी इतनी दूर तक की व्यवस्था थी। यह हमारी गणित-प्रतिभा का एक नमूना है।

उपरोक्त चंडीदत्त मिश्र का परिवार विशेष उल्लेखनीय है अपने संगीत-कला प्रेम, संगीत-सेवा, पहलवानी और अमीरी के लिये।

जागीर बिलास सिंह तौजी न० ८५ के जागीरदार विश्राम सिंह सूवेदार उत्तर प्रदेश के फैजाबाद के निवासी पिपरा के मिश्र कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। इनकी जागीर घाघा टाल में थी, कुछ दियारे में भी।

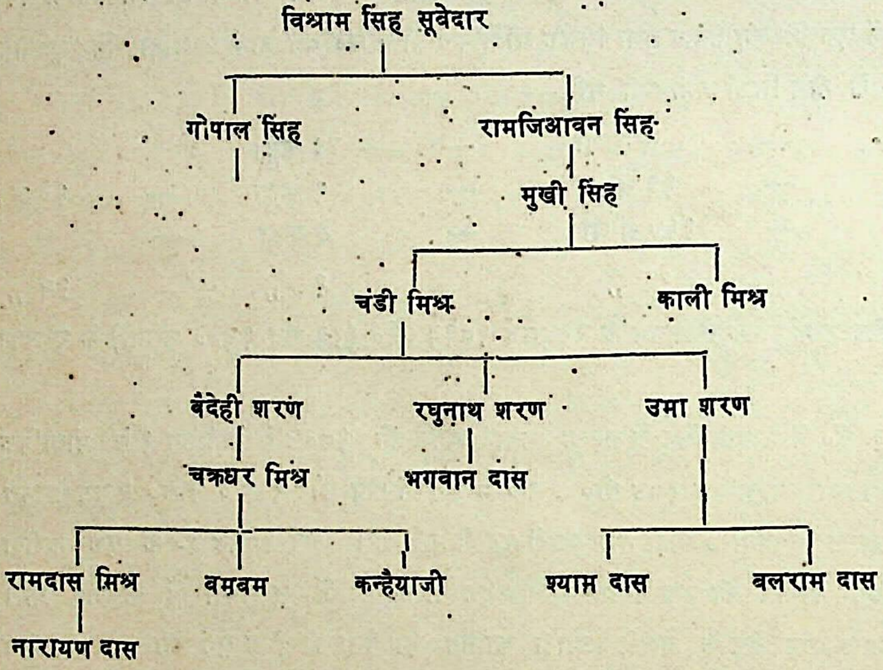
विश्राम सिंह सूवेदार
गोपाल सिंह
रामजिआवन सिंह
मुखी सिंह
चंडी मिश्र
काली मिश्र
बैदेही शरण
रघुनाथ शरण
उमा शरण
चक्रधर मिश्र
भगवान दास
रामदास मिश्र
बमबम
कन्हैयाजी
श्याम दास
बलराम दास
नारायण दास

इनमें से विश्राम सिंह, रामजियावन, चंडी, काली अपने-अपने समय के अच्छे पहलवान हुए। गोपाल, चंडी, वैदेही, रघुनाथ, उमाशरण, चक्रधर, रामदास, श्यामदास अच्छे गवैया और संगीतज्ञ तथा चंडी मिश्र एवं वैदेही शरण कवि हुए।

चक्रधर मिश्र केवल सुप्रसिद्ध गवैया ही नहीं संगीत के आचार्य एवं शिक्षक हैं। चक्रधर, रामदास, और श्यामदास रेडियो के कलाकार भी हैं और श्रोता मंडली को मुग्ध किये रहते हैं। उच्च कोटि के और लोकप्रिय गवैया हैं। इस तरह यह गुणी घराना कहा जाता है।

इनके रचितपद इस गाँव में प्रचलित है। इस घर के अनेकानेक संगीतज्ञ शिष्य बड़हिया एवं आस-पास के गांवों में वर्त्तमान हैं।

अलतमगा :

तौज़ी न० ३२६१ की एक अलग कहानी है। इसका अराजी २५६० एकड़ २ रौड ३ पोल है। जमा १६४३ रूपये तीन आने। इस महाल का नाम है : “बड़ही पाली ताजपुर तरफ रामचरण रामसेन देहे अलतमगा”। स्मरणीय है कि किसी भी जायदाद का विवरण देने की रीति के अनुसार उस महाल या तौजी या तरफ या पट्टी के मालिक का नाम जोड़ना होता है। जैसे बड़ही पाली ताजपुर तरफ इन्द तौजी न० १०।

तौजी न० ३२६१ के नामकरण से अनुमान होता है कि यह अराजी रामचरण और रामसेन के अराजी से निकाला गया है। रामचरण और रामसेन सगे भाई थे। देहे अलतमगा से जाहिर है कि किसी को यह जागीर इनाम में मोगल काल में मिली थी। परन्तु तौजी न० अधिक पुराना नहीं है। रामचरण-रामसेन के नाम से भी अनुमान किया जाता है कि रामचरण-रामसेन के जीवन के पश्चात ही यह जागीर निकाली गई थी। इस तौजी के खंड होकर वाद में अनेक तौजी कायम होते गये : जैसे—७३०२, ७३०४, ७३०६, ७७२१, ७७२५, ७८०७, ८१६४, ८१६६ आदि।

इस तौजी के इमानदार अभी अज्ञात हैं। परन्तु समझा जाता है कि पटना शहर के कोई मुसलमान संत थे। इनके परिवार के अधीन यह संपत्ति १५० वर्ष के करीब रही थी। इस परिवार में से मिर्जा गुलाम रजा को यहाँ के लोग नहीं भूले हैं। अन्य का नाम नहीं मिलता। मिर्जा के समय तक इस तौजी के साथ-साथ इन्हें काफी संपत्ति एकत्र हो गई थी और ६०-७० हजार की वार्षिक आय के स्वामी वह थे। नहड़ा और ठाढ़ीपतारी की ७०० वीघे जमीन १४ आने वीघा पर इन्होंने रैयती वन्दोवस्त मालिकों से ले ली। जब समूचा तौजी न० १० महाल इन्द सरकारी माल के वकाए में नीलाम होकर एक हिस्सेदार के दखल में चला आया तब सभी हिस्सेदारों के भय से उन्होंने ६ आना हिस्सा मिर्जा काजी अली को देकर उनकी सहायता प्राप्त की थी। यह मिर्जा गुलाम रजा खुद लखनऊ तरफ के वासी थे। बड़हिया में रहकर जनता से हिलमिल कर जमीनदारी की थी। हाल के गोखुल सिंह (तिलक मैदान के बंगले) की जमीन पर मिर्जा साहब की हवेली थी। मिर्जा साहब के हाता में इनलोगों की कचहरी और कब्रगाह थे।

इनकी फूआ प्यारी वेगम भी यहीं रहती थीं और अपनी पहलवानी के लिये मशहूर थी। स्थानीय पहलवानों से कुश्ती खेलती थीं। वाबू महेश सिंह के परिवार के तीलू सिंह उनके कुश्ती-उस्ताद थे। इस बेगम के ससुराल पटना वालों ने इनकी वेपर्दगी से रंज होकर इनका त्याग कर दिया था और वाद में इनकी हत्या भी करा दी थी। कहा जाता है कि जब इन्हें ससुराल वालों ने अन्दर हवेली प्रवेश करने से रोक दिया तो इनके साथ बड़हिया के पहलवानों ने वलपूर्वक इन्हें अन्दर दाखिल करा दिया था।

इन बेगम साहिबा का तामिल किया हुआ एक रूक्का उपलब्ध हुआ है, जो इस प्रकार है :—

“लि० मोसमात जमानी बेगम उर्फ प्यारी बेगम सा० शहर पटने बासिन्दे दीवान महल्ले के आगे बाबू रामधन सिंह मालिक मोजे बड़हिया तरफ रामचरन प्रगने सलेमाबाद तीन से पांच सौ रुपया

जर कम्पनो बमाकाम मौजे बड़हिया के लिया ५००।- तींस का तमसुक लिख दिया के सन् १२६५ साल के भरे माह अगहन में फी संकड़ा सवा रुपया सूद हिसाब करके बिला उज्र बिला सखुन - महाजन मजकूर को एक मुस्त सौ भर देही अगर देने मो हीलाहुजत करें तो वरसरे अदालत के झूठा हो हीं। ता० १४ माह जेठ सन् १२६४ साल।"

कागज कैथी में है जो इसवी सन १८५७ का होगा। उनका हस्ताक्षर फारसी लिपि में है। तीन साक्षियों के नाम हैं और उनके क़लम चिन्ह इस प्रकार के हैं I.O.L.

ऊँचे खानदान की मुस्लिम महिला का भी यह कागज उर्दू, फारसी में नहीं है। बल्कि देही, होंही, जैसे देहाती क्रियापद भी हैं। इस पत्र में इस गाँव का नाम बड़हिया लिखा है। इससे यह धारणा गलत साबित होती है कि बड़हिया नाम अंग्रेजी पढ़े-लिखे लोगों ने हाल में रखा है।

मिर्जा गुलाम के वंशज मिर्जा लियाकत खां हुसैना में रह रहे थे और १३२६ ई० फसली तक वहां देखे गये थे।

हुसैनावाद के नवाव इनके रिश्तेदार थे। वावू महेश सिंह के वड़े भाई मोती सिंह इस मिर्जा के मैनेजर थे। यह स्वयं वहुत वड़े पहलवान थे। और इनके शरीर का वजन १८ मन बतलाया जाता है। इनके पिता भुवन सिंह तगड़ा पहलवान थे।

इस गुलाम रजा खां के विरूद्ध दिलीप सिंह ने एक मोकदमा दायर किया था। यह पौपर सूट (Forma-Panperis) था। २२४०/- रुपये का दांवा था। मालिकाना का, १६०० रुपये का दावा 'नौकर' का और १८८५ रुपये का दावा जमीन्दारी रसूम का था। वकाया १२०५-१२२० फसली का था। उन्होंने तमाम रामचरण के सोलह आना मालिक के हैसियत से यह दावा किया था।

इस अलतमगा महाल की सारी जमीन धीरे-धीरे विक विकाकर स्थानीय लोगों के हाथ चली गई। काफी हिस्सा तो इनाम और बकशीश में भी बंट गई थी।

१८-१२-१८३८ ई० के एक रूवेकारी से पता चलता है कि मोशारकत फैज उल्लाह तौजी न० २१ रामचरण के साथ सन् १२०२ फसली में ही वन्दोवस्त हो गया था।

इस रूवेकारी से भी सावित होता है प्राचीन काल से ही बड़ही १२ तरफ में बँटा हुआ था, दमामी बन्दोवस्ती के बहुत पहले से ही। १६१२ ई० के काह चराय पट्टा से भी यह वात साफ है।

पटना हाई कोर्ट के फर्स्ट अपील ८६/१९३९ के फैसले से निम्नोक्त सूचना मिलती है।

Wilson's Dictionary के अनुसार

"अलतमगा हिन्दुस्तान के राजा द्वारा मंजूर जागीर को कहा जाता है। यह जागीर राजा के मोहर से दिया जाता था। बृटिश सरकार ने भी इसे स्वीकार कर लिया था और सदैव के लिये बिना लगान मंजूर किया गया था। इस जागीर की विक्री हो सकती थी और उत्तराधिकारी को प्राप्त होती थी।

बड़हिया के दो भाई रामचरण एवं रामसेन की जमीनदारी में से यह जागीर वादशाह आलमगीर ने किसी को दिया था। सन् १८३७ ई० के करीव १८३९ के रेगुलेशन २ के अधीन इस अलतमगा को सीर करने की कार्रवाई की गई थी। अनियमित या गैर कानूनी लखिराज जागीरों को छीन लेने के लिये यह रेगूलेशन बना था।

ऐसे जागीर के दखलकार को अपने हकीयत को सावित करना पड़ता था। अन्यथा जागीर छोड़ देना पड़ता था।,,

दियारा :

प्राय: एक डेढ़ सौ वर्ष पूर्व तक गंगा नदी इस गांव के पूर्व तट पर थी। ३०/४० वर्ष पहले तक तो गंगा का पानी वरसात के महीनों में इस गांव के पूर्व और उत्तर भाग में चला आता था। सड़कों और गलियों पर लोग गंगा-स्नान करते थे एवं गढ़ों में नावें एवं घरनाई चलती थी। घड़ों पर वांस की छावनी वांधकर घरनाई ('घड़ा-नाव') वनती थी और लग्गी से इसे खेते थे।

गंगा इस गांव से पूरव हटती गई और गंगा एवं वस्ती के बीच जमीन पड़ती गई। यही स्थानीय दियारा है। कुछ भाग तो वहुत ही उपजाऊ है। रव्वी, भदई, अरहर, तंवाकू और मिर्चाई एवं पशु का चारा इसकी उपज है। करीव २२०७ बीघे वड़हिया मौजा का दियारा है। वाकी पड़ोस के जैतपुर का है। करीव समूची अराजी जागीर है। इससे भी सावित होता है कि यह अराजी स्थाई प्रबंध के वाद आवाद होने लगी होगी।

कहा जाता है कि जैतपुर मौजा पटना जिला के शमंयागढ़ की जमींदारी में था। जैतपुर एवं बड़हिया के दियारों की सीमावन्दी करने वाले एक चक्षु वंगाली औफिसर से, यहां के एक मजाक पसंद सज्जन आलम सिंह ने अनुरोध किया था कि हुजूर एक ही नजर से दोनों पक्ष को देखा जाय। लेकिन हाकिम मजाक पसन्द नहीं थे। रंज होकर उन्होने वड़हिया का बड़ा दियारा भूभाग जैतपुर में नाप दिया था। यद्यपि जैतपुर दियारा का अधिकांश अब भी बड़हिया के वावुओं के ही अधीन है।

खास महाल मालिक कैसरे हिन्द :

गाँव के पश्चिम छोर पर बड़ा पोखर है। वर्षा और वाढ़ का पानी जमा होकर वर्ष भर इसमें रह जाता है। टाल से आते-जाते लोगों एवं पशुओं के उपयोग में यह आता है।

इस पोखर से पश्चिम करीब छव्वीस सौ वीघे अराजी उत्तर-दक्षिण फैला हुआ नीचा टाल है। इसकी सतह नीची होने के कारण इसमें पानी जमा रह जाता था और आवाद नहीं होने पाता था। चौर, गोरधोबा, ठाढ़ी-पतारी, कटिहारी इत्यादि अभी इन खेतों के पुकारू नाम हैं। पहले मत्स्य एवं पक्षी के आखेट की यह जगह थी।

अपने अराजी के अनुसार यह छवीसैया कहलाया और आवाद के लायक होने पर सरकार ने इसे भी बन्दोवस्त कर दिया। अभी यह अच्छा पैदावार खेत है।

गाछी बगीचा :

बड़हिया गाँव के पूरव दो मील लम्वा और आधा मील चौड़ा आम का बाग काफी घने तौर से लगा हुआ है। वाग लगातार है और कहीं बीच में कोई सीमा चिन्ह नहीं है। गाछों की दशा एवं अवस्था एक समान है,

जैसे एक ही बार एक ही व्यक्ति ने या एक ही बार सभी ने वृक्षरोपण अभियान कर इसे लगाया हो।

गाँव के पश्चिम किनारे पोखर के पास भी या रेलवे लाइन के दोनों ओर कुछ गाछी हैं। इन वगीचों की अवस्था प्रायः एक सौ वर्ष की समझी जाती है। जलावन, चारागाह, गर्मी के दिनों में छाया, आम के फल और वर्षा एवं वर्षा से भूमि के क्षरण की रक्षा इन सुविधाओं के स्रोत ये वगीचे इस वस्ती के शृंगार हैं।

पोखर, जलाशय और डोभा :

पोखर तो गाँव भर में एक ही, पर काफी बड़ा-सा पश्चिम छोर पर है। कार्तिक छठव्रत में यहां मेला सा हो जाता है। गाँव नीची सतह पर होने के कारण जगदम्बा स्थान के आसपास से हटकर चारों ओर गढ़ों को भर कर वस्ती बसती रही है और फैलती जा रही है। फलस्वरूप गढ़ों की संख्या भी घटती रही है। किन्तु पूरब और गंगतरी एक मील से अधिक लम्बी अभी भी कायम है। उससे तीन चार सौ गज पश्चिम एक अन्य समानान्तर सोता भी है जिसमें स्थान-स्थान पर लोग मिट्टी भर कर बस गये हैं। श्री जगदम्बा स्थान इसी रेखा पर स्थित है। ४० वर्ष पहले तक वरसात में इन दोनों सोतों में नावों का आना-जाना होता था।

कहा जाता है, और देखने से भी मालूम होता है कि वड़हिया का मूलडीह मूल वास स्थान वर्तमान जगदम्बा स्थान से सटे पश्चिम और उत्तर था। वर्तमान स्थिति के अनुसार इसकी चतुर्सीमा इस प्रकार रही होगी :

उत्तर पश्चिम	: तेतर तर : वर्तमान तिलक मैदान
उत्तर पूर्व	: तमकुआ खेत। अभी रामचन्द्र बाबू का मकान जहां है।
पूर्व	: गंगतरी
पश्चिम	: मलिया डोभा
दक्षिण	: जगदम्बा स्थान से नागवस्ती स्थान पथ

तरियानी :

गंगा की तराई में बसे रहने के कारण इस स्थान को तरियानी भी कहा जाता है। ऐसा कहकर मगह, दियारा और तिरहुत से इसका विभेद किया जाता है। अब यह नाम भुलाया जा चुका है।

त्रिभुक्तिः तिरहुत गंगा नदी के उत्तर तट पर है। मगध दक्षिण तट पर। किन्तु गंगा के दोनों तट पर दश मील तक का भूभाग तरियानी कहलाता था। तरियानी माने तराईवाले, गंगा की तराई में रहने वाले। गंगा की मूलधारा का नाला इस गाँव में अभी तक गंगतरी कहलाता है। खतिआन में भी इसे ऐसा ही लिखा गया है। तरियानी में जमींदारों की संख्या कम और किसानों की संख्या अधिक थी। वड़हिया क्षेत्र भी तरियानी था और है।

श्री P. W. Marphy I.C.S. के Final Report on the Servey and settlement operation (1905-12) से उद्धृत :

पृष्ठ ४ पैरा ८ :

टाल क्षेत्र पटना जिला तक फैला हुआ है। समूचे बरसात ऋतु यह जमीन पानी में डूबी रहती है। इस क्षेत्र में कहीं भी एक पेड़ नजर नहीं आता है। आस-पास की भूमि से ऊँचे टीले पर छोटे-छोटे गाँव बसे हुए हैं। बरसात के महीनों में यहां जाना कठिन हो जाता है.। इस क्षेत्र में पेड़ तो रहने नहीं पाता सिवा कुछ स्थानों पर जहाँ बाँध की सहायता से रैयत लोग बाढ़ के पानी को आने नहीं देते, अन्यथा तो यह सारी जमीन बाढ़ के पानी में डूबी हुई रहती है। परन्तु जाड़े में यहाँ बहुत अच्छी रब्बी फसल प्राप्त होती है।

दियारा पृष्ठ १९ पैरा ३४ एवं ३५ :

इस परगना का रेवेन्यू सर्वे १८३८ और १८४७ में हुआ था।

गंगा दियारा सर्वे १८६५-६६ में हुआ। यह सर्व विदित है कि दमामी बन्दोवस्त के दौरान में गंगा को नाव चलने लायक नदी (Navigable-River) मानकर किसी तौजी (Estate) में नहीं शामिल किया गया था।

इसी के परिणाम स्वरूप गंगा के दोनों तटपर गंगा नदी की धारा के बदलते रहने के कारण सभी तौजी के अराजी का माप गड़बड़ होते रहता है, और झगड़ा भी होते रहता है।

जागीर पृष्ठ ३१ पैरा ६८ :

लक्खीसराय एवं सूर्यगढ़ा के उत्तर खंड में एक खास तरह का रैयत पाया जाता है जो इंगलिशिया जागीर कहलाता है। यह जागीर घायल या बेकार हो गये सिपाही को दिया गया था।

ऐसे कुछ जागीर सीधे तौजी के मालिकों से खरीद कर लखिराज (बिना मालगुजारी) सिपाहियों को बन्दोवस्त कर दिया गया।

कुछ जागीर पर मालिकों ने अपनी मिलकियत कायम रखली और उनको सरकार ने मोआबजा दे दिया।

कुछ को सिपाहियों से तीन आने फी बीघा के दर से मालिकाना दिया गया। इस तरह कोई जागीरदार अपने जागीर का मालिक हो गया और कोई रैयत। ऐसा पाया जाता है कि कृषि-भूमि के अतिरिक्त जागीरदारों को दूसरे किस्म की जमीन भी दी गई थी। एक कहलाती है गुलाम-गर्दीश यानी गुलाम का निवास स्थान। किन्तु, स्पष्ट ही यह चारागाह थी। और दूसरे किस्म की जमीन थीं 'खाना शकूनत', अर्थात बास-भूमि।

पृष्ठ ५३ पैरा न० ६० :

छवीसैया : बड़हिया तौफीर ही एक मात्र सरकारी जमीन है जिसका मुनासिव लगान तसखीस हुआ। भूतकाल में इस तौजी के कारण काफी तरद्दुद हुआ था। १८९८ के संशोधन के पहले के रैंयती कानून के अनुसार बन्दोवस्ती कार्रवाई की गई थी। बन्दोवस्ती डिप्टी कलक्टर का किया हुआ बन्दोवस्त स्पेशल जज ने तोड़ दिया और फिर से जांच करने का आदेश दिया। हाई कोर्ट ने पुनः जांच का आदेश रद्द कर दिया और स्पेशल जज को कमीशन के द्वारा प्रचलित शरह का पता लगाने का हुक्म दिया। ड़िप्टी कलेक्टर के तसखीस से भी अधिक ऊँचे दर की सिफारिश हुई। परन्तु, कलेक्टर ने अपील नहीं किया था इसलिये डिप्टी कलेक्टर का ठहराया हुआ लगान दर कायम हुआ। इस गड़बड़ी के कारण प्रचलित शरह के अनुपात से लगान तसखीस संभव नहीं रहा।

अन्त में, तस्फीया होकर लगान कायम हुआ जिसका औसत दर सांविक लगान से ५२ प्रतिशत अधिक हुआ। इस तरह काफी इजाफा हो गया। और यह आसपास के लगान के अनुपात के अनुसार हो गया। यह जमीन इतनी पैदावार है कि केवल वीज छींट कर फसल काट लेने के अतिरिक्त और कुछ भी परिश्रम के बिना ही रैंयत को काफी मुनाफा हो जाता है।

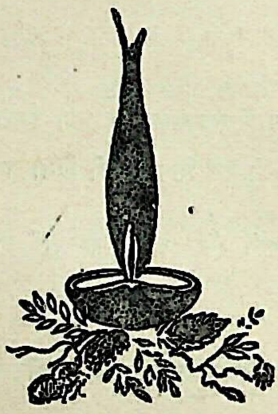

अध्याय—२

परिचय : ऐतिहासिक

अध्याय—२

परिचय : ऐतिहासिक

बड़हिया के मूलनिवासी जाति के भूमिहार-ब्राह्मण, मूल दिघवे या दिघवैत और गोत्र के शांडिल्य हैं। तीन प्रवर वाले सामवेदी हैं।

उनका मूल स्थान दिघवा-दिवौली-गढ़, जिला सारन, थाना मसरख बतलाया जाता है। उक्त स्थान पर इनके राजभवन, जलाशय इत्यादि के अवशेष अभी भी वर्तमान हैं।

पूर्व में ये मैथिल ब्राह्मण थे और इनकी पद्धति ठाकुर की थी। इनकी एक शाखा दरभंगा जिले के रोसड़ा थाना-न्तर्गत संदहपुर ग्राम में आकर बसी। ये पुरोहित और पंडिताई कर्म की वृत्ति वाले थे। संदहपुर से एक टोली बरौनी डेउढ़ी आकर बसी। उनके वंशज अभी भी वहाँ वर्तमान हैं, और बड़हिया निवासियों के दीक्षागुरु होते आ रहे हैं।

संदहपुर से बरौनी आये अभी इन्हें शायद अधिक समय नहीं हुआ था। उनदिनों अपने कुलाचार की रक्षा के उद्देश्य से और विचार संबंध की पवित्रता की रक्षा हेतु भी लोग उखड़वासी होने पर अपने मूल स्थान एवं उत्पत्ति को भूलने को तैयार नहीं होते थे। किंवदन्ती से यह स्पष्ट नहीं है कि बरौनी से या संदहपुर से, किन्तु, इतना निश्चित रूप से कहा जाता है कि इन्हीं में से दो भाई पृथु ठाकुर एवं जंजल ठाकुर इसी रास्ते से गंगातट के मार्ग से श्री जगन्नाथ धाम की यात्रा पर इस स्थान पर (बड़हिया) पहुँचे थे।

इनने निकटस्थ अमहरा के किसी मुसलमान हकिम काजी के परिवार के किसी व्यक्ति को किसी रोग के कठोर पंजों से मुक्त कर दिया। अमहरा का काजी वंश अभी वर्तमान है और काजी सैयद मुहम्मद मोबीन कुछ साल पहले आनरेरी मजिस्ट्रेट थे। अमहरा के स्टाम्प और सनद काफी संख्या में पाए गये हैं। उक्त दोनों भाई की सफल चिकित्सा पर प्रसन्न होकर इन्हें बड़हिया गाँव दे दिया गया। उस समय गंगा नदी इस गांव के पूरब छोर से सटी हुई थी। गाँव में पश्चिम पोली तक और उत्तर से दक्षिण कोनी से भानपुर तक, जंगल, दलदल, झाड़, चौर और पानी से भरा था। इस टाल होकर हरूहर नदी बहती हैं। केवल वर्तमान जगदम्बा स्थान के पास का टिल्हा बसने योग्य था, जो अब भी देखने से स्पष्ट है और गाँव भर में यही ऊँचा स्थान है।

दोनों भाई वास स्थान ठीक करने के लिये स्थल निरीक्षण कर रहे थे तो उस टिल्हे पर एक बिल्ली को चूहे से लड़ाई में पराजित होते देखकर निर्णय किया कि यह भूमि शक्तिमती है। दुर्बल भी सबल हो जाते हैं और एतदर्थ वहीं पर अपना वास कायम किया।

उस डीह पर पहले से बढ़ई परिवार रहता था। उसे समझते देर नहीं लगी कि गाँव के मालिक बनकर ये नवागन्तुक आ गये हैं और उनका अब अधिक दिनों तक प्रभुत्व कायम नहीं रहेगा तो उनने यह बचन लेकर सन्तोष किया कि इस गाँव का नाम बड़ही जारी रहे।

कुछ समय तक तो बरौनी गाँव के अपने वंशजों को बुलाकर पुरोहित कर्म लिया जाता रहा; परन्तु, यह व्यवस्था अधिक समय तक नहीं चल सकती थी।

अतएव बड़े भाई पृथु ठाकुर के वंशज तो पूर्ण-रूपेण भूमिहार होकर किसान मालिक बन गये और छोटे भाई जैजल ठाकुर के वंशजों को पुरोहित कर्म सौंपा गया। दोनों के वंशज अपनी-अपनी वृत्ति पर अभी तक वर्तमान हैं। अपने भाई-भतीजों से अपने हाथों तिल-जल-कुश के साथ दान ग्रहण करना हीन और लज्जा-स्पद कर्म समझ कर पुरोहित शाखा ने अपने ज़लेबार ब्राह्मण भानजे को लाकर इस कार्य के लिये यहां बसाया। पुरोहित-कर्म तो पुरोहित कराने लगे; परन्तु, तिल-जल-कुश और दान दक्षिणा लेने का कार्य जलेवार करने लगे। अभी तक यही सिलसिला चल रहा है। इस कार्य की व्यवस्था के लिये पुरोहित इस आमदनी का दश भाग लेकर छः भाग जलेवार को छोड़ देते हैं। बड़हिया के उक्त दोनों भाई के वंशज अन्य किसी भी गोत्र के ब्राह्मण का पकाया अन्न कभी नहीं खाते थे और छुआछूत हट जाने पर भी ऐसे वृद्ध अभी हैं जो नियम का पालन करते हैं। मैथिलों से इनका विवाह-सम्बन्ध अभी भी चल रहा है।

श्री पृथु ठाकुर के वंशजों में प्राण ठाकुर उल्लेखनीय हैं। क्योंकि इनके समय से शृंखलाबद्ध वंशावली उपलब्ध है। और भी इसलिये कि इनके समय में एक ऐतिहासिक घटना का होना बतलाया जाता है।

प्राण ठाकुर अपने पूर्वज पृथु ठाकुर की किस पीढ़ी में थे या कितने समय के बाद, इसका पता नहीं चला है। परन्तु इसी ऐतिहासिक घटना से अनुमान किया जा सकता है कि काफी समय बाद इनका जीवनकाल आया होगा।

निकट ही पांच-छः मील पछिम मराँची इस समय एक बड़ी बस्ती है। किसी अपराध वश मराँची के भूमिहारों का बहिष्कार जातिवालों ने कर दिया था, जिस कारण उनके परिवार की लड़कियाँ बड़ी उम्र तक अविवाहित रहने लगीं। उन दिनों समाज के कठोर दृढ़ अनुशासन के कारण इस प्रकार के जाति बहिष्कार का पालन बड़ी कठोरता से किया जाता था। तत्कालीन मुसलमान हाकिमों के पास जब इसकी दुहाई पहुँची तो उनने सहानुभूति प्रकट की और सहायता को तत्पर हुए। मराँची के बहिष्कृत समाज ने यह आवेदन किया कि यदि बड़हिया के बाबू लोग विवाह संबंध कर लें तो अन्यान्य का भय नहीं रहेगा और उनका बहिष्कार संकट दूर हो जायगा।

उन हाकिमों को दया आ गई और उनने अपने अधिकार एवं बल दोनों के प्रयोग से उनकी सहायता की।

इनने बड़हिया के लोगों से अनुनय अनुरोध किया कि बहिष्कार हटा कर संबंध स्वीकार करें। परन्तु सामाजिक अनुशासन या रक्त संबंध की पवित्रता की भावना से या हठ पर आरूढ़ होकर यह सुझाव अस्वीकार कर दिया गया।

अब परामर्श ने हुकूम का रूप लिया और उसके तामिल किये जाने के लिये प्रभुता एवं बल का प्रयोग किया जाने लगा।

हठधर्मी और अभिमानी बड़हिया वाले भी जिद पर अड़ गये। जन्मभूमि, सम्पत्ति और संबंधी छोड़कर बड़हिया से वे भाग गये परन्तु मराँची से संबंध के लिए राज़ी नहीं हुए।

समीप के औंटा, लखनचन, इन्दुपुर, वीरूपुर एवं दूर-दूर के अनेक गाँव जाकर वे बस गये और उनके वंशज भी अपने पुराने स्थान बड़हिया को याद कर इस कहानी की पुष्टि अबतक कर रहे हैं।

कहा जाता है कि इस भगदड़ में समूचा गांव ही खाली हो गया। केवल मात्र एक व्यक्ति रह गये, श्री प्राण ठाकुर। उस समय इनकी अवस्था अधिक थी, शरीर से पुष्ट थे, परन्तु लँगड़े थे। वह समय पर नहीं भाग सके और अधिकारियों ने उन्हें ही पकड़ा। प्राण ठाकुर भी तो राज़ी नहीं थे। उनने बहाना किया कि वह अशक्त हो चुके हैं। प्रजनन शक्ति नहीं है।

परन्तु अधिकारी नहीं माने। बालू पर उनसे पेशाब करा कर परीक्षा की गई और बाध्य होकर उन्हें मरांची में विवाह संबंध करना पड़ा। इस प्रकार इस मरांची कांड से मरांची का जाति बहिष्कार समाप्त हुआ।

और इसी विवाह संबंध के फलस्वरूप यह समस्त वंशावली है। उन्हीं की संतानों की यह सूची है। उल्लेखनीय है कि इस संबंध के बाद से बड़हिया और मरांची के बीच आज तक दूसरा विवाह संबंध नहीं हुआ।

बतलाया जाता है कि चूँकि समस्त ग्राम के बीज पुरुष प्राण ठाकुर का विवाह मरांची गांव में हुआ था इस नाते भी मरांची, समूचे बड़हिया वासी यानी प्राण ठाकुर के समस्त वंशजों का मातृक स्थान समझा जाने लगा। इसलिये मरांची बड़हिया का विवाह संबंध मना हो गया। यह भी संभव है कि प्राण ठाकुर का संबंध इच्छा पूर्वक नहीं होने के कारण उस बहिष्कृत समाज में इच्छा पूर्वक कोई संबंध करने के लिए बाद में भी राजी नहीं हुए। समझा जाता है कि इस विवाह संबंध के बाद ही प्राण ठाकुर को पछिम पाली और दक्षिण ताजपुर, बोधनगर एवं उत्तर कोनी तक की जमीन हरूहर नदी के दोनों तट पर बन्दोबस्त दे दी गई जो अब बड़हिया टाल के नाम से विख्यात है।

बड़हिया के इतिहास में इस मरांची कांड के कई महत्वपूर्ण परिणाम हुए हैं

(क) समूचा गाँव खाली हो गया।

(ख) केवल एक व्यक्ति इस गाँव और भूसम्पत्ति के मालिक रह गये।

(ग) केवल एक व्यक्ति पुनः इस विशाल परिवार के संस्थापक हुए।

(घ) घटना से अवश्यंभावी परिणाम निकलता है कि प्राण ठाकुर के समय तक बड़हिया का यह वंश संपत्तिशाली और अपने समाज में प्रतिष्ठित हो चुका था।

(च) इस वंश के कितने ही व्यक्तियों ने उस घटना के समय बाहर जाकर कितने ही गाँव बसाए।

(छ) उन दिनों ये लोग इतने प्रतिष्ठा-प्रेमी, धर्मारूढ़ एवं स्वाभिमानी थे कि अपने विश्वास की रक्षा के लिये इनने अपना गाँव, परिवार, सम्पत्ति सब का त्याग कर दिया था।

(ज) विशाल कृषि क्षेत्र बड़हिया टाल की नींव पड़ी।

इस मरांची कांड की घटना के चक्र में कुछ भाई ने बाहर जाकर इन्दुपुर गांव बसाया। कुछ समय के बाद इनने बड़हिया बालों से कुछ खेत की मांग की। उदारतावश और कुछ कौतुक-प्रेम से उन्हें आदेश दिया गया कि सूर्योदय से सूर्यास्त तक इन्दुपुर वाले जितनी भूमि पर टहल आवें, वह उन्हें दे दी जायगी। तदनुसार वचन का पालन हुआ। यद्यपि इन्हें जमीन कम ही मिल सकी, परन्तु इस तरह बड़हिया इलाके की वह सर्वोत्तम एवं सर्वाधिक कीमती जमीन उन्हें हासिल हुई।

बीरूपुर गाँव बसाने वाले भाईयों को कुछ जमीन नहीं मिली। यहाँ के तीन भूमिहार और एक सन्तोष नामक ब्राह्मण ने भूल से रात में एक गधा मार कर पका कर खा लिया था। इस अपराध से वे अभी तक बड़हिया द्वारा वहिष्कृत हैं। इनके पुरोहितों ने इनके प्रायश्चित में एक मंत्र की रचना की जो अभी तक प्रचलित है।

"तीन बाभन एक सन्तोष। गधा खैले नहिं कुछ दोष।"

इस प्रायश्चित के बाद भी बड़हिया का क्रोध शान्त नहीं हुआ। ऐसा भी सन्देह किया जाता है कि इन्दुपुर के प्रति की गई उदारता की पुनरावृति के भय से यह वहाना लगाकर वीरूपुर वालों को भूमि से वंचित किया गया। परन्तु इतना निर्विवाद है कि उनको भूमि प्रदान करने की बाध्यता बड़हिया वासियों को नहीं थी।

बाबा श्रीधर ठाकुर विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। आप बाल ब्रह्मचारी थे। गंगातट पर ही रहते थे। इनके एक भाई महीधर झा थे। आप जलेवार ब्राह्मण और स्थानीय पुरोहित वंश के भानजा थे।

इन्हीं ने स्थानीय श्री जगदम्बा स्थान की स्थापना की है जो इस वंश और ग्राम की सर्वमान्य इष्टदेवी है। यह देवी-उपासना भी इनके मैथिल होने की बात को पुष्ट करती है।

मन्दिर की स्थापना गंगा के तट पर हुई थी। जगदम्बा इत्यादि सात वहनें गंगा की धारा में विहार कर रही थीं। वे अपने भक्त श्रीधर ठाकुर की प्रार्थना पर रूक गईं और यहाँ स्थापित होने को राजी हो गईं। श्रीधर उस समय यहाँ गगा तट पर झोपड़ी में गाँव परिवार से अलग रहकर पूजापाठ में तल्लीन रहा करते थे।

मंदिर में मृतिका के पाँच पिंड हैं, जिनमें देवियाँ अधिष्ठित हैं। आंगन के तुलसी चौरे के एकताखे की पूजा उक्त संत श्रीधर जी के नाम पर की जाती है।

इस मंदिर में एक महान अचरज नित्य प्रति प्रकट रूप से देखा जा रहा है और इसके रहस्य का पता नहीं चलता है।

जहरीले साँप या बिच्छू इत्यादि के दंश से पीड़ित कोई व्यक्ति यहाँ के उपचार और परिचर्या के बाद मरने नहीं पाता है। बहुत जल्द और बड़ी आसानी से भला चंगा होकर वापस हो जाता है और उपचार भी बिल्कुल आसान है।

इस मंदिर के कूप का नीर (जल) त्रिपुर सुन्दरी एवं श्रीधर बाबा की दुहाई देकर पीड़ित व्यक्ति के कंठ के नीचे पहुँचा देने से ही उसका कल्याण हो जाता है। उसका कोई संबंधी एक हाथ से पानी निकाल कर उसे

स्नान कराते रहता है और मंदिर का भगतिया तीन बार उसे पिला देता है। मंत्र भी साधारण है :

"हरा हरा हरा हरात दोष विष निर्विष; दुहाई त्रिपुर के, आज्ञा श्रीधर ओझा के"

इस पुण्य स्थली का प्रसिद्ध नाम जगदम्बा स्थान है। इसकी स्थापना के ठीक समय का पता नहीं चलता। ठीक गंगातट पर यह स्थापित था। पहले साधारण पिंड थे। अब उसपर अच्छा विशाल पक्का मंदिर तैयार हो गया है।

यहाँ पाठा देने की प्रथा (पशु बलि) भी बहुत कम गयी है। उसके पुजारी एक शूद्र वंश के बतलाये जाते हैं। इन्हें भगतिया कहते हैं। कहा जाता है कि शिवसहाय सिंह नाम के एक राजपूत के धानुक औरत से उत्पन्न पुत्र के वंशजों के जिम्मा यह कार्य चला आता है। धर्म-प्राण जनता कैसे यह सहन करती आयी, इसका रहस्य समझ में नहीं आता।

स्थानीय किंवदन्ती के अनुसार गया ज़िला के कामगार खाँ और नामगार खाँ सगे भाई थे और अपने समय के मशहूर सेनापति एवं राजा थे। ये बड़हिया भी लूट-खसोट करने आये थे। हरूहर नदी के पश्चिम तट पर उनने डेरा डाला। उनके भय से आतंकित हो बड़हिया के मालिकों ने जगदम्बा जी की पूजा की और उनसे लड़ने का आदेश मांगा। वे अपनी तलवार देवी के समक्ष रखकर ध्यानमग्न थे कि उनकी तलवारें उठ कर उनके हाथों में चली आयीं। इस घटना को देवी की आज्ञा मानकर वे उत्साह पूर्वक उन खाँ बन्धुओं से लड़ने को उनके समीप गये तो इनकी तैयारी देखकर दोनों भाई बिना लड़े ही वापस चले गये। इसी स्थान को परमेश्वरी स्थान कहा जाता है।

गया जिला के गजेटियर में क़ामगार खाँ का उल्लेख इस प्रकार है :

सिरीश और कुटुम्बा के विष्णु सिंह राज-कर देने से इन्कार कर रहे थे तो बिहार के नायक सूबेदार राजा रामनारायण ने उन पर आक्रमण किया। यह घटना सिराजुद्दौला की मृत्यु के बाद हुई।

साम्राज्य की कमजोरी के कारण बंगाल के सूबेदार ने गया जिला पर प्रभुता कायम कर ली। अतएव सम्राट के युवराज ने गया पर आक्रमण किया। यह युवराज बाद में शाह आलम के नाम से बादशाह हुए थे।

उनके इस अभियान में कामगार खां ने उनकी सहायता दी। उस समय कामगार खां का स्थान बिहार की राजनीति में महत्वपूर्ण हो रहा था।

बाढ़ के पास शाह आलम अंग्रेजों से परास्त हुए।

शाह आलम एवं कामगार खां के हाथों राजा टेकारी को काफी हानि उठानी पड़ी।

कामगार खां ने एक हजार मोगल घोड़ों की सहायता से टिकारी राजा को किले से बाहर निकाल कर गिरफ्तार कर लिया।

फल्गू नदी के दाहिने किनारे पर मानपुर में १५ जनवरी, १७६१ के दिन शाह आलम का युद्ध अंग्रेजी सेना से हुआ।

इसके सेनापति थे मिर्जाफर के पुत्र मीरन और मेजर कर्नाक। राजा रामनारायण भी अंग्रेजों के साथ हो गये।

शाह आलम अपने साथी कामगार के साथ परास्त होकर भाग गये। कामगार खां गया जिला के नरहट समाय के जमीन्दार थे। इनकी मृत्यु हिसुआ में १७६४ ई० में हुई थी।

एक दस्तावेज से साबित होता है कि इन्द चौधरी ने १६१२ ई० सन् में एक कबूलियत के जरिये काह-चराय मौजा बड़ही पाली का वन्दोवस्त लिया था। सन् १६०५ ई० में सम्राट अकबर का देहान्त हो चुका था और १६१२ ई० में बादशाह जहाँगीर विराजमान थे। इससे पुराना दस्तावेज मुझे देखने को नहीं मिला है। यह इन्द, मूल पुरुष प्राणठाकुर के पौत्र के पौत्र थे। अनुमानतः १५० वर्ष का अन्तर आता है। प्राण ठाकुर के पूर्वज पृथु ठाकुर कितने पीढ़ी ऊपर थे, इनका पता नहीं चला है। इस प्रकार ५०० सौ वर्ष से अधिक पुरानी बस्ती तो यह जरूर मालूम होती है। इतिहास के अनुसार संभवतः मुगल साम्राज्य के पहले ही पठानों या गुलाम वंश के काल में उस गाँव की स्थापना हुई होगी। किंवदन्ती के अनुसार पृथु ठाकुर को वन्दोवस्त अमहरा के मुसलमान अमलों से ही मिला था। इसलिए मुस्लिम काल के पहले वे नहीं आए होंगे।

एक प्रचलित स्थानीय किंवदन्ती एवं विश्वास के अनुसार उक्त पृथु एवं जैजल ठाकुर रजा इन्द्र द्युम्न पाल के राज्यकाल में यहाँ आकर बसे थे। उसी राजा के परिवार के किसी व्यक्ति को रोग-मुक्त कर उनने यह भूमि पुरस्कार रुप में पायी थी।

स्थानीय लोक गीतों में इस राजा का नाम आदर और कृतज्ञता के साथ गाया जाता है। इनकी राजधानी या गढ़ का स्थान यहाँ से निकट ही १० और २० मील पर इतिहासकार बतलाते हैं। इस परम्परागत विश्वास के अनुसार बड़हिया में इस वंश की स्थापना १२ वीं इसवी सदी में हुई होगी जिसके ८०० वर्ष हो रहे हैं।

राय बहादुर हेमचन्द्र वसु के अप्रकाशित मुंगेर के इतिहास से:—

" पाल वंश के अन्तिम राजा इन्द्रद्युम्न पाल हुए। इनने मुंगेर पर भी राज किया। मुस्लिम सेना के आक्रमण पर यह उड़ीसा को ओर भाग गये। इनके दुर्ग के अवशेष 'इनपै' में बतलाये जाते हैं।

इन्द्रदमन नाम के एक राजा के साथ इन्द्रद्युम्न राजा का भ्रम किया जाता है। लखीसराय रेलवे स्टेशन के निकट के जयनगर स्थान पर इनकी राजधानी का खंडहर बतलाया जाता है। किंवदन्ती है कि एक पहाड़ी पर इन्द्रद्युम्न ने एक किला बनवा कर अपना खजाना यहाँ पर रखा

था। इस इन्द्रद्युम्न को मगध राजा भी कहा गया है। मेरा अनुमान है कि इनक राज्यकाल में मगध जीत लिया गया था।

पाल बंश का राज ८वीं से १२वीं सदी तक रहा। १२वीं सदी के अन्त में ही इन्द्रद्युम्न पाल के राज्यकाल में वख्तियार खिलजीं ने मुंगेर फतह किया।" *

यह इनपै गढ़ जमुई और खैरा के रास्ते पर है, जहां मिट्टी के किले के खंडहर वर्तमान हैं। मैं इसे देख आया हूं। इनद्र्द्युम्न पाल, = इन्द्रदमन पाल = इन्द्रपाल = इनराज = इनपै। मालूम होता है, इस प्रकार इस स्थान का नाम विगड़ता गया।

---

* **Uppublisned History of Monghyr by Rai Bahadur Hem Chandra Basu :**

Indradumiapal was the last king of the Pal Dynasty who reigned in Monghyr. On the advent of the Muhamadam Army he fled away, to Orissa. The Ruins of his fort are still pointed out at Inpai. There is some confusion about Indradumna with another king called Indradaman (last king of Monghyr) the remains, of his palace are pointed out in a village Jainagar close to Lakhisarai Rly. Station. He was defeated by Makdum Maulana Noor. Now Indradumna has been identified with Indradaman. There is a hill close to the village of Jainagar and tradition says that Indra Dumna built a fort on the hill where he kept his treasure. This Indra Dumna Pal has been described as king of Magadh which I believe was annexed by the pal king to their kingdom during their reign. Pal Dynasty aelignen dfrom 8th to 12th centuary A D.

Towards the end of the 12th. centary when Indra Dumna Pal the last king of the Pal Dynasty was reigning in Monghyr when Bakhtiyar Khilji conquered Monghyr.

मुंगेर के जिला गजेटियर :

मुंगेर के जिला गजेटियर पृष्ठ ५४ के विवरण से पता चलता है कि १८१२ ई० में पहले पहल मुंगेर में कार्यपालिका केन्द्र की स्थापना हुई। १८१४ ई० में इस जिले के पाँच थाना; मुंगेर, तारापुर, सूर्यगढ़ा, मल्लेपुर, और गोगरी। १८३२ में विहार जिले से वर्तमान शेखपुरा, वरबीघा, अरिअरी और वड़हिया थाना मुंगेर जिला में आये।

१८५३ में इस्ट इंडिया कम्पनी की भारत वर्ष में पहली रेल लाइन बिछाई गई जो बड़ही के पास से गुजरती है। पुराने कागजों से मालूम होता है कि यह स्थान पहले मगध मंडल में था। कालान्तर में यह क्रमशः बिहार

जिला, सूर्यगढ़ा थाना तथा लखीसराय थाना से सम्बद्ध रहा। पृथक बड़हिया थाना १९४४ से है। प्रगना सलेमाबाद राजा टोड़ामल से रहा। काजी और निबंधक अमहरा में थे, कानूनगो वालगुजर में।

Francis Buchanan के History of Anti-quities of India Bhagalpur District.

के इतिहास में सूर्यगढ़ा के पश्चिम को विहार जिला वतलाया गया है। यह विवरण १८१०-११ ई० का है। पृष्ठ १०४ में कहा है कि सलेमाबाद का काजी विहार जिला में रहता है। यह स्थान स्पष्टतः अमहरा है जो, अभी लखीसराय थाना में है। Martin के East-India (१८१०/१५) ई० के भागलपुर के वर्णन में भी यही बात पायी जाती है।

अध्याय—३

परिचय : जाति

अध्याय—३

परिचय : जाति

हिन्दी शव्दसागर (१९२५) के अनुसार जाति की परिभाषा है :

"जाति : हिन्दुओं में मनुष्य समाज का वह विभाग जो पहले पहल कर्मानुसार किया गया, पर पीछे स्वभावतः जन्मानुसार हो गया ।

यह जाति विभाग आरंभ में वर्ण विभाग के रूप में ही था, पर पीछे से प्रत्येक वर्ण में भी कर्मानुसार कई शाखाएं हो गईं जो आगे चलकर भिन्न-भिन्न जातियों के नाम से प्रसिद्ध हुईं ।

"श्रीमद्भगवद्गीताः चातुर्वणा मया सृष्टा गुणा कर्म विभागशः ।"

हमारे इतिहास के नायक, जाति के भूमिहार ब्राह्मण हैं । आमतौर से ये बाभन कहलाते थे "और कहलाते हैं । ये भूमिहार किस वर्ण के हैं ? इनका दावा है कि ब्राह्मण हैं । कुछ वर्ष पहले तक इसका विवाद भी चलता रहा । अपनी ओर से कुछ नहीं कह-कर कुछ प्राप्त प्रमाण-त्रचन ही उपस्थित कर देना उचित समझता हूं । यद्यपि इस वदलते हुए जमाने में और वर्णाश्रम धर्म के समाप्ति-काल में इस प्रश्न का कोई वैसा महत्व नहीं है ।

स्वामी सहजानन्द जी का "भूमिहार ब्राह्मण परिचय" इस प्रश्न पर प्रमाणिक एवं सर्वांगपूर्ण ग्रन्थ है । इसका प्रकाशन १९१६ ई० में हुआ था । आवश्यक है कि इसका एक नवीन संस्करण अधिकारी ज्ञाताओं द्वारा संपादित हो कर प्रकाशित कराया जाय । स्वामी जी की उस पुस्तक में एकत्रित प्रमाण-बचनों को यहां उद्धृत करना आवश्यक नहीं है । इस विषय के जिज्ञासु को वह ग्रन्थ देख लेना चाहिए । उक्त ग्रन्थ के अतिरिक्त कुछ प्रमाण बचन नीचे दिये जाते हैं :

* राय बहादुर हेमचन्द्र वसु एडवोकेट की अप्रकाशित पुस्तक से उद्धृत :

"विहार की जनसंख्या में जनगणाना के अनुसार मैथिलों की संख्या सर्वाधिक है । दूसरा स्थान चमारों का है और तीसरा स्थान भूमिहार ब्राह्मणों का । मुंगेर जिला की जनता में भूमिहारों की संख्या सर्वाधिक है । अधिकतः

---

* **Rai Bahadur Hem Chandra Bose, Advocate. M. A. B. L. M. R. A. S. :-**

According to the census of Bihar, Mathil Brahmins form the majority in the province, next comes the Chamar while the third place is occupied by Bhumihar Brahmins. But in the District of Monghyr, the Bhumihar Brahmins re-present the largest section of the population. They mostly reside in the Begusarai subdivision and in the southern part of the district comprising the villages of Barhiya, Barbigha, Teus etc. The late Dr. K. P.

ये बेगूसराय अनुमंडल में हैं और मुंगेर जिला के दक्षिण भाग में भी बड़हिया, तेऊस, बरवीघा, इत्यादि में हैं। स्वर्गीय डाक्टर के० पी० जायसवाल के मत में भूमिहार वैशाली के लिच्छवी के वंशज हैं। महामहोपाध्याय डाक्टर हर प्रसाद शास्त्री के मतानुसार भी भूमिहार वैशाली के समीप के लोगों के वंशज हैं और बौद्ध धर्म के उच्छेद के पश्चात भारत के विभिन्न भागों में ये फैल गये एवं धीरे-धीरे हिन्दु समुदाय में शामिल हो गये। इनके विशाल काय, पुष्ट शरीर, प्रशस्त ललाट, सीधी खड़ीनाक, ऊँचे गाल एवं पुष्ट अस्थियां एवं उनकी प्रतिभा से ये आर्य अवश्य प्रतीत होते हैं। अपनी रचनाओं में महामहोपाध्याय शास्त्री इन्हें बौधों से उत्पन्न मानते हैं।

भूमिहार ब्राह्मणों की उत्पति की दो परम्परागत कथाएं प्रचलित हैं। कहा जाता है कि परशुराम ने क्षत्रिय को इक्कीस बार विनष्ट करने के पश्चात ब्राह्मणों को भूमि देने का निर्णय किया। जिन ब्राह्मणों ने भूमि ग्रहण किया वे ही भूमिहार कहलाये। शेष ब्राह्मण ही कहलाते रहे।

दूसरी जनश्रुति बड़हिया में प्रचलित है जो काफी मनोरंजक है। मुंगेर जिला की पश्चिम सीमा पर अवस्थित इस जिले की सबसे बड़ी बस्ती है बड़हिया, कहा जाता है कि करीव चार सौ बर्ष पहले संभवतः वादशाह अकबर के समय दरभंगा जिला के रोसड़ा के समीप के गांव सन्दहपुर से पृथु ठाकुर एवं जैंजल ठाकुर नामक दो मैथिल ब्राह्मण श्री जगन्नाथ की यात्रा पर बड़हिया पहुंचे। अमहरा के काजी परिवार को किसी भीषण रोग से उनने मुक्त किया और पुरस्कार स्वरूप उन्हें इस गांव का बन्दोवस्त मिला। उस समय समूचा गांव एवं टाल, गंगा एवं हरूहर के जल से अच्छादित रहता था।

कहा जाता है कि उस समय बड़ही जाति के लोग उस गांव के प्रमुख निवासी थे और उन्हीं के नाम पर इस गांव का नाम बड़ही हुआ। टाल की आबादी लायक जमीन भी बन्दोवस्त में मिली।

Jayaswal is reported to have held that the Bhumihar Brahmins are direct descendants of the lichhavis of vaisali. Mahamaho padhyay Dr. Haraprasad Shastri also held the view that the Bhumihar Brahmins have descended from people near about vaisali and after the decline of Budhism, spread over the different parts of India and were gradually absorbed into the fold of Hinduism. Their stalwart physique, sturdy build, broad fore-head, aquilline nose, the cheek and jaw bones and intelligence indicate their Aryan origin Mahamahopadhyay sastri in his writings, gives his opinion about the origin of the Bhumihar Brahmins from Budhist. There are two traditions regarding the origin of the Bhumihar Brahmins. It is said that Parasuram after exterminating the Kashatriyas of India for 21 times decided to distribute their lands among Brahmins. Those Brahmins who agreed to take to agriculture were called Bhumihar Brahmins. While others continued to be known as Brahmins. There is another tradition prevelent in Barhiya which is very interesting. Barhiya is the

ज्येष्ठ भ्राता पृथु ठाकुर तो जमीन लेकर भूमिहार ब्राह्मण हुए और कनिष्ठ भ्राता जैजल ठाकुर पुरोहित कर्म यहां भी करते रहे। तत्पश्चात कुछ समय के वाद आज से कोई तीन सौ वर्ष पूर्व एक घटना हुई।

समीप के गांव मरांची के भूमिहारों का सामाजिक वहिष्कार हो गया था जिस कारण उनके परिवार के साथ विवाह संबंध रूका हुआ था। बड़हिया के वावुओं से भी अनुनय किया गया, परन्तु वे राजी नहीं हुए तो सरकारी दवाव डाला जाने लगा। इस सामाजिक अप्रतिष्ठा को सहन करने में असमर्थ हो पृथु ठाकुर के सभी वंशज गांव छोड़कर भाग गये। केवल एक प्राण ठाकुर शारीरिक असमर्थता के कारण नहीं भाग सके और उन्हें मजबूर हो मरांची की दो कन्याओं से विवाह करना पड़ा। कहा जाता है कि बड़हिंया के समस्त दिघवै बाभन इन्हीं प्राण ठाकुर के वंशज हैं।

कालान्तर में प्राण ठाकुर के बारह वंशजों ने बड़हिंया का दमामी बन्दोवस्त लिया और बड़हिया की तमाम जायदाद वारह तरफ में मुन्दर्ज हुई। ये तरफ इन्हीं बारह पुरूषों के नाम पर कायम हैं। इन लोगों ने सारी जमीन को आवाद किया।

बड़हिया के भूमिहारों की संख्या बढ़ी और प्रभुत्व भी वढ़ा। दावी किया जाता है कि इन्होंने मुसलमान दो भाई नामदार खां और कामदार खां को युद्ध में पराजित कर मार डाला था। उस स्थान का नाम परमेश्वरी स्थान है। ये दोनों भाई वीर योद्धा और रोवीले थे। जैजल ठाकुर के वंशज भी इसी गांव में रहते हैं। उनके एक वंशधर श्रीधर ठाकुर ने सुप्रसिद्ध जगदम्वा स्थान मन्दिर की स्थापना की थी। सर्पदंश से छुटकारा पाने के लिये यह स्थान प्रसिद्ध है। देवी की पूजा, उसके कुएं के जल से स्नान एवं श्रीधर ठाकुर की दुहाई से सांप के विप से छुटकारा हो जाता है।

भूमिहार शब्द का अर्थ संस्कृत व्याकरण के अनुमार भूमि हरने वाला या छीनने वाला है या भूमि को हार (माला) के समान गले लगाने वाला भी हो सकता है। इन दोनों ही अर्थों के अनुसार वास्तव में वे भूमि के बड़े

---

largest village in the district situated near its western boundary. It is said, about four hundred years ago, probably during the days of Akbar, two maithil Brahmins Pritha Thakur and Jaijal Thakur residents of village . sandhapur near Rosra in the district of Darbhanga happended to pass through this village on pilgrimage to jagannath, they cured the Quazi family of Amahra of a fell desease and got Bando-basti of the village as a reward. At that time the greater part of the village and the "Tal" land were under waters of the river Ganges and Haruhar. It is said that the village was named after Barhis, or carpenters, who predominated in the village. The tal lands which were available for cultivation formed part of the grant.

प्रेमी हैं और ज़मीन की प्राप्ति या रक्षा के लिये कुछ भी करनें को तैयार रहते हैं । इनके निर्भीक स्वभाव, कठोर जीवन, ऊँचेकद और शौर्य से विश्वास होता है कि भावी भारत के ये अच्छे सैनिक होगें ।

सिपाही विद्रोह के पश्चात अंग्रेजी सरकार ने २२०० बीघा जमीन अवकाश प्राप्त सैनिकों को बन्दोवस्त कर दी थी । वे बड़हिया में वस भी गये थे और जागीरदार कहलाए । ये जागीरें अव प्रायः सबकी सव इन्हीं भूमिहारों के कब्जे में आ गई हैं । किन्तु, ये जागीरदार भारत देश के अन्य भाग से

The elder brother Prithu Thakur took to cultivation and came to be known as Bhumihar Brahmin and the younger brother Jaijal Thakur pursued his priestly profession. Lateron, after some generations; about three hundred years ago an incident happened. At village Marchi situated near by, Bhumihars were socially oxtracised and no Bhumihar agreed to marry in their families. The Barhiya Babus. though, approached did not help them till official coercion was brought to bear upon the Bhumihars of Barhiya. Prithu Thakur family left the place to escape the ignominy of forming marriage relationship with them, while Pran Thakur suffering from physical disability and as such beings unable to escape felt compelied to marry two girls of the family of Marchi. It is said that the entire Dighboi Bhumihars of the village are descendants of Pran Thakur. Later on, twelve descendants of Pran Thakur took setlement of the lands of the village and the Tal and these twelve Tarafs are recorded after their names. They reclaimed the entire land.

The Bhumihars of Barhiya Gradually grew in Nnmber and powers and it is said that they fought a battle against two muslim adventurers named Namdar and Kamdar Khan, totally routed their army and killed the two brothers at Parmeshwari Sthan.

Jaijal Thakur's descendants are also living in the village and one of the descendants Shreedhar Thakur established the temple of Jagdamba which is still worshipped and is famous for its easy cured of snake-bite cases by a bath in the waters of the temple-well, puja to the godess and an appeal to Shreedhar Thakur.

The word Bhumihar according to Sanskrit Grammar may mean either land-grabbers or those whom land is "Hara" or garland. Both these interpretaions point strongly to their passionate fondness for lands, to defend which they will go to any length. Their fearlessness, hardihood, tall figure, and millitanat spirit often lead us to think that they would make a splendid Army in future of India.

यहां आकर बसे और अपने साथ कुछ संस्कार एवं व्यसन भी ले आए थे जो स्थानीय जनता को दे गये। यथा पोशाक, कुश्ती, तिलंगी, झूलन, तीतर-बटेर इत्यादि।

टाल की २६०० बीघा जमीन नीची सतह के कारण गैर-आबाद रह गई और सरकार खास महाल के अधीन रह गई थी। वह बाद में आबाद हो गई और इसे छवीसैया महाल कहते हैं।

अंग्रेजी साम्राज्य ने इन लोगों को दबाकर अंकुश में रखने की बारम्बार चेष्टा की थी। १९३२/३३ में दो लाख रुपये का जुर्माना इनसे लिया गया। अतिरिक्त पुलिस की तैनाती के रहते हुए भी लोगं महात्मा गांधी को वहां ले गये थे।

१९४२ में सामूहिक जुर्माना वसूल किये गये एवं तीन भूमिहार सैनिकों की गोली के शिकार हुए। इतने दमन पर भी इनकी मर्दानगी बनी रही। स्वाधीनता संग्राम में इनका योगदान महत्वपूर्ण रहा। १९४७ में

After mutiny, the British Government settled about 2200 bighas of land with the ex-army men who settled at Barhiya as Jagirdars. Now almost all those lands have passed into the hands of the Bhumihar Brahmins, but the residence of these exservice men who brought with them culture of other parts of India helped materially in changing the habits and the culture of people by the introduction of their dress, wrestling, kite flying, Jhulan, Titar, Bitar etc. Twenty six hundred bighas of tal lands remained fallow, on account of being very low and continued to be Government Khasmahal. They have been brought under cultivation and are called chhabisaya and cultivated by tenants.

The Imperial Government from time to time tried their level best to subdue these people. Even in 1932-33 a punitive tax of 2 lacs of rupees was imposed on them. Yet inspite of the presence of forces, a visit of Mahatma Gandhi to the place was arranged.

1942 collective fines were imposed and three Bhumihar Brahmins were shot dead by the military. All these oppressions could not swerve manliness, their contribution to the success of the political struggle is not inconsiderable.

In 1947 the district political conference was held at Barhiya which was inaugurated by Acharya Kriplani. Sun-worship during the Chhat, worship of the Devi during dasahara, Ganesh-puja, Chaukchanda are among the principal festivals observed in the locality and jhulan is performed in about two dozen temples with great pomp and splendour.

बड़हिया में जिला राजनैतिक सम्मेलन हुआ था। आचार्य कृपलानी जी ने इसका उद्घाटन किया था।

छठ में सूर्य की पूजा, दशहरे में देवी पूजा, चउठचन्दा में गणेश पूजा इनके प्रधान सार्वजनिक पर्व हैं। दो दर्जन मंदिरों के झूलन का उत्सव ठाट-बाट से होता हैं।

इन दिनों इस जिले के भूमिहारों ने उच्च शिक्षा ग्रहण करना पूरे उत्साह से शुरू किया है एवं प्रान्त के विभिन्न क्षेत्रों एवं व्यवसाय में इनने महत्व पूर्ण स्थान प्राप्त कर लिये हैं। मुंगेर में इस जाति के अनेक वकील हैं। स्थानीय सुयोग्य वकील बाबू विश्वनाथ सिंह इसी बड़हिया के निवासी हैं। श्री कृष्ण सेवासदन की व्यवस्था आपके ही हाथों में हैं।

हिन्दी विश्वकोश : भाग (१६ सन् १९२८ ई०) प्राच्य विद्या महार्णव श्री नगेन्द्र नाथ वसु।

भूमिहार :

बिहार प्रदेश वासी एक श्रेणी के ब्राह्मण। ये लोग भूमिहार जमीन्दार, वाभन, मघहिया-ब्राह्मण, अयाचक ब्राह्मण और चौधरी नाम से जन साधारण में प्रसिद्ध हैं।

इस जाति की उत्पत्ति-कथा से इनका नीच जातित्व कल्पित होने पर भी शारीरिक गठन और उदार प्रकृति देखने से इन्हें नीच वंशोद्भव नहीं कहा जा सकता। पर हां, इतना जरूर है कि ये लोग वहुकाल से ब्राह्मण की यजनयाजनादि वृति का परित्याग कर भूमि रक्षा और कृषि कार्यादि द्वारा काल यापन करते आये हैं। समय-समय पर ये लोग क्षत्रियोचित युद्ध विग्रहादि द्वारा अपने अधिकार को कायम रखने के लिये भी विशेष चेष्टा करते हैं।

वंगाल के 'वारभूंया' नामक प्रसिद्ध राजा व जमींदारों ने एक समय बड़ी वीरता से मुसलमान राजाओं का मुकाबला किया था। भूमिवृति से उनलोगों का जिस प्रकार भौतिक नाम पड़ा, बिहार में ये लोग भी उसी तरह भूइंहार वाभन या वाभन नाम से पूर्व ब्राह्मण नाम का परिचय देते हैं।

वाराणसी, वेतिया और मगध के अन्तर्गत टिकारी के ब्राह्मण राजवंश इसी वाभनवंश सम्भूत हैं।

अण्वे, अधिमिश्र, चौवे, चौधरी, दीक्षित, दूवे, मबार, मिश्र, ओझा, पंचोवे, पाण्डे, पाठक, राय, सिंह, श्रोत्री, तिवारी और उपाध्याय प्रभृति इनकी वंशोपाधि है। हमलोगों के मध्य तीन प्रकार के गोत्र प्रचलित हैं।

जिनमें से कुछ तो ऋषि के नाम पर हैं :

१. यथा—अग्निहोत्र, आथर्व, वाशिष्ठ, भरद्वाज, गर्ग, गौतम, हारीत, काश्यप, कौण्डिन, कौशिक, पराशर, सावर्ण, शांडिल्य और वत्स्य।

---

*The Bhumihar Brahmins of the district have seriously taken to higher education in these days and large numbers of them have made their mark in various professions of the province. In the Monghyr Bar there are a large number of lawyers belonging to their community, Babu Bishwanath Singh, an eminent member of the bar, who is organising the Shri Krishna Seva Sadan hails from Barhiya.

२. और कुछ कार्य व व्यक्तिगत :

भूपवरात, चौभइया, एकसरिया, जलेवार, कोदारिया और पाँचभईया।

३. और कुछ देशगत हैं :

ये प्रायः १६२ गोत्र हैं। यथा—ऐलवारा, अंबारिया, गौड़, शोणभदरिया, गंभरिया, चौसा, प्रभृति।

इनलोगों में सगोत्र विवाह नहीं होता। यहां तक कि कन्या की माता और वर की माता का एक गोत्र हो तो भी विवाह सम्वन्ध में बाधा पहुँचती है। किन्तु संयुक्त प्रदेश के भूमिहारों में इसकी कोई बाधा नहीं है। इनलोगों में बाल्य विवाह भी प्रचलित है। बालक यदि जवान हो जाय, तो कोई दोष नहीं पर बालिका युवती होने पर दोष लगता है। एक पुरुष दो या दो से अधिक विवाह कर सकता है। विवाह प्रथा प्रायः मैथिल, कनोजिया आदि उच्च श्रेणी के ब्राह्मणों सी है। सिन्दूर दान होने से ही विवाह सिद्ध होता है। ये लोग शवदेह को जलाते हैं। १० दिन तक अशौच रहता है, ११ वें दिन श्राद्ध होता है। कनोजिया ब्राह्मण और कहीं मैथिल ब्राह्मण भी इनके पुरोहित होते हैं।

उच्च श्रेणी के ब्राह्मण के जैसे ये लोग धर्म-कर्म करते हैं। इनमें वैष्णव, शाक्त और शैव साम्प्रदायिक उपासना प्रचलित है। साम्प्रदायिक क्रियाकलाप में अभिनिविष्ट रहने पर भी वे लोग कालीमाता और शीतला की पूजा में छाग बलि देते हैं तथा मंगलवार को हनुमान की पूजा करते हैं।

स्थान विशेष में इनलोगों की सामाजिक व्यवस्था विभिन्न है। दक्षिण-पूर्व विहार में ये लोग कायस्थ से हीन समझे जाते हैं। शाहावाद; सारण, और संयुक्त प्रदेश में ये लोग राजपूत जाति के सामान हैं। पटना और गया के अंबष्ट कायस्थ इनके हाथ की कच्ची रसोई खाते हैं। पर अन्य श्रेणी के कायस्थ नहीं खाते। उच्च श्रेणी के ब्राह्मण के साथ ये लोग एकत्र जल वा धूम्रपान नहीं करते हैं। राजपूतगण इनके हाथ से मिट्टी के बरतन में पानी पीते और खाद्यादि भक्षण करते हैं। किन्तु स्थल विशेष में इसमें भी वैलक्षण्य देखा जाता है। ये लोग ब्राह्मण के हाथ की कच्ची-पक्की दोनों तथा राजपूतों के हाथ की पक्की रसोई खाते हैं। ये लोग अपने बालकों को विशेष मंत्र द्वारा उपनयन संस्कार देते हैं। शैव और शाक्तगण मछली खाते हैं, किन्तु वैष्णव निरामिसाशी हैं। मद्यपान शास्त्र विरूद्ध हैं। वाराणसी, बेतिया, टिकारी, हथुआ, तमकुही, शिवहर और मधुवन के जमीन्दार भूमिहार हैं।

एतद्भिन्न और भी कितने भूम्याधिकारी ब्राह्मण देखने में आते हैं। इनकी उत्पत्ति के संबंध में तरह तरह की कथायें सुनी जाती हैं।

परशुराम ने पृथ्वी को निःक्षत्रिय करके जिन ब्राह्मणों को राज्य भार का शासन सौंपा था, उन्हीं के वंशधरों ने धीरे-धीरे जातीय वृति का परित्याग कर भूम्याधिकारित्व ग्रहण किया। किसी-किसी का कहना हैं कि पुत्रहीन अयोध्यापति अम्बरीष के यज्ञ में जिस शुनःशेक को विश्वामित्र ऋषि ने दया बरबश हो उत्सर्ग से बचाया, वही ब्राह्मण वंशधर गण ब्रह्मभावहीन हो बाभन कहलाये।

बहुतों का कहना है कि मगधपति जरासंघ के यज्ञ में जब लाख ब्राह्मणों की उपस्थिति आवश्यक हुई, तब राजदीवान एक अम्वष्ट कायस्थ ने कुछ निम्नश्रेणी के लोगों को यज्ञोपवित्र देकर राजा का अभिलाष पूर्ण किया था

राजा इन लोगों के असद्भाव को देखकर दीवान पर बड़े बिगड़े। इस पर दीवान ने उनके हाथ की रसोई खाकर राजा का सन्देह दूर किया। वे ही लोग पीछे ब्राह्मण समाज में नहीं लिये जाने पर बाभन नामक स्वतंत्र समाज युक्त हुए।

हिन्दी शब्दसागर : (१९७५ ई०) नागरी प्रचारिणी सभा काशी :

भूमिहार : एक जाति जो प्रायः बिहार में और कहीं-कहीं संयुक्त प्रान्त में भी पाई जाती है।

इस जाति के लोग अपने आपको ब्राह्मणों के अन्तर्गत बतलाते हैं और प्रायः अपने आपको बाभन कहते हैं। इस जाति की उत्पत्ति के संबंध में अनेक प्रकार की बातें सुनने में आती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जब परशुराम ने पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित कर दिया, तब जिन ब्राह्मणों को उन्होंने राज्य का भार सौंपा, उन्हीं के वंशधर ये भूमिहार या बाभन हैं।

कुछ लोगों का कहना है कि मगध के राजा जरासंघ ने अपने यज्ञ में एक लाख ब्राह्मण बुलाये थे। पर जब इतनी संख्या में ब्राह्मण नहीं मिले, तब उनके एक मंत्री ने छोटी जाति के बहुत से लोगों को यज्ञोविपत पहना कर ला खड़ा किया था और उन्हीं की संतान ये लोग हैं।

जो हो पर इसमें सन्देह नहीं कि इन जाति के ब्राह्मणों में भजन-याजन आदि कर्मों का नितान्त अभाव देखने में आता है और प्रायः क्षत्रियों की अनेक बातें इनमें पाई जाती हैं। ये लोग दान नहीं लेते और प्रायः खेती बारी या नौकरी करके अपना निर्वाह करते हैं।

मानक हिन्दी कोश (१९६६) हिन्दी साहित्य सम्मेलन :

भूमिहार— एक ब्राह्मण जाति जो प्रायः उत्तर प्रदेश और बिहार में बसती है और प्रायः खेती बारी से जीविका निर्वाह करती है।

पंजाब की वीर जाति मोहियाल भी अपने को भूमिहार मानते हैं। उनका इतिहास एक सेनापति टी० पी० रसेल स्ट्रेसी ने १९११ में लिखा था। उस पुस्तक में एक सूची उल्लेखनीय भूमिहारों की दी गई है। जिसमें बड़हिया के भमीछन सिह का नाम है। *

महारष्ट्र के चितपावन, पंजाब के मोहियाल और दिल्ली एवं मेरठ के त्यागी या तागा ब्राहमण भी अपने को भूमिहार मानते हैं। अखिल भारतीग भूमिहार महासभा के अधिवेशनों में आप सब सम्मिलित हुआ करते थे। स्वनामधन्य बाल गंगाधर तिलक के दामाद नृसिह चिन्तामणि केलकर, डाक्टर मुंजे एवं मेरठ के चौधरी रघुवीर सिह ने अधिवेशनों का सभापतित्व किया था। History of Mohials नामक पुस्तक की चर्चा की जा चुकी है।

---

* History of the Mohiyals (1911) by T. P. Russell Stracey, Lahore.

Mohials of Punjab are the Militant Brahman Race of India.

Appendix—x

List of Notable Bhumihars of Monghyr District.

Bhabhichan Singh. —Barhiya.

सुप्रसिद्ध Illustrated weekly के २२ फरवरी १९७० के अंक में श्रीमती लिंडा काक्स का The chitpawans शीर्षक एक सचित्र छोटा लेख प्रकाशित हुआ है। इस प्रामाणिक लेख में चितपावनों के इतिहास एवं उनके शारीरिक मानसिक, वौद्धिक, सांस्कृतिक सद्गुणों एवं सर्वतोमुखी विकास का पूरा विवरण दिया गया है।

यह नाम चितपावन कैसे पड़ा इस बारे में एक प्रचलित किंवदन्ति का उल्लेख भी इस निबंध में किया गया है उसका अनुवाद नीचे दिया जाता है।

* वे चितपावन कैसे कहलाए :

सह्याद्रि खंड के अनुसार क्षत्रिय वध के कारण परशुराम को पतित मानकर ब्राह्मणों ने उनके नैमित्तिक धार्मिक कृत्य करना इनकार कर दिया। उसी समय जहाज के टूट जाने से मरे हुए चौदह विदेशी व्यक्तियों के मुर्दे सह्याद्रि पर्वत के किनारे आकर लगे जहां समुद्रजल सह्याद्रि के चरण को स्पर्श करता था।

परशुराम ने इन मुर्दों को चिता में भस्म कर शुद्ध किया, उन्हें पुनर्जीवित किया, उनको ब्राह्मणोचित कर्मकांड की शिक्षा दी और इस प्रकार उन्हीं से अपना प्रायश्चित कर्म कराकर स्वयं भी रक्तपात के अपराध से शुद्ध हुए।

अब परशुराम उनलोगों को दक्षिणा देने को सोचने लगे। किन्तु समस्त दक्षिणावर्त ब्राह्मणों को दिया हुआ था। अतएव परशुराम ने सागर से अनुनय किया कि थोड़ा हटकर अपने राज्य से कुछ भूमि इनके लिये छोड़ दें। समुद्र ने स्वीकार किया और वचन दिया कि सह्याद्रि की चोटी पर से परशुराम तीर जहां तक फेंक सकेंगे वहां तक समुद्र हट जायंगे। तीर छोड़ा गया और सह्याद्रि से पश्चिम ओर तीस मील चौड़ी भूमि का खंड पानी से बाहर आगया। इस तरह रत्नागिरि से ४० मील उत्तर वाशीष्ठी के तंट पर की जमीन इन नये ब्राह्मणों को निवास के लिये दी गई और जिस प्रक्रिया से इनकी शुद्धि कर ब्राह्मण बनाया गया था, उसकी याद में ये चिता-पावन या चितपावन के नाम से प्रसिद्ध हुए।"

इन सुदूर महाराष्ट्रीय ब्राह्मणों और विहार के भूमिहारों की उत्पत्ति की कथाएं आश्चर्य जनक रुप से परशुराम के जीवन से मिली हुई देखकर इसका उल्लेख यहाँ किया गया है। दोनों प्रान्त की दन्त कथाएं अति प्राचीन है। दोनों की समानता भी कौतुहल वर्द्धक है। इनके पीछे कोई सत्य अवश्य कभी रहा होगा ऐसा अनुमान करना अनुचित नहीं होगा।

---

* **How they came to be called Chitpawans.**

According to the Sahyadri Khand, Parashuram was so defiled by the Slaughter of the Kshatriyas that Brahmins refused to perform any ceremonies on him. At that time, the bodies of 14 ship wrecked foreigners happaned to be cast ashore by the sea, Which then washed the foot of the Sahyadri hills.

These corpses Parashuram purified (by burning them on a funeral pyre or Chita); restored them to life, taught them to Brahmin rites and made them perform ceremonies so as to free him from blood guilt.

नागरी प्रचारिणी सभा, बाराणसी द्वारा प्रकाशित :

हिन्दी विश्वकोश के खण्ड ९ पृष्ठ संख्या ६१ के अनुसार :

भूमिहार :

उत्तर भारत की एक प्रसिद्ध जाति। पंजाब के महिपाल, मेरठ रूहेलखंड के त्यागी तगा, महाराष्ट्र के चितपावन, गुजरात के अनावले देसाई, मगध के बाभन, मिथिला के पश्चिमा और प्रयाग के जमीन्दार इसी जाति वर्ग के कहे जाते हैं। ये प्रायः जमीन्दार और राजा रईस रहे हैं। काशी, हथुवा,, बेतिया, टेकारी, अमावां, तमकुही, सलेमगढ़, लालगोला, शिवहर, सुरसर आदि के राजवंश भूमिहार ही हैं।

कान्यकुब्ज वंशावलियों से विदित होता है कि कान्यकुब्ज प्रदेश स्थित मदारपुर अधिपति भूमिहार कहलाते थे। राजपूताना गजेटियर के अनुसार भूमिहार का अर्थ है जागीरदार, किन्तु पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में यह नाम एक विशेष वर्ग के लिये रूढ़ हो गया है। भूमिहार शब्द का पुराना उल्लेख कहीं नहीं मिलता।

सहजानन्द सरस्वती और हंसानन्द सरस्वती भूमिहार का अर्थ भूमि छीनने या स्वीकार करने वाला, स्वामी लक्ष्मणाचार्य और पं० अयोध्यादास भूमिभूषण, पं० योगेद्रनाथ भट्टाचार्य, डा० सुनीति कुमार चटर्जी और डा० राम प्रसाद चंदा जागीरदार एवं श्री मजहर हसन जमींदार करते हैं। पं० किशोरीदास बाजपेयी ने भूमिहार व्युत्पत्ति भूमिधर से तथा पांडेय सूर्यनारायण शर्मा ने भूमिसुर से की है। डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी भूमिहारों को राजाओं द्वारा अग्रहार पानेवालों की वैदिक परम्परा में मानते हैं।, यह बात अनेक ताम्रपत्रों से भी सिद्ध है। श्री इलियट और डा० राजेन्द्रलाल मित्र भूमिहारों को कव्यकुब्जों की शाखा, श्री शेरिंग अधिकाँश सरवरियों की और कुछ कान्य कुब्जों की शाखा, श्री दुर्गादत्त लाहिड़ी मैथिली की शाखा तथा श्री दुर्गादत्त जोशी सरस्वती की शाखा मानते हैं। श्री ओल्डहम, बीम्स शेरिंग, इलियट और बुकानन के कथनानुसार इनमें शुद्ध आर्य रक्त है।

भूमिहार जाति : एक अभिमत

करोड़ीमल कॉलेज दिल्ली के अर्थशास्त्र के आचार्य श्री गिरीश मिश्र एवं हाजीपुर के आर० एन० कॉलेज के राजनीति विज्ञान के आचार्य श्री ब्रजकुमार पांडेय के लेख (The Socio-Economic roots of Casteism in Bihar. सर्चलाइट के अंक मिति ७ एवं ८ नवम्बर १९६९ में प्रकाशित) से उद्धृत :

बाभन या भूमिहार बिहार में जमीन्दार थे। बिहार के अधिकतः बड़े जमीन्दार यथा बेतिया, अमावां, हथुआ, टेकारी, मकसूदपुर, मधुवन, सूरसंड इत्यादि भूमिहार थे। भूमिहीन किसानों की संख्या इस जाति में बहुत कम थी।

---

*Parashuram wished to reward his new priests and, as the Deccan had been already given to the Brahmins, he prayed to the sea to spare him some of his domain. The sea agreed to retire as far west as Parashuram could shoot an arrow from the crest of the Sahyadri:

The arrow was shot and reclaimed a belt of land about thirty miles broad. The banks of the Vashishti about forty miles north of Ratnagiri were set a part for the new Brahmins and in memory of the process by which they had been purified they were called Chitapawan and their settlement Chit-Polam.

वर्तमान शताब्दी के प्रारंभिक दशाब्दों में जमीन और जमीन्दारी के बंटवारा होते जाने के कारण ये भूमिहार रोजगार की तलाश में शहर आने लगे।

आधुनिक शिक्षा के प्रचार होते ही कायस्थों से इनकी स्पर्धा उत्पन्न हो गई। शीघ्र ही दो जातीयगुद्ध कायम हो गये।

आर्थिक सम्पन्नता एवं प्रभाव के होते हुए भी समाज, प्रतिष्ठा में भूमिहारों को अधिक उँचा स्थान नहीं प्राप्त था। इस जाति की उत्पत्ति सम्बन्धी कुछ ऐसी कहानियां भी प्रचलित थीं जो इन्हें पसन्द नहीं हो सकती थीं।

कुछ शिक्षित भूमिहारों ने उसे ब्राह्मण जाति की एक शाखा प्रमाणित करने का आन्दोलन शुरू किया। तब तक यह जाति बाभन नाम से ही प्रसिद्ध थी। पिछली शताब्दी के अन्त तक किसी सरकारी कागज में भूमिहार या भूमिहार ब्राह्मण शब्द का उल्लेख नहीं है। सामाजिक प्रतिष्ठा की सीढ़ी पर उपर उठने के आन्दोलन के बाद ये अपने को ब्राह्मण या भूमिहार ब्राह्मण या भूमिहार कहने लगे। उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग के निर्देशक ने आदेश जारी किया कि इस जाति के शिक्षक को ब्राह्मण कहा जाय।

पश्चिम उत्तर प्रदेश में ये अपने को तागा ब्राह्मण कहते थे और नामान्त में त्यागी जोड़ते थे।

बिहार में ये लोग अपने नाम के पहले पंडित एवं अन्त में शर्मा जोड़ने लगे। तब तक इन दोनों उपाधियों पर ब्राह्मणों का एकाधिकार था। स्वामी सहजानन्द सरस्वती जो किसान आन्दोलन के जनक कहलाए - दो आन्दोलन चला रहे थे। एक तो बृटिश सरकार एवं जमीन्दारों के विरुद्ध किसानों की ओर से संघर्ष करना और दूसरा भूमिहार को ब्राह्मण प्रमाणित करना। १९१४ के बलिया के अखिल भारतीय भूमिहार ब्राह्मण सभा में आपने प्रमुख भाग लिया था। आपने उस समय घोषणा की थी कि पुरोहित कार्य छोड़कर कृषि कार्य करने के कारण भूमिहार ही श्रेष्ठ (अयाचक) ब्राह्मण हैं, उनके अनुसार भूमिहार वंश की उत्पत्ति की निराधार कहानियों के कारण भूमिहार हतोत्साहित हो गये थे। बिहार एवं उत्तर प्रदेश में काफी दौरा करने के बाद सामग्रियां एकत्रित कर १९१६ ई० में चार सौ पन्ने का ग्रन्थ 'भूमिहार ब्राह्मण परिचय' उन्होंने लिखा था। अपने स्वजातियों के बीच इन्होंने घूमघूम कर ;इस बात का प्रचार किया। "ब्राह्मण समाज की स्थिति"; "झूठा भय और मिथ्याभिमान"; ई० उनकी अन्य पुस्तकें है। वाराणसी से प्रकाशित पत्रिका "भूमिहार ब्राह्मण" के वह प्रमुख स्तंभ थे।

उनने बाद में अपनी राय बदलकर भूमिहारों को भी पुरोहित कर्म करने को उत्साहित किया। उनका तथा कथित पुरोहित आन्दोलन १९२४ में शुरू हुआ। इस आन्दोलन के समर्थन में १२०० पृष्ठ का ग्रन्थ "कर्म कलाप" उनने लिखा था। उनका पूर्णतः समर्थन १९२६ में जातीय सभा से किया गया।

जनगणना रिपोर्ट में L. S. S. O. Malley ने लिखा है :

" भूमिहारों का दाबा है कि वे सदा से ब्राह्मण थे और हैं। जो निर्विवाद ब्राह्मण हैं, उनसे अन्तर यह है कि ये खेती करते है। पुरोहित कर्म छोड़ दिया है। अध्यापन कार्य त्याग दिया, भिक्षाटन, त्याग दिया है।

उनका दावा है कि अभी भी जो मैथिल ब्राह्मण पुरोहित कर्म त्याग कर कृषि कर्म अंगीकार कर लेते हैं और अपने समाज से पृथक हो जाते हैं, उन्हें भूमिहार समाज में ले लिया जाता है।

इनका यह भी दावा है कि इनके अनेक संस्कार एवं समारोह उसी विधि एवं मंत्रों से संपन्न होता है, जैसा ब्राह्मणों के।''

ब्राह्मण कन्याओं के साथ विवाह संबंध करने की चेष्टा भी भूमिहारों ने की। निर्धन मैथिल ब्राह्मण परिवारों से संबंध स्थापित करने में इन्हें सफलता भी मिली। जिन ब्राह्मण परिवारों का संबंध ब्राह्मण एवं भूमिहार दोनों ही से होने लगा वे "दोगामीआ" (द्विगामी) कहलाए। भागलपुर एवं पूर्णिया में ऐसे संबंध अधिक संख्या में पाए जाते हैं। १६११ ई० में भागलपुर अधिवेशन में मैथिल महासभा ने इस प्रश्न की ओर गम्भीरता से ध्यान दिया।

समाज प्रतिष्ठा की उन्नति की इस मनोवृति के कारण भूमिहार जनसंख्या का एक भारी अंश हट कर ब्राह्मण जनसंख्या में चला गया।

१६३१ ई० में जातीय जनसंख्या की गणना अन्तिम बार की गई थी। उस वर्ष १६२१ की अपेक्षा ८⅓ प्रतिशत भूमिहारों की संख्या घट गई। यह घटी भूमिहारों की संख्या में वास्तविक ह्रास के कारण नहीं थी। बल्कि इस कारण कि भूमिहारों ने अपनी गिनती भूमिहार वर्ग में नहीं कराकर ब्राह्मणों में लिखा ली।

पहले तो वे भूमिहार ब्राह्मण लिखाने लगे किन्तु बाद की गणनाओं में वे केवल ब्राह्मण कहकर अपनी गिनती लिखाने लगे। उत्तरी बिहार के पांच जिलों एवं दक्षिणा बिहार के चार जिला में इनकी संख्या अधिक है।

१६०१ में भूमिहारों की संख्या ब्राह्मणों सें ८५,५०० अधिक थी, परन्तु १६३१ में ब्राह्मणों की संख्या ४,२५,००० अधिक हो गई। इन तीस वर्षों में यदि दोनों जाति की जनसख्या वृद्धि समान समझी जाय तो समझना चाहिए कि इस अवधि में २,२५,००० भूमिहार लोग ब्राह्मण वर्ग में चले आए। अर्थात १६०१ के प्रति पांच भूमिहारों में से एक १६३१ में ब्राह्मण लिखा गया। दरभंगा में यह वर्गान्तर सर्वाधिक हुआ। जहां अनुपात तीन में एक का रहा। भागलपुर, मुंगेर, शाहाबाद का स्थान क्रमशः उसके बाद का इस मामले में रहा। प्रत्येक जिला में अत्यधिक मात्रा में यह क्रिया जारी रही।

प्रारंभ में बिहार की भूमिहार सभा केवल बड़े जमीन्दारों के हाथ में रही। यह सभा उन जमीन्दारों का पक्ष लिया करती थी और इसे भूमिहार जमीन्दार सभा कहना भी ठीक होता। इसके वार्षिक अधिवेशनों में सरकारी उच्च अधिकारी शामिल हुआ करते थे। बृटिश सरकार की यह दृढ़ समर्थक थी। बाद में जब अपने वर्गोन्नति के आन्दोलन के सिलसिले में धीरे-धीरे इसे जन साधारण के समीप जाना पड़ा तो इसका रंग रूप बदल गया। इसका आधार व्यापक हो गया। अब जमीन्दार, बड़े किसान एवं शिक्षित बेकारों का हिमायती यह सभा हो गई। बृटिश की समर्थक नहीं रहकर, विरोधी हो गई। सभी भूमिहार कांग्रेस नेता का सम्पर्क इस सभा से स्थापित हो गया और आवश्यकतानुसार अपने स्वजातियों का संगठन इस सभा द्वारा ये नेता करते थे।

भूमिहारों के इतिहास की एक झांकी :

ब्राह्मण जातियों का सामाजिक उत्थान : प्राचार्य प्रमेश्वरी प्रसाद शर्मा
बिहार राज्य के संस्कृत शिक्षा के सहायक निदेशक, आचार्य आर० पी० शर्मा
एवं

पटना के राजकीय संस्कृत महाविद्यालय के आचार्य डी० तिवारी के सर्चलाईट मिति जनवरी १४, १९७० एवं १६-३-७० एवं मिति १९-३-७० में प्रकाशित लेखों का सारांश :

अन्य ब्राह्मणों से भूमिहार कभी भिन्न नहीं समझे गये । मैथिल, सरयूपारीन एवं कान्यकुब्ज परिवारों से भूमिहार के वैवाहिक सम्बंध के असंख्य प्रमाण हैं । कान्यकुब्जों की तीनों ही वंशावलियां और प्रामाणिक इतिहास भूमिहार का स्थान स्वीकार करते हैं ।

१९११ ई० में प्रकाशित "ब्राह्मण संबंध" नामक पुस्तक में परमहंस मुनीश्वरानन्द जी ने भूमिहार एवं मैथिल के अनगिणत सम्बधों के उदाहरण दिये हैं । परमहंस जी स्वयं मैथिल ब्राह्मण सन्त थे ।

१९१४ ई० में कलकत्ते के सुप्रसिद्ध हिन्दी साप्ताहिक "भारत मित्र" की सम्पादकीय टिप्पणी में सुप्रसिद्ध सम्पादक पंडित अंविका प्रसाद वाजपेयी ने भी यह तथ्य स्वीकार किया था ।

स्वामी सहजानन्द जी ने भूमिहारों को पुरोहित कर्म करने का आन्दोलन शुरु किया था ऐसा कहना भी भ्रम और भूल है । भूमिहार तो पुरोहित कर्म अति प्राचीन काल से करते आए हैं, परन्तु उनकी संख्या बड़ी न्यून है । सम्राट अकबर के समय से राजा मान सिंह के द्वारा नियुक्त पिलिछवार भूमिहार बैकठपुर के शिवालय के पंडा का काम कर रहे हैं । गया जिलान्तर्गत देव ग्राम में पंडा हैं - सोन - भदरिया भूमिहार । मुंगेर जिले में मंझौल गांव की जयमंगला देवी के पंडा भी जलेवार भूमिहार हैं । अतीतकाल से ही मनेरिया, अथर्व, कोलांचें, मधु-स्वामी ईत्यादि भूमिहार पंडा, पुजारी और पुरोहित के कर्म में रत हैं । ब्रह्मदत्त राजा के खरबा के कायस्थ माहुरी के पुरोहित यही मधु - स्वामी हैं ।

स्मृतिओं के अनुसार पुरोहित कर्म ब्राह्मण का अनिवार्य नहीं; वैकल्पिक कर्म है । यह तो सत्य है कि संपत्ति के अभिमानवश भूमिहार पुरोहित वृति को ओछा समझने लगे थे ।

ब्राह्मणों की परम्परा के रक्षक एवं संस्कृत के महान पंडित होने के कारण स्वामी सहजानन्द जी ने अवश्य ही भूमिहारों को संस्कृत के अध्यन एवं पुरोहित कर्म करने के लिये आग्रह किया था ।

स्वामी जी प्रणीत ग्रन्थ "कर्म कलाप" कर्मकाण्ड पर एक प्रामाणिक ग्रन्थ है जिसका अनुसरण सभी ब्राह्मण करते हैं ।

स्वामी जी के ग्रन्थ भूमिहार ब्राह्मण परिचय में इस जाति का विस्तृत परिचय दिया गया है ।

१९१६ ई० में अपनी पत्रिका "सरस्वती" में इस ग्रन्थ का अवलोकन करते हुए पं० महावीर प्रसाद द्विवेदी ने समाज-अध्ययन सम्बन्धी एक महान ग्रन्थ इसे कहा था।

इस भूमिहार ब्राह्मण परिचय के तरह के ग्रन्थ से इतिहास एवं समाज अध्ययन की सीमाओं का विस्तार ही होता है। कान्यकुब्ज वंशावली, पंक्ति-पाचन-परिचय, सरयूपारी सारस्वत, सरवरिया-ब्रह्मोतपत्ति-प्रदीप इत्यादि स्वामी जी की अन्य रचनाएं हैं जो कदापि संकीर्ण जातीयता संबंधी नहीं है।

"सृष्टियारंभे ब्राह्मणस्य एका जाति प्रकृत्या" सृष्टि के प्रारंभ में ब्राह्मणों की स्वभावतः एक ही जाति थी। कालक्रम से उनकी चार शाखाएं हुई। विशेष वेदपठन के अनुसार। प्रत्येक वेद की शाखा या चरण के अनुयायी होने के नाते इन शाखाओं की भी प्रतिशाखाएं हुई। महाभारत में परिग्रही एवं अपरिग्रही दो भांति के ब्राह्मणों का उल्लेख मिलता है। शान्ति पर्व अध्याय १९९, स्कंद पुराण के आदि पूर्वमाहात्म्य में भी इन दो शाखाओं का उल्लेख मिलता है। प्रतिग्राहक एवं अप्रतिग्राहक। चाणक्य अप्रतिग्राहक ब्राह्मण थे। चाणक्य के शिष्य कमन्दक की रचना नीतिसार के आरंभिक श्लोकों में इसका प्रमाण है। 'अपरिग्रहकारणेन बभूव भूवरि विश्वरतीः।'

बाराणसी के व्याख्याकार शंकर ने कहा है कि वाण अयाचक ब्राह्मण थे। हर्षचरित के प्रथम अध्याय में भी इसका उल्लेख है। जो ब्राह्मण दान स्वीकार नहीं करते थे, अपने उपार्जन पर निर्भर रहते थे, वे राजाओं एवं दरवारों की शरण नहीं जाते थे। भूमि लेना अवश्य स्वीकार करते थे।

१२ वीं शती तक ब्राह्मण इन दो प्रधान शाखाओं में विभक्त थे। वेदों के अनुसार बनी हुई उनकी शाखायें भी देश के कुछ भागों में प्रचलित थीं किन्तु वे उतना अधिक विख्यात नहीं थे।

हिन्दू समाज पर इस्लाम की चोट पड़ने के फलस्वरूप समाज छिन्न-भिन्न होने लगा। ब्राह्मण समाज की अखंडता और एकछत्रता भी टूट चली। देश-प्रदेश के प्रवास एवं आवास परिवर्तन के फलस्वरूप इन भूमिहारों को भी अपने स्थायी किन्तु हल्के परिचय कायम करने की जरूरत पड़ी।

शुरू-शुरू आवास भूमि के अनुसार दश शाखाओं का निर्माण हुआ।
सारस्वतः कान्य कुब्जः उत्कला, मैथिलश्च गौड़श्च पंचधा चैव गौड़ा प्रकीर्तिताः इत्यादि।

फिर जन्म भूमि, व्यवसाय वृत्ति के अनुसार प्रशाखाएं बनी। इस प्रकार विभाजन का सिलसिला चला तो प्रथम जनगणना १८६१ ई० के समय आगरा-अवध के पश्चिमोत्तर प्रान्त में ६८ शाखाओं का उल्लेख किया गया।

१९६१ ई० की जनगणना में ८५० ब्राह्मण शाखाओं का उल्लेख हुआ। अपनी पुस्तक Castes and Tribes में शेरींग २००० भांति के ब्राह्मण बतलाते हैं। वाभन को संज्ञा-हीनता-सूचक मानना भी अज्ञान है। ब्राह्मण शब्द का यह उच्चार अपभ्रंश मात्र है।

ब्राभन शब्द का प्रचार भी अज्ञातकाल से है। सम्राट अशोक के तीसरी इसापूर्व शताब्दी के प्रस्तर लेखों में भी यह शब्द पाया जाता है। स्वर्गीय पंडित रामावतार शर्मा जी के प्रियदर्शी प्रशस्तियां के पृष्ठ ६, १४, १७, ३८ ई० देखिए। शतवाहन राजाओं के १ ली या २ री शताब्दी के शिला लेखों में भी यह शब्द पाया जाता है। यथा-एको बाभनोहं। भास के नाटक ३ री शताब्दी में भी यथा-उज्जयनीय बांभनो। पृथ्वीराज रासो, विद्यापति, कबीर, भूषण, नन्ददास, सूर, तुलसी के साहित्य में बाभन शब्द की प्रचूर उपस्थिति है।

पृथ्वीराज रासो : बाभन होई प्रधान सदा रखवाई निश्चिन्तो; जो घर आयत नारद बभना
विद्यापति : तीसर बानो भेला नारद बाभन
कबीर : तू बाभन मैं काशी का जोलहा
भूषण : और बाभनन देखि कहत सुदामा सूधी
नन्ददास : बाभन का धन केवल भिक्षा
सूरदास : कल्लर बाभन करन कसाई
तुलसीदास : ज्ञान मारसि गुरू बाभनगण।

कहीं भी ब्राह्मण से इतर किसी अर्थ में बाभन का प्रयोग नहीं हुआ है। और न किसी प्रकार के हीन अर्थ में।

मिथिला के ग्रामीण अभी श्रोत्रीय के अलावे सभी ब्राह्मण को बाभन ही कहते हैं।

अतएव ब्राह्मण से नीचे का दर्जा बाभन को बतलाना पक्षपात पूर्ण है। मगध और त्रिहुत के ग्राम क्षेत्र में सभी ब्राह्मणों के लिये आजतक बाभन शब्द का ही प्रयोग होता है। यह तो भाषा विज्ञान एवं ध्वनि शास्त्र सम्मत एक अपभ्रंश मात्र है।

यह ठीक है कि मगध में बाभन विशेषत: भूमिहार ब्राह्मण के लिये प्रयुक्त होता है।

मुस्लिम आक्रमण और इस्लाम के आघात से ब्राह्मण जाति जहां-तहां जाकर बसने लगी और अपने मूल स्थान वाचक नाम अपनी जाति संज्ञा के साथ जोड़ने लगी, यथा-कान्यकुब्ज, सारस्वत, मैथिल इत्यादि यह तो सच है। परन्तु कुछ पवित्रता के अभिमानी और शक्तिशाली ऐसे ब्राह्मण भी थे जो अपने को केवल ब्राह्मण ही कहते कहलाते रहे। वे ही ब्राह्मण या सुविधानुसार बाभन कहलाते रहे और वर्तमान शताब्दी के प्रारम्भ से वे अपने को भूमिहार कहने लगे। भूमिहार राजाओं एवं महाराजाओं के नेतृत्व में भूमिहार महासभा के कायम होने पर अपनी संपत्ति, सत्ता के अभिमानवश एवं समृद्धि प्रकट करने के लिये वे भूमिहार के नाम से प्रचलित किये जाने लगे।

मध्यकाल में देश के विभिन्न भागों से संपन्न एवं शक्तिशाली ब्राह्मण परिवार बिहार आए। उनमें से बहुत अधिक पश्चिम प्रदेश से आए थे। मार्ग एवं यातायात की असुविधाओं के कारण अपने स्थान वापस नहीं जाकर ये सब बिहार में बस गये। और इस प्रकार बिहार के प्राचीन निवासी ब्राह्मणों से उनका सम्बन्ध होने लगा।

इस मूल निवासी एवं प्रवासी ब्राह्मणों का मिलन इतना पूर्ण हुआ कि मूल स्थान सूचक नामों की सहायता के बिना इनको पहचानना कठिन है। मुस्लिम और अंगरेजी राज में इन मूल निवासी ब्राह्मणों के कई प्रचलित नाम थे। मगध में बाभन। गंगा के दोनों पार जमीन्दार ब्राह्मण। त्रिहुत में पश्चिया ब्राह्मण, दक्षिण मुंगेर एवं भागलपुर में एक अलंग नाम "मघही, मघहिया या पछियारी ब्राह्मण।" सर हैमिल्टन बूकानन ने अपने सर्वे रिपोर्ट में इसका कौतूहलपूर्ण विवरण दिया है। १८१२ के भागलपुर, पूर्णिया के रिपोर्ट में आपके निम्नोक्त मन्तव्य उल्लेखनीय हैं :

ब्राह्मणों की एक अन्य जाति जिन्हें पटना के निकट से आने के कारण मगही, पश्चिम के आने के कारण पश्चिमा एवं जमीन्दार ब्राह्मणइत्यादि कहा जाता है। इनके उच्च चरित का वर्णन बूकानन कवित्वपूर्ण भाषा में करते हैं :

आधुनिक गया और पटना के इतिहास १९११-१२ में सर बूकानन लिखते हैं :

इस जिले के अत्यधिक ब्राह्मण ८०,००० परिवार कृषि एवं युद्ध जीवी हैं। भागलपुर, पूर्णिया के विवरण में इनके बारे में मगहिया, पछिमा, जमीन्दार ब्राह्मणों के नाम से यथोचित उल्लेख कर चुका हूँ। साधारणतः मगही कहलाने से ये बुरा नहीं मानते। केवल भागलपुर की सीमा के निकट इस संवोधन को प्रतिष्ठा विरूद्ध माना जाता है। मेरी राय में ये निसन्देह प्राचीन Brachmaoi के वंशज हैं। सर्वाधिक भूमि इनके कब्जे में है। अपनी संपत्ति की रक्षा के लिये प्रत्येक आक्रमण के विरूद्ध ये सर्वदा तैयार रहते हैं। मगही ब्राह्मण सैनिक जातियों की रीति प्रथा अपनाए हुए हैं।

ब्राश्चमनोई ग्रीक भाषा में ब्राह्मणों को ही कहते हैं। मेगास्थनीज के मगध साम्राज्य के इतिहास एवं अरेरियन और प्लूतार्क लिखित सिकन्दर के जीवन चरित में इसका उल्लेख है। देखिए Ancient Geography by cunnigham. पृष्ठ ३१०

१८९१ की जनगणना पृष्ठ १९१-२०३ के अनुसार बाभन बिहार की एक जाति है। पश्चिमोत्तर प्रदेश की शुद्ध आर्य रक्त की यह एक शाखा है और प्राचीन काल के निवासियों के वंशज हैं।

Crooke के the Tribes and Castes of U.P. and oudh के अनुसार भूमिहार (संस्कृत भूमिं एवं हर) भूमि के स्वामी एवं कृषि के व्यवसायी पूर्वी जिलों के प्रमुख निवासी हैं। इन्हें बाभन, जमीन्दार ब्राह्मण, गृहस्थ-ब्राह्मण, पछिमा ब्राह्मण भी कहते हैं।

डाक्टर राम प्रसाद चन्दा, Ex-superintendent of Archeology Deparment, Eastern circles. ने अपनी पुस्तक Aryan Races के पृष्ठ १६५-६७ में इस जाति का विशद विवरण दिया है-।

"प्राचीन (Primitive) ब्राह्मणों के प्रतिनिधि स्वरूप बिहार की एक जाति है वाभन या भूमिहार ब्राह्मण। १९०१ की जनगणना के अनुसार बिहार में वाभनों की संख्या ११,०८,४३८ से अधिक थी। वाभन विशेष कर बिहारी लोग हैं। संयुक्त प्रान्त में वाभनों की संख्या २,०५,९५१ मात्र १९०१ में। पश्चिम बंगाल की बोली में ब्राह्मण को बाभोन और पूर्वी बंगाल में वाभन कहा जाता है।

इस प्रकार निष्कर्ष निकलता है कि मगध की तीसरी ईसापूर्व शताब्दी में ब्राह्मण को वाभन कहा जाता था। मध्यदेश से आए हुए प्रवासी ब्राह्मणों ने इन वाभनों को पुरोहित कर्म से मुक्त कर दिया। महामहोपाध्याय हर प्रसाद शास्त्री के मत में वाभन वे बौध ब्राह्मण थे, जो हिन्दू समाज में अपना स्थान खो दिये थे।

परन्तु अशोक के शिलालेखों में वाभन, बम्हना और गिरनार के तरफ बहमनः का प्रयोग श्रमण या संम्मन के साथ-साथ पाया जाता है।

अशोक के इन शिलालेखों से यह प्रमाण नहीं मिलता है कि उनके समय वाभन सब बौध थे। यदि आज के ये वाभन बौध थे तो बंगाल इत्यादि अन्य प्रदेशों में भी इनको मौजूद रहना चाहिए था, जहां बौध धर्म अधिक काल तक कायम रहा। बिहार जितना और कहीं मध्यदेश से प्रवासी ब्राह्मण नहीं आए थे। उसी कारण वाभन और प्रदेश में नहीं हैं।

बंगाल, उड़ीसा, गुजरात, दक्षिण के ब्राह्मण में भी वही रक्त है जो वाभन में है। अर्थात वहां के मूल निवासी पुरोहित के वंशज जो प्राकृत-भाषी थे यद्यपि उनके नाम का संस्कृत रूप सुरक्षित रहा।

मगध के निवासी ब्राह्मण वाभन कहलाए। संभवतः इस कारण भी कि वे स्वयं भी प्रकृत-भाषी थे। स्वयं को संस्कृत ब्राह्मण के बदले प्राकृत में वाभन कहते थे और इस प्रकार प्रवासी ब्राह्मणों के संस्कृत नाम से अपनी भिन्नता बनाए रखने में समर्थ होते थे। बिहार के प्राचीन अभिलेखों से स्पष्ट होता है कि बिहारी ब्राह्मणों के मुख्यतः तीन मूल-श्रोत हैं :

१. मगध के देशज मूल निवासी ब्राह्मण जो वाभन कहलाए।

२. त्रिहुत के मूल निवासी ब्राह्मण जो त्रिहुतिया वाभन कहलाए।

३. बिहार के पश्चिमी भाग सारन, चंपारन, शाहाबाद, डाल्टनगंज के मूल निवासी ब्राह्मण जो कनौजिया वाभन कहलाए।

मुस्लिम काल में मुख्यतः मध्यदेश से एवं अन्य प्रदेशों से ब्राह्मण बिहार आकर बसे। उत्तर में नेपाल की तराई से दक्षिण में छोटानागपुर के दक्षिणी छोर तक वे बस गये।

पृष्ठ १६५/१६७ में डाक्टर रामचन्द्र प्रसाद चन्दा कहते हैं : 'बिहार की तरह और कहीं कभी भी मध्य प्रदेश से इतने अधिक प्रवासी ब्राह्मण आकर नहीं बसे थे।'

ये प्रवासी यहां बस कर पुरोहित कर्म करने लगे एवं स्थानीय ब्राह्मणों को पुरोहित कर्म से वंचित कर दिया, उसी स्थल पर डा० चन्दा कहते हैं :

'जीवन और संपत्ति पर संकट आते रहने के कारण इस तरह ब्राह्मणों का निर्वासन और प्रवास मुस्लिम काल में प्रायः होता रहता था। उनके धार्मिक विश्वास भी कुचल दिये जा रहे थे। अतएव अपनी सुरक्षा के लिये वे अपने घर गांव छोड़ कर अन्य स्थानों पर जाकर वस जाते थे।'

काल प्रकोप से स्थानीय ब्राह्मणों में ये प्रवासी ब्राह्मण मिल गये। फलस्वरूप मगध के सैकड़ों गांव में बहुसंख्यक बाभन अब मिलते हैं जो अपना परिचय सरबरिया, सरोरिया, सरयूपारी, कनौजिया, गौर बाभन के नाम से देते हैं।

Sir Elliot के इस कथन की पुष्टि इस घटना से होती है कि कनौजिया की पांच शाखाएँ पाई जाती हैं : १. कनौजिया २. सनाढ्य ३. सरवरिया ४. जीझौतिया ५. भूईहार।

Supplimentyr Glossary में आप लिखते हैं कि इन पांच शाखाओं में विवाह संबंध होता है। इसी पुस्तक के पृष्ठ १४६ पर Mr. Beams लिखते हैं: सरवरिया जिनमें भूमिहार भी शामिल है पूरब तरफ कनौजिया से मिले हुए हैं। Rev. Sherring का प्रबल विश्वास है कि भूमिहार ब्राह्मण सरवरिया ही हैं। ये भूमिहार ब्राह्मण यदि पूर्णतः नहीं, तो मुख्यतः सरवरिया हैं। "Hindu Caste and Tribs." पृष्ठ ३६

विविधार्थ-संग्रह (१७१६) शाहाबाद के अनुसार डाक्टर राजेन्द्र लाल मित्र का भी यही मत था।

प्रमुख भूदान नेता रजौली निवासी गौरी बाबू सरयूपारी ब्राह्मण हैं। मोतिहारी के मुंशी सिंह कॉलेज के आचार्य अवधेश कुमार पाण्डेय, स्वर्गीय सर गणेशदत्त सिंह जी, स्वर्गीय श्रीबाबू की वंशावली से पता चलता है कि आप सब दिल्ली के पड़ोस के कनौजिया परिवार के हैं। त्रिहुत में घटना कुछ भिन्न प्रकार की है।

स्थानीय मैथिल ब्राह्मणों ने पश्चिम के प्रवासी विद्वान ब्राह्मनों में मिल जाने पर भी अपना उच्च स्थान बनाए रखा। पहले प्रवासी विद्वान नेपाल की तराई में बसे थे। अपने विद्या-व्यसन एवं धर्मसाधना के बल से उनने स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ दवाया था। फलस्वरूप प्रधानतः क्रम से मैथिलों की पांच शाखाएँ कायम हुई। सोत, योग, पंजीबद्ध, जैवार, सनातनी।

त्रिहुत में भी ये पश्चिमी ब्राह्मण प्रवासी पछिमा कहलाए। इनने जागिर हासिल किये और छितरा कर जहां-तहां बस गये। गंगा के दोनों पार मिथिला एवं मगध में ये विवाह संबंध करने लगे। सहरसा और पूर्णिया के मैथिल अभी भी भूमिहारों को पछिमा कहते हैं। दक्षिण मुंगेर और भागलपुर में पछियारी कहलाते हैं। मधुवनी में भी ऐसा ही पाया जाता है। सर्वे, खतियान, जो इस शताब्दी के प्रथम दशाब्द में लिखे गये थे, भी इसके प्रमाण हैं। इससे यह भी प्रमाणित होता है कि उस समय भूमिहार नाम का प्रचलन ग्राम क्षेत्रों में नहीं हुआ था।

इस प्रकार स्पष्ट है कि उन्नीसवीं शताव्दी के अन्त तक विहार में वाभन एवं पश्चिम प्रान्तों में भूमिहार इस जाति का प्रचलित नाम था। ये पश्चिम प्रवासी भूमिहार नाम लेकर विहार आए।

सन् १८८५ ई० में काशीराज महाराजा ईश्वरी प्रसाद सिंह ने जातीय सभा की स्थापना का संकल्प किया। इस सभा के नामकरण के लिये एक उपसमिति वनाई गयी थी। त्रिहुत से पछिमा व्राह्मण का सुझाव आया। गया से पंडित काली चरण सिंह के नेतृत्व में व्राभन सभा का प्रस्ताव रखा गया। परन्तु जाति के सर्वाधिक प्रभावशाली काशी नरेश महाराजा सर प्रभुनारायण सिंह के इच्छानुसार नाम "भूमिहार व्राह्मण महासभा" स्वीकृत हुआ। १८९२ ई० में इस महासभा का जन्म वावू लंगट सिंह के सभापतित्व में हुआ। भूमिहार संस्कृत शब्द है और इसका पर्यायवाची है जमींदार। यह नाम सर्व सम्मत हो गया।

प्राचीन विहारी नाम वाभन के वदले संयुक्त प्रान्त से भूमिहार लाया गया था। भूमिहार का प्रचार उत्साह पूर्वक हो चला। सभा का अधिवेशन प्रतिवर्ष होने लगा। किन्तु मगध में वाभन नाम का मोह अभी भी वना हुआ है।

इसी नाम को स्थायी करने के विचार से शायद मुजफ्फरपुर के नव स्थापित कॉलेज का नाम भूमिहार व्राह्मण कॉलेज रखा गया। इसका खर्च काशीराज और व्रावू लंगट सिंह ने दिये थे। परन्तु नाम ज़ातीय सम्मान सूचक रखा गया गया।

प्राचीन अभिलेखों में भूमिहार नाम की अनुपस्थिति से यह प्रभाणित नहीं हो सकता कि यह जाति उन दिनों नहीं थी और इस जाति की उत्पत्ति अभी हाल-साल में हुई है।

१७९३ ई० के दमामी वन्दोवस्त के अभिलेखों में इस जाति के जमीन्दारों को व्राह्मण ही लिखा गया था। कुछ उदाहरण दिये जाते हैं:

सूवा विहार सरकार औवल १० प्रगना जमीन्दारी वावू मित्रजीत सिंह व्राह्मण साकिन टिकारी

२. दो प्रगना जमीन्दारी यशवंत सिंह बगैरह व्राह्मण अरंजील और मूसाडीह। अभी इनके बंशज वावू रजनधारी सिंह वगैरह है।

३. दो प्रगना रती और सूरसंड प्रताप सिंह व्राह्मण मालिक नरहनराज, जिला दरभंगा।

४. सरकार सारन: कल्याणपुर और सिया। राजा फतेह नारायण सिंह जाति व्राह्मण। आप हथुआ के राजा थे। इस्ट इन्डिया कम्पनी से लड़ गये और निकाल दिये गये तो हथुआ राज्य स्थापित किया और इनके छोटे भाई को सारन राज्य मिला।

५. सरकार चंपारन: तीन प्रगना राजा युगलकिशोर बाह्मण के लड़कों को। साकिन बेतिया।

स्थानाभाव के कारण पूरी लूची देना संभव नहीं है। जिज्ञासु पाठक उक्त पुस्तक को देखें।

समस्त बिहार सूबा की जमीन्दारी ब्राह्मणों और मुसलमानों के बीच बांट दी थी ऐसा प्रतीत होता है। बहुत कम प्रगना राजपूत इत्यादि को दिये गये थे। दो दर्जन जमीन्दारी ब्राह्मणों को दी गई थी, उनमें से केवल एक दरभंगा के माधो सिह् मैथिल थे और सब भूमिहारों के पूर्व पुरुष थे जो जमीन्दारी के उन्मूलन तक मालिक बने रहे।

शेरेउल मुतखारीन भाग १ पृष्ट ३५० के अनुसार मुगल राज्य के अन्त काल १७५० ई० के लगभग जब अलीवर्दी खां अजीमाबाद पटना से बंग विजय को चले तो प्रान्त के कई जमीन्दारों ने उनका पीछा किया था, उनमें से एक थे मगह जिला के टिकारी के राजा सुन्दर सिंह एक ब्राह्मण जमीन्दार। गाजीपुर के जिला गजेटियर के पृष्ठ १६४ पर Mr. Neville कहते हैं :

आईने अकबरी से जाहिर होता है कि ये जमीन्दार ब्राह्मण थे जिस नाम से भूमिहार जाने जाते हैं।

मदन बनारस के जमीन्दार ब्राह्मण थे अर्थात् भूमिहार।

आईने अकबरी में सरकार बिहार के अनेक प्रगनेदार के नाम लिखे हैं जिनी जांच से पता चलता है कि वे आज के भूमिहारों ही के पूर्वज थे।

भूमिहार शब्द सस्कृत भाषा का है। जागीरदार या जमीन्दार शब्द के समकक्ष या पर्याय है। अग्रहर का पूरक था यह। मंदिर, विद्यालय इत्यादि किसी धर्म के हितार्थ दी गई भूमि को अग्रहर कहा जाता था। राजकीय सैनिक या व्यक्तिगत कारणों से दी गई स्थायी एवं वंशानुगत Hereditary दी गई भूमि भूमिहार कहलाती थी। भूस्वामी की किसी प्रकार की सेवा करने पर सेवक को दी जाने वाली जमीन को भूमिहार कहा जाता था। कभी बेलगान और लेशमात्र लगान पर दी जाती थी। भविष्य में सेवा करने और अनुयायी बने रहने का शर्त रहता था। ऐसे भूमिदान से ही सामन्त प्रथा की उत्पत्ति हुई। इस अग्रहर एवं भूमिहार प्रथा का भारतीय शासन प्रथा में प्रमुख स्थान रहा है। ३०० ई० पूर्व से ६०० ई० तक गुप्त साम्राज्य के समय तक यह प्रथा काफी पुष्ट, प्रचलित एवं दृढ हो गई थी। पुस्तक Indian Feaudalism के पृष्ठ ५ के अनुसार जमीन की जागीरदारी की प्रथा गुप्त काल में काफी पैमाने पर फैल चुकी थी। इसी प्रथा ने ब्राह्मण सामन्तों की उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया। ये ब्राह्मण सामन्त केवल सम्राटों की राजकीय सेवा ही नहीं किया करते वरन् उसके अतिरिक्त भी।

जागीरदाता का जो भी उद्देश्य रहा हो, परन्तु इन्हीं जागीदारों ने एक मध्यवर्ती वर्ग कायम किया जो सामन्त वर्ग कहलाए। इनके अनेक रूप एवं अनेक कार्य कलाप हुए। भू स्वामी ब्राह्मणों की संख्या इस प्रकार बढ़ने पर शनैः शनैः ये ब्राह्मण पुरोहित कर्म त्याग कर भूमि के प्रबंध एवं व्यवसाय की ओर मुड़ गये। धार्मिक कृत्य से अधिक इनने सांसारिक कृत्यों को प्रधानता देना ही श्रेयस्कर मान लिया।

सातवीं सदी में अग्रहर या चाकराना जागीरदारों की संख्या ब्राह्मणों में बहुत अधिक पाई जाती है।

पृष्ठ ४४ के अनुसार हर्ष चरित एवं कादम्बरी से पता चलता है कि बाण के समय ब्राह्णों के अधीन काफी जमीन आ चुकी थी।

मध्यवर्ती काल में पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट चंदेल, चौहान, गहरवार इत्यादि वंश के क्षत्रीय राजाओं ने अपने राजकीय कर्मचारियों एवं करद राजाओं को उनकी सेवा के मूल्य में जमीन जागीरदारी देकर एक जमीन्दार वर्ग का सामन्त समुदाय कायम कर रखा था ।

समस्त भारत में जमीन की जागीरदारी Land Grants. के ताम्रपत्र बहुतायत मे पाये गये हैं । शान्ति के समय स्वामी भक्ति एवं युद्ध के समय सैनिक सहायता प्रदान करना इन सामन्तों का कर्त्तव्य था ।

मुसलमानों के आगमन के फलस्वरूप इन राजाओं के अपने सामन्तों की सहायता पर अत्यधिक निर्भर करने की आवश्यकता हुई ।

सुतरां ११ और १२ वीं शताब्दी में कन्नौज के गहरवार राजाओं ने पूर्वी प्रदेश में अधिक संख्या में सामन्त नियुक्त किये थे । पटना जिले के मनेर गांव में राजा गोविन्द चन्द्र का एक ऐसा ताम्रपत्र पाया गया है ।

Bihar and Orissa Research Society-Joarnal. के १९१६ अंक में पंडित रामावतार शर्मा ने इसके अनुवाद समेत प्रकाशन कराया था । मनेर एवं इतर स्थानों पर इस जागीरदार के वंशज अभी तक मनेरिया ब्राह्मण के नाम से कायम है । सामन्त प्रथा मुस्लिम काल में भी जारी रही ।

इसी मध्यवर्ती काल के सामन्तों से अधिकांश भूमिहार ब्राह्मण अपने वंश को संबंधित करते हैं । उनकी वंशावलियों से यह दावा पुष्ट होता है । नदिया की पंडित सभा के सुप्रसिद्ध न्याय शास्त्री एवं हिन्दू कानून के अधिकारी विद्वान डाक्टर योगेन्द्र नाथ भट्टाचार्य जी डी० एल० के प्रकट किये हुए मन्तव्य का उल्लेख करने का लोभ हम रोक नहीं सकते :

"भूमिहार ब्राह्मणों की प्रकृति से ही उनकी यथा स्थिति का भेद मिलता है । इस शब्द का शाब्दिक अर्थ है : भूमिवाला"

"भारतीय सामन्त प्रथा की भाषा में भूमि का अभिप्राय मुस्लिम काल के इनाम, जागीर के तरह की भू-व्यवस्था से होता है ।" राजपुताना गर्जटियर के अनुसार भूमि के प्रयोग से वंशानुगत स्थायी Hereditary एवं Nonresumable भूस्वामीत्व के लिये होता था । यह अविक्रेय भी था । प्राय: यह बेलगान या कर मुक्त Revenue Free होता था ।

गांव की सुरक्षा; सीमान्त की रक्षा; युद्ध सेवा या रण में विजय इत्यादि सरीखी विशिष्ट सेवाओं के निमित यह भूमि दी जाती थी ।

भूमिहार पदवी का माने उपरलिखी लौकिक सेवाओं के लिये पाई भूमि पाए हुए ब्राह्मण से है । इस प्रकार की भूमि के सभी प्राप्तकर्त्ता भूमिहार कहलाते थे । ब्राह्मण होने से वे भूमिहार ब्राह्मण कहलाए । भूमिहार ब्राह्मण संक्षेप में भूमिहार कहलाते हैं जैसे बंगाल में राज मिस्री को राज कहते हैं । अन्य ब्राह्मण की तरह ही भूमिहार के भी सभी धार्मिक कृत्य और आचार हैं । किन्तु वे लौकिक कृत्य करते हैं । दक्षिण भारत के

लौकिक ब्राह्मणों की भांति भूमिहार भी धर्मादाय नहीं स्वीकार करते हैं। इसके नामों की उपाधि उत्तर भारत के अन्य ब्राह्मणों के सदृश्य ही है। युद्ध रत होने के कारण इनमें से अनेक राजपूतों की भाँति सिंह और राय भी कहलाने लगे। देखिए —

अध्याय १ पृष्ठ १०६, ११३।

इस विवरण से स्पष्ट है कि अपनी सेवा, त्याग और शूरता के लिये जो राज वर्ग से भूमिदान लेकर उस व्यवसाय में लग गये वे भूमिहार कहलाए। जो इस व्यवसाय में नहीं आए वे भूमि नहीं पा सके। इस कारण भूमि स्वामी ब्राह्मण समाज में उच्च स्थान प्राप्त कर सके। शेष ब्राह्मणों की शाखा पृथक हो गई।

उत्तर भारत की सभी ब्राह्मण शाखाओं में से इस प्रकार के जागीरदार जमीन्दार ब्राह्मण निकल आए थे। किन्तु एक स्थान रहते हुए भी समान व्यवसाय में लीन होकर समान संस्कृति एवं स्वभाव प्राप्त कर आपस में विवाह संबंध करने लगे और इस प्रकार अपने वंश के ही अन्य ब्राह्मणों से पृथक होकर इनकी एक पृथक जाति भूमिहार ब्राह्मण के नाम से कायम हो गई।

हजारीबाग के चतरा अनुमंडल में खरवार राजपूत, चंदावत राजपूत, माहुरी वैश्य एवं कायस्थों के पुरोहित अभी तक ये भूमिहार ही हैं।

भूमि ग्रहण करने के कारण पुरोहित वृति को इनने अवश्य ही त्याग दिया, परन्तु इस कारण इनकी प्रतिष्ठा में क्षति नहीं हुई है। वरन् प्राचीन शास्त्रों के अनुसार भी पुरोहित कर्म ही श्रेष्ठ नहीं माना जाता है। एक प्राचीन पौराणिक श्लोक है :

य: इच्छेत पुरूपातनेतुम
नरकानेक विंशतिम्
सपुत्रपौत्रान समाजयान
पौरोहितम समाचरेत्।

सरकारी कागजों से भी साबित है कि पुरोहित छोड़ने वाले ब्राह्मण समाज में अधिक आदरणीय हुए। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक India in 1880 के पृष्ठ १११-११७ पर Sir Richard Temple कहते हैं : "लौकिक कर्म करने वाले ब्राह्मणों का स्थान उच्चतर है अपने उन भाईयों की अपेक्षा जो पुरोहित कर्म में लगे हैं।"

आजमगढ़ गजटियर के पृष्ठ ६५ पर Mr. Fisher कहते हैं : "भूमिहार ब्राह्मणों का अभिवादन प्रणाम या पालागी से किया जाता है और वे आशीर्वाद देकर प्रणाम का उत्तर देते हैं।"

१९०९ में प्रकाशित उसी आजमगढ़ गजटियर के पृष्ठ ८५/८७ में "जनता की दृष्टि में वे ब्राह्मण के समान ही वंदनीय हैं।"

पृष्ठ ४२ में—"जनता की दृष्टि में वे ब्राह्मण के ही तरह पूजनीय हैं और काशीराज के पुराने कानून के अनुसार वे अवध्य हैं।"

North western Prorinces Historical Memoirs के खंड १ पृष्ठ ४३ पर Dr. William oldham का भी यही मत पाया जाता है।

अपनी पुस्तक Memoirs of the History–Part I के पृष्ठ २१ में Sir H. Elliot का कथन है :

"भूमिहार : शुरू में सरवरिया शाखा के ब्राह्मण थे। काशीराज से कसवार प्रगना का बन्दोवस्त लेकर वे कृषि कार्य में लग गये। उनका आदर सत्कार बना हुआ है।"

पुनः पृष्ठ ११८ पर :

"गौतम सब पहले सरवरिया मिश्र थे। इलाकेदार होने से ठाट-बाट से रहने लगे। हुक्का पीने लगे। ये हथियार बन्द रहने लगे। सैनिक जीवन व्यतीत करने लगे। फलतः अन्य ब्राह्मणों के साथ भोजन त्याग दिया। अपने पुराने नाम पदवी मिश्र, पाण्डेय, उपाध्याय इत्यादि जारी रखते हैं। अन्य ब्राह्मणों से इनमें अन्य किसी प्रकार का भेद नहीं पाया जाता है।" काशीराज भी गौतम हैं।

पृष्ठ ३१५ के अनुसार भी "पुरोहित ब्राह्मण का ही स्थान निकृष्ट है। निम्नकोटि के ब्राह्मण लोगों के पुरोहित हैं। उच्च जाति के भी वे पुरोहित हैं। देवताओं के भी।"

काशी धर्म-सभा १८ वीं शताब्दी से ही एक प्रमाणिक पंचांग प्रकाशित करती है। काशी पद्धति के अनुयायी तमाम हिन्दू इस पंचांग का अनुकरण अपने सामाजिक धार्मिक कृत्यों में करते हैं। यह पंचांग काशी नरेश के हस्ताक्षर एवं मोहर से प्रकाशित होता है। इसमें काशी नरेश को द्विजराज एवं देव शर्मा की उपाधि से विभूषित किया जाता है। वासुदेव शास्त्री का स्थापित एक और पंचांग है। शास्त्री पंचांग। इसमें भी काशी नरेश को उन्हीं उपाधियों से विभूषित किया जाता है। इससे भी भूमिहारों का उच्च स्थान प्रकट होता है।

रीवां के स्वर्गीय नरेश महाराजा रघुराज सिंह अपनी पुस्तक राम-स्वयंवर में काशी नरेश महाराजा ईश्वरी प्रसाद सिंह की प्रशंसा में कहते हैं :

कीन्हों मैं प्रणाम बहुवार।
आशीष दिन्हों भूप उदार।।

१९२९ ई० में पंडित मदन मोहन मालवीय जी द्वारा आयोजित सर्व ब्राह्मण सम्मेलन का स्वगताध्यक्ष काशी नरेश को बनाया गया था।

कुछ वर्ष बाद धर्म समाज संस्कृत कॉलेज मुजफ्फरपुर के प्रिंसपल के प्रयास से मुजफ्फरपुर में सर्व ब्राह्मण सम्मेलन आयोजित हुआ था, तो इस सम्मेलन का सभापतित्व श्री रामदयाल सिंह जी ने किया था।

मुजफ्फरपुर के लोकमान्य ब्रह्मचर्याश्रम के स्थापक सरयूपारी ब्राह्मण पं० अम्बिका दत्त अग्निहोत्री भी इस सम्मेलन के संयोजक थे।

History of Ballia नाम की पुस्तक में डाक्टर सूर्य नारायण सिंह लिखते हैं–"ये लोग बहुमान्य और प्रतिष्ठित हैं। विद्या, विवेक और सौजन्य विशेष इनमें हैं।"

नवम्बर १९२६ ई० के कान्यकुब्ज सम्मेलन के प्रयाग अधिवेशन के प्रस्ताव द्वारा सभी ब्राह्मणों के साथ भूमिहारों को भी समान रूप से आमंत्रित किया गया था। देखिए कान्यकुब्ज हितकारी पत्र नवम्बर १९२६।

उत्तर प्रदेश के एक मंत्री सुप्रसिद्ध विद्वान पंडित वेंकटेश-नारायण तिवारी ने एक पत्र में लिखा था : "कान्यकुब्ज और भूमिहारों में कोई अन्तर नहीं है। दोनों शादी करते हैं और कान्यकुब्ज समाज इसे घृणित नहीं समझता।"

१८ वीं शताब्दी के अन्तिम चतुर्थ चरण में काशी नरेश चेत सिंह एवं अवध के नवाब अली खां बनारस में कैद थे। नवाब के हुक्म से अंगरेज रेजीडेन्ट मिस्टर चेरी को शहर ही में दिन के समय ही मार दिया गया। हत्यारे को मृत्युदंड दिया गया। यह शाहाबाद जिले का बाभन था। अतएव उसकी ओर से यह बहस हुई कि वह ब्राह्मण होने के नाते कानूनन अवध्य है। East India Company के सभी अंगरेज अफसर उसका प्राणान्त चाहते थे। उसके वकील Mr. Duncan ने कलकत्ता के Supreme Court के सामने अपील कर उसे इसी दलील पर छुड़ा लिया। इस प्रश्न के निर्णय के लिए विद्वान पंडित सब जूरी में बैठाए गये थे। उनका सर्व सम्मत मत था कि बाभन भूमिहार ब्राह्मर्ण एक ही जाति के भिन्न नाम हैं।

Sir Hamilton Buchanan के **Shahabad Report–1812.** (१८१२) में इस कहानी का उल्लेख है।

अध्याय—४

परिचय : गोत्र

अध्याय—४

परिचय : गोत्र

इस इतिहास के नायक-वंश का गोत्र शांडिल्य है। गोत्र तथा प्रवर इतनी प्राचीन संस्थाएँ हैं कि प्राचीनता एवं सहस्रों वर्ष की घटनाओं एवं वर्ण-शंकरता के कारण इनकी उत्पत्ति और विकास एवं वास्तविकता के इतिहास का पता नहीं चलता है।

कोई एक हजार वर्ष पहले एक पुस्तक श्री पुरुषोत्तम पंडित प्रणीत "गोत्र प्रवर मंजरी" है, जिसका अनुवाद एक यूरोपीय विद्वान (John Brough) ने अंग्रेजी में : The Early Bramhanical sysetem of Gotra and Pravar के नाम से किया है।

इस ग्रन्थ से निम्नोक्त सूचनाएँ मिलती हैं :

प्रवर प्रथा का प्रारम्भ ऋग्वेद काल से है। ब्राह्मण ग्रन्थों तक यह पूर्ण विकसित हो चुकी थी। सूत्रकाल में गण, शाखा, प्रशाखा तथा अनुप्रवर तक का विकास हो चुका था। गोत्र तीन कोटि के हैं :

पाणिनी के अनुसार "पौत्र प्रभृतिं गोत्रम।"

सगोत्र में विवाह संबंध नहीं होने पावे, इस कारण गोत्र याद रखने की जरूरत हुई।

वंश के आदि संस्थापक ऋषि के नाम पर गोत्र का नामांकन हुआ।

गोत्र का मुख्य विचार है। प्रवर गौण विचार है।

प्रत्येक गोत्र के कई गण है।

प्रत्येक गण का अपना प्रवर है।

प्रवर का नियम गोत्र के नियम के बाद चालू हुआ।

बौधायन स्मृतिकार के अनुसार—"सप्तानाम ऋषिनाम अगस्त्यानाम यद् अपत्यय तद् गोत्रम।"

सप्त ऋषियों एवं अगस्त्य के वंशजों का समावेश गोत्र में किया गया।

आपस्तंब के आज्ञानुसार—जिनको अपने कुल का ज्ञान नहीं है, वे अपने गुरु के प्रवर को स्वीकार कर लें।

गोत्र प्रवर मंजरी की तालिका के अनुसार कश्यप गोत्र के चार गणों में से शांडिल्य एक है।

और शांडिल्य के तीन प्रवर हैं : देवल, असित, शांडिल्य।

हिन्दी विश्वकोश के अनुसार :

"गोत्र के अर्थ है-सन्तति तथा गोत्र प्रवर्तक ऋषि। प्रवर के अर्थ हैं श्रेष्ठ, बड़ा, मुख्य।"

एक मत के अनुसार गोत्र का अर्थ है:—गायों का समूह, जो अपने पशु एक साथ रखते थे, वे एक गोत्र के हुए। निकट रहने के कारण आपस में विवाह करना बंद हो गया और इस तरह एक परिवार या वंश का रूप हो गया।

मानक हिन्दी कोश : १९६६, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रमाग

गोत्र : संतति, संतान, नाम, संज्ञा, क्षेत्र, वर्ग, समूह, बन्धु, कुल।

भारतीय आर्यों में किसी कुल या वंश का एक प्रकार का अल्ल या संज्ञा जो किसी पूर्वज अथवा कुल-गुरु-ऋषि के नाम पर होती है। वंश नाम जैसे काश्यप, शांडिल्य, भारद्वाज आदि गोत्र।

प्रवर : सबसे अच्छा, बढ़कर या श्रेष्ठ।

अवस्था या वय में सबसे बड़ा।

अधिकार, योग्यता आदि में सबसे बड़ा माना जाने वाला।

पूर्व पुरुषों का क्रम या शृंखला।

कुल वंश।

ऐसे ऋषि या मुनि की वंश परम्परा या शिष्य परम्परा जो किसी गोत्र का प्रवर्तक या संस्थापक रहा हो। हमारे यहां प्रवरों के एक प्रवर, द्विप्रबर, त्रिप्रबर और पंच प्रवर भेद या प्रकार कहे गये हैं।

गोत्र : हिन्दी विश्कोषः—नागेन्द्रनाथ बसु :

आख्या, नाम, कानन, वन, क्षेत्र, मार्ग
संघ, समूह, वृद्धि, राजछत्र, वित,
पुत्र, वन्धु, वंश, सन्तान, जाति-विभाग।

अति प्राचीन काल से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों में गोत्र का नियम चला आ रहा है। प्राचीन अर्थशास्त्रों की पर्यालोचना करने से जाना जाता है कि पहले गोत्र का नियम नहीं था। क्रमशः मनुष्य संख्या वृद्धि होते रहने से आर्य ऋषियों ने गोत्र नियम बनाये और उसी समय से आर्यों में गोत्र नियम चला आ रहा है।

दिगम्बर जैन शास्त्रों में ऐसा पाया जाता है कि प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव के पुत्र भरत चक्रवर्ती ने जाति आदि नियम बनाये। आदिपुराण के अनुसार हिन्दुओं को जातकर्म से लेकर अन्त्येष्टि तक प्रत्येक कार्य में ही आत्मपरिचय देते समय गोत्र का उल्लेख करना पड़ता है।

गोत्र का उल्लेख करते समय कुछ भूल या गड़बड़ होने से किसी कार्य की सिद्धि नहीं होती। इसके सिवा विवाहों में भी गोत्र की जरूरत पड़ती है।

मनु आदि स्मृति प्रणेताओं ने, बौधायन, आपस्तम्ब आदि सूत्रकारों ने समान गोत्रों में विवाह निसिद्ध बतलाया है। भ्रम या और किसी कारण से यदि सगोत्र में विवाह हो जाय तो नियमानुसार प्रायश्चित करना पड़ता है। प्रायश्चित के बाद उस स्त्री से माता के सामान व्यवहार करना होता है। कभी भी उस स्त्री को ग्रहण करना उचित नहीं और स्त्री को भी उस पुरूष को पुत्रवत देखना चाहिए। इसलिये प्रत्येक हिन्दु को अपने गोत्र के विषय में खूब ज्ञान रखना चाहिए।

मेदिनी और अभिधान, चिन्तामणि आदि के कर्त्ताओं के मत से गोत्र शब्द का अर्थ संतान या वंश है।

बौधायन, आपस्तम्ब, सत्यासाढ़, कुटिल, भरद्वाज, लौंगाक्षि, कात्यायन और आश्वलायन आदि के रचे हुए श्रौत सूत्र मत्स्य पुराण, महाभारत आदि इतिहास और मनु आदि की रची हुई स्मृतियों में थोड़ा बहुत गोत्र का कथन मिलता हैं।

इनमें परस्पर कुछ विरूद्ध कथन भी है, जिनका वास्तविक अर्थ सर्वसाधारण के समझ में नहीं आ सकता है। इसलिये और शास्त्रों की आलोचना की शिथिलता देखकर पण्डित प्रवर पुरूषोत्तम ने "गोत्र प्रवर मजरी" नाम का एक संस्कृत ग्रन्थ लिखा था।

उसके सिवा धनंजय कृत धर्मप्रदीप, बालभट, और महादेव दैवज्ञ द्वारा रचित "गोत्र प्रवर," विष्णु पण्डित कृत "गोत्र प्रदीप" अनन्त देव, आपदेव केशव, कंजीवदेव, नारायण भट, भट्टोजी, माधवाचार्य और विश्सनाथ देव रचित "गोत्र प्रवर निर्णय," लक्ष्मणभट्ट कृत "प्रवररत्न और गोत्र प्रवर," भास्कर एवं कमलाकर कृत "गोत्र प्रवर-दर्पण" नामक कुछ ग्रन्थ भी मिलते हैं। इनमें से "गौत्र प्रवर मंजरी" ही सबसे श्रेष्ठ है। इनमें समस्त पुरातन मतों की पर्यालोचना और मीमांसा की गई है।

गोत्र की आलोचना करने से पहले इस बात का भी निर्णय कर लेना चाहिए कि गोत्र किस चीज का नाम है? और उसका लक्षण क्या है?

अभिधान के कर्त्ताओं ने गोत्र का लक्षण जैसा लिखा है, उसके अनुसार तो गोत्रों के भेद असंख्या हो जाते हैं। अर्थात सब ही अपने-अपने पुरूखों में से किसी एक का नाम लेकर अपने गोत्र का परिचय दे सकते है। ऐसा होने से तो गोत्र का नियम रखना न रखना बराबर ही हो जाता है।

लौकिक व्यवहार में भी ऐसा नहीं पाया जाता। सब ही लोग अति प्राचीन काल से चला हुआ एक ही नाम से गोत्र का परिचय देते हैं। कोई भी बदलकर दूसरा नाम नहीं कहता।

इसलिये यह कहा जा सकता है कि अभिधान के अनुसार गोत्र व्यवहार नहीं होता, अर्थात इस गौत्र शब्द से मामूली तौर से वंश या सन्तान का बोध नहीं होता।

'अपत्य पौत्र प्रभृति गोत्रम्' पाणिनि की इस परिभाषा के अनुसार जाना जाता है कि पौत्र आदि सन्तानों के नाम गोत्र है। प्राणिनि सम्मत अर्थ को स्वीकार करने पर भी पहला दोष नहीं छूटता।

इसलिये बौधायन आदि सब ही ग्रन्थकारों ने गोत्र शब्द का भिन्न पारिभाषिक: अर्थ किया है कि :—

विश्वामित्र, जमदग्नि, भरद्वाज, गौतम, अत्रि, वशिष्ठा, कश्यप, इन सप्तऋषियों तथा आठवें अगस्त्य के अपत्य से जो पुत्र पोत्रादि हुए हैं उन्हीं के गोत्र चलते हैं, अर्थात इन्हीं के नाम से उस वंश का गोत्र चलता है।

मत्स्य पुराण में १९५ से २०२ अध्याय तक गोत्र और प्रवर का निर्णय किया गया है।

बौधायन आदि सूत्रकारों ने कुछ गोत्रगण और प्रवरगण का निरूपण किया है। इस प्रकार गोत्रों की संख्या असंख्य हो गई है।

वर्तमान में प्रचलित गोत्र और प्रवरों के नाम ३८ प्रकार के हैं। उनमें से कुछ ये हैं :

गोत्र	प्रवर
शांडित्य	शांडिल्य असित, देवल
वात्स्य	और्व, च्यवन, भार्गव जामदग्नव,
सावर्ण	और आद्रुवत्

ब्राह्मण ऋषि ही गोत्र के प्रवर्तक हैं। इनके वंश के लोगों के गोत्र उन्हीं के नाम से चलते हैं। क्षत्रिय आदि अन्यान्य वर्णों के लिये यह बात असंभवजान पड़ती है। उनके गोत्र उन्हीं के पुरोहित के नाम से चलते हैं। अतिप्राचीन समय में या गोत्र के नियम बनने के बाद ही जिन पुरोहितों के नाम से जितने गोत्र का परिचय था; वर्तमान में उनके वंशधर भी उसी गोत्र का नाम लेते हैं। हाल के पुरोहितों से कोई भी अपने गोत्र का परिचय नहीं देता।

अध्याय—५

परिचय : मूल

अध्याय—५

परिचय : मूल

इनका मूल दिघवैंत है। इसे दिघवै भी कहा जाता है। अपने देशाचार, लोकाचार, कुलाचार की परम्परा को कायम रखने की चिन्ता में अपने मूल स्थान का नाम अपने साथ लेते चलने की परिपाटी प्रायः सभी लोगों में है।

भूमिहारों के प्रचलित विश्वास के अनुसार सामाजिक कुलीनता की गणना में तीन प्रथम श्रेणी में, १३ द्वितीय श्रेणी में तथा शेष सभी तृतीय श्रेणी में रखेगये थे। ये सभी नाम मूल निवासके अनुसार ही मालूम होते है।

प्रथम श्रेणी :

१. चक्रवार	गढ़ या राजधानी चाक, शांभो
२. शोण भद्र	शोण की तराई में
३. जलेवार	मंझौल

द्वितीय श्रेणी :

१. एक सरीया : चैनपुर, ब्रगौरा, छितौली, परसा।
२. जेथरिया : सांढ़ा, वैतिया मधुबन, शिवहर।
३. मनछीया : हथुआ, माधी।
४. वौडीहा : घटारू, दीघी।
५. दिघवैत : दिघवा, वतरा, माउर।
६. गौतम : काशी नवलागढ़।
७. द्रोणवार : नरहन।
८. घौरानी : सरमेरा, शम्या।
९. जाजी (याज्ञिक) : वेलछी, तुलसी।
१०. पिलीछवार : नरारी।
११. सावरनीयां : अजमां, अमहरा,।
१२. डोमकटार : टेकारी।
१३. अथर्व : भरतपुरा।

एक और उल्लेखनीय बात है जो गोत्र संबंधी समस्या को उलझन में डाल देती है। प्रथा के अनुसार तथा शास्त्रों के वचनानुसार स्गोत्र-संबंध वर्जित है। परन्तु शांडिल्य गोत्रीय कुछ भूमिहारों से बडहिया का संबंध प्राचीन काल से चला आता है। जैसे बेलछी, तुलसी, दहाउर ईत्यादि। परन्तु शांडिल्य गोत्रीय होते हुए भी वे दिघवैत नहीं हैं। वे अपने को जाजी (याज्ञिक) कहते हैं। यह केवल मूल का ही अन्तर है या और कुछ?

यों तो शांडिल्य गोत्रीय अन्यान्य जातियों में भी पाए जाते हैं। अवश्य ही गोत्र की उत्पत्ति जाति प्रथा के पहले हुई।

जो भी हो जाति, गोत्र, प्रवर, मूल, कुल, वंश ईत्यादि के इतिहास का मनन, अनुशीलन करने योग्य और शोधकी अपार सामग्री उपलब्ध है।

स्वामी सहजानन्द जी के भूमिहार ब्राह्मण परिचय से निम्नोक्त सूचनाएं यहां उद्धृत की जाती है:

पृष्ठ ३१४: मैथिलों में दिघवै हैं। उनका डीह या मूल दींघवा छपरा प्रान्त से है।

पृष्ठ ३११: दिघवैत मिथिला से आये हैं।

पृष्ठ १४२; दिघवै या दिघवैत छपरा से त्रिहुत में आये हैं।

१५७: प्राय: दिघवैत ठाकुर ही कहलाते हैं।

३२१: छपरा के दिघवा, स्थान में रहने के कारण छपरा, या मुजफ्फपुर और दरभंगा आदि में रहने वाले अयाचक भूमिहार ब्राह्मण दिघवै अथवा दिघवैत कहलाते हैं। इनका गोत्र शांडिल्य है।

पंडित जयनारायण शर्मा कृत दश विधि ब्राह्मण संहिता (१९५६) के उद्धहरण द्रष्टव्य हैं:

पृष्ठ २६५: दिघवैत ब्राह्मण-सरयूपारीण ब्राह्मण है। इनकी उपाधि तिवारी की है। इनका वेद सामवेद; वायी शिखा, वामपद, विष्णु देवता, कौशमी शाखा, गोमिल सूत्र तथा गन्धर्व वेद उपवेद हैं। इनका गोत्र शांडिल्य तथा शांडिल्य, असित और देवल तीन प्रवर हैं।

श्री स्कन्दपुराण के अनुसार ये दश विधि ब्राह्मण हैं।

सारस्वताः कान्यकुब्जा, गांड़ाश्चा, मैथिलोत्कूला: गौड़ पंच समाख्याता, विन्ध्यस्योत्तर वासिनः।

विन्ध्या चल के उत्तर, उत्तर भारत के निवासी पंच गौड़ कहलाने वाले पांच ब्राह्मण हैं। सारस्वत. कन्याकुब्ज, गौड़, मैथिल और उत्कल।

कर्णाटकश्च तैलंगा द्राविड़ा, महाराष्ट्रका:
गुर्जराचेति, पंचैव द्राविड़ विन्ध्य दक्षिणे।

विन्ध्याचल के दक्षिण भारत के निवासी पांच ब्राह्मण हैं।
कर्णाट की, तैलंग, द्राविड, महाराष्ट्रीय और गुर्जर।

अध्याय—६

परिचय : बंश

अध्याय—६

परिचय : वंश

शांडिल्य गोत्रीय, दिघवंत मूलधारी
बड़हिया निवासी
भूमिहार ब्राह्मणों की वंशावली :

वंशावली क्रम :

चौधरी प्राण ठाकुर

१. चौधरी गोपीनाथ ठाकुर
२. चौधरी शिव ठाकुर
३. चौधरी जीवन ठाकुर
४. चौधरी इन्द ठाकुर
५. चौधरी गौर ठाकुर
६. चौधरी श्याम ठाकुर
७. चौधरी प्रयाग ठाकुर
८. चौधरी दुखहरण ठाकुर
९. चौधरी रामचरण ठाकुर
१०. चौधरी रामसेन ठाकुर
११. चौधरी धनराज ठाकुर
१२. चौधरी दानी ठाकुर
१२/क चौधरी श्रीकंठ ठाकुर

१. इस वंशावली की प्रमाणिकता के सम्बन्ध में निवेदन है कि यह संकलनकर्त्ता इसका उत्तरदायित्व स्वीकार करने में असमर्थ है यद्यपि इसकी प्रामाणिकता में मेरा पूर्ण विश्वास है। दीर्घकालीन खोज, सैकड़ों पुराने कागज एवं सैकड़ों वंशजों के कथन के आधार पर इस वंशावली का संकलन किया गया है। मुख्यतः तीन प्राचीन अप्रकाशित वंशावलियों से मिलान कर इसका शोध किया है और उन तीनों में अन्तर नहीं पाया गया। ये प्रतियां

श्री विश्वनाथ शर्मा (इन्द), श्री शिवगोविन्द सिंह (रामचरण) एव श्री दुनमुन सिंह (रामसेन) से मिली है। इस प्रकार क्रमशः इन्द, रामचरण एवं रामसेन के इन बंशजों की सहायता से इन तीन प्राचीन बंशावलियों से मिलान करने का मौका मिला।

२. दन्त-कथाओं के अनुसार इनके पूर्वज दो भाई श्री पृथु ठाकुर एवं श्री जैजल ठाकुर ने पहले पहल इस गांव में आकर निवास लिया था। परन्तु उनसे श्रीं प्राण ठाकुर तक की बंशावली का पता नहीं मिल सका है। संभवतः उस समय अधिक सम्पत्ति नहीं थी, या उसका लेखा-जोखा नहीं रखा जाता था और संभव है कि दमामी बन्दोवस्त (Parmanant settlement) सन् १७९३ ई० के पहले भूमि संबंधी व्यवस्था लेखबद्ध कम ही रही होगी।

३. इस बंश की बारह शाखाओं में गणना की जाती है। प्रचार होते-होते बारह तरफ, बारह टोला, बारह पट्टी, बारह महाल भी कह दिया जाने लगा है। वास्तव में इन बारह पूर्व पुरुषों के नाम में दमामी वन्दोवस्त की कार्यवाही हुई हैं। इन्हीं के नाम से स्थाई प्रबंध किया गया। प्रत्येक के नाम से एक तौजी (Estate) कायम हुआ और उनकी संपत्ति उनके नाम से प्रसिद्ध हुई।

४. ये बारह, बाबा प्राण ठाकुर के बंशज थे। परन्तु, विभिन्न पीढ़ियों के। यह प्रचलित विश्वास कि ये बारह भाई थे, गलत है। नजदीकी दायाद, गोतिया, जरूर थे।

(क) गोपीनाथ, शिव और जीवन, प्राण ठाकुर की चौथी पीढ़ी में थे।

(ख) इनमें से गोपीनाथ और शिव सगे भाई थे।

(ग) इन्द, गोड़, श्याम, प्रयाग और दुखहरण उनकी पांचवीं पीढ़ी में थे। इनके पिता सगे भाई थे।

(घ) दानी, धनराज, रामचरण और रामसेन उनकी छठी पीढ़ी में हुए।

(च) इनमें से रामचरण और रामसेन सगे भाई थे। इनके पिता एवं धनराज के पिता सगे भाई थे।

(छ) इस प्रकार प्राण ठाकुर के चार पौत्रों में से एक के बंशज थे जीवन, एक के दानी, एक के शिव, और गोपीनाथ एवं चौथे के बंशज शेष आठ हुए।

(ज) घनराज और धनराज सगे भाई थे। घनराज के पुत्र नहीं थे। उनने धनराज के एक पुत्र को पौष्यपुत्र लेकर अपना बंश चलाया। इसलिए धनराज ने कृतज्ञतावश आदेश दिया कि दोनों भाई के बंशज घनराज के ही कहे जांयगे।

५. श्रीकंठ का संबंध प्राण ठाकुर से नहीं मिलता है। उपरोक्त तीन बंशावलियों में भी इनका उल्लेख नहीं मिला। कोई भी लेख प्रमाण नहीं मिला है जिससे यह धारणा पुष्ट हो कि श्रीकंठ भी प्राण ठाकुर के बंशज थे। मौजूदा १२ पट्टी में श्याम की गिनती नहीं होती, पर श्रीकंठ की होती है। श्याम की कोई जायदाद कायम नहीं हुई और न तौजी। संभव है कि श्री हेला ठाकुर के बंशजों की तरह दानी के भाईयों की तरह या

श्री रामठाकुर के वंशजों की तरह श्याम भी अपनी जायदाद मिल्कियत कायम नहीं कर सके हों। इनके वंशज अभी प्रयाग के साथ अपना परिचय देते हैं। तरफ श्याम नहीं कहते और नहीं लिखते हैं।

अन्य ग्यारह मालिकों की तरह श्रीकंठ की संपत्ति भी दमामी वन्दोवस्ती के समय से ही है। इनका तौजी न० १९ है। इनके संबंध में एक किंवदन्ती है जिसे इनके वंशज अस्वीकार करते हैं।

बड़ी गरीबी हालत में स्वयं श्रीकंठ या उनके कोई पूर्वज नाव का गुण (डोरी) खींचते हुए बड़हिया आये थे। और ऐसा कहकर परिचय दिया कि वह भी बड़हिया के ही निवासी के वंशज हैं। मरांची काण्ड में उनके पूर्वज भाग गये थे तो उन्हें यहां रख लिया गया। श्रीकंठ के वंशजों के अतिरिक्त अन्य कोई इसे अस्वीकार करते भी नहीं मिले। परन्तु इनका भी तौजी, महाल, तरफ अलग जरूर है। इनके वंशज सभी एकत्र गांव के बाहर उत्तर छोर पर बसे हुए हैं। इनके वंशज सभी एकत्र गांव के बाहर उत्तर छोर पर बसे हुए हैं। इनके खेत भी प्रायः सब बड़हिया टाल के उत्तर ही छोर पर कोनी टाल में स्थित हैं। ये भी अपने को शांडिल्य गोत्रीय दिघवैत इसी वंश के बतलाते हैं। अतएव उनकी वंशावली भी दी जाती है। इनके अतिप्राचीन समय से बड़हिया के निवासी होने और अन्य मालिकों की तरह स्वतन्त्र रूप से भिन्न सम्पत्ति रखते रहने में तो कोई सन्देह नहीं है।

६. उपरोक्त बारह पुरुषों में से श्याम के कुछ वंशधर अवश्य हैं परन्तु उनका अलग तौजी कायम नहीं हुआ था और न उनकी अलग संपत्ति का पता चलता है। इनकी संख्या अत्यल्प है। यह भी एक कारण रहा होगा कि क्यों वे अलग वन्दोवस्त नहीं ले सके थे।

७. उपरोक्त बारह पुरुषों में से एक जीवन का वंश नहीं चला। यद्यपि उनका तौजी, महाल, अलग कायम हुआ था।

८. इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे परिवार भी हैं जिनका उल्लेख इस वंशावली में नहीं है और उनका संबंध इस वंश से सिद्ध नहीं होता। पर वे भी अपने को इसी वंश के बतलाते हैं और काफी पुराने समय से बसे हुए हैं।

अवश्य ही जीविका उपार्जन के क्रम में आकर यहां बस गये होंगे और इस प्रकार घुलमिल गये होंगे कि अपना पृथक अस्तित्व भूल बैठे। कुछ इसी वंश की प्रथा के अनुसार वे भी अपना परिचय अपने पूर्व पुरुष के नाम पर देते हैं यथा :

क. इन्द के साथ : राघो, मोहन, पर्वत
ख. दानी के साथ : मनोहर
ग. धनराज के साथ : जोधा
घ. रामचरण के साथ : खूरत, महराय, महेन्द्र

९. कुछ ऐसे परिवार भी हैं जो कालचक्र से प्रेरित होकर अपने संबंधियों के आश्रय में आकर यहां बस गये हैं। उनका अपना सामाजिक अस्तित्व पृथक बना हुआ है। यथा सावर्णिया, वछगोतिया, कश्यप, मौऊआर, गौतम आदि।

१०. चेष्टा अवश्य की गई है कि यह वंशावली अद्यावतन पूर्ण हो जाय और कोई गलती नहीं हो। परन्तु अपूर्ण होते हुए भी वर्तमान पीढ़ी के उपर तक अवश्य पहुंच गई है और वर्तमान पीढ़ी को अपने पूर्वजों का परिचय जान लेने में कठिनाई नहीं होगी।

११. वंशावली उपरोक्त बारह पूर्व पुरुषों के वंश के अनुसार दी जाती हैं, जो इस गांव के मालिक, जमीन्दार एवं निर्माता रहे हैं। परिचय तथा उल्लेख की सुविधा के लिये प्रत्येक व्यक्ति का क्रमांक दिया गया है।

१२. इस वंशावली में करीब १५, १६ पीढ़ियों का समावेश हो गया है। इतिहास एवं पुरातत्व के मान्य सिद्धान्त के अनुसार यदि २०, २५ वर्ष एक पीढ़ी का समय माना जाय तो ४ सौ वर्षों तक की यह वंशावली समझी जानी चाहिए। यह सन्तोष और गौरव की वात है कि इस विशाल वंश की इतनी प्राचीन वंशावली प्राप्त है। साक्षारता तथा संपत्ति के कारण ही यह संभव हुआ।

१३. कहा जाता है कि वंश के बीज पुरुष श्री पृथु ठाकुर हुए। और उनके साथ ही यहां आकर उनके सगे भाई जैजल ठाकुर ने पुरोहित कर्म का जिम्मा लिया था। इस जैजल ठाकुर की वंशावली का उल्लेख भी उचित था। परन्तु खेद है कि प्रयत्न के वावजूद भी मैं उसे उपलब्ध नहीं कर सका।

१४. इस वंशावली से स्पष्ट पता चलता है कि यह आम ख्याल कि वारह पट्टी के वारह संस्थापक सभी वारह भाई थे और वे ही वड़ही के वसाने वाले हैं जिस कारण इसका नाम वड़ही पड़ा; यह गलत है।

इस वंशावली के अध्ययन से एक अन्य प्रचलित विश्वास का भी खंडन होता है। समझा जाता है कि इन्द, दानी, शिव और गोपीनाथ नजदीकी हैं एवं शेष आठ आपस में निकट हैं। दलबंदियां भी इस प्रकार चार तरफ बनाम आठ तरफ की चलती रहती हैं। शायद दलबंदियां इसी प्रकार निराधार होती ही है।

१५. वंशावली के अनुसार जीवन निर्वंश मरे। उन दिनों वंश एवं पुत्र का सर्वोपरि महत्व था।

दन्त कथा है कि जीवन अति वलवान एवं आततायी थे। परिवार के व्यक्तियों को भी सताते थे। गांव में वासभूमि उनने सर्वाधिक दखल कर रखी थी। इनके अत्याचार से उबकर इनके परिवार वालों ने इनके अन्त करने का निश्चय कर लिया।

एक दिन जीवन अपने तीसी अनाज को खाद (गड़हे) में रख रहे थे। अनाज भूसा के नीचे उपर वन्दकर रखे जाते थे। कुछ अभी भी रखते हैं। लोगों ने जीवन पहलवान को ललकारा कि वह खाद में तीसी पर कूद पड़े और उछल कर उपर आ जाय तो उनकी वहादुरी मान ली जायगी। आवेश में वह कूद ही पड़े। तीसी का नाम ही चिकना है। चिकनाहट के कारण उस पर खड़ा होना या चलना संभव नहीं होता है।

जबतक जीवन इस चिकने पर अपने फिसलते हुए पैरों को संभाल कर वाहर आने की कोशिश कर सके; लोगों ने जल्दी-जल्दी ऊपर से मिट्टी डालकर उन्हें जिन्दा ही गाड़ दिया। जीवन अपनी शान में कहा करते थे "जीवन है जहाज; और सब डोंगीं।"

यह शान तो क्रूर कपट ने मिट्टी में मिला दी। पता नहीं कि वह अविवाहित थे या विधवा छोड़ गये। परन्तु चले गये निसंतान ।

क्रोध या घृणा, जिस कारण भी यह घटना हुई, घटना थी अशुभ एवं सोचनीय । इस कारण जीवन की जमीन पर अपना निवास रखना अभी तक मनहूस समझा जा रहा है और अपने नौकर चाकर पशु तक को भी वहां रहने नहीं देते हैं ।

इनकी जायदाद वाद में "मोशारक्त फैज उल्लाह" के नाम से मशहूर हुयी । किन्तु इसके इतिहास का ठीक पता नहीं चलता ।

१६. एक पुराने दस्तावेज से साबित होता है कि इन्द चौधरी सन् १६१२ ई० में जीवित थे। इस वंशावली की अन्य पीढ़ियों के समय का अनुमान इसके आधार पर किया जा सकता है। इससे प्रमाणित होता है कि दमामी वन्दोवस्ती के वहुत पहले ही इन्द थे। और उनके नाम से तौजी कायम हो गया था इससे यह प्रचलित विश्वास भी कि दमामी वन्दोवस्त १७९३ ई० के वाद जिन वारह पुरुषों के नाम से लिया गया था। वे स्वयं भी उस समय जीवित थे, वल्कि प्रमाणित होता है कि उन्हीं के नाम पर उनके वंशजों ने लिया था, और उनका नाम जारी रखा। सम्भवतः इस कारण कि तत्कालीन हिस्सेदारों के बीज पुरुष वे ही सब रहे होंगे ।

(इन वंशावलियों के वंश वृक्ष इस पुस्तक के अन्त में देखें)।

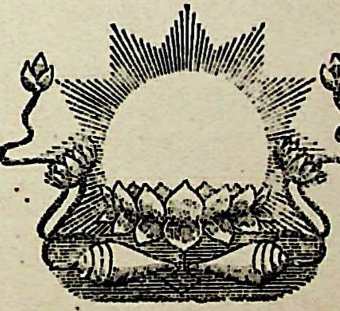

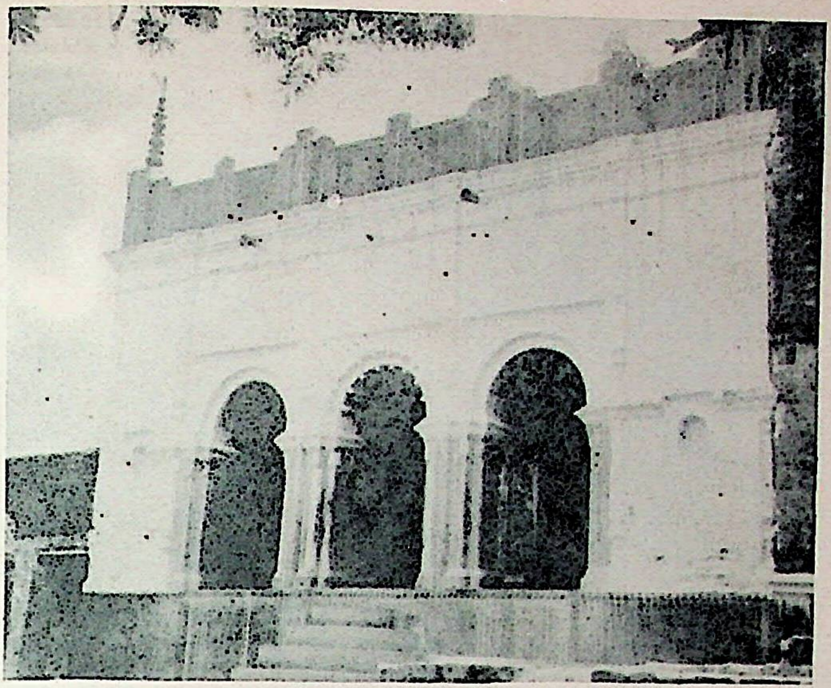

श्री जगदम्बा स्थान — एकान्त साधना-स्थल

श्री जगदम्बा स्थान — भक्तों की भीड़

अध्याय—७

परिचय : धर्म-साधना

अध्याय—७

धर्म-साधना।

मैथिल होने के नाते यह परिवार भी शाक्त था, इसमें सन्देह नहीं है। जगज्जननी माँ जगदम्बा इनकी इष्टदेवी थीं और अभी भी हैं। इनका कोई भी शुभ-कर्म, पुण्य-कर्म, संस्कार-कर्म, जगदम्बा-पूजन के बिना पूर्ण नहीं होता। जगदम्बा-पूजन अनिवार्य है।

माँ जगदम्बा सात बहनें हैं। स्थानीय जगदम्बा स्थान में ये सभी बहनें प्रतिष्ठित हैं।

इनकी कोई प्रतिमा नहीं है। केवल ५ मृतिका पिंड हैं। प्रत्येक की लम्बाई और ऊँचाई एक समान है परन्तु चौड़ाई भिन्न है।

धरती से एक मंजिल ऊँचे करीब १६ फीट पर ये स्थापित हैं। सभी पिंड एक ही बड़े कमरे में स्थापित हैं। अवश्य ही गंगाधारा के तट पर स्थापित किये जाने के कारण इतनी ऊँचाई पर इनकी स्थापना हुई होगी।

प्रतिमा या मूर्तिकला का प्रारंभिक रूप था देवी-देवताओं का पिंड रूप में या स्तंभ रूप में पूजन जैसा अभी भी आदिवासी और हरिजन बस्तियों में पाया जाता है। अवश्य ही जगदम्बा जी की स्थापना इतनी प्राचीन नहीं है कि मूर्तिकला के अविष्कार के पहले की कही जाय। संभव यह है, उस समय मूर्तिकला का प्रचार एवं विकास सुदूर गांवों एवं अपढ़ ग्रामीणों तक नहीं पहुँचा होगा।

इन सात बहनों की प्राण प्रतिष्ठा पृथक सात पिंडों में नहीं की जाकर ५ पिण्डों में की गई है, इसका भी कोई कारण रहा ही होगा। प्रतिष्ठाता श्रीधर ठाकुर जी के किसी विश्वास विशेष के कारण ही हुआ होगा, या किसी अन्य प्रचलित प्रथा या विश्वास के कारण।

जन्म, मुंडन, उपनयन, विवाह, कन्यादान सभी शुभ अवसरों पर इनका पूजन अनिवार्य है। किसी रोग, मोकदमा या संकट से त्राण पाने के लिये भी इनकी पूजा बहुधा होती है। वर्ष में एक बार ग्राम पूजा इस परिवार के चन्दे से अवश्य की जाती है। विशेष संकट, अनावृष्टि, अकाल या महामारी जैसे मौके पर सहस्र

चंडीपाठ ई० विशेप पूजा का आयोजन गांवभर की ओर से होता है। दूध, जल, फूल, मिठाई, पकवान, इत्र, सेन्दु से पूजा होती है। रंगीन कागज और खखरी के मुकुट, झांप चढ़ाए जाते हैं। सोने-चांदी के झांप भी अर्पि होते हैं।

इनका पुजारी एक धानुक परिवार है। पूजा के चढ़ौवा की आमदनी वही पाता है। पूजा स्व कीजिए या अपने पुरोहितों के मार्फत या किसी कर्मकांडी ब्राह्मण के द्वारा।

सांप बिच्छु के विष के शमन के लिये प्रायः लोग आते रहते हैं। इसके आंगन में एक पशु बधस्थल है। काठ का टिकठी बना हुआ है। वहां की भूमि बकरों के बलि प्रदान से रक्त रंजित रहती है। परन्तु वर्ष प्रतिव यह पशुवध कमता जाता है।

इष्टदेवी जगम्बा इस गांव के प्राणों में बसी हुई है। संस्थाओं का नामकरण इनके नामपर होता है। प्रत्येक मंगल कृत्य में इनकी पूजा होती है। स्तुति होती है, इनके गीत गाए जाते हैं। होली के गीत इनकी स्तुति में गाये जाते हैं। स्थानीय कवि इनके गीत लिखते हैं कोई भी नया कार्यारम्भ करने के पहले उनका स्मरण किया जाना स्वाभाविक है। गाय का बच्चा जन्मे तो पहले दूध इन्हें पहुंचाया जाता है।

'बड़का पोखर' के पास 'सान्तातर' स्थान पर एक प्राचीन काली स्थान भी था। उनका अब पता नही है। टाल क्षेत्र की राजधानी पाली में वटवृक्ष के नीचे एक परमेश्वरी स्थान है। यह परमेश्वरी देवी भी प्राचीन समय से अधिष्ठित हैं। दरौक टाल के डीहपर एक काल भद्रेश्वर की प्रतिमा स्थापित थी। ऐसा कहा जाता है, इसका भी अब पता नहीं है। कमरपुर टाल में ज्वालामुखी देवी विराजती थीं, इनका भी कोई अवशेष नहीं है।

ऐसा माना जाता है कि उपरोक्त देवियों की स्थापना श्रीधर ठाकुर ने ही की और कराई थी। किसी कारण वह स्वयं लापता हो गये तो १४ चौदह वर्ष की प्रतीक्षा के पश्चात उनका श्राद्धकर्म कर दिया गया।

जगदम्बा स्थान के इन पांच पिण्डों में किसी क्रम से कौन देवी अधिष्ठित हैं इसकी सूचना नहीं मिलती। परन्तु एक वर्त्तमान पंडित जी ने मुझे बतलाया कि दक्षिण से उत्तर ओर क्रमशः त्रिपुरा, कालिका, तारा, भवानी दुर्गा, लक्ष्मी, एवं सरस्वती विराजती हैं। परन्तु लक्ष्मी और सरस्वती इस शाक्त कुल और तन्त्र मत की देवियां नहीं हैं। ये दोनों वैष्णव कुल की हैं। सम्भव है प्रारम्भ में पूर्वोक्त पांच शाक्त देवियां ही पांच पिण्डो में प्रतिष्ठित थीं। वैष्णव धर्म के जोर पकड़ने पर इन दो देवियों को भी स्थान दे दिया गया।

दुर्गा सप्तशती, देवी - भागवत, कालिका-पुराण, मार्कण्डेय पुराण, चण्डी-पाठ ईत्यादि स्तोत्र ग्रंथों का पाठ यहां करने की प्रथा है।

जगदम्बा, परमेश्वरी, काली ज्वालामुखी, कालभद्रेश्वर ई० की पूजा स्पष्ट ही प्रमाण है कि स्थानीय लाग शाक्त थे और तन्त्र से प्रभावित थे । वह भी उनके मैथिल होने का प्रमाण है ।

त्रिपुर रहस्य : तन्त्र आगम का मान्य ग्रन्थ है । इनके अनुसार विश्व की आद्यशक्ति महात्रिपुर सुन्दरी हैं जो श्री ललिता, कामेश्वरी आदि नामों से जानी जाती हैं । इनके १०८ नामों का मंत्र देते समय प्रारंभ में कामेश्वरी नाम लिया जाता है ।

इनका निवास मूलतः मणिद्वीप है । मणिद्वीप कोई (coral Islanl) मूंगों का द्वीप था या आसाम का मणिपुर ? इनके चार प्रधान पीठ स्थापित हुए :

श्रीपुर : मेरू के शिखर पर
कामगिरी : पूर्व सागर तट पर
पूर्णागिरी : पश्चिमी सागर तट पर
तथा जालंधर पीठ

महात्रिपुर सुन्दरी कामेश्वरी : कामाख्या का एक रूप है । कालिका पुराण में कामाख्या और त्रिपुर को एक ही बताया गया है । यह त्रिपुरा, त्रिपुरबाला, त्रिपुर-सुन्दरी एवं त्रिपुर-भैरवी इन तीनों रूपों की सामूहिक संज्ञा है ।

योगिनी तन्त्र कहता है कि : त्रिपुरा देवता यस्य, कामाख्यास्य गणाम्बिकें ।
एता मंडल संस्थाश्च देव्यः शक्तिसमन्विताः ॥

कुछ प्रमाणों के अनुसार त्रिपुर सुन्दरी की पूजा तीन प्रकार से की जा सकती है । ध्यान, चक्रपूजा, श्री तत्व का चिन्तन ।

काम कला ही श्री है । उसे ही 'परा' 'भट्टारिका' त्रिपुर सुन्दरी, 'ललिता', आदि नाम से जानना चाहिए ।

यह 'परम शिव' के अंक में विलास करती हैं । षोड़शी की अवस्था में शिव से भी उपर उठती हैं और उनकी भी स्वामिनी हैं । इनका निवास मणिद्वीप एवं श्रीपुर में है ।

इस श्री को जिस चक्र के द्वारा व्यक्त करते है वह श्री चक्र है । श्री चक्र में त्रिपुर सुन्दरी का सतत् निवास है । त्रिपुर सुन्दरी के इतने नाम बताए जाते हैं : त्रिपुरा, त्रिपुरेशी, त्रिपुर-सुन्दरी, त्रिपुरवासिनी, त्रिपुर-श्री, त्रिपुर-मालिनी, त्रिपुर सिद्धा, त्रिपुर अम्बा, महात्रिपुर-सुन्दरी ।

तन्त्र मत के बामाचार के अनुसार पंच-मकार से साधना करने की विधि है । परन्तु वैष्णव प्रभाव से दक्षिणानुसार साधना के पांच पदार्थ उनके स्थान पर बतलाए गए हैं । यथा :

बामाचार	दक्षिणाचार
मदिरा	गूंड़, अदरक का रस
मांस	नमक

मुद्रा : चावल का भूंजा, धान का लावा ।
मिथुन : श्री चक्र पर फूल का अर्पण
मत्स्य : अदरक,

देवी के बारह रूपों के बारह स्थान हैं :

कांची	कामाक्षी
बाराणसी	विशालाक्षी
प्रयाग	ललिता
बिन्ध्याचल	विन्ध्यवासिनी
मालवा	काली
करवीर	महालक्ष्मी
केरल	कुमारी
बंगाल	सुन्दरी
गया	मंगला
नेपाल	गुह्येश्वरी
मलय	भ्रामरी
गुजरात	अम्बिका

तन्त्र मत, शाक्त मत, बामाचार एक स्वतन्त्र एवं बृहत विषय है । उसकी चर्चा हमारा विषय नहीं है और न उसमें मेरा प्रवेश ही है । केवल अपनी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की ओर संकेत कर देना ही अभीष्ट है ।

दुर्गापूजा :

दुर्गापूजा भी यहाँ प्राचीन समय से और काफी धूम-धाम से मनाई जाती है । चार, पांच प्रतिमाएं बनती हैं । उनके विसर्जन का अच्छा जुलूस निकलता है । नये वस्त्र पहनकर लोग विसर्जन करने एवं नीलकंठ पक्षी का दर्शन करने घूमते रहते हैं । नये वस्त्र पहनकर आपस में मिलना-जुलना, बच्चों को पैसे, मिठाई और वस्त्र देना, निकट मित्रों या संबंधियों के बच्चों को पैसे वस्त्र, मिठाई देकर, प्यार करना एवं जयन्ती जौ के अंकुर से आशीर्वाद देने वाले ब्राह्मणों को दक्षिणा देना, इस समारोह के मुख्य अंग हैं । जमीन्दारी छिनने के पहले बाबूलोग अपने पैमाने पर तौजी करते थे । असामी रुपये देते, प्रणाम करते और मालिक के हाथ लड्डू पाते थे ।

मीन-मांस का भक्षण बहुत काफी मात्रा में था । प्राण ठाकुर को हल्हर नदी मछली खाने ही मिली थी। हल्हर की रेहू मछली सुस्वाद और पौष्टिक तत्व के लिये दूर-दूर तक विख्यात है । इतनी अधिक जनसंख्या का एक कारण यह मीनभक्षण भी रहा होगा ।

तन्त्रमत का कुछ प्रभाव का पता चलता है । श्मशान पूजा ई० करने वाले कुछ सज्जनों के नाम लिये जाते हैं । स्थानीय जनता के शाक्त होन के प्रमाण में ये बातें पेश की जाती हैं ।

नाग पंचमी :

श्रावण कृष्ण पंचमी के दिन नागपंचमी पर्व मनाया जाता है। घरों को लीप कर नीम के पत्ते और टहनियों से सजाया जाता है। सर्प देवता के लिये दूध और धान के लावा, थालियों में रख दिये जाते हैं। कटहल उस दिन का विशेष भोजन है। जगदम्बा जी के ठीक पछिमं निकट ही में एक छोटा सा नाग बस्ती-स्थान नामक छोटा सा मन्दिर है। मन्दिर तो नया है; परन्तु, यह देव स्थल प्राचीन है। नागपूजा का यही एक स्थल यहां है। परन्तु अधिकतः शुद्र जाति के लोग ही यहां पूजा करने आते हैं। अपने विवाह ई० के अवसर पर वे पूजा करते हैं।

सर्प या नागपूजा पृथ्वी के अनेकानेक देशों एवं जातियों में अति प्राचीन काल से प्रचलित है। इनका कुछ तो प्रभाव यहां होना ही चाहिए। भाद्र-कृष्ण चतुर्दशी के दिन कुछ लोग अनन्त शेषनाग की पूजा कर बांहों में अनन्त बाँधते हैं।

गणेश चतुर्थी

बच्चों की पाठशालाओं, पिण्डों पर भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन गणेश चौथ या चकचन्दा का पर्व होता है। गृहस्थों के घर उस रात में चन्द्रमा की पूजा होती है। पर गणेश पूजन किसी घर आंगन या मन्दिर में नहीं देखा जाता। रात में वर्ष भर के कलंक से मुक्त रहने के पवित्र उद्देश्य से पड़ोसियों के घरों पर ढेले फेंक कर उनकी गालियां लोग प्रसन्नता पूर्वक सुनते हैं। चन्द्रोदय के समय चन्द्रमा को अर्घ्य-प्रदान होता है।

लेकिन बाजार में एक गणेशचौक है। वहां गणेश की बड़ी और सुन्दर प्रतिमा बनती है, जुलूस निकलता है एवं सार्वजनिक तौर से पूजन होता है। इस समारोह का प्रारंभ ५०-६० वर्ष से अधिक प्राचीन नहीं है। अवश्य ही यह किसी प्रकार के महाराष्ट्रीय प्रभाव का चिन्ह है जहां गणेश-पूजा का प्रमुख स्थान है। यों तो प्रत्येक मंगल कार्य में पंच-देवपूजा के समय श्री गणेशाय नमः होता ही है। सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहे गणेश। पांचो मिलि रक्षा करें, ब्रह्मा, विष्णु, महेश।

दीपावली :

लक्ष्मीपूजन एवं दीपों का समारोह दिवाली के दिन सार्वजनिक तौर से भी और घर-घर में मनाया जाता है। सड़कों पर गलियों में बच्चे हुक्कापाती खेलते। आग जलाकर, या कपड़े का मशाल जलाकर भी खेलते हैं।

हुक्कापाती खेल; भेल बिहान।

छठ

कार्तिक छठ में सूर्य के अर्घ्य प्रदान तो प्रत्येक परिवार के लिये अनिवार्य सा है। असराफ या प्रतिष्ठित घरों के व्रत तो आंगन में ही हो जाते हैं। साधारण घरों की महिलाएँ पोखर पर जाती हैं, जहां दोनों वेला काफी मेला लगता है और गुड्डी तिलंगी उड़ाने एवं लड़ाने का समारोह जमता है।

होली :

होली यहां बड़े जोर और शोर के साथ खेली जाती है। होली की हुल्लड़बाजी शायद स्थानीय प्रतिभा के अनुकूल पड़ती है। दो-तीन सप्ताह पहले से भांग का सेवन और रात में चार पांच घंटे तक घूम-घूम कर भजन,

फाग, गालियां, मजाक का कार्यक्रम 'होलैया' लोग टोलियों में पूरा करते चलते हैं। फाल्गुन पूर्णमासी की रात संवत् जलाते और चैत्र प्रतिपदा के दिन द्रोपहर तक कादो, कीचड़, धूल से एवं सन्ध्या समय रंग-अबीर की हो करते हैं।

भांग भोजन, भजन, कीर्त्तन, संगीत, नृत्य, हंसी-मजाक, गाली ये सब समारोह के मुख्य अंग हैं।

अन्य व्रत उत्सव रामनवमी, श्री कृष्णाष्टमी, शिवरात्रि, एकादशी व्यक्तिगत तौर से लोग मनाते हैं। रवि को नमक नहीं खाना या उपवास करना प्रचलित है।

स्थानीय मन्दिरों में सभी उत्सवों के अतिरिक्त अन्नकूट एवं झूलन के उत्सव विशेष रुप से किये जाते हैं। झूलन में संगीत का विशेष आयोजन काफी खर्च से किया जाता है।

शिव जगदम्बा, वैद्यनाथ एवं सत्यनारायण की पूजा प्रत्येक अवसर पर प्रत्येक परिवार प्रायः अनिवार्य रू से करता है।

विशिष्टा द्वैत वैष्णव संप्रदाय में स्वामी रामानन्द द्वारा प्रतिस्थापित श्री राम एवं द्वैताद्वैत वैष्णव सम्प्रदा के पुष्टिमार्गी स्वामी वल्लभाचार्य के द्वारा प्रतिष्ठित श्री कृष्ण जी, उत्तर भारत के हिन्दी प्रदेशों में तुलसीदास जी एवं सूरदास जी ई० के सहारे देवमंडली में सर्वोच्च स्थान पर पदासीन हो गये। श्री राम भक्ति का मुख्यालय अयोध्या में स्थापित हुआ और श्री कृष्ण भक्ति का मयुरा वृन्दावन में। इस भक्ति मार्ग के आन्दोलन की उत्पत्ति छः सौ वर्ष पूर्व तक की मानीं जाती है। इस आन्दोलन की लहरें भी धीरे-धीरे समय पर बड़हिया तक पहुंची और जन-जीवन को एवं उनके हृदय और मानस को छूकर बशीभूत करने लगी। शाक्त जीवन की एकरसता, बीभत्सता एवं रहस्य-पूर्णता से उबी हुई स्थानीय जनता भी रामकृष्ण भक्ति की ओर आकृष्ट होने लगी। प्रतिमा पूजन, भक्ति, भजन, रागभोग, संकीर्तन, अहिंसक वैष्णव भोजन, तिलकचन्दन, ई० को अपनाया गया और स्थानीय जनता का अधिककाधिक भाग वैष्णव हो गया। वैष्णव धर्म का आक्रमण कब हुआ ठीक-ठीक कहना कठिन है होगा। किन्तु रामकृष्ण के वहुसंख्यक मन्दिर १००/२०० वर्ष तक पुराने हैं। सम्पन्न परिवारों में रामायण, सुख सागर, प्रेम सागर, भागवत, एवं गीता ई० की हस्त लिखित प्रतियां भी इतनी ही पुरानी मिलती हैं। अतएव अनुमान होता है कि १५० वर्ष पहले तो अवश्य ही वैष्णव प्रभाव परिपुष्ट हो चुका था। स्थानीय मन्दिरों की यथा संभव सूची प्रस्तुत है :

१. शखा जी का मन्दिर : स्थापक :—श्याम सखा जी
प्रमुख देवता : नृत्य राघव जी।

नाचते हुए रामचन्द्र : यह एक असाधारण प्रतिमा इस माने में है कि रामचन्द्र को नाचते हुए रखा गया है। रामभक्ति की मधुर उपासना का प्रत्यक्ष प्रभाव इससे परिलक्षित होता है। उनके स्थान पर ही एक बहुमूल्य सुन्दर मन्दिर का निर्माण कर करीब साठ वीघा भूमि समर्पण कर इसका प्रबंध एक न्यास पर्षद के अधीन श्री रामाश्रय बाबू ने कर दिया है। १०/१२ वीघा और भी अन्य भक्तों के दिये हुए हैं। इस मन्दिर के साथ एक अखाड़ा, पुस्तकालय और संतशाला भी है। देवघर में—

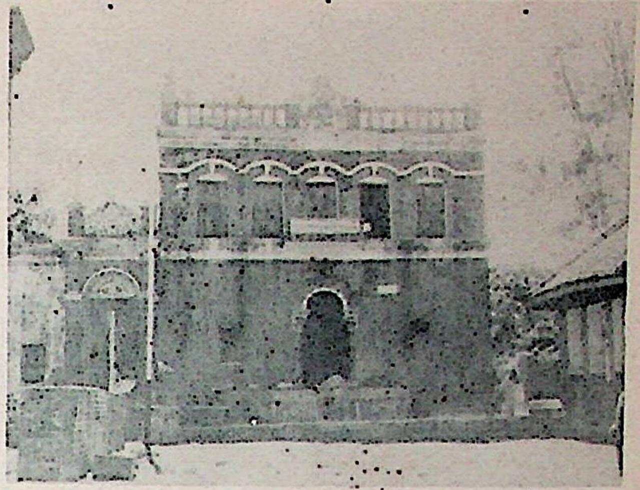

श्री श्याम सखा जी-मंदिर—भक्त की अखंड साधना का प्रतीक

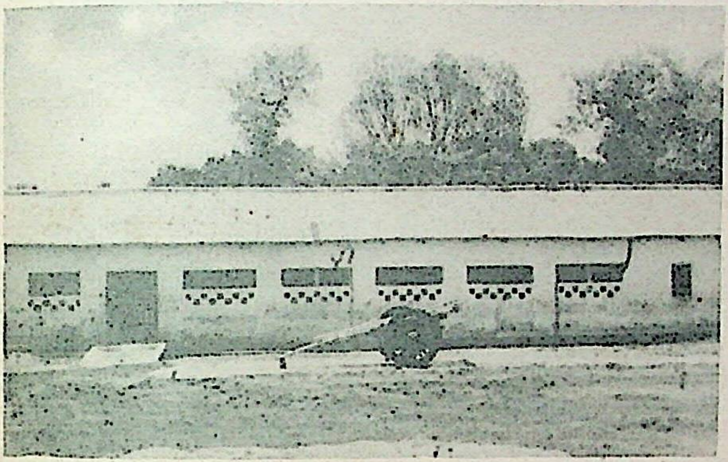

स्वर्गीय श्री रामाश्रय गोशाला

स्वर्गीय श्री रामाश्रय पशु कल्याण केन्द्र

रामाश्रय वावू द्वारा स्थापित शंकर धर्मशाला एवं अयोध्या का सद्गुरूसदन का प्रबंध भी इसी धर्मादाय के अधीन है।

२. **श्री लछुमन दास जी का मन्दिर :** बावू रामधन सिंह रामचरण के द्वारा स्थापित। १२५ बीघा भूमि भी उन्हीं की अर्पित हैं। उपरोक्त नाम उनके स्वर्गीय महन्थ का था। अब प्रबन्ध एक न्यास पर्षद के अधीन है।

३. **नैका ठाकुरबाड़ी :** वावू रामलाल सिंह, वावू लघू सिंह रामसेन द्वारा स्थापित और १२ बीघा उन्हीं के द्वारा अर्पित। मन्दिर भग्नदशा में है। राग भोग सेवा भी उचित रूप में नहीं चलता है।

४. **रामावतार बाबू का मन्दिर :** स्व० रामावतार प्र० सिंह की धर्मपत्नी श्री मती मन्नका देवी रामसेन द्वारा स्थापित। भूमि ३८ बीघा समर्पित है। मंदिर का काम अभी पूरा नहीं हुआ हैं। और इस पर वे ६० हजार रुपया खर्च कर चुकी हैं।

५. **श्री राधा मोहन जी :** वावू प्रदीप नारायण सिंह घनराज द्वारा स्थापित १२ बीघा भूमि समस्त घनराज परिवार का समर्पित।

प्रमुख देवता, राधाकृष्ण : इस मंदिर के साथ एक अखाड़ा भी है। जिसके उस्ताद थे बावू देवनाथ मिह रामचण।

६. **श्री राजा जो :** यहां एक वार एक रामलीला मंडली में एक साधु राजा जनक का अभिनय किया करते थे। बस उन्हें राजा जी के ही नाम से संबोधित किया जाने लगा। उन्हीं ने इस मंदिर की स्थापना की। इसके खर्च के लिये स्थानीय श्यामदास जी के मन्दिर से ५ बीघा की आमदनी मिला करती है और यह उसी मन्दिर की एक शाखा है। इसका पुनुरूद्धार अच्छे ढंग से हाल में लाखपति सिंह के परिवार ने दान संग्रह कर के करा दिया है।

७. **महावीर जी का मन्दिर :** राय साहब टुकानाथ सिंह इन्द का स्थापित। यहां महावीर जी की एक प्रतिमा भी है अब एक न्यास पर्षद के अधीन है। हाल में इसके, नवीन भवन और बाटिका का निर्माण किया गया है।

उपरोक्त सात मन्दिर पछियारी सड़क के पश्चिम किनारे हैं।

८. **तुलसी दास जी का मन्दिर :** यह मन्दिर रेल स्टेशन के समीप हैं। तुलसीदास जी साधु द्वारा स्थापित। इनके शिष्य अयोध्या दास जी संगीतज्ञ थे। इनके शिष्य रामकृष्ण दास जी स्थानीय व्यक्ति थे। वह विद्वान एवं संगीतज्ञ हुए। काशी में मन्दिर की स्थापना की। उनके शिष्य गणपति दास थे। इस मंदिर में श्री ठाकुर नृसिंह जी महाराज की प्रतिमा भी विराजमान हैं। दानी के वंशज बावू मीतन सिंह की विधवा पत्नी भूपनो कुंवरिने २८ अघहन १३०६ तलनुसार १४-१२-१८९८ के अर्पणनामा से संपत्ति दान देकर इसकी स्थापना की। उक्त दाता के भाई तुलसी सिंह ही तुलसीदास के नाम से उसके महन्थ हुए।

इनका उपनाम राधा कृष्ण दास भी था। इनका देहान्त १३१३ अषाढ़ में हुआ था। मीतन सिंह के गोतियों ने मोकदमा भी किया था।

९. **श्री जगदीश जी का मन्दिर :** मिथिला शरण दास जी साधु द्वारा स्थापित। मुख्य देवता : श्री जगन्नाथ प्रभु। शिष्य रामचरित्र दास जी। उपरोक्त ८ एवं ९ संख्यक मंदिर स्टेशन पथ पर है।

१०. **भवानी मन्दिर :** हाल का मंदिर एक मोसमात द्वारा स्थापित। रामाश्रय पहलवान का अखाड़ा इसके साथ हैं। पछियारी सड़क के पूरब स्थित।

११. **देवादास जी का मन्दिर :** श्री चतुर्भुज सिंह (वछगोलिया) परिवार की सहायता से श्री देवादास जी द्वारा स्थापित। छोटू सिंह का अखाड़ा इसके साथ है।

१२. **ठुठुजी का ठाकुरबाड़ी :** श्री बद्रीदास जी साधु द्वारा घनराज परिवार की सहायता से स्थापित। आप महन्थ श्यामदास जी के गुरू भाई थे। इनके एक हाथ की अंगुलिया कटी हुई थीं। इस कारण इन्हें लोग ठुठुजी कहा करते थे। पहले हरगोड़ी सिंह का अखाड़ा यहां चलता था। कहा जाता हैं कि यह बद्रीदास जी पहले फौज के आदमी थे। यहां सूखा कंकड़ रीति से तम्वाकू पीने का प्रचलन इन्हीं का चलाया हुआ कहा जाता हैं। इनके लिखित हस्तग्रंथ मेरे पितामर श्री रामनाराथण सिंह जी के पास पाए गए है। उक्त ग्रंथों में आप अपना हस्ताक्षर इस तरह करते थे बद्री दास सितारिया पंजाव वाले। आप पंजावी थे और सीतार वादक थे श्री रामनारायण सिंह ने भी आप से सीतार बादन की शिक्षा ली थी और उनके पुत्र श्री सिंहेश्वर प्रसाद सिंह भी सितार वादक थे।

१३. **श्यामदास जी का मन्दिर :** पटना जिला के स्थान जलगोविन्द के निवासी साधु भक्त-माल जी द्वारा स्थापित। इनके शिष्य राजकुमार दास जी तस्य शिष्य श्याम दास जी तस्य शिष्य राम किशुन दास जी और तस्य शिष्य सुखराम दास जी वर्तमान महन्थ है। श्री महेश सिंह रामचरण के परिवार के दान और सहायता से स्थापना हुई। १२५ बीघा खेत भी उसी परिवार का अर्पित है।

पटना जिला के बाढ़ के पास जलगोविन्द स्थान के संस्थापक थे। श्री जलगोविन्द दास जी।

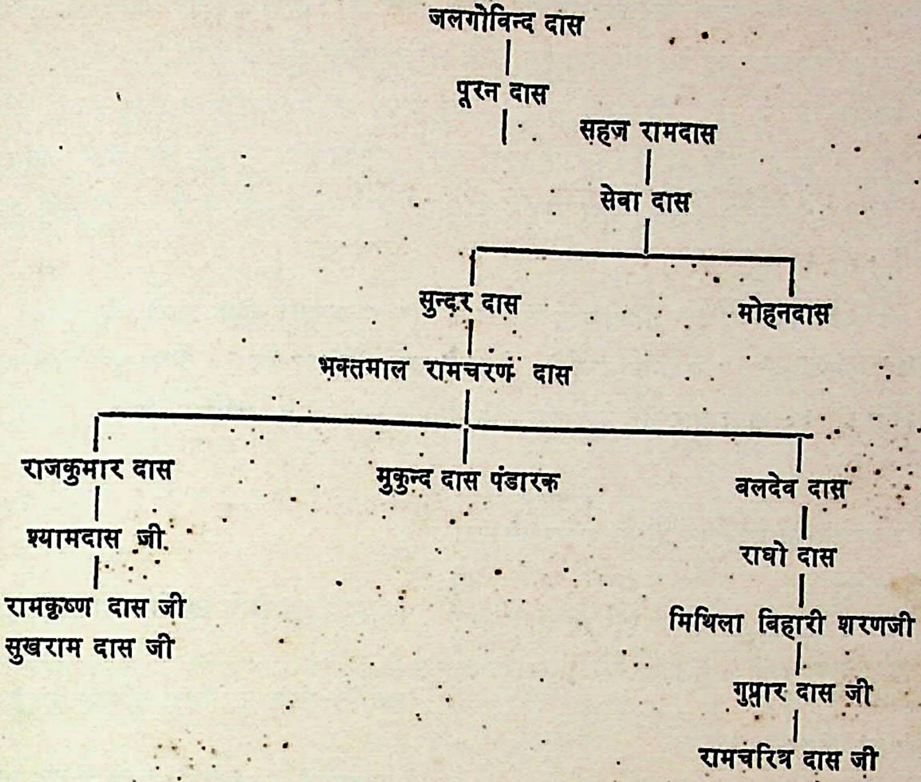
जलगोविन्द दास
पूरन दास
सहज रामदास
सेवा दास
सुन्दर दास
मोहनदास
भक्तमाल रामचरण दास
राजकुमार दास
मुकुन्द दास पंडारक
बलदेव दास
श्यामदास जी
रामकृष्ण दास जी
सुखराम दास जी
राघो दास
मिथिला बिहारी शरणजी
गुप्तार दास जी
रामचरित्र दास जी

१४. **श्री महावीर दास का मन्दिर :** दुखहरण परिवार की सहायता से महावीर दास साधु द्वारा स्थापित। इनके मन्दिर का शिखर काफी ऊँचा है। इस मन्दिर के संबंध में मोकदमे बाजी हुई थी।

१५. **पत्थर मन्दिर :** बिल्कुल पत्थर का ही बना हुआ छोटा मन्दिर है। बाबू तेजा सिंह ने इस मन्दिर की स्थापना के समय तुलादान अर्थात् अपने वजन के समान रुपये दान में दिये थे। इस मन्दिर के अधिष्ठाता हैं श्री ठाकुर युगल किशोर जी महाराज।

दानी के वंशज बाबू पोखन सिंह के पुत्र छत्रपति सिंह द्वारा स्थापित। २३-२-१९१० के अर्पण नामा के द्वारा संपत्ति दान दी गई थी। उस परिवार के महाजन ताराचन्द मारवाड़ी मोकदमा लड़े थे।

उपरोक्त १० से १५ संख्या तक के मंदिर गांव के पूरब छोर पर हैं।

१६. बाबू रघुवर नारायण सिंह, धनराज
१७. मोसमात साख—श्रीकंठ
१८. बाबू राम बक्स सिंह, धनराज
१९. बाबू कामता प्रसाद सिंह, धनराज
२०. बाबू रामावतार प्र० सिंह, धनराज
२१. बाबू रामपाल सिंह के परिवार का सालिग्राम मंदिर।
२२. दर्शन साह के परिवार

के स्थापित मंदिर गांव में हैं।

२३. **लछुमन जी का मन्दिर :** उपरोक्त श्यामदास जी के मंदिर के संस्थापक की गुरू परंपरा में एक राघोशरण जी भी हुए। राघोशरण जी के शिष्य मिथिला शरण जी इस मंदिर के निर्माता एवं स्थापक हैं। स्टेशन के समीप जगदीश जी का मंदिर भी इन्हीं का है। इस मंदिर का शिखर उँचा है और दूर से दीखता है। इनके शिष्य श्री गुप्तार दास जी एवं गुप्तार दास जी के वर्तमान शिष्य महन्थ रामचरित्र दास जी : जो एक सुयोग्य साधु और महन्थ हैं। आप प्रान्तीय साधु समाज के योग्य नेता भी हैं। साथ ही प्रवन्ध कुशल व्यक्ति हैं।

इस मंदिर की प्रतिष्ठित प्रतिमा हाथ में सोने के तीर धनुष समेत कोयालपारी खेत टाल में जमीन के नीचे से निकली थी। दानी के वावू खेदू सिंह ने उन्हें प्रतिष्ठित कर ३० वीघा खेत गोड़धोवा में दान कर दिया। ३० वीघा और खेत उक्त महन्थ मिथिला शरण जी ने उपार्जन किया। कुछ और भी प्रगति हुई है।

२४. बड़हिया वाजार का सरयूदास जी का मन्दिर भी पुराना है।

२५. गोपाल मन्दिर	माड़वाड़ी सज्जनों के स्थापित मंदिर
२६. प्रभुदयाल जी का मन्दिर	
२७. सत्यनारायण मंदिर	स्थानीय संपन्न कनोडिया परिवार का है।
२८. दत्ताजी का मन्दिर	भी बाजार ही में जागीरदारों के स्थापित किये हुए हैं
२९. विरजी महाराज का मन्दिर	

इन सभी मंदिरों के महन्थ प्राय: वैरागी साधु हैं। पुजारी साधु भी हैं और गृहस्थ ब्राह्मण भी हैं। जो साधु हैं वे सब अधिकतर इस प्रकार अपना परिचय देते हैं :

वैरागी वैष्णव श्री रामानन्दी

संप्रदाय-अनुस्वार श्री शुक्ल

पच संस्कार : माला, नाम, मंत्र, मुद्रा, तिलक

मुद्रा : धनुषवाण

परंपरा : गुरु स्थान के अनुसार।

उपरोक्त मंदिर में राधाकृष्ण या सीताराम जी की प्रतिमाएँ हैं। इनमें से कुछेक के साथ शिवालय भी है। परन्तु शिवालय के भवन पृथक एवं मुख्य मंदिर से नीचे हैं।

३०. श्री नीलकंठ महादेव	:	वाजार में	ये ही तीन स्वतन्त्र शिवालय हैं।
३१. श्री दूधनाथ महादेव	:	गांव में	३० संख्या जागीरदारों का स्थापित किया हुआ है।
३२. एक और शिवालय	:	वाजार में	३१ संख्यक स्थानीय चौधरी परिवार का है।

अन्य मंदिरों की तरह शिवालय न तो बड़े हैं और न उनके पास उस प्रकार संपत्ति दी हुई है ।

शैवभक्ति के प्रचार और प्रभाव के विशेष प्रमाण यहां नहीं मिलते, न तो मंदिरों की संख्या या दशा से और न अन्य प्रकार । जब कि रामलीला, धार्मिक नाटक, संकीर्तन, कथा प्रवचन, द्वारा राम एवं कृष्ण उपासना की धूम-मची हुई रहती थी । शैवोंके कार्यकलाप का कोई चिन्ह नहीं मिलता । परन्तु प्रायः घर-घर में शिवजी की पार्थिव पूजा-मिट्टी का शिवलिंग-नित्यदिन बनाकर पूजन करना और देवघर नियमित रूप से जाकर पूजन करने की प्राचीन प्रथा चालू है । परन्तु, किसी शिवालय में झूलन का उत्सव नहीं होता है । अन्नकूट का भी समारोह नहीं होता है । इनका प्रसाद भी लोग नहीं खाते हैं ।

इन मंदिरों के अतिरिक्त एक स्थान विशेष उल्लेनीय है । गांव के पूरब नीलकोठी के पास गाछी में खाक चौक है । श्री रामनाथ प्रसाद सिंह जी, रामचरण द्वारा स्थापित एवं निर्मित यज्ञशाला एवं अतिथि शाला है, जहां प्रतिवर्ष उनके आयोजन से रामार्चा पूजन, नौदिवसीय रामायण पाठ, नवाह पूजा, संकीर्तन, प्रवचन, ई० का कार्यक्रम संपन्न होता है ।

रेलों के प्रचार के पहले भिन्न-भिन्न संप्रादाय के साधु नागा ई० समूहों में पंदल चला करते थे तो वे इसी स्थान पर टिका करते थे । उनकी 'धूनी' (अग्निदाह) से खाक-राख जमा हो जाया करता था और इस तरह इसका नाम खाक चौक पड़ गया था ।

उपरोक्त मंदिरों की सूची पूर्ण है ऐसा नहीं कहा जा सकता । संभव है, कुछ का उल्लेख छूट गया हो । पत्थर के मंदिर के स्वामी का एक ओर मंदिर पश्चिम किनारे पर था, जहां १९३०–३३ तक कांग्रेस का शिविर स्थापित था । वर्तमान डाकघर के पास एक मनोहर दास जी का मंदिर था । खाक चौक के निकट एक सोनारों का मंदिर था । इनका अवशेष हो गया है । और भी कितने मंदिर टुट गये होंगे । श्री कंठ के एक बंशज साधु होकर राम बिहारी शरण कहलाए । उनने एक मन्दिर की स्थापना की थी । उसको उठाकर वह श्री अवध ले गये और वहां उनका मन्दिर कटरा महल्ला में कायम है । उस मन्दिर में संपत्ति भी दी हुई है एवं उसके संचालन के लिये एक न्यास पर्षद १९२७ में उनने कायम कर दिया जो चालू है ।, बड़हिया. इलाके का शायद वह पहला ही रजिष्टर्ड ट्रष्ट है ।

स्थानीय धर्म साधना की गतिविधि के अध्ययन एवं मनन से ज्ञात होता है कि शाक्त मैथिल जाति अपने साथ जो देवी-पूजा को लेते आई थी, वह समय बीतते समाप्त हो गई और एक भी मन्दिर की स्थापना किसी देवी की उपासना के लिए नहीं रह गयी ।

ग्राम देवता जगदम्बा माता के अतिरिक्त कुल देवता की पूजा प्रत्येक परिवार में होती है । एक कमरा या एक कोने या एक ताखे पर उनकी स्थापना की हुई रहती है । सेन्दूर के टीके, मिट्टी के छोटे पिंड, घी के दिए और काठ का एक पीढ़ा प्रायः ये ही सामान वहां रहते हैं । उनका स्मरण-आवाहन, पूजन भी कुलदेवता के ही

संवोधन से होता है। पुरोहित और यज़मान प्रायः 'कुल देवता' के नाम गोत्र के विषय में अज्ञान ही प्रकट करते हैं। कुछ देवता के पूजन के साथ पंच देवता, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देवी एवं गणेश की पूजा होती है।

परन्तु; कुल देवता कें पूजन में पांच संख्या का ही महत्व है। घी, दूध, जल, पुष्प चन्दन, धूप, आरती, सेन्दूर, प्रणाम, परिक्रमा, प्रत्येक का प्रयोग पांच ही बार होता है। संभव है, पंच देवता के निमित्त ही ऐसा हो रहा है। वृद्धों का विश्वास है कि कुल देवता वे ही हैं जो जगदम्बा स्थान की अधिष्ठात्री देवियां हैं। कुल-देवता, का बंटवारा भी पारिवारिक विभाजन के समय उसी मृतिका विभाजन से कर दिया जाता है।

गृह देवता पूजन को मातृका पूजन भी कहा जाता है। यह मातृका कौन हैं, ठीक पता नहीं चलता है। दक्षिण भारत में इन्हें गणेश की सहचरी मानते हैं। इतना अवश्य है कि यह देवी भी शिव जी की देव मंडली की हैं; वैष्णाव कुल की नहीं हैं।

उपनयन के समय गायत्री मंत्र की दीक्षा अवश्य दी जाती है। उपनयन के साथ-साथ या पश्चात गुरुमंत्र भी अवश्य ही लिया जाता है। गुरू प्रायः सबके सब वरौनीयां बन-द्वार के मैथिल पंडित हैं। ये गुरू मंत्र भी देवी मंत्र ही देते रहे हैं। कुछ समय से श्री अवध के एवं मथुरा, वृन्दावन के 'ओम नमो नारायणाय' 'ओम श्री सीतारामाभ्याम नमः' या 'श्री वासुदेवाय नमः' के मंत्र भी लोग लेने लगे हैं। शिक्षित वर्तमान पीढ़ी तो इस बखेड़े से छुट्टी ले रही है।

नित्य पूजा, रामायण और हनुमान चलीसा का पाठ, गायत्री का पाठ एवं गंगा स्नान का अच्छा प्रचार है। २५/३० वर्ष पहले तक रामलीला एवं धार्मिक नाटकों का अच्छा प्रचार था। तीर्थ यात्रा भी विध पूर्वक होती है। काशी जाकर प्राण त्याग एवं गया श्राद्ध भी श्रद्धापूर्वक होता था। परन्तु, अब कुछ समय से श्राद्ध खर्च के भय से भी काशी में प्राण विसर्जन की व्यवस्था की जाती है।

भूत, प्रेत, ओझा, डायन के प्रति विश्वास और उनका भय लुप्त सा हो गया है। परन्तु ४०-४५ वर्ष पहले तक काफी था। शुद्र एवं निम्न जातियों में तो अभी इसका प्रचार है। परन्तु अपने संस्कारों में देवपूजा के साथ प्रेतपूजा या भगतपूजा का प्रचार यहां अभी नहीं देखा गया।

श्री जगदम्बा स्थान के निकट गौतम गोत्रीय एक परिवार के घर में विवाह के मौके पर उनकी महिलाओं से आशीर्वाद लेने की प्रथा है। कहा जाता है कि इनके परिवार में कभी कोई सती होकर भष्म हो गई थी। यह भी कहा जाता हैं कि एक देवता 'भतुआ ठाकुर' इस परिवार के इष्ट हैं।

उपरोक्त नागवासी स्थल पर भी कोई कभी सती हुई थी ऐसा माना जाता है। उपरोक्त राजा जी मन्दिर के पास भी सती स्थान था, ऐसा विश्वास है। यह सती महिला सोंधी गांव की कन्या थी। सती होने के

कारण वह सबकी माता हुईं। इस भावना का आदर करने के लिये उनके गांव सोंधी में विवाह संबंध तभी से बन्द है।

प्रत्येक मन्दिर में झूलन का उत्सव शोभा एवं उमंग के साथ सम्पन्न होता है। श्रावण के शुक्ल पक्ष के १०, ११, १२ दिनों तक यह उत्सव होता है। श्रावण पूर्णिमा को समाप्त होता है। नर्तकी, नर्तक, गायिका, कत्थक, गुणी, गवैये और संकीर्तन मडली जहां-तहां से मंगायी जाती है। भगवद्भजन के साथ अपने मनोरंजन का साधन भी स्थानीय जनता के लिये यह समारोह होता है। वर्ष के इस भाग में किसानों, मजदूरों को कोई काम नहीं रहता है। झूलन पर काफी खर्च होता हैं। रातभर सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग मन्दिरों में घूम-घूम कर झांकी दर्शन करते एवं अपना मनोरंजन कर लेते हैं। इस अवसर पर सस्ती वेश्यायों का भी आगमन होने लगता है जो एक शोचनीय घटना है। इसका विरोध भी प्रायः होते रहता है।

सत्यनारायण या सत्यदेव पूजा का प्रचार भी अति लोकप्रिय है। कहीं वार्षिक, कहीं मासिक पूजा की परिपाटी है। प्रत्येक उपनयन, विवाह, एवं आनन्द सफलता के अवसर पर सत्यदेव पूजा अवश्य होती है। सत्यदेव पूजा प्रायः कार्य सम्पन्न हो जाने पर की जाती है। इसलिए कृतज्ञता अर्पण (Thanks Giving) पूजा कहा जा सकता है। चेचक शीतला देवी के प्रकोप से ही होता है। शीतला भी सात वहने हैं:-चेचक, कोदवा, मोतीझरा इत्यादि। कई प्रकार का चेचक, छोटा, बड़ा, विभिन्न वहनों के प्रकोप से होता है। चेचक की दशा में शीतला मां की पूजा की जाती है। कुष्ट रोग से कल्याण प्राप्ति के लिये सूर्य की उपासना की रीति है। तुलसी परम-पवित्र वृक्ष है। घर-घर के आंगन में एक तुलसी चौरा अनिवार्य है और उनकी नित्य दिन पूजा होती है। सोमवारी अमावास्या के दिन पीपल की पूजा होती है। श्राद्ध के अवसर पर भी पीपल की पूजा होती है। कार्तिक शुक्ल अष्टमी को गौ पूजा और नवमी को आंवला (औरा) के वृक्ष की पूजा की जाती है। गंगा स्नान की महिमा अक्षुण्ण है। प्रातः काल नियमित रूप से गंगा स्नान करने वालों की संखया काफी रहती है। शिवजी के लिये सभी देवताओं के स्नान भोग को लिये एवं सभी प्रकार के धार्मिक एवं मंगल कृत्यों के लिये गंगा जल का उपयोग अनिवार्य है।

देवघर के यात्री यहां से गंगा जल ले ही जाते हैं। जीवन के अन्तिम क्षण में गंगा जल एवं तुलसीदल कंठ गत करना सौभाग्य का लक्षण माना जाता है।

इस सत्यदेव, अनन्त तुलसी, सोमवारी, अमावाश्या ई० की अपनी-अपनी महात्म्य कथाएँ हैं जिन्हें श्रद्धापूर्वक व्रती उस अवसर पर सुनते हैं।

कार्तिक मास भर नियमित स्नान, पवित्र संयमित भोजन, तुलसी के निकट दीप जलाना और कार्तिक महात्म्य सुनने की रीति है। कार्तिक उद्यापन के उत्सव के साथ यह व्रत समाप्त किया जाता है। इस प्रकार रामकृष्ण, शिव, हनुमान, दुर्गा, जगदम्वा, लक्ष्मी, सूर्य, चन्द्रमा, गणेश एवं रूपं तथा तुलसी, औरा, और पीपल वृक्षों की पूजा अभी न्यूनाधिक मात्रा में देखी जा रही है। गंगा नदी का गौरव और आदर भी बना ही हुआ है।

किन्तु प्रधानता अवश्य ही विचार जगत में, विश्वास में, कार्यरूप में वैष्णव धर्म की राम एवं कृष्ण भक्ति की स्पष्ट है। इन दो में से भी राम भक्ति ही अधिक लोक प्रिय एवं प्रभावशालिनी सिद्ध हुई है।

इस वंश एवं ग्राम के एक मात्र पदवीधारी राय साहब टुकानाथ सिंह इन्द के मामा एवं मैनेजर एक सज्जन पं० महादेव दत्त जी बड़हिया आकर बस गये। उनका परिवार कायम है। यह मउवार हैं। पटना जिला के पालीग्राम के निवासी थे। श्री रामानन्द स्वामी संप्रदाय के गोस्वामी तुलसीदास जी की शिष्य परमपरा में राम–चरित्र मानस के एक मान्य विद्वान थे। आपके प्रभाव से यहां रामचरित्र के पठन, पाठन, अध्ययन–मनन और अनुशीलन की परिपाटी का सूत्रपात हुआ।

श्री दीनदयाल सिंह रामचरण इनके प्रमुख शिष्य हुए। श्री राम सरोवर शरण जी (रामचरण) श्री दीन–दयालु जी के प्रमुख शिष्य एवं श्री रामनाथ जी (रामचरण) इनके प्रमुख शिष्य हैं। इनके अतिरिक्त अनेकानेक विद्वानों ने रामचरित्र मानस एवं राम कथा संबंधी साहित्य में प्रशंसनीय प्रतिभा का परिचय दिया। इनके शास्त्रार्थ एवं शंका समाधान इतने उंचे एवं बौद्धिक स्तर के पाण्डित्य पूर्ण होने लगे कि श्री अवध के निपुण पंडित भी आकर विचार विमर्श किया करते थे। इसी सिलसिले में श्री अवध से इनलोगों का संपर्क बढ़ता गया और श्री अवध की सांस्कृतिक विजय स्थानीय विवेकशील जनता पर हुई।

काशीराज द्वारा प्रकाशित रामचरित्र मानस में इस प्रसंग का उल्लेख पाया जाता है। उक्त श्री महादेव दत्त जी रचित रामायण की सप्तार्थी टीका बतलाई जाती है। इसमें प्रत्येक चौपाई दोहा, छंद, ई० के सात-सात अर्थ निरूमित हुए हैं। रामचरित्र मानस, मूल या सटीक की हस्तलिखित प्रतियां यहा के अनेक परिवारों में सुरक्षित हैं। सन्तोष की बात है कि रामायण के प्रति आकर्षण अभी भी यहां बना हुआ है। उनमें श्री रामनाथ जी के नेतृत्व में यहां धार्मिक, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक पुण्यमय कार्य अब भी चालू हैं, ऐसा माना जाता है कि इस इलाके में भी भगवान दास रूप कला जी ने रामभक्ति का अच्छा प्रचार किया था। वह मुंगेर शहर में भी नौकरी के सिलसिले में रहे थे।

दुर्गापूजा बंगाल की देन है।

रामलीला, अयोध्या और काशी की, झूलन वृन्दावन की, गणेश पूजा महाराष्ट्र की और छठ पूजा सूर्यं उपासना शाकलदीपी ब्राह्मणों का, और देवी पूजा मैथिलों की देन हैं।

[पृष्ठ ९० देखें]

स्थानीय महिलाएं निम्नोक्त व्रत अवश्य करती है :

१. भाद्र शुक्लपक्ष की तृतीया को तीजव्रत पति के लिए, गौरी पूजन : पति की जीवन रक्षा द्वारा अपने सौभाग्य की रक्षा के लिये प्रत्येक सधवा करती हैं।

२. आश्विन कृष्णपक्ष अष्टमी को जीतियाबत। संतान के कल्याण के लिये प्रत्येक माता यह व्रत रखती हैं

३. श्रावणी पूर्णिमा के दिन प्रत्येक बहन भाई को राखी बाधती और मिठाई खिलाती है । चंदन करती हैं । या पास नहीं होने पर राखी रक्षा बन्धन के लिए भेज देती है । भाई की ओर से उपहार बहन को मिलता है ।

४. तीज के दूसरे दिन चौथ को महिलाएं चन्द्रपूजन (चउचन्दा) व्रत करती हैं ।

५. चठचन्दा के दूसरे दिन ऋषि पंचमी को सप्तऋषि पूजन महिलाएं करती हैं । यह व्रत केवल उन वृद्धाओं, कुमारिओं के लिये जो ऋतुमति नहीं होती हैं या जिनका ऋतुकाल अधिक अवस्था के कारण छूट चुका है ।

६. कातिक शुल्क पक्ष के नौमी को अक्षयनौमी व्रत होता है, जब आंवला वृक्ष की छाया में भोजन तैयार कर खाया जाता हैं ।

सत्यदेव या सत्यनारायण की पूजा वैष्णव धर्म का प्रभाव है । मनोकामना पूरक भक्ति भावना की प्रतीक हैं ।

वैद्यनाथ-देवघर पूजन शैवमत की भक्ति है ।

देवी पूजन तन्त्रसम्मत शाक्त धर्म है ।

यहां शाक्त मत का प्रभाव समाप्त कर वैष्णव मत अधिष्ठित हुआ है । शैवमत का गौण स्थान है । वस्तु स्थिति तो यही है । इसके ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक कारणों का अनुशीलन वांछनीय है ।

देवी जी, राम और कृष्ण की चर्चा कुछ की जा चुकी है । यह देवाधिदेव महादेव शिवजी कौन हैं ? यह कैलाश के निवासी हैं । प्रथम पत्नी सती के भष्म होने के बाद और काम को भष्म करने के बाद भी पार्वती को स्वीकार कर लिया । इनके गण भूत-प्रेत राक्षस पिशाच ई० मानवेतर व्यक्ति बतलाए जाते हैं । यह अकुल हैं । इनके कुल का पता नहीं चलता । यह पशुपति हैं । बैल की सवारी है । पुत्र गणेश का मुख, मस्तक हाथी का है । वाहन मूषक है । द्वितीय पुत्र कार्तिक दक्षिण भारत के "सुब्रह्मण्य-मयूर" पर आसीन हैं । गणेश गणपति आर्यों की धर्म साधना में विघ्न डालने वाले बतलाए गये हैं । कार्तिकेय देवसेना के नायक हो गए हैं । वेदों के रूद्र के परिवर्तित रूप को शिव माना जाता है ।

यह संहार के देवता माने जाते हैं । पौराणिक कथाओं के अनुसार आर्येतर राजाओं के रक्षक आप थे । रावण, वाणासुर इत्यादि । इनके लिंग की पूजा होती है । आर्य देवताओं के मन्दिर में इन्हें स्थान नहीं दिया जाता है । एक स्थान पर दोनों देवताओं के मन्दिर रहने से शिवालय अपेक्षाकृत छोटा और नीचा रहता है । तुलसी के स्थान पर विल्वपत्र और भांग धतूरा ई० के प्रेमी इनको माना जाता है । इनका प्रसाद लोग नहीं खाते । इनके पूजारी प्रायः ब्राह्मण नहीं हैं । दक्षिण में वैष्णवों एवं शैवों में दीर्घकालीन युद्ध का इतिहास है । इनका पांचमुखी पंचानन विग्रह भी पाया गया है । यज्ञोपवीत के स्थान पर सर्प धारण करते हैं । मस्तक पर तीसरा नेत्र है । जटा में चन्द्रमा । ॐ के बदले बमबम शब्द से इनको प्रसन्न किया जाता है । इन सभी प्रमाणों के आधार पर विद्वानों ने अनुमान लगाया है कि भारत के आदिवासी आर्यजाति के प्रवेश के पहले के वासी,

सर्वश्रेष्ठ देवता आप थे। मोहिंजोदड़ो की शैव सभ्यता। वैदिक उपनिसद् सूत्रादि काल के पश्चात आर्यो ने आपको अपनी देवमंडली में सम्मिलित कर उच्चाति उच्च पद पर आसीन कर दिया। इस विलयन की प्रक्रिया में कुछ आदि एवं कुछ परिवर्तित रूप एवं संस्कार आपको दिए गए हैं। आदिदेव की संज्ञा भी यही इंगित करती है। आर्य एवं अनार्य संस्कारों का सम्मिश्रण शिव गाथा में अद्भुत रूप से पाया जाता है।

ज्योतिष एक वेदांग है। वैदिक साहित्य के अनुशीलन के निमित इस विज्ञान का उद्भव हुआ। फलित-ज्योतिष भी उसी पर अनुभव के अधीन आधारित हुआ। माना जाता है कि इस शाखा फलित ज्योतिष की प्रेरणा मुख्यतः विदेशी यूनानी-ग्रीक है। इसके एक प्रचलित शब्द "होड़ा" को ग्रीक शब्द Hour का स्थानीय रूपान्तर बतला कर यह बात सिद्ध की जाती हैं।

जन्मपत्री का शोधन प्रत्येक शुभ या नवीन कार्य का मुहूर्त निर्धारण, ग्रहों को संभावित संकट से त्राण के निमित्त ग्रह-पूजा, यात्रा का मुहुर्त विचार एवं नामाकरण इस विद्या के प्रधान अंग हो गए हैं। हस्तरेखा के अध्ययन द्वारा शुभाशुभ का निर्णय किया जाता है। शकुन विचार एक प्रधान अंग है। स्थानीय जनता में इन मुहुर्त विचार, शकुन विचार ग्रह शान्ति, हस्तरेखा, विचार एवं जन्मपत्री विचार का प्रायः सर्वलोक प्रिय प्रचार है। अव प्रभाव कम रहा है। प्रवास, यात्रा, मुहूर्त विचार का तो पर्याय ही यात्रा हो गया है। उपनयन, चूड़ाकरण, विवाह, गृह निर्माण, गृहप्रवेश इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण कृत्यों के मुहुर्त विचार अभी भी सर्वमान्य एवं अनिवार्य हैं। जन्मपत्री रखने की रीति है। विवाह में इसकी परीक्षा होती है। पुरोहित अपने पंचांगों में यजमान के बच्चों का जन्मदिन, समय नोट कर लेते हैं बाद में नक्षत्र राशि, लग्न, वर्ण, योनि इत्यादि को ढूँढ़ कर जन्मपत्री तैयार की जाती है।

धर्म की विराट सार्वभौमिक भित्ति विस्मय, अज्ञान, एवं भय से उत्पन्न लोभ पर स्थिर है। इन मानव दुर्बलताओं के ह्रास के साथ-साथ उत्तरोत्तर धर्म की प्रधानता एवं प्रभाव का क्षय होता जाता है। धर्म की प्रथम संतान अंध विश्वास है। विश्वासोहि फल दायकः। साम्भ भी। इसी अंध विश्वास ने परमात्मा, ईश्वर, अनेकानेक देव-देवीक, पूजन, उपासना, साधना, सिद्ध, संत, फकीर, गुरू, पुरोहित, स्वर्ग-नर्क, भूत-प्रेत, ओझा, डायन, पशु-पक्षी, पर्वत नदी पूजन इत्यादि में विश्वास करने की परिपाटी चलाई। न्यूनाधिक मात्रा में यह अंधविश्वास यहां भी था और धीरे-धीरे दूर हो रहा है। पुरोहित वर्ग इसके दूत हैं। नारी वर्ग, अशिक्षित वर्ग, लोभी और दुर्बल मस्तिष्क यजमान हैं।

स्थानीय जनता में धर्म साधना के विकास एवं प्रचलित व्यवहार के विषय में जो कुछ देखा और समझा है, वह सब मैं कह रहा हूँ। यह विषय नाजुक है एवं इसका सीधा संबंध मनोभावनाओं से हैं। किसी के विश्वास और भावना को आघात पहुँचे तो क्षमा करें। इस प्रकार के मेरे अज्ञान के दूर होने से मुझे सन्तोष ही होगा।

स्पष्ट ही यहां मेरा अभिप्राय धर्म के उस पहलू से है जो स्वार्थपरक है, जो इस लोक और परलोक में वर्तमान एवं भविष्य जन्म में मनोकामना पूरन का भरोसा देता है।

धर्म के उस पहलू से नहीं जो Ethics, Morality, Law अर्थात् सदाचार, शिष्टाचार, लोकाचार की प्रेरणा और उपदेश देता है, जो समाज के संगठन एवं नियमन की व्यवस्था करता है और तत्वज्ञान का विवेचन करता है।

अध्याय—८

संस्कार

अध्याय—८

संस्कार

गर्भाधान :

कोई रीति नहीं है। परन्तु घर की बूढ़ी महिलाएँ गर्भवती के भोजन संबंधी एवं अन्य इच्छाओं की पूर्ति की चेष्टा करती हैं। किसी-किसी घर में हलुवा, लपसी बांटने की प्रथा है।

जन्म :

पुत्रैषणा-पुत्रोत्पत्ति की बड़ी ही पुरानी एवं तीव्र लालसा सदा से रहती आई है। नरक से रक्षा करना, मृत्युपरान्त श्राद्ध करना, तर्पण करना, वंश कायम रखना, नाम जारी रखना और जीवन के उपार्जित धन की रक्षा : ये विविध उद्देश्य पुत्र कामना की प्रेरणा देते हैं। पुत्र जन्म के लिए दवाइयों, टोटका, मंत्र, यन्त्र, पूजा, पाठ एकाधिक विवाह आदि उपाय का आश्रय प्रायः लिया जाता है। पुत्रोत्पत्ति में विलम्ब या बाधा देखकर दूसरा विवाह भी बिना अधिक सोच विचार के कर लिया जाता है।

शिक्षा प्रचार एवं अधिक संख्या वृद्धि के कारण आधुनिक विचार के व्यक्ति इस रूढ़ि से मुक्त हो रहे हैं। अधिक शिक्षित, सुसंस्कृत व्यक्ति पुत्र-पुत्री में भेद नहीं करने लगे हैं।

पुत्र जन्म में अत्यधिक आनन्द और उत्सव मनाया जाता है। पुत्री जन्म में कुछ भी नहीं।. पुत्री जन्म भार स्वरूप है। पुत्र या पुत्री के जन्म होते ही उस पर भात छीटा जाता है। तब उसका नाल चमैन काटती है। गरम पानी में स्नान कराया जाता है। गरमतेल लगाया जाता है। बेटा होने से थाली बजाई जाती है। सोहर गीत महिलाएँ १२ दिन तक गाती हैं। छवां दिन बच्चा का स्नान होता है, जिसे छठी करते हैं। १२वां दिन बरही मनाया जाता है। खिचड़ी का भोज दिया जाता है। दाई, नौकर, पंच-पौनियां को नये वस्त्र इनाम दिये जाते हैं। कोई नाच-गान भी कराते हैं। जच्चा और बच्चा को नये वस्त्र पहनाये जाते हैं। देवताओं की पूजा होती है। दान दिया जाता है। पुत्री होने से भोज, उत्सव और दान प्रायः नहीं होता। शुभ मुहुर्त में मुँहदेखी होती है। पूजन के बाद सब पुत्र रत्न को देखते और आशीर्वाद देते हैं। वस्त्र और रुपए के रूप में। बेटी की मुँह देखी शायद ही होती है।

मुंडन :

प्रायः ५ वर्ष की उम्र में पुत्र-पुत्री दोनों ही का मुंडन होता है। मुंडन के साथ ही कर्णवेध भी होता है।

कर्ण-मूलों में छेद करना और सोने के कुंडल पहराना। मुंडन जगदम्बा मंदिर, गंगातट पर, देवघर ई० तीर्थ स्थानों में होता है। परन्तु किसी देवता विशेष की कबूलती होने से उन्हीं के दरवार में किया जाता है।

लड़कों के कर्णवेध की रीति अब समाप्त प्रायः है। मुंडन के उपलक्ष्य में भोज देना इच्छाधीन है, अनिवार्य नहीं है।

उपनयन :

८ वर्ष से १२ वर्ष के बीच उपनयन संस्कार किया जाता है। उपनयन संस्कार यहां श्रद्धा एवं धूम-धाम के साथ होता है। चूड़ाकरण, उपनयन, वेदारंभ और समारंभ ये चार खंड इस संस्कार के हैं। कोपीन पहनकर भिक्षाटन करना मनोरंजक कार्यक्रम होता है। उपनयन के अवसर पर भोजन, नाच, गान ई० का समारोह काफी रहता है। उपनयन के अवसर पर गोतियों को दो भोज देना अनिवार्य है।

किफायत के लिये अब प्रायः कन्यादान के साथ-साथ उपनयन कर दिया जाता है, तो भोज का खर्च वच जाता है। एक साथ कई बच्चों का उपनयन भी कर दिया जाता है या निर्धन परिवार के वच्चों का उपनयन साथ में करा दिया जाता है। इसका उपकार माना जाता है। उपनयन का संस्कार सर्वाधिक महत्वपूर्ण और अनिवार्य है। अन्यथा वह जाति के अन्तर्गत समझा नहीं जाता। इसी संस्कार से वह 'द्विज' बनता है।

गुरुमंत्र :

यह ठीक है कि आज 'के विद्वात' अव यज्ञोपवीत को धारण करना कुछ असभ्यता-सूचक मानने लगे हैं। यज्ञोपवीत देकर उसी अवसर पर गायत्री मंत्र की दीक्षा दी जाती है। प्रायः यज्ञोपवीत के ही अवसर पर यज्ञोपवीत लेने के पश्चात कुलगुरू से गुरूमंत्र की दीक्षा ले ली जाती है। अधिकतर वैष्णव राम या वासुदेव मंत्र लेते हैं।

परन्तु इसी समय गुरू मंत्र लेना आवश्यक नहीं है। सुविधानुसार बाद में भी ली जा सकती है, परन्तु विवाह के पूर्व ही दीक्षा ली जाती है।

विवाह :

सम्पन्न परिवारों में बालकों के विवाह की उम्र साधारणतः १२ से १६ वर्ष रहती थी। निर्धन परिवार में कुछ देर होती है।

बालिकाओं के विवाह की अवस्था साधारणतः १० से १४ की होती है।

अंग्रेजी शिक्षा प्रचार के बाद से विवाह की उम्र अधिक होनें लगी। अब तो शिक्षित एवं सम्पन्न परिवारों में बाल-विवाह का लोप ही हो गया है। युवा विवाह होने लगा है। प्रायः २०, २५ के बीच की अवस्था में विवाह होता है और लड़कियों की औसत उम्र १६ से २० तक पाई जाती है।

परन्तु, अपेक्षाकृत कम शिक्षित या संपन्न परिवारों में उम्र का औसत पांच वर्ष कम ही पाया जाता है। निर्धन परिवारों के अधिक व्यक्ति अविवाहित रह जाते थे और अव भी रह जाते हैं। जाति के वाहर विवाह संबंध करना संभव नहीं है। १९५६ के हिन्दू विवाह अधिनियम के पहले एकाधिक पत्नी बहुविवाह की प्रथा थी और

मनु आदि स्मृति प्रणेताओं ने, बौधायन, आपस्तम्ब आदि सूत्रकारों ने समान गोत्रों में विवाह निसिद्ध बतलाया है। भ्रम या और किसी कारण से यदि सगोत्र में विवाह हो जाय तो नियमानुसार प्रायश्चित करना पड़ता है। प्रायश्चित के बाद उस स्त्री से माता के सामान व्यवहार करना होता है। कभी भी उस स्त्री को ग्रहण करना उचित नहीं और स्त्री को भी उस पुरूष को पुत्रवत देखना चाहिए। इसलिये प्रत्येक हिन्दु को अपने गोत्र के विषय में खूब ज्ञान रखना चाहिए।

मेदिनी और अभिधान, चिन्तामणि आदि के कर्त्ताओं के मत से गोत्र शब्द का अर्थ संतान या वंश है।

बौधायन, आपस्तम्ब, सत्यासाढ़, कुटिल, भरद्वाज, लौंगाक्षि, कात्यायन और आश्वलायन आदि के रचे हुए श्रौत सूत्र मत्स्य पुराण, महाभारत आदि इतिहास और मनु आदि की रची हुई स्मृतियों में थोड़ा बहुत गोत्र का कथन मिलता हैं।

इनमें परस्पर कुछ विरूद्ध कथन भी है, जिनका वास्तविक अर्थ सर्वसाधारण के समझ में नहीं आ सकता है। इसलिये और शास्त्रों की आलोचना की शिथिलता देखकर पण्डित प्रवर पुरूषोत्तम ने "गोत्र प्रवर मजरी" नाम का एक संस्कृत ग्रन्थ लिखा था।

उसके सिवा धनंजय कृत धर्मप्रदीप, वालभट, और महादेव दैवज्ञ द्वारा रचित "गोत्र प्रवर," विष्णु पण्डित कृत "गोत्र प्रदीप" अनन्त देव, आपदेव केशव, कंजीवदेव, नारायण भट, भट्टोजी, माधवाचार्य और बिश्सनाथ देव रचित "गोत्र प्रवर निर्णय," लक्ष्मणभट्ट कृत "प्रवररत्न और गोत्र प्रवर," भास्कर एवं कमलाकर कृत "गोत्र प्रवर-दर्पण" नामक कुछ ग्रन्थ भी मिलते हैं। इनमें से "गौत्र प्रवर मंजरी" ही सबसे श्रेष्ठ है। इनमें समस्त पुरातन मतों की पर्यालोचना और मीमांसा की गई है।

गोत्र की आलोचना करने से पहले इस बात का भी निर्णय कर लेना चाहिए कि गोत्र किस चीज का नाम है? और उसका लक्षण क्या है?

अभिधान के कर्त्ताओं ने गोत्र का लक्षण जैसा लिखा है, उसके अनुसार तो गोत्रों के भेद असंख्या हो जाने हैं। अर्थात सब ही अपने-अपने पुरूखों में से किसी एक का नाम लेकर अपने गोत्र का परिचय दे सकते है। ऐसा होने से तो गोत्र का नियम रखना न रखना बराबर ही हो जाता है।

लौकिक व्यवहार में भी ऐसा नहीं पाया जाता। सब ही लोग अति प्राचीन काल से चला हुआ एक ही नाम से गोत्र का परिचय देते हैं। कोई भी बदलकर दूसरा नाम नहीं कहता।

इसलिये यह कहा जा सकता है कि अभिधान के अनुसार गोत्र व्यवहार नहीं होता, अर्थात इस गोत्र शब्द से मामूली तौर से वंश या सन्तान का बोध नहीं होता।

'अपत्य पौत्र प्रभृति गोत्रम्' पाणिनि की इस परिभाषा के अनुसार जाना जाता है कि पौत्र आदि सन्तानों के नाम गोत्र है। प्राणिनि सम्मत अर्थ को स्वीकार करने पर भी पहला दोष नहीं छूटता।

इसलिये बौधायन आदि सब ही ग्रन्थकारों ने गोत्र शब्द का भिन्न पारिभाषिक: अर्थ किया है कि :—

विश्वामित्र, जमदग्नि, भरद्वाज, गौतम, अत्रि, वशिष्ठा, कश्यप,इन सप्तऋष्यियों तथा आठवें अगस्त्य के अपत्य से जो पुत्र पोत्रादि हुए हैं उन्हीं के गोत्र चलते हैं, अर्थात इन्हीं के नाम से उस बंश का गोत्र चलता है ।

मत्स्य पुराण में १९५ से २०२ अध्याय तक गोत्र और प्रवर का निर्णय किया गया है ।

बौधायन आदि सूत्रकारों ने कुछ गोत्रगण और प्रवरगण का निरूपण किया है । इस प्रकार गोत्रों की संख्या असंख्य हो गई है ।

वर्तमान में प्रचलित गोत्र और प्रवरों के नाम ३८ प्रकार के हैं । उनमें से कुछ ये हैं :

गोत्र	प्रवर
शांडित्य	शांडिल्य असित, देवल
वात्स्य	और्व, च्यवन, भार्गव जामदग्नव,
सावर्ण	और आद्रुवत्

ब्राह्मण ऋषि ही गोत्र के प्रवर्तक हैं । इनके बंश के लोगों के गोत्र उन्हीं के नाम से चलते हैं । क्षत्रिय आदि अन्यान्य वर्णों के लिये यह बात असंभवजान पड़ती है । उनके गोत्र उन्हीं के पुरोहित के नाम से चलते हैं । अतिप्राचीन समय में या गोत्र के नियम बनने के बाद ही जिन पुरोहितों के नाम से जितने गोत्र का परिचय था; वर्तमान में उनके बंशधर भी उसी गोत्र का नाम लेते हैं । हाल के पुरोहितों से कोई भी अपने गोत्र का परिचय नहीं देता ।

अध्याय—५

परिचय : मूल

जाते थे। भोजन और सत्कार की अपेक्षा कृत्रिम ठाट-बाट, एवं जलसा-जुलूस पर विशेष जोर दिया जाता है। मंगनी मांग-मांग कर उपरोक्त सामान इक्ट्ठा करना, अपने पहनने के लिये भी पोत, किमखाव, जड़ी के आवा शमला, चोगाशाल, जमेवार, जेवर जमा करना प्रकट रूप से साधारण बात है। इसमें प्रतिष्ठा की हानि नहीं है। अपने साथ नौकर भी मांगकर ले जाना आवश्यक है। राजा और जमीन्दार के अनुकरण का पूरा प्रयास किया जाता है। प्राय: संध्या समय वरात जुलूस रूप में सवारियों में और पैदल कन्या के द्वार पर पहुंच जाता है। घर तक पहुंचने के पहले कन्या पक्ष का भाट या नाई एक चिट्ठी लाकर बारात के समधी को देता हैं। इसे वर न्योतन कहते हैं। यानी वर को आने का न्योता। उसे इनाम देकर विदा कर दिया जाता है। बारात आगे बढ़ता है तो कन्यापक्ष से भी बाजे और जुलूस के साथ लोग आकर स्वागत करते हैं और उनसे मिल कर ले जाते हैं। यह परछनी है। परछ कर ले आना।

बारात कन्या के द्वार पर पहुंचता है। कन्या के पिता या ज्येष्ठ भ्राता या जो कन्यादान करने वाला हैं, सवारी पर बैठे हुए वर की पूजा करता है और एक थान वस्त्र पर रूपये भेंट करता है। यह द्वार पूजा है। इतने सयय बारात का जुलूस वहां खड़ा रहता है। बाजे रहतें हैं एवं आतिशबाजी ईत्यादि की शोभा होती रहती है। द्वारपूजा के बाद बारात जनवासे पर पहुंचाया जाता है। जनवासा वह स्थान है जहां बारात को ठहराया गया हैं।

जनवासा पहुँचकर वर शामियाने के अन्दर शाहनशी, गद्दी, मसनद पर बैठता है। सभी समांग, इष्टमित्र, संबंधी वर के दायें और सुसज्जित होकर बैठते हैं। नाच-गांना शुरू होता हैं। इत्रदान, गुलावपाश, पानदान, गुड़गुड़ी ई० की सजावट दुरूस्त रहती है। मोगल दरबार के नकल पर। कुछ ही देर में कन्यापक्ष के कुछ व्यक्ति बाजे के साथ पुरोहित, नाई के साथ धूआ पानी लेकर आते हैं तीन मजदूर सर पर जल भरे हुए घड़े लिये हुए पीछे कपड़े से झांप कर हाथ में तलवार लेकर आते हैं और वर के समक्ष खड़े होते हैं। नीचे के अनुसार प्रश्नोतरी होती है। तब वे घड़े वहीं रखकर वापस चले जाते हैं। कुछ इनाम मिल जाता है।

दुल्हा : कहाँ से आये हो?
धूआ पानी वाहक : कामरूप कामाख्या से।
दु० : क्या काम है?
धू० पा० : लड़का देखने, लड़की सौंपने
दु० : बहुत अच्छा।
धू० पा० : शादी मुबारक, दुल्हिन मुबारक।

धूआ सीमा चिन्ह को कहा जाता है। गांव की सीमा पर जल लेकर स्वागत किया जाता होगा। यात्रा पैदल होती थी। यात्रा की समाप्ति पर जल पहली आवश्यकता होगी। तलवार इस बात की सूचना देता है कि बरात

की रक्षा का भार कन्यापक्ष स्वीकार करता है। तदुपरान्त वर की पूजा होती है। आशीर्वाद होता है। कन्यापक्ष की ओर से बरात के समधी को एक थान पर कुछ रुपये नजर किये जाते हैं और एक जल भरे लोटा को कपड़े से झांप कर समधी एवं बरात के सभी सदस्यों को दिखलाया जाता है। दिखलाने वाला प्रणाम करता हुआ आज्ञा मांगता है। आज्ञा मांगी जाती है इस बात की कि कन्या पक्ष का भोजन स्वीकार हो।

इसके पहले कन्यापक्ष की ओर से भोजन का सत्कार नहीं किया जाता। इस प्रकार आज्ञा प्राप्त कर भोजन पक्की जनवासे पर कराया जाता है। पूरी, मिठाई, दही, तरकारी, फल आदि।

धूआपानी के पश्चात जुलूस के साथ वर–कन्या के घर जाता है। इस जुलूस में बारात के सदस्य कोई नहीं जाता। पुरोहित ई० भी नहीं।

कन्या के द्वार पर महिलाएँ वर का स्वागत करती हैं। मंगलगान करती हुई आरती करती हैं। गालों को पान के पत्ते से सेंका जाता है। अक्षत ई० से आशीर्वाद दिया जाता है। इसे गलसेंकी कहते हैं।

अब विवाह मंडप पर महिलाएँ वर को लाती है और उनके वस्त्र उतारकर पीली धोती और चादर पहनाया जाता है। इस पोशाक बदलने को कमर खुलाय कहते हैं। इस अवसर पर वर को कुछ उपहार दिया जाता है।

अब वह कन्यापक्ष के सात विवाहित व्यक्तियों के साथ उखड़ी (ओखल) में धान कूटता हैं। इनमें किसी का भी एकाधिक विवाह नहीं हुआ हो यह आवश्यक है। यह धान वही है जो तिलक में धनबट्टी से मिला था। एक हाथ से प्रत्येक व्यक्ति पांच चावल ओखल से निकालते हैं। यह चावल आम के पत्ते में रखकर लाल नारा से वर के दाहिना हाथ में बांध दिया जाता है। उसे ओठंगर कहा जाता है। अब विवाह के लिये वर मंडप पर बैठता है। कन्या को भाई लें आता हैं। कन्या वस्त्रों से ढकी हुई रहती है। वर केवल धोती-चादर में।

विवाह के समय वर पक्ष की ओर से निम्नानुसार सामान कन्यापक्ष के पास अवश्य भेजे जाते हैं :

१. बधू के लिए :

साड़ी विवाही
साड़ी राता
अंगिया विवाही
अंगिया राता
साड़ी आशीर्वादी
चादर आशीर्वादी
आइना कंघी
सुहगील सोने की कटोरी, काठ की कटोरो

नारा

सैन्दूर

आभूषण

स्नेहजल

२. पोनिया के लिये :

साड़ी ब्राह्मणी

साड़ी नाई

साड़ी कुम्हैन

साड़ी बढ़ईनी

साड़ी धोबिन

३. दाई के लिये :

साड़ी

४. पटपरी-पाटीपारने वाली के लिये :

साड़ी

अंगिया, आइना, कंघी

५. बच्चों के लिये :

भांति-भांति के खिलौने, गुड़िया आदि

६. सुहागपूरा :

रंगीन कागज का मदिरनुमा एक डलिया जिसके अन्दर मसाला, गरी, छोहारा, किसमिश, लौंग, सुपारी आदि रहता है। विवाह के बाद मर्यादा के दिन बारात के नौकर-चाकर इसे कन्यापक्ष के समधी को नजर कर विवाह की बधाई देते है और इनाम पाते हैं। कन्या के पिता कन्या को अपनी गोद में बैठा कर वर को दान देता है। तब कन्या वर के बांयी ओर बैठती हैं और विवाह पद्धति के अनुसार कन्यादान होता है।

कन्यादान के बाद गोत्र परिवर्तन होता है। इसे शंखपानी कहते हैं। शंख में पानी देकर कन्या के हाथ पर सभी व्यक्ति मंत्रोच्चार द्वारा अपन गोत्र से कन्या का उत्सर्ग कर वर के गोत्र में देने की घोषणा करता है।

विवाहोपरान्त मंडप से सटी हुई वेदी पर जाकर वर कन्या सात फेरा (सप्तपदी) एक साथ चलकर धान

का लावा छीटते हैं। यह धान का लावा वरयात्रा के प्रस्थान के समय वर की वहन या फूआ वना कर देती है। प्रत्येक फेरा पर वर कन्या का चरण छूता है।

अब विवाह यज्ञ का हवन होता है। इस हवन के घी से कन्या की वड़ी वहन या फूआं कन्या की पाटी पारती हैं। इसे पटपरी कहते हैं। वर पक्ष की ओर से दिये वस्त्र पहनकर यह पटपरी मांग ठीक करने का काम करती है।

कन्या अब तक अपने पिता का दिया वस्त्राभूषण पहने रहती है। इसे केचुंआ-पुतली कहते हैं। अव वर पक्ष से मिले हुए वस्त्राभूषण पहनती है। इसे राता कहते हैं। और अब सेन्दूर दान होता है। कन्या के भाई भाभी सेन्दूर तैयार करते हैं। वर मांग में सेन्दूर भरता है, पांच बार। वर पक्ष की ओर से एक काठ का उंचा डिब्बा आता है। इसे सुहगोला कहते हैं। पटसत्त, काठ का छोटा सा चक्र और सोने की कटोरी में सेन्दूर रखा रहता है। इन्हीं से सेन्दूर सात बार मांग में दिया जाता है। तब सात सुहागिनें भी कन्या को अपनी मांग से छुलाकर सेन्दूर देती हैं। इस प्रकार अपने सुहाग-सौभाग्य का आशिष उन्हें देती हैं। अन्त में वर कन्या को मंडप पर बैठाकर पुरोहित, ब्राह्मण, इष्टमित्र सभी आशीर्वाद करते और बधाई देते है। महिलाएं आशिष देती एवं चुमाती हैं। इस प्रकार विवाह का रश्मी भाग समाप्त होता है।

स्थानीय विश्वास के अनुसार विवाह के तीन मुख्य अंग हैं:—कन्यादान, सप्तपदी और सेन्दूरदान।

कन्या के घर के किसी कमरे में या स्थान पर दिवाल पर चित्रकारी की हुई रहती है। विछावन विछा रहता है। उसे कोहवर कहा जाता है। वर का स्थान। विवाह समाप्ति के वाद वर कन्या को कोहवर में महिलाएं ले आती हैं। इस चित्र के वांस को सेन्दूर लगाया जाता है। कन्या कमल के पत्ते में। वांस और कमल वैवाहिक ज़ीवन के संकेत हैं।

दोनों एक दूसरे को भोजन कराने का उपचार करते हैं। विवाह के समय कभी भी वरपक्ष का कोई व्यक्ति वहां नहीं आता है और नहीं रहने दिया जाता हैं। विवाह रात्रि के दूसरे दिन प्रातः मंडप पर वर श्वसुर के साथ बैठकर खीर का भोजन करते हैं। इस उपलक्ष्य में वर को कुछ उपहार मिलता है। तदुपरान्त जनवासा में सवारी वाजा आदि के साथ जुलूस आकर वर को वहां ले जाता है। कन्यापक्ष नये वस्त्र एवं आभूषण देकर वर को वहां भेजता है। वर अपने गुरूजनों को प्रमाण कर आशीष लेता है।

यह दूसरा दिन मर्याद का दिन कहा जाता है। यह बारात के विश्राम और रागभोग का दिन हैं। उसी दिन शुभ मुहूर्त में आशीर्वाद या घोंघटा या मथझकी की विधि होती है। कन्यापक्ष के घर में वर कन्या के कोहवर में बैठाकर हंसी दिलग्गी महिलाएं करती हैं। तब वर के दोनों हाथ कपड़े से वांध दिये जाते है और दोनों को मंडप पर बैठाया जाता है। अब वर के परिवार के व्यक्ति अपने पुरोहित के साथ विवाह मंडप पर लाये जाते हैं। बरात के सभी व्यक्ति नहीं आते केवल वरके पिता, भाई,चाचा आदि अपने परिवार के व्यक्ति आते हैं।

ज्येष्ठ भाई या पिता वर के हाथों को खोलकर मुक्त करता है। और कन्या को वस्त्र आभूषण भेंट करता है। नकद, गिन्नी या रुपये देकर आशीष देता है एवं चादर का घूँघट कन्या को देता है। वर तीनवार इस घूँघट को कन्या के माथे पर से हटाकर उसके मुँख को बाहर करने का प्रयास करता है। आशीर्वाद देने वाला बार-बार घूँघट को खींच कर नीचे कर देता है। पुनः महिलाएँ आशिष देती हैं। बारात पक्ष के व्यक्तियों को जाते समय थान और रुपये दिये जाते हैं। स्पष्ट ही कोहवर और घोंघटा की विधि गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने के संकेत हैं।

उधर जनवासे पर नाच-गाना, हास-परिहास का प्रोग्राम चलता रहता है। कन्यापक्ष मर्यादा की आज्ञा लेकर खाद्य भेजता हैं। आज्ञा थान और रुपये देकर ली जाती है। सन्ध्या में बारात के समधी को अपने घर पर आकर भात खाने का आग्रह कन्यापक्ष करता है। इस मौके पर बारात पक्ष काफी नखरे के बाद रूपये लेकर भोजन स्वीकार करता है। कन्या स्वीकार करना दया का कार्य समझा जाता है। फिर कन्यापक्ष के साथ भात खाना कुलीनता के विरुद्ध माना जाता है। भात खाने के लिये वर के अपने परिवार के व्यक्तियों के अतिरिक्त और कोई नहीं आता।

मर्यादा दिवस की रात में ही कन्या पक्ष महफिल बुलाते हैं। अपनी ओर से अपने घर पर नाच-गाने का प्रबंध करते हैं। बारात के सभी व्यक्ति वहां आते और मनोरंजन करते हैं। महफिल में उपस्थित प्रत्येक सज्जन के सत्कार में रूमाल में मसाला गरी, छोहाड़ा, किशमिश, लौंग, इलायची आदि दिया जाता है। घर पर से समधी के जाते समय उन्हें धान और रूपये भेंट किया जाता है। विवाह के तीसरे दिन बारात के लोग प्रायः चले जाते हैं। वर कन्या और उनके कुछ साथी जाने वाले रह जाते हैं। चौथा दिन चौठारी 'चतुर्थी' की विधि होती है। मंडप पर के कलशे के जल से वर कन्या का स्नान कराया जाता है। कोहवर पर एक साथ भोजन करते और कुछ मनोरंजन करते हैं। महिलाएँ वर से वचन लेती हैं कि कन्या के साथ विश्वसनीय जीवन व्यतीत करेंगे और अपने उपार्जन की आय कन्या को दिया करेंगे। इस दिन का कार्यक्रम महिलाएँ ही चलाती हैं।

तब बेटी की विदाई का कारूणिक मार्मिक समय आता है। घर से दोनों को एक साथ ही एक सवारी पर विदा किया जाता है। उस समय महिलाओं का मंगलगान और हार्दिक क्रन्दन एक विचित्र दृश्य उपस्थित कर देता है।

कन्यापक्ष का समधी तब जनवासा पर जाकर बारात के समधी को विदा करता है। बांस के एक डाला में धान, धोती, अक्षत, चन्दन, दुर्वा आदि लेकर समधी की पूजा और सत्कार कर रूपये भेंट कर गले-गले मिलना और त्रुटियों की क्षमा याचना करते हुए अपनी कन्या को शरण में लेने की प्रार्थना करते हुए सौंप देता है। यह भी एक कारूणिक दृश्य होता है। इसे समधी मिलन या डाला मिलन कहते हैं।

वर कन्या को विवाह के बाद से इष्टमित्र, संबंधी, शुभचिन्तक सभी कुछ नकद या वस्तु भेंट कर आशीर्वाद करते हैं, जिसे आशिर्वादी, भेंटी, मुँहदेखाई, सलामी ई० कहते हैं। कन्या ससुराल पहुँचने पर भी उसे यह सब मिलता है जो उसका निजीधन होता है। विवाह के अवसर पर कन्यापक्ष अपने संबंधियों एवं महिलाओं को

एकत्रित करता है जिस कारण उसका घर भरा रहता है। और गोतिआ मित्र के परिवार की महिलाओं को पूर्ण सहयोग मिलता है। आंगन नित्य महिलाओं से भरा रहता है। बड़हिया में विवाह मंडप पर या किसी मौके पर कन्या को वर पक्ष के व्यक्तियों को देखने नहीं दिया जाता है।

कन्या को विवाहोपरान्त वर अपने घर ले आते हैं उसे विदागरी या रूकसदी कहते हैं। यदि कम उम्र या और किसी कारणवश कन्या की विदागरी नहीं हो सकती है तो साल दो साल के बाद वह ससुराल जाती है। उसे द्विरागमन या दोंगा कहते हैं। दोंगा के लिये वर के साथ दश पांच व्यक्ति आते हैं। उसके बाद की विदागरी को तेंगा कहते हैं। तदुपरान्त का आना जाना-साधारण बात हो जाती है। उल्लेखनीय है कि कन्या की विदागरी के समय उसका भाई उसका चरण धोकर विदा करता है। विवाह से वापस आने पर वर कन्या का स्वागत महिलाएँ वर के घर पर करती हैं। आरती ली जाती है। गाल सेंकी होती है। बहन बहनोई उनको घर में प्रवेश करने से रोकते हैं और वर से कुछ इनाम लेकर उनको सहर्ष कोहवर तक ले जाते हैं। वहां कोहवर की पूजाकर आशीर्वाद दिया जाता है। कन्या का मुख देखा जाता और रूपये आभूषण वस्तुओं की भेंट दी जाती है।

बेटी को विवाह के समय माता-पिता या भाई से जो मिलता है उसे खोइछा कहा जाता है। खोइछा साड़ी के आंचल को झोली की तरह बांधकर बना लिया जाता है। इस खोइछा में ओपचारिक रूप से कुछ चावल एवं रूपये रहते हैं। पतिगृह पहुँचने पर खोइछा का सामान या रूपया पति की बहन ननद ले लेती है. यह खोइछा कन्या की प्रत्येक विदागरी के समय भरा जाता हैं।

बड़हिया के बाबू लोग कन्यादान में तिलक, दान, दहेज, भोज, जलसा स्वागत सत्कार में काफी से अधिक खर्च करते हैं। अधिक तिलक देने के लिये वे भूमिहार समाज में दोषी माने जाते हैं। समस्त हिन्दू जाति की भांति विवाह के समारोह में काफी उमंग, उत्साह, धूमधाम और उल्लास का बातावरण रहता है। परन्तु महिलाएं, आवश्यकता से अधिक व्यस्त एवं उतेजित रहती हैं। विवाह समाप्त होते-होते उनका तनमन थक सा जाता है। गीत गाते-गाते आवाज बैठ जाती है। शरीर कलान्त हो जाता हैं।

फलदान, तिलक एवं विवाह और विदागरी के क्षण तक महिलाओं का मंगल गान नित्यप्रति चलता रहता है। इस जाति की संगीत प्रियता का यह एक ज्वलंत प्रमाण हैं। दाइयों एवं डोमिनों का नृत्य भी होता है। अब तो इसका भी लोप होता जाता है। जब पर्दा नहीं रहता रहा होगा हमारी महिलाएं भी अवश्य नृत्य करती होंगी।

ऊपर लिखे अनुसार विविध अवसर पर थान और रूपये का देना ही नेग या दहेज कहलाता हैं। वर को दिया गया रूपया उसका निजी होता है। निर्धारित शुल्क तिलक के अतिरिक्त यह सब दिया जाता है।

सत्य है कि ऊपर लिखे लोकाचार एवं कुलाचार में अब शिथिलता एवं परिवर्तन होने लगे हैं। परन्तु सुधार नहीं। औपचारिकता कमती जाती है। पोशाक का बंधन नहीं रहा। पहले की तरह केवल पोशाक

देखकर नहीं कहा जा सकता हैकि किस जाति का समारोह है । जनवासा पर द्वारपूजा के पहले ही बारात को ठहराया जाने लगा है । भोजन धूआ-पानी के पहले मिलने लगा है । आज्ञा लेना और प्रत्येक अनुरोध के समय थान या रूपये का विनय करना कम हो रहा है । गम्भीरता और मर्यादा के साथ मिलना जुलना के स्थान पर साथी और मित्र की तरह मिलना होने लगा है । भात खाने और खिलाने का महत्व कुलीनता के साथ लुप्त हो रहा है । जलसा, जुलूस, नाचगान, वाजे-गाजे, हाथी घोड़ा के शौक में कमी आ रही है ।

भोज में भी श्रद्धा का ह्रास हो रहा है । सादगी और किफायत पर ध्यान दिया जाने लगा है । बारात की संख्या कम हो रही है और वारात के अधिक लोग अधिक समय तक रहने से मजबूर होने लगे हैं । बारात के व्यक्तियों के स्वागत में महिलाओं के गीत का वहिष्कार होने लगा है ।

परन्तु, तिलक दहेज के रूपये के करार में कठोरता बढ़ती पर है । अव तो सभ्यता की वृद्धि के साथ इस मामले में निर्लज्जता की भी सामान्तर वृद्धि होने लगी है । निर्धारित रूपये पहले ही वसूल कर लिया जाने लगा है । तिलक के सामान की फरमाइस प्रकट रूप से होने लगी है । रेडियो, साइकिल, ई० वल्कि अपने मोकावले में खरीदवा दिया जाता है । उच्च शिक्षा प्राप्त, क्रान्तिकारी, राजनैतिक युवक, नेता, कन्या का मुंह देखकर विवाह करने वाले युवक भी विवाह की कीमत कठोरता पूर्वक वसूल करने में कुछ भी संकोच अनुभव नहीं कर रहे हैं । वल्कि इसे अपनी और अपने कुल की प्रतिष्ठा की बात मानी जाने लगी है ।

विवाह के दिन मंडप एवं कुल देवता के पास घीढ़ारी होती है । विधवा किसी समारोह में भाग नहीं लेती है वल्कि निकट भी नहीं जाती । उपरोक्त प्रत्येक मंगलकृत्य के समय महिलाओं का गीत और वाजा का वजना अनिवार्य सा रहता है । पुत्र के विवाहोपलक्ष्य में कोई भोज अनिवार्य नहीं है । परन्तु तिलक के अवसर पर प्रायः भोज दिया जाता है । वारात प्रस्थान के समय बरातियों को भी भोजन कराने की रीति है ।

कन्यादान के उपलक्ष्य में चार भोज अनिवार्य है । कच्ची मंगरोर की रात में भात, मंडपाच्छादन की रात में मंगरोर पूड़ी, विवाह की रात में पूरी मिठाई एवं विवाहोपरान्त भात, मंगरोगी भात, मंगरोरी पूड़ी, विवाही पूड़ी और विवाही भात । परन्तु अब अधिकतर दो ही भोज चलता है । भोज में यहां अत्याधिक खर्च पड़ता है । अधिक संख्या के कारण और कुव्यवस्था के कारण ।

श्राद्ध :

श्राद्ध अन्तिम संस्कार है । मरणासन्न अवस्था में गंगाजल, तुलसीदल मुंख में देकर कंठगत कराना अच्छा माना जाता है । गौ का पूंछ छुला कर वैतरणी दान कराने की रीति है । अन्नदान भी किया जाता है । गीतापाठ भी उनके निकट कराया जाता है ।

काशी में देह त्याग उत्तम माना जाता है और सम्पन्न या श्रद्धालु व्यक्ति या वृद्ध को प्रायः ऐसी अवस्था में काशी ले जाया जाता है। मुक्ति लाभ के अतिरिक्त खर्च का भी किफायत हो ही जाता है।

श्राद्ध गरूड़पूराण की श्राद्धपद्धति के अधीन होता है। अग्निसंस्कार से दशमां दिन क्षौर कर्म होता है। ग्यारहवां दिन महाब्राह्मण की पूजा और बारहवां दिन पुरोहित की पूजा होती है। बारहवां दिन ब्राह्मण भोज एवं इष्ट मित्रों, गोतिओं का भोज होता हैं। तेरहवां दिन पीपल के पेड़ में जल देकर पगड़ी बंधन होता है। मृतक के ज्येष्ठ पुत्र को उनके स्थान पर उसकी गद्दी नशीनी की जाती हैं। उस दिन गोतिया लोगों को भात का भोज दिया जाता है।

श्राद्ध यहां के लोग नियम से, श्रद्धा से, और काफी खर्च से करते हैं। बल्कि जीवन काल में माता-पिता को उतना आराम, आदर और श्रद्धा का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। सांढ़ का छोड़ना लोकोपकार का कार्य माना जाता है। पिंडदान, गरूड़पुराण-श्रवण, भगवदगीता पाठ आदि विधिवत किया जाता हैं।

वार्षिक श्राद्ध अवश्य होता है। उस अवसर पर भी भोज और दान होता है। कम उम्र वालों के श्राद्ध के समय वार्षिक श्राद्ध भी कर दिया जाता है। क्षौरकर्म एक ही बार केवल दशवां दिन किया जाता है। अग्निदाह कर्म के सयय नहीं। ज्येष्ठ पुत्र कर्ता एवं कनिष्ठ पुत्र उपकर्त्ता का कार्य करता है। इनके अभाव में पंडितों की व्यवस्था के अनुसार उपकर्त्ता नियुक्त होते हैं।

मृतक की मृत्यु के सातदिनों के भीतर गोतियों में से दूसरी मृत्यु हो जाने से प्रथम मृतक के श्राद्ध के साथ ही दोनों का श्राद्ध होता है। सात दिनों के बाद ऐसी मृत्यु होने से पाश्चात मृतक के अनुसार श्राद्ध दोनों का होता है।

पति के प्राणान्त के समाचार पाते ही विधवा की चूड़ियां फोड़ दी जाती है। सेन्दूर धो दिया जाता है, और सातवें दिन स्नान कराकर श्वेत वस्त्र पहनने दिया जाता है। रंगीन वस्त्र धारण करना, सेन्दूर, चूड़ी, मास, मछली का व्यवहार करना, मंगल कृतियों में सम्मिलित होना विधवाओं के लिये वर्जित है। विधवा विवाह वर्जित तो है ही अभी तक भी उस ओर क्रान्ति की लहर नहीं पहुँची है।

गया श्राद्ध की भी प्रथा है और प्रतिवर्ष गंगा में पितृयज्ञ आश्विन कृष्णापक्ष में तर्पण करने का भी नियम पालन होता है।

श्राद्ध में काफी खर्च करना प्रतिष्ठा का मानदण्ड माना जाता है।

गर्भाधान, जन्म, अन्नप्रासन, चूड़ाकरण, उपनयन, मुंडन, विवाह, कर्णवेघ श्राद्ध ई० संबंधी उपरोक्त विविध प्रथाएं परम्परागत हैं। उन अवसरों पर उपयुक्त शास्त्रीय पद्धतियां का यथा संभव पालन करने के अतिरिक्त ये

लौकिक प्रथाएं हैं। अब इन प्रथाओं में यत्रतत्र शिथिलता भी आने लगी है। यहां इन्हें लौकिक प्रथा कहते हैं।

बाजा का साथ जन्म से श्राद्ध तक कभी भी नहीं छूटता है। यह वाद्य प्रेम परम्परागत तो अवश्य ही है, परन्तु विचारणीय भी है। शायद यह परम्परा तब से आ रही हो जब हम वनजाति (Tribes) की अवस्था में होंगे।

इन संस्कारों से संवद्ध प्रत्येक रीति का विश्लेषण एवं अनुशीलन अधिकारी विद्वानों द्वारा आवश्यक है। प्रत्येक प्रथा का संबंध किसी प्राचीन प्रथा से रहा होगा जो अब संकेत रूप में कायम है।

जैसे फूस-फास का मंडप, नंगे बदन होकर विवाह, जनेउ ई० करना, हल पर स्नान करना, चावल, लावा भात ई० छीटना, थाली बजाना, महिलाओं का मंगलगान हमारी ग्रामीण अज्ञान और भोलीभाली अवस्था की सभ्यता की परिचायक हैं तो दूसरी ओर महफिल, टीमटाम, लेनदेन, जलसा ई० मोगल काल के अनुकरण की सूचना देते हैं।

सन्देश, सौगात, खोज, पूछार, भाड़ा, पूरन, नेवता, आशीर्वादी, विदाई, नेग इत्यादि के नाम से विभिन्न अवसर पर नकद रुपये, अन्न, फल, मिठाई, वस्त्र इत्यादि समान कुटुम्ब या मित्र के द्वारा भेंट में दिये जाते हैं।

मूंडन, चूड़ाकरण, उपनयन, विवाह के अवसर पर 'नेवता' और 'पूरन' दिये जाते हैं।

बच्चे के जन्म के उपलक्ष्य में 'पीअरी' दिया जाता है। पीले वस्त्र शुभसूचक हैं। संभवतः उसी कारण 'पीअरी' नाम दिया गया है।

श्राद्ध में भी नेवता या पूरन जाता है।

कन्या के विवाह की विदाई को रुकसदी कहते हैं। विवाहित बहन, कन्या, ई० के पास समय-समय पर संदेश, सौगात, खोज, पूछार भेजा जाता है।

दामाद, भानजे, संतान को आशीर्वादी दिया जाता है। विवाह के समय दामाद को दिये जाने को सलामी भी कहते हैं। सामान्यतः दिए जाने वाले सामान 'भाड़ा' या 'बैना' कहलाता है।

धार्मिक या सामाजिक रीति के अनुपालन में देने को 'नेग' कहते हैं। वंश की कन्या के संबंधी यथा दामाद, बहनोई, फूफा, भानजा, नाती इत्यादि 'मान्य' कुटुम्ब हैं। इन्हें चलते समय विदाई दिया जाता है। वस्त्र, मिठाई, रूपये इत्यादि के रूप में।

कम या वेश इस भेंट-समर्पण का अनुपालन अनिवार्य है। इसका उल्लंघन समाज में निन्दनीय है।

खोइछा :

महिला की साड़ी के आंचल को यहां खोइछा कहते हैं। आंचर या अंचरा भी कहते हैं। कन्या, बहन, फूआ के विदा होते समय उनके आंचल में कुछ चावल, सुपारी और नकद बांध दिया जाता है। पहले समय में यह उनके ससुराल पहुंचने पर खुलता था और उसे परिवार की छोटी लड़कियां ले लेती थीं।

नए फैशन के प्रचार में आंचल की जगह पर रूमाल आ गया है। किन्तु प्रथा अभी प्रचलित है।

जब समाज शौकीन नहीं हुआ था मार्ग-व्यय के लिये कलेवा इत्यादि इसी तरह दिया जाता होगा, उसी का संकेत यह रह गया है।

उनके साथ दिए गए सामान को यहां साज कहते हैं।

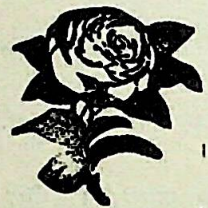

अध्याय—६

लोक जीवन

अध्याय—९

लोक जीवन

बड़हिया स्थित श्री प्राण ठाकुर के परिवार के सभी व्यक्ति स्त्री, पुरुष, वाल-वृन्द की कुल संख्या दश हजार मानी जा सकती है। इतनी बड़ी संख्या में लोग एक स्थान पर एकात्रत हों, अपने मूल पुरुष से आजतक की उनकी वंशावली लिखित या याद हों और वे सब आपस के भाईचारा को जारी रखते हों यह सन्तोष, गौरव एवं विस्मय की घटना है। ऐसा उदाहरण कम ही मिलेगा। इस परम्परा को कायम करने का मुख्य कारण इस परिवार की विशाल संपत्ति थी, इसमें सन्देह नहीं।

शिक्षा :

प्रायः सबके सब साक्षर हैं और होते आए हैं, यह भी गौरव और विस्मय की बात है। इस घटना का प्रधान कारण इनका उत्तम कुल मैथिल ब्राह्मण होना है। ३०० वर्ष पूर्व तक के कागज इनके घरो में मिले हैं। धर्मशास्त्र एवं पौराणिक साहित्य के ग्रन्थों की हस्तलिखित प्रतियां सौ, दो सौ, तीन सौ वर्ष पूर्व की इनके घरों में सुरक्षित हैं।

मैंने अपने घर से कुछ ऐसे हस्तलिखित ग्रन्थ श्रीकृष्ण सेवासदन को दान कर दिये हैं।

इनकी सूचा :—

१. रामस्तव राज स्तोत्र (सम्बत् १९२७)
२. रघुवर सार संग्रह
३. राज निघंटु (१८७५ ई०)
४. मदन पारिजात
५. दान पंजिका
६. प्रायश्चित कदम्ब
७. श्री हनुमान नाटक
८. रामायण (सम्पूर्ण)
९. वाजस्नेयी उपनयन चूड़ाकरण
१०. दुर्गा कवच
११. श्रीमद्भागवत (दशम स्कन्ध)
१२. श्रीराम कवच
१३. श्रीराम गीतावली

इन पुस्तकों के कुछ परिचय वाक्य निम्नानुसार हैं :

१. श्री रामस्तव राज स्तोत्रं मंत्रस्य

सनत्कुमार ऋषिनुष्टुप छंद ।।
इति श्री सनत्कुमार संहितायां
नारदोक्त श्री रामचन्द्र स्तव राज स्तोत्रमंत्र संपूर्ण ।
श्री राम गंगा दक्षिण भागे च युग कोश प्रमाणंता ।।
बड़ही नाम ग्रामे तु वहु सुखं हरि मंदिरे ।। १ ।।
स्थित्वा वैद्य वासैर्वंष्यित्वात् त्वादपो मया ।
लिखितं बद्री दासैन पठनार्थं रामनारायणं ।। २ ।।
आत्मज झंडू सिहस्य भ्राता लक्षमणस्य ज्येष्ठ च ।
कुशलं कर्म वणिज्यं च तंतु जीवी सदा सुखी ।। ३ ।।
एक दुरंध्र समायुक्तं युग मुनि संवत्सरं ।।
पौषे शुक्ले वुधे रात्रो ग्रन्थ मया समाप्तकं ।
शाके १७९२ ।। सन् १२७८ ।। ज्ञान कोटिश ।।
मं ध्यानं ध्यानातकोटि समालयं ।
कोटि समं गानं नातं परतरे नहीं ।।

२. श्री रघुवीरसार संग्रह :

इति श्री ब्रह्मयामले उमा महेश्वर त्रैलोक मोहिनी नाम कवचं संपूर्णम ।
संवत १९२७ फागुन कृष्ण द्वीज बुधवार शुभ यदृशं पुस्तकं दृष्टवा तादृशं लिखितं मया ।
यद्यपि शुद्धम-शुद्धम वा मम दोष न दीयतां ।
लेखक बद्रीदास पंजावी सितारवाले अभ्यागत ।
पठनार्थं रामनारायण सिंह बेटा झंडू सिंह के ।

१४. श्री मानस कल्लोलिनी, श्री मानस प्रकाश

१५. श्री भवानी लाल लिखित रामायण सात कांड पृथक–पृथक इत्यादि । ऐसेसंग्रह से अपने पूर्वपुरूषों के विद्या–व्यसन एवं धार्मिकता का परिचय मिलता है जिससे तृप्ति होती है ।

जमीन की बिक्री, जमीन के बन्दोवस्त, दास दासी की बिक्री ईत्यादि सम्बधो तो कागज और दस्तावेज घर-घर में भरे हैं। इन पुराने कागजों में स्थानीय रीतियों,प्रथाओं, बोली, भाषा और सम्पन्नता का इतिहास बैठा हुआ है। इनके संकलन एवं सम्पादन से स्थानीय इतिहास के एक विशेष अंग की सम्पुष्टि होगी। अधिकारी विद्वान एवं शोध प्रेमी-सज्जन इस ओर ध्यान दे सकते हैं।

१९१२ ई० तक अंग्रेजी शिक्षा का प्रवेश यहां नहीं हुआ था। यदि हुआ तो नाम मात्र के लिये ही।

१९२५, ३० ई० तक भी तार, टेलिग्राम पढ़ाने या चिट्ठियों पर पता लिखवाने या दर्खास्त लिखवाने लोगों को रेलवे स्टेशन, डाकघर या स्कूल जाना पड़ता था। किसी के नाम तार आने से उसके पढ़े जाने के पहले ही रोना कलपना शुरू हो जाता था। आशंका होने लगती थी कि अवश्य ही कोई शोक समाचार आया होगा। रेलगाड़ी पर सवार होने के पहले 'कलकत्ते वाली जय-जय काली' को प्रणाम कर लेते थे क्योंकि यह रेलगाड़ी उन्हीं की चमत्कारिक महिमा थी।

परन्तु, संस्कृत, फारसी एवं हिन्दी में रामायण तक पढ़ने पढ़ाने का प्रचलन था। शादी विवाह के समय इसी तरह के सवाल वर-दूलहे से पूछे जाते थे। अगर रामायण की चौपाईयों और दोहों के माने लगा सके तो उच्च शिक्षा की मर्यादा उन्हें मिल सकती थी।

रामायण के समाधान का अभ्यास जोरों से हो रहा था। पं० महादेव दत्त जी उनके शिष्य पंडित दीनदयालु सिंह और उनके शिष्य श्रीयुत राम सरोवर शरण सिंह, श्री गया सिंह, श्री उमा सिंह इस रामायणी शास्त्रतार्थ परम्परा के प्रमुख आचार्य थे। उनके अनेक सुयोग्य शिष्य थे। श्री अवध से भी शंका समाधान या सतसंग करने विद्वान आया करते थे। समस्त हिन्दू जाति के सभी समाज के लिये वेदों का जो स्थान है, संभवत: १८ वीं और १९ वीं एवं २० वीं शताब्दी के प्रारंभ काल तक स्थानीय जनता में रामायण को वही स्थान प्राप्त था। रामायण सभी ज्ञान, उपदेश, विद्या, बुद्धि का भंडार है। न तो कोई बात उसमें गलत कही गई हैं और न कोई बात कहने को बांकी रह गई है। अगर कोई ऐसा समझता है तो दोष समझने वाले का ही है।

स्वर्गीय श्री रामाश्रय बाबू के पास एक बृहत हस्तलिखित पोथी मुझे देखने को मिली। अभी यह पोथी उनके परिवार के पास है।

पोथी के अन्त में उसका परिचय निम्नानुसार दिया हुआ है :—

"श्री ओम तत्सत दशरथाय: नम:
ओम राजराजेन्द्राय नम:
ओम उदार-चूड़ामणाय नम:
ओम अस्य श्री रामोपसकानां शिरोमणि
श्री गोसाईं तुलसी दास कृत मानस रामायण ॥ संबंत १६४१ ॥
द्वितीय प्रति संबत १७०७ ॥ तेहि प्रति को देखि के संबत १८९३ ॥
तीसरी प्रति लिखे।

तेहि प्रति को देखि कै संवत ॥ १९०२ ॥ चौथी प्रति लिखे ॥

तेहि प्रति को देखि कै संवत ॥ १९१३ ॥ पंचई लिखे ।

तेहि प्रति को देखि कै संवत १९७१ ॥ छठाई प्रति लिखत है ॥

यदि पाठकों कोई एकमात्र फरक करै सो जानकी—रघुवर को

द्रोही होयगो अवश्यमेव ॥”

इस परिचय वाक्य से कई निष्कर्ष पाये जा सकते हैं :

१. रामायण पाठ में धार्मिक विश्वास

२. रामायण पाठ एवं अध्ययन को श्रद्धापूर्ण परम्परा ।

३. छापे के अभाव में रामायण के पाठ की शुद्ध हस्तलिखित प्रतिलिपियां एक के वाद दूसरी प्रस्तुत करते रहने की परम्परा एवं रीति ।

४, प्रस्तुत हस्तलिखित ग्रन्थ १९७१ संवत अर्थात १९१४ में लिखा गया था। इससे मालूम हु कि १९१४ ई० तक भी यह परम्परा चलता आई ।

५, १९१४ ई० की इस पुस्तक की पूर्वलिपियां

क्रमशः संवत	१९१३	—	१८५६	ई० सन्
	१९०२	—	१८४५	”
	१८९३	—	१८३६	”
	१७०७	—	१६५०	”
	१६४१	—	१५८४	”

में लिखी गई थी ।

६. मूल पुस्तक १६४१ संवत की कही गई है। विश्वास किया जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास का स्वर्गवास संवत १६८० में हुआ ।

संवत १६८०, असीगंग के तीर ॥
श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तज्यो शरीर ॥

तो क्या १६४१ संवत वाली मूलप्रति स्वयं गोस्वामी जी की स्व-हस्तलिखित प्रति थी, जिसका उल्ले इस परिचय में है, यदि यह बात है, तो इस ग्रन्थ के पाठ की शुद्धता और प्रामाणिकता में क्या शंका रहेगी ?

७ और १६४१ संवत तक क्या रामचरित मानस तैयार हो चुका था ? डाक्टर माता प्रसाद गुप्त के मतानुसार सं० १६३१ में मानस पूरा हो गया था। रामचरति मानस के बालकांड में भी इस संवत १६३१ का उल्लेख इस प्रकार है:

सादर शिवहिं नाई अब माथा।
वरणौं विशद राम गुण गाथा ।।
सम्वत सोरह सौ इकतीसा ।
करौं कथा हरिपद धरि शीशा ।।

ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा हो जाते हैं, जिनके वारे में साहित्य प्रेमी एवं हिन्दी साहित्य के इतिहासकारों को उत्सुक होना चाहिए।

इन प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थ के लिखावट और हस्तनिर्मित चित्रों के रंग, सजावट एवं कला अतीव आकर्षक एवं मनोहर हैं। अथक धैर्य एवं परिश्रम की परिचायक हैं। इन पूर्व पुरूषों के विद्या, व्यसन, कलाप्रेम सुरूचि एवं श्रद्धा का परिचय इन कला वस्तुओं से मिलता है और साथ ही साथ उनकी संतानव तंमान पीढ़ि को एक शिक्षा भी गुरूपिंडा, पाठशाला की शिक्षा, साक्षरता, गिनती, पहाडा, जोड़ घटाव, गुणा भाग इत्यादि की शिक्षा अवकी upper तक के समकक्ष सीमित रहती थी। उर्दू, फारसी पढ़ने का भी प्रचलन जारी था। रामायण के अतिरिक्त हनुमान चालीसा, दानलीला, भागवत, प्रेमसागर, शुकसागर, शिवपुराण इत्यादि पुराण, शकुन, ज्योतिष की पुस्तकों का प्रचार अधिक था। कथा साहित्य में हरिश्चन्द्र लीला, इन्द्र सभा, अचभे का बच्चा ई० पुस्तकें लोकप्रिय थीं। रामायण, विविध पौराणिक कथाएं और संकीर्तन इत्यादिं का अधिक एवं नियमित प्रचार था, जिसमें सम्मिलित होना धार्मिक कर्तव्य माना जाता था।

उपलब्ध प्रमाणों से ऐसा पता चलता है कि अंग्रेजी शिक्षा एवं आधुनिक विद्या का प्रकाश यहां ले आने या उसके फैलाने का श्रेय मिलना चाहिए डाक्टर रामेश्वर प्रसाद सिंह, डा० सानुकूल चन्द्र चटर्जी एवं मास्टर श्री परमानन्द राय को। इनका छात्र मे रह चुका हूँ।

डाक्टर रामेश्वर प्रसाद सिंह इसी परिवार के थे। हाहा बंगला में उनकी बैठक थी। उनकी शिक्षा और योग्यता का कुछ पता नहीं चलता है। शायद कुछ उल्लेख योग्य था भी नहीं। परन्तु थे वह शिक्षा-प्रेमी और समाज सेवक। उनका गौरवर्ण, लम्बा कोट एवं काली टोपी मुझे अच्छी तरह याद है।

डाक्टर सानुकूल चन्द्र चटर्जी का जन्म वर्दमान जिला के सेनगारको ग्राम में १८७० ई० में हुआ था। १८७४ ई० में उनके पिता श्री अटल विहारी चटर्जी रेलवे कमचारी होकर साहेबगंज काम करने आए। १८९४ में Entrance इन्ट्रेंस पास कर कलकत्ते से (Frirst Arts) एफ० ए० पास करने के बाद सानुकूल बाबू ने १९०० ई० में डाक्टरी परीक्षा पास की और जिला बोर्ड के अधीन लक्खीसराय अस्पताल में नियुक्त होकर आए।

लक्खीसराय में ही उक्त श्री रामेश्वर बाबू से उनका परिचय हुआ और उन्हीं के आग्रह पर १९१० ई० सानुकूल बाबू नौकरी छोड़कर बड़हिया चले आए। बाजार में एक टुकड़ा जमीन खरीदकर बस गये औ यशपूर्वक डाक्टरी करते रहे।

इस गांव में वह व्यवसाय के लिए आए तो इसी गांव के होकर रह गये और यहीं मरे। उनके पु श्री नन्दगोपाल चटर्जी अभी स्थानीय एक यशस्वी डाक्टर हैं। इस परिवार की सेवाओं का आभार स्थानी जनता पर अवश्य है।

इन्हीं दोनों मित्रों—श्री रामेश्वर बाबू एवं सानुकूल बाबू-के विद्या प्रेम आग्रह एवं उत्साह से १९१२ ई० एक लोअर स्कूल की स्थापना बाजार के एक मकान में हुई। यह शीघ्र ही अपर स्कूल हो गया और १९१४ मिड्ल होकर अपने निजी भवन में कार्य करने लगा जो १९२७ से हाई स्कूल में परिणत होकर कायम है।

प्रेरणा तो आप दोनों से मिली। किन्तु जन्म और साकार रूप देने वाले आपके प्रमुख दाता श्री घनश्याम दास जगनानी जी एवं श्री हरदेव दास वडोलिया और गांव के प्रमुख सहायक थे मेरे पिता श्री नान्हा प्रसाद सिंह जी एवं श्री जटाधारी प्रसाद सिंह जी, धनराज।

आप सब आमरण इस स्कूल की प्रबंध समिति के सदस्य और पदाधिकारी रहे। मिड्ल स्कूल की अवस्था में उसके एक प्रधान श्री जगदम्बी सहाय जी (१९१४ ई० से १२ वर्ष तक) उल्लेखनीय हैं। शिक्षा प्रचार में एवं इस संस्था की प्रगति में आपकी सेवाएँ चिरस्मरणीय होना चाहिए।

देवघर के निकट रोहिनी ग्राम के श्री परमानन्द राय जी प्रथम शिक्षक होकर १९१२ ई० में आये थे और आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा के प्रथम दूत के रूप में। घर-घर घूमकर बच्चों को स्कूल भेजने के लिये परिवार को राजी करते हुए जब आप सर्वश्रेष्ठ धनी बाबू भभीछन सिंह से उनके एक मात्र पुत्र मंगनी बाबू को मांगने आये थे तो उनने इन्कार करते हुए कहा था कि कुछ पैसे हर महीना ले लिया करो, लेकिन मेरे लड़के को खराब मत करो। बाद में एक और हाई स्कूल, एक कांलेज, एक पुस्तकालय, कई मिड्ल एवं छोटे स्कूल कायम होकर विद्या प्रचार, कर रहे हैं।

श्री यदुनन्दन प्रसाद जी, १९२८ ई० में ग्रेज्वेट हुए जो इस गांव के प्रथम एवं इस थाने के दूसरे ग्रेज्वेट थे। उनके पहले हीरदन बीघा के एक सज्जन वकील हो चुके थे।

१९२९ में मैं पटना कांलेज से ग्रेज्वेट हुआ और १९३३ में वकील। इस तरह स्थानीय विशाल परिवार का मैं प्रथम ग्रेज्वेट हुआ और संभवतः इसी नाते स्थानीय लोक जीवन के निर्माण में काफी हाथ बंटाने का मौका मिला। आज केवल मेरे परिवार में ही एक दर्जन ग्रेजुएट हैं। वकील, डाक्टर, पुलिस सुपरीटेंडेन्ट, कृषि पशुचिकित्सक अधिकारी ई० विभाग में सब काम कर रहे हैं।

इस विशाल परिवार में अभी प्रोफेसर, वकील, डाक्टर, इन्जिनियर, मैजिष्ट्रेट ई० की संख्या यथेष्ट हो गई है। एक डाक्टर सीताराम सिंह तो लंडन में अभ्यास कर रहे हैं।

जमीन्दारी प्रथा के उन्मूलंन के पहले तक तो शिक्षा उपार्जन की ओर ध्यान बहुत कम था। अंग्रेजी शिक्षा को वे केवल अर्थकरी विद्या मानते थे। धर्म, जाति और सभ्यता पर बढ़ता हुआ खतरा मानते थे। परन्तु विवाहेच्छुक कुटुम्ब जब अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त वर का तलाश करने लगे तो तिलक के लालच से चूंकि तिलक प्रतिष्ठा की बात समझी जाती है, लड़कों को स्कूल भेजने की जरूरत होने लगी।

स्वाधीनता प्राप्ति के बाद से और विशेषत: जमीन्दारी प्रथा के उच्छेद के बाद से शिक्षा उपार्जन की ओर आश्चर्य जनक झुकाव हुआ है। काफी खर्च और काफी कष्ट उठाकर और लगन पूर्वक अपने लड़कों और लड़कियों को भी स्कूल कालेज भेजने लगे हैं। यह प्रगति सन्तोष जनक है।

लड़कियो को पढ़ाने की रूचि और प्रवृति भी जोर पकड़ रही है। बी० ए०, एम० ए० पास कन्याएं और बहुएं तैयार हो गइ हैं। एक कन्या महिला डाक्टर एम० बी० बी० एस० भी हैं। अनेक परिवारों ने अब दो पीढ़ियों एवं तीन पीढ़ियों में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त कर ली है।

परन्तु नि:सन्देह यह शिक्षा प्रेम सर्वरूपेण; व्यवसायिक है। धर्म, सभ्यता या ज्ञान पिपासा की भावना इसके पीछे अभी कम ही है।

जिस कारण भी हो, जिस उद्देश्य से भी हो इस प्रवृति का स्वागत है। शिक्षा से प्राप्त पद, प्रतिष्ठा और पैसे का स्वाद अब मिलने लगा है। अब कोई बाप नहीं कहता कि मेरा बेटा कायथ का बेटा नहीं है कि उसका पढ़ना जरूरी हो।

निवास :

निवास और मकान के सजावट या साज सामान का कोई शौक या परिष्कृत रूचि स्थानीय लोगों को नहीं थी और अभी भी नहीं हो पाई है। साधारण किसान और मजदूर की तरह कच्चे या ईंट के मकान। चारो ओर से कमरे और बरामदे, बीच में आंगन पूरब या उत्तर की ओर प्रवेश द्वार, हवेली के साथ लगा हुआ एक बगमदा और कोठरी, मर्दाना व्यवहार के लिये बंगला या दरवाजा। बिना कमाए जाने वाला पायखाना, लगा हुआ बथान और भूसा या अनाज रखने का घर। एक कुंआ। साधारणत: एक नमूने और एक ही प्रकार का निवास। खटिया और चौकी का फर्नीचर। दरी, कंबल, चटाई का बिछावन, घरों में खिड़की बिल्कुल नहीं।

अब शहरीपन आने लगा है। कुछ शौक बदला है। रूचि में परिष्कार आया है और कुर्सी, टेबुल, रेडियो, बिजली का प्रवेश तेजी के साथ हो रहा है। नहीं तो लखपतियों के मकान भी उतने ही भद्दे और गन्दे,

छोटे और वेकीता हुआ करते थे, जितने गरीबों के। मिट्टी की दीवाल, खपड़ा पोश छप्पर, लकड़ी के खम्भों पाटन या शहतीर का फैशन था। इन लकड़ियों पर नक्काशी का काम होता था। इन खम्भों पर प्राय: तेल पालिश पड़ता था। उन दिनों रोशनी का एक मात्र साधन अंडी के तेल के दिये से काम चलता था। सामूहि भोज या बारात के अवसर पर उसी तेल से भींगो कर कपड़े के मशाल जलाए जाते थे जो काम नाई के जिम्मे था कड़ुआ तेल धनी लोग जलाते थे। रोशनी की जरूरत इन्हें कम ही पड़ती थी। संध्या होते भोजन कर सो जा थे। किरासन तेल के आने लगने पर बड़ी जल्दी उसका प्रचार हुआ। रेल स्टेशन पर चौकोर शीशावाले और बाद में लालटेन के प्रचार को लोग अचम्भा का बच्चा कहते थे। बाद में गेस बत्ती और अब बिजली प्रचार है।

वेष-भूसा :

इस दिशा में देशव्यापी क्रान्ति यहां भी व्याप गई है। पहले वेष–भूसा यानी केश विन्यास एव वस्त्र देखक व्यक्ति के सभी प्रकार का परिचय मिल जाया करता था। उसके धर्म, जाति, निवास स्थान, व्यवसाय और उम्र का भी। अवसर विशेष के लिये विशेष वेप-भूसा नियंत्रित था। अशौच, शौच, श्राद्ध एवं यात्रा से वापस आने पर सर के केशों का मूंड़ा जाना, नखवाल की हजामत आवश्यक और अनिवार्य था। जनेउ का बदलना भी। टोपी के बिना घर से बाहर नहीं जा सकता था। विवाह के समय शिरवानी, ऐवा टोपी या शमला के बिना प्रतिष्ठा नष्ट होती थी। दुल्हा का जामा अनिवार्य था। सरकारी दफ्तरों और कचहरियों के लिये चादर, पगड़ी आवश्यक थी। अधिक उम्र वाले चादर, पगड़ी अवश्य रखते थे चाहे अंगा कुर्त्ता नहीं भी रहे। हाथ में ए अंगोछा हर हमेशा स्वाभाविक था जैसा आज का रूमाल।

अब किसी प्रकार भी बंधन नहीं रहा। वेष-भूसा की सहायता से नहीं किसी को सम्मान पाने का अधिकार रहा और न दुत्कार।

१८१०-११ ई० के अपने विवरण में Francis Buchanan पृष्ठ १७९ पर भागलपुर जिला के प्रकरण में लिखते हैं :

*हिन्दी अनुवाद : ऊँचे दर्जे या ओहदे के लोग अभी भी बाहर अनेक अनुचरों के साथ निकलने के शौकीन हैं। खासकर सशस्त्र अनुचरों के साथ। परन्तु और तरह से देखने में दीन-हीन होते हैं। इनके विवाह समारोह

---

*"The people of Rank are still fond of going out with a numerous attendance specialy of armed men, but in every other respect their appearance is very mean and squalid and their marriage ceremonies are so enormously extensive, as to render the utmost parsimoury on other occasions absolutely necessary.

Funerals are conducted on rational principles but still are exceedingly burthen some.

The practice of hoarding Bullions is supposed to be very general specially among the middle ranks whose external appearance is in general very mean. No Brick houses. A few of meanest style houses are generally of mudwalls, Tiled roof, wooden painted clay-houses with double storey also."

बड़े खर्चीले हैं। इतने खर्चीले कि अन्य मौके पर इन्हें अतीव कृपणता की शरण लेनी पड़ती है। श्राद्ध कर्म में अधिक विवेक से काम लेते हैं। फिर भी काफी भारी बोझा है। सोना चांदी जमाकर रखने की आदत बहुत व्यापक समझी जाती है। खासकर मध्यवित्त श्रेणी के लोगों में। परन्तु ये लोग भी बड़े ओछे देखने में लगते है।

ईंट के मकान नहीं हैं। कुछ है भी तो छोटे और भद्दे किस्म के।

मिट्टी की दीवाल, खपड़े का छप्पर, लकड़ी का ज्यादा काम रंगे हुए। मिट्टी के घर दो मंजिले भी पाये जाते हैं।"

पगड़ी, चादर और बंद लगा हुआ अंगा, चपकन, अंगरखा, दाशरथी शैली की धोती, अंगोछा, स्थानीय पोशाक था। चंदन प्रायः किया जाता था। सर पर पीछे लम्बे लटकते हुए बाल और सामने ऊपर ललाट तक मुंडे हुए, कोनी काढ़े हुए। कान में और कंठ में सोने के आभूषण एवं गले में तुलसी की कंठी।

प्रत्येक धार्मिक कृत्य के समय पूजा के समय एवं भोजन के समय, कंबल पर बैठना और धोती चादर के अतिरिक्त कोई वस्त्र नहीं रखना अनिवार्य था।

आसन के बिना भोजन नहीं हो सकता था। बेरादरी भोज के समय खड़ पत्ते का बिण्डीं एक फूट का बैठने के लिए देना जरूरी था।

कपड़े प्रायः मुसलमान दर्जियों के सिले होते थे इसलिये सिले हुए कपड़े पवित्र कार्य के समय अशुद्ध माने जाते थे।

मोटिया कपड़ों का प्रचार अधिक था। उनी रेशमी का बहुत कम। ऊनी. बनारसी, जड़ी, किमखाव, ढाका, लखनउ मारकीन, अमेरिकन, फरासीसी (French) दरेस (Twill) डोरिया (Slripes) चरखाना (chex) दोसूती (Twisted) मलमल झीना ई० का प्रचलन था। कहा जाता है कि बटनदार कुर्ता और पल्ला टोपी का प्रचार संयुक्त प्रान्त के जागीरदारों के आने पर यहां हुआ था। कोट, कमीज ई० का अंग्रेजों के आने पर।

विधवाएं भूल स भी रंगीन वस्त्र नहीं पहन सकती थीं। सधवाएं भूल से भी सफेद वस्त्र नहीं धारण कर सकती थीं। उनके झूला या अंगिया सीधा सादा बिना बटन के होते थे। विवाहोपरान्त वे चादर के बिना किसी के सामने नहीं आ सकती थी जिसे दोपटटा कहा जाता था। चादर के दो पाट से बना हुआ। साड़ी के नीचे का सद्दुआ अभी यथा स्थान कायम है।

मर्दानी चादर इसी तरह डेड़पट्टी कहा जाता था। १०।१२ वर्ष तक या उपनयन के पहले तक बच्चे भगवा, लंगोटे पहन कर रहते थे। ५।६ साल तक नंगे। जाड़े में गांती(सिर-कान दाढ़ी तक बन्द) रहता था या कनझपा टोपी। गांव के दर्जी के हाथ सिले हुए कपड़े पहनते थे किन्तु कपड़े धोबी को कम ही धोना पड़ता था।

कपड़े पहनते भी कम ही थे। बाहर जाना ही तो कम था। ,किसी के दरवाजे धोबी को देखकर सन्देह होता कि कहीं बाहर न्योते आदि में किसी को जाना है। कुटुम्ब स्वच्छ वस्त्र पहन कर आते थे। स्कूली शिक्षा के प्रभा से लड़के साफ सुथरे रहने लगे थे। बूढ़े बुजुर्ग मजाक करते थे कि लड़के दामाद में फर्क ही नहीं मालूम होता है, एक ही रंग रहते हैं। रंगीन धोती पहनते थे। विना रंगे नये वस्त्र का व्यवहार नहीं था चर्खा कातने की रीति थी। कपास भी पैदा होता था, ऐसा सुना जाता है। जाड़े में रूईदार अंगरखे, मोटीआ के दोहर और मोटिया का ही रंगीन रजाई चलता था। बाजार का प्रवेश, वस्त्र, भोजन या किसी शौकीनी वस्तु के लिये निम्नतम था। घरों में बोरसी और घूरा अवश्य रखे जाते थे जो जाड़े में Fireside club का काम देता था।

धनी से धनी घर की महिलाएं भी जूता पहनना नहीं जानती थी। उनका जूता पहनना अपराध के समा समझा जाता था। वेष-भूसा, रहन-सहन और मकान की सादगी अनुपम थी। खर्च भी कम। दिखावा भी कम। मर्दानों के जूते अपने चमारों के बनाये चमरखांनी होते थे। कठोर और मजबूत। पुरूषों का शिखा-सूत्र अनिवार्य था। एक क्षण भी शिखा सूत्र के विना असंभव था। महिलाओं के उसी तरह सेन्दूर और लहठी-लाह की चूड़ियां थीं। लहठी का स्थान अब शीशा और प्लास्टिक की चुड़ियों ने ले लिया है। किन्तु किसी रूप में मौजूद है। शिखा सूत्र का लोप तेजी से हो रहा है। खुले केश रखने का चलन नहीं था। उसे शोखी का काम समझा जाता था। मोम पर छोटी-छोटी चम, कियां, अवरख के टुकड़े मांग की दोनों ओर एवं ललाट पर साट कर रखना विशे शृंगार था। केशों की चोटी में काले कपड़े या जड़ी के कपड़े भी गूंथे जाते थे। आँचल सर के नीचे नहीं उतरता था। प्रत्येक अंग का ढंका रहना शिष्टता थी। फूलों से शृंगार करना महिलाएं नहीं जानती थी। अभी भी यह प्रथा नहीं चली है। गाला, ओठ रंगना भी नहीं, परन्तु नाखून और पांव की अंगूलियों में लाल महावर या अरता के रंग नाइन आकर लगाती थी।

लोहे के छोटे मोचना से रोएं नोचे जाते थे। सीक के झड़नी से Hair Brush का काम चलता था। महिलाओं में गोदना का प्रचलन कम था। काजल प्रायः सभी कुमारी एवं सधवाएं सहवासिनी करती थीं। केश की चोटी को खोपा कहते थे। उंचे और घने कभी-कभी नुकीले।

इनके Toilet Box को मुंह पोछनी कहते थे। आभूषण प्रेम अत्यधिक था। अभी भी है। शोभा, शृंगार के साधन से अधिक इसको संम्पति, वन्द कोष या, संकट कोष (Reserve Fund) का स्थान मिला हुआ था। किन्तु प्रायः यह व्यक्तिगत नहीं होकर पारिवारिक संपत्ति होता था और पारिवारिक विभाजन के समय इसका भी बंटवारा होता था, अभी भी होता है। यधपि यह हिन्दू कानून के स्त्री-धन नियम के विपरीत बात है। ये आभूषण इतने कड़े और भारी होते थे कि प्रायः शरीर में चोट लग जाया करती थीं। स्था.ीय प्रचलित

स्थानीय-प्रचलित आभूषणों के स्थानीय नाम :

सरपर टीका या मांग टीका :	जूड़ा में।
कान में :	कनौसी, कर्णफूल, कुण्डल, कान की पत्ती, झूमक, तड़की, लौंग।
नाक में :	नथ, नथुनी, बुलाकी, नकवेसर, गुल्फी, कील।
गर्दन	हार, हंसुली, चीक, कैठा, कंठसर।
हाथ :	जौसन, बाजू, ठेला, वलिया, कंगन, वांक, पहुंची, अंगूठी, हाथ-संकर
कमर :	कमरधनी, डड़ां-कस।
पांव	छर्रा, काड़ा, गोड़ायं, छागल, पायल, विछियां।

पांव के आभूषण प्रायः चांदी के होते थे। उसके ऊपर के सोने के थे। कला, रूप, रूचि की दृष्टि से वे भद्दे होते थे किन्तु ठोस, वजनदार होना जरूरी था। वजन पर ही अधिक ध्यान होता था। चूंकि गहना जेवर इनकी पूंजी में गिना जाता था।

तव साबुन का काम वेसन, आम की खटाई, आंवला, टाल की काली मिट्टी और अपने बनाये हुए तरह-तरह के उवटन से लिया जाता था। सुगन्धित तेल और इत्र का अच्छा प्रचलन था।

भोजन :

गेहूं, चना, मसूर, तिल, सरसों प्रमुख भोजन था और है। मांस, मछली का भोजन दिनों-दिन कम रहा है। कमता ही जाता है। खरीद कर फल सब्जी खाने का प्रचलन कम है। घी, दूध, घर-घर में चलता है। भोजन शुद्ध पवित्र और भर-पूर पुष्ट भोजन का शौक यहां शुरू से रहता आ रहा है। खाद्य पदार्थ की शुद्धता, चौके की पवित्रता, सुस्वादु और पोष्टिकता यह सब पर इनका या इनकी गृहिणी का विशेष ध्यान और यत्न रहता है। चावल शौकिया भोजन हैं। भूना अनाज लोकप्रिय भोजन। दूध घी, दही घर-घर रहता था। आम, महुआ, कटहल, जामुन, अमरूद, केला; प्रधान फलाहर था और है। कद्दू, परोर, ननुआ, झींगा, करैला, साग, भटा वैगन भिण्डी ई० तारकारियां अपनी उपज है। केराव की अदौरी, तिलौरी कोहरौरी, वेसन के बड़े, रामसालन ईत्यादि अनाज की तरकारिया खाते हैं। फूट, ककरी, वतिया, तरवूज, खरवूज, लालमी, दियारा के फल स्वाद से खाते हैं। कौनी, सामा, नरकटिया, चीना, इत्यादि दियारे के अनाज हैं। परन्तु शौक और पैसे की बढ़ती के साथ ये सब अनाज या केराव खेसारी भी खाना कम गया है। चावल का शौक बढ़ गया है।

वेरादरी भोज और ब्राह्मण भोज प्रायः विशाल और खर्चीले होते हैं। किसी भी सामूहिक भोजन में मांस नहीं दिया जाता। पाचक, रसोइया या रसोइनी रखने की रीति है जो स्वजातीय होते हैं परन्तु, अपने गांव के नहीं।

स्थानयी गरीव, किसान, मजदूर का लोकप्रिय भोजन है बूंट, और गेहूं का मांड़, रोटी, लीटी, सत्तू, जिसे तरह-तरह से पका कर खाया जाता है।

भोजन, पानी और चौका के छूआछूत में ये इतने कठोर और संकीर्ण थे कि दूसरे ब्राह्मणों का छूआ भी नहीं खाते थे। अभी ऐसे कट्टर पंथी जीवित हैं। शिवजी का प्रसाद भी नहीं खाते थे। छूआछूत के बारे में इनके नियम अपने थे। जिनको समझने में तर्क या विज्ञान सहायता नहीं कर पाते थे। कौन सी खाद्य वस्तु, किस अवस्था में किस जाति के व्यक्ति से स्पृश्य और अस्पृश्य मानी जाती थीं, खड़े-खड़े जलपान या भोजन लेना गौघात के समान पाप था। लीपापुता हुआ चौके पर काठ के पीढ़े पर आसनी या कंवल पर बैठकर हाथ पैर मुंह धोकर ही भोजन हो सकता था। पीने का पानी दाहिनी तरफ रखे जाने का नियम था। इतने नियमों के साथ भोजन शुरू होता था। भोजनोपरान्त भी हाथ, पांव, मुंह का धोया जाना आवश्यक था।

परन्तु, गांधीजी के प्रवल प्रभाव से शारीरिक एवं भोजन संबंधी संकीर्ण भावनाएं जाती रही। अब व्यक्तिगत रूप से कोई भले ही इस मृत प्रथा से चिपके पड़े हों तो हों।

जिस व्यापकता एवं तीव्र गति से गांधीजी के अस्पृश्यता निवारण कार्यक्रम को सफलता मिली, बढ़ते हुए शहरी और घुमन्तु जीवन ने भी उनका साथ दिया। उसी मात्रा में यदि अन्तर्जातीय और विधवा विवाह को भी सफलता मिलती तो आज भारत की राष्ट्रीयता पर कोई आन्तरिक खतरा नहीं रहने पाता। महात्मा जी ने इन प्रश्नों पर ध्यान अवश्य दिया, कहा भी, कुछ किया भी परन्तु अधिक बल देने का मौका ही उन्हें नहीं मिल सका। अब नजर में कोई वैसा शक्तिशाली व्यक्ति भी नजर नहीं आते जो इसे धक्का दे सके।

व्यसन :

इन लोगों को अमली-मादक द्रव्य प्रेमी कभी नहीं कह सकते। शराव और जूआ तो यहां घृणित वस्तु है। तम्वाकू का प्रचार अवश्य था। हुक्का चीलम, गुड़गुड़ी, सूखा का स्थान अव वीड़ी सिगरेट ने ले लिया है। धनिकों की गुड़गुड़ी चांदी की होती थी। महफिलों में सोना-चांदी की गुड़गुड़ी चिलम-पौश, नरचा शोभा के लिये सजाये जाते थे। खैनी चलता है। परन्तु यह सव भी कम ही है। ताश का खेल है।

संगीत प्रेम :

संगीत कला का प्रेम, अभ्यास और प्रचार इस स्थान पर अच्छी तरह हुआ था। शास्त्रीय सगीत, भक्ति संगीत, पद एवं भजन का गायन, संकीर्तन इत्यादि का काफी प्रचार था। संध्या समय प्राय: इस पवित्र कला की सेवा में व्यतीत होता था।

शास्त्रीय संगीत का प्रवेश इन 'पछांह' के जागीरदार इंगलिशियों के सत्संग से हुआ, ऐसा विश्वास किया जाता है। श्री अवध की वैष्णव रामभक्ति और उपासना से संगीत प्रेम को उत्तेजना मिली। झूलन प्रचार से इसकी सवृद्धि हुई तथा संपन्नता एवं ऐश्वर्य वृद्धि के साथ इसकी परिपुष्टि हुई। रामलीलाओं से संगीत की लोक-प्रियता बहुत बढ़ी होगी। उन दिनों अभिनय के सभी पात्रों की वार्ता भी पद्य में ही गायी जाती थी; ओपेरा या गीतनाट्

की भांति। इसके अतिरिक्त स्थानीय भूमिहारों के विवाह का रस्म तो नाच के बिना पूरा ही नहीं होता था और अब भी ऐसा ही प्रचलन है। यों तो जन्म, मुंडन, उपनयन, विवाह, देवपूजन किसी भी संस्कार के अवसर पर संगीत और बाजा अनिवार्य देखा जाता है। श्राद्ध और शवदाह भी संगीत एवं बाजा के बिना नहीं होने पाता है।

संगीतकला के प्रति परिष्कृत प्रेम का परिचय इससे मिलता हैं कि उत्तर भारत के प्रायः सभी उत्कृष्ट संगीतज्ञ एवं नर्तकों को बड़हिया लाया गया।

लखनऊ के सुप्रसिद्ध कथक घराने के बिंदादीन और कालिकादीन महाराज भी यहां आये हुए हैं। कमला झरिया, विद्याधरी, अनवरी, जानकीबाई, गौहर ईत्यादि भी।

महिलाओं का मंगलगान प्रत्येक मंगल कृत्य तथा गंगा स्नान, जगदम्बा पूजन एवं देवपूजन के समय अनिवार्य ही है। उनके ग्रामगीत और कंठस्वर दोनों ही सरल और मधुर होते हैं।

जागीरदार श्री चंडीदत्त मिश्र, उनके तीन पुत्र, पौत्र चक्रधर मिश्र जी, श्यामदास, रामदास मिश्र जी का उल्लेख किया जा चुका है। राय साहब टुकानाथ सिंह, बाबू अयोध्या प्रसाद सिंह (सावर्णिया), श्री सिद्धेश्वर प्रसाद सिंह, श्री गीरु सिंह, श्री गोरेलाल सिंह, श्री द्वारिका प्रसाद सिंह (सावर्णिया), श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (सावर्णिया), बाबूलाल सिंह (लालगुणी), खांड़ों दुसाध (कालागुणी) इत्यादि सज्जन के नाम संगीतज्ञ, संगीत प्रेमी एवं संरक्षकों के लिये उल्लेखनीय हैं। रेडियो एवं सिनेमा के इस युग में स्वभावतः यह कला अब ह्रास पर है। स्व० श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (सावर्ण) इस प्रसग में विशेष उल्लेखनीय हैं। संगीत का शोक भी, कुछ ज्ञान भी परन्तु प्रेम अत्यधिक था। संगीत सेवा में काफी खर्च करते और गवैयों को प्रायः लाते रहते थे।

कुश्ती और व्यायाम :

शारीरिक व्यायाम एवं कुश्ती के काम में यहां के लोगों ने विस्मयजनक एवं अतिशय उन्नति की थी और काफी ख्याति प्राप्त की थी।

वास्तव में पुष्ट एवं शुद्ध भोजन, संतुष्ट स्वच्छंद जीवन, चिन्तामुक्त, अवकाश एवं शारीरिक श्रम का अभ्यास, इन्हें कतिपय कारणों से उनका विकास इस क्षेत्र में अनुकरणीय परिमाण में हुआ।

चना, गेहूं, घी, दूध, फल का भोजन सामान्यतः स्थानीय जनता में प्रचलित है। शरीर के आकार और रंग रूप में औसतन दर्शनीय व्यक्ति यहां मिलते हैं।

कहा जाता है विख्यात बाबू कुंवर सिंह अपने परिवार के एक बारात में गिद्धौर जाते समय बारात के साथ बड़हिया में दो तीन दिन ठहरे। उनके पहलवानों का स्थानीय पहलवानों ने सफलता से मोकाबला किया। प्रसन्न होकर इनाम बांटे और कहा कि अपने शाहाबाद जिले के बाद बड़हिया में ही उन्हें मर्द देखने को मिले।

कुश्ती का शौक कुछ ऐसा लोकप्रिय है कि अमीर गरीब सभी घरों के लड़के अभ्यास करते थे। बहुत समय तक तो प्रत्येक परिवार का एक व्यक्ति अवश्य ही इसका अभ्यास करता था कि संकट के समय परिवार की रक्षा कर सके। जैसे अभी प्रत्येक परिवार एक व्यक्ति को कुछ दिन के लिये भी स्कूल अवश्य भेजता है। कुश्ती की शिक्षा और अभ्यास के लिये अखाड़े कायम थे। प्रत्येक अखाड़े के एक उस्ताद थे जिनकी मर्यादा और प्रतिष्ठा उनके शिष्यों के बीच दीक्षागुरू की तरह ही थी। यह उस्ताद अभ्यास; भोजन एवं संयम के मामले में अपने प्रत्येक शिष्य पर कड़ी नजर रखता और कठोरता से अनुशासित करता था, शिष्य की सफलता पर वे अपनी सफलता से भी अधिक सन्तोष लाभ करते थे और अभिमान रखते थे। कुछ उल्लेखनीय उस्ताद निम्नलिखित हैं:-

शिवटहल सिंह, जागीरदार
देवनाथ सिंह, राधामोहन जी के मन्दिर में
हरगौरी सिंह, वद्रीदास जी के मन्दिर में
हरदयाल सिंह, श्याम सखा जी के मन्दिर में
एवं जीलू लाल सिंह, इन पांच प्रसिद्ध उस्तादों ने अपने अखाड़े सर्वप्रथम कायम किये थे।
इनके अतिरिक्त अभी छोटू सिंह का अखाड़ा देवदास जी के मन्दिर में
धीरज सिंह का अखाड़ा, राजा जी के मन्दिर में और
रामाश्रय सिंह का अखाड़ा, भवानी जी के मन्दिर में भी चालू है।

इन अखाड़ों की एक सुन्दर परिपाटी देखने में आती है कि प्रायः ठाकुर मन्दिर के प्रांगण में इसकी स्थिति रहती है जहां के पवित्र वातावरण से इन्हें अवश्य ही प्रेरणा मिलती थीं।

जीवित पहलबानों में से कुछ उल्लेखनीय नाम नीचे दिये जाते हैं। संभव है कुछ छूट भी गये हों।

लूटन, हरदेव, अन्तू, श्यामली, कामता, विश्वनाथ, वैद्य, रामवालक, रमावल्लभ, शोसन, सिया, बुधन, जाटो, बनबारी, सिया, नरेश, धीरज, दाऊ, रामेश्वर, रामाश्रय, सुदामा, शिबू, वाल्मिकि, कुरो, चन्द्रेश्वर, परमानन्द, रामचन्द्र, राजेन्द्र, इत्यादि ये सब सिंह हैं। एक पारो यादव भी उल्लेखनीय है। परन्तु, यहां के स्वर्गीय पहलवानों की सूची काफी बडी है और अतिही यशस्वी भी।

जागीरदारों में से अनेक पहलवान हुए थे। खाना खिलाना और कुश्ती खेलने का उन्हें व्यसन था।

श्री वैदेही शरण के परिवार का उल्लेख किया जा चुका है। बाबू शिवटहल सिंह तो अखाड़ा ही चलाते थे। इनके परिवार के व्यक्ति तलवार लिये विना घर से बाहर ही नहीं आते थे।

बाबू महेश सिंह के परिवार ने धन-ऐश्वर्य एवं प्रभाव में जिस प्रकार ख्याति प्राप्त की और बिलासिता की कहानियां भी उनकी प्रसिद्ध हैं तो पहलवान भी अति उच्च कोटि के उत्पन्न किये थे।

इस परिवार के भुवन, मोती, पोखा, लोधा, अंबिका, द्वारिका, तील्लू, रामगुलाम, जीतन, विख्यात पहलवान हुए।

भुवन सिंह का वजन १८ मन बतलाया जाता है। अम्बिका सिंह ११ मन। आधा मन दूध, चार सेर आंटा, चार सेर शकर, आधा मन आलू इन पहलवानों का नित्य का साधारण भोजन था। फलाहार ५०० से आमों से कम नहीं होता था और केले का एक घौदा। मेवा और सूखे फल बैलगाड़ियों पर पटने से लाया जाता था। इनको देखे विना, इनकी करामातों को देखे विना इसके विषय में प्रचलित कहानियों पर विश्वास करना कठिन होता है। भरपेट भोजनोपरान्त भूजा अनाज सेर दो सेर और समूची चारपाई पर फैलाया हुआ आंचार एक बार ही खा लेते थे।

एक पहलवान को एक सप्ताह का भोजन (कलेवा) देकर टाल के खेत का झाड़ पीटने भेजा गया था तो वह दो ही दिनों में सारा काम और सारा कलेवा भी समाप्त कर लौट आये थे।

रामचरण के वंशजों में से शिवसहाय, लोकी, जादो, भोला, इंद भी अच्छे पहलवान हुए। जीवित लूटन, दर्शनीय हैं और बाहर अनेक नामी दंगल मारे हैं।

धनराज पट्टी में बाबू गीता प्रसाद सिंह एक दर्शनीय और तेज पलवान थे। अच्छे घुड़सवार और घुड़सवारी में ही प्राण भी गंवाए। तीस फीट की उचाई पर से कूंद जाना मामूली काम था।

इन्द के वंशजों में से रामसहाय और दानी में अयोध्या, मुंशी, रामगुलाम एवं नुनूबाबू हुए है। जब उक्त बाबू रामसहाय से बाहर के एक पहलवान ने बाजी लेनी चाही तो इनने उसके ललाट पर दो तीन अंगुलियों से ठोकर मार दी और उसे सहन नहीं कर वह भाग गया। श्रीकंठ के वंशव भी पीछे नहीं रहे। घीवी, विन्देश्वरी, अंतू, शोसन इत्यादि स्मरणीय हैं। बछगोतियों में छोटू उस्ताद थे और बड़े-बड़े पहलवानों को तैयार करने का श्रेय उनको मिला।।

सावर्णों में जीवित कामता पहलवान सदा स्मरणीय हैं। प्रान्त में घूमघूम कर इनने पूरा यश अर्जन किया। सन् १९३४ की हरिजन यात्रा में गांधी जी की प्राण रक्षा देवघर के रेलवे स्टेशन पर इन्हीं के पराक्रम से हुई थी।

बाबू हरदयाल सिंह सावर्ण उनके तीन भाई एवं उनके चार लड़के एवं पौत्र सभी मशहुर पहलवान हुए। उनके भाई और लड़के कोई भी ६½ फीट से कम उंचे नहीं थे।

इनके एक पुत्र श्याम किशोर सिंह ने तो २१ वर्ष की अवस्था में ही पटना, प्रयाग, मथुरा, दिल्ली, जलंधर जाकर चौबे, जाट, पठान, राजपूत और पछांह पहलवानों से मोर्चा लिया एवं बराबर विजय प्राप्त की थी। सन्देह किया जाता है कि शत्रुतावश ही किसी ने उन्हें विष देकर २१ वर्ष की अवस्था में मथुरा में मार डाला। इनके छोटे भाई बाबू बदरी नारायण सिंह को देखने वाले तो अभी कितने ही जीवित हैं। सांढ़ों से लड़ते थे, दीवालों पर शहतीर चढ़ा देते थे। इनका रंग रूप आकार इमाम बख्श और गामा की याद दिलाते हैं। बाबू हरदयाल सिंह

के एक मात्र पौत्र रामाश्रय बाबू भी अपने समय के नामी पहलवान समझे गये। यद्यपि अपने परिवार में यह सब से छोटा और हल्का पहलवान माने जाते थे।

इनने अपने अखाड़े के लिये पटना के मिर्चा अखाड़ा के उस्ताद गंगू पहलवान और सुखदेव को बहुत दिनों तक यहां लाकर रखा और उनके परिवार को अभी भी आर्थिक सहायता दी जा रही है।

स्थानीय जनता का कुश्ती शौक इतना बढ़ा हुआ था कि यहां प्रायः दगल का आयोजन हुआ करता था। देश के नामी और मशहूर पहलवाना का दगल होता और बाजी जीतने वालों को इनाम दिये जाते थे। कुछ मशहूर पहलवानों के नाम, जिनने जौहर यहां आकर दिखलाए : दिये जाते हैं। वुझावन नट, अदालत्, सुखदेव ओझा, बलदेव ओझा, गुलाम अहमद, भूरे, जंगा, चांद्रगौसा, सोना, ठाकुर मंगल, पूरन, प्रताप, रहीम वक्स इत्यादि। समझा जाता है कि कुश्ती में दावपेंच (Tricks) का प्रयोग पछिम के जागीरदारों की संगति से यहां लोगों ने सीखना शुरू किया।

कुछ दाव पेंच, के स्थानीय नाम हैं : दस्ती, उखेड़, घिस्सा, टांग, बहरली, धोबियापाट, मछीगोता, क्लाजंग, मुल्तानी।

नई शिक्षा, सभ्यता के प्रचार, जनसंख्या की वृद्धि, अवकाश की कमी एवं शुद्ध एवं पुष्ट भोजन के अभाव के कारण इस कला का ह्रास अवश्य ही हो गया है, होता जा रहा है, परन्तु अभी इसका अन्त नहीं हुआ है। अन्य स्थानों की अपेक्षा अभी भी यहां प्रगति सन्तोषजनक है।

जन-साधारण का स्वास्थ्य प्रायः अच्छा और सन्तोषजनक है। कवड्डी और शेल चुक्का, स्थानीय जनता के लोकप्रिय खेल थे। कवड्डी १½/२ घंटे तक चलता था। शेल चुक्का का बाजी कई दिनों में समाप्त होता था। शेल चुक्का का खेल आधुनिक क्रिकेट खेल का आदि रूप सा मालूम पड़ता हैं। ये दोनो ही खेल अब लुप्त प्रायः हैं।

दंड-बैठक और तैरना मुख्य व्यायाम थे। बच्चों में प्रचलित एक नुकवा चोरी खेल था। एक छिप जाता, बांकी उसे खोज निकालते थे। एक चीरा-मीरा खेल भी था इस खेल में एक पांव पर रेंगना या गुड़कना पड़ता था।

आधुनिक पश्चिमी देश के खेलों ने इन सबका स्थान ले लिया है। परन्तु खर्चीला होने के कारण इन खेलों में भाग लेने वाले की संख्या कम और दर्शकों की संख्या अधिक रहता है। २० २५ साल पहले तक चौपर खेलना और तित्तर बटेर एवं तिलंगी के बाजी का अच्छा शौक था। इन दंगलों में काफी खर्च था। शादी, झूलन में संगीत और नाच, कुश्ती और दंगल का जोरदार व्यसन था। मीरासी, बाई, रमजानी, तायफा, रंडी, खेलनी, नटीन, डोमीन, वखोरीन, दाय, मालिन, वगैरह का नाच अलग-अलग मौके पर कराने का रवाज था।

पुरूष नर्तकों मैं से कथक, नटुआ, भगलिया, झूमरिया, बजनियां, काठघोड़वा ई० लाये जाते थे। इधर आकर भीखरिया और विदेशिया वाले आने लगे थे। जाति विशेष के नृत्य-संगीत समारोह, विशेष प्रकार के भी थे और हैं। गांजा पीने के समारोह, ग्वालों के समारोह, मुशहरों के समारोह और डोमडोमिन के विशेष उल्लेखनीय हैं। नशा के लिये भांग एवं गांजा का व्यापक प्रचार था।

किन्तु इधर चंद साल से शराव का प्रचार उँचे और नाचे-वीच वाले नहीं-घरों में प्रवेश कर गया है। कुर्त्ता, टोपी, भांग-गांजा, तिलंगी, तीतर-वटेर इत्यादि के व्यसन का प्रचार जागीरदारों की संगति में हुआ, ऐसा वतलाया जाता है। वैलगाड़ी का प्रचार भी उन्होंने ही किया था। उसके पहले वैल पर सामान ले जाए जाते थे जिसे लदना वाला कहा जाता था। भाड़े पर ऐसे वैल देने वाले को लद्दु-व्यापारी कहा जाता था।

पर्दा :

पर्दा की कठोर प्रथा का भी लोप हो गया है। पत्नी से भी दिन काल में भेंट होना या बात करना असंभव था। भाई-बहन या वाप-वेटी भी कभी-कभी ही मिल पाते थे। पुरूष और स्त्री हवेली एवं बंगला पर इस प्रकार अलग-अलग रहते थे कि खास-खास मौके पर ही एक को दूसरी की स्थिति का ज्ञान हो पाता था। बंद पालकी के विना एक घर से दूसरे घर में जाना नहीं था। अव तो पालकी देखने को भी नहीं मिलती। किसी भी महिला, माता पत्नी, वहन वेटी का नाम होता था जरूर किन्तु ससुराल में उनका नाम नहीं लिया जाता था। कोई जानने नहीं पाता था। उनका संवोधन या उल्लेख नाम से नहीं वल्कि रिश्ते चाची, भैया, भौजी, दुल्हीन मैया या दर्जा वड़की चाची, मंझली चाची ई० या स्थान, पटना वाली भौजी ई० से होता था।

इस पर्दा प्रथा के प्रभाव से दाइयों का नाम भी नहीं लिये जाते थे। यद्यपि वे पर्दा नहीं करती थीं, फिर भी उनका उल्लेख उनके पति या पुत्र के नाम पर करने की प्रथा थी; जैसे दहुआ वहु (दाहु की औरत)। वुधुआ माई (वुधू की मां) इत्यादि।

स्वास्थ्य :

एकमात्र आयुर्वेद का प्रभाव विश्वास और प्रचार के कारण हकीमी या एलोपैथी इत्यादि के प्रति कोई आकर्षण इन्हें नहीं था।

इनका सर्वाधिक विश्वास ग्रहों, देवताओं और उनके दलाल ओझा, पुरोहित, डायनों, भगत इत्यादि में रहता था। ग्रह शान्ति एवं देवपूजन ही का मुख्य सहारा था। घरेलू दवाइयों की जानकारी प्रत्येक घर में थी और उनकी काफी सहायता ली जाती थी। फिर तत्कालीन देहाती चिकित्सकों का भारी दल जो भांति-भांत रूप से काम करते थे।

वैद्य, कबिराज, जर्राह, हजाम, गोदनावाले, गोटपछवा, पाछदेनेवाले, ओझा, गुणी, तंत्री और टोटका से चिकित्सा करने वाले, झाड़फूक कर आराम करने वाले इत्यादि।

दैवी प्रकोप के विश्वास का ज्वलन्त उदाहरण चेचक के प्रति इनकी धारणा का है। शीतला, कोदवा, मोतीझरा इत्यादि सात बहने हैं। ये ही जब आक्रमण करती हैं तो छोटे बड़े दाने के रूप में शरीर में निकल आती है। पूजा देने से ये शान्त होती हैं। इनका पाछ (Vaccination) की प्रणाली जब चली तो उसे भी धार्मिक रूप दिया गया और तब पाछ लेना इनने स्वीकार किया। दश दिनों तक ये गोट पछवा इनकी पूजा करते हैं। तप चढ़ाते हैं तब उतारते हैं। उनको इंनाम में वस्त्र भोजनादि दिया जाता है। इसी तरह प्लेग, हैजा, सांप विषहरी देवी अनेक भयंकर महामारी की पूजा का प्रचलन था जो अब लुप्त हो रहा है।

उत्तराधिकार:

यह परिवार मिताक्षरा हिन्दू शास्त्र से अनुशासित है। १९२९, १९३७ एवं १९५६ के तत्संबंधी कानूनों से उक्त शास्त्रानुसार इनका उत्तराधिकार चलता है। उसके विपरीत कोई प्रथा, कुलाचार या लोकाचार या देशाचार नहीं है।

सिवा इसके कि पारिवारिक विभाजन से ज्येष्ठ पुत्र को ज्येष्ठांश मिलता है। इस ज्येष्ठांश की मात्रा भी एक समान नहीं है। ज्येष्ठांश चल और अचल संपति दोनों ही में मिलता है। पारिवारिक देन में भी उन्हें उसी मात्रा में ज्येष्ठांश लेना होत है। कुछ परिवार में समस्त संपति का बीसवां अंश ज्येष्ठांश का होता है। कुछ में ग्यारहवां। अधिकतः बीसवां अंश मिलता हैं। ऐसे भी उदार उदाहरण हैं जब ज्येष्ठ अधिकारी ने स्वेच्छा से ज्येष्ठांश लेना त्याग दिया जिसमें एक एदाहरण मेरा भी है।

विभाजित हो जाने के पश्चात अविभाजित परिवार के कुटुम्ब एवं अन्य अतिथि, अभ्यागत के स्वागत सत्कार एवं अविभाजित पारिवारिक देय के भुगतान आदि का उत्तरदायित्व ज्येष्ठ भागीदार का होता है। इसी सिद्धान्त पर ज्येष्ठांश देने की प्रथा चली थी। किन्तु ज्येष्ठांश लेकर इस उत्तरदायित्व का यथोचित निर्वाह करने वाले कम ही देखे जाते हैं। बाबू रामधन सिंह रामचरण के देहान्त के बाद उनकी संम्पत्ति उनकी दो धर्मपत्नियों श्रीमती मनरूप कुंवरी एवं श्रीमती परी कुवांरी के अधीन रही। १९३३ में अन्तिम पत्नी का देहान्त हुआ और उस संपत्ति का झगड़ा उठा। संपत्ति विशाल थी अतएव झगड़ा भी विराट हुआ और अभी तक सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है।

शास्त्रानुसार बाबू रामधन सिंह के आठ सन्निकट पितृ बन्धुओं (Agnates) गोतियों ने दावा किया और पटना हाईकोर्ट तक सफल होकर दखलकार हैं। उस वंश के शेष अन्य पितृबन्धु की ओर से जो इन आठ उत्तरा-

धिकारियों से नीचे पीढ़ी के वंशज है, यह दावा पेश किया गया कि इस वंश में उत्तराधिकार संबंधी एक विशेष प्रथा प्राचीन काल से चली आ रही है। उस प्रथा के अनुसार "दूर के वंशज को सन्निकट वंशज उत्तराधिकारी से वंचित कर देता है" वाला नियम इस वंश में नहीं माना जाता है। अर्थात दूर या निकट सभी वंशजों को समान रूप से उत्तराधिकार प्राप्त होता है। पटना के उच्च न्यायालय ने निर्णय किया कि ऐसी प्रथा प्रमाणित नहीं हुई है।

संस्कृति :

कुल, शिक्षा, व्यवसाय, धर्म, संगति एवं परम्परा से संस्कृति का निर्माण और परिवर्तन होता है।

ब्राह्मण का कुल, साक्षरता भर की शिक्षा, कृषि का व्यवसाय, शुरू में शाक्त और बाद में वैष्णव धर्म, ठेठ देहाती संग और ग्रामीण परम्पराओं के योग से स्थानीय जनता की संस्कृति का निर्माण हुआ है। यह परम्परागत संस्कृति १९२२-२५ तक अक्षुण्ण अखंडित चलती आई ऐसा माना जा सकता है। १९२०-१९३२ तक के दशक में अंग्रेजी शिक्षा और गांधीजी की सुधारवादी क्रांतिदर्शी राजनीति की लहरें प्रायः एक साथ ही इन तक पहुंचने लगी, तब इनकी संस्कृति में मोड़ आया। फिर १९४७ से १९५५ तक के दशक में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त बुद्धिजीवी के आविर्भाव, जमीन्दारी के उन्मूलन और शहरीपन के विकास की गरम नरम हवाओं ने संस्कृति की धारा को दूसरा मोड़ दिया। अब साम्यवाद, समाजवाद, फिल्मी साहित्य और वैज्ञानिक चमत्कार, प्राचीन संस्कृति को चकनाचूर कर शून्य पैदा कर रहे हैं। हमारी परम्परायें टूट चूकी हैं, प्रत्येक क्षेत्र में हमारे सुरक्षित "जीवन मूल्यों" का विनाश हो गया है। आदर्शहीन, उद्देश्यहीन, सिद्धान्त विहीन हमारा जीवन नहीं मालूम किस ओर विच्छिन्न प्रवाहित हो रहा है।

धर्मान्धता के गर्भ से देशभक्ति की राजनीति ने हमें बाहर निकाला। गांधी, टैगोर, प्रेमचन्द ने सदाचार, सुनीति और मानवता के पाठ दिये किन्तु स्वाधीनता ने उन महान उद्देश्यों को दृष्टि से ओझल कर क्षुद्र एवं मात्र स्वार्थ-साधना के पथ पर हमें लाकर खड़ा कर दिया है।

ईश्वर, धर्म, देश, समाज और परिवार सबके बंधन, भय एवं भक्ति के आकर्षण शिथिल होकर, टूटकर बिखर चुके हैं। सबसे स्वतन्त्र होकर सबसे विलग एक अकेला ही प्रत्येक व्यक्ति सारे धन और सुख साधन को बटोर कर जीवित रहना चाहता है, परन्तु उसे शान्ति और सन्तोष वहां भी नहीं मिल पाता। तो अन्तिम पीढ़ी यानी पिछली पीढ़ी जिनकी उत्पत्ति उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त तक हुई थी, उनकी क्या स्थिति थी ? तत्वज्ञान, तर्क मनोविज्ञान और दर्शन के चक्करदार झमेलों से वे सदा अनभिज्ञ रहते थे। कुछ धार्मिक विश्वास किन्तु अधिक अन्धविश्वास के भरोसे जीवन-यापन करते थे। राष्ट्र और राजनीतिक की सृष्टि भी नहीं हुई थी। गुरु-पुरोहित का वचन, धर्मशास्त्र का अन्तिम वचन था। जाति का बंधन, समाज का बंधन, रीतिं-रवाज का बंधन, का उलंघन अक्षम्य एवं असभव था। विचार और वचन की कुछ स्वतन्त्रता अगर थी भी तो आचार की स्वतन्त्रता तो

लेश मात्र भी सहन नहीं की जा सकती थी। करने को खेती थी किन्तु हानि लाभ भगवान के हाथ में था। जो अपनी कृपा और नाकृपा वर्षा एवं वायु और कीड़ों के जरिये बतलाया करते थे। उनका पूजा-पाठ या ब्राह्मणों के दान, ग्रहशांति सभी संकट के एक मात्र उपाय थे। बिमारी का भी इलाज उनके ही हाथ था। "वैद्य करे वेदाई देव करे भलाई।"

परिवार में कोई विमार हो, तो बूढ़े-बूढ़ी की सलाह से कुछ उपचार किये जाते थे। अधिक भरोसा रहता था। झाड़, फूक और पूजापाट में।

ईश्वर और उनके सैकड़ों साथी या अनुचर देवी देवताओं के अलावे डायन, भूत, जिन और ओझा भी कम नहीं थे। वे उपद्रव भी करते थे और कृपा भी

फलतः ३०।४० की उम्र होते होते प्रत्येक प्राणी स्त्री-पुरूष कुछ धार्मिक विश्वास, कुछ दवाइयां और कुछ किस्से कहानी, कुछ भजन या गीत अवश्य जान लेता था, जो अंधेरी रात में समय गुजारने का सहार होता था। प्रत्येक कहानी 'एक राजा' था से शुरू होती थीं और कुछ नैतिक उपदेश देकर समाप्त होती थी। पौराणिक गाथाएं एवं हितोपदेश, पंचतन्त्र की कथाएं उनका आधार होती थीं।

स्नान के पश्चात गुरूमन्त्र, गायत्री एवं किसी विशेष देवी देवता का मंत्र चन्द मिनट आंख मूंदकर प लेना आवश्यक था।

शहरी, बाजारू जीवन नदारद था। प्रत्येक गांव आत्म सन्तुष्ट संस्था था। अखबार नहीं, रेडियो नहीं, रेलडाक नहीं। अपनी जरूरत की चीजें आसपास ही में पैदा होती थी। कारीगर और मजदूर पास ही थे। प्रत्येक परिवार के अपने पौनियां और बृतिया थे। पुरोहित, नाई, कुम्हार, धोबी, बढ़ई, लुहार, तेली, चमार, इत्यादि। कोई भी मजदूरी पैसे में नहीं मिलती थी और न कोई चीज खरीदने के लिये पैसा देना पडता था। पैसा तो पैदा नहीं होता था।

किसान पैदा करता था अनाज, वह अनाज देता था। कारीगर पैदा करता था सामान, वह सामान देता था। मजदूर देता था श्रम और सेवक सेवा। पडित पुरोहति ज्ञान पुण्य। जिनके पास जो था वह दे देते थे। जो नहीं था, वह पाते थे। यह था पारस्परिक सौदा यानी (Barter)।

कृषि व्यवसाय से जो कुछ बचत आमदनी होती थी उसे सूद पर लगाया जाता था। इस लहना से लगौनी बझौनी करके जो पैसा बना तो फिर उससे खेत हासिल किये जाते थे।

पौनियों को, नोकरों को, कुंटुंबों को, गौदान प्रायः हाल तक दिया जाता था। जन्म, जनेउ, विवाह, श्राद्ध के समय या यों भी। इस प्रकार शान्त, सन्तुष्ट, निरीह और एकान्तवासी की तरह मौन जीवन सारे समाज

का था। फिर भी वे जीवन के मूल्यों में विश्वास करते थे और उनकी कीमत अपने प्राण एवं संपत्ति का न्याछावर देकर भी करते थे। जाति-अपमान, धर्म-द्रोह और सामाजिक दुराचार उन दिनों सर्वथा असहनीय थे। वे मान्यताएं आज उपहास की वस्तु या निर्मूल या गलत मानी जा सकती है। परन्तु उनके मर मिटने का साहस, शहीद हो जाने का उमंग प्रशंसनीय था। वे नहीं तो आत्महत्या करते थे और न ही नशा के सहारे आत्म-विस्मरण।

मरांची कांड एवं बीरूपुर कांड का उल्लेख इतिहास के खंड में किया जा चुका है। वे घटनाएं सैकड़ों वर्ष पहले की थीं। अब दो घटनाओं का उल्लेख किया जाता है, जिनका समय बीसवीं सदी का प्रथम चरण है।

१९०२/३ ई० में पण्डारक गांव से प्लेग महामारी का रोग पहले पहल बड़ही के पास के गांव खूटहा में पहुंचा। बिहार प्रान्त में इस महामारी के चिह्न पहले पहल इस इलाके में ही प्रकट हुए। इसके शमन की कोशिश सरकार की ओर से होने लगी। इस रोग की उत्पत्ति यूरोप के ठंढे देश ही में हुई थी। प्लेग और चेचक से अंग्रेज बहुत डरते हैं। और प्लेग बाबा एवं शीतला रानी या मैया की पूजा यहां पूरे भक्ति भाव से होती है।

खुटहा डाक्टरों का दल चूहों के नाश करने एवं गांव को खाली कराने और जनता को इस महामारी के प्रकोप की बातें समझाने आया तो खूटहा वालों ने इसे धर्मद्रोह, देव-द्रोह और पाप बतलाकर उन पुण्यात्मा डाक्टरों को मार भगाया। बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर स्वयं स्पेशल ट्रेन में आए। ट्रेन ही में रहे और खुटहा के लोगों को प्लेग के प्रकोप को रोग मानने के लिये सैनिक बल से बाध्य किया। इसी मौके पर छोटा लाट साहब के स्वागत सत्कार करने के कारण बड़हिया के बाबू टुकानाथ सिंह (इन्द) को राय साहब की पदवी मिली थी जो इस गांव के एक मात्र राय साहब हुए हैं।

आगे आकर सन् १९२५ ई० में किउल के पास ग्वालों ने अपनी जातीय सभा कर अपने को क्षत्रिय घोषित किया और जनेउ धारण करने का संकल्प किया तो आस-पास के भूमिहारों ने इसे अपना जातीय अपमान माना। उनका ब्रह्म तेज जो जग उठा तो यादव के गांवों पर आक्रमण और प्रहार संगठित रूप से होने लगे और इस दंगे में बड़हिया के बाबुओं की भी सक्रिय सहायता थी।

स्पष्ट मानना चाहिए कि उनदिनों के इस तरह के दंगे के पीछे शुद्ध मात्र धार्मिक भावनाएं रहती थी। वे मान्यताएं चाहे गलत या मूर्खता पूर्ण रहती हों। पर अब के जातीय और सांप्रदायिक दंगों की तरह उनके पीछे जमीन छीनने का स्वार्थ या 'वोट' मिलने का लालच नहीं था।

समाजनीति :

सामाजिक दुराचार के प्रति भी लोग कठोर और असहिष्णु थे। व्यभिचारिणी महिला को प्राणदंड ही प्राय: मिला करता था और एसे दंड देनेवाले प्राय: अपने स्वजन ही हुआ करते थे। इस दंड के भय से कितनी अभागिनी को वैश्या हो जाना पड़ता था। भूल या भ्रम से भी अन्न-जल ग्रहण करने के कारण मुसलमान हो जाना ही पड़ता था।

इस प्रकार अज्ञान, मूर्खता, अंधविश्वास, धर्म एवं राजभय से पीड़ित समाज संकुचित एवं कठोर होकर बंधा हुआ जीवन अपनी रक्षा में लीन चल रहा था ।

बीसवीं सदी के साथ-साथ क्रान्ति के बाद क्रान्ति की लहरें आने लगी । यूरोप से मार्टीनलूथर की 'धर्म-क्रान्ति', फ्रांस से 'राज्य-क्रान्ति'; इंगलैण्ड से उद्योग–क्रान्ति; रूस से समाज-क्रान्ति, अमेरिका से-स्वराज्य क्रान्ति, जर्मनी से मनोविज्ञान-और इंगलैंड से विकास बाद की क्रान्तियां उठकर फैल गई तो अपने देश में ब्रह्म समाज, आर्य-समाज, कांग्रेस और गांधी जी ने क्रान्ति के प्राण फूके । इन तूफानों ने स्वभावतः ग्रामजीवन को झकझोर दिया।

फिर सभ्यता और सुविधा के साधन रेल, स्टेशन, डाक, जहाज. शहर बाजार, कल कारखाने, विजली इत्यादि ने उपयोगिता बाद की शक्ति को प्रमाणित किया और कट्टरता परास्त हुई ।

स्थानीय जनता के सांस्कृतिक जीवन की झांकी प्रस्तुत करते हुए कुछ विशेष उल्लेख भी आवश्यक है ।

अपनी ऐतिहासिक, जातीय, भौगोलिक एव व्यवसायिक परम्पराओं के कारण सादगी, निर्भीकता, एवं अदमनीय शूरवीरता इनके सामूहिक सद्‌गुण हैं । इन गुणों की मात्रा कुछ इतनी अधिक पाई जाती है कि इनके आलोचक इन गुणों को कृपणता और मूर्खता एवं लंठई समझने की गलती करने लगते हैं । परन्तु, अतिथि सत्कार कुटुंव-पालन, शादी विवाह, श्राद्ध ई० समारोह के खर्च और दान, धर्म-पूजन के आयोजन से उपरोक्त आक्षेपों का खंडन हो जाता है ।

उच्च वंश, एक परिवार, संपन्न, साक्षर, कभी रैयत या नौकर नहीं, होने के कारण इनकी निर्भिकता और आजाद-मस्ती स्वाभाविक है । रोमांश एवं Adventure की गुंजाइश नहीं होने के कारण इनकी कर्मठता मोकदमे बाजी में विकसित होती रही, यह दुर्भाग्य की बात है । परन्तु फिर भी कर्मठता और दृढ़ता प्रशंसनीय है।

मुंगेर जिला का District Gazetteer कहता है । पृष्ठ ८० :

* "कृषि का व्यवसाय इन वाभनों का मुख्य व्यवसाय है । कुछ दर्मयानी हकदार भी हैं । कुछ गोरेदार और कुछ गैर-गोरेदार । परन्तु, मूख्यतः छोटे जमीन्दार और साथ ही किसान । उच्च जातीय किसान होते हुए

---

* "The Babhans are mostly engaged in cultivation and characteristic occupation of the caste is that of settled agrieulturists.

They comprise Tenure-holders of all greads and occupancy and non-occupancyRayats but are to a large extent petty properietors as well as Tenants.

According to theirown account, though ranking as high caste cultivators, they are not particularly sought after as tenants because they can not be called upon for 'Begari' or forced labour and also because they can not pay a high rate of rent, for they will not plough themselves but employ labourers for the purpose.

The truth appears to be that their hold and over bearing character and their tendency to combine in strong and pagnacious brotherhood render them undesirable tenants in the eyes of an exacting land-lord."

भी इन्हें अपना रैयत रखना कोई पसन्द नहीं करता है। कारण इन्हें अपने आधिपत्य में रखना कठिन है। इनसे नहीं तो कोई बेगारी लेना संभव है और न इनकी मर्जी के विरुद्ध कोई काम। ज्यादा मालगुजारी भी इनसे वसूल करना सहज नहीं है। चूंकि स्वयं ये हल जोतते नहीं हैं बल्कि हल जोतने के लिये अलग मजदूर रखते हैं।

सच तो यह है कि वहादुर और दवंग होने के कारण एवं अपने वेरादरी का जवर्दस्त और जोरदार संगठन करने की आदत के कारण, कोई भी लालची जमीन्दार इनको रैयत रखना मंजूर नहीं करता है।"

स्पष्ट है कि यह जाति परांधीन रहना नहीं जानती है। परन्तु शासन कार्य एवं वीरोचित कार्य और स्वाभिमान रक्षा कार्य में निपुण एवं सफल मानी जाती है। इसी कारण व्यापार और नौकरी में इन्हें आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता, परन्तु संघर्ष शील, Competitive और पुलिस या न्याय या कार्यपालिका के शासन क्षेत्रों में इनकी इमानदारी और प्रभावशीलता का छाप माना जाता है।

इसी District Gazeteer के पृष्ठ ३३७ पर :

हिन्दी अनुवाद :

* "विहार पर वुद्ध एवं बौद्ध मत का खूब प्रभाव पड़ा था। पूर्व, पश्चिम एवं दक्षिण के पड़ोसी प्रान्तों से विपरीत मुंगेर या कहिए कि समस्त विहार में वौध सभ्यता के प्रभाव के अवशेष जहाँ-तहाँ अभी भी नजर आते हैं।

भोजन, वस्त्र एवं आचरण की सादगी, उनका आडंबर-हीन, साफ खुला सादा जीवन एवं पवित्र उंचा चिन्तन बौद्ध प्रभाव की देन है।

विशेषतः उच्च जाति के लोग जैसे ब्राह्मण एवं भूमिहार ब्रह्मण हाल तक निरामिष भोजी थे और मादक द्रव्य का सेवन नहीं करते थे।

राज परिवारों में, चौके में, पोशाक में, शिष्टाचार में, शिक्षा और व्यापार में, मुस्लिम प्रभाव स्पष्ट झलकता है। "

---

* "Budha and Budhistic culture had a great impact on Bihar unlike the sister provinces of the east, west and the south Monghyr, and for the matter of that Bihar has traces of Budhistic culture which are noticeable even to day.

The simplicity of the people of Bihar in food, dress and manners, their un-obtainousness, plain living and high thinking are some of the marks of Budhistic civilisation. The Bulk of the population and particularly the higher caste people like Bramhins and Bhumihar Bramhins were mostly vegetarion till late and not addicted to drink.

Influence of Moslem culture in cooking, dress manner of the Rais families, industries, education are quite apparent.

मुंगेर के सुप्रसिद्ध विद्वान वकील श्री हेमचन्द बसु, पुरातत्व के दो विश्व विख्यात विशेषज्ञ: महामहोपाध्याय हर प्रसाद शास्त्री एवं डाक्टर काशी प्रासाद जायसवाल जी के मत में भूमिहार लिच्छबियों के ही वंशज हैं। लिच्छबियों का अपना इतिहास है और अनेक दृष्टि से गौरवपूर्ण। मगध का परम प्रतापी सम्राट समुद्रगुप्त लिच्छवी के नाती हुए तो इस संबंध का इतनो अभिमान उन्हें हुआ कि अपनी स्वर्ण मुद्राओं पर वह अपना विशेषण लिखते थे। "लिच्छवी का नाती"। दौहित्रं लिच्छव्याः। इनका स्थान वैशाली गणराज्य था। ये जैन प्रभु महावीर तीर्थांकर की जन्म भूमि और भगबान बुद्ध के शिष्य थे। इस संबंध में एक सूचना उल्लेखनीय है। सन् १९२९ ई० में मुजफ्फरपुर में अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन का अधिवेशन देखकर मैं पटना बापस आ रहा था। श्री रामरूप शर्मा 'स्वेच्छ' जी और चन्द्रभानु जी साथ थे। हाजीपुर रेलवे स्टेशन पर डा० काशी प्रसाद जायसवाल जी के दर्शन हुए और मैंने उन्हें प्रणाम किया। उनने स्नेह पूर्वक पास बुलाकर बैठाया और परिचय पूछा। अपना परिचय पटना कॉलेज का छात्र कहकर दिया किन्तु, उन्हें सन्तोष नहीं हुआ और पूछ बैठे कि क्या भूमिहार कुल के हो? स्वीकार करने पर वह कहने लगे कि विहार का भविष्य इन्हीं भूमिहारों के हाथ है बशर्ते वे गांव छोड़कर शहरी नहीं बन जायं। अगर तुम अपना बेश भूसा नहीं बदलो। वीर लिच्छवी के ये वंशज हैं इत्यादि। उस समय मेरे सर में बड़े या लम्बे काढ़े हुए केश नहीं थे। खादी पहरावा और हाथ में कुछ नई पुस्तकें थी जो सम्मेलन में खरीदी थीं।

प्रत्येक पदार्थ और प्रत्येक व्यक्ति या समाज के गुण दोष दोनों होते हैं। इस समाज के प्रधान दोष है पर धन अपहरण की वृत्ति, बेकार आलसी जीवन और अकृतज्ञता।

काफी संपत्ति,शिक्षा और साधन के अभाव, सरल, सादा, सन्तुष्ट जीवन, देश की पराधीनता, प्राचीन विश्वास एवं परम्परा तथा अविभक्त परिवार संस्था इत्यादि के कारण बेकारी और आलसी जीवन था। ज्यों-ज्यों ये बाधाएं दूर हो रही हैं व्यक्तिवाद का विकास हो रहा है। जीवन मान उठ रहा है और अभिलाषाएं आकाश छूने लगी हैं, यह शिकायत दूर हो रही है। शिक्षा की ओर, नौकरी की ओर, व्यवसाय की ओर और खेती के विकास की ओर ध्यान जोरों से, काफी जोरो से जाने लगा है। परन्तु, पर धन अपहरण अन्य उपार्जित धन की प्राप्ति की चेष्टा इनका सर्वश्रेष्ठ पुरूषार्थ मालूम होता है। इस अभिलाषा की पूर्ति में ये अपना तन-मन धन सभी कुर्बान करते हैं। छल, कपट, हिंसा विश्वासघात, झूठ कुछ भी नहीं छोड़ते। अपने पूर्वजों को अस्वीकार करना, अपने नाते रिस्ते अस्वीकार करना और झूठे रिश्ते कायम कर लेना मामूली बात है। इस क्षेत्र में धर्म-गुरू, नीति, देवता, किसी को भी प्रवेश और बाधा नहीं करने देते। बरन उनकी सहायता भी झूठे मोकदमेबाजी की सफलता के लिये समारोह से ली जाती है। कहावत है कि कचहरी तो यहां है नहीं, सच क्यों नहीं कहते। यानी झूठ बोलने का एक मात्र स्थान है कचहरी। इस बारे समूचा समाज इतना पतित है कि झूठे मोकदमे की सफलता को निंदनीय नहीं माना जाता। बल्कि ऐसी सफलता प्रशंसा की ही बात होती है।

अपने दायाद या परिवार की निकट संबंधी महिलाओं की संपत्ति भी उन्हें दवाकर, यातना देकर, हस्तगत कर ही लेना चाहते हैं। मांग कर, प्रसन्नकर और राजी करके नहीं। लज्जा और खेद की वात है कि जो हमारे बीच धार्मिक पूजेरी एवं विद्वान धर्मनिष्ट हुए हैं वे इस क्षेत्र का भी नेनृत्व उसी लगन के साथ करते पाये गये हैं। वे स्पष्ट ही कहते हैं और मानते हैं कि यह है व्यवहार, यहां धर्म और भगवान का क्या काम? उस प्रकार धर्म को जीवन से हंटाकर अलग, विल्कुल अलग कर दिया गया है। इस पाप का शमन पूजापाठ कीर्तनादि से हो जाता है। शासक और शोपक अकृतज्ञ होते ही हैं। कोई इनकी सहायता करें, इनका उपकार करें; उसे यह सेवा समझ कर ग्रहण करते हैं. उसपर अपना अधिकार हक ही मानते हैं, उसका प्रतिदान देने की वाध्यता नहीं समझते।

धन अपहरण ,की यह वृत्ति (Tendency) शायद उन्हें इनके रक्त ही में मिली है। धन लोलुपता के ही कारण ये ब्रह्मण का वृत्ति त्यागकर भूमिहार वने थे।

इस मौजा के वारह हिस्सेदारों में से रामचरण, इन्द और धनराज अधिक धनी थे। फ़िर भी इन तीनों ही के परिवार के सबंध में अपहरण की कथा है।

धनराज के एक वंशज प्रदीप नारायण सिंह ने सरकारी माल-लाट जानबूझ कर समय पर जमा नहीं कराया। समूचे धनराज तौजी न० ४ को नीलाम कराकर स्वयं खरीद लिया। उनके इस कपट आचरण की बात जब उनके हिस्सेदारों को मालूम हुई तो वे मोकदमा लड़े। मोकदमा कलकत्ते तक गया। शायद (BOard of Revenue) के समक्ष रहा होगा। उस समय घोड़ा, बैलगाड़ी पर ही कलकत्ता लोग जा सकते थे और इसकारण मोकदमा खतम कर के ही वापस आते थे। वारम्बार जाना संभव नहीं था। अधिक समय रह जाने के कारण प्रदीप सिंह मलेरिया ज्वर के शिकार हो गयं। उनके लिये यह नये किस्म का रोग था और काली मां का बिशेष प्रकोप समझ कर बहुत भयभीत हुए। एन्हें समझाया गया कि अपने वंश के हिस्सेदारों के अंश को कपट पूर्वक लेने के करण यह देवी डांग, दण्ड था, तो समझौता कर लिया। संपत्ति सबको यथा भाग वापस कर दी गई और इजमाल हिस्से से बारह बीघे के दान से श्री राधामोहन जी की ठाकुर बाड़ी की स्थापना की गई। इसकी देखरेख अभी उन्हीं के वंशजों के हाथ में है।

रामचरण के वंशज रणजीत सिंह और नीरन सिंह ने भी इसी प्रकार समूचा तौजी न० ११ को मीलाम में १८ दिसम्बर १८०१ को ४३० रूपये में खरीद लिया। हिस्सेदार लड़े तो रामधन सिंह के परिवार को छः आना देकर सवको दवा दिया, ,जिस कारण इस वंश में इन दोनों परिवार के अलावे सब निर्धन हो गये। इस नीलाम के वय सुलतानी में लिखा है। "निजामत जिला बिहार"। इन्द के एक वशज ने भी इसी प्रकार समूचा तौजी नं० १० को नीलाम कर ले लिया। झगड़ा हुआ तो राय साहब टुकानाथा सिंह परिवार को साथ कर लिया। फलस्वरूप शेष सभी परिवार निर्धन हो गये।

रामसेन के वंशजों की संख्या कम थी। संपत्ति भी कम थी। मात्र ३०० बीघा। फिर भी उनके वंशज सीताराम सिंह जो अन्धे थे, की हत्या टाल में नाव पर ले जाकर रामचरण के वंशज कर रहे थे तो सीताराम सिंह के साढ़ू शिव सहाय सिंह रामचरण के परिवार वालों ने दौड़कर उनकी प्राण रक्षा की।

एक मालिक जीवन के प्राण और कुलनाश की कहानी कही जा चुकी है।

अविभक्त परिवार :

अविभक्त परिवार प्रथा अब करीब-करीब समाप्त पर है। इस प्रथा का नाश भी नई जागृति का ही शाप या वरदान है। बिल्कुल स्वतन्त्र होकर रहना, व्यक्तिगत सुविधा और सुख को ही प्रधानता, घोर स्वार्थवाद, जनसंख्या की वृद्धि एवं विविध व्यवसाय को अपनाना, एक ओर इसके कारण हुए तो दूसरी ओर आये दिन के भूमि सुधार के कानून, भूमि की सीमावन्दी, कृषि कर, आयकर की वृद्धि और कड़ाई इत्यादि कारण हुए।

इस प्रथा के लोप से लाभ और हानि दोनों ही प्रत्यक्ष हैं। समाजवाद या साम्यवाद भिन्न-भिन्न रूप में प्रत्येक देश में प्रविष्ट हो गया है। सर्वोदयवाद भी इसी का निखरा हुआ सर्वाधिक निर्दोष रूप है। इसका मौलिक एक मात्र सिद्धान्त है : "From each according to his Capacity, To each according to his necessity"

अर्थात अपनी योग्यता के अनुसार प्रत्येक दे, अपनी आवश्यकता के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति पावे।

हिन्दुओं की संयुक्त परिवार प्रथा का भी यही मूल सिद्धान्त था। अपनी योग्यता के अनुसार परिवार का प्रत्येक व्यक्ति अर्जन करता था। अपने उपार्जन को वह अपना धन नहीं समझता था और ना अपने मर्जी से उसका भोग करता था। यह संपत्ति परिवार की थी और जिस सदस्य की जैसी जरूरत होती थी उसी अनुसार उसका खर्च होता था। फलस्वरूप उपार्जन करने की प्रेरणा भी रहती थी, सन्तोष भी, त्याग भी, अनुशासन भी और इस प्रकार प्रेम एवं शान्ति का राज्य था। बेइमानी, छल कपट, के प्रवेश से इन परिवारों में कलह प्रवेश करता था तो बंटवारा हो जाता था। इस सिद्धान्त का प्रयोग आश्चर्य जनक सफलता के साथ इस हिन्दुस्तान ने हजारों वर्ष से किया है। कार्ल मार्क्स, लेनीन इत्यादि ने इसका प्रयोग विश्व बन्धुत्व की विशाल नींवपर खड़ा करने का उपदेश दिया। किन्तु जिस उदारता की अवश्यकता थी वह नहीं सिखाकर संकीर्णता, विद्वेष, संघर्ष और हिंसा का मार्ग वतलाया। ननीजा है सामने।

संपत्ति का उपार्जन और संचय ही इनके जीवन का मुख्य उद्देश्य रहता आया है। किन्तु इस लक्ष्य पर अत्यधिक अनुचित जोर दिया गया है। परिणाम स्वरूप जीवन मान में तुच्छता एवं आपस में ही स्पर्धा और

इर्ष्या को महत्वपूर्ण स्थान मिला। कृपणाता के हास्यप्रद नमूने मिलते हैं तो कलह के भी ऐतिहासिक नमूने हैं। मकान तोड़ कर ईंटों का वंटवारा, कपड़े फाड़ कर हिस्सा लगाना, हर टुकड़े जमीन में हिस्सा लेना ई०। अपनी हानि करके भी अपने भाई की हानि करना इनका प्रिय कार्य है। इस कलह, इर्ष्या और अविश्वास के बड़े दुखद, हानिप्रद एवं अपमान जनक परिणाम इन्हें भोगने पड़े हैं जिन्हें वे हर्ष और गौरव पूर्वक सहन करते हैं। अपने भाई, चाचा के पास अपना अनाज और रूपये रखना वे कभी भी मंजूर नहीं करते। फलतः इनके अनाज और रूपये रख कर उसी के सूद और मुनाफे से स्थानीय मारवाड़ी लखंपति हो गये हैं और ये स्वयं रह गये गरीब किसान। इसी जिद्दी, लड़ाकू, और मिथ्याभिमानी स्वभाव के कारण ये आपस में मिलजुल कर प्रेम पूर्वक या सहनशीलता के साथ एक पंचायत, एक संस्था या एक समिति कभी नहीं चला सकते हैं और अपना सामूहिक विकास करने में असमर्थ रहे हैं। उसी लोभी और क्रोधी मिजाज के कारण अपने पूर्व पुरूषों के किये हुए दान को इनने छीनलिया है, निष्क्रिय कर दिया है और उनकी कीर्तियों को नष्ट भ्रष्ट कर रखा है। इस प्रकार की दुष्कृति के कई ताजे और पुराने उदाहरण भी हैं। विधिवत संकल्प कर या रजिष्टर्ड दान-पत्र देने के बाद भी उनकी रक्षा या पूर्ति करने की लज्जा उन्हें नहीं है।

बोली

मुंगेर District Gajetteer ,पृष्ठ के अनुसार In the western portion of the South Gaugetic tract, the main languag of the people is the magadhi or maghi ialect of Bihar which is the same as spoken ir patna and Gaya. अर्थात् :

सुप्रसिद्ध भाषा शास्त्री एवं सर्वेक्षक G. A. Grierson के Linguistic Survey of India.

के भाग ५ खंड २ सन .१८०३ के अनुसार :

गगा के दक्षिण तट के पश्चिमी भूखंड की बोली हैं मगधी या मगही। यह बिहार की वह भाषा है जो गया और पटना जिला में बोली जाती हैं।

District Gazetteer की राय में मुंगेर जिला के दक्षिण भाग में बाहरी प्रभाव अधिक पड़ता रहा था जिस कारण पुरानी बोली अपने शुद्ध रूप में कायम नहीं रह सकी। बड़हिया के मूल निवासी कौन थे, वे कहां हैं अब ? उनकी क्या बोली थी ? इसका कोई पता नहीं है। यह प्रस्तुत विषय भी नहीं है।

जिनके इतिहास की यह चर्चा है वे पांच छः सौ वर्ष पहले मिथिला से आए और मैथिल ब्राह्मण थे अतएव उनकी बोली मैथिली थी, इसमें सन्देह नहीं। वंशावली के पुराने नामों से, उनके पुराने दस्तावेजों से भी यह स्पष्ट प्रमाणित होता है। करीब एक सौ वर्ष पहले भी मैथिली भाषा का यहां एकाधिकार था, ऐसा पता चलता है। परन्तु सैंकड़ों वर्ष बिहार शरीफ जिला के अन्दर रहने, पटना और गया जिला के छोर पर रहने

एवं पटना गया जिला से अत्यधिक वैवाहिक संबंध के कारण स्थानीय बोली निश्चित रूप से मगही हो गई है। जनगणना विभाग ने भी इसे स्वीकार किया हैं। किन्तु स्थानीय बोली के अध्ययन, मनन, अनुशीलन से पता चलेगा कि इस बोली के क्रिया पद तो शतशः मगही हैं। परन्तु शब्द भंडार में उर्दू फारसी से अधिक अंश संस्कृत और प्राकृत के हैं।

इस संबंध में कुछ स्थानीय कविताएं, गीत, लोकोक्ति एवं शब्द का संग्रह दिया जाता है। साथ ही कुछ प्राचीन विलेख (Documents) जिन्हें अधिकारी विद्वान देखकर अपना निर्णय दे सकेंगे।

मुख्य मगही से स्थानीय बोली में एक विशेष अन्तर अवश्य परिलक्षित है कि स्थानीय बोली में मगही की मधुरता का अभाव हैं। बल्कि कुछ कठोरता का पुट रहा करता है। इस कारण लोग उसे टलहा मगही भी कहते हैं। टाल के रहने वालों की मगही।

इस मगही बोली के विषय में श्री कृष्णदेव प्रसाद एम० ए० बी० एल० काव्यतीर्थ के कुछ विचार द्रष्टव्य हैं। बिहार के राष्ट्रभाषा परिषद के प्रथम वार्षिकोत्सव ३० मार्च १९५२ के अवसर पर आप के भाषण के कुछ उद्धरण नीचे दिये जाते हैं।

"पात्रता एवं योग्यता भिन्न वस्तुएं हैं। मगही बोली में भाषा कहलाने की पात्रता अवश्य है परन्तु वर्तमान काल में इसे भाषा अथवा साहित्य कहलाने की सामर्थ्य नहीं।"

ऐतिहासिक दृष्टि से मगही-प्राकृत अति प्राचीन है, शौरसैनी आदि प्राकृतों की परवर्ती कदापि नहीं।

सिद्धों की कृतियां प्राचीन मगही में है। इसलिए मगही अति प्राचीन प्राकृत होने के नाते भाषा कहलाने की पात्री हैं।

योग्यता के विचार से मगही में साहित्य का अभाव है। मगही की ही कहावत है "जो पूत दरवारी भेला, देव पित्तर दुनू से गेला"

लेखकों के अभाव से इसमें कोई सर्वव्यापी व्याकरण तक नहीं है। रूपरूपान्तरों का हिसाब नहीं लगाया गया है। परन्तु बीसियों प्रकार के भेद इसमें वर्तमान है।

एक "कहता हूं" ही के विभिन्न भेद देखिए :—

कहऽ हीवऽ
कहित हीयों
कहऽ हीओ
कहैत ही
कह ही
कहव करही इत्यादि।

मगही वाङ्मय के उपयोगी और सुन्दर शब्दों का संचय अधिक उपयोगी होगा। इसकी विलक्षणताएं और विचित्रताएं माननीय हैं। इसके मुहावरे और शब्द बिहार भर में भरे पड़े हैं।

एक विलक्षणता यह है कि मगही बोली भाषान्तर के शब्दों का वहिष्कार नहीं करती, प्रत्युत सर्वतोभाव से उसे अपना लेता है, उसक प्रभाव को दूर कर देती है।

जैसे निस्पिट्टर, मजिष्ट्रर, कलट्टर, टीसन, टैन, डैम, टैन, लेन, जैन, टंकी, लहसन, टिक्स, इत्यादि

"दूसरी विलक्षणता है कि अकारान्त शब्दों का दीर्घ उच्चारण मगही में किया जाता हैं।

जैसे :

हाथ	हाथा
कान	काना
गोड़	गोड़ा
भात	भाता
गांव	गांवा इत्यादि

एक विचित्रता है कि 'र' तथा 'ल' अक्षरों का आपस में उलट फेर हो जाता हैं :

जलना	जरना
फलना	फरना
टलना	टरना
दलना	दरना
गाली	गारी
थाली	थारी
ग्लानि	ग.रामन
उलझन	ओझराना
सुलझाना	सोझराना

परिश्रम करने से पर्याय–कोष बड़े सुन्दर वन सकते हैं। मगही बोली में शब्दों का अटूट भण्डार और सामर्थ है।

मगही बोली रत्न-प्रसवा खान है। कर्मियों की आवश्यकता है। राष्ट्रभाषा के प्रेमियों को चाहिए कि इससे जितने-जितने रत्न संग्रह कर सकें, करें। इसकी बहनों का सौभाग्य है कि उनके सपूतों ने उन्हें सुसज्जित

रखा हैं। मगही भाषा की सन्तानें निज पर के विचार से शून्य हैं। इन उदार चरित्रों ने कोकिला की तरह दूसरी बोली सीख रखी है और वे पर भुतिका की तरह अपने पालन करने वाले की सूधि तक नहीं ले सकते।

मगध क्षेत्र में ईसा पूर्व पांच हजार वर्ष से १२०० ईसवी तक साम्राज्य एवं राज्यों का विकास एवं पालन हुआ। राजगृह, उदन्तपुरी, पाटलिपुत्र की अति प्राचीन राजधानियों का विस्तृत इतिहास अभी लिखना है।

विराट बौध साहित्य, विपुल सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य एवं ग्रामीण साहित्य का यह क्षेत्र अमिट, एवं अटूट भण्डार है। इस महासागर के रत्नों को खोज निकालने वाले निपुण प्रवीण और परिश्रमी शोधकों की प्रतीक्षा भर है।

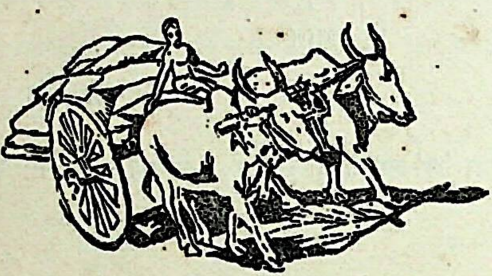

अध्याय—१०

भूमि व्यवस्था

अध्याय—१०

भूमि व्यवस्था

बड़हिया ग्राम, इसका दियारा, इसका टाल, इसका वाग-वगीचा, सव का सव इस गांव के निवासियों ने अपने श्रम से. अपने हाथों, अपने वाहुवल से, अपने आंसू और पसीन से वसाया है, आवाद किया, उसे उपयोगी वनाया एवं उपभोग में लाया।

कालक्रम से परिस्थितियों में अन्तर आने लगे। शुरू में जमीन किसी की नहीं थी। बाद में पृथु ठाकुर के अधिकार में आई। उनके वंशज हुए। उनने उपयोग किया। मरांची कांड की घटना में पुनः सारा गांव एक व्यक्ति प्राण ठाकुर के अधिकार में आया। देश की राजनीति में परिवर्तन हुआ। अंग्रेजी सल्तनत आई। Permanent-settlement चिरस्थाई भूमि व्यवस्था की योजना लागू हुई तो गांव की भू-सम्पत्ति वारह विभागों में विभक्त हुई। वारह मालिक या जमीन्दार कायम हुए। करीव २२००० वीघा जमीन पर जमीन्दारी मिलकियत मोगल वादशाह के अंग्रेजी नाजीमों द्वारा इन वारह जमीन्दारों को सौंपी गई। इस 'नर्जमित' जायदाद के अलावे वची हुई भूमि गैर आवाद ही रही।

शेष भूमि में से फिर करीव २२०० बीघा जागीरदारों के साथ स्थायी प्रवंध कर दिया गया। उनसे भी वची हुई भूमि २६०० वीघा खास महाल की जमीन फिर स्थानीय जनता के साथ वन्दोवस्त हुई।

इस प्रकार स्पष्ट है कि जमीन को आवाद करने वाले, हासिल करने वाले, जोतने वाले, स्वयं ये ही लोग हैं।

समय बीतते-बीतते अपेक्षाकृत धन-जन के अनुपात में विषमता आ ही जाती है। किसी का धन बढ़ा, किसी का वंश वढ़ा। किसी को दोनों का ही ह्रास हुआ। किसी को दोनों ही का लाभ। वंश वढ़े, प्रीति घटे। धन घटे, वंश टूटे।

किसी को जन की आवश्यकता प्रतीत हुई तो किसी को धन की। एक दूसरे की सहायता ली जाने लगी। धनहीनों ने अपना श्रम दिया, जनहीनों ने अपनी भूमि दी। इस आदान-प्रदान का माध्यम तो रुपये धन ही था। और इस प्रक्रिया के चालू होने से एक भाई जमीन्दार हो गया और दूसरा भाई असामी। इस तरह यहां जमीन्दारी का जन्म हुआ। परन्तु मूलतः तो ये किसान ही हैं और ऐसी जमीन्दारी यहां वहुत नहीं पनप सकी। खेतिहर मजदूरों के लिये टाल क्षेत्र में उपरोक्त वारह गाँव वसाये गये थे। दियारा क्षेत्र में भी गढ़टोला, सिकन्दरपुर, खोसियालटोला, वोधीटोला, किशनपुर, विजयगढ़ आदि गांव वसाए गये। यद्यपि ये गांव जैतपुर मौजा के अराजी पर अवस्थित हैं।

उनदिनों नकद मुद्रा का परिचलन बहुत कम था। साधारणतः कीमत या वेतन मजदूरी में अनाज ही चलता था। स्थायीं, विश्वासी सेवकों को भूमि भी दे दी जाती थी। अब तो ये दोनों प्रथाएं लुप्तप्राय हो रही हैं। न वैसे स्थाई विश्वसनीयं सेवक मिलते और न भूमि ही किसी के पास विशेष रह गई।

देवताओं के पूजन पुरोहित, नाई, खवास, चौकीदार, गोड़यत इत्यादि कर्मचारियों को भी जमीन दी जाती थी। परन्तु, कमियां जागीर (Service Tenure) का शर्त था कि काम नहीं करने पर वे जमीने मालिक या किसान को वापस हो जाती थी।

ये जमीनें देवोत्तर, शिवोत्तर, ब्रह्मोत्तर, भटोत्तर, नौकराना, चकराना, गोड़ायती हत्यदि के नाम से मशहूर थीं।

खेती में सहायता करने वाले या अस्थायी रूप से जोतने वाले सिकमीदार (Under Rayot) या दर-रैयत कहे जाते अगर उन्हें खेत देने वाले स्वयं दूसरे के रैयत होते थे। वस्ती में चौका और खिदमत के कामों के लिये कहार, धानुक या अन्य जाति के सेवकों को भी बेलगान जमीने इसी काम के लिये दी जाती थीं और उस जमीन या मकान के वेचने का हक उन्हें नहीं प्राप्त था। पहले तो किसी प्रकार के रंयत या, दररैयत जमीन को मालिक की मंजूरी के विना बिक्री करने का अधिकार नहीं था।

बाबू ठाकुर प्रसाद सिंह (धनराज) बनाम बाबू छोटन प्रसाद सिंह वगैरह (धनराज) के दीवानी मोकदमें में एक प्रश्न उठाया गया था कि कानून नहीं होते हुए भी बेलगान सकूनती जमीन को वेचदेने का हक रंयत को स्थानीय रिवाज (देशाचार) के अनुसार है। परन्तु निर्णय हुआ कि ऐसा देशाचार (Local custom) प्रमाणित नहीं हो सका।

कालान्तर से यहां के मूल निवासियों के गरीब संबंधियों ने भी यहां आकर आश्रय लिया और भूमि का उपार्जन किया।

कांग्रेसी सरकार की स्थापना के पहले तो यहां भी महाजनी की प्रथा बड़ी कड़ी और क्रूर थी। इस के चपेट में भी स्वभावतः जमीनों का हस्तान्तरण होता ही रहता था।

अंग्रेजी हुकूमत में राज्य का प्रश्रय और अधिकारियों का समर्थन सदैव जमीन्दारों एवं महाजनों को मिला करता था।

इस स्थानीय भूमि कथा के निष्कर्ष में इस बात को ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है कि अन्य स्थानों की तरह यहां की जमीनें असामियों की नहीं थीं जिनकी लगान वसूली का ठीका लेकर अंग्रेज ठीकेदार बनाये गये और बाद में राजनैतिक दावपेंच से स्वामी बन गये। यह भी नहीं कि यहां असामियों की मजबूरियों

का लाभ लेकर उन्हें भूमिहीन किया गया और उनकी रैयती जमीनों को बकाश्त बना दिया गया। इतिहास का क्रम तो यहां उल्टा चला है। जमीन शुरू से किसानों की थी और किसान ही अपनी मजबूरी की हालत में जमीन्दार बन गये। अपनी जमीन दूसरे को देदी, दूसरों की ली नहीं। शायद इसी परम्परा के कारण ये लोग अपनी मिल्कियत को मांस और जैनेउ कहते थे। कालान्तर से यह प्रथा चल पड़ी है कि नकद रूपये लेकर और कुछ व्यक्ति अनाज लेकर अपने खेत दूसरों को जोतने देते हैं। इसे 'पट्टा' पर या 'मनहुंडा' पर खेत देना कहते हैं। ये जमीनें एक बार एक ही फसल के लिये दी जाती है। सारा कारबार पारस्परिक विश्वास पर चलता है। किसी ओर से कोई कागजी सबूत नहीं लिया-दिया जाता। हर खेत उसी व्यक्ति को बारम्बार अवश्य नहीं दिया जाता है। पूर्णातः स्वेच्छा से यह कारबार चलता है और किसी प्रकार के धोखा या छलकपट की शिकायत शायद ही उठ पाती है। 'मनहुंडा' प्रायः ५।६ मनचना, मसूर फी बीघा के दर से निश्चित होता है और नकदी पट्टा उसी की कीमत के अनुसार। । भूसा में जमीन के मालिक को हिस्सा नहीं मिलता। फसल की क्षति की हालत में प्रायः उचित रियायत दी जाती है। नकदी पट्टा का दर १९३० के क़रीब १२ रु० था जो १९६८ में ३२५ रु० था

कांग्रेसी सरकार का आधिपत्य १९३७ से १९३९ तक ढाईसाल पहलीबार बिहार प्रान्त में रहा। भूमि-व्यवस्था एवं किसानों की दशा में सुधार पर काफी और उचित ध्यान दिया गाया। किसान आन्दोलन के प्रबल एवं समर्थ नेता स्वामी श्री सहजानन्द जी थे।

श्री कार्यानन्द शर्मा जी उक्त स्वामी जी के निकट साथी एवं सहयोगी थे। १९२१ से ही बड़हिया के जन जीवन से उनका निकट सम्पर्क था। इस इलाके का कांग्रेस-नेतृत्व उनके हाथ उनदिनों था। आपने बड़हिया टालके भीतर के गांवों में किसान आन्दोलन प्रारंभ किया। इस आन्दोलन की मुख्य मांग थी भूमिहीन किसानों या खेतिहर मजदूरों को जमीन मिलनी चाहिए। जो स्वयं जमीन नहीं जोतते, उन्हें जमीन नहीं रखनी चाहिए। १९३७, ३८, ३९ में दो वर्ष तक यह किसान आन्दोलन टाल क्षेत्र में भीषण एवं उग्र रूप से चला। टाल के १२ गांवों के अतिरिक्त लक्खीसराय एवं शेखपुरा के अनेकानेक क्षेत्रों में भी फैल गया। बेगारी बन्द, अबआब बंद, लगान की कमी और नीलामी जमीनों की वापसी की भी मांगे थी ही।

परन्तु इस आन्दोलन में भाग लेने वाले तथाकथित किसानों के बारे में दो बातें उल्लेखनीय हैं। एक यह कि अधिकांश में वे किसान नहीं थे। उन्हें खेत नहीं था, मात्र खेतिहर मजदूर थे। दूसरा यह कि वर्ष के अधिकांश भाग वे बंगाल या छोटानागपुर के कारखानों में मजदूरी कमाने चले जाते थे। यद्यपि इनमें से अनेक को भूमि सालाना बन्दोबस्ती पर मिलती थी। अब उस भूमि में स्थायी स्वामित्व अधिकार की मांगे पेश की गई।

१९३८ के रवी फसल मौसम में इन किसानों ने खेतों पर मनमाने दावा दायर किये ,और करीब ४००।५०० जानते फौजदारी की १४४ धारा के मोकदमें कायम हुए। सदर मुंगेर के सबडिवीजनल मैजिस्ट्रेट तीन-चार

उनदिनों नकद मुद्रा का परिचलन बहुत कम था। साधारणतः कीमत या वेतन मजदूरी में अनाज ही चलता था। स्थायीं, विश्वासी सेवकों को भूमि भी दे दी जाती थी। अब तो ये दोनों प्रथाएं लुप्तप्राय हो रही हैं। न वैसे स्थाई विश्वसनीय सेवक मिलते और न भूमि ही किसी के पास विशेष रह गई।

देवताओं के पूजन पुरोहित, नाई, खवास, चौकीदार, गोड़यत इत्यादि कर्मचारियों को भी जमीन दी जाती थी। परन्तु, कमियां जागीर (Service Tenure) का शर्त था कि काम नहीं करने पर वे जमीने मालिक या किसान को वापस हो जाती थी।

ये जमीनें देवोत्तर, शिवोत्तर, ब्रह्मोत्तर, भटोत्तर, नौकराना, चकराना, गोड़ायती हत्यदि के नाम से मशहूर थीं।

खेती में सहायता करने वाले या अस्थायी रूप से जोतने वाले सिकमीदार (Under Rayot) या दररैंयत कहे जाते अगर उन्हें खेत देने वाले स्वयं दूसरे के रैंयत होते थे। वस्ती में चौका और खिदमत के कामों के लिये कहार, धानुक या अन्य जाति के सेवकों को भी बेलगान जमीने इसी काम के लिये दी जाती थीं और उस जमीन या मकान के वेचने का हक उन्हें नहीं प्राप्त था। पहले तो किसी प्रकार के रंयत या, दररैंयत जमीन को मालिक की मंजूरी के विना बिक्री करने का अधिकार नहीं था।

बाबू ठाकुर प्रसाद सिंह (घनराज) वनाम बाबू छोटन प्रसाद सिंह वगैरह (धनराज) के दीवानी मोकदमें में एक प्रश्न उठाया गया था कि कानून नहीं होते हुए भी बेलगान सकूनती जमीन को वेचदेने का हक रैयत को स्थानीय रिवाज (देशाचार) के अनुसार है। परन्तु निर्णय हुआ कि ऐसा देशाचार (Local custom) प्रमाणित नहीं हो सका।

कालान्तर से यहां के मूल निवासियों के गरीब संबंधियों ने भी यहां आकर आश्रय लिया और भूमि का उपार्जन किया।

कांग्रेसी सरकार की स्थापना के पहले तो यहां भी महाजनी की प्रथा बड़ी कड़ी और क्रूर थी। इस के चपेट में भी स्वभावतः जमीनों का हस्तान्तरण होता ही रहता था।

अंग्रेजी हुकूमत में राज्य का प्रश्रय और अधिकारियों का समर्थन सदैव जमीन्दारों एवं महाजनों को मिला करता था।

इस स्थानीय भूमि कथा के निष्कर्ष में इस बात को ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है कि अन्य स्थानों की तरह यहां की जमीनें असामियों की नहीं थीं जिनकी लगान वसूली का ठीका लेकर अंग्रेज ठीकेदार बनाये गये और बाद में राजनैतिक दावपेंच से स्वामी बन गये। यह भी नहीं कि यहां असामियों की मजबूरियों

का लाभ लेकर उन्हें भूमिहीन किया गया और उनकी रैयती जमीनों को बकाश्त बना दिया गया। इतिहास का क्रम तो यहां उल्टा चला है। जमीन शुरू से किसानों की थी और किसान ही अपनी मजबूरी की हालत में जमीन्दार बन गये। अपनी जमीन दूसरे को देदी, दूसरों की ली नहीं। शायद इसी परम्परा के कारण ये लोग अपनी मिल्कियत को मांस और जैनेउ कहते थे। कालान्तर से यह प्रथा चल पड़ी है कि नकद रूपये लेकर और कुछ व्यक्ति अनाज लेकर अपने खेत दूसरों को जोतने देते हैं। इसे 'पट्टा' पर या 'मनहुंडा' पर खेत देना कहते हैं। ये जमीनें एक बार एक ही फसल के लिये दी जाती है। सारा कारवार पारस्परिक विश्वास पर चलता है। किसी ओर से कोई कागजी सबूत नहीं लिया-दिया जाता। हर खेत उसी व्यक्ति को बारम्बार अवश्य नहीं दिया जाता है। पूर्णातः स्वेच्छा से यह कारवार चलता है और किसी प्रकार के धोखा या छलकपट की शिकायत शायद ही उठ पाती है। 'मनहुंडा' प्रायः ५।६ मनचना, मसूर फी बीघा के दर से निश्चित होता है और नकदी पट्टा उसी की कीमत के अनुसार।। भूसा में जमीन के मालिक को हिस्सा नहीं मिलता। फसल की क्षति की हालत में प्रायः उचित रियायत दी जाती है। नकदी पट्टा का दर १९३० के क़रीब १२ रु० था जो १९६८ में ३२५ रू० था

कांग्रेसी सरकार का आधिपत्य १९३७ से १९३९ तक ढाईसाल पहलीबार बिहार प्रान्त में रहा। भूमि-व्यवस्था एवं किसानों की दशा में सुधार पर काफी और उचित ध्यान दिया गाया। किसान आन्दोलन के प्रबल एवं समर्थ नेता स्वामी श्री सहजानन्द जी थे।

श्री कार्यानन्द शर्मा जी उक्त स्वामी जी के निकट साथी एवं सहयोगी थे। १९२१ से ही बड़हिया के जन जीवन से उनका निकट सम्पर्क था। इस इलाके का कांग्रेस-नेतृत्व उनके हाथ उनदिनों था। आपने बड़हिया टालके भीतर के गांवों में किसान आन्दोलन प्रारंभ किया। इस आन्दोलन की मुख्य मांग थी भूमिहीन किसानों या खेतिहर मजदूरों को जमीन मिलनी चाहिए। जो स्वयं जमीन नहीं जोतते, उन्हें जमीन नहीं रखनी चाहिए। १९३७, ३८, ३९ में दो वर्ष तक यह किसान आन्दोलन टाल क्षेत्र में भीषण एवं उग्र रूप से चला। टाल के १२ गांवों के अतिरिक्त लक्खीसराय एवं शेखपुरा के अनेकानेक क्षेत्रों में भी फैल गया। बेगारी बन्द, अबआब बंद, लगान की कमी और नीलामी जमीनों की वापसी की भी मांगे थी ही।

परन्तु इस आन्दोलन में भाग लेने वाले तथाकथित किसानों के बारे में दो बातें उल्लेखनीय हैं। एक यह कि अधिकांश में वे किसान नहीं थे। उन्हें खेत नहीं था, मात्र खेतिहर मजदूर थे। दूसरा यह कि वर्ष के अधिकांश भाग वे बंगाल या छोटानागपुर के कारखानों में मजदूरी कमाने चले जाते थे। यद्यपि इनमें से अनेक को भूमि सालाना बन्दोवस्ती पर मिलती थी। अब उस भूमि में स्थायी स्वामित्व अधिकार की मांगे पेश की गई।

१९३८ के रवी फसल मौसम में इन किसानों ने खेतों पर मनमाने दावा दायर किये, और करीब ४००।५०० जानते फौजदारी की १४४ धारा के मोकदमें कायम हुए। सदर मुंगेर के सबडिवीजनल मैजिस्ट्रेट तीन-चार

मैंजिस्ट्रेट २५ घड़सवार एवं १०० सशत्र पुलिस के साथ तीन चार महीना यहां रहे। इन मोकदमों की जां करन के लिये और निपटारा के लिये कांग्रेस मंत्री मंडल के परामर्श से एक पंचायत परिषद बनाई गई। श्री श्याम प्रसाद सिंह, श्री नन्दकुमार सिंह, राय बहादुर, श्री बच्चू प्रसाद सिंह, श्री कार्यानन्द शर्मा जी ए सबडिवीजनल मजिस्ट्रेट इस परिषद के सदस्य थे। . महीना से भी ऊपर परिषद् चेष्टा करती रही। किसान नेता अपनी मांगो को कम करने या प्रमाणपुष्ट करने में असमर्थ रहे। सरकार पर, जमीन के मालिक एवं अधिकारियों पर दवाव डालने की गरज से उग्र से उग्रतर आन्दोलन करते गये। स्वामी सहजानन्द जी, यदुनन्दन शर्मा जी, राहुल सांकृत्यायन जी, जयप्रकाश जी ने भी अपने नेतृत्व का सहयोग प्रदान किया। राहुल जी एवं जयप्रकाश जी उस समय विदेश से ताजा ही आये हुए थे। किसानों को इतनी छोटी-छोटी मांगे उन्हें नहीं जंचती थी। छोटे-छोटे किसानों की १०-१२ बीघा जमीनों पर भी उनका दावा इनकी राय में उचित नहीं था। सभाओं में मुर्गी पालन, सूअर पालन, मत्स्य पालन इत्यादि का उपदेश किसानों की समझ में नहीं आता था।

वड़े छोटे सभी तरह के भूमिहारों की जमीन पर इन किसानों के दावे पड़ने के कारण इस आन्दोलन ने भूमिहार वनाम शुद्र और फिर उच्च जाति एवं नीची जाति के झगड़े का रूप ले लिया। कांग्रेसी सहकर्मियों के परामर्श से मैंने इन जमीन वालों का संगठन किया और काश्तकार सभा की स्थापना की। सभा का जवाब सभा से, जुलूस का मुकाबला जुलूस से, कानूनी कार्यवाही का उत्तर कानूनी कार्यवाही से दिया जाने लगा। इसके अतिरिक्त उत्तेजनापूर्ण वातावरण में कभी-कभी लाठियां चल गई। वलपूर्वक या चोरी-चोरी फसल की नुकसानी करना रोक दिया गया। श्री रामाश्रय बाबू का सक्रिय एवं तत्पर सहयोग प्राप्त रहा।

किसान आन्दोलन विफल हुआ। कार्यानन्द जी अपनी पीड़ित जनता को पैदल मुंगेर नगर ले गये और वहां प्रदर्शन किये। अन्त में मुख्यमंत्री विहार केसरी के आग्रह पर श्रद्धेय राजेन्द्र बाबू की पंचायत फिर स्वीकार की गई। उनके निर्णय का नाम Rajendra Award पड़ा। इस निर्णय के अनुसार वेगारी की रोक और लगान की रसीद देने की व्यवस्था मंजूर हुई। सालाना पट्टा या अनाज पर जमीन देना मंजूर हुआ। परन्तु प्रतिवर्ष जमीन बदल देने की छूट दी गई और आवश्यकतावश उन्हें वापस ले लेने का भी अधिकार रहा अर्थात् स्थाई अधिकार देना स्वीकृत नहीं हुआ। इसी निर्णय के अधिकार पर मांगों की जांच कर खतियान तैयार करने की व्यवस्था की गई। तदनुसार श्री सुखेन्दु मोहन सिन्हा सबडिप्टी मजिस्ट्रेट ने स्थानीय जांचकर एक खतियान तैयार किया और उसी के अनुसार कुछ जमीनें इन किसानों को पूर्ण एवं उपरोक्त अधिकार के साथ दे दी गई।

इतना होते-होते द्वितीय विश्व महायुद्ध १९३९ के सितम्बर में शुरू हो गया और अक्टूबर में कांग्रेस हट गई तो १९४६ के अप्रैल तक फिर सरकारी दफ्तर से बाहर रही। १९४० से १९४४ तक स्वाधीनता संग्राम जारी रहा। उधर विश्वयुद्ध में रूस मित्रराष्ट्रों के पक्ष में शामिल हो गया। स्थानीय किसान नेता कार्यानन्द जी तबतक साम्यवादी हो चुके थे और जनयुद्ध की सेवा में लग गये। किसान भाई अनाथ हो गये।

श्री राजेन्द्र निर्णय के अनुसार मिली हुई जमीनें किसानों से कुछ कीमत देकर, कुछ बिना कीमत भी, बहका कर या दबाव देकर वापस ली जाने लगी। बहुत जमीने उसी अनुसार अभी भी उन आसामी के दखल में हैं। कांग्रेसी सरकार के १९४६ में वापस आने पर श्री राजेन्द्र निर्णय को कानूनी बल प्रदान करने के लिये बिहार सरकार ने बड़हिया टाल की भूमि के दखल की घोषणा अधिनियम सख्या २६/१९५० बनाकर चालू किया तो बड़हिया के हठीले और अनुभवी किसानों ने हाई कोर्ट से उसके विरुद्ध मोकदमा लड़कर उस अधिनियम को अनियमित, अनाधिकार एव अवैध घोषित कराने का निर्णय प्राप्त किया। देखिए All India Reporter १९५२ पटना १३६।

यह अधिनियम था Barahiya Tal Lands (Declaration of Possession) Act XXVI 1950.

राज्यपाल की अनुमति इसे १३ जून १९५० को प्राप्त हुई। उस कानून की प्रतिलिपि :

"बड़हिया टाल की कुछ भूमि पर कुछ रैयतों का कब्जा घोषित करने तथा ऐसे कब्जे से असंगत डिग्रियों और आदेशों को शून्य करने का अधिनियम।"

क्योंकि १९३७ में बड़हिया टाल के कुछ क्षेत्रों में खेत संबंधी झगड़ा उठने पर यह विषय डा० राजेन्द्र प्रसाद को सूचित हुआ, जिन्होंन मध्यस्थता की ओर वे सिद्धान्त स्थिर किये, जिनके अनुसार विवाद का विनिश्चय (Decision) होना चाहिए।

तथा क्योंकि डा० राजेन्द्र प्रसाद द्वारा सिद्धान्त स्थिर किये जाने पर भी, झगड़ा चलता रहा, जिसपर कांग्रेस किसानों और जमीन्दारों के प्रतिनिधियों की बैठक में विवाद के विनिश्चय के लिये कुछ व्यक्ति नियुक्त हुए और उक्त व्यक्तियों ने उस विषय पर २० मई १९४१ को अपना विनिश्चय दिया।

तथा क्योंकि प्रान्तीय सरकार के आदेशों के अधीन उक्त विनिश्चय के अनुसार रैयतों के कब्जे में मानी गई भूमि सीमांकित की गई थी और तदनुसार नक्शे और खसरे तैयार किये गये थे।

तथा क्योंकि बाद में कुछ जमीन्दारों ने अर्थ न्यायालयों (दीवानी अदालत) में उक्त विनिश्चय की मान्यता को सफलता पूर्वक उपाहूत किया (चैलंज किया) है, जिसका फल पुराने विवाद को पुनर्जीवित करना हुआ है और भय यह है कि बड़हिया टाल में खेत संबंधी झगड़ा फिर उठ खड़ा हो और अन्य क्षेत्रों में फैल जाय।

तथा क्योंकि, उपर निर्दिष्ट विनिश्चय की तारीख को उक्त भूमि के कब्जे के प्रश्न पर सारे सन्देह को मिटा देना और ऐसे कब्जे से असंगत डिक्रियों और आदेशों को शून्य (रद्द) करना इष्टकर है।

इसलिये उसके द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

१. यह ऐक्ट बड़हिया टाल लैन्ड्स डिक्लेरेशन औफ पजेशन ऐक्ट १९५० कहलायगा।

२. अनुसूची के स्तंभ ४ और ५ में वर्णित तथा ३१ मार्च १९४० को मुंगेर के कलेक्टर श्री एम० एम-फिलिप्स, आई० सी० एस० द्वारा संविक्षित (attested) और मुंगेर के कलेक्टर के अभिलेख कक्ष Record Room में रखे नक्शे में दर्शित भूमि, पर उन व्यक्तियों का २० मई १९३९ को रैयत के रूप में कब्जा समझा जायगा, जो व्यक्ति अनुसूची के स्तंभ ४ और ५ के सामने वर्णित हैं।

३. धारा २ के अधीन घोषित कब्जा पर शंका उठाने के लिये कोई मोकदमा या अन्य कानूनी कार्यवाही, किसी न्यायालय में नहीं चलेगी तथा २० मई १९३९ के पहले या वाद की दी गई कोई डिग्री या दिया गया कोई आदेश, जो ऐसा कब्जा या उसके अनुसार किये गये किसी कार्य से असंगत हो शून्य और व्यर्थ होगा।

इस कानून से कुल ५०६, ३३ एकड़ भूमि २६१ व्यक्तियों के दखल में घोषित की गई थी। इस जमीन के ४३ मालिक थे और यह जमीन कुल ३६ तौजी संख्याओं में पड़ती थी। इसके अनुसार मेरे परिवार की १२ एकड़ जमीन दी गई थी जो अभी भी उन्हीं असामियों के दखल में है।

इस राजेन्द्र निर्णय के अनुसार उक्त असामियों कों यह जमीन कुछ शर्तों पर दी गई थी।

१. उक्त किसान को उक्त मालिक उतनी जमीन अवश्य देते रहेंगे। स्थान का परिवर्तन किया जा सक्ता है।

२. यह जमीन बंधक में मालिक के द्वारा दी जा सकती है पर इसकी बिक्री नहीं होगी।

३. यह जमीन सदैव बटाई रहेगी।

४. कभी नगदी लगान नहीं लगाया जायगा। असामी के उत्तराधिकारी को यह जमीन हासिल रहेगी। परन्तु उक्त अधिनियम में बिहार सरकार ने इन शर्तों का समावेश नहीं किया, जिसकारण जमीन के मालिकों को क्षोभ हुआ और सरकार की नेकनियती पर सन्देह हुआ।

वड़हिया के इस किसान आन्दोलन की कहानी स्वामी सहजानन्द के अनुसार इस प्रकार है :

स्वामी सरजानन्द सरस्वती की आत्मकथा 'मेरा-जीवन-संघर्ष' से उद्दृत :— पृष्ठ ५११ से ५१७ तक

सन् १९३६ से लेकर १९३९ तक बिहार में कई महत्वपूर्ण लड़ाइयां किसानों ने लड़ीं, जिनके चलते न सिर्फ वे, प्रत्युत बिहार की किसान सभा भी काफी प्रसिद्ध हुई। यों तो उनकी छोटी-मोटी सैकड़ों भिड़न्ते जमीन्दारों और सरकार के साथ हुई। उनमें बड़हिया, रेवड़ा और मझियावा के वकाश्त संघर्ष–सत्याग्रह ऐतिहासिक है। उनसे मेरा घनिष्ट संबंध भी रहा है। इसलिये उनका संक्षिप्त वर्णन जरूरी है।

बड़हिया : इनमें बड़हिया टाल का आन्दोलन सबसे पुराना है। वह कांग्रेसी मिनिस्ट्री बनने के बहुत पहले सन १९३६ ई० के जून में शुरू होकर सन १९३९ ई० के मध्य तक चलता रहा। अभी भी आग भीतर ही भीतर सुलग रही है। बड़हिया मौजा पटना में पूर्व ई० आई० आर० का स्टेशन एवं मुंगेर जिले का बहुत बड़ा गांव है। उससे दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और लाईन से दक्षिण की लाखों बीघा जमीन को बड़हिया टाल कहते हैं। यह सख्त काली मिट्टी वाली है और उसमें सिर्फ रब्बी की फसल होती है। वर्षा के शुरू में ही सारी जमीन पानी से भर जाती है और अक्टूबर में सूखती है। उसे जोतने की जरूरत नहीं। सिर्फ बीज बो देते और फागुन चैत में तैयार फसल काट लेते हैं। फसल खूब उपजती है। इसीलिये हजारों बीघे की खेती एक-एक जमीन्दार आसानी से करते हैं।

टाल में टापुओं की तरह दूर-दूर पर गांव बसे हैं। उनमें वर्षा में नाव से ही आ जा सकते हैं। सिर्फ एक हड़ोहर नदी बीच से गुजरती है। उसी का पानी प्रायः सभी पीते हैं। शायद ही किसी-किसी गांव में कुंआ है। फलतः गन्दा पानी ही पीना पड़ता है। मुंगेर जिले में कांग्रेसी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड १५ वर्षों से है। मगर गरीबों की खबर कौन ले ? वहां पक्की सड़क का भला पता कहां ? वहां के वाशिन्दे अधिकांश धानुक, ढाढ़ी, मलाह वगैरह हैं। पुराने जमाने में वही जमीन के मालिक थे। बड़हिया एवं गांवों के जमीन्दारों ने कल, बल, छल से उनकी पीछे जमीन छीन ली। फिर भी बटाई के नाम पर उन्हें देते थे। फलतः काश्तकारी कानून के अनुसार उन जमीनों पर उन किसानों का कायमी हक हो गया है। क्योंकि बारह वर्ष से ज्यादा तो सभी ने वे जमीने जोती है।

बिहार के जमीन्दारों के कब्जे में जो जमीने हैं वे जिरात सीर और बकाश्त, खुदकाश्त दो ढंग की है। सन् १८८५ ई० से पहले जो जमीनें जमीन्दारों की खेती में लगातार १२ वर्ष रही, वही जिरात कहाती है। वे तो निश्चित है। घट बढ़ नहीं सकती है। मगर जो जमीनें ऐसी न होने पर भी उनके कब्जे में कागजों में लिखी हैं वही बकाश्त है। कानून यह है कि लगातार बारह वर्ष बकाश्त जमीन पर कोई रैयत किसान खेती करे वह उसकी कायमी जोत हो जाती है। जैसा किसान फिर जिस बकाश्त को एक साल भी जोतेगा वह भी उसकी कायमी हो जायगी। असल में किसान के पास कोई मौरूसी या कायमी जमीन रहने पर ही जो भी जमीन वह जोतेगा वही कायमी होगी। किसी मौजे में जिसके परिवार में बारह वर्ष तक लगातार खेती होती रहे वह ज्योंही बकाश्त जमीन जोतता है त्योंही उसका कायमी हक उस पर हो जाता है।

इसी कानून के अनुसार टाल के किसान का हक हो गया था। मगर वे इसे जानते न थे। जमीन्दारों को भी इसकी फिक्र न थी कि कभी वे जमीन पर दावा करेंगे। जमीन्दारों ने प्रायः किसी के भी पास इसका सबूत रहने न दिया कि वह जमीन जोतता है। रसीद या कागज पत्र पर कुछ लिखके देते न थे। सारा काम

जवानी रहता था। फिर उन्हें फिक्र ही क्यों? वे लोग अंग्रेजी और प्राइम मिनिस्टर के लाड़ले हैं। इसलिये तो करेला नीम पर ही चढ़ गया।

इधर किसान आन्दोलन ने जब किसानों में चेतना पैंदा की और उन्हें उनका हक समझाया तो उन्होंने उन जमीनों पर दावा किया। उधर जमीन्दारों ने उनका हक साफ इनकार किया। बस, यही झगड़े की जड़ है। किसान केस तो लड़ सकते न थे। कारण, कागजी सबूत उनके पास न था। फलतः वहां के हमारे योद्धा पं० कार्यानन्द शर्मा की राय से उन्होंने सत्याग्रह सीधी भिड़न्त शुरू किया। ऐसे ही वकाश्त सत्याग्रह विहार के रेवड़ा आदि गांवों में हजारों जगह चले हैं। किसानों ने, उनके सेवकों ने मारें खाई, हड्डियां तोड़वाईं, वे जेल गये. लूटे गये। मगर फिर जमीन पर से न तो हटे और न मार पीट का उत्तर ही दिया। सैंकड़ों लालवर्दी वाले स्त्री पुरूष इस संघर्ष का संचालन पं० कार्यानन्द शर्मा के नेतृत्व में करते रहे। उनने हंस-हंस के सब कष्ट भोगे, स्वयं कार्यानन्द जी को दो वार उसी सिलसिले में जेल जाना पड़ा। दो-दो वार घुड़सवार और हथियार बन्द पुलिस का धावा टाल में हुआ। पहली वार सन् १९३७ के मार्च कें सैकड़ों की संख्या में, और दूसरी बार सन् १९३९ में भी उन्हीं दिनों में। कभी तीन और कभी पांच खास मजिष्ट्रेट भी लगातार वहां रखे गये। यों तो जब फसल बोने का समय अक्टूबर-नवम्बर में आया तभी खास पुलिस, मजिष्ट्रेट और सवार भी पहुंचते ही रहे।

शर्मा जी पहली बार सन् १९३७ ई० में ५ वीं फरवरी को पकड़े गये और जून में छोड़े गये। उन पर एवं १९ और साथियों पर १२० वीं, ११७, १०७ आदि धाराओं के अनुसार केस चले थे। पे पीछे खत्म हो गये। दो ढ़ाई सौ किसान भी पकड़े गये। उन पर प्रायः झूठे केस चले। पीछे अधिकांश खारिज हो गये। दूसरी वार शर्मा जी ताः २।५।३९ को गिरफतार हुए। उनके साथी भी पकेड़े गये।

टाल के ही संबंध में सन् १९३६ के अक्टूबर में मुंगेर में, सन् १९३७ की फरवरी में शेखपुरा में, १९३७ के अक्टूबर में लक्खीसराय में, १९३८ के नवम्बर में लखीसराय में और १९३९ के फरवरी में टाल में ही पाली में किसान सम्मेलन हुए। लक्खीसराय वाले सम्मेलन में आते हुए सौ किसानों का जत्था श्री पंचानन शर्मा की नायकत्व में बड़हिया में बुरी तरह पीटा गया। यों तो टाल के सत्याग्रह में बूढ़े स्त्री पुरूषों की हड्डियां भी टूटी। मगर वे इतने शान्त रहे कि सरकार के अफसरों को लाचार हो के कहना पड़ा कि सचमुच यही शान्ति सेना है।

दूसरी गिरफ्तारी के बाद ही पं० कार्यानन्द शर्मा और श्री अनिल मित्र ने किसान मजदूर बन्दी, राजबन्दी करार दिये जाँय इस मांग के लिये पूरे डेढ़ मास तक जेल में अनशन किया। अन्त में कांग्रेसी मन्त्रियों ने उन्हें मरणासन्न समझ कर छोड़ा। "किसान बन्दी राजबन्दी" इस मांग के लिये श्री राहुल सांकृत्यायन को भी दो बार दस और अट्ठारह दिनों तक अनशन करना पड़ा। वे हालत खराब होने पर ही जेल से दोनों

बार छोड़े गये। इसी सिलसिले में श्री जगन्नाथ प्रसाद और ब्रह्मचारी रामवृक्ष, दोनों ही सारन जिले के हैं, ने पूरे ६० दिनों की भूख हड़ताल जेल में की और मृत्युशय्या पर ही ये लोग भी रिहा हुए। यह सारी घटनाएं कांग्रेसी मंत्रियों के समय में हुईं। मगर वे टस से मस न हुए। उनने किसान या मजदूर बन्दियों को राजबन्दी नहीं ही माना।

पहली बार श्री कार्यानन्द की गिरफतारी के वाद पं० यदुनन्दन शर्मा को हमने प्रान्तीय किसान-सभा की ओर से टाल में भेजा। वे वहां चारों ओर घूमकर देखभाल करते रहे। मुझे तो न जाने कितनी बार टाल में जाना पड़ा है।

सन् १९३७ के जून में श्री राजेन्द्र बाबू, श्री कृष्ण सिंह आदि की एक कमिटी बनी। उनने कुछ फैसले भी किये, गो किसानों को उनसे ज्यादा लाभ न था। फिर भी उन्हें मान लेने की राय दी। मगर जमीन्दारों ने ही न माना! पीछे तो उस कमिटी का वह फैसला ही दवा दिया गया।

फिर सन् १९३८ के अक्टूवर में मुंगेर के कलक्टर ने एक दूसरी पंचायत बनाई और फैसले का भार उसे सौंपा। उसने भी काफी गुड़-गोबर किया और बड़ी दिक्कत एवं दूसरीवार शर्मा जी की अध्यक्षता में मुंगेर कचहरी पर ही धरना देने के लिये किसानों के अनेक जत्थे पर जत्थे जाने और शर्मा जी आदि की गिरफतारी के वाद ही उसने कुछ किया। मुश्किल से एक हजार बीघे जमीन पर उसने किसानों का अधिकार वताकर उन्हें दिया। अभी उससे कुछ ज्यादा ही जमीन पर किसानों का दाबा बना है। कमिटी कुछ न कर सकी। हा इसी बीच बड़हिया टाल से मिले कुमुम्भा टाल में १८०० बीघे जमीन पर जमीन्दार ने, जो पटने के कोई नवाव साहव हैं, किसानों का हक मान लिया है।

सन् १९३६ के जून में टाल के किसानों ने कलक्टर के पास पहली दरखास्त भेजी। उनके दो जत्थे जाकर कलक्टर से मिले भी। उसी के वाद जमीन्दारों की नादिरशाही शुरू हुई और इंच-इंच जमीन छीन ली गई। फिर १९३७ के वीतते न बीतते कमरपुर में किसान खूब पिटे। उलटे ३२ के ऊपर १०७ का केस भी ज़मीन्दारों ने चलाया। बस सारा गांव उजड़ कर वाल-बच्चे, पशु आदि के साथ रवाना हुआ। साथ में लम्बे पोस्टरों पर जमीन्दार का नाम और अत्याचार मोटे अक्षरों में लिखा था। कई दिन चलकर ये लोग मुंगेर पहुंचे। रास्ते में ही धूम मची। मुंगेर में जव हरगली में नारे लगाते हुए वे लोग घूमे तो खासी सनसनी फेल गई। अन्त में कलक्टर के दवाव से कुछ कांग्रेसी नेताओं की एक तीसरी कमिटी पंचायत करने के लिये वनी। वह तो आज तक खटाई में ही 'पड़ी है।

इस प्रकार बड़हिया टाल में जमीन्दारों के दुराग्रह एवं सरकार एवं मंत्रियों की कमजोरी, बल्कि उनके द्वारा जमीन्दारों को प्रोत्साहन देने और लिपा पोती के कारण ही किसानों के साथ न्याय न हो सका। हालांकि उनने मर्दानगी से कष्ट और लड़ाई लड़ी। उनके पथ दर्शक भी पक्के मिले। सब से बुरी दशा रेपुरा गांव

की है। यहां के स्त्री पुरूषों की मर्दानगी से मै दंग रह गया। मगर उन्हें एक इंच भी जमीन न मिली। वे भूखे नंगे हैं। तुम धन्य हो न्यांय। धन्य हो शोषग।"

१९४६ ई० के बाद से भूमि सुधार व्यवस्था कांग्रेस सरकार की जोरों से चल रही हैं। और सरजमीन परं प्रत्यक्ष किसान आन्दोलन शिथिल पड़ गया। परन्तु उपरोक्त किसान आन्दोलन के कुछ ठोस परिणाम उल्लेखनीय हैं।

१. ये टलहे किसान मालिकों के कृपापात्र, विश्वास-पात्र और सहानुभूति के पात्र नहीं रहे। स्नेह संबंध, सद्‌भाव का नाता तथा पारस्परिक सहायता का सिलसिला सदा के लिये टूट गया।

२. इस आन्दोलन के पहले ये टलहे करीव तीन चार हजार बीघा खेत जोत रहे थे और शत प्रतिशत इन खेतों एवं खलिहानों पर मजदूरी करते थे। वे सव से वंचित हो गये। अब दो चार सौ बीघा से अधिक खेत उन्हें नहीं मिले हैं और मजदूरी के काम में भी उनपर विश्वास नही है।

३. इन टलहों की आशा और विश्वास को अपने पुराने शुभचिन्तक मालिकों पर से इस आन्दोलन ने नष्ट कर दिया और इस आन्दोलन की असफलता ने उन किसान नेताओं पर से।

४. जमीन वाले इनसे सचेत और सावधान होकर रहने लगे।

५. इन टलहों के बीच कोई भी राजनैतिक कार्यकर्ता सफलता और विश्वास पूर्वक काम करने में असमर्थ हो रहे हैं।

६. वे टलहों शहरों की ओर अपनी जीविका के लिये अधिक जाने लगे हैं और इधर खेतिहर मजदूर वाहर से लाने की जरूरत पड़ जाती है। १९४६ ई० से १९६६ ई० तक बिहार की सरकार कांग्रेस के हाथ रही। किसानों, रैयतों और दर रैयतों के वटाइदारों एवं अस्थायी जोतदारों की दशा में उनके अनेक सुधार कानूनी प्रयोग द्वारा किये गये हैं। उनके स्वत्वाधिकार की रक्षा की जा रही है।

१९५४-५५ में जमीन्दारी प्रथा का उन्मूलन हुआ। करीव दो सौ साल की यह संस्था समाप्त हुई। परन्तु स्थानीय जनता पर इसका प्रभाव कुछ क्रान्तिकारी तौर का नहीं पड़ा है। कारण यहां कोई वैसा जमीन्दार था नहीं। उपरोक्त इतिहास से स्पष्ट होना चाहिए कि यहां जमीन्दरी वड़े पैमाने पर स्थापित नहीं हो सकी। एक ही वंश के व्यक्ति मालिक या रैयत हुए। एक ही जमीन के टुकड़े बकाश्त या रैयती था। संबंध व्यवहार भाई-भाई का बना रहा हैं। जमीन्दारी रोव और शान की गुजायश हो नहीं हुई। गरीव से गरीव रैयत भी धनी से धनी व्यक्ति से अपना भैयारी अधिकार से आदर पाता रहा। दर्जा और उम्र में छोटा मालिक अपने

बुजुर्ग रैयत को भी प्रणाम करता रहा। साथ में उंचे आसन पर बैठाता रहा। इसलिये बेगारी, अबवाब और अनुचित अत्याचार का मौका कभी नहीं आया। जो रैयत अपने रैयती जोत का २ से ५ रु० बीघा का लगान देता था वहीं रैयत उसी खेत के समान बकाश्त जमीन को सालाना पट्टा पर २५-५० रु० बीघ देकर लिया करता था। जिस कारण ज्यादा लगान की शिकायत वह कर नहीं पाता था।

अत्यधिक जनसंख्या के कारण भूमि वितरण पारिवारिक विभाजन ही के द्वारा अत्यधिक होता रहा है। जमीन्दारी से बकाश्त अधिक लाभदायक है। इस कारण बड़हिया में ५-६ हजार से अधिक वार्षिक नकदी आय की जमीन्दारी किसी को प्राप्त नहीं हुई। यह जमीन्दारी गांव वास्तव में नहीं बन सका और इसके जमीन्दार कुटुम्ब प्राय: टलहा किसान के संबोधन से इनका अभिनन्दन किया करते थे।

जमीन्दारी की क्षतिपूर्ति लोगों को मिलने लगी है। जमीन्दारी जाने और क्षतिपूर्ति प्राप्ति के अनिश्चय से इन्हें वैसी चिन्ता नहीं है।

परन्तु भूमि सीमा निर्धारण Ceiling., भूमि संचय Levy के अधिनियमों से कुछ अधिक चिन्तित नजर आते हैं। यद्यपि अपनी महती और बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण इन्हें अधिक असुविधा नहीं होगी।

कृषि आयकर, भूमि सीमा-निर्धारण, एव बकाश्त के उपर लगान-तसखीस के भय से अत्यधिक संख्या में भूमि का वितरण सच्चा या झूठा फरजी किया गया है। इन कानूनी सुधारों का प्रत्यक्ष परिणाम हुआ है यह मिथ्याचरण और एक खेदजनक परिणाम यह कि अनेक फरजी बंटवारा बाद में वास्तविक बन गये हैं या बन रहे हैं।

बिहार सरकार ने संत विनोबा के भूमिदान की सहायता के लिये भूदानयज्ञ अधिनियम बनाया है। इन छोटे भूमिखंडों के दान देकर खेतों के छोटे-छोटे टुकड़े (fragmentation) किये जा रहे हैं।

दूसरी ओर चकलाबन्दी कानून द्वारा Consolidation of holding की भी व्यवस्था हो रही है। Cooperative Farming का भी पुकार जोरों पर हैं। अभी ये दोनों काम यहां नहीं शुरु हुआ है।

१९५३ के नवम्बर में संत विनोबा जी बड़हिया आए थे और १०० एकड़ के करीब जमीन भूदान में दी गयी थी। जिसका वितरण हो चुका है।

इस संबंध में उल्लेखनीय है कि चकलाबन्दी तथा सहकार खेती के लिये यह क्षेत्र सर्वथा उपयोगी है। यह पचास-साठ हजार बीघा का टाल क्षेत्र एक चकला है एक व्यक्ति की संपत्ति के समान। कोई आल या बाधा नहीं। Large Scale Cultivation बहुत बड़े पैमाने पर वैज्ञानिक रीति से किसी एक प्रकार की चुनी हुई फसल की खेती के लिये यह यथायोग्य भूमि है। बिहार सरकार का ध्यान इस टाल क्षेत्र की उन्नति एवं संपुष्टि की

ओर गया है। एक योजना एक करोड़ सत्तासी लाख की लागू कर दी गई है। काम शुरू हो गया है। इस योजना में फलूहा से बड़हिया तक का टाल क्षेत्र लिया गया है। इस योजना के अनुसार निम्नोक्त प्रस्तावित कार्य हैं :

(क) फाजिल पानी को आबादी के समय सोतों के जरिए नदी में निकाल देना।

(ख) अभाव के समय पानी देने के लिये उन सोतों में पानी जमा रखना।

(ग) बिजली की सहायता से नदी एवं सोतों से सिंचाई की व्यवस्था कर धान, भदई ई० अन्य फसल की खेती की व्यवस्था।

(घ) राह रास्ता की व्यवस्था।

दिवानी बन्दोवस्त मोगल सम्राट ने १७६५ में इस्ट इन्डिया कम्पनी को किया था। १७९३ से १७९७ के अन्दर दमामी बन्दोवस्ती हुई और जमीन्दारी कायम हुई। बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या ५४०४ L. R. मिति २१-९-१९५४ एवं संख्या ६३१ एल० आर० २६-१-१९५५ के द्वारा जमीन्दारी समाप्त की गई।

अब तो समस्त भूमि के स्वामी सरकार है और उसे खास दखल में रखने वाला सरकार का रैयत।

बासभूमि पर रहने वाले सब निःशुल्क रहते थे। बदले में वे भूमि के मालिक का काम और मजदूरी किया करते थे जिससे बेठ वेगार कहा जाता था। उनके सुख-दुख के शरीक मालिक रहते थे। आवश्यकतानुसार अनाज रुपये की सहायता मिलती थी। अब उनका स्वत्व इस भूमि पर मिल गया हैं। उनका मालिक अब सरकार है। इस कारण जमीन्दारों से नाता विल्कुल टूट गया। स्वाधीनता के साथ स्वाभिमान भी आ ही गया है। परन्तु सद्भावना, सहायता का स्रोत सुख गया।

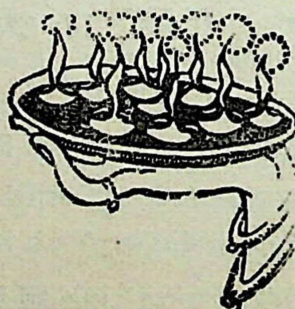

अध्याय—११

कृषि चर्चा

अध्याय—११

कृषि चर्चा

बड़हिया गांव और टाल की मिट्टी 'केवाल' (Alluvial) है। रंग गहरा काला। पानी पड़ने से मखन की तरह मुलायम। सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर। गंध सोंधी। स्पर्श चिकना, लसीला।

दियारा की मिट्टी दोरस (Loany) है। टाल की नदी के तट पर भी बालू नहीं है। उस नदी में बालू है नहीं। गंगटी जरूर है। यानी छोटे-छोटे रोड़े जो भी मिट्टी के हैं। Alkaline या रेह जमीन कहीं-कहीं पर है जैसे धोबियाघाट में। दियारा में कहीं वलथर (Sandy) है। वड़हिया के टाल में पेड़-पौधा नहीं रहते। परन्तु कहीं-कहीं अधिकतः नदी किनारे कुछ घास और झाड़ी हैं। जैसे—कुवा, कास, खड़ही और छोटा बेर।

टाल की उँची जमीन (upland) को 'टांड़' कहते हैं। नाला या सोता को 'गंडर' (Drain)। नदी किनारे (River Bank) को 'कान्ही'। 'वाहा' से पानी बह जाता है। Channel खेत के पेट (Bed) को 'पेटी' कहा जाता हैं। गांव के किनारे के खेत को 'गौढ़ा' कहा जाता है।

गेहूं प्रायः चना के साथ वोया जाता है। पिछले साल के वीज से जो मसुरी या खेसारी स्वयं पैदा हो गया हो उसे 'नमहेर' कहते हैं। पशु चारा के लिये कुछ फसल के साथ स्वयं उपज जाता है उसे 'उटेर' कहते हैं। वीज छींट कर वोने को 'छीटा' कहते हैं और हल से वोने को 'वाउग'। एक ही किस्म के फसल को 'अगव' (Single) और दोहरी फसल को 'दोहना' (Secondary)। राय हर फसल के साथ छींट कर उपजाया जाता हैं। चित्रा के मध्य से स्वाति नक्षत्र तक आवादी होती है। समस्त टाल की आवादी एक ही बार होती है। जिस कारण बैल, हल, मजदूर, वीज इत्यादि के प्रबंध की भीड़ हो जाती है। उस समय किराये पर हल, बैल १५ से २५ रु० फी बीघा के दर से कर लिया जाता है।

फसल के कुछ रोग :

लरका : एक इंच लम्बा, विना रोंआ का, हरे रंग का, बूंट के पौधे का कीड़ा, दाना पड़ने के पहले ही लगता हैं।

सुन्दरी : यह कीटाणु इतना छोटा रहता हैं कि नजर नहीं आता हैं। केवल केराव के पौधे में लगता है।

सुरका : यह भी केवल केराव में लगता है। पत्ते और टुसी को चाट लेता है।

कजरा : बूंट, गेहूं, मसूरी को काट कर गिरा देता हैं। अकुर अवस्था में ही लगता है।

हरदा : रंग भूरा है। छः पांव होते हैं। गेहूं के पोधे पर आघात करता है। पौधा पर पीलापन छा जाता है। दाना गदराने नहीं पाता है।

कोइली : काला बूकनी चूर्ण की तरह। गेहूं और जौ इसके शिकार हैं।

परन्तु १९६६ से अनावृष्टि और संकट के बाद से खाद, बीज एवं कृमिनाशक का व्यवहार चालू होने लगा है।

औसतन प्रति बीघा बीज इस दर से दिया जाता है।

बूंट — ३५ सेर
गेहूं — ५ सेर
बूंट — ३० सेर
मसूर — ३० सेर
केराब — १ मन
खेसारी — ६ पसेरी
राय — आधा पाव।

अंकुर छः दिनों में नजर आने लगता है और पत्ता नौ दिनों में। कहावत है "छवें सूईया नौवे पात।" तीन सप्ताह के बाद से 'साग' खाने लगते हैं। ४० दिन के बाद से केराव, खेसारी, जई पशु को खिलाना शुरु करते हैं। इसे 'घंसगढ़ी' कहते हैं। घास गढ़ना। अनाज की छीमी की अवस्थाओं के नाम क्रमशः इस प्रकार हैं :

फूल : चिपुर, पिटोर, अधगादर, गादर. घसराल, बेलौन, पकल।

ये फसलें चार महीने में तैयार हो जाती हैं। यानी फागुन के मध्य या अन्त तक। पकने पर कटनी या दीनी (Harvesting) लगतो है। दीनी या कटनी भी प्रायः समूचे टाल में एक बार ही लग जाती है, जिस कारण जन मजदूर की मांग एक बार ही बहुत अधिक हो जाती है। गेहूं, बूंट, राय को टेढ़े हंसुआ से काटना होता है। खेसारी, केराब, मसूरी को मुट्ठी से उखाड़ा जाता है। फसल तैयार होने पर "जजात" कहलाता है। कट जाने पर 'झंगड़ी'।

फसल को काटने या उखाड़ने पर जमा किया जाता है जो आकार के अनुसार क्रमशः मुट्ठी, अंटिया, पांजा, बोझा कहा जाता है। चार पांजा एक बोझा समझा जाता है।

मजदूरी नकद नहीं दी जाती है। अनाज भी नहीं। फसल ही दे दी जाती है।

मजदूरी को 'वोन' कहते हैं। दर वढ़ता ही जाता है।

पहले दर था, इकैसी-यानी २१ बोझों में एक।

वाद में हुआ सोलही-यानी १६ वोझों में एक। और अव है वारही-यानी १२ वोझों में एक।

एक बोझा में १० सेर अनाज निकलता हैं। इसके अलावे एक अंटिया प्रत्येक को भोजन के नाम पर दिया जाता हैं।

वाउग हुआ, दीनी हुई तव खलिहान का काम शुरू हुआ। खलिहान का काम चार सप्ताह से ८ सप्ताह तक चलता हैं। पिछला फागुन से पिछला वैशाख तक किसानों के लिये यह बहुत ही व्यस्त समय है। और आनन्द, उल्लास का भी। जव वह एक वर्ष की आमदनी समेट कर घर लाता हैं। समूचा टाल का क्षेत्र-किसान, जन एवं मवेशी से भरा रहता है।

फसल की कटनी कर उसे चक्का में रखा (थाक) जाता है। यह थाक जव दीवाल की भांति उंचा हो जाता है तो 'कांड़ा' कहलाता हैं। एक स्थान को चिकना कर गोवर से लीपकर 'बरहरा' किया जाता है। वीचोवीच 'मेंह'—एक लंवा वांस गाड़ दिया जाता है। इसी मेंह के चारों ओर गोलाकार वृत में फसल के वोझों को खोलकर हाथ उचा फैला दिया जाता हैं। इसका दौनी या दमाही वैलों से किया जाता है।

वैल के गर्दन की डोरी को गरदायं और एक के गरदांय को दूसरे वैल के गरदांय से 'बड़ाम' रस्सी से बांध दिया जाता है। डोरी को पगहा कहते हैं। मवेशी के दुम के केशों का वना हुआ 'वरौंजी' होता है उससे भी यह काम लिया जाता हैं। एक पंक्ति में इस तरह ५ से १० वैल बांधकर खड़ा किये जाते हैं और फसल परवे घुमते रहते हैं। मेंह के निकट वाले वैल को मेंहठा एवं अन्त वाले को 'अगदाय' कहते हैं। वे घुमघुम कर फसल के 'झंगर' को पांव से चूर-चूर कर डालते हैं। मौसम की गरमी के मुताबिक २४ से ७२ घंटों में दमाही खतम होती है। यानी अनाज अपने छीमी और झगर से निकल कर अलग हो जाता है। दमाही के दौरान वैल अगर पायखाना करते तो उसे अनाज पर नहीं गिरने देकर हाथ में लेकर बाहर फेंक दिया जाता है। उसे 'सहरना' कहते हैं। वोझों को छितराने एवं हटाने का काम अखैन से लिया जाता है यह लम्वा पतला वाँस ही की खुटियों का बना हुआ 'अंकुश' होता है और 'पचखा' से वोझा को जमा करना होता हैं जो हाथ के पंजा की तरह धनुषाकार लकड़ी का होता हैं। दमाही किया हुआ अनाज और भूसा 'उकमा' कहलाता है। मेंहठा वैल के पूछी से उकमा को स्पर्श कराकर पांचवार वम महादेव हर हर महादेव कहकर वैलों को खोल कर दमाही समाप्त किया जाता है। 'इसे साहर ले लूं'' कहते हैं।

दमाही पूरा कर उकमा को जमा कर हंटा देते हैं। इस अवस्था में यह 'खोवा' कहलाता है और जमा करने पर 'सीली'। इस सीली ढेर के शिखर पर गोवर रख दिया जाता है। गोवर पर गेहूं का वाल। यह निशान का काम करता है।

दमाही (Thrashing) खतम करके असोनी (Winnowing) की क्रिया होती है। फसल के बोझों रस्सियों को जमाकर एक स्थान को घेर दिया जाता है जो. कंढा कहलाता है ।

अनाज के रोग :

चूहा, मूस

भख : अनाज को खोलला और पतला भूसी के ऐसा वना देता है यह लाल रंग का महीन कीड़ा है।

सूंडा : अनाज में छेद क्रर देता है। छोटे पीपली के ऐसा भूरा रंग।

खेत जोतने के लिये इन चीजों की जरूरत होती है। हल (Plough) इसां (Beam) पाटन या हुमना (joint) बारन लगान के नीचे का Holder. लगना Handle. फार Blade. जोंका फार को मोड़ने वाला हल के दोनों तरफ बैल को एक साथ जोतने के लिये कंधे पर 'पालो' रखा जाता है । बैल के गरदन को पालो के साथ 'जोती' से बांधा जाता है और हल को पालो में 'वारन' से लटकाया जाता है।

जोती, वारन चमड़े का फीता होता है। चमड़े के अभाव में डोरी का व्यवहार किया जाता है। डेढ़ इंच व्यास का ३ फीट लंबा वांस का वंना हुआ चोंगा (Hollow Tube) से वीज डाला जाता है।

लकड़ी का कटोरा ऐसा मलिया (Cup) को चोंगा के उपर घुसाया रहता है और हल में फार के उपर इसे खोंस दिया जाता है।

दो गज लम्बा कपड़ा हल्दी में रंगकर चोंगवहना में ५।७ सेर अनाज रख कर झोली की तरह कमर में वांध लेते हैं। उसे 'टोर' भी कहते हैं।

हल से कोड़े गये खेत की पंक्ति को 'सीरोर' कहते हैं। यह ८ इंच चौड़ा और ४।५ इंच गहरा होता है।

सीरोरों से जो खेतों का खंड वनता (टुकड़ा) है उसे 'भाजर' कहते हैं। यहां खेतों के वीच आल नहीं हैं। खेत का कोई भाग जोनने में छूटने नहीं पाते। इसलिये चारो कोण को मिलाते हुए जोत किया जाता है। इसे 'कोनिया' कहते हैं। इसी को नियां चिन्ह से खेत पहचाना जाता है। किसान सब अपने खेत के पिछले फसल के ही अनाज को वीज रूप मे प्रैयोग करते रहते हैं। कभी नये किस्म का बीज देने को तंयार नहीं होते। खाद, कृमि नाशक और सिचाई की वात कभी नहीं सोचते। जैसे जानते ही नहीं हों। संतोष की बात है कि १९६६ ई० के अनावृष्टि जनित अकाल के फलस्वरूप आधुनिक कृषि प्रणाली की ओर आकर्षण होने लगा है। सिंचाई बिजली, कृमिनाशक, खाद, एवं भांति-भांति के उन्नत बीज का महत्व समझा जाने लगा है। कृषि क्रान्ति की लहरें यहाँ भी पहुंचने लगी हैं। घेरे हुए स्थान को लीप-पोत कर चिकना और साफ किया जाता है जो 'पारन' कहलाता हैं। यह स्थान उत्तर दक्षिण लंबा रखा जाता है। पूरव पश्चिम की हवा की सहायता के लिये और अनुकूलहवा पाकर सूप या छींटा से ओसाया जाता है। यह काम शुरू करने के पहले बूंट के सत्तू का

लीटी गोलाकार (मोटा केक) दूध मीठा का भोग कर लेते हैं। चूँकि अब अन्न देवता के दर्शन होने वाले हैं। भूसा एक तरफ और अनाज दूसरे तरफ जमा हो जाता है। अनाज को टारते रहने का काम 'फौड़ी' या 'लरना' से किया जाता है। यह लकड़ी का एक छोटा तख्ता, लकड़ी के छोटे डंडे में खोंसा हुआ रहता है। अब अनाज को बोरों में बन्द करिए और बैलगाड़ियों पर घर लाइए।

खलिहान के मजदूरों की मजदूरी २॥ मन अनाज फी महीना के दर से भोजन के अलावे दिया जाता है।

गोबर के गोइठा और डंबारा बनता है।

खलिहान में गिरे हुए अनाज को बैल खाते हैं। उनके गोबर से अनाज निकलता है उसे 'गोबरोरी' कहते हैं। गरीब जन-मजदूर उसे धोकर भूंज कर खाते हैं। अनाज ४०-५० साल पहले तक धरती में 'खाद्य' के अन्दर रखा जाता था। जनसंख्या के दबाव से और चोरी की बढ़ती हुई आशंका से यह रवाज बन्द हो गया है। अब यह कोठरियों में बन्द कर रखा जाना है। उसे 'ठेक' में रखना कहते हैं। जमीन पर नीचे बांस की सूखी पत्तियां, आम के सूखे पत्ते डालकर 'सोनी' (राय का सूखा छीमी) उस पर केराव या मसूरी का भूसा रख कर अनाज रखा जाता है। अनाज के उपर से भी भूसा डालकर मिट्टी से ढक दिया जाता है। प्रायः भादो आश्विन में अनाज निकाल कर बीज के काम में लाया जाता है। और फाजिल को बिक्री की जाती है।

अनाज की बिक्री दर के लिये इन किसानों को बाजार के मारवाड़ी एवं अन्य व्यापारियों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। अनाज की बिक्री के समय ग्राहक व्यापारी पुराना नौ पैसा फी प्रतिशत रुपये में से ले लेते हैं विद्यालय एवं धर्मादाय ई० के नाम पर। क्याल तौलनेवाले सोनार जाति के हैं। उनकी मजदूरी ग्राहक ही दे देता है।

टाल का औसत पैदा फी बीघा ८ मन और उतना ही भूसा माना जाता है। जमीन सब एक फसला है।

सन् १९५७ एवं १९६६ में असमय वृष्टि एवं अनावृष्टि के कारण कृषि क्रान्ति की लहर यहां भी पहुँचने लगी। अब तम्बाकू, मिर्चाई, आलू, धान ई० की खेती परिश्रमी किसान यत्न-पूर्वक करने लगे हैं। बिजली पंप करीब २५-३० बैठाए गये हैं और ट्रक भी चलने लगे हैं। खाद कृमिनाशक और गेहूं के अच्छे बीज का प्रचार जोरों से होने लगा है। विश्वास जमने लगा है।

आधुनिक उन्नत रीति से कृषि करने के आवश्यकशिक्षा एवं उचित साधन की व्यवस्था होने से यह क्षेत्र एक विशाल अन्न भंडार में परिणत होने की क्षमता रखता है।

गांव के पश्चिम और पूरब पुराना बाग बगीचा है। जो मुख्यत: आम का बगीचा है बीजू आम का।

आम के फल से, अमोट, अमावट, अंचार, घुमौरी, चटनी, अमगुड़ा इं० का भोजन चलता है।

जामुन, कटहल, महुआ भी हैं। कुछ लोग कलम बाग रखते हैं।

महुआ में तीसी और मीठा डालकर लड्डू तैयार कर खाया जाता है। इसे लट्टा कहते हैं। ये बगी सबके सब एक सौ वर्ष से अधिक पुराने हैं। इनमें फल अब बहुत कम लगते हैं। इनके लाभदायक उपयोग अन्य उपाय ढूंढ़ निकालना आवश्यक है।

दियारे की जमीन पर जई, नरकटिया, चीनी, कौनी, सामा इत्यादि पशु के चारा के लिये उपजाया जा है। अपने पशुधन के लिये इस गांव को उचित गौरव है। अच्छे नस्ल के दर्शनीय और पुष्ट बैल एवं दुधा गाय बड़े प्रेम और यत्न से ये रखते हैं। मोटरों के प्रचार के पहले हाथी घोड़े भी काफी थे।

मुंगेर के District Gazetteer के पृष्ठ १३९ में :

*"मुंगेर जिले में पशु छोटे आकार, घटिया किस्म और मामूली नस्ल के पाये जाते हैं। परन्तु इस जिले पश्चिम भाग में पटने जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में पुष्ट, बड़े और अच्छे किस्म के पशु रहते हैं। रब्बी फसल विशाल भंडार बड़हिया टाल भी इसी क्षेत्र में हैं। यहां के बड़े किसान उंचे नस्ल के अच्छे पशु हरियाना वंश किस्म के रखते हैं।"

हरियाना, गुजराती, मुलतानी, थरपारकर, पटनियां, पछांही ई० के नस्ल के पशु रहते हैं। हिसार बटेश्वर ई० से मवेशी लाये जाते हैं। खुराक में इन्हें अनाज भी दिया जाता है। इसे 'दाना' कहते विशेषतः खेसारी और बूंट, बेसन, मीठा, महुआ, राय की खल्ली, चिसुर का खीर, मसुरी की खिचड़ी, न जमायन, हल्दी, भूसा, भूसी, घास। गरमी में मखन, घी। सप्ताह में कडुआ तेल इत्यादि।

यहां के बैलों को १५-२० दिन कार्तिक में और डेढ़ दो महीना खलिहान में काम करना पड़ता है। अन्य बैठकर ही खाते हैं। जनसख्या के दवाब के कारण चारागाह अब गांव में कहीं नहीं रहा। इस कारण बथान पर बंधा ही रहना पड़ता है।

ये बैलगाड़ी में जुतकर तीन-चार मिनट में एक मील दौड़ जाते हैं। टाल से अनाज लाने के सिलसिले ये प्रतिदिन २०-२५ मन अनाज लेकर आते जाते हैं। दिन रात में २०-३० मील का चक्कर हो जाता है।

---

*The Cattle of Monghyr District are of an inferior breed and are generally small of poor quality. Heal their and fairly big sized cattle are, often found as one towards western side of the District bordering Patna, A vast field of cultivable popularly known as Barahiya Tal which is rich in rabi crops lies in this part. Big vators here keep well bred bullocks among which many are of Haryana Breed.

| अध्याय-

पशुओं के रखने के स्थान को गोंड़ी कहा जाता है। भूसा-पानी को सानी (साना हुआ) कहते हैं।

लाल, गोला, चरक, काला, छींटहा, चितकावर, ई० इनके रंग हैं।

इनके कुछ रोग :

थुकहा : मुंह एव पैरों में फोंका निकल आना।

खांझा : ज्वर हो आना।

इलाज-फिटकीरी से धोया जाता है। कीड़ा पड़ जाने से बनतुलसी, हल्दी, तम्बाकू और चीनी का तेल बनाकर लगाया जाता है।

जीलहा : जीभ और तालू में घाव।

मैनमां : तालू और कंठ का घाव

नकड़ा : नाक का घाव

चेचक :

अढ़ैया : ज्वर २॥ दिन रहता है। गाय का दूध पिलाना इलाज है

पेटफूली : ज्यादा या लगातार अनाज खा लेने से पेट फूल जाता है। भूखा नहीं रहती है।

इलाज : खड़ा हुआ राय की खल्ली नमक केसाय दिया जाता है। किरासन तेल पिलाया जाता है। पुराना नेवारी या तम्बाकू और कड़ुआ तेल के साथ खिलाया जाता।

बैलगाड़ी के उपकरण :

आनाज ढोने, निजी सवारी के लिये एवं माल असबाव ले जाने के लिये बैलगाड़ी प्रत्येक किसान परिवार का संबंल है। किराये पर भी बैलगाड़ियां चलती हैं। एक बैलगाड़ी की रचना में जिन सामग्रियों की जरूरत होती हैं उनके नाम स्थानीय बोली में जानना भी रोचक होगा।

दो पहिए :

नाह : पहिया में गोलाकार भूर

आड़ाडंरिया—पहिए के वृत की रेखाए

पुठी : पहिए की परिधि

हाल : लोहा का पटरी, पुठी के उपर

औन : लोहे की अंगूठी

धूरी या धूरा : लोहा या लकड़ी का।

तेतला : लकड़ी का। गाड़ी के नीचे और धूरी के उपर।
फर : तेतला के उपर बांस का
सोढ़ी : दोनों बाज़ू में
फगाठी : चीरा हुआ वांस
खुट्टा : सीढ़ी, तेतला फर, धूरा को एक साथ वांधने के लिये।
अमेहरी ; रस्सी। सवको वांधने के लिए
पछुआ : पीछे का डंडा।
वगली : अगल-बगल से वांधने की डोरी
दौड़ : डोरी। आगे से पीछे तक वांधने के लिये।
जूआ : बैलों को कंधों पर रखने वाखा जूआ की वीचली डोरी, वगली डोरी, कनैली डोरी, कानके नजदीक वांधने के लिये
जोता : चाम या नेवाऱ या सूता गाड़ी को जूआ में वांधने वाला।
किल्ली : जूआ के दोनों छोर पर छेदों में छोटी लकड़ी।
सीरी : लकड़ी के डंटे में चमड़े का फीता। वैलों को हाकने के लिये।
घंटी घुघरू : वैलों के जेवर
पसहा : गाड़ी को अटकाने के लिये वांस के दो डंडे रस्सी से बंधे हुए।
खटाल, कुटरी : सामान रखने के लिये।
संपनी—गाड़ी का रिवाज यहां नहीं है।

स्थानीय भूमि नाप का मान दण्ड

An Account of the District of Bhagalpur in 1810–11

By : Francis Buchanon.

Page—477 :–The usual measure is $5\frac{1}{2}$ cubits the pole and 18 poles each way making a Bigha- Properfy measured, the customary Bigha contain nearly 22725 square feet.

साधारणत: प्रचलित नाप के अनुसार ५॥ हाथ का एक लग्गा या वांस या कट्ठा होता है। १८ वांस लंबा और १८ बांस चौड़ा का एक बीघा होता हैं

प्रचलित एक बीघा में ठीक-ठीक नापने से २२७२५ वर्ग फीट होते हैं।

बड़हिया की जनता की एक मात्र संपत्ति, उनका सर्वस्व हैं टाल और दियारा के खेत। बिहार प्रान्त का यह अन्न भंडार है। इसके विकास में ही बढ़ती हुई जनसंख्या का प्राण रक्षा है।

सन्तोष की बात है कि बयोवृद्ध तपोमय श्री रामरीझन बाबू एवं युवक, तेजोमय कपिल बाबू, दोनों ही शुभचिन्तकों, का ध्यान इस समस्या की ओर है। दोनों ही अपने-अपने राजनैतिक क्षेत्र से इस दिशा में यथाशक्ति कुछ कर करा देने को प्रयत्नशील हो रहे हैं। कितना अच्छा होता कि दोनों के संयुक्त प्रयास से यह काम आगे बढ़ाया जाय। एक सर्वदल या निर्दलीय मंच कायम कर इस विकास कार्य की सफलता आवश्यक है। श्री रामरीझन बाबू एवं श्री कपिल जी दोनों ही के अपने-अपने कथन में ही, इन समस्याओं एवं उनके प्रस्तावित समाधान एवं सुचेष्टा का विवरण दिया जांता है।

१५ अप्रैल १९६५ को बड़हिया में एक किसान सम्मेलन का आयोजन मुंगेर जिला कृषि उत्पादन गोष्ठी के नाम से किया गया था। इसके स्वगताध्यक्ष पद से दिये गये अपने भाषण में श्री रामरीक्षन बाबू ने कहा :

१. राजेन्द्र पुल के निर्माण से इस क्षेत्र के दियारा की लगभग छ: हजार एकड़ से भी अधिक उपजाऊ जमीन गंगा के गर्भ में विलीन हो चुकी हैं और विलीन होती जा रही है। इसके अतिरिक्त सिंचाई के अभाव में सूखा, दीमक लगना एवं कीड़ा के प्रकोप से किसान की फसल की बर्बादी हर साल हो रही है जिससे इस क्षेत्र के किसान की मानो रीढ़ टूट सी गई है। वे भूख के मारे तड़पते रहते हैं एवं अर्धनग्न और जंगली जीवन बिताते हैं।

२. दूसरी ओर बड़हिया टाल की अधिकांश जमीन का इतिहास ही जुदा है।

३. प्रतिवर्ष अपाढ़ के अन्त या श्रावण में यह समूचा टाल क्षेत्र हरुहर की बाढ़ से आप्लावित हो जाया करता था और आश्विन के अन्त में बाढ़ का जल अपने आप निकल जाता था जिससे रब्बी के बीज की बुवाई ठीक समय पर हो पाती थीं और फसल लहलहा उठती थी। पर आज उसका रुप ही बिल्कुल बदल सा गया है। इसका एक प्रधान कारण है हरुहर नदी की सहायक नदियों से अनेक नहरों का निकाला जाना। हरुहर नदी की सहायक नदियां कियूल, कोड़हारी, टाटी, सकरी, पंचाने, महाने इत्यादि है जिनसे नहर निकाल कर हरुहर की जल-क्षमता कमकर दी गई है जिससे अषाढ़ श्रावण में टाल की जमीन पहले जैसा डूबने नहीं पाती और नवम्बर महीने में जब धान की फसल तैयार हो जाती है तब धान के खेतों से पानी निकाल दिया जाता है जिससे टाल की जमीन में पानी फैल जाता है और समय पर बुवाई नहीं हो पाती है और ऊपर क्षेत्रों में भूक्षरण Soil Erosion एवं तरीक्षण Moisture Erosion एवं नीचे क्षेत्र में पानी का जमाव Waterlogging की भयंकर समस्या उत्पन्न हो गई है। जिसके परिणामस्वरूप उपज में दिनोंदिन ह्रास होता जा रहा है। इन समस्याओं का समाधान स्थान-स्थान पर सुलिसगेट, रिंगबांध, छिलका, कलभर्ट एवं घेराबन्दियों के माध्यम से किया जा सकता है।

४. इस क्षेत्र की कृषि समस्या को सुलझाने के लिये मैंने सरकार से कई बार अनुरोध किया। १५-१६ वर्षों तक अथक परिश्रम किया, लेकिन आजतक इस ओर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। सरकार की इस क्षेत्र के प्रति उपेक्षित नीति का प्रमाण हम निम्नलिखित पंक्तियों में दे रहे हैं :

(क) १४ नवम्बर १९५५ में तत्कालीन केन्द्रीय योजना उपमंत्री श्री श्यमानन्दन मिश्र को वड़हिया में टाल के विकास एवं उन्नति करने के संबंध में एक स्मृति पत्र दिया गया।

(ख) १६ दिसम्बर १९५५ में तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री श्रीकृष्ण सिंह को भी एक प्रार्थना पत्र देकर टाल की स्थिति से अवगत कराया गया एवं इसके विकास और उन्नति के लिये उनसे प्रार्थना की गई।

(ग) ३० नवम्बर १९५६ को केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री पंजाव राव देशमुख को एक स्मृति पत्र मैंने वड़हिया टाल को दो फसला बनाने के संबंध में दिया। केन्द्रीय सरकार का ध्यान लिफ्ट ईरीगेशन, ट्युववेल, छरकी आदि की ओर गया था। पर विशेप प्रगति नहीं हो सकी।

(घ) १९५७ में तत्कालीन कृषि मंत्री श्री अजित प्रसाद जैन को टेलीग्राम से यहां बुलाया गया और उन्हें भी वैज्ञानिक ढंग से यहां की कृषि विकास के लिये प्रार्थना की गई।

(च) २७ दिसम्बर १९५७ को भूक्षरण की जांच के लिये विहार के तत्कालीन कृषि मंत्री श्री वीरचन्द पटेल को थाना कांग्रेस कमिटी के सभापति की हैसियत से मैंने एक प्रार्थना पत्र दिया।

(छ) विहार प्रान्तीय कांग्रेस कमिटी के तत्कालीन अध्यक्ष श्री नन्दकुमार सिंह एवं उस समय के माल मंत्री श्री वी० एन० झा को भी मैंने सूचना दी और पटेल साहव से पार्टी की ओर से आग्रह करने की मांग एवं जांच कराने के लिये सिफारिश की गई। फलतः २५ और २६ नवम्बर १९५८ को भूसंरक्षण डायरेक्टर एवं डिप्टी डायरेक्टर बिहार ने आकर जांच की और उन्होंने भूक्षारण एवं तरीक्षरण को सही पाया।

(ज) २८ नवम्बर १९५८ को केन्द्रीय सरकार के भूसरक्षण डायरेक्टर श्री जे० के० बसु एवं कृषि अभियंत्रण कार्य के डायरेक्टर इनचार्ज एम० एस० वी० रामाराव के साथ विहार राज्य के अधिकारी भी आये थे। वे सदायवीघा में वना हुआ वांध पुल और सुलिसगेट जो हमलोगों ने १९५२ में अपने अनुभव के आधार पर बनवाया था, देख बड़े प्रभावित हुए।

(झ) दिनांक २९,५,५८ को तत्कालीन मुख्य मंत्री डा० श्री कृष्ण सिह की सेवा में फिर भूक्षरण विषय को लेकर एक प्रार्थना पत्र दिया। इस पर कृषि निर्देशालय विकास आयुक्त आदि ने उचित विचार विमर्श किया।

(ट) इसके अनन्तर १९५९।६० में मोकामा टाल को विकसित करने हेतु एक सभा हुई और डा० श्री कृष्ण सिंह भी उस सभा में आये थे। वहीं पर इनका ध्यान बड़हिया टाल की ओर फिर दिलाया गया। उन्होंने सभा में एलान किया कि फतूहा से लक्खीसराय टाल के विकास हेतु उचित कार्यवाही की जायगी।

(ठ) हरूहर नदी के किनारे किनारे विद्युत की लाइन देकर मोटर एवं पंप से काफी अच्छी सिचाई हो सकती है। इसके लिये १९५७ से ही प्रयत्न जारी है। ५०० से १००० तक आवेदन पत्र उस समय के अधीक्षण अभियन्ता श्री वी० एन० झा के पास दिये गये थे। उन सवों का जांच कर स्कीम भी वनाई गई थी

पर पावर Power की कमी के कारण उस समय स्थगित कर दी गई। बड़े ही हर्ष की बात हैं कि इस कार्य में अब मुझे सफलता मिली है और इस क्षेत्र में दो वर्ष के अन्दर ही विजली एवं सिचाई की व्यवस्था अच्छी होगी। यह कार्य अब शुरू कर दिया गया है।

(ड) इसी तरह दियारे क्षेत्र एव टाल क्षेत्र के लिये ट्यूबवेल के लिये काफी पत्राचार अधीक्षण अभियन्ता से किया गया था। इस कार्य में भी मुझे इतने दिनों बाद सफलता मिली है और हरुहर नदी के किनारे में पम्पिगसेट देने का कार्य निर्माण में है।

(ढ़) दिनांक ४-१२-६३ को राज्य के सिचाई ।एवं विद्युत मंत्री श्री महेश बावू से मिलकर मैने एक आवेदन पत्र दिया था टाल की दुःस्थिति दूर करने के लिये और उनसे आग्रह किया था कि कम से कम लघु सिचाई को भी कार्यान्वित किया जाय।

५. इस क्षेत्र की दूसरी विशेषता यह है कि यहां छाड़न, सोताओं और नदियों की भरमार है। किनारा ऊंचा है और दोनों ओर समतल एवं ढालू जमीन है जिसमें लिफ्ट इरीगेशन या विद्युत की लाइन दौड़ा कर हजारों एकड़ जमीन की सिचाई कर भदई फसल पैदा की जा सकती हैं और ८, १० लाख मन तक पैदावार बढ़ाई जा सकती है इसके अतिरिक्त धान गेहूं, सरसों, राई काफी पैदा किया जा सकता हैं। इन योजनाओं पर व्यय एवं लागत भी विशेष नहीं होगी सम्प्रति निम्नांकित योजनाओं का कार्यान्वन अत्यावश्यक हैं:

१. गायघट्टा सोता—महराम चक, भानपुर संझाय
२. अराही सुलिसगेट—महरामचक
३. सकरी सोता सुलिसगेट—पाली
५. पाली के उत्तर परमेश्वरी स्थान के बीच फाटक सुलिसगेट
५. पाली, दक्षिण काली स्थान के नजदीक बांध या फाटक
६. वटोहरा-बांध, पाली के निकट सीमा पर
७. ईजराजोर में सुलिसगेट
८: ठर्रा पर सुलिसगेट बांध के साथ
९. रकसहर सोता में सुलिसगेट
१०. धोविया घाट में सुलिसगेट

११. इन स्थानों के अतिरिक्त शर्मा, नरसिंहोली, खुटहा, कल्याण पुर, रामचन्द्रपुर बलीपुर, मोहनपुर, रामनगर, पीपरिया, खुशहाल टोला, गढ़तर, आदि ग्रामों के निकट की नदियां एव सोताओं में उपर्युक्त योजनाओं का कार्यान्वयन होना अत्यावश्यक है।

लघु सिचाई के अन्तर्गत बड़हिया रेलवे स्टेशन से पश्चिम सामानान्तर लगभग दो मील दूरी पर मोकामा थाना के पश्चिमी सीमा रामपुर डुमरा से एक बांध दरौंक, गंगासराय, जरवौर, गिरधरपुर महाल तक दी जाय एवं इस बांध के अन्दर सारी जमीन को नलकूप क्षेत्र घोषित किया जाय और जगह-जगह पर ४ इंच से लेकर ६ इंच का नलकूप सरकारी अनुदान पर गड़वाया जाय और बड़हिया मुंगेर पी० डब्लू० डी० सड़क के दोनों तरफ की जमीन में सकारी नलकूप गड़बाया जाय।

नदी के दोनों किनारे सिचाई का प्रबंध यदि विद्युत के पम्पों द्वारा किया जा सके तो जमीन की उर्वरा शक्ति स्थायी रूप से वढ़ जायगी और अन्य फसलें भी पैदा की जा सकेगी।

हरुहर नदी से एक नाला रकसहर से निकल कर जखौर तक गया है जिसकी कुल लम्बाई १६ मील के करीब है, गहराई ३ फीट से १५ फीट तक है और चौड़ाई १५० से २०० फीट तक है। इस नाला का नाम वंडर कहा जाता हैं। इसकी खुदाई कर, इसकी गहराई और चौड़ाई को कायम रखे रहने से फाजिल पानी बाहर निकल जायगा और बिजली की सहायता से इसके पानी को सिचाई के काम में लाया जा सकता है जिससे विभिन्न प्रकार की फसलें और पशुओं के लिये चारा उपजाया जा सकता है।

बीज एवं खाद्यान्न रखने के लिये यहां के किसानों को कोई साधन नहीं है। परिणाम यह होता है कि लोगों को सस्ते मूल्य पर अनाज बेचने के लिये वाध्य होना पड़ता है और फिर उन्हें ही बीज के लिये अधिक मूल्य पर अनाज खरीदना पड़ता हैं। इस तरह उनपर दो तरह. का आघात होता हैं। इस समस्या का समाधान अन्न भंडार (Ware House) की स्थापना कर किया जा सकता है। साथ ही साथ यहां की जनता के लिये बैंक की एक शाखा यहां खोली जाय जिससे किसान लोग अपने गल्ले को बैंक गोदाम में रखकर अपने कार्य संचालन के लिये कर्ज के रूप में रूपया ले सकें।

साथ ही साथ कोल्ड स्टोरेज की स्थापना कर फल, आलू और प्याज आदि सुरक्षित रखने की सुविधा किसानों को प्राप्त हो सकती है।

एगरी कोल डीपो की स्थापना से किसानों को आसानी से खाद मिल सकती है।

आधुनिक कृषि प्रक्रिया से किसान के बच्चों को अवगत कराने के लिये एक कृषि उच्च विद्यालय की स्थापना एवं सरकारी माडल फार्म की स्थापना की जाय।

६. सबसे बड़ी जटिल समस्या यहां किसानों के लिये यातायात की है। बड़हिया थाना टाल एवं दियारा मुख्यतः दों क्षेत्रों में बंटा हुआ है। इस क्षेत्र में कृषि उत्पादन के माल को बाजार, स्टेशन एवं घरों पर ले जाने की कठिनाईयां भी कम नहीं हैं। बिशेष कर वर्षाकाल में यह समस्या और भी जटिल हो जाती है। अतः निम्नांकित सड़कों को बनवाया जाय।

१. बड़हिया से केसम्हा घाट तक पक्की सड़क
२. बड़हिया से खुटहा होते हुए रामचन्द्रपुर तक पक्की सड़क
३. डुमरी से निजाय होते हुए शर्मा, रेपुरा, नरसिहौली तक तड़क।
४. दरियापुर से मोरवरिया तक पक्कीसड़क।
५. बड़हिया से खुशहाल टोला होते हुए पिपरिया एवं मालपुर के आगे जिला पर्षद सड़क तक एक पक्की सड़क।
६. नथनपुर से पालीघाट तक वांध सह सड़क।
७. बंडर नाला में सुलिसगेट सड़क सहवांध।

७. उपर्युक्त समस्याओं के समाधान के लिये निम्नलिखित सुझाव दिये जाते हैं :

१. दियारे की जमीन के कटाव की रक्षा के लिये विशेषज्ञों की राय को कार्यान्वित करना।
२. टाल में भूक्षारण (Soil Erosion) तरीक्षारण (Moisture Erosion) से जमीन को बचाने के लिये बिशेषज्ञों की जांच के अनुसार घेराबन्दी लिफ्ट, एरीगेशन एवं पुलिस गेट का जगह-जगह निर्माण कराना।
३. वृहत मध्यम लघु सिचाई का प्रबंध करना।
३. उंची जमीन की जुताई के लिये ट्रैक्टर की व्यवस्था करना।
५. उन्नत किस्म के बीज, खाद एवं आधुनिक कृषि यन्त्रों की उपलब्धि के लिये यहां सरकारी केन्द्रों की स्थापना।
६. व्यापार मंडल, उपभोक्ता सहकारी, सहयोग समितियां, कृषि बैंक, एवं कोल्ड स्टोरेज की स्थापना कर किसानों को राहत देने की व्यवस्थ करना।
७. टाल की ऊपज बढ़ाने के लिये विजली द्वारा सिचाई, पानी निकासी के लिये सोताओं की खुदाई, पानी रोकने के लिये वांध एव सुलिसगेट आदि की शीघ्र व्यवस्था करना, कुछ जमीन दो फसला बनाने के लिये वांध एवं नलकूप का प्रबंध करना।
८. दियारे क्षेत्र और पटना मुंगेर सड़क के दोनों तरफ नलकूपों की व्यवस्था करना।
९. कीड़े मकोड़े से पौधों और फसल को बचाने के लिये पौधा संरक्षण विभाग की शाखा शीघ्र खोली जाय।
१० पशुधन के विकास के लिये क्रैस प्रोग्राम स्वीकृत किया जाय।
११. यातायात की समस्या पक्की सड़कों के निमांण द्वारा हल की जाय।
१२. कृषि विद्यालय और माडल फार्म के द्वारा आधुनिक ढंग से कृषि का विकास किया जाय।

उपर्युक्त सड़कें, बांध कम रोड या सड़क होने का ही काम करेगा और उसमें कलभंट दिया जाय। अधिकतर में सुलिसगेट फाटक भी दिया जाय तो एक फसल रब्बी की उपज तो डेढ़ गुणा बढ़ेगी ही साथ ही साथ

एक फसल से अधिक दो तीन फसलें मकई एवं धान की उपज भी लोग प्राप्त कर सकेंगे, इसकी पूरी संभावना है।

बिहार सरकार की ओर से योजना कमीशन के समय देवशरण बाबू, अध्यक्ष योजना एवं विकास पर्षद, बिहार ने वड़हिया टाल मुंगेर जिला का एवं हरदिया चौर, सारन जिला, के सबंध में Parmanent water Logging बताकर जो ड्रेनेज (नाले) वनाने की योजना हेतु अनुदान की मांग १ ली सितम्वर १९६४ को दिल्ली में की थी उसकी गवाही श्री मन्नारायण जी एवं प्रो० थैंकर जी ने दियी थी कि जव तक नाले की स्वीकृति न हो या रूपये नहीं स्वीकृत किये जांय तबतक वोरो धान एवं मत्स्य पालान किया जाय।

इससे वड़हिया मोकामा टाल के किसानों में यह आशंका होना स्वाभाविक है कि इस टाल में चौर के ऐसा वरावर पानी जमा रहने की वातें तो विल्कुल ही नहीं है। यह अगर विशेषज्ञों ने वास्तव में योजना एवं विकास अध्यक्ष के समक्ष रखा है तो वह असलियत से दूर है। वस्तुस्थिति इससे विल्कुल भिन्न है: यह क्षेत्र चारों ओर से योजनाओं का ही शिकार हो रहा है। एक ओर नदियां सब बांधकर सिचाई के काम में वरसाती पानी का उपयोग किया गया। दूसरी ओर पटना मुंगेर पी० डब्लू० डी० सड़क के सभी नाले चैनलों को कलभर्ट नहीं देकर मिट्टी से भरकर बिल्कुल बंद कर दिया गया। इससे टाल का पानी की रास्ता एक सिर्फ हरूहर नदी से निकालने का रह गया जो टाल क्षेत्र पार करके २५, ३० मील और पूरब सूर्यगढ़ा में गिरता है। रव्वी की बुवाई में काफी देर हो जाती है। टाल तो जितने दिनों तक डूवा रहता था अव उतना दिनों तक डूवा नहीं रह सकता है। अभी टाल मौजूद है। कहीं पानी दिखाई नहीं पड़ता। सरकार इसका स्पस्टीकरण करे और सिचाइ विभाग के मत्री महोदय एव मुख्य अभियन्ता एव उच्चाधिकारियों स अनुरोध करना चाहता हूँ कि टाल की योजनाओं में १९६५,६६ में जो भी काम करावें उनमें से पटना जिला के नौरगा जमालपुर से सेकर बख्तियारपुर तक के नालों या चैनलों को सुलिसगेटों के साथ आगामी वर्ष तक में भी चेष्टा करें तो पांच सात नाले या चैनलों को साफ कराके एवं पी० डब्लू० डी० रोड में कलभर्ट वनवा कर तीन मील से पांच मील की दूरी में टाल के जमा चित्रा स्वाती के धान के छींट पानी के जमाव को जल्दी से जल्दी गंगा में गिरने की योजना को पूरा कर दे तो समय पर टाल की बुनाई रव्वी की जा सकेगी।

इसकी पुष्टि एवं समाधान सभी अनुभवी किसानों एवं विशेषज्ञों ने किये हैं।

दूसरा सुझाव पैन या नाले को वरसात के पूर्व तैयार करने के लिये यह है कि ठीकेदारों को युद्धस्तर पर काम करने को कहा जाय या वैसे ही तरीका अख्तियार किया जाव जिससे काम समय पर पूरा हो। नालों की खुदाई की प्रगति अच्छी हो सके इसलिये कुल औजरों एव ट्रैक्टरों का प्रयोग भी मिट्टी खोदने में किया जाय। हां, ठीकेदारों से नियमानुकूल जो घंटे या दिनों का किराया है, वह सिंचाई विभाग ले।

८. नदी घाटी योजनाओं का यह बुरा असर अवश्य कुछ अधिक या कम सभी जगहों पर देखने में आता है कि जितने दिनों तक जमीन डूबा रहता थी अब बाढ़ के नियंत्रण एवं सिचाई योजना के स्वाभाविक

प्रभाव यह पड़ा है कि उतने दिनों तक क्या वल्कि डुबती ही कम है जिससे तरी Moisture जमीन में अधिक दिनों तक नहीं ठहरती है। इसी कारण फसल भी वैसी अच्छी नहीं लगती है और उपज भी कमती जाती है।

दूसरा कारण जमीन उखाड़ने के लिये कुदाल वाहों की निहायत कमी एवं उनकी शक्ति भी वैसी नहीं कि अधिक जमीन उखड़ सके।

इधर किसानों की भी आर्थिक स्थिति वैसी नहीं कि उतना खर्च कर सके। हालत यह है कि जमीन की गहरी जुताई की नितान्त आवश्यकता प्रतीत हो रही हैं पर किंकर्त्तव्यविमूढ़ किसान पड़े हैं।

बड़े-बड़े काश्तकारों को जिन्हें ट्रैक्टर भी है और वे काफी लाभान्वित हो रहे हैं पर किराये पर छोटे-छोटे किसानों को ट्रैक्टर नहीं देते हैं। तरी, नमी या 'हाल' को अधिक दिनों तक कायम रखने और अच्छी फसल प्राप्त करने के लिये गहरी जुताई या जमीन उखाड़ना जरूरी है। ऐसी स्थिति में ट्रैक्टर किसानों को आसानी से उपलब्ध हो सके इसलिये सरकार किराया पर ट्रैक्टर दिलाने का प्रबंध कर दे या कर्ज दिलाने का प्रबंध कर दे या कर्ज दिलाने या देने में सहुलियत प्रदान करें।

९. १९५८ के नवम्बर में केन्द्र के भूसंरक्षण उच्चाधिकारियों ने तो स्पष्ट शब्दों में Soil Conservation के निर्देशक को कहा कि वड़हिया वाले को मुआवजा विहार सरकार दे। सरकार मुआवजा क्या देगी, जो उत्तरदायित्व या जवावदेही है उसका भी ठीक से निर्वाह नहीं कर रही है।

मोकामा वड़हिया टाल योजना

श्री कपिलदेव सिंह, भूतपूर्व मंत्री, के वक्तव्य

तीन पंचवर्षीय योजनाओं के निष्पादन के पश्चात अभीतक विहार प्रान्त देश के कृषि विकास में पिछड़े हुए प्रान्तों में हैं। कारण है कि कृषि विकास की ओर वहुत कम ध्यान दिया जा रहा। कुछ बड़ी और कुछ छोटी योजनाओं का काम हुआ अवश्य हैं। परन्तु उनसे लाभ कम ही पहुंचा है।

अभी एक ऐसे क्षेत्र की योजना की रूप रेखा का परिचय मैं देना चाहता हूं, जिसके उचित विकास होने से इस प्रान्त को कृषि उत्पादन में स्वावलम्बी होने में यथेष्ट सहायता मिलेगी।

समूचे विहार राज्य में यह क्षेत्र मोकामा वड़हिया टाल के नाम से विख्यात है। इस क्षेत्र की नब्बे प्रतिशत जनता कृषि जीवी है। पशुपालन के मामले में पंजाव के वाद ही इस क्षेत्र का स्थान है। ८० प्रतिशत भूमि का स्वामीत्व तो कुछ ही व्यक्तियों के हाथ में है किन्तु इस योजना का लाभ किसी न किसी प्रकार सभी जनता को प्राप्त होगा। कांग्रेसी सरकार के सिंचाई विभाग ने इस क्षेत्र के विकास के लिये योजना प्रस्तुत की और लोकमत के दवाव से कार्यारम्भ भी हुआ। परन्तु इस समम सारी योजना रूकी हुई है। प्रारम्भिक अवस्था में

अधिकारियों और ठीकेदारों के गिटपीट के फलस्वरूप बहुत सी निर्माण सामग्री की चोरी हो गई थी। किसी देश में इनका स्थान जेल के अन्दर होता परन्तु यहां तो ये मौज में हैं।

लघु-सिचाई विभाग के पैसे से कुछ काम चला था। तब तक केन्द्रीय जल एवं विद्युत विभाग की इसे नहीं मिल सकी थी।

संविद् सरकार के शासन काल में केन्द्रीय सरकार के सिचाई मंत्री श्री के० एल० राव ने आश्वासन दिया कि यह योजना कम खर्चीली है। अतएवं इसे लागू किया जायगा। अब समय आ गया है कि चतुर्थं योज अन्तर्गत इस योजना का निष्पादन सचमुच में कर दिया जाय।

योजना : राज्य सरकार की यह योजना बड़हिया टाल योजना के नाम से जानी जाती है। फतूहा रेलवे से लखीसराय स्टेशन तक यह क्षेत्र पड़ता है। इस क्षेत्र की लम्बाई ६ मील है एवं चौड़ाई चार से मील तक की है। चार सौ दश वर्गमील इसका विस्तार है। पटना जिला के फतूहा, वख्तियारपुर, वाढ़, मोकामा और सरमेरा थाना एवं मुंगेर जिले के वडहिया, लखीसराय और शेखपुरा थाने का अराजी इस क्षेत्र अन्तर्गत है। इस विशाल क्षेत्र होकर नौ नदियां बहती है। फल्गू. पंचाने, सकरी, टाटी, कोरिहारी, महाने, पुनपुन और हरूहर। गंगा एवं किउल नदी समीप ही में हैं।

वर्षा ऋतु में एक से पन्द्रह फीट तक गहरा पानी इस क्षेत्र को डुबाए रहता है। करीब पांच हजार के क्षेत्र के वाढ़ का पानी इस क्षेत्र से होकर गंगा नदी में गिरता है। आठ टाल की जमीन इस क्षेत्र के अन्तर्गत वे हैं: फतूहा टाल वख्तियारपुर टाल, वाढ़ टाल, मोर टाल. मोकामा टाल, बड़हिया टाल, सिंहौल टाल, टाल और पानापुर टाल। इसकी मिट्टी केवाल, मुलायम और काली है। नदी किनारे कहीं-कहीं दोमाटी भी

भूमि का वर्गीकरण

सतह के लेहाज से यह जमीन पांच किस्म की है। पहले किस्म की रेलवे लाईन के पास की ऊँची इस जमीन पर पानी कम ही समय रहता है जिस कारण मकई की फसल तैयार होते-होते नष्ट हो जाती इसेटांड़ जमीन कहते हैं। दूसरे किस्म की जमीन नीची जमीन है। इसे पेटी कहते हैं। इस पर पानी समय तक टिकता है। देर से आवाद करने से पैदावार कम जाता है।

तीसरे किस्म की जमीन है समतल जमीन। मौसम की अनिश्चित हालत के कारण यदि इस पर बाढ़ पानी नहीं रह सका तो फसल की आबादी ही नहीं की जा सकती। चौथे किस्म की जमीन हैं : नदी किनारे जमीन कान्ही। इस जमीन की सिंचाई नदी के जल से की जाने की व्यवस्था आवश्यक है। पांचवे किस्म जमीन है: गांव के किनारे गोढ़ा। इस जमीन की जरूरत है घेरावन्दी।

समूचे टाल की जमीन प्रतिवर्ष बाढ के पानी में डूब जाती हैं। इधर कुछ समय से नहरों के निर्माण कारण उपरली जमीनों में पानी की कमी हो जाती है। १९६६ ई० में वाढ़ नहीं आयी और इस कारण सारी

१९६७ में परती रह गई थी। कम से कम एक महीना भी इस जमीन का बाढ़ ग्रस्त रहना आवश्यक है। क्यों कि बाढ़ से ही नई मिट्टी पड़ती रहती है जिससे अच्छी फसल लगती है। वाढ़ के अभाव में इसकी उर्वर शक्ति क्षीण हो जायगी।

इस उद्देश्य से पुराने तीस और नये छबीस सोतों के निर्माण की योजना है। उनमें से नौ सोतों को रेलवे लाइन के पार गंगानदी से जोड़ दियां जायगा। हर एक सोती में वांध फाटक (Sluice Gate) दिया जायगा। इन वांध फाटक के स्थान निम्नानुसार चुने गये हैं :

वख्तियारपुर टाल में—२ फाटक। एक सकुनपुरा गांव के पास दूसरा रीवैछ गांव के पास।
वाढ़ टाल में दो फाटक। छवीला और सुलतानपुर के पास।
बड़हिया टाल में तीन फाटक। हेमजापुर, वड़हिया, दरियापुर।

गंगानदी से आवश्यकतानुसार पानी को आने देने या निकाल देने का काम इनसोतों से किया जायगा। इस तरह टाल की आवादी ठीक समय पर हो सकेगी।

वालगुजर गांव के पास पुल से दो हजार फीट पर एक बांध फाटक देने की योजना है। इससे वाढ़ का नियंत्रण किया जा सकेगा। एक लाख वीस हजार की गति से पानी प्रवाहित करने की क्षमता इसकी रहेगी।

गंगा, किउल, एवं पूनपून में भारी बाढ़ आने से टाल डूब जाता है। इन नदियों के बाढ़ को भी इस क्षेत्र में इस फाटक वांध से नियत्रित किया जा सकेगा। १९५७ ई० में असमय वाढ़ के पानी के आजाने के कारण रब्बी की खड़ी फसल वर्वाद हो गयी। ऐसे असमय जल प्लावन को रोका जा सकेगा। इन फाटकों की सहाइता से तीन सौ वर्ग मील पर रवी एवं तीस वर्ग मील पर किराना फसल की वृद्धि हो जायगी। सात सौ वर्ग मील भूमि पर दो फसल होने लगेगी। इस समय इस योजना का कुल अनुमानित खर्च २ करोड़ ८० लाख रुपये का है। इसमें से वालगुजर के बांध का खर्च निन्नानबे लाख हैं। फी एकड़ औसत खर्च पछत्तर रुपये का बैठता है। इस प्रकार इस राज्य का यह सबसे अधिक किफायती आयोजन है।

थाना के अनुसार वर्ग मील के पैमाने में यह योजना निम्नानुसार है।

क्रमांक	थाना	टाड़	रब्बी	धान	कुल जमीन
१.	फतूहा	२	१२.५	५.५	२०
२.	वख्तियारपुर	९	३५	२१	६५
३.	वाढ़	६	३६	९	५१
४.	मोर	९	५६	१८	८३
५.	मोकामा	३	६७	१२	७७
६.	सिंहौल	०	४४	४	४८
७.	बड़हिया	७.५	५८.५०	०	६६

थानानुसार पानी की सतह

१. फतूहा	१ से ३ फीट
२. बख्तियारपुर	१ से ५ फीट
३. बाढ़	१ से ५ फीट
४. मोर	१ से १३ फीट
५. मोकामा	१ से १५ फीट
६. सिंहौल	१ से १५ फीट
७. बड़हिया	१ से १४ फीट
८. बभनगामा पन्नापुर	१ से ८ फीट

उपरोक्त सभी आंकड़े सरकारी सिंचाई विभाग के अभिलेखानुसार हैं। टाल की कुल भूमि है चार सौ दस वर्ग मील। इसमें टांड़ है ३६.५ धान ६९.५ पेटी ३७३७३.५ और रब्बी ३०४ वर्ग मील। इसका योग है दो लाख उनचालिस हजार।

टाल क्षेत्र के गांव

टाल क्षेत्र में सभी एक सौ पच्चीस गांव हैं। बहुत अधिक जनता बहुत ही निर्धन है। बाढ़ ग्रस्त होने के कारण कच्ची या पक्की सड़के नहीं हैं। स्वभावत आधुनिक सुख सुविधा के साधनोंका नितान्त अभाव रहता है। अस्सी प्रतिशत जमीन बाहरी लोगों की है। खरीफ फसल के मौसम में बाढ़ ग्रस्त रहने के कारण यह क्षेत्र एक फसला है। इस कारण साल के ६ महीनै किसान और मजदूर बेकार रहते हैं। साल के ज्यादे दिन वे रोजगार की खोज में बाहर ही रहते हैं। इस योजना की पूर्ति के बाद इन्हें अपने ही स्थान पर बराबर काम मिलता रहेगा। रेलवे लाइन के पास एवं सभी नौ नदियों के किनारे की जमीन राज्य के द्वारा नलकूप एवं बिजली की सहायता से सिंचाई की व्यवस्था की जानी चाहिए। इससे साल भर अनाज, तरकारी और नकदी आमदनी की फसल का इन्तजाम हो सकेगा। इस योजना से आठ लाख रुपये की वार्षिक बचत आमदनी बढ़ जायगी। खेद की बात है कि ऐसे मितव्ययी एवं क्षमतापूर्ण आयोजन की अवहेलना सरकार की ओर से हो रही है। कारण यह था कि इस क्षेत्र के कांग्रेसी विधायक ने, जो इस क्षेत्र के निवासी नहीं थे इस ओर सरकार का ध्यान आकर्षित नहीं किया। १९५७ में उनके पराजय हो जाने के बाद मैने विधान सभा में यह प्रश्न उठाया। जिसके फलस्वरूप इस क्षेत्र का सर्वेक्षण हुआ एव अनुमानित व्यय निर्धारित हुआ। चतुर्थ पंचवर्षी योजना में एक करोड़ छियासी लाख की मंजूरी दी गई। किन्तु Sluice Gates (बांध फाटक) के निन्नानवे लाख रुपये की मंजूरी अभी नहीं मिली है।

केन्द्रीय जल एवं विद्युत आयोग के समक्ष यह सारा मामला विचाराधीन है। इसके अध्यक्ष स्थल का निरीक्षण कर गये हैं।

आशा की जानी चाहिए कि यह योजना शीघ्र ही स्वीकृत होगी और शीघ्र ही इसका पूर्ण निष्पादन कर दिया जायगा। *

---

*Searchlight के अंक मिति २९ अक्टूबर १९६९ से अनुवादित।

अध्याय—१२

व्यवसाय

अध्याय—१२

अर्थव्यवसाय

आर्थिक दृष्टि से ये सब प्रायः सम्पन्न और खुशहाल कहे जा सकते हैं। खेती और महाजनी केवल ये ही दो व्यवसाय ये जानते हैं। कुछेक परिवार में कुछ जमीन्दारी थीं।

जमीन्दारी उनकी गई। महाजनी कानून की कठोरता, साधारण जनता की जागरूकता और कृषि की आय में आशातीत वृद्धि के कारण महाजनी भी गयी या जाने पर है। जमीन्दारी या महाजनी के जाने के साथ ही कुछेक अनाचार का भी लोप हुआ है। यह अच्छा ही हुआ है। शिक्षा का प्रेम और प्रचार बढ़ चला है। इसके फलस्वरूप शिक्षित व्यवसाय अव प्रचलित हुआ है। सरकारी नौकरियों, वकालत, डाक्टरी, किरानीगिरी और अध्यापक की वृत्ति में यथेष्ट व्यक्ति गये हैं। जा रहे हैं। औसतन इनके पास काफी नकद रुपये हैं या उन्हें घरों में बन्द रखने या मामूली सूद पर लगा देने से अधिक लाभकारी उपयोग इस पूंजी का नहीं किया जा रहा है, यह खेद और दुर्भाग्य की बात है। अपने जिद्दी, अविश्वासी, लड़ाकू और इर्ष्यालु स्वभाव के कारण वे व्यापार नहीं कर सकते। वचन और व्यवहार की कठोरता भी एक दुर्गुण है। यदि बाजार में इनके रुपये डूब जाय या बैंक में नष्ट हो जाय तो दुख तो होता ही हैं परन्तु रंज नहीं होता। यही घटना अगर अपने सगे भाई या भतीजे के दोष से हो जाय तो फिर दुश्मनी ठन जाती है। इस जातीय दोष के कारण ये व्यापार के लायक नहीं हो पाते हैं। इनकी गाढ़ी कमाई की पूंजी बेकार पड़ी रहती है, और उनकी कमाई का मौज और कोई पाते हैं।

चूंकि व्यापार नहीं जानते हैं इस कारण अपनी पूंजी को खेत और खेती में ही वारम्बार नियोजित करते हैं। इसके फलस्वरूप खेत के पट्टा और खेत की कीमत का दर बढ़ता जा रहा है। और खेती का नफा सन्तोषप्रद नहीं मिलने पाता।

अब शिक्षा प्राप्त सज्जन गांव से बाहर जो रहने लगे हैं, वे शहरों में मकान बनाकर किराये की आमदनी करने लगे हैं, परन्तु वे भी वाणिज्य व्यापार की ओर स्वयं नहीं जा रहे हैं और नहीं अपने ग्रामीण भाइयों को इस ओर आकर्षित करते हैं। ५-६ मील लम्बी हरूहर नदी के पानी के मालिक होने के नाते मछली की बड़ी संम्पत्ति इनके हाथ में थी। इस नदी की रेहु मछली अपनी स्वाद और पौष्टिक तत्वों के लिये प्रसिद्ध हैं। परन्तु वैष्णव धार्मिकता के आवेश में इनने कभी उस आमदनी की ओर ध्यान नहीं दिया। कईबार स्कूल, कालेज इत्यादि कल्याण के लिये इसकी आमदनी के उपयोग का सुझाव दिया गया परन्तु स्वीकार नहीं हुआ।

आम का वाग भी आमदनी का एक ठोस जरिया है। जानवरों कें चाम, हड्डी, दूध, दही, मट्ठा, मछली, आम, मसूर की दाल, भूसा मसूर, चना का निर्यात स्थानीय मुख्य व्यापार हैं। इनका वार्षिक मूल्य संभवतः एक करोड़ रुपये का होता है। किन्तु इसका दशांश भी इनके हाथ में नहीं हैं। पैदा करने वाले मेहनत करने वाले अवश्य ही आप हैं परन्तु मुनाफा लेने वाले दूसरे ही बीचमान हैं। उसी तरह करीव पांच सौ दूकानों के वाजार में भी इनका हिस्सा दशांश से अधिक नहीं है।

व्यापार और वाणिज्य की न तो प्रतिभा ही इनमें है, नहीं रूचि, नहीं आकर्षण और नहीं वुद्धि। यह इनका बड़ा दुर्भाग्य है। अपनी मेहनत और पूंजी का मुनाफा दूसरों को खुशी से देकर ये परोपकारी दाता शोषकों का पालन करते हुए असहाय शोषित बने सन्तुष्ट रहते हैं।

Monghyr Dist. Gazeteer के पृष्ठ २०६ में कहा गया है कि मुंगेर जिला का सबसे बड़ा अन्न का व्यापार केन्द्र वड़हिया है।

Barhiya is however the largest Trade Center for food Grans in the District,

और पृष्ठ ४६३ में :

*हिन्दी अनुवाद : वड़हिया एक शहर वन रहा है। १९५१ की जनगणना के अनुसार इसकी जनसंख्या २०७५२ थी। एवं १९६१ के अनुसार २०५१९। सभ्यता शिक्षा प्रसार के साथ लोगों के सपरिवार वाहर वसना ही इस ह्रास का कारण है। बड़हिया टाल के नाम से सुप्रसिद्ध वड़ी उपजाउ जमीन यहां की है। लोग धन से सम्पन्न एवं वलिष्ठ स्वास्थ्य के हैं। १९५९ में एक कॉलेज कायम हुआ है। यहां पर पुलिस थाना है और अंचल एवं विकास खंड का कार्यालय भी हैं। जिला वोर्ड का डाक वंगला और डाकतार घर भी है। शीघ्रता पूर्वक उन्नतिशील नागरिक क्षेत्र में यह विकसित हो रहा है। इस नगर के Township में पक्की और कच्ची सड़के हैं। लोकबाहन सवारियां सुलभ हैं। दामोदर तराई निगम से विजली मिलने लगी है।

---

*Barhiya is a growing Town with a population of 2075 according to 1951 census. It is famous for the fertile strips of land known as Barhiya Tal. The people are rich and robust in health. One college has been opened in 1959 in this Town. It is the head quarters of police station and the Anchual and Developement Block. It has a combined post and Telegraph office and one Dist. Board Inspection Bunglow.

The place is fast growing into a prosprerous urban area. The Township has roads both Pacca and Kacha. There are public conveyances available. The place is supplied electricity from Damodar vally corporation.

अध्याय—१३

राजनीति

अध्याय—१३

राजनीति

राजनैतिक चेतना, राजनैतिक जागृति एवं स्फूर्ति की कहानी १९२१ ई० के पहले शुरू नहीं होती है।

अंग्रेजी शिक्षा का प्रारम्भ संभवतः १९१३ ई० के पहले नहीं हुआ था। उस वर्ष एक मिड्ल इंगलिश स्कूल की स्थापना हुई जो १९२७-२८ में हाई स्कूल बन गया।

इस विद्यालय के अध्यापकों एवं छात्रों के माध्यम से नवजागरण की किरणें यहां पहले पहल प्रस्फुटित हुई होंगी। उन दिनों पटने से 'प्रजा-बन्धु' एवं कलकत्ते से 'भारत-मित्र' समाचार पत्र आते थे। पटना चौधरी टोला के तेजस्वी युवक श्री नागेश्वर शर्मा के 'तरूण-भारत' से गांधी जी के "Young India" के सभी लेख और सन्देश प्राप्त होते थे। इन्हीं सामग्रियों ने स्थानीय युवकों को प्रेरित किया और स्वाधीनता संग्राम की ओर आगे बढ़ाया।

१९२१ ई० के पहले सार्वजनिक सभाओं का भी रूप निखर नहीं पाया था। पौराणिक कथायें, ग्राम पंचायत की सभाएं और कभी-कभी आर्य समाज की उपदेश मंडली यही सब सार्वजनिक सभाओं के विषय या प्रसंग उन दिनों थे।

राजनीति की चर्चा कहीं नहीं थी।

"चेरी छांड़ि न होईव रानी" में विश्वास करते हुए उस ओर से जनता निश्चिन्त ही थी। जबकि गांधीजी ने गहरी नींद से झकझोर कर उन्हें जगाया, उठाकर खड़ा किया, खड़ा कर दौड़ा दिया और दौड़ा कर लड़ा दिया।

स्वर्गीय विहार केसरी श्रीकृष्ण सिंह जी (श्री बाबू) उन दिनों वकालत कर रहे थे मुंगेर नगर में। अभी चार-पांच साल के वकील थे कि गांधी की आंधी में उड़ पड़े। उनके अग्रज श्री देवकीनन्दन सिंह जी प्रभावशाली व्यक्ति और ओजस्वी वक्ता, सनातन धर्म एवं भूमिहार समाज के सम्मानित नेता थे। उनकी मोख्तारी बड़ी चली हुई थी और बड़हिया के प्रायः सभी बाबुओं पर उनका प्रभाव था।

सूर्यगढ़ा थाना के सहुर ग्रामवासी बाबू कारू सिंह ने कॉलेज के आई० ए० की पढ़ाई छोड़कर कार्यानन्द शर्मा नाम धारण कर गांधी जी का झंडा हाथ में लेकर बड़े परिश्रम से इस इलाके को जगाया। लखीसराय उनके कार्यक्षेत्र का केन्द्र था और बड़हिया लखीसराय थाना का ही एक भाग था। शर्मा जी के लगन, उत्साह और

परिश्रम के कारण जिला के कार्यकर्ताओं में उन्हें अग्रणी स्थान मिला और उनके प्रभाव से ही मुंगेर जिला का प्रथम राजनैतिक सम्मेलन लक्खीसराय में ही सन् १९२२ ई० में हुआ था।

१९१७,१८ ई० में गांधी जी ने भारत वर्ष के भीतर सत्याग्रह का पहला प्रयोग चम्पारन में सफलता पूर्वक किया था। यह गांधी जी का पहला चमत्कर अपने देश में लोगों ने देखा। यह अहिंसकयुद्ध नीलहे साहबों (Indigo Planter) के विरूद्ध लड़ा गया था। उनके इस अत्याचार का अंत १९१८ ई० में जब चम्पारन में इस तरह हुआ तो प्रान्त के अन्य स्थानों से वे स्वयं हट गए।

बड़हिया भी उनका एक अड्डा था। दियारे में वे बलपूर्वक नील की खेती कराते और मनमाने तौर से नफा लेते थे। उनका दफ्तर और गोदाम एवं कारखाना जिस स्थान पर था, वह अबतक 'नील कोठी के' नाम से मशहूर है। वहाँ अभी बद्रीनारायण मुक्तेश्वर नाथ कॉलेज के भवन शोभायमान हैं। अतएवं चंपारन कांड का अवश्यंभावी प्रभाव भी यहां अवश्य ही पड़ा होगा।

बड़हिया की स्थिति गंगा तट पर, शेरशाही सड़क पर और पुरानी East Indian Railway की मुख्य लाईन पर है। प्रजा के बीच साम्राज्य का आतंक बनाये रखने के उद्देश्य से उन दिनों शाही फौज (Imperial Troops) को इस रास्ते पैदल ले जाया जाता था। राजभक्ति के अंकुर मुर्झाने नहीं पावे, इस उद्येश्य से सरकारी अफसरों के खुले आम डाली, नजराना, सलामी देने की प्रथा लगाई हुई थी।

इन अफसरों और फौज के सभी रस्म, खर्च और मनोरंजन का सामान स्थानीय जनता को जुटाना पड़ता था।

मामूली थानेदार दारोगा की शान भी इतनी उंची थी जो अब राज्यपाल महोदय को भी नसीब नहीं हो सकती है। दारोगा जी की खटोली के आगे-आगे थाने के हलकारे चलते थे। हरएक मकान के सामने उसके मकान मालिक खड़ा रहते थे। दारोगा जी की सवारी के सामने आने पर दो चार रुपये रख कर सलाम करना होता था। साम्राज्य की प्रतिष्ठा और हाकिम का रोब ये ही दो सिद्धान्त उस समय के शासन और न्याय के लिये काफी थे।

सन् १९१२ ई० के दिसम्बर में 'सम्राट पंचम जार्ज आर्य अवनीश हमारे' का दरबार दिल्ली में हुआ था। उस अवसर पर फौज पैदल घुमाई गई थी तो बड़हिया का दृश्य मुझे कुछ याद आता है, जब बाबू साहबों को केवल सामान ही प्रस्तुत नहीं करना पड़ा था वरन अपने ही हाथों सेवा कार्य भी करना पड़ा था।

दासता की सबसे नीचे की सीढ़ी पर हम गिरे हुए थे। अपना अस्तित्व भूले सोए थे। अतीत का गौरव नहीं था और भविष्य की आशा या कल्पना भी किसी ने सामने नहीं रखी थी। जब तिलक और गांधी आए, ऐसे अन्धकार पूर्ण वातावरण में, तब देश में श्मशानघाट की शान्ति छा रही थी। स्वराज्य का शंखनाद फूट पड़ा, लोकमान्य तिलक एवं कर्मवीर गांधी का सिंहगर्जन हुआ। हमारी पीढ़ी की आत्माओं में प्राणों का संचार हुआ, अपने अतीत के गौरव का अभियान हुआ और भविष्य में विश्वास उत्पन्न हुआ। भय दूर हुआ, आत्म विश्वास जग उठा और कर्त्तव्यपथ पर देश आरूढ़ हुआ।

गांव संपन्न और जनाकीर्ण था। नेतृत्व बाबू वर्ग-मध्यम वर्ग- समाज के हाथों मैं था, जो उच्च जाति के शत्प्रतिशत साक्षर एवं ऊँचे संस्कार के थे। उनके स्वाभिमान ने उन्हें वलदिया।

उन दिनों पं० मदन मोहन मालवीय जी प्रयाग से सेवा समिति का संचालन कर रहे थे। Lord Baden-Powell के Boy Scouts Movement के नकल पर इस संस्था का सूत्रपात हुआ था। विशेषतः मेलों के अवसर पर इस संस्था का सेवा कार्य होता था और कांग्रेस सेवा दल के संगठित होने के पहले १६३०, ३१ तक इस सेवा समति का धूम रहा। इस वीच स्वामी सत्यदेव परिव्राजक भी एकाधिकवार यहां आए थे। उन दिनों वह क्रान्ति के अग्रदूत-माने जाते थे।

उपरोक्त अवस्थाओं, वातावरण एवं विभिन्न प्रभाव के अधीन वड़हिया के लोक जीवन का जन्म हुआ। जन्म काल १६२१.२२ रखना चाहिए। विदेशी वस्त्र वहिष्कार, स्वदेशी व्रत, चर्खा, एवं खादी प्रचार, मादक द्रव्य निषेध एवं सरकार एवं सरकारी अफसरों से असहयोग, मुख्य कार्यक्रम थे।

श्री प्रताप नारायण सिंह (काशी बाबू) श्री राम कृष्ण सिंह (सिद्ध जी), श्री शिवगोविन्द प्रसाद सिंह, श्री राम खेलावन सिंह (बच्चू बाबू) ईत्यादि सज्जन हैं जो इस नव जागरण की लहर में वड़हिया के अगुआ हुए। श्री नाथो साहु, श्री मुकुन्दी साह और श्री चंडी प्रसाद पोद्दार भी वैसे ही प्रमुख थे। इन सबको अंग्रेजी शिक्षा नहीं के वरावर थी। १६२२ में ही गया जी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। स्थानीय नवशिक्षित युवक वहां गये और आग की चिनगारी ले आए। १६२३ ई० में नागपुर के सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय झंडा सत्याग्रह में स्थानीय स्वयंसेवकों ने जाकर माग लिया और जेल जीवन भोगा। उनमें एक का स्वर्गवास भी वहां हो गया।

तिलक, गांधी के प्रभाव में कांग्रेस के आने के पहले विहार प्रान्त की गरम राजनीति विहारी छात्र समिति Beharee Student Association के हाथों में थी।

१६१७ में भागलपुर में इसके अधिवेशन में गांधी जा एवं सरोजिनी देवी शामिल हुई थीं और गांधी जी ने अंग्रेजी में किसी को वोलने नहीं दिया जो उस समय के लिये एक महा क्रान्ति थी।

उसी के परिणामस्वरूप १७-१०-१६२३ को वड़हिया में भी छात्र पर्षद की स्थापना हुई थी। मासिक चन्दा दो आना दिया जाता था। स्वर्गीय लखन लाल सिंह जी सभापति थे। प्रायः सभी छात्र इसके सदस्य हुए। कांग्रेस के प्रभाव बढ़ने पर छात्र पर्षद समाप्त हुई।

मैं इसका सदस्य सदैव रहा और मंत्री भी। इसी छात्र पर्षद के प्रयास से २१-१०-१६२३ को जगदम्बा हिन्दी पुस्तकालय की स्थापना हाहा वंगले पर हुई। यह पुस्तकालय अभी भी किसी अवस्था में निज भूमि पर निज भवन में कायम है। ४६ वर्ष की पुरानी इस संस्था का इतना दावा अवश्य है कि वड़हिया के जनजीवन की सारी प्रगति की कल्पना, योजना और परिणति इसी के तत्वावधान में हुआ करती थी। इसके वार्पिकोत्सव प्रायः प्रेरणा एवं उत्साह के श्रोत थे। पुस्तकालय का कार्य तो गौण था, परन्तु, राजनैतिक महत्व अधिक। फलस्वरूप

१९३० की गरमागरमी में इसको गैरकानूनी घोषित करने एवं इसे जप्त कर लेने के अफवाह पर इसे एक बढ़ई के घर छिपा रखा गया। वहां से उसका उद्धार कर मेरे घर पर लाया गया। फिर श्री जगदम्बा मिल्स पर इसे चालू किया गया। बाद में अपनी भूमिभवन हो जाने पर वहां ले जाया गया।

मैं इस पुस्तकालय का सदस्य २१-१०-१९२३ को हुआ। २८ मार्च १९२७ से १ मार्च १९३० तक मंत्री रहा। १९२३ से १९३० तक समस्त सार्वजनिक हलचल का केन्द्र और जरिया यही पुस्तकालय रहा था। उक्त छात्र पर्षद एवं पुस्तकालय के तत्त्वावधान में ही १९२६ से १९३२ तक प्रतिवर्ष नाटक खेले जाते थे। मेवाड़ पतन, वीर अभिमन्यु, विल्व-मगल, भारत दुर्दशा ई० अभिनय स्थानीय नवयुवकों का ही था, इस कारण इसकी लोकप्रियता थी। अन्तिम नाटक १९३५ ई० में कांग्रेस के स्वर्णजयन्ती उत्सव के अवसर पर राणा प्रताप का अभिनय हुआ। प्रत्येक अभिनय में काशी बाबू, चन्द्रभानु बाबू और मेरा प्रमुख भाग रहता था।

छात्र पर्षद, पुस्तकालय एवं नाटकों द्वारा स्थानीय जनता में आकर्षण, उत्साह और राजद्रोह का प्रचार होता था, परन्तु पुलिस इस कार्य कलाप पर सीधा आघात नहीं कर पाती थी।

१९२५ में पुस्तकालय के उत्सव के सभापति स्व० श्री राम सरोवर शरण सिंह जी और १९२६ में श्री हरगी प्रसाद जी थे।

१९२९ ई० में देशपूज्य श्री राजेन्द्र बाबू ने अध्यक्षता की थी, जब उनके साथ श्री ब्रजकिशोर बाबू, श्री मथुरा बाबू एवं आचार्य बद्रीनाथ वर्मा जी भी पधारे थे। इस समय मैं मंत्री था।

*भारत सरकार द्वारा प्रकाशित काली किंकर दत्त लिखित ग्रन्थ राजेन्द्र प्रसाद के पृष्ठ ११५ संस्करण १९७० से उद्धृत :

"रचनात्मक कार्यक्रम के संगठन के सिलसिले में श्री राजेन्द्र बाबू ने १२ अप्रैल १९२९ के दिन मुंगेर जिलान्तर्गत बड़ही ग्राम में विदेशी वस्त्र एवं मादक द्रव्यों के बहिष्कार के प्रचार कार्य के लिये स्वयं सेवकों का आह्वान किया तथा उसी दिन उनने स्थानीय जगदम्बा पुस्तकालय, बड़हिया की सभा का सभापतित्व किया।"

---

*Rajendra Prasad by Kali Kinkar Dutt. Page 115 (1970) Govt. of India.

"In persuance of the programme of constructive Activities, Rajendra Prasad addressed a meeting at Barhi in the Monghyr District on April 12. 1929 with an appeal for enlistment of Volunteers to be employed in propaganda for boycott of wine and foriegn cloth.

The same day, Rajendra Prasad presided at a meeting organised at Jagdamba Pustakalaya at Barhiya also in the Monghyr District.

१९२८ ई० के दिसम्वर में कलकत्ता कांग्रेस के अधिवेशन में यहां के अनेक सज्जन वहां जाकर शरीक हुए थे। मैं भी गया था।

२२ अप्रैल १९२९ को बड़हिया थाना कांग्रेस कमिटी की स्वतन्त्र स्थापना हुई और साथ ही "लाजपत चर्खा-संघ" भी स्थापित हुआ। स्व० श्री नेमधारी वावू ने आकर इस कमिटी की स्थापना की घोषणा की।

सन् १९२१ से १९२९ तक असहयोग और बहिष्कार के कार्यक्रम का काल था।

१९२९ के दिसम्बर में कांग्रेस के लाहोर अधिवेशन में स्वतंत्र भारत के लक्ष्य की घोषणा की गई और स्वाधीनता संग्राम के नेतृत्व का अधिकार गांधीजी को सौंपा गया। २६ जनवरी १९३० को स्वतंन्त्र भारत का संकल्प लिया गया और तव से वह स्वाधीनता दिवस वना।

१३ मार्च १९३० को गांधी जी सावरमती आश्रम से दांडी के समुद्र तट के लिये पैदल नमक वनाकर नमक कानून तोड़ने चले। इस प्रकार गांधी जी का द्वितीय सग्राम (Civil disobedience and No Tax Compain) भद्र अवज्ञा एवं करवन्दी का शुरू हुआ। १९ अप्रैल १९३० को बड़हिया से १९ सत्याग्रही लक्खी सराय नमक बनाने गये और रजौना गांव में इस जत्था ने इस इलाके में पहले पहल नमक कानून २०-४-१९३० को भंग किया। ये नमक सत्याग्रही रजौना से विजय प्राप्त कर वड़हिया वापस आए। इनके वनाए हुए नमक की पहली पुड़िया श्री वद्री नारायण सिंह जी ने १०१ रु० में खरीदा। इनका जुलूस निकला—"नमक का कानून तोड़ दिया, सरकार का भंडा फोड़ दिया" नारे से आसमान गूँज उठा।

२३ अप्रैल १९३० से यहां नमक वनाना शुरू हुआ। उस दिन शाह महम्मद जुबैर साहब, श्री नेमधारी वावू और कुमार कालिका प्रसाद सिंह जी उपस्थित रहे।

२२ अप्रैल १९३० को रेलवे स्टेशन से पूरब और उत्तर बाबू तेजा सिंह के भग्न मन्दिर में सत्याग्रह शिविर स्थापित हुआ। स्वयसेवक रहने लगे और सगठित एवं व्यवस्थित रीति से काम होने लगा।

६ अप्रैल को महात्मा जी गिरफ्तार कर लिये गये तव नमक का काम बन्द किया गया और विदेशी वस्त्र एवं वस्तु के वहिष्कार का काम शुरू हुआ।

१९ मई १९३० से शराव गांजे की दूकानों एवं विदेशी वस्त्र की दूकानों पर धरना देने का काम शुरू हुआ। यह काम भी काफी तत्परता एवं सफलता से सम्पन्न हुआ। इस तरह की बिक्री विल्कुल बन्द हो गई। तव ताड़ खजूर के गाछों पर भी धरना दिया गया और ताड़ी वनना बन्द किया गया। आवकारी के हजारों रुपये की माहवारी आय बन्द हो गई।

४ जून १९३० को चार स्वयं सेवक गिरफ्तार हुए। यह गिरफ्तारी का पहला दौड़ शुरु हुआ।

संगठन और सफलता की वृद्धि के साथ दमन चक्र चला। २८-६-३० को श्री काशी बाबू गिरफ्तार हुए। इनको विदा करने स्टेशन पर दश हजार का समूह इकट्ठा हुआ था।

३०-६-१९३० को कांग्रेस संस्था गैर कानूनी घोषित की गई और पं० मोती लाल नेहरू गिरफ्तार हुए। अब कांग्रेस के सगठन और संघर्ष का संचालन का कार्य गुप्त रुप से चलने लगा। स्वयं सेवकों का आना जाना, सभाएँ और परामर्श करना, कोष रखना, सन्देश समाचार भेजना, सब गुप्त किन्तु व्यवस्थित रूप से होने लगा, किन्तु संगठन में कोई शिथिलता नहीं आने पाई।

१९ दिसम्बर को सर्व श्री यमुना प्रसाद सिंह, बलराम सिंह, वेला राम और सरयू महतो गिरफ्तार हुए तो ८ अक्टूबर को श्री सिद्ध जी इत्यादि साथियों के साथ गिरफ्तार होकर जेल गए।

८ जनवरी १९३१ को गांधी जी जेल से बाहर आए। सरतेज बहादुर सप्रू एवं श्री एम० आर० जयकर के माध्यम से सन्धिकी बातें करने वे छोड़े गये।

इस प्रकार १२ मार्च १९३० से ८ जनवरी १९३१ तक लगातार आन्दोलन बड़हिया में जारी रहा। एक भी कार्यक्रम खाली रहने नहीं पाया। हर एक काम मुस्तैदी और कामयाबी से संपन्न होता रहा एवं सैकड़ों की संख्या में गिरफ्तारियां हुई। कानून का डर उठ गया। सरकार का भय हट गया। निर्भीकता और आत्म आश्वास ने घर कर लिया। जनता कांग्रेस के साथ हो गई और सरकार असहाय अपंगु हो गई।

परन्तु साथही एक भी घटना हिंसा, बल प्रयोग या अभद्रता की नहीं होने पाई। क्या चमत्कार था कि दश महीनों के इस उग्र निरन्तर सार्वजनिक आन्दोलन में अनुकरणीय अनुशासन और शान्ति का परिचय लोग देते रहे। हर गिरफ्तारी एवं हर सभा और जुलूस में लोग सैकड़ों एवं हजारों की संख्या में उमंग उत्साह से परन्तु पूर्ण संयम के साथ शरीक हुआ करते थे। जेल यात्रियों को जेल जाते समय एवं उनके वापसी पर गांव भी घुमाया जाता-बाजा के साथ। उनकी आरती उतारी जाती थी। मालाएं दी जाती थीं और तब मजिस्ट्रेट पुलिस के जिम्मे वे विनय पूर्वक कर दिये जाते थे और हंसते हुए विजयोल्लास के साथ जेल जाते थे। स्वर्गीय दृश्य थे, वे। १९३० में हमारे प्रमुख नेता, १९२१ के उपरोक्त नेताओं के अतिरिक्त सर्व श्री विलायती बाबू, रामरीझन बाबू, युमुना बाबू, बलराम बाबू, विश्वनाथ शर्मा, सूर्यनारायण बाबू, गंगा प्रसाद सिंह, जुल्मधारी प्रसाद सिंह, केदारनाथ सिंह, बांके प्रसाद सिंह इत्यादि थे।

१९३१ में सन्धि हुई और लंदन में गोलमेज परिषद की बातें होती रही। सत्याग्रही जेल से छूट कर आते रहे। आन्दोलन स्थगित रहा।

१९३२ ई० का संग्राम और उग्र एवं प्रखर रहा। लन्दन से वापस आते ही ४ जनवरी, १९३२ को गांधी जी पकड़ लिये गये और भीषण दमनचक्र संचालित हुआ। २६ जनवरी १९३२ को स्वाधीनता दिवस शान के साथ मनाया गया। इसे रोकने के लिये स्पेशल ट्रेन से पुलिस मजिस्ट्रेट आए किन्तु रोक नहीं सके।

२६ जनवरी को पेशावर दिवस मनाया गया। १० फरवरी को जुलूस निकला। १८/४ के जुलूस में रामरीझन वाबू पीटे गये और गिरफ्तार हुए। २६ मई को वड़हिया में १०० सशत्र पुलिस की तैनाती और उसके खर्च की वसूली का आदेश हुआ। ३ जून को स्थानीय राजभक्त सेठ अर्जुन दास जी को राय साहव की पदवी प्रदान की गई।

६ जुलाई १६३२ को सिद्ध जी जेल से छूट कर आए और तव आन्दोलन को और भी वल मिला।

१६ जुलाई को जिलाधिकारी श्री आर० जगमोहन एवं पुलिस अधीक्षक श्री मैगरेथ जाच करने आए।

वृटेन के प्रधान मंत्री रेमजे मैंकडनाल्ड के (Communal Award) साम्प्रदायिक निर्णय के विरुद्ध गांधी जी ने २० सितम्बर को आमरण अनशन प्रारम्भ कर दिया। यरवदा जेल में उन दिनों वृटिश पार्लियामेन्ट के मजदूर दल ने Friends of India League "भारत मंत्री संघ" स्थापित कर रखा था। भारतीय स्वाधीनता आन्दोलन एवं सरकारी दमन की वास्तविक स्थिति देखने कुछ सदस्य भारत आए। उनमें से एक सदस्या Miss Monica Whatley वड़हिया २४ सितम्बर १६३२ ई० को पधारी। स्टेशन पर उनका भव्य स्वागत हुआ और हाथी पर वैठाकर उन्हें गांव भर जुलूस में घुमाया गया। उस समय गांव में एक डी० एस० पी० के अधीन १०० सशत्र पुलिस तैनात हो चुकी थी। एक लाख साठ हजार रुपये की वसूली शुरू हो गई थी। फिर भी जनता का अदम्य उत्साह और उमंग देखकर देवी वहुत प्रभावित हुई।

मि० वी० पी सिन्हा, वार-एट-ला और श्री कृष्णमोहन प्यारे सिंह इनके साथ भ्रमण कर रहे थे। वैरिस्टर साहव शायद उनके साथ ही इंगलैंड से आये थे। स्थानीय कांग्रेसी साथियों के जेल में रहने के कारण मुझे ही इनके स्वागत सभा, जुलूस इत्यादि का आयोजन करना पड़ा। इनके अंग्रेजी भाषण का अनुवाद मैने ही कर सुनाया था। स्थानीय पुलिस के अत्याचार के प्रमाण भी उन्होंने लिये। वाजार में एक तेलिन के घर जाकर पुलिस वलात्कार की जाँच मेम साहव ने की थी। एक छोटी सी मनोरंजक घटना का स्मरण आता है। राजभक्त राय साहव अर्जुन दास को अधिकारियों ने साक्षात्कार के लिये उपस्थित किया। वह अंग्रेजी नहीं जानते थे। मैं माध्यम का काम कर रहा था। मेम साहव ने पूछा आपके राजनीतिक विचार क्या हैं? राय साहव ने कहा: मैं तो सरकार के 'फेरे' में हूँ। मैंने अनुवाद किया: I am in Clutches of Govrnment सरकारी अधिकारियों ने कहा: यह कह रहे हैं: I am in favour of Govrenment. मेम साहव ने वैरिस्टर साहव से पूछा। उन्होंने मेरे अनुवाद का समर्थन किया। वास्तव में राय साहव का अभिप्राय था: सरकार के फेभरे में हूँ। किन्तु, "फेभरे" को वे "फेरे" वोलते थे।

इसी दिन राजा जमोरिन के गुरु वयूर मन्दिर में हरिजन प्रवेश के प्रश्न पर गांधी जी ने अनशन प्रारंभ किया था। उस दिन मैंने भी पड़ोस में रहने वाले डोमों के लिए अपने वगीचे के कुआं के उपयोग करने की आज्ञा इन्हें दिला दी। ये डोम वरावर गंदे डोभे, गड़हे के पानी का उपयोग करते थे। अभी तक भी शायद इन्हें दूसरे कुआं पर जाने की अनुमति नहीं मिल सकी है।

इसके पहले, संभवतः १९२७ ई० में मैंने अपने पड़ोसी और नौकर जेहल राम कों अपने जातीय सम्मेलन चन्द्रवंशीय क्षत्रिय (धानुक) करने के लिए अपना बगीचा दिलवा दिया था। इन दोनों कार्यों से काफी सनसनी फैली थी।

१९३४ में गांधी जी के स्वागत के बाद उस कोष से वचे हुए रुपये से मैंने एक हरिजन सेवक सभा भी कायम की थी। परन्तु उतना रुपया खर्च होने के बाद वह सभा कुछ काम नहीं कर सकी।

उसी दिन २४ सितम्बर को यरवदा जेल में प्रधान मंत्री के निर्णय को तोड़कर हरिजनों के अधिकार संबंधी एक घोषणा पत्र स्वीकार किया गया और गांधी जी ने अनशन भंग किया। इस घोषणा पत्र को वृटिश सरकार ने २६ सितम्बर को स्वीकार कर लिया। सन् १९३२ ई० में सत्याग्रहियों को जेल के साथ-साथ भारी जुर्माने की सजा भी दी जाने लगी, तांकि परिवार पर भी बोझ पड़े।

सत्याग्रही परिवारों ने जुर्माना भरने से इन्कार किया तो उन्हें उनकी सम्पत्ति कुर्क कर नीलाम कर दी जाती थी।

सिद्ध जी के परिवार की ऐसी ही सम्पत्ति को नीलाम लेने वाले एक व्यक्ति अयोध्या सिंह को उनके दुश्मनों ने राह चलते मारा और घायल किया। सरकार ने इस घटना को राजनैतिक रूप दिया। इसे एक राजभक्त के उपर राजद्रोहियों का अत्याचार बतलाया गया। उनके शत्रुओं के साथ रामरीझन बाबू भी इस मोकदमें में पकड़े गये, परन्तु मोकदमें में उनकी रिहाई हुई।

सन् १९३२ में Lord Willingdon वायसराय होकर आये थे। उग्रदमननीति, लम्बी जेल यातना और भारी जुर्माना के साथ एक और नीति जारी की गई। जनता को बहकाने एवं उनमें फूट डालने के लिये राजभक्तों की एक संख्या कायम की गई। नाम पड़ा—"अमन सभा"।

सेठ साहुकार, जमीन्दार, अवकाश प्राप्त हाकिम ई० इसके नेता कार्यकर्त्ता हुए। उन दिनों कुल मिलाकर देश को दो दलों में ही विभक्त माना जाता था। देशभक्त बनाम राजभक्त। उलट कर इस स्थिति को कह सकते थे-राजद्रोही बनाम देशद्रोही।

सन् १९३१ के गोलमेज सम्मेलन में मुसलमानों एवं हरिजनों की समस्यायें उभर कर सतह पर आई या लाई गयी थीं। वृटिश सरकार के ये अंतिम दाव थे। मुसलमानों के मामले में उन्हें सफलता मिली। हरिजनों के मामले में गांधी जी ने इन्हें मात दिया। इसी प्रसंग में कट्टर पंथी हिन्दुओं की पवित्र भावनाओं को उकसा कर सनातन धर्म की रक्षा के नाम पर अपने समर्थकों का एक दल खड़ा किया।

इस सिलसिले में बड़हिया में भी अमन सभा की स्थापना की गई और इसका नेतृत्व स्थानीय धर्मान्ध भोले-भाले सनातनी भाईयों ने संभाला। २७ दिसम्बर १९३२ के दिन श्री हरिबाबू के बंगले पर इसकी पहली

सभा हुई और काशी के सनातनी पंडित लाल बहादुर शास्त्री जी का भाषण। कठोर एवं अभद्र भाषण में गांधीजी को एवं हरिजन नीति इत्यादि की आलोचना की जा रही थी कि मैंने मंच पर खड़े हो गांधी जी के समर्थन में अपने ओजस्वी भाषण से सभा का रंग बदल दिया।

परिणाम स्वरूप स्थानीय 'अमन-सभा' एवं कांग्रेस दल में कुछ विरोध और प्रतिरोध की प्रक्रिया शुरू हो गई जो आग, किसी-किसी रूप में, अब तक धुआं देती रहती है।

रात के अंधेरे में कांग्रेस के झंडे तिलक मैदान ई० स्थान से गायब कर दिये जाते थे। कांग्रेस कर्मियों की गिरफ्तारी, उनकी संपत्ति की कुर्की और नीलाम, सरकार के पक्ष में राजनैतिक मौकदमें में गवाही देना दिलाना, इनका कर्त्तव्य हो गया। श्री राम सरोवर शरण सिंह, श्री रामनाथ सिंह, श्री नीलकण्ठ सिंह, अबजू बाबू ई० इस राजभक्त दल के अग्रणी नेता हुए। श्री जटाधारी बाबू एवं राय साहब अर्जुन दास पुलिस के प्रमुख सहायक हो रहे थे। यद्यपि वे अमन सभा से खुला सरोकार नहीं रखते थे।

स्थानीय दफादार देवनाथ सहाय स्थानीय पुलिस का दलाल बनकर शक्तिशाली पुरूष बन बैठा था।

झडों के गायब करने के कार्य से रंज होकर एक बार किसी कांग्रेसी ने अमन सभा के नेता श्री सरोवर शरण जी के कुएं में किरासन तेल डाल दिया था।

राजा ईश्वर का अंश है। राजा ईश्वर का ही अवतार है। दिलीश्वरो वा जगदीश्वरो वा/जय-जय पंचम जार्ज आर्य अवनीश हमारे। गांधी अधर्मी है, पापीं है। इत्यादि इनके नारा थे।

बृटिश साम्राज्य के राष्ट्रगीत—

God save the king :
Send him victorious
Happy and Glorious
Long to reign over us
God save the king का गायन इनका कर्त्तव्य था।
इसका हिन्दी अनुवाद इस प्रकार चलता था
रक्ष-रक्ष राज दयाल
चिरायु और उदार। इत्यादि

शेष पंक्तियां याद नहीं पड़ती है। इस आम-सभा को सरकारी एवं पुलिस की सारी सहायता एवं संरक्षण प्राप्त था। फिर भी इनका प्रभाव कुछ भी नहीं बढ़ा। परन्तु सन्तोष की बात है कि इनके प्रति दुर्व्यवहार की भी कोई घटना नहीं होने पाई। और इनके परिवारों में ही प्रमुख कांग्रेसी श्री यमुना बाबू एवं श्री जुल्मी बाबू अविचलित होकर कांग्रेस कार्य करते ही रहे।

१९३२ साल में ही पं० श्री कृष्ण मिश्र जी ऐडवोकेट एवं श्री वलदेव प्रसाद सिंह जी० ई० वड़हिया में भाषण देने के अपराध में जेल ले जाए गये।

अमन सभा की प्रतिक्रिया में यहां हरिजन सभा की स्थापना १९३३ ई० में हुई। २६ जनवरी १९३३ को रामरीझन वाबू. जुलूस में गिरफ्फतार हुए और उन्हें मार लगी। ११ फरवरी को बलराम जी को दो मास के कारावास का दण्ड मिला।

अतिरिक्त पुलिस की नियुक्ति एवं भारी जुर्माने की कठोरता पूर्वक वसूली के विरूद्ध विहार विधान परिषद (Bihar Legislative council) में प्रस्ताव लाए गये। मुंगेर के वावू श्री कृष्ण प्रसाद जी, मेधावी वकील और ओजस्वी वक्ता थे। वावू हरवंश नारायण सिंह, रामाश्रय वावू. छोटन प्रसाद सिंह, वावू वद्री नारायण सिंह और स्वयं मैं जिला. कमिशनरी और प्रान्त के हाकिमों से मिलकर इस संकट को दूर करने की चेष्टा कर रहे थे। स्वभावतः बातें मैं करता था। पुलिस और मैजिस्ट्रेट मेरे विरूद्ध रिपोर्ट भेजा करते थे कि स्थानीय कांग्रेस संगठन और आन्दोलन के पीछे मेरी ही वुद्धि और परिश्रम है। मुलाकातों में सभी अधिकारी मुझे ही इसका दोष देते थे।

उन्हीं सज्जनों के परिश्रम से विधान सभा में प्रस्ताव लाए गये और वहस कराई गई। परन्तु, उन दिनों विधान परिषद की कार्यवाही की पावन्दी भी Irresponsible Irresponsive सरकार को नहीं थी।

विधान सभा में श्रीयुत श्री कृष्ण प्रसाद जी, श्री विष्णुदेव नारायण सिंह, (छतगैर) के खुला समर्थन, सरगणेशदत्त सिंह की सहानुभूति और वावू रजनधारी सिंह का गुप्त समर्थन उल्लेखनीय एवं प्रशंसनीय है।

इस संबंध में कुछ छोटी घटनाएं उल्लेखनीय हैं। भागलपुर के कमिशनर Mr. Dain हर मुलाकात के समय कहा करते थे :– ओह वड़हिया के भूमिहार, कैसे भयंकर उपद्रवी हैं, वे जानपर खेल जाते हैं ? Oh! the Bhumihars of Barahiya ? How Turbulent are they ? they play with their lives ?

जिला अधिकारी श्री जगमोहनराय आई० सी० एस० कहा करते "क्या कहूँ जी ? आप लोगों ने पिछली रोटी खाई है क्या ?

इससे अधिक वे नहीं खुलते थे। एक वार मेरे आग्रह पर उनके अंग्रेज एस० पी० ने इसका अर्थ वतलाया कि परिणाम की परवाह किये विना काम करना। सरगणेश और रजनधारी वावू पूरी सहानुभूति एवं आदर प्रकट करते थे।

धनवादा के राजा महेश्वर प्रसाद सिंह, रामाश्रय वावू की गांधी टोपी देखकर उवल उठे और कहा आप जमीनदार कहते हैं अपने को ? यह टोपी कौन सी लगा रखी है सर पर ?

फलतः १७ मार्च १९३३ को विधान परिषद में सवाल जवाब हुए और बहस हुई। जिसका उल्लेख अन्यत्र है। उस बहस के दौरान में सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया कि गांव में जाकर परिस्थिति की जांच की जायगी। अतएव २५ जून १९३२ को Mr. J. T. Whilty Executive councillor स्वयं जांच में यहां आए। उनके साथ कलक्टर E. O. Lee और एस० पी० (Magreth) भी थे।

इस जांच में बड़हिया के अनेक बाबू उनसे मिलने गये जिनके साथ ये यूरोपियन अफसर बड़ी भद्रता से पेश आए। उन्हीं बाबूओं पर लाठी चलाने वाले पुलिस ओर मजिस्ट्रेट पर इस भद्र व्यवहार का प्रभाव ऐसा पड़ा जैसे वे नींद से जागे हों।

तैनात पुलिस के डी० एस० पी० रायबहादुर जगदेव प्रसाद सिंह एक प्रचंड और रोबीले पुलिस अफसर थे। उनने एक मुट्ठी बूंट का झांगर सभी को दिखलाकर बहस किया कि इनकी जमीन इस कदर पैदावार है। दो लाख रुपये के जुर्माना से इनका क्या होना है ?

दारोगा राजनारायण और इन्सपेक्टर कबीर ने श्याम किशोरी बाबू को बतलाकर कहा कि इनकी जमीन पर कांग्रेस शिविर चलता है। Mr. Whilty ने उनसे शिविर हटाने कहा तो श्याम किशोरी बाबू ने हँसकर जवाब दिया कि जो काम ब्रिटिश सरकार की ताकत नहीं कर सकी है उसकी उम्मीद उनसे कैसे की जाती है इत्यादि। जांच के फलस्वरूप पुलिस की तैनाती एक साल और बढ़ा दी गई।

चार सितम्बर को विधान परिषद की बैठक में फिर बड़हिया के मामले पर बहस हुई। सदस्य श्री विशुनदेव बाबू ने ललकारते हुआ कहा कि बिहार सरकार अपने काउन्सिलर Whilty के दिये गये आश्वासन का पालन करें। सरकार की ओर से इन्कार किया गया कि उनने किसी प्रकार का आश्वासन दिया था। Whilty का लिखा रिपोर्ट मांगा गया तो नहीं दिखलाया गया। Whilty तब भारत छोड़कर जा चुके थे। और यह रहस्य नहीं खुल पाया कि क्या वचन उनने दिया था जिसका जिक्र विशुनदेव बाबू कर रहे थे।

इसके अतिरिक्त पुलिस टैक्स की वसूली एवं निर्धारण कार्य श्री सैय्यद अहमद रजिवी नाम के डिप्टी मजिस्ट्रेट के जिम्मे था। अभी नए हाकिम थे। शुरू में यहां तैनात पुलिस सेना के हाकिम इन्हीं के पिताजी थे जो Deputy Superintendent of Police थे।

खां साहब अब्दुल मजीद जमुई के पास अमरथू गांव के निवासी थे।

टैक्स की वसूली काफी जोर-शोर, कठोरता और अपमान के साथ होती थी। वसूली के साथ सरकार की ताकत का आतंक स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य था।

इसी सिलसिले में १५ दिसम्बर १९३३ के दिन आपने श्री कंठ तरफ के धुनुखधारी सिंह के घर पर उनके पुत्र कारे सिंह और गो.तिया टुका सिंह के साथ दुर्व्यवहार किया तो उसी वंश के श्री राम सिंह वहां

पर खड़े देख रहे थे। उनदिनों वह शिक्षा विभाग में किरानी थे। राम सिंह दोनों हाथ छाती पर रखे वीर मुद्रा में खड़े थे, जो डिप्टी साहब के गुस्से के लिये काफी था। दोनों हाथ नीचे करने का हुक्म दिया। इन्कार करने पर दोनों हाथ मजिष्ट्रेट ने पकड़ कर स्वयं नीचे कर दिया, गाली दी, मारा। राम सिंह ने उनपर और उनके बड़े किरानी याद अली पर मोकदमा कर दिया।

उक्त डिप्टी मैजिष्ट्रेट ने भी राम सिंह पर मोकदमा किया। उनका अभियोग था कि उक्त दिवस, उक्त टैक्स की वसूली के सरकारी काम में राम सिंह ने वाधा उपस्थित की। कुर्क किए गए पशु को भगा दिया और मारपीट करने को धमकाया।

राम सिंह का मोकदमा क़ानूनी कारणों से खारिज किया गया। देखिए (All India Reporter) १९३५ पटना ५२।

सरकारी मोकदमें में राम सिंह को तीन मास की सजा एवं ७० रू० का जुर्माने का दण्ड हुआ। परन्तु हाई कोर्ट से केवल ५० रूपये के जुर्माने की सजा वहाल रखी गई।

देखिए All India Reporter १९३५ पटना २१४।

हाई कोर्ट के इन दोनों निर्णयों के द्वारा महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धान्त का विवेचन किया गया। सरकारी मोकदमें में तो तीन जज का स्पेशल बेंच बैठाया गया था। स्वर्गीय श्री वलदेव सहाय एवं स्वर्गीय श्री वशिष्ठ नारायण ने इन मोकदमों की वहस की थी।

उसी समय स्थानीय वरोलिया परिवार के श्रीनिवास वरोलिया जी ने भी ऐसे ही अपमानजनक दुर्व्यवहार के लिये मानहानि का दावा और क्षति पूर्ति की नालिश उक्त मैजिष्ट्रेट पर (Civil court) में किया था। ये सभी मोकदमें मेरी प्रेरणा से दायर हुए और मैं इनका मुख्य पैरवीकार था। वरोलिया जी के मोकदमें में मैंने जमशेदपुर जाकर रिजवी साहब का जिरह किया और पूर्णियां जाकर रायवहादुर जगदेव नारायण सिंह और दरभंगा जाकर बकील श्री प्रियव्रत मित्र से परामर्श किया था। १९३७ में कांग्रेस राज स्थापित होने पर श्री वावू ने इस मोकदमें का तस्फिया करा दिया। चूंकि उक्त मैजिष्ट्रेट प्रसिद्ध कांग्रेसी नेता रफी अहमद रिजवी साहब के संबंधी थे।

राम सिंह को इस मामले के दंड स्वरूप सरकारी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। किन्तु १९३७ में कांग्रेस राज की स्थापना होने पर पुनः नियुक्ति हुई।

राम सिंह गरीब और अर्धशिक्षित थे। मामूली किरानी थे। किन्तु उनकी सराहनीय दृढ़ता एवं त्याग भावना के लिये जनता ने उन्हें सरदार की उपाधि से विभूसित किया और वह आजन्म "सरदार राम सिंह" कहलाते रहे।

मई मास में गांधी जी ने कांग्रेस आन्दोलन को वन्द करने की घोषणा कर दी। इस प्रकार १९३० के मार्च से १९३३ के मई तक तीन साल का यह भीषण संघर्ष, वीच में, रूक रूक कर भी, स्थानीय जनता ने दृढ़ता और वीरता पूर्वक किया। सैकड़ों जेल गये, दर्जनों घायल हुए और लाखों के जुर्माने भरे। श्री काशी वावू की तेजस्विता, श्री विलायती वावू की दृढ़ता और प्रभाव शीलता, सिद्ध जो, चू भाई जी, यमुना वावू की लगन, परिश्रम और संगठन कौशल के कारण इस संघर्ष को आशातीत, अद्भुत सफलता प्राप्त हुई थी। राम रीझन वावू की सुशीलता और सादगी और सच्चाई के कारण सगठन को काफी लोक प्रियता प्राप्त हुई। १९३२ की अपनी वार्षिक रिपोर्ट में विहार सरकार ने बड़हिया के वारे में इस तरह उल्लेख किया।

"मुंगेर जिला के वड़ही गांव काफी समय से राजद्रोह का सुदृढ़ केन्द्र वना हुआ है स्थानीय कांग्रेस संगठन यहां परिपूर्ण है। जिला के अधिकारियों की अवज्ञा वारम्वार यहां होती रही। कानून का उलंघन कर अपने को कानूनी दायरे से वाहर कर रखा है। अतिरिक्त पुलिस तैनात करने के वाद भी उपद्रव करने की इसकी शक्ति घटने नहीं पाई है"

इस संघर्ष के इतिहास में एक और घटना उल्लेखनीय है। वावू रामपाल सिंह एक स्थानीय सज्जन अपनी वुद्धि और मोकदमें वाजी की चतुरता के लिये प्रसिद्ध एवं सम्मानित थे। श्री विलायती वावू के परिवार से उनकी कुछ स्पर्धा एवं शत्रुता सी चलती थी। शायद इसी कारण या मौका मुनासिव का फायदा उठाने के ख्याल से वह भी राजभक्त दल में शरीक हो गये। किन्तु शीघ्र ही उनने अपनी भूल स्वीकार कर गांव भर में घूम कर क्षमा याचना करली थी। परन्तु उनपर या किसी भी विरोधी पर सामाजिक वहिष्कार से अधिक और कोई दवाव नहीं दिया था यह सन्तोष की वात है।

१९३४ के १५ जनवरी को दोपहर में भयंकर भूकंप आया और लोग राजनीति भूलकर भूकंप पीड़ितो की सेवा में लग गए। मुंगेर नगर में ध्वस का अधिक प्रभाव पड़ा था। दस हजार प्राणियों का प्राण नाश हुआ और शहर के तीन हिस्से मकान धराशायी हो गये। वड़हिया के कांग्रेसी मुंगेर आकर सहायता कार्य करने लगे। १८ जनवरी को वड़हिया के पांच स्वयंसेवकों का पहला जत्था मुंगेर इस कार्य के लिये आया था। फिर २३ जनवरी को काफी लोग आकर शामिल हो गये।

३१ जनवरी को काशी वावू जेल से आए।

महात्मा जी ६ मई १९३३ को जेल से मुक्त हो चुके थे और अव वह सारा समय हरिजन सेवा में लगा रहे थे। अछूतों का नाम तुलसीदास जी के प्रसंग के "हरिजन जानि प्रीति अति बढ़ी" से लेकर हरिजन रख दिया जो भारत की प्रत्येक भाषा में स्वीकार कर लिया गया। अपने अखवारों का नाम वदलकर हरिजन एवं हरिजन सेवक रख दिया। हरिजन कोष कायम किया और भारत की यात्रा की जिसका नाम हरिजन यात्रा पड़ा। हरिजनों के मन्दिर प्रवेश एवं अन्य नागरिक अधिकारों की मांग होने लगी।

१९३४ के शुरू में ही गांधी जी देवघर गये इसी सिलसिले में। वहां की पंडा सभा ने उनके वहिष्कार और मंदिर में जाने से रोकने की घोषणा की। उत्तेजना फैली और स्थानीय कॉंग्रेसी नेताओं को यह भी आशंका हुई कि गाँधा जी के प्राण पर आक्रमण होगा। पुलिस, सरकार एवं कट्टर पंथी पंडों के षडयन्त्र की सूचना इन्हे थी। इसलिये बड़हिया से कामता सिंह पहलवान के नेतृत्व में तीस स्वयंसेवक देवघर गये। गांधी जी के ट्रेन से उतरते ही उनपर लाठी प्रहार होने लगा तो बड़हिया के स्वयंसवकों ने लाठी का प्रहार अपने उपर लेते हुए गांधी जी को गोद में लेकर वाहर हटा दिया, जवकि उनकी मोटर गाड़ियाँ चूर कर दी गई थी।

३ अप्रैल १९३४ का दिन गांधी जी के मुंगेर आने का निश्चित हुआ था। भूकंप सहायता के काम से गांधी जी पटने आकर पीली कोठी में ठहरे हुए थे। विलायती वावू, चन्द्रभानु वावू, और मैंने गांधी जी को वड़ही भी लाने का निश्चय किया। किन्तु पुलिस सेना अभी वहां तैनात थी। तीन चार साल से लोग काफी कष्ट सहन कर चुके थे। आन्दोलन बन्द हो चुका था और भूकंप ने भी काफी वर्वादी की थी। अतएव स्थानीय जनता एवं कांग्रेस कर्मी भी उत्साह खो बैठे थे और गांधी जी को लाने में भय मानने लगे कि पुलिस की तैनाती का समय और भी वढ़ जायगा।

परन्तु उपरोक्त तीनों सज्जन दृढ़ रहे। मैं एवं चन्द्रभानु जी ने पटने जाकर तीन दिन रहकर वड़हिया प्रोग्राम की स्वीकृति प्राप्त की। स्वीकृति मिलते ही स्थानीय जनता फिर उमंग में आगई और तीन वर्ष की यातना भूल गई।

चार अप्रैल १९३४ के प्रातः ८ बजे महात्मा जी बड़हिया रेलवे स्टेशन पर मुंगेर से आकर उतरे। श्री राजेन्द्र वावू साथ थे। काशी वावू विलायती वावू, रामरीझन वावू, सूर्यनारायण वावू, यमुना वावू ईत्यादि सभी की मुस्तैदी से बड़े ही अनुशासन एवं उत्साहपूर्ण ढ़ंग से स्वागत हुआ और कांग्रेस शिविर के पास ही मैदान में आधा घंटा की सभा हुई।

विना कार्यक्रम और विना स्वीकृति के मेरे आग्रह पर श्री जगदम्बा मिल्स के प्रागंण में एक महिला सभा भी आयोजित की गई और एक हजार महिलाएं वहां पहुँच गई।

श्री राजेन्द्र वावू से जव महिला सभा के लिये समय दिलाने का अनुरोध किया गया तो वह संकोच में पड़ गये और मैंने स्वयं वापू से अनुरोध किया कि एक हजार बहनें दर्शनों के लिये एकट्ठी हैं। तो वह पाच मिनट के लिये आने को सहर्ष तैयार हो गये और आए।

यह महिला सभा इस स्थान के लिये अभूतपूर्व घटना हुई। नहीं तो कभी इसके पहले ऐसी घटना हुई थी और नहीं वाद में कोई सभा महिलाओं की हुई है। रेलवे स्टेशन से सभा स्थान तक सशस्त्र पुलिस के सैनिक

खड़े रखे गये थे इस उम्मीद पर कि आतंकित होकर जनता सभा में नहीं जा सकें। परन्तु असर उल्टा हुआ। वह पुलिस प्रदर्शन आकर्षण का विषय हो गया। वे सैनिक स्वयं आतुरता से दर्शन कर रहे थे और दौड़कर सभा में चले आए।

रेलवे स्टेशन से आते समय काले झडे का प्रदर्शन संस्कृत पाठशाला के छात्रों द्वारा कराया गया। डी० एस० पी० स्वयं हथियारों से लैस होकर उनके पीठ पीछे खड़े थे। अमन सभा के कोई नेता उपस्थित नहीं थे। प्रदर्शनकारी २५-३० थे। "धर्म विद्रोही गांधी–लौट जाओ", "सनातन धर्म की जय" इत्यादि चिल्ला रहे थे। परन्तु गांधीजी को देखते ही वे भाग गये। गांधीजी की नजर उनपर पड़ चुकी थी।

उस समय कुछ के हाथों से झंडे लोग छीन कर फेंक भी रहे थे। गाड़ी रोक कर मुझ से कहा गया कि इन भाइयों को भी सभा में आने कहिए। परन्तु सुनने को वे वहां थे ही नहीं।

सभा में उन्हें उपस्थित मानकर गांधीजी ने उनके बारे में भी कुछ कहा जिसका सारांश गांधीजी के सुप्रसिद्ध एवं सर्व श्रेष्ठ जीवनी लेखक श्री डी० जी० तेदुलकर के ग्रन्थ Mahatma Vot III Page 316, प्रकाशित १९५२ से दिया जाता है।

* हिन्दी अनुवाद :—मुंगेर से चलकर, एक स्थान से दूसरे स्थान को दौड़ते हुए, गांधीजी फिर पटना जिला चले आए। बढ़ही में सनातनियों ने काले झडे दिखलाए, अपने भाषण में गांधीजी ने सनातन धर्मियों द्वारा राजनीतिज्ञों की नकल की बढ़ती हुई प्रवृति के लिये खेद प्रकट किया। कहा—"सनातन धर्म वाले काले झडे का सहारा लें, यह मेरी समझ में नहीं आती। इन दोनों का तालमेल दुखदायी एवं विचित्र है। ऐसे काम से

---

* "Leaving Monghyr he re-entered the Patna District, rushing from one place to another. At Barhee, the Sanatanists greeted him with Black Flags. He regretted the growth in Sanatan Dharma of these tactics of the politician."

I have never been able to associate Black Flag and Sanatan Dharma together in my mind. The Combination seems so excruciatingly grotesque.

He warned the Sanatanists that indulgence in these tactics would not rebound to their credit. He stood for toleration for all, even for the Black Flags.

"Let no one he pleaded, feel angry over the Black Flags or try to snatch away the Flag from their owners. Mutual courtsey and respect was the foundation of culture".

He invited every body to join with him in the race for the exercise of that virtue.

He could not understand how a Dharma that boasted of having produced a Tulsidas could sanction a practice which condemned an entire section of humanity to a life of abasement and inferiority.

"Kindness is the foundation of religion; pride the parent of all sins", had sung Tulsidas". He commended that text to them all, to remember and reflect upon.

सनातनी स्वयं अपनी प्रतिष्ठा की हानि करते हैं। मैं तो काले झंडे वाले के समेत सब किसी के प्रति सहनशील का भाव रखता हूँ। इस काले झडे से किसी को रंज भी नहीं होना चाहिए और उनके झडे नहीं छीनना चाहि पारस्परिक सद्भाव एवं आदर हमारी संस्कृति का आधार है। इस सद्गुण के विकास में प्रत्येक व्यक्ति सहायता देने का निमंत्रण देता हूं। जो तुलसीदास जी जैसे संत को उत्पन्न करने का गौरव रखता है, वह धर्म जाति के एक अग को सदा के लिये तुच्छ एवं पतित बनाकर रखना कैसे स्वीकार कर सकता है। तुलसीदास ने तो सिखलाया : "दया धर्म को मूल है पाप मूल अभिमान।"

और उपस्थित जनता से तुलसीदास जी के इस उपदेश को स्मरण रखने और विचार करने को कहा।

इन पंक्तियों में श्री दत्त ने भी श्री तेंडुलकर के उपरोक्त कथन का समर्थन किया है।

GANDHIJI IN BIHAR

(1939)

By K. K. Dutta, Vice Chancellor, Patna University.

When, after leaving Monghyr, Gandhiji entered Patna District, the Sanatanists show him black flags at Burhee. He advised the Sanatanists to cultivate-toleration and respe for other's beliefs by reciting the famous saying of Tulsidas, kindness is the foundation all religions, pride is the parent of all sins. He also said "I have never been able associate the black flags and Sanatana Dharma together in my mind. The combinatio seems so excruciatingly grotesque. Let no one feel angry over the black flags or try snatch away the flags from their owners. Multual courtesy and respect was the found tion of culture.

इस सभा में श्री नाथो साहु जी ने १०१ रुपये नकद गांधीजी को अर्पण किये और श्याम किशोरी बाबू ५१, में एक मजदूर का दिया हुआ चश्मा गांधीजी के हाथों से खरीदा।

१६३५ के २८ दिसम्बर को कांग्रेस की स्वर्ण जयन्ती के उत्सव का समारोह हुआ था। इस अवसर "प्रताप प्रतिज्ञा" नामक नाटक का अभिनय तिलक मैदान में किया गया।

तिलक मैदान नाम भी उस स्थान का १६३०-३२ के बीच ही रखा गया था। चूंकि यह स्थान गांव बीच में पड़ता है और सभायें प्रायः वहां पर हुआ करती थीं। अब उस मैदान में मकान बन गये हैं और समय के शिविर के स्थान पर खादी भवन ई० के मकान हैं।

१९३७ के जुलाई में कांग्रेस ने सरकार के शासन में भाग लेने का निर्णय किया और विहार सरकार के मुख्य मंत्री श्री वावू हुए। इस समय तक स्वामी जहजानन्द जी पूर्णत: किसान नेता हो गये थे।

१९२९ के ३० मार्च से १ अप्रैल तक भूमिहार महासभा का अधिवेशन मुंगेर में सरगणेशदत्त की अध्यक्षता में हुआ। उस अवसर पर एक नाटक "वीर अभिमन्यु" खेला गया था। जिसमें मेरा भी अभिनय हुआ था। श्री वावू स्वागताध्यक्ष थे। स्वामी जी इस सभा में उपस्थित अवश्य हुए परन्तु उन्होंने इस महासभा का अन्त वहीं पर करा दिया। उसके वाद फिर महासभा हो नहीं पाई और उसी समय से स्वामी जी जातीय मंत्र को त्याग कर कांग्रेस एवं किसान नेता हो गये। कार्यानन्द शर्मा जी उनके प्रधान साथी एवं समर्थक इस इलाके में हुए। कांग्रेस राज की स्थापना के साथ ही किसान आन्दोलन उग्र हो उठा। जमींन्दारी प्रथा नाश हो। किसान राज कायम हो। भूख लगी है रोटी दो। जमीन किसकी? जो जोते उसकी। ईत्यादि नारों से प्रान्त गूंजने लगा। कांग्रेस को भी किसान भाईयों के लिये कुछ करना आवश्यक मालूम हुआ। आग तो उन्हीं की लगाई हुई थी।

कार्यानन्द जी ने वड़हिया टाल में भीषण किसान आन्दोलन छेड़ दिया। प्रान्त के विभिन्न किसान नेता आने लगे। उस संघर्ष की कहानी इस पुस्तक में अन्यत्र दी गई है। भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को भूमि का लालच देकर उन्हीं के किसानों के विरूद्ध लड़ाना यह तो इसका वास्तविक रूप था। इस वहाने समाजवादी या साम्यवादी वामपंथी दल को स्वतन्त्र भारत में आगे वढ़ा कर सत्ता हस्तगत करने की तैयारी इसका मुख्य उद्देश्य था। प्रकट रूप उसे ऐसा दिया गया कि छोटे किसान और जमीन्दारों का यह वर्ग युद्ध (Class war) था। यानी खेत जोने वाले किसान वनाम खेत रखने वाले किसान। किन्तु महर्षि मार्क्स की यह वर्ग युद्ध योजना भारत के इस ग्रामक्षेत्र में अपने शुद्ध रूप में नहीं उतर सकी। इसने तुरत ही जमीन्दार वनाम रैयत; मालिक वनाम मजदूर और वाभन वनाम शुद्र का रूप धारण कर लिया। कुछ नेताओं को व्यक्तिगत महत्व प्राप्त करने में सफलता तो अवश्य मिली परन्तु इस संघर्ष के फलस्वरूप समाजवाद, साम्यवाद एवं गरीव भाईयों के पल्ले शायद किंचित ही कुछ आया। इसी कारण साम्यवाद के रंग में नये रंगे हुए श्री राहुल जी, श्री जयप्रकाश जी को आन्दोलन पसंद भी नहीं आया और वे शीघ्र ही हट गये।

१९२१ से १९३७ के १७ वर्ष के लंबे आन्दोलन और संघर्ष में आपसी कटुता, हिंसा और विद्वेष की झांकी कहीं देखने में नहीं आई थी। नहीं तो आपस में और न राजकीय वर्ग के प्रति।

परन्तु इस आन्दोलन ने प्रारंभ से ही वर्ग विद्वेष, जाति द्वेष, घृणा, हिंसा एवं चोरी का प्रचार किया और प्रयोग किया। भारत स्वतन्त्र तो नहीं हुआ था परन्तु मिनिष्ट्री में आने के कारण प्रभुता का स्वाद पाने लगा था और गांधीवाद का ह्रास भी साथ ही इस तरह शुरू हो गया। इन भूमिहीन खेतिहर मजदूरों से किसानों का भाईचारा और स्नेह सहानुभुति का नाता सदा के लिये टूट गया; यह इस किसान आन्दोलन

का पहला प्रसाद मिला। मारपीट और फसल की चोरी की कितनी ही घटनाएं हुई और मोकदमें चले। दो बार तो स्वयं कार्यानन्द शर्मा जी के प्राण श्री रामरीझन बाबू की कृपा से ही बचने पाए।

१९ नवम्बर १९३८ के दिन जमींदार बाभनों के गढ़ वढ़ैया में ही इन किसान भाइयों ने पंचानन्द जी के नेतृत्व में हमला बोल दिया। वह विराट जुलूस लेकर आए और अपमान जनक नारे बुलन्द किये और तुरन्त ही बुरी तरह पिटे गये।

रामरीझन बाबू के बड़े भाई शत्रुहण बाबू की तत्पर सहायता नहीं होती तो पंचानन के प्राणों पर खतरा आ ही चुका था। इसमें ४० व्यक्ति घायल हुए, लक्खीसराय में इनका सम्मेलन उसी दिन हुआ था। और इस प्रकार देशभक्ति, त्याग, तपस्या का स्थान स्वार्थ, वर्ग-संघर्ष एवं हिंसा ने ले लिया।

दूसरे दिन २० नवम्बर को राममनोहर लोहिया, यमुना कार्यी, श्यामनन्दन बावा ई० स्थल का जांच करने आए। परन्तु इन गरीबों को कोई राहत नहीं दे सके। १९३९ में ११ जनवरी से टाल के पंचायत का काम शुरू हुआ। परमेश्वरी स्थान पर अफसरों, पुलिस एव घुड़-सवारों के शिविर पर यह दरबार लगता था।

ठीक उसके सामने पूरब सरौरा में काश्तकार सभा का शिविर रहता था जहां काश्तकारों के २० सिपाही पहल करते रहते थे।

१७, १८, १९ फरवरी १९३९ को स्वामी जी ने ५२ गांव के धानुकों को जमाकर किसान सम्मेलन किया तो उसी समय काश्तकारों ने हाथी, घोड़ा, बाजा समेत विशाल जुलूस निकाल दिया कि किसान सम्मेलन भंग हो गया।

स्वामी जी क्रुद्ध हुए और हिंसा के लिये ललकारा। २६,२७,२८ फरवरी को पाली गांव में एवं जहां-तहां मारपीट होती रही।

२८ फरवरी को कार्यानन्दजी अपने किसानों को पांव पैदल भूख यात्रा पर मुंगेर ले आए। इस समय Mr. Phillips कलेक्टर थे।

पंचायत का १९ मार्च से फिर कार्य प्रारंभ हुआ। किन्तु अब किसान भाइयों ने इस पंचायत में भाग लेना छोड़ दिया, असहयोग और सत्याग्रह का अवलम्ब लिया और १ मई से मुंगेर ही में सत्याग्रह शुरू किया तो ३ मई को कार्यानन्द जी गिरफ्तार कर लिये गये, और यह विराट किसान आन्दोलन समाप्त हुआ। इस काश्तकार सभा में भूमिहीन भूमिहार से लखपति तक शरीक थे। अहिंसा का अहिंसा से, हिंसा का हिंसा से, जबर्दस्ती का जबर्दस्ती से और कानूनी झगड़े का कानूनी झगड़े से जवाब देने की नीति इनने अपनाई थी। और बिहार प्रान्त की समस्त किसान शक्ति की सहायता प्राप्त होने पर भी यह किसान आन्दोलन इस तरह कुचल दिया गया।

१९३९ के ६ सितम्बर को द्वितीय विश्वयुद्ध शुरू हुआ एवं अक्टूबर में कांग्रेस मिनिष्ट्री टूट गई और किसानों की भूख समाप्त हो गई।

१९४० के रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन में बड़हिया के सैकड़ों व्यक्ति सम्मिलित हुए। वहां इन्होंने देखा कि स्वामी सहजानन्द जी श्री सुभाष बाबू के प्रमुख सेनापति बने हुए थे। श्री सुभाष बाबू कांग्रेस से अलग कांग्रेस के ऊपर सरकार से समझौता करने का आक्षेप लगा कर Anti compromise conference कर रहे थे। वहां एम० एन० राय (मानवेन्द्र नाथ राय) भी गांधी और कांग्रेस के विरूद्ध आग उगल रहे थे। लोगों ने पहलीवार यह देखा कि हमारे शुभचिन्तक नेता हमारे स्वराज्य की प्राप्ति के लिये एकमत तो जरूर हैं परन्तु मार्ग अपनाने के बारे उनमें मतभेद है।

इस प्रकार मतभेदों और दलबन्दियों का सूत्रपात होने लगा। एक गांधी, एक रास्ता, "एक देश भक्ति का एकहि धर्म एक ही नेमा", की दशा अब नहीं रही।

गांधी जी की सहानुभूति इस विश्वयुद्ध में बृटेन से ही थी। परन्तु भारत की स्वतन्त्रता के बिना बृटेन की सहायता उन्हें पसन्द नहीं थी। सुभाष बाबू ने नारा बुलन्द किया कि Enemy's Adversity is our opportunity.

"शत्रु का सकट ही हमारा मौका है" : कांग्रेस कार्यसमिति के अधिक सदस्य बृटेन से कुछ ले देकर सहायता करने की मुद्रा में थे। और इस स्थिति में गांधी जी को स्वाधीनता संग्राम के अगले चरण बढ़ाने का अधिकार सदा की भांति सौंपा गया। गांधीजी ने सांकेतिक व्यक्तिगत सत्याग्रह की योजना चालू की। ताकि देश के नब्ज को जानने का मौका भी मिले और देश को गरम करने का भी।

तद्नुसार २१ फरवरी १९४१ को श्री चन्द्रभानु जी सत्याग्रह कर जेल गये। चार मास की सजा और ४०० रुपये का जुर्माना।

गांधीजी के सत्याग्रह की एक टैकनीक थी। जिलाधिकारी को लिखित सूचना दी जाती थी कि अमुक स्थान; दिन और समय में अमुक व्यक्ति सत्याग्रह करेंगे। उन्हें जेल ले जाने की व्यवस्था की जाय। निर्धारित समय पर सभा बैठती थी। सत्याग्रही चन्दन, तिलक, माला से सुसज्जित उठकर कहते थे—

"यह नहीं हमारी लड़ाई,
मत देना एक पाई या भाई।"

और कहते हुए आगे बढ़ते थे।

एक ओर पुलिस अफसर अपने सैनिकों के साथ सुसज्जित खड़े रहते थे। सत्याग्रही के १०-२० गज चलने पर अफसर कहता था कि भारत सुरक्षा कानून को भंग करने के अपराध में आप गिरफ्तार हैं।

वह उनके साथ विदा हुए और आकाश महात्मा गांधी के जय-जयकार से गूंज उठता था। कितनी सभ्यता, कितनी शालीनता। शत्रु भी वशीभूत रहता था। जनता मुग्ध और देश आगे बढ़ते चलता था।

४ अप्रैल १९४१ को रामरीझन बाबू भी इसी तरह गिरफ्तार होकर जेल गये। सजा चार महीना एवं जुर्माना ५० रुपये।

और तब आया १९४२ का साल। युद्ध उग्र से उग्रतर हुआ। जापान, वर्मा और बंगाल के तरफ बढ़ आया। बृटिश सरकार भारत को कुछ भी देना मंजूर नहीं कर रही थीं।

९ अगस्त को बम्बई से "Quit-India : Do or Die." "करो या मरो। अंग्रेजो भारत छोड़ो" का नारा बुलन्द हुआ। उसी दिन गांधीजी एव नेतागण नजरबन्द कर दिये गये और समस्त देश में युद्ध छिड़ गया। परन्तु १९२१ से १९४१ तक के इतिहास से १९४२ की कहानी भिन्न हो गई। गांधीजी कोई निश्चित स्पष्ट कार्यक्रम बतलाने के पहले ही पकड़ लिये गये। कहते गये मेरी गैरहाजिरी में प्रत्येक अपने स्थान पर अपना नेता रहेगा। किन्तु अन्त तक लड़ते रहेगा और पहली बार कांग्रेसी भाइयों ने विध्वंस का कार्यक्रम अपनाया। रेल, तार, डाक ई० के विध्वस शुरू होकर थाना, कचहरी ई० पर हमला होने लगा और हिंसा भी बांकी नहीं रहा।

रामरीझन बाबू १० अगस्त को ही पकड़ लिये गये थे। १८ अगस्त को श्री केदारनाथ सिंह, सूर्यनारायण सिंह इत्यादि पकड़े गये। पुलिस का काम अमेरिकन टौमी कर रहे थे। ध्वंस कार्य काफी चला। स्कूल के छात्रों ने एव बाजार के चोर लुटेरों ने भी भाग लिया। रेल का माल गोदाम लूटा गया।

३१ अगस्त को इन्दुपुर के बनारसी सिंह को स्थानीय बाजार में गोली मार दी गयी। रेलवे स्टेशन के समीप दो व्यक्ति गोली के शिकार हुए। सभाए और जुलूस भी निकलते रहे। उसी बनारसी के अर्थी पर अमन सभा के नेता अखजू बाबू ने अपने हाथों लाठी चलाई थी।

७ सितम्बर को मैं मुंगेर में गिरफ्तार होकर जेल गया। मै १८ अगस्त से बड़हिया आकर काम कर रहा था। इस तरह करीब १०० की गिरफ्तारियां हुई और सामुहिक जुर्माना तीस हजार वसूल हुए। प्रमुख नागरिक स्पेशल पुलिस कान्सटेवुल नियुक्त किये गये।

वर्ग विद्वेष से लोक जीवन का पहला रूप १९३७-३८ में विकृत हुआ, जिसका उल्लेख उपर हुआ। Mob-violence सामूहिक उपद्रव एवं हिंसा का पाठ १९४२ में पढ़ाया गया। ये दोनों प्रयोग दिनों दिन बढ़ती पर है और १९२१ से १९४१ तक के असहयोग, भद्रअवज्ञा, सत्याग्रह, धरना, प्रेम, शान्ति, अहिंसा का पाठ हम भूलने लगे एवं भूलते ही जा रहे हैं।

२७ नवम्बर को मेरे भाई केदार बाबू की रिहाई जेल से हुई। इनकी गिरफ्तारी के समय इनके घर के भीतर जाकर गोरे गोली दाग रहे थे।

मैं २७ नवम्बर को छूटा और ११ दिसम्बर को वकालत काम फिर शुरू किया।

६ अगस्त से १८ अगस्त तक मुंगेर हीं में मैंने काम किया। १९४२ के तूफानी संघर्ष में दो नये नेता सामने आए, कपिल और सुरेश। दोनों छात्र थे। यह कपिल जी १९६७ में बिहार सरकार के मंत्री भी हुए थे। १२ फरवरी १९४३ से महात्माजी ने यथा शक्ति उपवास Capacity Fast प्रारम्भ किया। ६ मई १९४४ को वह जेल से बाहर आए तो भारत बदल चुका था। युद्ध समाप्ति पर था। वृटेन की विजय हो रही थी। रूस वृटेन के साथ हो गया था। १५ अगस्त को जापान ने आत्म समर्पण कर दिया। सुभाष बाबू नेता जी कहलाने लगे थे। उनकी "आजाद हिन्द फौज" का शोर था। ७ मई १९४५ को द्वितीय महायुद्ध बाजाप्ते समाप्त हुआ। १९४६ में जब कलकत्ता से साम्प्रदायिक दंगों की ज्वाला बिहार पहुंची तो यहां भी कुछ मुसलमान भाइयों की आहुति देनी पड़ी। एक सन्ध्या समय रेलगाड़ी के कुछ मुसलमान मुसाफिरों को लूट कर क़तल कर दिया गया। शायद २५-३०। सन्तोष की बात यह रही कि स्थानीय किसी मुसलमान परिवार पर एक भी आघात नहीं हुआ। १९४५-४६ का वर्ष शायद स्वाधीनता संग्राम के इतिहास में सर्वाधिक निराशापूर्ण समय था। देश थककर विश्राम ले रहा था। ब्रिटेन की भेदनीति से सपुष्ट होकर मुस्लिम लीग मजबूत हो गई। पाकिस्तान की मांग उपर आई। दंगे का बाजार गरम हुआ। गांधीजी अति ही दुखी और बेचैन थे कि महायुद्ध के तुरन्त ही बाद ब्रिटेन ने समर विजयी चर्चिल को हटाकर मजदूर दल के हाथों राजसत्ता सौंप दी। हवा बदल गई और १९४७ में स्वराज्य अचानक ही निकट पहुंच गया।

२० एवं २१ फरवरी १९४७ को बड़हिया में मुंगेर जिला का राजनैतिक सम्मेलन हुआ। कृष्णवल्लभ सहाय सभापति थे। अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष कृपालानी जी ने शुभारम्भ किया। प्रान्त के अनेक नेता आए हुए थे।

इसी सम्मेलन में मैंने श्रीकृष्ण सेवासदन मुंगेर की स्थापना का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो सहर्ष स्वीकृत हुआ, जिसके फलस्वरूप श्रीकृष्ण सेवासदन अभी एक प्रतिष्ठित एवं महत्वपूर्ण संस्था के रूप में मुंगेर नगर की शोभा वृद्धि कर रहा है। बड़हिया को इस सफलता का गौरव मानना ही चाहिए कि इस श्रेष्ठ संस्था की कल्पना, संकल्प, स्थापना एवं संचालन आजतक बड़हिया के ही इस सेवक के हाथों में है।

राजनैतिक गति विधि :

बिहार केसरी श्रीयुत श्रीकृष्ण सिंह जी साठवीं साल गिरह २१ अक्टूबर १९४७ के दिन हीरक जयन्ती के रूप में मनाई गई थी और इस सुअवसर को स्थाई रुप से याद करने के लिये श्रीकृष्ण सेवासदन की स्थापना मुंगेर नगर में की गई। यह एक प्रतिष्ठित एवं प्रभावशाली संस्था है। इसकी ओर से २९ मार्च १९४९ को एक अभिनन्दन ग्रन्थ श्रीबाबू को समर्पित किया गया। राजर्षि पुरूषोत्तम दास टंडन जी ने ग्रन्थ का समर्पण किया। देशपूज्य श्री राजेन्द्र बाबू अध्यक्ष थे।

इस ग्रन्थ में मुंगेर जिले के भारतीय स्वाधीनता संग्राम का विवरण प्रकाशित किया गया है। उसके बड़हिया से संबंधित अंशों को यहां उद्धृत किया जाता है।

स्मरणीय है कि हीरक जयन्ती के समारोह, अभिनन्दन ग्रन्थ के प्रणयन एवं श्रीकृष्ण सेवासदन की स्थापना का निर्णय बड़हिया में २१ मार्च १९४७ को मुंगेर जिला के राजनैतिक सम्मेलन में अखिल भारतीय कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष आचार्य कृपलानी जी की अध्यक्षता में किया गया था।

प्रस्ताव :

१. श्री बाबू की ६० वीं सालगिरह के उपलक्ष्य में उनकी हीरक जयन्ती मनाई जाय।

२. इस हीरक जयन्ती के उपलक्ष्य में उन्हें एक उपयुक्त अभिनन्दन ग्रन्थ अर्पण किया जाय।

३. श्री बाबू के सम्मान में उनके नाम पर मुंगेर नगर में एक उपयुक्त भवन बनवाया जाय। उक्त भवन का नाम रहे 'श्री कृष्ण सेवासदन'/इसका प्रवंध एवं संचालन रजिष्टर्ड ट्रष्टियों द्वारा किया जाय। इन ट्रष्टियों का चुनाव श्री कृष्ण अभिनन्दन समिति द्वारा किया जाय।

४. इस सेवासदन में एक पुस्तकालय एवं एक संग्रहालय की स्थापना की जाय। इसके उपयोग का अधिकार विना किसी भेदभाव के सर्वसाधारण को प्राप्त होगा।

५. श्री बाबू की एक प्रतिमा स्थापित की जाय।

दाता सूची :—

			रु०
१.	श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह	बड़हिया	११११
२.	श्री श्याम किशोर प्रसाद सिंह	बड़हिया	५०१
३.	श्री ठाकुर प्रसाद सिंह	बड़हिया	२१०१
४.	श्री विश्वनाथ सिंह, एडभोकेट	बड़हिया	५००
५.	श्री हरिवंश नारायण सिंह	बड़हिया	७०१
६.	श्री कमलेश्वरी ना० सिंह	बड़हिया	७०१
७.	श्री राजेश्वरी प्रसाद सिंह	बड़हिया, रामचरण	७०१
८.	श्री दिलीप ना० सिंह (परिवार)	बड़हिया ,,	१३७५
९.	श्री रामचन्द्र प्रसाद सिंह	बड़हिया ,,	५०१
१०.	श्री चण्डी प्रसाद डालमियां	बड़हिया बाजार	५०१
११.	श्री हरंगी प्र० सिंह (परिवार)	बड़हिया धनराज	२१०१
१२.	श्री भानमल सूरजमल	बाजार	१०००
१३.	श्री बद्री बाबू मुक्तेश्वर प्र० सिंह	बड़हिय	५०१

श्रीकृष्ण अभिनन्दन ग्रन्थ १९४९ :

पृष्ठ ३५ : बड़हिया थाना उन दिनों १९२०-२१, में लक्खीसराय थाना का ही एक अंग था। इस इलाके में बड़हिया और गंगासराय कांग्रेस कार्य के केन्द्र थे। उस समय के कार्यकर्त्ताओं में बड़हिया के सर्व श्री काशी प्रसाद सिंह, राम कृष्ण प्रसाद सिंह उर्फ सिद्ध जी, स्व० विलायती प्रसाद सिंह आदि प्रमुख थे। इसके अतिरिक्त गंगासराय के सर्व श्री मुन्द्रिका पाण्डेय, रामरक्षा सिंह और श्रीधर जी और हृदनबीघा के श्री अश्विनी कुमार और पीपरिया के श्री गिरिवरनारायायण सिंह के नाम भी उल्लेखनीय हैं।

पृष्ठ ४१ : बड़हिया में भी एक दो वर्षों तक एक राष्ट्रीय पाठशाला चली थी।

पृष्ठ ४४ : जिस समय देश में कौंसिल प्रवेश का झगड़ा चल रहा था उसी समय नागपुर में झंडा सत्याग्रह आरम्भ हो गया। वहां १३ अप्रैल १९२३ को अन्य अनेक स्थानों की भांति राष्ट्रीय सप्ताह के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय झंडे के साथ जुलूस निकाला गया था। सरकार ने जुलूस का सिविल लाइन्स में जाना रोक दिया। सत्याग्रही झंडे लेकर सिविल लाइन्स की ओर जाते थे और गिरफ्तार कर लिये जाते थे। यह सत्याग्रह देश व्यापी हो गया था और इसमें मुंगेर जिले के भी वहुत लोग सम्मिलित हुए थे। लक्खीसराय थाने से पांच व्यक्तियों का एक दल नागपुर गया। ये व्यक्ति थे गंगासराय के श्री रामरक्षा सिंह, श्री मुन्द्रिका पांडेय और श्रीधर शर्मा, बड़हिया के श्री चण्डी प्रसाद पोद्दार एवं लक्खीसराय के श्री रामचन्द्र प्रसाद। इन सभी लोगों को कई मास जेल की सजा हुई।

पृष्ठ ५० : २० अप्रैल १९३० को रजौना ग्राम में दक्षिण मुंगेर के शिविर के द्वारा नमक कानून भंग सत्याग्रह शुरू किया गया। लक्खीसराय, बड़हिया, जमुई आदि थानों से सत्याग्रहियों का जत्था एक के बाद दूसरा पहुंचने लगा। इस गैरकानूनी नमक की पहली पुड़िया बड़हिया के सम्पन्न व्यक्ति श्री बद्री नारायण सिंह ने १०१ रु० देकर खरीदी थी। उस समय इस प्रकार नमक बनाना और खरीदना दोनों गैरकानूनी था। बड़हिया में २२ अप्रैल को श्री तेजा सिंह की ठाकुरवाड़ी में शिविर की स्थापना हुई। २३ अप्रैल को वहां नमक का कानून तोड़ा गया। यहां का क्रान्ति यज्ञ शाह मुहम्मद जुवैर एवं स्व० श्री नेमधारी सिंह जी की उपस्थिति में प्रारम्भ हुआ। जिला के नायक कुमार कालिका सिंह जमुई और देवघर के दर्जनों सत्याग्रहियों के साथ यहां आये और कई दिन तक स्वयं रूक कर नमक वनवाने का काम करते रहे। बड़हिया में कई सप्ताह तक नमक वनता रहा। मुंगेर के एस० डी० ओ० भी सशस्त्र पुलिस के साथ वहां कई दिनों तक टिके रहे, पर कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई। सत्याग्रही गांवों में घूम-घूम कर नमक वेचते और इस तरह बच्चे-बच्चे में क्रान्ति पैदा होती थी।

इसके वाद भिन्न-भिन्न थानों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर नमक वनाया गया।

नमक कानून भंग करने का कार्यक्रम जून तक चला।

इसके बाद विदेशी वस्त्र वहिष्कार और मादक द्रव्य निषेध का कार्यक्रम आया।

पृष्ठ ५८ : बड़हिया थाने में १९२९ ई० से ही सत्याग्रह की तैयारी जोर पकड़ रही थी । उसी साल अप्रैल में जगदम्बा पुस्तकालय के वार्षिकोत्सव के अवसर पर प्रान्त के गणमान्य नेताओं के अतिरिक्त जिला के प्रमुख नेता श्री कृष्ण सिंह जी यहां पहुंचे । उन्हीं के समक्ष कांग्रेस कमिटी का संगठन किया गया और उत्साह पूर्वक काम होने लगा। हिन्दुस्तानी सेवादल के कार्यक्रम के अनुसार प्रत्येक मास के अन्तिम रविवार को झंडाभिवादन किया जाता था। प्रारभ में इस कार्य में कुछ आदमी बाधा डालने लगे। वे अक्सर झंडा चुरा लेते थे और बांस उखाड़ कर फेंक देते थे। इससे कार्यर्त्ताओं में और भी उत्साह बढ़ गया और जोश में आकर वर-घर झंडा फहराया जाने लगा। फलस्वरूप धीरे-धीरे उपद्रव भी शांत हो गया।

नमक सत्याग्रह के बाद १९ मई से धरना का काम प्रारंभ हुआ। बाजार में विदेशी वस्त्रों की गांठे बंधवा दी गई। कुछ दिनों के बाद शराव और गांजा भांग की दूकानों पर धरना दिया जाने लगा । इन्दुपुर में भी पिकेटिंग होने लगी। ताड़ के वगान में भी धरना दिया जाने लगा। बड़हिया के एक दूकानदार ने श्री वैद्यनाथ शर्मा, श्री विश्वनाथ शर्मा, श्री सरयुग महतों, श्री वेला गोप इन चार सत्याग्रहियों पर लूट का अभियोग लगाया और उन्हें मुकदमा चलाकर जेल भेजा। इस पर उसका सामाजिक वहिष्कार हुआ। दूकानदार ने माँफी मांगी और २१ चरखे दान में दिए। नेक चलनी का २०० रु० का मुचलका भी दिया।

बड़हिया में चौकीदारी टैक्स बन्दी का उद्योग भी किया गया। लोगों से प्रतिज्ञापत्र पर हस्ताक्षर कराया जाने लगा। किन्तु पीछे यह आन्दोलन बन्द कर दिया गया और चौकीदारों एवं दफादारों से इस्तीफा दिलाया जाने लगा। इस सिलसिले में यहां के दो कार्यकर्त्ता श्री यमुना सिंह एवं वलराम सिंह अन्य चार साथियों के साथ पकड़े भी गये।

अवतक बड़हिया थाना कांग्रेस कमिटी कोई स्वतन्त्र कमिटी के रूप नहीं थी। बड़हिया लक्खीसराय थाने के अन्दर पड़ता था। अत: यहां की ही एक शाखा थीं। सन् १९३० में यहां के कार्यकर्त्ताओं में से प्रमुख दो कार्यकर्त्ता श्री रामरीझन सिंह एव श्री नान्हा प्रसाद सिंह ने वड़हिया को लक्खीसराय से भिन्न एक स्वतन्त्र थाना कांग्रेस कमिटी के रूप में घोषित कर दिया एवं जिला कांग्रेस कमिटी से सीधा सबंध रखकर काम चलाया जाने लगा। इस कमिटी की स्वीकृति जिला कांग्रेस की ओर से अगले साल हुई। लक्सीसराय से भिन्न, स्तर गांवों का यह एक विशेष थाना माना गया। हरूहर नदी इन थानाओं की सीमा वनी । उनदिनों बड़हिया में पुलिस की फांड़ी भी कायम नहीं की गई थी। फांड़ी कायम हुई १९३१ में और स्थायी थाना वना १९४४ में।

नवीन थाना कांग्रेस कमिटी की देखरेख में सत्याग्रह आन्दोलन का संचालन और भी विशेष उत्साह और लगन के साथ किया जाने लगा।

१९ नवम्बर को जवाहर दिवस खूब धूम घड़ाके के साथ मनाया गया। एक बहुत बड़ा जुलूस निकालकर बड़हिया, इन्दुपुर, ताजपुर, गंगासराय आदि गांवों में घुमाया गया और क्रान्तिकारी नारे लगाए गये।

सन् १९३१ ई० की २६ जनवरी को स्वाधीनता दिवस और १६ फरवरी को मोतीलाल दिवस भी मनाए गये। यहां से सैकड़ों कार्यकर्त्ता जेल गये। गांधी इरविन समझौते के अनुसार सत्याग्रहियों के छुटकर आने पर यथेष्ट स्वागत किया गया था और एक सार्वजनिक सभा में चांदी की तकली भेंट की गई थी।

पृष्ठ ९६ : गांधी हरविंन समझौता के भंग हो जाने के बाद देश में जो फिर से आन्दोलन हुए और सरकार की ओर से भीषण दमन एवं ज्यादातियां हुई, उसमें इस जिले में सबसे अधिक श्रेय बड़हिया, गोगरी और लखीसराय थाने को ही मिला। बड़हिया में विराम संधिकाल में ही कांग्रेस कमिटी का निर्वाचन हुआ और फूंस की छावनी में शिविर बनाकर कार्यकर्त्तागण आजादी की अगली लड़ाई की तैयारी करने लगे। सन्धि के क्षणों में यहां रचनात्मक कार्य पर विशेष जोर डाला गया। इसके कुछ दिन के बाद बड़हिया के श्री काशी प्रसाद सिंह जिला के डिक्टेटर बनाये गये। वह ३ दिसम्बर को घर पर ही गिरफ्तार हो गये। इन्हें एक वर्ष कैद और १००० रु० जुर्माना हुआ।

लाला लाजपत राय की स्मृति में एक चरखा संघ की स्थापना हुई और इसी के द्वारा थाने के गांवों में कार्यकर्त्तागण घूम-घूम कर चरखा और खादी का प्रचार करने लगे। विदेशी वस्त्र, विदेशी नमक और विदेशी चीनी के बहिष्कार पर भी जोर डाला गया। मादक वस्तुओं का निषेध भी चलता रहा। ताड़ एवं खजूर के पेड़ भी बन्दोबस्त नहीं होते थे। पासी लोग कहीं चोरी से ताड़ी चुरा न ले, इसके लिये स्वयं सेवकों की गश्ती बराबर होती रहती थी। निम्न श्रेणी के लोगों का संगठन इस प्रकार किया गया कि मादक वस्तुओं की दुकानों पर शायद ही कभी कोई जाता था। फल यह हुआ कि यहां आबकारी विभाग की आमदनी बिल्कुल ही घट गई। इससे अधिकारी वर्ग बहुत ही घबड़ा उठे। पंचायत का काम १९३० से जोरों से चलने लगा था और इस इलाके में दीवानी और फौजदारी सभी तरह के मोकदमें बन्द हो गये थे। जहां बड़हिया मोकदमाबाजी के लिये मशहुर था वहां मुकदमा का नामनिशान ही मिट गया। समय-समय पर यहां कांग्रेस की ओर से जुलूस निकलता रहता और प्रदर्शन होता रहता था। यहाँ कांग्रेस का संगठन इतना जबर्दस्त हो गया था कि बृटिश सलतनत यहां से उठती जान पड़ने लगी। अतएव सरकार ने अपनी सत्ता और रोबदाब पुनः जमाने का प्रयत्न किया। यहां १८ जून १९३१ को पुलिस की फांड़ी कायम की गई, यहां जमादार और कान्सटेबुल रहने लगे। इन लोगों ने कुछ गुण्डों को फंसाकर कार्यकर्त्ताओं पर झूठा मोकदमा चलाना आरम्भ किया। मुकदमेंबाजी के प्रचार के लिये एस० डी० ओ० एवं दूसरे मजिष्ट्रेट सप्ताह में दो बार डाक बंगला में बिना फीस लिये मुकदमा सुनने लगे। सिलसिला कई महीनों तक चला।

६ जनवरी को उधर पुलिस वालों ने ढिंढोरा पिटवाया कि कांग्रेस गैरकानूनी संस्था है। अतएव बिना लाइसेन्स के उसके तरफ से न कोई सभा करे और न कोई जुलूस निकाले। तो उसी दिन कांग्रेस कार्यकर्त्ताओं ने बड़हिया के तिलक मैदान में एक सभा की जिसमें करीब पांच छः हजार व्यक्ति इकट्ठे हुए।

९ जनवरी १९३२ को कांग्रेस की ओर से फिर जुलूस निकालने और सभा करने का विचार हुआ। इसे रोकने के लिये पुलिस की ओर से जबर्दस्त तैयारी की गई। पहले तो करीब दो दर्जन सशत्र पुलिस सिपाही आए, परन्तु उनसे काम चलते नहीं देखकर मुंगेर से स्पेशल ट्रेन द्वारा करीब १०० शसत्र पुलिस और भेजी गई। उसके साथ सवडिवीजनल अफसर, असिस्टेन्ट पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट एवं सर्जेन्ट थे। तीन बजे संध्या समय शिविर से जुलूस निकला और वह थाना होकर फिर शिविर में वापस आ गया। शिविर पर झंडा फहराया गया। इतने में सवडिवीजनल अफसर सदलवल वहां पहुंच गये। पुलिस की इतनी तैयारी के बावजूद भी जुलूस निकल जाने का रज तो उनके दिल में था ही, अतएव शिविर में पहुंचते ही पुलिस ने लोगों पर लाठी प्रहार करना प्रारम्भ किया। करीब दो सौ आदमी घायल हुए और एक दर्जन आदमी गिरफ्तार कर लिये गये। उसी दिन डाक्टर श्री रामावधेश प्रसाद गिरफ्तार कर लिये गये, डाक्टर साहब कांग्रेसियों को दबाने में पुलिस की सहायता नहीं कर रहे थे। इसलिये पुलिस उनको संधिकाल से ही अपनी आंख पर चढ़ाये हुए थी। और युद्ध छिड़ते ही मौका पाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। रात में श्री काशी प्रसाद सिंह और श्री नान्हा प्रसाद सिंह के घर तलाशी ली और इन्हें गिरफ्तार कर लिया।

१० जनवरी से मादक द्रव्य की दूकानों पर जवर्दस्त पिकेटिंग शुरू हो गई, अधिकारी वर्ग बौखलाए हुए थे ही अतएवं पिकेटिंग करने वाले स्वयं सेवक बेतरह सताए जाने लगे। जाड़े का समय था तो भी स्वयं सेवक रात-रात भर नंगा करके भूखे प्यासे शीत में बैठाए जाते थे। और कभी-कभी ऊपर से मार भी पड़ती थीं। जबतब वे लोग जेल भी भेजे जाते थे। २६ जनवरी को स्वाधीनता दिवस के अवसर पर पांच छः हजार व्यक्तियों का जुलूस निकला और तिलक मैदान में सभा हुई। इसी समय एस० डी० ओ० साहब, ए० एस० पी० एक सौ सशत्र पुलिस के साथ सभा स्थल पर पहुंच गये। भाषण देते समय भी बलराम सिंह को कई घुसे लगाए गये और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। फिर लोगों पर लाठी प्रहार प्रारंभ हो गया। लोग खदेड़-खदेड़ कर पीटे जाने लगे। कितने की घरों में घुस-घुस कर पीटा गया, राह चलते मुसाफिर भी लाठी खानेसे नहीं बचे। श्री मुकुन्दी साह नामक एक व्यक्ति झाझा स्टेशन से बहुत दूर चन्दर मंडीडीह के जंगल में जाकर छोड़ दिये गये। २९ जनवरी को पेशाकर दिवस पर एक जुलूस गंगा सराय और दूसरा बड़हिया में निकला पर कोई गिरफतार नहीं हुए।

४ फरवरी को बन्दी दिवस पर ७ स्वयं सेवकों का एक जुलूस निकाला। साथ में करीब ढ़ाई हजार दर्शक भी थे। एस० डी० ओ० साहब ने कुछ लट्ठधारी सिपाहियों के साथ बाजार पहुंच कर जुलूस को रोका और दो लड़कों को छोड़कर बाकी पांच सत्याग्रहियों को गिरफतार कर लिया। दर्शकों पर लाठी प्रहार भी हुए। १५ फरवरी को थाने पर झंडा फहराने की तैयारी थी, इसलिये ग्राम के हर मोड़पर सिपाही तैनात कर दिये कि कोई थाने की ओर जाने नहीं पावे।

उस बार के आन्दोलन को कुचलने के लिये सरकार ने एक नई युक्ति निकाली। कांग्रेस कार्यकर्त्ताओं को कैद की सजा के साथ-साथ जुर्माने की सजा भी दी जाने लगी। जुर्माने में बड़ी-बड़ी रकमें वसूली जाती थी।

बड़हिया में सब मिलाकर आठ नौ हजार रुपये जुर्माना किये गए। जिससे जुर्माना वसूल नहीं होता था उनके यहां से कई गुणा कीमत के माल असबाब उठा लिये जाते थे। एक का जुर्माना दूसरे से भी वसूला जाता था। प्रायः जुर्माने में दूसरे के माल मवेशी लाए जाकर नाजायज तौर पर कुछ रुपये लेकर छोड़े जाते थे। जब इस तरह के अत्याचार से भी लोग नहीं दबे तो वहां साल भर के लिये सशस्त्र सैनिक बैठाए गये और उनके खर्च के लिये लोगों पर ८७.६०० रु० टैक्स लगाए गये। जून से ही १०० सशस्त्र सैनिक, १८ हवलदार, १ सूबेदार, १ इन्सपेक्टर और एक डिप्टी पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट यहां तैनात किये गये। सैनिकों में प्रायः पठान और गोरखे थे। टैक्स की वसूली में बहुत जोर जुल्म किया गया। सिपाहियों ने लोगों के साथ तरह-तरह के अत्याचार भी किए। स्त्रियों के साथ बलात्कार की बहुत सी शिकायतें सुनने में आईं। १७ जुलाई १९७२ को इंगलिश बाजार की एक १८ वर्ष की युवती को एक पठान सिपाही रात में घर से उठा ले गया और उसके साथ बलात्कार किया। इसी तरह एक खटिक की पत्नी के साथ, उसी जगह के बनिये की बेटी के साथ, पास की एक भिखारिन लड़की के साथ बलात्कार की बातें सुनी गई। पुलिस अफसरों के पास इन बातों की शिकायतें करने पर भी कोई सुनवाई नहीं।

९ अगस्त को यहां की हालत देखने के लिये बिहार कांग्रेस के अधिनायक श्री शार्ङ्गधर सिंह, जिला के अधिनायक श्री रामचरित्र सिंह और उनके साथ पटना के स्व० श्री मथुरा प्रसाद आए। २४ सितम्बर को इंगलैंड के फ्रेंड्स आफ इन्डिया लीग (भारत मित्र संघ) के प्रतिनिधियों में से एक कुमारी मेनिका ह्वेटली यहां आई। उसने घूम-घूम कर यहां की दुर्दशा देखी और पुलिस के सिपाहियों द्वारा सताए गये स्त्री--पुरुषों के बयान लिये। एक सार्वजनिक सभा में अंगरेजी में उनका छोटा सा भाषण हुआ, जिसका हिन्दी अनुवाद बाबू विश्वनाथ सिंह बी० एल० ने लोगों को सुनाया। यद्यपि कुमारी ह्वेटली मुंगेर के कलेक्टर से मिलकर और उनकी अनुमति से यहां आयी थी। तथापि उसका आना और खासकर उनके स्वागत की धूम, उसकी जांच के कार्य अफसरों को अच्छे नहीं लगे।

२८ मार्च १९३३ को बिहार सरकार के गृह सदस्य श्री ह्वीटी यहां की स्थिति जानने के लिये आये। उनके साथ जिला के बड़े अधिकारी एवं प्रान्तीय कौंसिल के सदस्य विशुनदेव नारायण सिंह भी थे।

भीषण दमनचक्र के बावजूद भी बड़हिया कांग्रेस कार्य से पीछे नहीं मुड़ा। प्रचारार्थ साइक्लोस्टाइल पर पर्चे निकलते रहे। कार्य संचालन के लिये अधिनायक के बाद दूसरे अधिनायक की नियुक्ति होती रही। उपर से जो भी कार्यक्रम निश्चित होता, वह यहां पूरा किया जाता था। अप्रैल में यहां से भी मुकुन्दी साह दिल्ली कांग्रेस के प्रतिनिधि बनाकर भेजे गये। जुलाई में सदाकत आश्रम के धावे में यहां के चार स्वयंसेवक शरीक हुए। सितम्बर में प्रान्तीय राजनैतिक सम्मेलन में भी दो सत्याग्रही यहां से गये और वहां जाकर गिरफ्तार हुए। धरना का काम भी चलता रहा और स्वयंसेवक गिरफ्तार होते रहे। पुलिस के रहते हुए भी कांग्रेस के आदेश की अवहेलना करने पर विदेशी माल के दूकानदारों से जुर्माना लिया जाता रहा। ताड़ की बलियां और खजूर के पेड़ भी काटे गये। ४ जनवरी. १९३३ को सत्याग्रह युद्ध की वर्षगांठ धूमधाम से मनाई गई। प्रातःकाल

झडाभिवादन हुआ और अपराह्न में बहुत बड़ा जुलूस निकला। करीब एक दर्जन व्यक्ति गिरफ्तार हुए और लगभग १०० व्यक्ति लाठी से घायल हुए। २१ जनवरी कीं रात में शिविर के धावा पर २५ स्वयंसेवक गिरफ्तार कर लिये गये। यहां से कुछ सामान भी पुलिस उठा ले गई। २६ जनवरी को स्वतन्त्रता दिवस पर प्रभात फेरी हुई। लोगों ने अपने मकान पर झडे लगाए। सुबह आठ बजते-बजते पुलिस ने तिलक मैदान और शिविर को घेर लिया, जिससे झंडाभिवादन न होने पावे। उधर पांच वीर सैनिकों ने पुलिस की छावनी में जाकर झडा फहरा दिया। वहां दो तीन सिपाही थे। वे आपे से बाहर हो गये। उन्होंने राष्ट्राय सैनिकों को खूब पीटा और गिरफ्तार कर लिया। संध्या समय रामरीझन सिंह के नायकत्व में एक बड़ा जुलूस निकला। जगदम्बा स्थान के पास सड़क पर सभा कर स्वतन्त्रता-घोषणा-पत्र पढ़ा गया। जुलूस पहुंचने पर एस० डी० ओ० और असिस्टेन्ट पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट से लाठियां बरसाने की पुलिस को आज्ञा दी। जुलूस में १२ सत्याग्रही थे। सबके सब चोट खाकर गिर गये। एक का सिर फूटा। श्री रामरीझन सिंह एवं श्री रामविलास सिंह को भी सख्त चोट आई। वे लोग गिरफ्तार कर लिये गये। दर्शकों पर भी लाठी की वर्षा हुई। नये सैनिकों का दूसरा जुलूस आया और उसकी भी यहीं दुर्दशा हुई। उस दिन इन्दुपुर में घर-घर घूम कर पुलिस ने औरतों और मर्दों को पीटा। ३२ गिरफ्तारियां हुई। १७ व्यक्ति तो जेल भेजे गये। बाकी धरहरा स्टेशन ले जाकर छोड़ दिये गये। ४ फरवरी को बन्दी दिवस पर भी सत्याग्रही पीटे गये और गिरफ्तार हुए।

१९३३ को ३१ मई को अतिरिक्त पुलिस की एक वर्ष की अवधि समाप्त होने को थी। इसके कुछ दिन पूर्व बड़हिया और डुमरा स्टेशन के बीच पंजाब मेल गिर गया। इस कांड से बड़हिया में नई विपत्ति आई। यहां के प्रमुख कांग्रेस कर्मियों के घरों की तलाशी ली गई। गांव के चौकीदारों की सख्या दूनी कर दी गई। उससे चौकीदारी टैक्स भी दूना हो गया। अतिरिक्त पुलिस की अवधि भी एक साल के लिये और बढ़ा दी गई और फिर ७५०.० रु० विशेष कर बैठाए गए। टैक्स वसूली में तरह-तरह के जुल्म किये गये। लोगों के माल असबाब भी कुर्क हुई। श्री श्रीकृष्ण प्रसाद ने ४ सितम्बर १९३३ में प्रान्तीय कांसिल में बड़हिया से अतिरिक्त पुलिस हटा लेने का प्रस्ताव भी लाया। पर वहा खुशामद-परस्तों के कारण प्रस्ताव पास न हो सका। फिर टैक्स किश्तों में लेने का सुझाव भी उपस्थित किया गया, पर वह भी स्वीकृत नहीं हुआ। १९३४ के जुलाई में वृटिश पार्लियामेन्ट की साधारण सभा में भी बड़हिया की विशेष पुलिस के सम्बन्ध में चर्चा हुई क्योंकि बिहार एवं उड़ीसा १९३१-३२ नाम की सरकारी पुस्तकों में इस तरह लिखा गया है:—

*पृष्ठ १८१ : मुंगेर जिले का बड़हिया गांव दीर्घ काल से राजद्रोह का कुख्यात केन्द्र रहता आया है। स्थानींय कांग्रेस संगठन यहां परिपूर्णता को पहुंचा हुआ है। बारम्बार स्थानीय अधिकारियों को पराभूत कर

---

*Barahiya village in the Monghyr District had long been a notorious centre of disaffection where the local congress organisation had been perfected and on repeated occasions had defied the District authorities and had attempted to place itself above the law. Additional police had been posted in the village but the local agitators are still capable of mischief.

चुका है एवं कानून का उल्लंघन करता रहा है। अतिरिक्त पुलिस भी बैठाई गई है फिर भी स्थानीय आन्दोलन कर्त्ताओं का उपद्रव रूक नहीं सका।

बड़हिया के लगभग १५० व्यक्ति गिरफ्तार हुए। गंगासराय हृदनबीघा और रामचन्द्रपुर ग्राम के स्वयंसेवक लक्खीसराय में भी काम करते हुए जेल गये। कुछ लोग मुंगेर और पटने में भी काम करने के लिये गये। समय-समय पर बाहर के भी स्वयंसेवक यहां आते।

पृष्ठ ७४ : इस सिलसिले में हरिजन कार्यक्रम में महात्मा गांधी मुंगेर जिले में भी आये। १९३३ के मई के आरम्भ में जब वह देवघर गये तो बड़हिया से एक पहलवान कामता प्रसाद और कुछ स्वयंसेवक उनकी रक्षा में भेजे गये। देवघर के पण्डों ने जब महात्मा गांधी पर आक्रमण किया तो पहलवान कामता प्रसाद ने गोदी में लेकर उन्हें मोटर में चढ़ा दिया और दूसरे स्वयंसेवक लाठियों को रोकते रहे। तब भी उनकी मोटर पर चोट तो पड़ी ही और उसके शीशे टूट गये।

पृष्ठ सं० ८१ श्री कृष्ण अभिनन्दन ग्रन्थ १९३९ :

बड़हिया टाल में श्री कार्यानन्द शर्मा ने १९३६ ई० में किसान आन्दोलन चालू किया। पहले तो यह आन्दोलन बेगारी आदि प्रथा को लेकर खड़ा किया गया पीछे बकाश्त आन्दोलन को लेकर इसका उग्र रूप हो गया जब किसान तरह-तरह की शिकायतों को लेकर जमीन्दारों के खिलाफ उठ खड़े हुए तो जमीन्दारों ने उनसे अपनी जमीन छीनना शुरू किया। किसान जमीन छोड़ने को तैयार नहीं थे।

इसी पर संघर्ष आरम्भ हुआ। किसान संगठित होकर सभाएं करने लगे और बाहर से नेताओं को भी बुलाने लगें। कईबार उनलोगों ने बहुत बड़ी संख्या में मुंगेर आकर कलक्टर के सामने भी अपनी शिकायतें पेश की। विरोध प्रदर्शन के लिये मुंगेर आने पर लोग बिना टिकट के रेल यात्रा करने लगे। एकबार इस तरह यहां आने में श्री कार्यानन्द शर्मा और श्री पंचानन गिरफ्तार कर लिये गये। कुछ दिनों के बाद जेल में अनशन करने पर वे लोग छोड़े जा सके। उनकी गिरफ्तारी पर श्री यदुनन्दन शर्मा यहां आकर आन्दोलन चलाने लगे। इस आन्दोलन के सिलसिले में बाहर से समय-समय पर किसानों के नेता स्वामी सहजानन्द सरस्वती, श्री जयप्रकाश नारायण, श्री अवधेश्वर सिंह, श्री श्याम नन्दन सिंह, महन्थ सियाराम दास आदि आते रहे। मंत्री पद ग्रहण करने के पूर्व स्वय बाबू श्रीकृष्ण सिंह जी व्यक्तिगत रूप से यहां आए और मामला सुलझाने की कोशिश की और स्थिति का अध्ययन किया। बाद में जमुई में राजनैतिक सम्मेलन हुआ। जिसमें बड़हिया टाल के मामले को सुलझाने के लिये सर्व श्री नन्दकुमार सिंह, श्यामा प्रसाद सिंह और महन्थ सियाराम दास की समिति नियुक्त की गई। उपरोक्त सज्जनों ने बड़हिया टाल के गांव में घूम-घूम कर सच्ची स्थिति का अध्ययन कर राजेन्द्र बाबू के सामने उसका विवरण रखा। इस पर राजेन्द्र बाबू ने बड़हिया टाल घूम आने का कार्यक्रम बनाया। वहां जाकर उन्होंने दोनों पक्षों से बातें की और समझौता का आधार तैयार किया। उसी आधार पर उपरोक्त सज्जनों ने

श्री बाबू के साथ मिलकर किसानों को जमीन दिलाने की व्यवस्था की। कुछ दिनों तक शान्ति रहने के बाद जब किसानों ने पुनः आन्दोलन मचाना शुरू किया तो सरकार की ओर से बाबू नन्दकुमार सिंह, श्यामा प्रसाद सिंह किसानों की ओर से बाबू द्वारिका प्रसाद, भुवनेश्वर दास एवं जमीन्दार की ओर से बच्चू बाबू पंच नियुक्त किये गये। इनलोगों ने बही खातों एवं कागजों को देखकर किसानों को जमीन दिलाने की सिफारिश की।

पृष्ठ संख्या ११७, बड़हिया :

बड़हिया १० अगस्त। स्कूल और बाजार में हड़ताल हुई। श्री रामरीझन सिंह आगे का कार्यक्रम जानने के लिये पटना गये और दूसरे दिन ११ को लौट आए। ११ को ही यहां प्रान्तीय कांग्रेस की ओर से भेजा गया कार्यक्रम मुंगेर द्वारा मिलगया। जनता ने उसी दिन बड़हिया स्टेशन पर अधिकार जमा लिया। १२ को जुलूस निकला, सभा हुई और जन साधारण को कार्यक्रम समझाया गया। उस दिन थाने पर राष्ट्रीय झंडा फहराया गया। १३ को कुछ लोगों ने एक मारवाड़ी के कपड़े की दुकान लूट ली। कांग्रेस कार्यकर्त्ताओं ने पता लगाकर कपड़ा वापस करवाया। उस दिन तार घर का तार काटा गया। १४ को रेलवे लाइन उखाड़ी गयी। तार-काटे गये और माल गाड़ी के तीन डब्बे के अनाज के बोरे लूटे गये। १५ को थाने पर राष्ट्रीय झंडा फहरा कर ताला लगा दिया। उसदिन पटने से भी कुछ विद्यार्थी यहां पहुंच गये थे। इससे विध्वंशक कार्य अधिक हो गया। रेलवे पुल का कुछ हिस्सा तोड़ा गया। स्टेशन के पार्सल रूम का सामान लूटा गया। और स्टेशन में आग लगा दी गई। बाजार को लूट-पाट से .बचाने के लिये वहां स्वयंसेवकों का पहरा बैठा दिया गया। परन्तु व्यापारियों को आदेश दिया गया कि अनाज सस्ते दर पर ही बेचें। डाकघर पर कब्जा करके उसपर राष्ट्रीय झण्डा फहराया गया। १६ अगस्त से गोरे सैनिक आने लगे। उन्होंने उपद्रव मचाना शुरू किया। उस दिन सन्ध्या समय सैनिकों की पेट्रोलिंग ट्रेन आई। आगे-आगे दो टोलियां चल रही थीं। उसी समय कुछ लोग लाइन उखाड़ने में लगे थे। उन्हें देखकर सैनिकों ने गोलियां चलाई। जिससे बड़हिया इंगलिश के एक धानुक का १५ वर्ष का लड़का जुल्मी महतो मारा गया। पीछे जुलूस निकाल कर लोगों ने उसका अग्नि संस्कार किया। उस जुलूस पर पुलिस का लाठी प्रहार भी हुआ। दो ढाई सौ सशस्त्र सैनिकों ने बाजार में गश्ती की। दूसरे दिन और गोरे सैनिक यहां पहुंचे। १८ अगस्त को गिरफ्तारियां शुरू हुई। श्री सूर्यनारायण सिंह, श्री रामरीझन सिंह गिरफ्तार हुए। तेघड़ा थाने के बुढ़िवन न्याय ग्रामवासी श्री हरिनाथ पाठक मालगुदाम के पास गोली से मारे गये।

२८ को एक डिप्टी मजिस्ट्रेट पुलिस सब-इन्सपेक्टर एवं कुछ सशस्त्र सैनिकों को लेकर बड़हिया गांव में आये और वहां उन्होने वहां के कुछ प्रतिष्ठित लोगों को स्टेशन पर बुलाकर लाइन तार की रक्षा के लिये स्पेशल कान्सटेबुल बनाया। ३० को उसी डिप्टी मजिस्ट्रेट ने वहां के अस्पताल के डाक्टर श्री सुखदेव सिंह को बुला भेजा और आन्दोकम के संचालन में उनका छिपा हाथ समझकर उन्हें गिरफ्तार रखना चाहा। परन्तु ग्राम वासियों के कहने पर पीछे उन्हें छोड़ दिया गया। ३१ अगस्त की बात है गोरे सैनिकों की एक लारी थाने के

पास से जा रही थी। इन्दुपुर के श्री बनारसी सिंह हाथ पीछे करके किसी दूकान पर खड़े थे। गोरों को इनपर शक हो गया बस एक ने झट इनपर गोली दाग दी। ये अस्पताल पहुंचाए गये पर तीसरे ही दिन इनकी मृत्यु हो गई। आप भागलपुर कालेज के विद्यार्थी थे।

थाने में गिरफ्तारियां जब तब होती रही। १० सितम्बर को श्री चन्द्रभानु और १६ को श्री यमुना सिंह और श्री बलराम सिंह पकड़े गये।

आन्दोलन के आरम्भ में पिपरिया दियारा के सर्व श्री रामविन्द, कमल गोप और गनौरी कहार मुकामा घाट में गोरे सैनिकों द्वारा मारे गये। बड़हिया थाने को २८५०० सामूहिक जुर्माना लगा। इसमें २०००० बड़हिया पर, ५००० गगासराय इन्दुपुर और हर्दनवीघा पर एव ३५०० पिपरिया और उसके आस-पास के टोलों पर बैठाए गये। इस आन्दोलन को गति देने के लिए वहां से रोनियों पर विद्रोही नाम का परचा भी निकलता था। इस परचे को निकालने और लिखने में श्री योगीन्द्र शर्मा आयुर्वेदाचार्य एव सिद्ध जी का वहुत वड़ा हाथ था।

पृष्ट १२३ : १९४६ ई० बड़हिया स्टेशन के एक ट्रेन में दंगा हुआ

१९४७ में आठ वर्षों के बाद मुंगेर जिला कांग्रेस कमिटी का निर्वाचन हुआ। उसी साल की फरवरी में माननीय श्रीकृष्ण वल्लभ सहाय के सभापतित्व में जिला राजनैतिक सम्मेलन का सप्तम अधिवेशन हुआ। सम्मेलन में ही बिहार केशरी श्रीकृष्ण सिंह जी की हीरक जयन्ती के उपलक्ष्य में मुंगेर में एक पुस्तकालय और संग्राहालय के निमित्त श्रीकृष्ण सेवा सदन की स्थापना और उन्हें एक अभिनन्दन ग्रन्थ समर्पित करने की योजना स्वीकृत हुई।

वड़हिया सरकार द्वारा अपने शासन प्रवन्ध के सम्बन्ध में प्रतिवर्ष प्रकाशित प्रतिवेदन :—

Bihar and Orissa in 1931-32 Appendix I (page ii and (v)

The Village of Barhi in the Monghyr District maintained their reputation for law less-ness. "To protect life and property additional police had to be quarterdd in the village.

Barhi, a Village in the Monghyr District, had long been a Notorious centre of dis-affection where the local congress organization had been perfected and on repeated occasions had defied the District Authorities and had attempted to place itself above the law. Additional police had been posted in the village but the local agitatiors were still capable of michief अर्थात मुंगेर जिला के बडही ग्राम की कानून-भग की ख्याति बनी हुई है। जीवन और सम्पत्ति की रक्षा के लिये अतिरिक्त पुलिस की तैनाती करनी पड़ी।

१९३२ ई० से १९३४ ई० तक तैनात की गई अतिरिक्त पुलिस को हटा लेने एवं पुलिस-कर-दण्ड की वसूली किश्तों में की जाने की सुविधा के लिए बिहार लेजिस्लेटिभ काउंसिल में मुंगेर के सदस्य श्रीयुत श्रीकृष्ण प्रसाद

जी ने दो प्रस्ताव उपस्थित किये थे। १७ मार्च १९३२ को इन दो प्रस्तावों पर बहस हुई। पहला प्रस्ताव ३४ के विरूद्ध ३८ मत से अस्वीकृत हुआ था। दूसरा ४२ के विरूद्ध २६ मत से मंजूर हुआ। मैं उस बहस के समय दर्शक दीर्घा में उपस्थित था। श्री हरवंश नारायण प्रसाद सिंह जा, श्री बद्री नारायण सिंह जी श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह जी के साथ मैं ने सदस्यों के पास जाकर प्रस्ताव की मंजूरी के लिए काफी सहायता मांगी थी। प्रस्ताव के पक्ष में श्री कृष्ण प्रसाद जी, श्री विशुनदेव नारायण सिंह (छितरोर), राय बहादुर द्वारकानाथ एवं श्री योगेन्द्र मोहन सिन्हा बोल थे। श्रीयुत श्रीकृष्ण प्रसाद जी अति ही सुयोग्य वकील, प्रभावशाली व्यक्ति एव आकर्षक वक्ता थे। इस बहस का विवरण कार्यवाही-पुस्तिका में देखा जा सकता है। निम्न प्रश्नोत्तर भी उल्लेखनीय है।

पृष्ठ १८६

प्रश्न :

बाबू श्री कृष्ण प्रसाद :

कृपा कर सरकार बतलावे कि क्या मुंगेर के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, पुलिस सुपरिटेंडेन्ट एवं डिपुटी इन्सपेक्टर जेनरल पुलिस ने बड़हिया में १९३१ के मई के बाद अतिरिक्त पुलिस रखे जाने के बारे में सरकार को रिपोर्ट दी थी ? क्या वे रिपोर्ट सदस्यों को देखने दिया जायगा ?

मिस्टर डबलू० बी० ब्रेट :

रिपोर्ट सरकार को मिले हैं। दिखलाने को सरकार सहमत नहीं है।

प्रश्न : क्या १९३३ के मार्च-अप्रैल में अतिरिक्त पुलिस ने विदेशी वस्त्र बड़हिया मंगवाने की चेष्टा की थी? क्या सफलता मिली ?

उत्तर : सरकार को कोई सूचना नहीं है।

प्रश्न : क्या १९३३ के मई में पंजाब मेल के गिरजाने के सबंध में बड़हिया में मकान तलाशी और कुंओं की तलाशी हुई थी ? क्या कोई अपराध सूचक वस्तु पाई गई ?

उत्तर : पुलिस ने जरूरी तहकीकात की कारवाई की है। मोकदमा अभी विचाराधीन हैं।

प्रश्न : क्या इस संबंध में बड़हिया के किसी व्यक्ति पर मोकदमा चला है ? क्या नतीजा हुआ ?

उत्तर : मोकदमा विचाराधीन है।

मिस्टर नन्दकुमार घोष :

प्रश्न : क्या यह तहकीकात केन्द्रीय सरकार करा रही है ?

उत्तर : नहीं। पुलिस अपने साधारण अधिकार से कर रही है। केन्द्रीय सरकार को कोई सरोकार नहीं है।

मिस्टर नन्द कुमार घोष :

प्रश्न : पंजाब मेल की दुर्घटना के संबंध में केन्द्रीय सरकार की कोई रिपोर्ट प्रान्तीय सरकार को क्या मिली है ?

उत्तर : जी नहीं। ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं प्राप्त हुइ है।

Barahiya Additional Police

(83) Babu Sri Krishna Prased "Will Governmndt be Pleased to state if the District Magistrate, Monghyr, the District superintendent of police Monghyr and the Deputy Inspector-General of police Northern Bihar Range submitted any reports or statements recommending the continuance of additional police quartered at Barahiya in the district of Monghyr after may 1933 ? If so Will they re pleased to lay on the table a copy of those reports or statements ?

Mr. W. B. BRETT :– Reports were received from these officers on the subject of the continuance of the addional police force. Government are not prepared to lay copies oe the table.

Alleged attempts made by the addtional police officers to get foreign cloth indented ir Barahiya Monghhyr District.

(84) Babu Sri Krishna Prasad :– Will Government be pleased to state if attempts were made by the additional police offecers to get foreign cloth indented in Barahiya in the months of march and April 1933. If so, with what success ?

Mr. W. B. BRETT :– Government have no information.

Panjab Mail Derailment May 1933

(85) Babu Sri Krishna Prasad-will Government be pleased to state if house searches and searches of wells were made in Barahiya in connection with the Panjab Mail derailment case in may ? It so was anything incriminating found ?

(86) Babu Sri Krishna Prasad. Will Govement be pleased to state if any resident

of Barahiya has been prosecutedin connection with the Panjab Mail derailment case in May last ? if so, with what result ?

Mr. W. B. BRETT :- The police did conduct searches in Burhee, which is close to the scene of the derailment. The case is still under investigation.

Mr, Nanda Kumer Ghosh .- Will Government be pleased to state if the enquiry refered to was directed by the central Government ?

Mr. W. B. BRETT :- No, It is ondinary police enquiry into a cognizable offence. It has nothning to do with the central Government.

Mr. Nanda Kumar Ghosh :- Will Government be pleased to state if they received from the central Government any report regarding the Panjab mail derailment ?

Mr. W. B. BRETT -— No, we have no such report.

(च) विहार सरकार के तत्वावधान में संकलित, मगध एवं पटना विश्वविद्यालय के कुलपति श्री कालीकिंकर दत्त के लिखित History of Freedom Movement in Bihar (१९५८) से ये उद्धरण दिये जाते हैं :—

(1) Vol. II) Page 81

"Anti salt activities began here on the 20 th April" Near Lakhisarai The first packet of salt was purchased by Shri Badri Narain Singh for 101/-

(2) On the 22 nd April one centre for salt manufacture was started at Barhiya in the Temple of Teja Singh and salt law was disobeyed here Shah Mohamad Jubair and Shri Nemdhari Shingh, Kumar Kalika Singh also reached here with a batch of volunteers from Deogharand Monghyr engaged and In salt manufacture for several days. In fact, thir work continued here for someweeks. The subdivisional officer remained here for some days with armed force bnt no arrests were made,

(3) "In Barhiya thana of the Monghyr District the number of Charkhas hasl gone up to 300"

(4) Page 180 (1932)

Barahiya an important centre of National activities in the Monghyr District fines amounting to about eight to nine thousand rupes were imposed"

पृष्ठ १८६ भाग २ पृष्ठ ८१

नमक विरोधी संघर्ष यहां मुगेर जिला में २० अप्रैल १९३० को शुरू हुआ।

लक्खीसराय के निकट बनाया गया पहला पैकेट १०१ रूपये में बाबू बद्रीनारायण सिंह ने खरीद किया।

२२ अप्रैल १९३० को नमक बनाने का एक केन्द्र बड़हिया में तेजा सिंह के मन्दिर में कायम किया गया और नमक कानून की अवहेलना यहां की जाने लगी। मुंगेर एवं देवघर से शाह महम्मद जुवेर, श्री नेमधारी सिंह एवं कुमार कालिका सिंह भी स्वयंसेवकों के साथ यहां आए और नमक बनाने का काम जारी रहा। वास्तव में यह काम कई सप्ताह तक चलता रहा। सशस्त्र पुलिस के साथ सवडिवीजनल अफसर भी यहां कुछ दिन तैनात रहे परन्तु कोई गिरफ्तारी नहीं हुई।

पृष्ठ ११६

मुंगेर जिला के बड़हिया थाना में चर्खा की संख्या ३०० तक पहुँच गई थी।

पृष्ठ १८०

मुंगेर जिला के राष्ट्रीय कार्यों के एक महत्वपूर्ण प्रभावशाली केन्द्र स्थान बड़हिया में आठ नौ हजार रूपये के जुर्माने वसूल किये गये (१९३२ ई०)

* पृष्ठ १८६

१९३२ के १५ फरवरी के दिन बड़हिया में राष्ट्रीय झंडा दिवस मनाया गया।

पृष्ठ १८८

१९३२ में अतिरिक्त पुलिस बड़हिया और तारापुर जिला मुंगेर में बैठाई गई।

---

*(5) Page 186 (1932)

Flag Satyagrah Day was observed on 15 Feb. 1932 at Barahiya.

(6) Page 188 (1932) "Inl 1932 additional police forces were posted at places Like Barahiya, and Tarapur in the Monghyr District.

(7) Page 321 1938

KISAN MOVEMENT.

The Congress organisations were till trying to effect compromise but with no success. The effects of the Conciliation committees to settle Bakashta disputs proved to be abortive. As a matter of fact, this question was seriouslya agileting the kisans and pandit karyanand Sharma had already started a satyagrah at Barahiya Tal in the Monghyr District."

(8) Page 155) Freedom Movement in Bihar by K. K. Dutta Vol. III. 1958.

"Barhi was subjected to vigorous police and Military chastfisement. On the 28 th Sept. a party of soldiers opend fire there and seriously wounded Shri Banarsi singh of Indupur, a student of Bhagalpur callege. He expired in the Hospital after Two days.

पृष्ठ ३२१ किसान आन्दोलन

कांग्रेस संस्थाएं समझौता की चेष्टा करती रहीं। परन्तु सफलता नहीं मिली। समझौता-पंचायतों की चेष्टा भी विफल हुई। वास्तव में किसान इसबारे बहुत उत्तेजित थे और मुंगेर जिला के बड़हिया टाल में कार्यानन्द शर्मा ने किसान आन्दोलन जारी कर रखा था। (१९३८ ई०)

पृष्ठ १८९ भाग ३

बड़हिया को पुलिस एवं सेना द्वारा कठोर दंड दिया गया। २८ सितम्बर १९४२ को सैनिकों ने गोली चलाई और इन्दुपुर निवासी भागलपुर कॉलेज के छात्र बनारसी सिंह की मृत्यु उसके फल स्वरूप अस्पताल में दो दिनों के बाद हो गई।

१५ अगस्त १९४७ को भारत स्वतन्त्र हुआ और २६ जनवरी १९५० को अपने स्वाधीन गणतन्त्र की स्थापना हुई।

१९४७ के बाद का राजनैतिक इतिहास आजाद हिन्दुस्तान का इत्तिहास है। पद लोलुपता, सत्ता,संघर्ष, स्वार्थ-परायणता और अवसरवादिता का बाजार गरम होने लगा और गरमाता ही रहा। सरकारी अफसरों से दोस्ती, पैरवी, प्रभाव एवं पैसे पैदा करना, आपसी द्वेष और कलह अब महत्व पूर्ण कार्य हो गये हैं। चुनाव और गुटबन्दी के सिवा शायद कोई कार्यकलाप शेष नहीं रह गया है।

स्थानीय राजनैतिक प्रगति एवं गति-विधि का इतिहास का अन्त यहां समझना चाहिए, तत्काल के लिये।

बड़हिया के इस १९२१ से १९४७ तक के स्वाधीनता सघर्ष के संम्बध में अन्यत्र उपलब्ध सूचनाओं का उल्लेख भी उपर किया गया है। १९५२ में २५ दिसम्बर से पांच दिनों तक परिश्रम पूर्वक यहां विकास मेला लगाया। २५ दिसम्बर को मुंगेर जिला के हिन्दी साहित्य सम्मेलन का अधिवेशन हुआ। प्रोफेसर पं० परमेश्वर प्रसाद शर्मा जी अध्यक्ष थे। कवि दिनकर जी भी उपस्थित थे। स्वागताध्यक्ष मैं ही था।

शेष दिन दंगल, छात्र सम्मेलन कृषि सम्मेलन खादी प्रदर्शनी, पशु सम्मेलन एवं संकीर्तन सम्मेलन ई० के आयोजन हुए। सम्मेलन काफी लोकप्रिय और सफल रहा। परन्तु बाद में फिर हुआ नहीं।

१९५५ में १४ नवम्बर से १८ नवम्बर तक भारत सेवक समाज की ओर से श्रमदान का कार्य हुआ था।

१९५६ के २२ जुलाई को सर्वोदय सम्मेलन में बिहार के राज्यपाल श्री रामचन्द्र रंगनाथ दिवाकर जी पधारे थे। बड़हिया में गवर्नर के आने का यह एक मात्र मौका हुआ।

१९५८ के २३ दिसम्बर से एक हरूहर क्षेत्र एवं दियारा का कृषि सम्मेलन चार दिनों के लिये आयोजित हुआ, जब बिहार के मन्त्रीगण पधारे थे। १९५८ साल में ही इस गाँव में बिजली लगाई गयी।

विहार विधान सभा एवं विहार विधान परिषद का निर्माण भारतीय संविधान के अनुसार १९५० के बाद हुआ। और पहला चुनाव १९५२ के फरवरी में हुआ। उस समय यह निर्वाचन क्षेत्र सूर्यगढ़ा के साथ जुटा हुआ था और श्री राजेश्वरी प्रसाद सिंह जी सूर्यगढ़ा थाना के कांग्रेस उम्मीदवार विधान सभा के सदस्य चुने गये थे।

मेरे प्रयास से यह निर्वाचन क्षेत्र १९५७ से स्वतन्त्र हुआ। लक्खीसराय के कुछ भाग साथ लेकर। कांग्रेस उम्मीदवार श्री रामरीझन बाबू परास्त हुए। समाजवादी उम्मीदवार उदीयमान नवयुवक श्री कपिलदेव सिंह विजयी होकर सदस्य निर्वाचित हुए। सनातन धर्म के नेता श्री रामनाथ जी भी वर्णाश्रम स्वराज्य संघ की ओर से चुनाव लड़े, जिसका प्रत्यक्ष परिणाम था कांग्रेस की पराजय।

१९६२ में पुनः श्री कापलदेव जी कांग्रेस उम्मादवार, श्री यमुना प्रसाद सिंह जी को परास्त कर सदस्य हुए। इसवार वलीपुर के श्री दशरथ बाबू के समर्थन में कांग्रेस कर्मियों के बीच फूट पड़ गया था।

१९६७ के चुनाव में श्री कपिलदेव जी तीसरी वार विजयी हुए। कांग्रेसी उम्मीदवार श्री रामरीझन बाबू को ही परास्त कर।

विहार में पहले वार गैर कांग्रेसी मंत्रीमंडल की स्थापना श्री महामाया प्रसाद सिंह के नेतृत्व में कायम हुआ और सयुक्त समाजवादी दल की ओर से श्री कपिलदेव जी खाद्य मत्री मार्च १९६७ से जनवरी १९६८ तक रहे और इस प्रकार बड़हिया को गौरव पैदान किया। अपने परिश्रम, अध्ययम, तीक्षण बुद्धि स्पस्टवादित, एव कार्य कुशलता से आपने अधिकारी वर्ग एवं सहयोगियों को प्रभावित कर रखा है। किन्तु विहार में गैर कांग्रेसी सरकारें टिक नहीं सकी और १९६९ के फरवरी में मध्यावधि चुनाव हुआ। इस चुनाव में कांग्रेसी उम्मीदवार श्री सिद्धेश्वर प्रसाद सिंह की श्री कपिलदेव पर विजय हुई। यह सिद्धेश्वर वाबू वड़हिया थाना के प्रतापपुर गांव के निवासी है। यह श्रम विभाग के उपमंत्री भी हुए थे। १९७१ के आम चुनाव में सिद्धेश्वर जी को हटाकर पुनः श्री कापल विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए।

विहार विधान परिषद या लोक सभा या राज्य सभा में वड़हिया का कोई निवासी अभी तक नहीं जा सका है।

मुंगेर जिला परिषद :

वड़हिया से मुंगेर जिला परिषद(District Board) के सदस्य पहले पहल श्री श्याम किशोर प्रसाद सिंह जी १९३३ से १९३८ तक रहे। उनके बाद श्री चन्द्रशेखर प्रसाद सिंह जी।

१९४२ से १९४७ तक मैं। मैं २५-९ १९४३ से सदर लोकल वोर्ड का अध्यक्ष भी रहा। मेरा तगड़ा विरोध वर्णाश्रम स्वराज्य संघ सभा तथा सनातन धर्म सभा के नाम पर हुआ था।

१९४७ के मई में राम रीझन वाबू सदस्य हुए और परिषद के भंग होने तक (१९५९) सदस्य रहे।

आप सदर-अध्यक्ष भी १९५५ से ५८ तक एवं उपाध्यक्ष १९५३ से ५५ तक रहे ।

अधिसूचित क्षेत्र समिति :

वड़हिया की अधिसूचित क्षेत्र समिति की स्थापना सरकारी अधिसूचना संख्या ५२३३ । एल० एस० जी० दिनांक १५ जून १९५३ द्वारा की गई थी ।

अधिसूचना संख्या ५२३४ । एल० एस० जी० दिनांक १९५३ के द्वारा नौ सदस्यों की एक समिति मनोनीत की गई थीं ।

वड़हिया, इंगलिश, इन्दुपुर, ताजपुर, उफरौर, वोधनगर एवं चूहरचक गांव इस समिति के क्षेत्र में सम्मिलित किये गये हैं ।

विहार नगरपालिका अधिनियम १९२२ के अधीन इस समिति की स्थापना एवं संचालन है । १९६१ की जनगणना के अनुसार इस क्षेत्र की जन संख्या २०५१९ थी । १९७१ की गणना के अनुसार यह बढ़ कर २४६६१ हो गयी । इस क्षेत्र के नौ वार्ड (अंग) हैं । सदर अनुमंडल अधिकारी इसके मनोनीत पदेन अध्यक्ष हैं । उपाध्यक्ष का चुनाव समिति के सदस्य करते हैं । अवतक मनोनयन ही से सदस्य नियुक्त हो रहे हैं । चुनाव नहीं हो रहा है ।

उपाध्यक्षों की सूची :

१. श्री चन्द्रभानु सिंह	१९५३ से १९५६ मार्च तक
२, श्री सूर्यनारायण सिंह	१९५६ से १९६३ फरवरी
३. श्री शुभकरण कणोडिया	१९६३ से अप्रैल १९६४
४. श्री वांके सिंह	१९६४ से १९६८
५. श्री सियाशरण सिंह	१९६८ से

इन दिनों १९७० में सदस्यों की कुल संख्या २८ है । इस समिति का मनोनयन १९६८ में हुआ । इस पुनर्गठन के परिणाम के स्वरूप पहले पहल यह समिति गैर कांग्रेसी प्रभाव में चली गई ।

वार्डों के अनुसार जनसंख्या तालिका-'१९६१)

वार्ड न०	पुरुष	स्त्री	योग
१.	९०१	७३८	१६३९
२.	१५३१	१३७४	२९०५
३.	८९४	८३०	१७२४

तालिका :

.४	११७१	११३३	२३०४
५.	८४८	७१५	१४६३
६.	१४७२	१३८२	२८५४
७.	१८८९	१६२८	३५१७
८.	११०५	१०४७	२१५२
९.	९५०	९३६	१८८६
	१०७६१	९७५८	२०५१९

इन वाडों के विभाजन की विषमता स्पस्ट है। इस विभाजन के आधार पर निर्वाचन न्याय-युक्त नहीं होगा। सदस्य संख्या २८ भी अधिक एवं अनावश्यक है।

१९३६ साल के १७ फरवरी को स्थानीय हाई स्कूल के पारितोषिक वितरण के लिये सरगणेश दत्त सिंह जी यहां पधारे थे। उस समय इस स्कूल का प्रवंध भी मेरे हाथों में था। उनके समक्ष बड़हिया में युनियन वोर्ड या कमिटी की मांग पेश की गई। ११ अगस्त १९३६ ई० को एक सार्वजनिक सभा कर मांगपत्र सरकार के पास भेजा गया। सड़क, नाला, और नगर विस्तार की योजनाएं भी सरगणेश ने प्रस्तुत कराई थी। पहले यूनियन वोर्ड बनायी गयी थी।

१९५३ में अधिसूचित क्षेत्र समिति में उसे परिणत किया गया। बड़हिया कांग्रेस कमिटी की स्थापना १९२९ के २२ अप्रैल को हुई थी, इसका निजी भूमि एवं भवन भी प्राप्त है। वड़हिया का सरकारी थाना १९४४ से स्वतन्त्र रूप से कायम हुआ था।

इस कांग्रेस कमिटी को जिला कांग्रेस कमिटी की मान्यता १९३१ में मिली। श्री काशी वाबू इसके प्रथम सभापति हुए। वाद में कुछ वर्ष श्री जुल्मधारी प्रसाद सिंह हुए। १९३५ में रामरीझन बाबू अध्यक्ष हुए और संभवतः वही अवतक हैं।

सर्व श्री काशी प्रसाद सिंह, रामरीझन सिंह, चन्द्रभानु सिंह, गौरी शंकर इत्यादि पारी-पारी से प्रांतीय कांग्रेस कमिटी के स्थानीय सदस्य रहे और हैं। ए० आई० सी० सी० के स्थानीय सदस्य अभी तक कोई नहीं है। श्री रामरीझन बाबू इन दिनों मुंगेर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं।

कुछेक कांग्रेसजनों ने कांग्रेस से अलग होकर समाजवादी दल की स्थापना संभवतः १९५४—५५ में की। इनका भी निज भूमि भवन प्राप्त है। प्रजा समाजवादी एवं संयुक्त समाजवादी दलों में, यह दल बाद में विभक्त हो गया।

इन दो राजनैतिक दलों के अतिरिक्त और किसी राजनैतिक दल की स्थिति या विकास यहां देखने में नहीं आया। चुनाव के समय उनकी चर्चा सुनने में आती है तो कुछ समय कभी सामने आ जाते हैं। इस समय अधिसूचित क्षेत्र समिति जन संघ के सदस्य या प्राभवित व्यक्तियों के प्रभाव में कही जाती है। ●

नगर-पालिका की स्थापना

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित।

२१ श्रावण १८९४ (श)

(सं० पटना ८२७) पटना, शनिवार, १२ अगस्त १९७२

स्थानीय स्वायत्त शासन विभाग

अधिसूचनाएं

११ अगस्त १९७२

सं० ७४४०-स्था० स्वा० शा० बिहार ऐण्ड उड़ीसा म्युनिसपल ऐक्ट १९२२ (बि० ऐण्ड उ० एक्ट, १९२२) की धारा ३९०-ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल घोषित करते हैं कि मुंगेर जिलान्तर्गत बड़हिया अधिसूचित क्षेत्र जिसकी इस प्रकार की घोषणा अधिसूचना सं० ५२३३—स्था० स्वा० शा०, दिनांक ५ जून, १९५३ के द्वारा की गयी थी तिथि १५ अगस्त १९७२ से नगरपालिका में परिवर्त्तित कर दी जायगी । अन्तरिम अवधि में निम्नलिखित उपबन्ध लागू रहेंगे, यथा—

(१) अधिनियम के उपबन्धों के अधीन नगरपालिका के यथास्थिति अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा आयुक्तों के निर्वाचन या नियुक्ति न होने तक अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, मुंगेर जो वर्त्तमान में अधिसूचित क्षेत्र समिति के अध्यक्ष हैं, अत्र उक्त नगरपालिका के प्रशासक कहलायेंगे, नगर पालिका बड़हिया आयुक्तों की शक्तियां एवं कर्त्तव्यों का प्रयोग एवं अनुपालन किसी बैठक में या अन्यथा करेंगे ।

(२) तिथि १५ अगस्त १९७२ के ठीक पहले अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियम या दिये गये आदेश निकाली गयी अधिसूचनाएं एवं सूचनायें जब तक निरसित, रूपभेदित या रद न कर दी गयी हो, प्रवृत रहेगी ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
प्र० प्र० सेन,
सरकार के अवर सचिव ।

११ अगस्त १९७२ सं० ७४४१—स्था० स्वा० शा० अधिसूचना सं० ७४४० स्था० स्वा० शा० दि० ११ अगस्त १९७२ का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के आदेश से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारत संविधान के अनुच्छेद ३४८ के खंड (३) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायगा ।

अध्याय—१४

सार्वजनिक संस्थायें

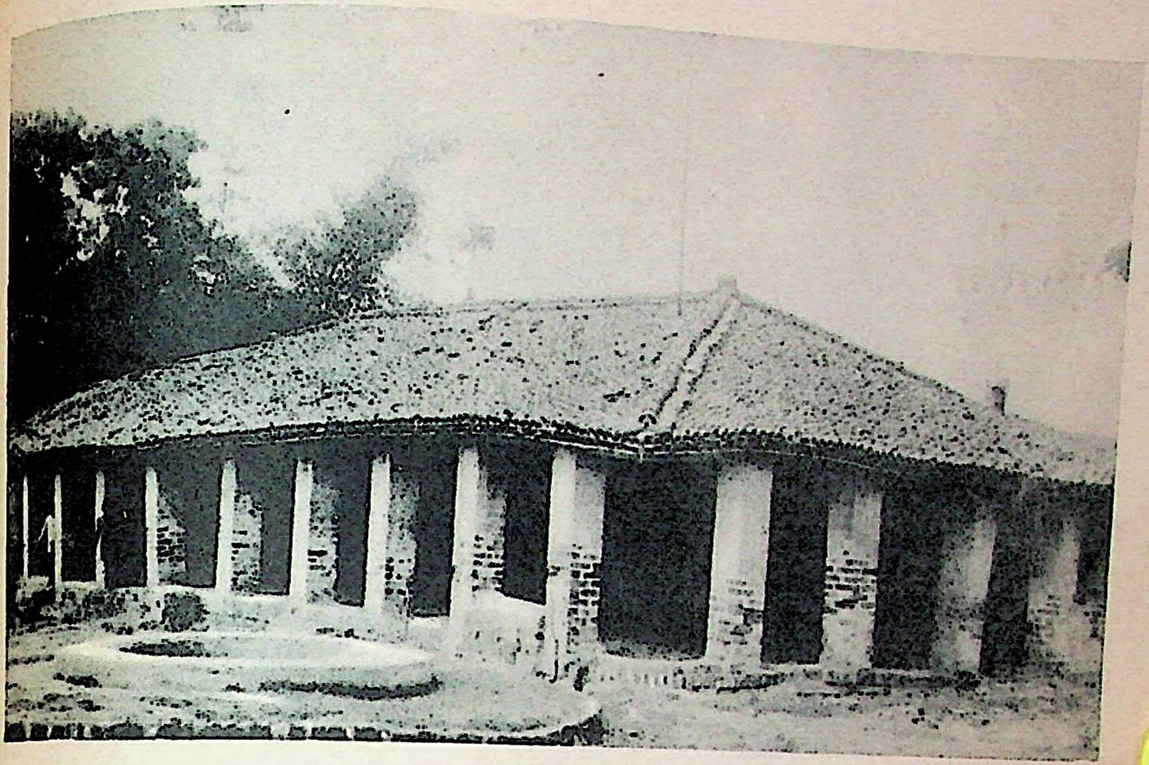

कांग्रेस पार्टी कार्यालय

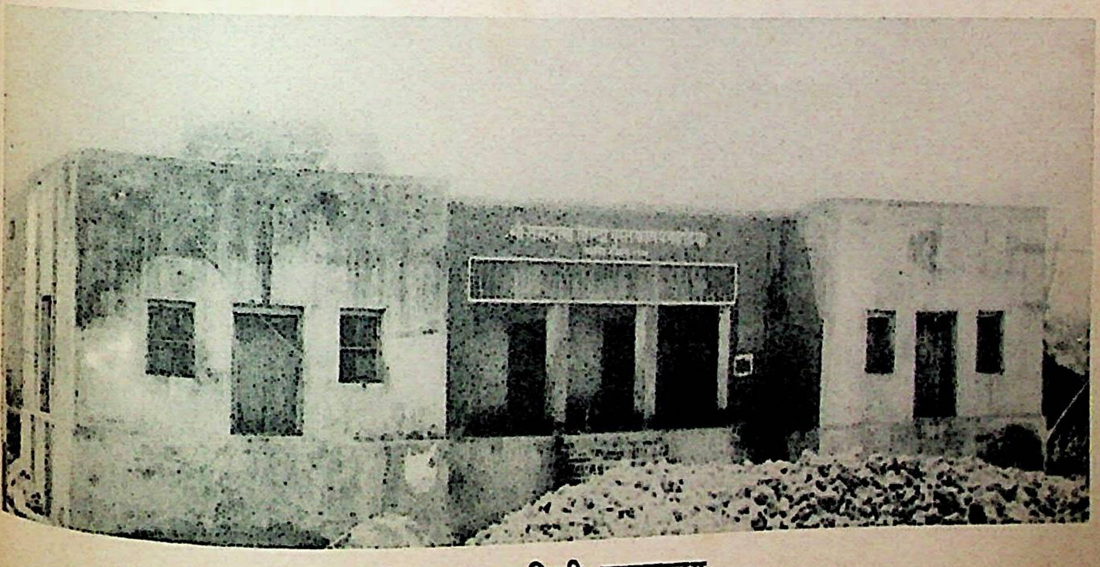

श्री जगदम्बा हिन्दी पुस्तकालय

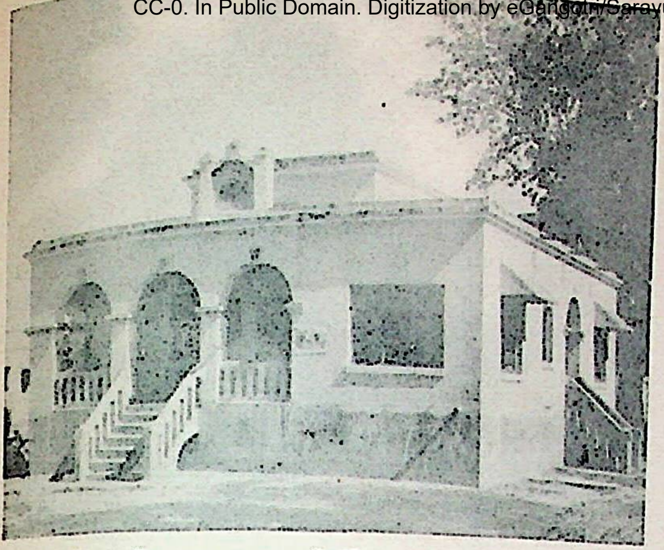

स्वर्गीय श्री हरदेव दास द्वारा निर्मित मुख्य चिकित्सालय भवन

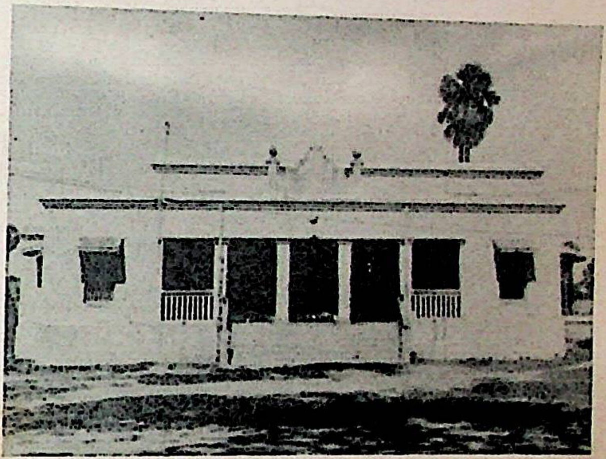

स्वर्गीय श्री नौरंगी सिंह द्वारा निर्मित चिकित्सालय भवन

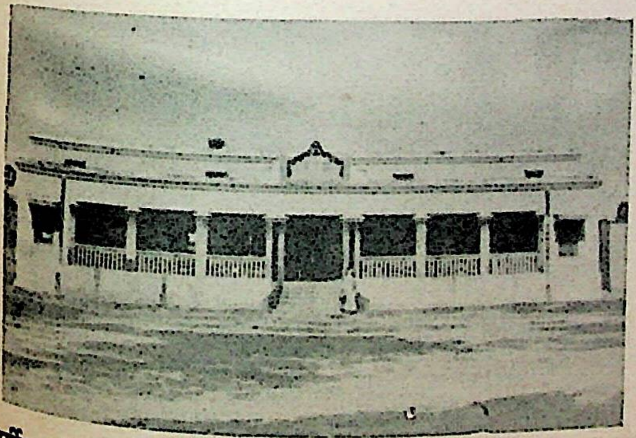

स्वर्गीय श्री गोवर्धन कनोडिया द्वारा निर्मित चिकित्सालय भवन

अध्याय—१४

सार्वजनिक संस्थायें

पुस्तकालय :

श्री जगदम्बा हिन्दी पुस्तकालय सर्वाधिक प्राचीन जीवित संस्था है। अपना निज भूमि भवन तो प्राप्त है परन्तु इन ४९ वर्षों में जिस विकास की आशा की जानी चाहिए, उस अनुसार इसकी प्रगति नहीं हुई। स्थानीय लोक-जीवन का प्रशिक्षण एवं विकास का श्रेय इसे ही मिलना चाहिए। २१-१०-१९२३ के दिन श्री राम कृष्ण सिंह 'सिद्ध जी', श्री शिव गोविन्द सिंह जी एवं श्री रामखेलावन सिंह(बच्चू बाबू) ने राहा बंगला में इसकी स्थापना की। १९२५ से १९२९ तक इसके वार्षिकोत्सव होते रहे जो गांव का प्रभावशाली समारोह होता था। १९२७ के २८ मार्च से १ मार्च १९३० तक मैं इसका मंत्री था। १९२९ के ११ और १२ अप्रैल को इसके वार्षिकोत्सव में पूज्य राजेन्द्र बाबू इत्यादि पधारे थे। जुलूस निकला। सभा हुई। खादी प्रदर्शनी और नाटक हुआ। १९३० के शक्तिशाली संघर्ष की भूमिका इस तरह तैयार हुई।

१९३० से १९३२ तक स्थानीय पुलिस एवं राजभक्त सनातनियों का यह कोपभाजन रहा। पुलिस की शिकायत थी कि राजद्रोह का पाठ यहां पढ़ाया जाता है तो सनातनी भाई की शिकायत थी कि यहां धर्मद्रोह की शिक्षा मिलती है। एकबार सनातन भाइयों ने कठोर चेष्टा भी की थी कि इसे हस्तगत कर बन्द कर दिया जाय किन्तु चेष्टा विफल हुई।

खेद की बात है कि अब यह संस्था न तो उतनी लोकप्रिय है और नहीं उपयोगी। श्री सिद्ध जी एवं मैंने इसके विकास में प्रमुख योगदान दिया था।

बड़हिया बाजार में एक 'प्रगति पुस्तकालय' भी कुछ वर्ष से चल रहा है।

धर्मशालाएं:

स्थानीय सपन्न जगनानी परिवार के दान से बनी एक विशाल धर्मशाला पचास वर्ष से ऊपर से कायम है। गांव के दूसरे छोर पर महन्थ राम विहारी शरण न्यास पर्षद के दान से दूसरी धर्मशाला २५ वर्ष से कायम है।

अस्पताल :

१९३३ ई० में मोहन लाल हरदेवदास जी के दान से हरदेवदास स्मरक अस्पताल स्थापित हुआ। ३० नवम्बर को उसका उद्घाटन श्री बाबू ने किया था। १९३५ के ४ नवम्बर को श्री मती कपूरी देवी के १२००० रुपये के दान से 'नौरंगी आरोग्य भवन' की स्थापना इस अस्पताल में हुई। बाद में ८००० रु० की सहायता और भी उनसे इसके लिये मिली थी।

स्थानीय कणोडिया परिवार के २०००० रु० के दान से गोवंधन वार्ड की स्थापना हुई, जिसका उद्घाटन करने केन्द्र के मंत्री श्री पंजाव राव देशमुख आये थे।

पशु कल्याण :

इस अस्पताल का प्रबंध बिहार सरकार के अधीन है ।

१९५३ में श्री रामाश्रय बाबू के दान से रामाश्रय पशु कल्याण केन्द्र की स्थापना हुई है । उनने २ एकड़ जमीन और ६००० रुपये का दान दिया । बिहार सरकार ने इसे स्वीकार कर ५०/६० हजार रुपये की सहायता देकर इसकी स्थापना की । इसका शिलान्यास १९५२ में श्री दीप नारायण सिंह जी मंत्री ने किया था । इसका प्रबंध सरकार के अधीन है । पशु अस्पताल, कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र एवं पशु विकास केन्द्र का कार्य यहां से होता है । बिहार सरकार की इस संबंध की विज्ञप्ति नीचे उद्धृत की जाती है ।

हिन्दी अनुवाद :

*बड़हिया में पशु अस्पताल

विज्ञप्ति संख्या ८३९ पटना सितम्बर १९५० ई०

१९४२ में बड़हिया को आर्थिक दंड की बड़ी राशि देनी पड़ी थी । स्थानीय जनता ने यह इच्छा प्रकट की है कि इस रुपये से गांव में एक पशु अस्पताल की स्थापना कर दी जाय । अतएव मुंगेर जिला बोर्ड की सहमति

---

*Veterinary Dispensary at Barahiya

No. 849 Patna Sept. 1950. Barahiya had to pay a large amount as punitive tax in the year 1942. The people of that Village ex-pressed a desire that with the amount realised from them a veterinary hospital should be established there. Accordingly Government have decided to open a veterinary Dispensary at Barahiya in consultation with the District Board, Monghyr: Teere are already two veternary dispensaries in Monghyr Sadar for which the Monghyr District Board receives contribution from Government and under the existing order the district Board would not have been entitled to a contribution from Government for the dispensary at Barahiya. Govt. have however under-taken the liability for meeting half the cost of the touring veterinary Assistant Surgeon at Barahiya as a special case and it will serve as a memorial for the sufferings undergone by the people in the cause of India's independence. The other half of the cost on account of the touring veterinary Assietant Surgeon will bemet by the Dist. Board. The Veterinary dispensery will at present be accoommodated in a house, free of rent given by Shri Ram Ashray Singh of Barahiya for a period of about 2 years by which time suitable buildings for the dispensary and the staff will be constructed the entire cost of which will be met by Government. Shri Ramashray Singh has also kindly consented to donate a sum of Rs. 6000/- in cash and 10 Kathas of land for the construction of the dispensary building at Barnhiya. Press note.

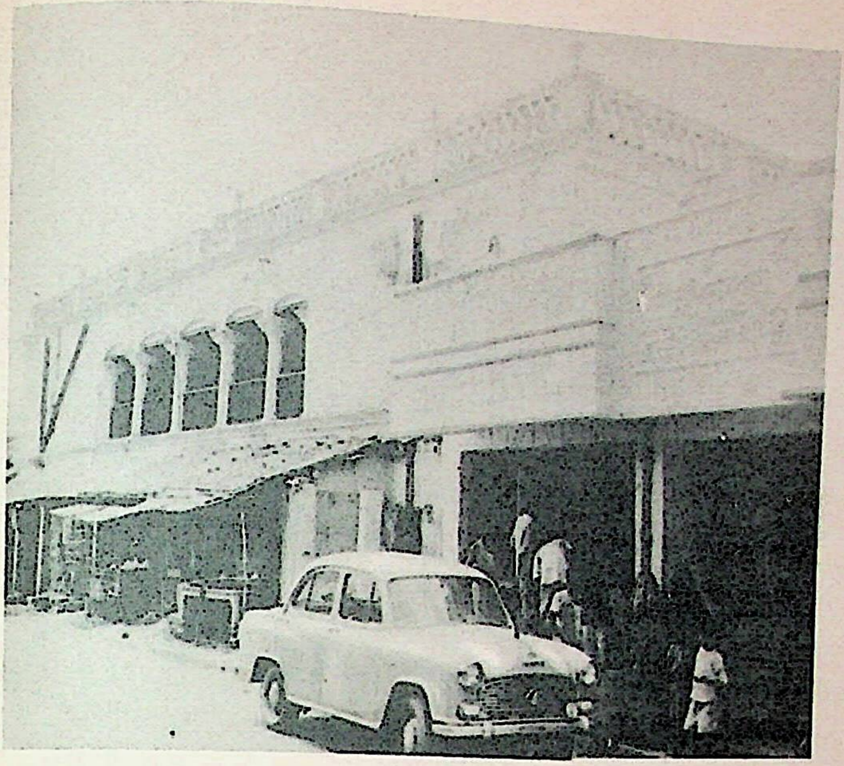

श्री जगनानी धर्मशाला

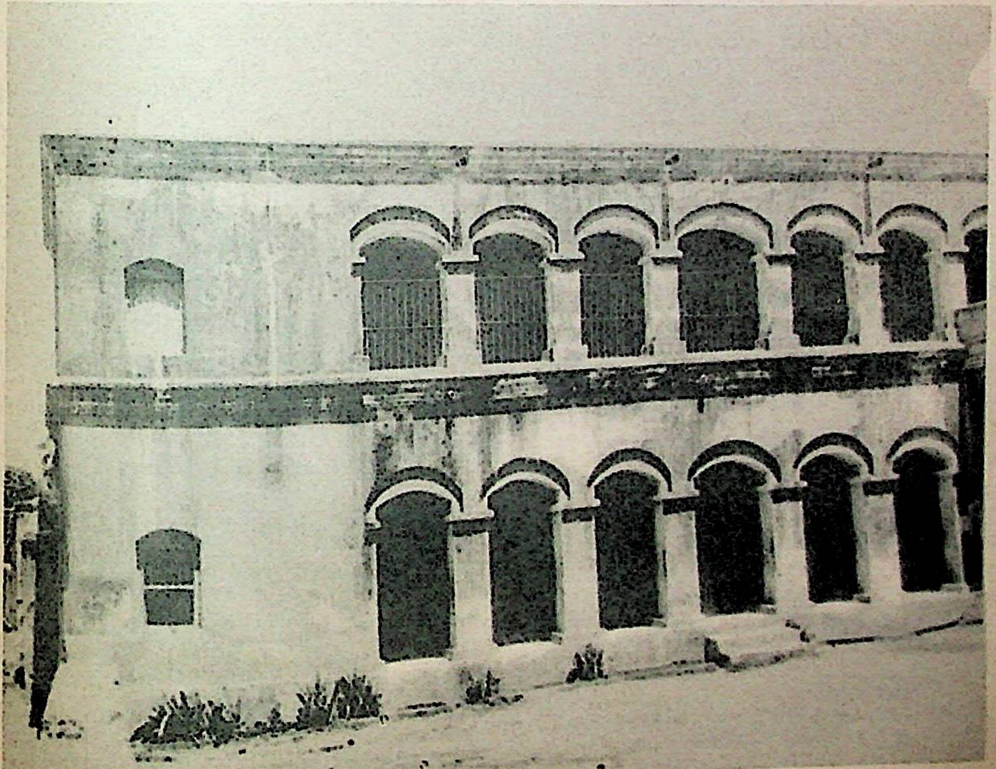

स्वर्गीय श्री रामबिहारी शरण द्वारा निर्मित धर्मशाला

लेकर बिहार सरकार ने पशु अस्पताल स्थापित करने का निर्णय किया है। मुंगेर सदर में दो पशु अस्पताल है और उसका खर्च सरकार से मुंगेर जिला बोर्ड को मिलता है। अतएव नियमानुसार बड़हिया के प्रस्तावित अस्पताल के लिये आर्थिक सहायता जिला बोर्ड को नहीं मिलनी चाहिए थी। फिर भी इसे विशेष केस मानकर डाक्टर का आधा खर्च देना सरकार कबूल करती है चूंकि यह संस्था स्थानीय जनता के स्वाधीनता संग्राम में भोगे हुए कष्ट और त्याग के स्मारक स्वरूप स्थापित की जा रही है। बाकी आधा खर्च जिला वोर्ड देगा। अभी दो वर्ष तक पशु अस्पताल श्री रामाश्रय बावू के मकान में विना किराए रहेगा। तव तक इसके निज भवन तैयार करा दिये जायंगे। भवन निर्माण का कुल खर्च सरकार देगी। श्री रामाश्रय बावू ने दया पूर्वक ६०००, हजार रूपये एवं १० कट्ठा जमीन देने की स्वीकृति दी हैं।"

स्पष्ट है कि स्वराज्य के बाद कांग्रेसी सरकार ने जुर्माने के रूपये वापस देने की घोषणा की थी तो बड़हिया की जनता ने वे रूपये वापस अपने वास्ते लेना नहीं मंजूर किया और अपने प्यारे गोधन की उन्नति के लिये इस संस्था की मांग की, जिसे श्रीबाबू की सरकार ने सहर्ष स्वीकार किया। इस प्रकार यह रामाश्रय पशु कल्याण केन्द्र स्थानीय जनता के स्वाधीनता संग्राम की आहुति की स्मृति स्वरूप स्थित है।

गौशाला

१९५५ ई० में श्री रामाश्रय वावू ने ८० वीघा जमीन और दश हजार रूपये के दान से गौशाला की स्थापना की। इस रामाश्रय गौशाला का शिलान्यास २६ दिसम्बर १९५५ को श्रीबावू ने किया था। कुछ वर्ष तक इसकी प्रगति सन्तोषजनक रहीं। सरकारी सहायता भी प्राप्त होती थी। परन्तु स्थानीय व्यापरी वर्ग का सहयोग प्राप्त नहीं हो सका। गौशाला के नाम से लिये जाने वाली वृति के पैसे देना इनकार किया। उनके असहयोग एवं व्यवस्था-दोष के कारण इसकी व्यवस्था इन दिनों शोचनीय हो रही है। इसका प्रवन्ध दाता द्वारा स्थापित एक न्यास पर्षद के अधीन है।

मन्दिर

श्री रामाश्रय बाबू ने एक और न्यासपर्षद नियुक्त कर स्थानीय शाखा-जी मन्दिर, देवघर में शंकर धर्मशाला का निर्माण कर और अयोध्या में सद्गुरुसदन की स्थापना कर उसके अधीन कर दिया है। यह सभा रामाश्रय न्यास पर्षद के नाम से काम कर रही है।

वावा श्रीकंठ के एक वंशज घीना सिंह साधु होकर रामबिहारी शरण दास के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनने १९२७ में एक न्यास पर्षद की स्थापना की और उसके अधीन अपने अयोध्या स्थित ठाकुरवाड़ी एवं बड़हिया स्थित धर्मशाला का प्रबन्ध कर दिया। दाता का स्वर्गवास २६ अगस्त १९३४ को हुआ। इस न्यास पर्षद का कार्य अद्यपर्यन्त अति सन्तोषजनक रहा है। संपत्ति की रक्षा, संपत्ति की उन्नति, न्याय के उद्देश्यों की परिपूर्ति के अतिरिक्त शिक्षा प्रचार इत्यादि कल्याण कार्य में भी यह ट्रस्ट तत्परता पूर्वक दान देता रहा है। संभवतः इस इलाके का यह प्रथम सार्वजनिक ट्रस्ट है।

उपरोक्त बड़हिया के अस्पताल, राम विहारी शरण न्यास पर्षद, रामाश्रय पशुकल्याण केन्द्र, रामाश्रय गौशाला एवं रामाश्रय न्यास पर्षद के दान की प्राप्ति और उसके सफल उपयोग एवं निष्पादन में सर्वथा मेरी प्रेरणा एवं परिश्रम रहा है। मैं उपरोक्त तीनों ही न्यास पर्षद का सदस्य हूं।

कालेज :

श्री ठाकुर प्रसाद सिंह "मंगनी वावू" इस स्थान के सर्वाधिक धनी व्यक्ति माने जाते थे। उनके स्वर्गवास के पश्चात उनकी धर्मपत्नी श्रीमती तेजवन्ती कुंवरी एवं अनुज श्री हरिकान्त प्रसाद सिंह जी ने ३०० वीघा जमीन एवं कुछ रूपये का दान देकर पटना शहर में ठाकुर प्रसाद सिंह कालेज की स्थापना की है जो वहां चल रहा है।

आपलोगों ने ८० बीघा का दान बड़हिया में कन्या पाठशाला की स्थापना के लिये भी दिया है। परन्तु यह काम चालू नहीं हुआ हैं।

अंचल :

बड़हिया नागरिक क्षेत्र माना जाता है। अधिसूचित क्षेत्र के नाते गणना विभाग ने भी इसे तीसरे दर्जे का शहर मान लिया है। उनकी परिभाषा के अनुसार एक लाख से उपर की जनसंख्या के नगर को प्रथम, पचास हजार से ऊपर वाले को द्वितीय एवं बीस हजार से ऊपर वाले को तृतीय श्रेणी का नगर माना जाता है। इस कारण यहां सरकारी ग्राम पंचायत स्थापित नहीं हो सकती हैं। अचल कार्यालय २० दिसम्बर, १९६० ई० से कायम है। पहले लक्खीसराय अंचल के अधीन रखा गया था। जमींदारी उन्मूलन के पश्चात बड़हिया ग्राम से अंचल कार्यालय को वार्षिक नकदी आमदनी ४,७३,५०४.५७ रूपये प्राप्त हुई है।

बड़हिया केन्द्रीय सहयोग समिति :

बड़हिया थाना सहयोग समिति के नाम से एक सहयोग समिति की स्थापना १९४७ में हुई थी। Co-operative Societies के अधीन इसका निबंधन करा लिया गया था। पचीस हजार रुपये की पूंजी से इसका कारवार शुरू हुआ। १९५१ तक पूंजी के सभी रूपये हिस्सेदारों को देकर भी कुछ रूपये और माल वच रहा था। आपसी कलह और द्वेष ने इसको समाप्त किया। इसका अध्यक्ष मैं ही था। १९५१ के २१ अप्रैल को मैंने अध्यक्ष पद को त्याग दिया। समिति वन्द हो गई। परन्तु सहकारिता विभाग ने इसके Liquidation या इसके पुनर्गठन की कोई कार्यवाही नहीं की। १९६२ में इसके इनकम टैक्स के बकाये के तीन सौ वेरानवे रूपये पच्चास पैसे मेरी मर्जी के विरुद्ध वसूल कर लिये गये। उसकी वसूली के लिये मैंने मोकदमा दायर कर रखा है तो १९६७ में Liquidation की कार्यवाही शुरू हुई हैं। किन्तु कुछ हो नहीं रहा है। एक सुसंगठित एवं सुव्यवस्थित सहयोग समिति के लिये यह निःसन्देह उपयुक्त क्षेत्र है।

हाई इंगलिश स्कूल,विस्तृत प्रांगण, शांत कक्षाएँ

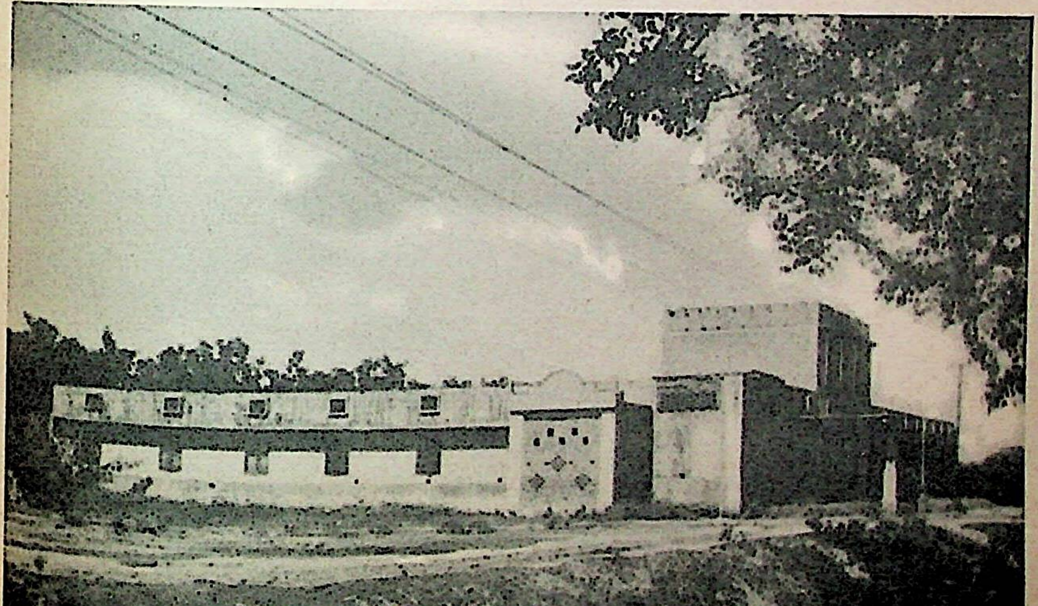

श्री बद्री नारायण—मुक्तेश्वर कालेज

बद्रीनारायण मुक्तेश्वरनाथ कालेज :

स्वर्गीय विलायती वाबू के सुपुत्र श्री मुक्तेश्वर नाथ सिंह जी के असमय स्वर्गवास से स्थानीय जनजीवन की वास्तविक क्षति हुई। इस कम उम्र में भी उनके शील और विवेक की प्रशंसा होने लगी थी। एक कालेज की स्थापना करने की हार्दिक इच्छा अपने साथ वह लेते गये तो; उनके परिवार की ओर से एक लाख रुपये से अधिक का दान देकर कालेज की स्थापना २९ जुलाई १९५८ को हुई। विश्वविद्यालय से शीघ्र हीं इसे मान्यता प्राप्त हुई और डिग्री कालेज की पढ़ाई हो रही है। अभी २०० के करीव छात्र हैं। इसकी स्थापना का श्रेय प्रधानतः उनकी धर्मपत्नी का है। इस कालेज की स्थापना में रामरीझन वाबू तथा मेरा पूर्ण सहयोग था।

इसकी स्थापना के पीछे एक कहानी है। स्वर्गीय श्री रामाश्रय वाबू ने भी ऐसे कालेज की स्थापना की इच्छा प्रकट की थी और २० बीघा भवन-भूमि का दान-पत्र भी मेरे नाम से १९५७ में लिख दिया था। मैं अभी आवश्यक सम्पत्ति की व्यवस्था कर नहीं पाया था कि यह पुण्यदान सामने आ गया तो मैंने रामाश्रय वाबू की भूमि उनके परिवार को वापस कर दी।

श्री रामवतार प्रसाद सिंह, धनराज ने, ३५ बीघा भूमि का दान देकर एक न्यास पर्षद कालेज की स्थापना के लिये कर रखी थी। यह न्यास पर्षद भी इस दिशा में कुछ कर नहीं सका था कि यह योजना सामने आ गई। रामावतार वाबू उक्त भूमिदान के अतिरिक्त कुछ खर्च करने को तैयार नहीं थे। अतएव वह दान भी विफल हो गया। वाद में उस दान भूमि की विक्री कर पैंतीस हजार रुपये की आय से रामावतार वाबू ने अपनी धर्मपत्नी के नाम से चन्द्रावती विद्यालय देवघर में स्थापित कर दिया हैं।

श्री रामावतार हाईस्कूल :

स्वर्गीय श्री रामावतार प्रसाद सिंह रामसेन की स्मृति में उनकी विधवा धर्म पत्नी श्री मती मनका देवी ने छप्पन बीघा जमीन एवं ५० हजार रूपया देकर इस स्कूल की स्थापना की है। स्कूल चल रहा है। किन्तु विद्यालय के उपयुक्त भवन एवं वातावरण का अभाव है। आप उदार महिला पटना जिलान्तर्गत सरमेरा थाना के ग्राम प्यारेपुर के वाबू गौरी दयाल सिंह की सुपुत्री हैं। चौदह बीघा भूमि आपने गुरू पुरोहित पण्डों को भी प्रदान की है। द्वारिका, मथुरा इत्यादि तीर्थस्थानों में जाकर पाण्डों के घर बनाने में सहायता दी हैं।

हाई इंगलिश स्कूल वड़हिया

यह संस्था आधुनिक शिक्षा का स्थानीय प्राचीनतम माध्यम है। सन् १९१२ ई० में एक लोअर प्राइमरी पाठशाला वड़हिया वाजार में स्थापित हुई। सन् १९१३ में इसे Midde English school का दर्जा दिया और रेलवे स्टेशन के सड़क पर इसका निज भवन सन् १९१४ में बना। तत्कालीन जिलाधिकारी Mr. Jhonston

ने शुभारंभ किया। १९२६, २७ में यह हाई स्कूल में परिणत हुआ। इसके छात्रावास और खेल का मैदान ई० निजी हैं। इस तरह नई रोशनी को फैलाने वाला, इस गांव के सभी शिक्षितों के गुरु स्थान होने का गौरव इस संस्था को है।

स्थानीय दो माड़वाड़ी समृद्ध परिवार जगनानी एवं वड़ोलिया के दान से इसके भवन निर्मान की व्यवस्था हुई। भूमि स्थानीय वावुओं के दान से मिली। भूमि पर्याप्त और उपयुक्त है। भवन विशाल एवं भव्य है। दिनानुदिन खर्च के लिये स्थानीय किसानों से उनके अन्न की विक्री की कीमत में से दो आना प्रतिशत ये माड़वाड़ी और व्यापारी 'खरीद कर' ले लिया करते थे और करते हैं। इसे वे वीती (वृत) के पैसे कहते हैं। इस पैसे का संग्रह माड़वाड़ी भाइयों के जरिए होता रहा है। कालान्तर में वे अपने को स्कूल का स्वामी ही मानने लगे और भूमिहारों को सदस्यता प्रदान करना भी नहीं चाहते थे। १९३० के राष्ट्रीय आन्दोलन ने स्थानीय जनता को अपने अभिमान एवं अपने अधिकार पहचानने की शक्ति दी। स्कूल के अध्यक्ष जगनानी परिवार के हुआ करते थे। वह और एक मात्र भूमिहार सदस्य दोनों ही तीव्र राजभक्त थे। इस कारण १९३४ आते-आते यह विद्यालय स्थानीय जनता के रोष का पात्र वना। फलतः प्रबंध समिति में क्रान्ति आई। माड़वाड़ी समाज ने असहयोग धारण किया। १२ मई १९३५ को इसका प्रबंध मेरे हाथों में सौंपा गया। मैं मंत्री हुआ। गांव के श्री वद्री नारायण वाबू, श्री श्याम किशोरी वावू, श्री रामाश्रय वावू, श्री राजेश्वरी वावू ई० भी सदस्य हुए और आर्थिक सहायता भी करने लगे।

१९३६ के १६–१७, फरवरी को इसके पारितोषिक वितरण उत्सव में सरगणेश दत्त सिंह बिहार सरकार के मंत्री लाए गये।

१९३७ में एक संतलाल चौधरी, प्रधान अध्यापक नियुक्त हुए और शीघ्र ही भूमिहार सदस्यों के वीच घोर मतभेद एवं वेमनस्य खड़ा हुआ। मामला कांगेसी शिक्षा मंत्री तक पहुँचा। शिक्षा विभाग के संसद-सचिव १९३८ के १० जनवरी को जांच के लिये आए। ३० जनवरी १९३८ को सरकारी आदेश आया। तदनुसार प्रबंध समिति भंग कर दी गई। सदर अनुमंडल पदाधिकारी इसके अध्यक्ष एवं मंत्री पदेन नियुक्त किये गये। मैं ने इसे अपमान जनक मानकर छोड़ दिया। प्रधान अध्यापक संतलाल चौधरी भी हंटाए गये। प्रतिष्ठा की लड़ाई लड़ने वाले भूमिहार सदस्य भी हंट गये। स्कूल पुनः माड़वाड़ी समाज और अधिकारियों के हाथ में चला गया।

उपरोक्त एक कॉलेज, दो हाई स्कूल के अतिरिक्त यहां दो तीन माध्यमिक विद्यालय हैं। उनमें से एक श्री कृष्ण माध्यमिक विद्यालय हाहा वंगला में चलता है जिसके सफल संचालन का श्रेय श्री रामधनी सिंह जी को है। कुछ प्राथमिक शालाएं हैं।

मेरे प्रायास से १९३६ में ही एक लोअर प्राइमरी कन्यापाठशाला मेरे माकान में स्थापित हुई थी जो जिला बोर्ड की सहायता से अभी तक चल रही है। किन्तु कुछ वर्ष से श्री हरिकान्त वाबू के एक मकान में कार्य कर रही संभवतः कुछ आर्थिक सहायता भी उनसे मिलती है।

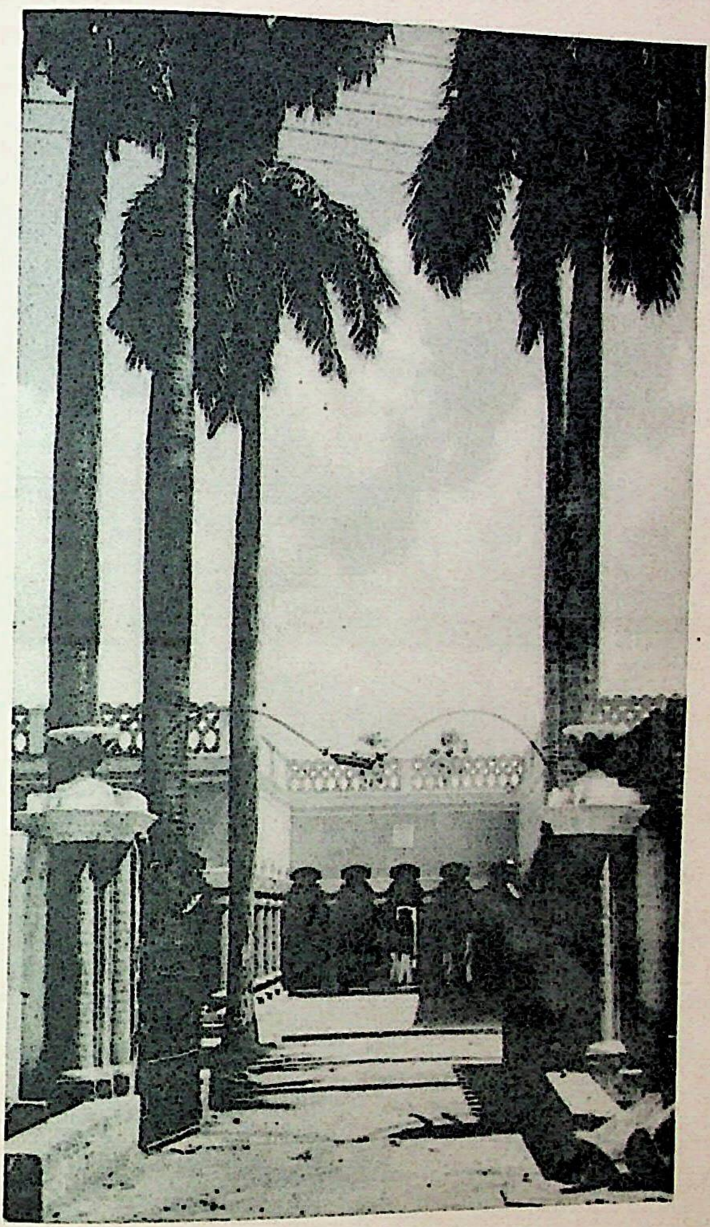

हाई इंगलिश स्कूल—भवन का मुख्य द्वार

ज्ञान भारती :

मेरे प्रयास से स्व० श्री रामाश्रय वाबू की धर्मपत्नियों–श्री मती देवव्रत एवं श्रीमती मालती देवी ने एक एकड़ अंठानवे डिशमिल भूमि का दान "ज्ञान भारती" के लिये दिया है। वड़ी ही उपयुक्त एवं सुडौल भूमि पटना-पथ पर अवस्थित है जो इस समय एक लाख रूपये की समझी जाती है।

इस भूमि पर ज्ञान भारती की स्थापना की योजना निर्धारित की गई है। इस योजना के अनुसार तीन संस्थाओं की स्थापना प्रस्तावित है।

१, वाल विद्यालय, वालिका विद्यालय, शिशु सदन। इसके शिशुसदन का काम अप्रैल १९६८ को रामनवमी के दिन से शुरू हो गया है। इस समय वहां १५० छात्र–छत्राएं हैं। इन्हें मांटेसरी और किंडरगार्टन पद्धति से शिक्षा दी जा रही है। अध्यापक सव उंचे वेतन पर उचीं योग्यता के हैं। दो अध्यापक मांटेसरी शिक्षण प्राप्त हैं। प्रधान अध्यापक सुरेश मिश्र अपनी योग्यता, परिश्रम, उत्साह एवं कल्पना शीलता के लिये विशेप उल्लेखनीय हैं।

७ अप्रैल १९६८ को विद्यारंभ सोलह छात्रों के साथ तत्कालीन कलेक्टर श्री विनोद कुमार आइ० ए० एस० एवं उनकी धर्मपत्नी सुशीला देवी ने प्रारंभ कराया था। वालिका विद्यालय का कार्य अभी शुरू हुआ हैं। इसका नाम करण उपरोक्त दाता देवियों के नाम पर देवव्रत मालती कन्या विद्यालय रखा जाने का निर्णय हुआ है।

महन्त रामविहारी शरण न्यास पर्षद ने पचीस हजार रूपये के दान से उनके नामपर वाल-विद्यालय वनवाने का संकल्प किया हैं एवं मासिक खर्च भी २००, रूपये देना स्वीकार किया है। वास्तव में ज्ञान भारती के संकल्प और स्वप्न को शुरू करने एवं पूरा करने का श्रेय इसी सस्था का है।

ये तीन विद्यालय ज्ञान भारती की शाखाएं होंगे। इसके दाताओं ने वड़े उल्लास एवं समारोह के साथ ७ नवम्वर १९६८ के दिन अपने-अपने प्रस्तावित भवन का शिलान्यास उक्त भूमिपर क्लेक्टर श्री अरूण प्रसाद जी आई० ए० एस० की अध्यक्षता में कर दिया।

ज्ञान भारती का सचालन एक सुयोग्य रजिस्टर्ड संचालन मंडल के अधीन है। सकल्प है कि इस संस्था के द्वारा केवल उच्च और उचित शिक्षा का प्रचार ही नहीं वरन चरित्र गठन और प्रतिभाओं के विकास पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए।

इस प्रकार इस नई संस्था का कार्य उत्साह पूर्ण वातावरण में शुरू हुआ है और भविष्य उज्वल है। परन्तु, दाताओं के प्रदत्त वचन के अनुसार अभी सहायता प्राप्त होने में विलम्ब हो रहा है जिस कारण प्रगति में शिथिलता है।

१९७२ में उपरोक्त उदार देवी श्री मती मालती जी ने तीस हजार रूपए का दान देकर भवन-निर्माण प्रारंभ कर दिया है। और रामाश्रय न्यास पर्षद ने भी तीस हजार रुपए की नगदा सहायता प्रदान की है। किंतु अन्य दाताओं का वचन-दान अभी निष्फल ही हो रहा हैं। इस शिशुसदन के छात्रों के परीक्षाफल, अनुशासन, चारित्र सराहनीय हैं। अव इस सस्था का नाम रामाश्रय मालती ज्ञान भारती रखा गया है।

अध्याय — १५

पुराने दस्तावेजों की जबानी

अध्ययाय—१५

पुराने दस्तावेजों की जबानी !

बड़हिया ग्राम में यह परिवार ५००/७०० वर्ष पहले आकर वसा था और आते ही वे भू संपत्ति के स्वामी हुए। जाति के ब्राह्मण थे ही। अतएव साक्षरता भी पुरानी है। इनके पास अभी भी पुराने कागजात उपलब्ध हैं, परन्तु भरपूर चेष्टा करने पर भी हम वे कागज नहीं देख सके हैं, इस, मामले में इनकी शंका और संकीर्णता एक बाधा है तो दूसरी ओर हमारा खर्च एवं समय का अभाव। अतएव इस विषय का अध्ययन अधूरा ही है और इसलिये निष्कर्ष भी अनिश्चित ही समझे जायंगे। अपने ही परिवार के कुछ कागज या कुछेक मित्रों से प्राप्त कुछेक कागजों का उल्लेख करने का प्रयत्न भर किया जाता है।

मिति ६ रमजान १०१६ फसली साल का एक पट्टा फारसी में है जिसका अंग्रेजी अनुवाद मुझे पटना हाई कोर्ट के First Appeal No. ३२६, ३३२, ३३३ सन् १६४८ ई० के मिसल में देखने मिला है जो उसी मोकदमे की प्रदर्श संख्या ४ है।

अंग्रेजी में इसको Malikana Deed कहा गया है। इसे आज की वोली में हम वन्दोवस्ती का कबूलियत कह सकते हैं।

इस पर हस्ताक्षर चौधरी इन्द का है। उन्हीं की ओर से यह लिखागया है। एक ही गवाह धनपत राय का हस्ताक्षर है। दूसरा हस्ताक्षर हैं "वाकलम धर्मराय कानूनगो" अर्थात कागज के लिपिकार हैं यह। कानूनगो उनदिनों राजस्व विभाग के स्थानीय सर्वाधिक महत्वपूर्ण अधिकारी थे।

चौधरी इन्द अपने को "मौजे वड़ही—पाली, प्रगना मलेमावाद दरून सरकार और सूबा विहार के महाल काहचराय के बारहवां हिस्से का मालिक" वतलाते हैं।

इससे मालूम हुआ कि उस समय इसके नाम में ताजपुर नहीं शामिल हुआ था। संभव है तबतक ताजपुर आवाद नहीं हुआ हो। उसी समय इस गांव के बारह मालिक कायम हो चुके थे। एक समूचा महाल ही 'काह चराय' यानी कास नामक घास से भरा था जो गैर आबाद रहा होगा और चराय के काम आता था। बड़ही विहार सरकार एवं सूबा के अन्दर था। चौधरी इन्द अपने नाम में ठाकुर, राय, सिंह ईत्यादि कोई उपाधि नहीं लिखते हैं।

एक शर्त है कि "वकिए ग्यारह हिस्सेदारान मालिकान को हर साल मालगुजारी दे दिया करेंगे"। अर्थात ये १२ मालिक पूर्ण मालिक (Full Properietors) उस समय हो चुके थे। उनको माल गुजारी देना

कबूल कर एक हिस्सेदार ने खास दखल में ले लिया। अवश्य ही ऐसा सब की मंजूरी से हुआ होगा। इसीलिये इसको 'मालिकाना दस्तावेज' कहा गया है।

इसकी अग्रेजी तारीख पड़ती है १६१२ ई० अर्थात सम्राट जहांगीर के राज्य-काल के (१६०५–१६२७) शुरू का समय।

चौधरी इन्द, चौधरी प्राण ठाकुर के पांचवीं पीढ़ी के वंशज थे। चौधरी प्राण ठाकुर के ऊपर पृथु ठाकुर तक की वंशावली प्राप्त नहीं हुई है। इस तरह चौधरी इन्द को आज से १९७२-१६१२=३६० साल तो अवश्य हो चुके।

उसी मोकदमे को प्रदर्श संख्या ५ का कागज इसी का पट्टा है जो उसी मिति का लिखा है। इसे "कौलकरार पट्टा कबूलियत चौधरी इन्द मालिक वारहवां हिस्सा" कहा गया है। यानी Agreement and lease किसी नवाव (नाम पढ़ा नहीं जा सका है) के नाम से उनकी ओर से कर्मचारी आमील सदानन्द ने लिख कर दिया। "वमोहर सदानन्द आमील"। मालूम होता है आमील का दर्जा कानूनगो के उपर था और जमीन वन्दोवस्त करने का अधिकार उसे प्राप्त था। इस पट्टा में स्पष्ट लिखा है कि यह वन्दोवस्त १०१९ साल से "वरजानामा चौधरी रामचरण घनराज वगैरह मालिकान कुल तरफान". लागू होगा।

स्पष्ट है कि उस समय भी ये दोनों मालिक ही प्रमुख थे। इनके नामों में भी सिंह, ठाकुर ईत्यादि की उपाधि नहीं लगी थी।

जमा सालियाना था १६५ रु० ११ आना ३ पैसे। शर्त था कि बिना झंझट के हर साल फसल लेकर किश्त के मोताबिक लगान अदाय किया जायगा।

"नहर, फौजदारी, वेलदारी, नजराना, वसिवाय, अखरेजात कानूनगो, वगैरह" अलग देने की पावन्दी थी। इस तरह तत्कालीन भू व्यवस्था संबंधी कुछ वातों की भी जानकारी मिलती है।

पुलिस, आवपाशी, कानूनगो ईत्यादि के खर्च की जिम्मेवारी जमीन्दारों के जिम्मे रहती थी।

उन्नीसवीं शताब्दी के ६५ दस्तावेज देखने मिले हैं। १८०४ ई० से १८९८ ई० तक के ये दस्तावेज हैं। इनके अवलोकन, अनुशीलन एवं अध्ययन से विविध विषय संबंधी विविध बातों की जानकारी प्राप्त होती है। वंशावली, भाषा, वोली, लिपि, दासप्रथा, अनेक अन्य रीतिरिवाज, प्रचलित विश्वास एवं इतिहास की बातें प्रकाश में आती हैं। समाज अध्ययन की प्रचुर सामग्री का विशाल भंडार ऐसे दस्तावेजों में भरा पड़ा है जो स्थानीय परिवारों के पास अनेक शताब्दियों से पड़े हुए हैं।

दास प्रथा :

दास प्रथा से संबंधित करीव २० दस्तावेज उपलब्ध हैं। ये १८०४, १८१८, १८२१, १८२३, १८२५

१८३६, १८४५, १८४७, १८५०, १८५१, १८५६, १८५७, १८६०, १८६४, १८६६, १८७०, १८७८, १८८५ ई० के हैं। इनके क्रमिक अनुशीलन से इस प्रथा की अच्छी झांकी मिल जाती है।

कुछ नमूने प्रस्तुत किये जाते हैं :—

(१) १८०४ ई०

"वीकरीता (वेचनेवाले) के नाम राजीवनैन मिसीर"

कीनास्थी (खरीदने वाले) नाम फतेह वोझा।

वीकरीता (विकने वाली) छौड़ा सुमेरिआ जाति धानुक उमुर छौड़ा वरख पचीस। ताके छौड़ा के मोल मरदा मरदी वेआलीस रुपया ४२। सीका चलन पेआरा।

छौड़ा सुमेरिया क रंग सामता।

वीकरीता खोस रजाय कीनारथ क मनोमान :

राज सिंघासन के साकरखन।

जत काम नफर क होय तत काम करै।

जुठा खाय जुठा धोये चौका करे।

तील गुड़ पीढी मरदन गोत्र गोत्र निवारन। सन् १२११ साल चैत दुजा सुदी एकादशी रोज शुकर संवत १८६१ साल।

(२) सन् १८१८ ई०

वेचनहार क नाम शींभूदत्त औ शंकर दत्त मिसीर।

वीकरीता क नाम छौड़ी सुकनी जाति धनुकानी औ छौड़ा झमना जाती धानुक सुत खगिआ जाति धनुकाइनी औ छौड़ा फकीरा जाति धानुक सुत छौड़ा सुकनी जाती धनुकाइनी, जमा प्रानी तीनी जीव सुकनी छौड़ी क उमुर वरीस उनतीस २९ और रंग गहुम औ झमना छौड़ा क उमुर पचीस २५ औ रंग सेआह औ फकीरा छौड़ा क उमुर वरीस नौ ९ रंग सामता सुकनी छौड़ी औ झमना छौड़ा और फकीरा छौड़ा तीनो प्रानी क मोल मरदामरदी वेचनहार क औ लेनीहारक मनोमान एक सौ उनतीस रूपया सीका चलन पेआरा १२९, अपना खोस रजाय सो तीनो प्रानी के वेचल रूपया भरी लेल एक सौ उनतीस १२९ सीका खटकेसर उधारना सीका।

तील गुड़ दुध पीए और जत काम दास-दासी क हेत त काम छौड़ी औ छौड़ा करे। जुठाय थारी धौवे गोवर काढ़े छौड़ा हर जोते कोदार पारे पहर राती पहिला और पहरराति पीछला काम टहल करे हाजीर रहे। कदाय राज सिंहासन जाय के सकर खन के लावे। मीती फागुन वदी ९रोज १ सन् १९२५ साल

(३) सन् १८२१ ई०

लि० वहोर धानुक

आगे नरींन्द सिंह मालिक

तिन्हका से हरवाही लगुअई पर वारह रुपया वे सूदी लेल। १२, रुपया लेकर अकरार दस्तावेज अपना खोसी से लिखी देल।

हर जोतीअ, कुदार पारीअ, छोरन करीअ, हाजिर रहीअ।

बमोजिब सरीसता के लगुअईक मजुरी अपना लेल करीओ कदहीं हरवाहीं गैरह काम टहल हरकत नहीं करीअ। अगर हरवाही हरकत करीअ तो एक हर का जोत का पैंदा क नीशा करीअ वे उजुर। औ जौन साल रुपया देइक मकदूर होय कातीक का हरवाही लगाय के तैयार होई। औ खेर खरही कटि दीअ। तद पूस मों एक मुश्त वारह रुपया सीका भरी दिअ। १२। दस्तावेज फेरि लीअ। हरवाही छोड़ी दीअ। कदहीं वगैर कातीक का हरवाही लगावला वेदुन दरमयान मों रुपया नहीं परै और हरवाही नहीं छुटै। सानी हाल सो हम कौनहू बात क उजुर तकरार करीअ तो अदालती मों हम झूठा होई। दस्तावेज व सही गवाही सो अव लिखी देल के वक्त काम के काम आवै। मीती माघ बदी अष्टमी रोज बृहस्पत सन् १२२८ साल संवत १८७७ साल।

(क) स्पस्ट है कि सन् १८०४ और १८१८ ई० के उपरोक्त दोनों दस्तावेज दास दासी की बिक्री के हैं। किन्तु यह दस्तावेज विक्री का नहीं होकर दास के सूद भरना का है। तो क्या दोनों ही प्रथाये चालू थी?

(ख) विक्रय पत्र का नाम 'मरदामरदी' एवं सूदभरनां का नाम 'हरवाही लगुअई' द्रष्टव्य है। लगुआ शब्द यहां अभी तक प्रचलित है। इसका अभिप्राय होता है attached उनका यह लगुआ है। वह व्यक्ति जो किसी से अपना निर्वाह पाता है और उनका प्रत्येक काम करने को तैयार रहता हैं।

(ग) तिल गुड़ पीढी या तिल गुड़ दूध पीने पीलाने की कोई प्रथा थी, यह भी ध्यान देने की वात है। अभी भी मकर संक्रान्ति के दिन दूध, तिल खिलाने बाले दावी करते हैं कि खाने वाला सदैव कृतज्ञ रहेगा।

(घ) खरही काटने का उल्लेख भी ध्यान देने योग्य है। मालूम होता हैं उस समय तक खेतों में खरही, काश आदि, पैदा हो जाता था, अभी पूरा आबाद नहीं हुआ था और खड़ को साफ कर, कास को साफ कर अनाज बोया जाता होगा। कागजों से मालूम होता है कि यह काम अघहन में होता था। तब जमीन पानी से ऊपर होती थी।

(च) बिना लिहाज उम्र के दासी को छौड़ी और दास को छौड़ा कहा जाता था।

(४) १८२३ ई०

ली० मीतन सिंह·······

मालिक हीसेदार मौजे रामचन्द्रपुर…………आगे हम…………मालिक मौजे मराची ताजपुर के साथ भुखनी छौड़ी सुत मोहिनी नौड़ी जाति कहारीन को एकतालीस ४१) रुपया कीमती कैल लेकर बैअकरार कैला तीस मो० सोलह रुपया भरी पावल। १६ बांकी पचीस रहल। तीसका अकरार कैल जो आधा अगहन मों वे केवाला कै देही तो पचीस रुप २५ भरी लेही। आगे बैजे ने करदीह तो……………अदालती मों रुपया जमा कर देही हम………वेउजुर जमा कर देही लाकलम ता० १५ कातीक सन् १२३१ साल।

मन्तव्य : दास प्रथा सबंधी यह तीसरे किस्म का कागज "वेय अकरार" (विक्रय अनुबंधी Agreement to sell या या अहद नामा है।

(५) सन् १८३६ ई०

एक हरवाही कागज का नमूना अवलोकनीय है जिससे प्रकट है कि हरवाह के पेशा या योग्यतानुसार उससे लिये जाने वाले काम का उल्लेख किया गया है :

लि० नन्हु कांदू………

आगे नरसिंह, हनुमान सिंह, भैहरन सिंह, छत्तर सिंह, झंडु सिंह, मालिकान मौजे बड़ही तरफ धनराज प्रगने मजकूर तिन्हका बांकी हमारे जीमे कीता दूधपनियाँ टाल मौजे बड़ही तरफ धनराज का बांकी हमारे जिमें एवतदाव सन् १२५३ साल लगायत १२५४ साल दोनों वरीस का वांकी हमारे जीमे तेरह रूपया चौदह आना १३ ।।। = अजरू पटा कबूलियत के भया तीस रुपया मो० हम अपना खोस रजाय सो दस्तावेज हरवाही का हम अपना लीख देल जे हरजोती कोदार पारी केरावनी करीं गैल के सानी दीअ, वो भूसा खिलावी छावनी छपर करी, वो खपरा का काम करी वो सुतीहारी दीवाल का मट्टी रखी जितना काम हरवाही लगुआई का होय सो वमोजीव रसदी हीसा के मालिकान मजकुरीन या काम टहल मोहाजीर रही कैल करी बमोजीव सीरीशता बस्ती के अढ़ाई सेर कच्ची वोजन चउदह गंडा के सेर सो मजदूरी लेल करी अगर हर हरकत करी और दुसरा काम हरकती करी या गैर हाजिर कोई काम मों रही तो जिसका करार लिख देल जो दूई आना का रोज के हिसाव से देना करी जव एक मुस्ती से रुपया देन का मतलव होइ तो कातीक लगाय के अगहन मो खेर खरही काटि सावै लाय के रुपया भरी दीअ तव हरवाही का काम छोड़ दीआ दस्तावेज हरवाहा का फेरी लीअ वेउजुर एई दस्तावेज हरवाही का वसही गवाही सो लीख देल जो वबूत काम के काम आवै तारीख १३ माह अगहन सन् १२५५ साल।

मन्तव्य : इसके महाजन धनराज के आठ आना के मालिक थे। सब एक साथ ही खेत दिए हुए थे।

(६) सन् १८४७ ई०

"आगे मोसमा जीतुआ छौड़ा नफर अपना कोम कहार वउमुर तकमीनन उनईस वरीस रंग सामवा वहीना हाथ मों गोटी का दाग वामा कर छाती में मासा सुत पुरन कहारनी ववसा व कीमत मोबलीग एकेइस रुपया

कंपनी पर वेचा २१, गैला कालामी अपने खोस रजाएशों लिख दिया कीमत नफर मजकूर का एकेइस रुपया कंपनी खरीदार सों भरी लिया अपना तसरूफ मों पाया जो काम गुलामी का हैं सो काम नफर मजकूर खरीदार के यहां किया करैं हम को अन्न उस गुलाम से कुछ सरोकार नहीं हम इआ हमारा वोरसान कदहीं कालु खरीदार से, इआ खरीदार के बोरसना से दावा नहीं करैं अगर करहीं कालू हम याइआहमारा बोरलान उस नफर पर दावा करें तो अदालत सभा से झूठा होई इस वास्ते यह चन्द कलमैं गैला कालामी के लिख दिया जो सानीन हाल मों काम आवै तारीख १७ माह पूस रोज शुकर सन् १२५५ साल

मन्तव्य : दास प्रथा संबंधी यह दस्तावेज विशेप उल्लेखनीय है। भाषा इसकी ज्यादातर शहरी या वाजारु हो गई है। प्राचीन हिन्दी स्थानीय शब्द लुप्त हो गए हैं। उर्दू शब्द आ पहुंचे हैं। तिल गुड़ दूध ई० की प्रथा लुप्त हो गई। कानूनी मसविदे का रूप भी आ गया है। दास के स्थान पर गुलाम शब्द का प्रयोग है। उसके कामों के उदाहरण या ब्योरा नहीं है। 'मनोमान' 'मरदामरदी' ई० पारिभाषिक शब्दों का वहिष्कार हो गया है।

(७) सन १८५० ई०

के भी एक "हरवाही लगुअई दस्तावेज से मजदूरी का दर चौदह गंडा के सेर से ढ़ाई सेर मजदूरी हो जाना वमौजीव सिरिशता वस्ती" सावित होता है। तीनहका कीमत मरदामरदी एक 'हरबाही लगुअई', 'तमसुक नउरी' या 'सूदभरना' दासी के कागज २२ भादो १२९२-१८-५ ई० तक के उपलब्ध हुए हैं। किन्तु दास की विक्री का कागज १८५६ ई० के वाद का नहीं मिला है। इससे दास प्रथा के इतिहास के अनुशीलन में संभवतः सहायता प्राप्त होगी।

(८) सन १८५६ ई०

मिति ३ माह भादो रोज मंगल सन् १२६३ साल के एक दस्तावेज में भी 'मर-दामरदी' वैसा ही मजमून है।

इसके बाद दास-दासी की विक्री का कागज नहीं मिला। उसके वाद 'हरवाही' 'लगुगई' 'तमसुक गिरवी' आदि के कागज मिले हैं। इनमें रुपया वसूल होने तक उसी प्रकार काम सब करने का कौल करार हैं। परन्तु गोत्र-गोत्र निवारण की जरुरत नहीं है और नहीं राज़ा सिंहासन–संवंधी शर्त है।

भारतीय दन्ड संहित Indian Penal code १ जनवरी १८६२ ई० से लागू हुई। इसकी धारा संख्या ३७० एवं ३७१ के द्वारा दास प्रथा प्रत्येक रूप में दंडनीय कर दी गई और उसके फलस्वरूप इस प्रथा के विनाश का श्रेय भी वृटिश सरकार को ही कृतज्ञता पूर्वक देना उचित है। इसी कारण १८६० के बाद दास प्रथा का कागज उपलब्ध नहीं हैं। चूंकि दण्ड संहिता ६ अक्टूबर १८६० ई० को प्रकाशित कर दी गई थी। यद्यपि इसे चालू १८६२ के प्रारंभ से किया गया।

इसे दण्डनीय अपराध किये जाने के वाद इसे हरवाही, लगुआई, हरवाही - गिरवी इत्यादि का रूप दिया जाने लगा और इस प्रथा का सर्वतोरूपेण उच्छेद बीसवीं सदी के पूर्व चतुर्थांश तक हो सका।

इस दास प्रथा के अनुसार व्यक्तियों को घरेलू एवं खेती के काम के लिये मोल लिया जाता था। पशु या स्थावर संपत्ति के समान ही उस व्यक्ति की स्थिति होती थी। सभी प्रकार का प्रभुत्व उसपर क्रेता का था। दास की स्थिति, मर्यादा या व्यक्तित्व नहीं था। दासता वंशानुगत थी यानी उसकी संतान पर भी स्वामी का प्रभुत्व रहता था। स्वामी की इच्छा के विना वह कभी मुक्त नहीं हो सकता था। उसके उपार्जन पर भी स्वामी का ही अधिकार था। स्वामी की इच्छा के प्रतिकूल उसकी संपत्ति भी नहीं होती थी।

कन्यावध, सती प्रथा, छूआछूत की तरह ही यह मानव जाति का भयंकर कलंक था। इन दस्तावेजों से जाहिर है कि वे केवल १०/२५/५० रुपये में विक जाते थे। कितना सस्ता था मानव केवल एक सौ वर्ष पहले तक? छूआछूत की भावना के कारण स्पृश्य जाति के व्यक्ति कहार, धानुक ही खरीदे जाते थे। अस्पृश्य नहीं।

नोट :–एक दस्तावेज वड़हिया का नहीं घोरचरामा गांव का है जो आधुनिक विहारशरीफ शहर के पास है। इसकी चतुर्सीमाएं ध्यान देने योग्य हैं। दास प्रथा सबंधी इस विक्रय पत्र की भाषा एवं प्रथाएं वड़हिया के समान ही हैं।

भाषा लिपि :

ये १८०४ ई० से १८९८ ई० तक के सभी ६७ दस्तावेजों में से ६५ कैथी लिपि में हैं। स्पष्ट है कि देवनागरी लिपि का प्रवेश गांवों में १९ वीं शदी के अन्त तक नहीं हुआ था। उन्नीसवीं सदी के पूर्वार्द्ध के कागज की भाषा मैथिली और स्थानीय वोली के सम्मिश्रण में है। कहीं-कहीं संस्कृत के तत्सम् शब्द भी हैं जैसे 'तस्य' इत्यादि।

मुगल साम्राज्य के अन्त १८५८ ई० तक भी उर्दू फारसी भाषा या लिपि का प्रवेश इन ग्रामीण व्यवहार और कागजों में नहीं हुआ था। यद्यपि सात-आठ सौ वर्ष वे राज्य कर चुके थे। यह सांस्कृतिक एवं भाषा विज्ञान के इतिहास का एक मनोरंजक विषय है। उर्दू भाषा और फारसी लिपि का अत्यधिक प्रचार अंग्रेजी राज्य के प्रारंभिक काल में ही हुआ। संस्कृति किस तरह धीरे-धीरे कितनी देर से जमती और उखड़ती है, इसका प्रमाण इस घटना से मिलता है। उन्नीसवीं शदी के उत्तरार्ध में मैथिली को धक्का देकर उर्दू फारसी अपना स्थान वनाने लगी। आज से १००-१२५ वर्ष पहले तक मैथिली भाषा की शब्दावली एवं क्रियापद का प्रयोग शत प्रतिशत तक पाया जाता है। मगध के भीतर होते हुए भी ऐसी वोली का पाया जाना हमारे मैथिल होने का यह पक्का प्रमाण है। इन कागजों में उपर्युक्त कुछ शब्द ध्यान देने योग्य एवं इन दिनों भी ग्रहण करने योग्य हैं।

बिक्रेता = वेचने वाला
किनार्थी = किनने, खरीदने वाला
बिक्रीत = विकने = वेचे जाने वाला

मोल मरदा मरदी = नर नारी की कीमत

सिक्का चलन प्यारा = प्रचलित सिक्का

मनोमान = अनुबंध

सुत = पिसर

दास

दासी

छौंउड़ी

नफर

बेचन हार = बेचने वाला

लेनहार = लेने वाला

कदहीं = कभी-भी, कपापि

लगुआई = लगुआ वाला

अईठा = निरेठ

जूठा = उच्छिष्ठ

दूजा = द्वितीय

सिक्के कल्लेदार = विक्टोरिया के चित्रवाला रुपया

मुहर : १२५५ फसली (सन् १८४७ ई०) के पहले के कागजों में सचित्र मुहरों का छाप नहीं है। इनमें उभरे हुए सारे अक्षरों के स्टाम्प हैं।

सन् १८०४, १८१८, १८२१, १८२३, १८२५ के मुहरों में लेख फारसी, बंगला, कैथी में हैं।

खजानै आमेरै। यह आमरै (अमटरा) समीपवर्ती अमहरा गांव का बंगला रुप है। जहां काजी की कचहरी थी।

संख्या। १, ७, १६, १८, २२, २५, २६, ३१, ४४, ४९, ५०, ५९, ६२ कुछ स्टाम्प के मुहरों के चित्र पाए दिए जाते हैं। इस कैथी लिपि में भी कई अक्षर के कई रूप हैं। यथा :

परमेश्वर	प्रमेश्व	ष = ध
पूर्वक	पुर्वक	ल = θ, ल
म	म ;ऽ	
न	न ;ऽ	
ठ	ठ ;ऽ	

वर्ष	वर्ध, वरीस
अ	S

कैथी लिपि के अक्षरों के माथा पर रेखा भी हैं; नहीं भी।

र =न ; Λ

ख =ष

उ =S

डी =डी

वो =पा

वेचल=; △ △c-/

रू =तु

या =या

S =c–

ड =c

शैली एवं प्रथा :

सन् १२६४ फसली : (१८५६ ई०) के दस्तावेजों में देवताओं एवं दिल्ली के सम्राट, प्रान्तीय सूबेदार, जिला, प्रगना एवं गांव तक के कर्मचारियों को स्मरण किया गया है। संवत, वर्ष, मास, पक्ष, तिथि नक्षत्र, इत्यादि का भी उल्लेख रहता था। अंग्रेजी राज्य (१८५७) के आते ही यह प्रथा लुप्त हो गई सी मालूम होती है।

कुछ नमूने :

सन् १८०४ ई०

(क) "श्री पातशाह आलम शाह जी"
श्री स्वस्ति प्रमेश्वर…………प्रमेश्वर इत्यादि
परम भटारक इत्यादि राजा वलि पूर्वक राजा
श्री वीर विमादित्य देव पधारन…………
वर्षं पाट तिथि दिवसानुक्रम काले काल संवत्सरे
यात्रा…………
बीर राज मान अश्वपति, गजपति राजा ते अधिपति
वादशाह स्थान दिल्ली स्त् मगध मंडल मगध मों
मगध अंतर गौड़ गौड़श्वर सुवाजाद
रिकेट साहव अंगरेज बहादुर मोकामा कचहरी

अजीमाबाद तस्य दीवान लाला खिरोधर लाल
जंबू द्वीपे भारत खंडे गंगा दक्षिण कुले
बिहारेंश्वशम पूर्व दिगे आमील भैरोलाल
मोकाम कचहरी बालगुजर प्रगने सलेमाबाद
सरकार सुबे बिहार तस्य चौधरी दलीप सिंह
मोकाम बड़ही तस्थ कानूनगो लाला भगवान सिंह
मोकाम धनारी……..

सन् १२११ साल मीति चैत दूजा सूदी एकादशी रोज शुकर संवत १८६१ साल

सन् १८१८ ई०

(ख) श्री बादशाह आलम पातशाह जी,
श्री गणेशाय नमः। श्री प्रमेश्वर इत्यादि। ईश्वर इत्यादि।
राजा बलबंत श्रीमंत वीर विक्रमादित्य देव पधारन।
……..श्री वर्ष मास पक्ष तिथि दिवस अनुक्रम
काले समाभीखमाने यात्रा……..संवत १८ सौ ७४ साल
समय फाल्गुन वदी नवमी रोज सोमवार अनुक्रम
काले प्रताप अश्वपति गजपति विक्रेता घटान
पंचानै इत्यादि अश्वपति गजपति……..
धर्म परायण नीशि नारायण पहाड़ जल जलित
विगलित मुक्ता फल देई अत्र हितारन समान
त्रयी उत्तर दक्षिण पूर्व गौड़ गौड़ेश्वर
गजनाधिपति श्री वादशाह मोकाम तरवत् दिल्ली
नगर पर्वत तस्य सूवा महाराजा कल्याण सिंह
बहादुर जी मोकाम थाने अजीमाबाद तस्य कलेटर
मनी साहब मोकाम कचहरी बांकीपुर गंगा दक्षिण
कुले जंबू द्वीपे भरथ खंडे तस्य मुंशी गोपाल लाल
मोकाम कचहरी, बांकीपुर तस्य तहसील हुजुर मोकाम,
कचहरी बांकीपुर तस्य कानूनगो हरि लोचल सिंह मोकाम
कसवे वरगुजर प्रगने सलेमाबाद लेन करन क नाम

दलजीत सिंह   पीसर उदित सिंह   वीन्त थानु सिंह
मालिक मीनजुमले मौजे बड़ही तरफ धनराज
प्रगने सलेमाबाद सरकार सुवे बिहार

मिति फागुन वदी ९ रोज सन् १२२५ साल

सन् १८२२ ई०

श्री स्वस्ति प्रमेश्वर इत्यादि परम मठारक इत्यादि
राजा वलवंत पुरमंत सोमंत राजा वीर विक्रमादित्य
देव पधारन ……वर्ष पंच……षोड़श इत्यादि
शुभ सवत अठारह सो अस्सी साल १८८० कृत शाखा
१७४६ पूरन ……कलुष हरन
अखपति नरपति राजा इत्यादि पति
राजा राजेश्वर दिक् दिगंम्वर वंक महीप वंक काशी वनारस
……उड़ीसा ……दवगिरि, मगध, कर्णाट, वंग
……उत्तर दक्षिण……
स्थान मोगलचक ता स्थान आगरा गजवल विराजित
चरण कमल……   पराजित……
जल जलित मन मतंग मन मनोहारी कर्पुरपुरी
तस्य उदन्तपुर……सूवे विहार सूवे कल्याण
सिंहजी ३ मोकाम अजीमावाद तस्य अमल अंगरेज
वहादुर गवर्नर साहव तस्य मोकाम कलकत्ता तस्य
जिलेदार मनी साहब मोकाम अजीमावाद तस्य दिवान
विहारी लाल मोकाम अजीमावाद तस्य चौधरी।
मीर वसालत अली जमींदार तस्य चौधरी
झड्डू सिंह……

सन् १८३६ ई०

श्री बादशाह आलम शाह साहेब
कम्पनी अंगरेज बहादुर साहेब

साहेब·········

साहेब कलेटर ।

उपर अनुसार विशेषणों के वाद उल्लेखनीय अंश इस प्रकार हैं—

दिल्लीपुर नगर वादशाही मोगल चक स्थित

लखत् दिल्लीपुर मजकूर

तस्य पूर्वं दिशा क्षेत्रराज प्रयाग

तस्य पछिम दिशा — वनारस

तस्य पूर्वं दिशा — शोणभद्र उत्तरतट

गंगायां दक्षिण कुले तस्य पूर्वं दिशा राजगुहक्षेत्रं

जंबू द्वीपे भरथ खंडे मगध मंडले

तस्य उत्तर दिशा सरकार सूवे विहार

बील विलायत हवाले कुल अहकाम वो तहसील

तस्य सुवे मोकाम कचहरी···· साहबगंज

तस्यं सभा मौजा घोसराम महाल अलतगमा

प्रगना हवेली विहार सभापति दोदराज सिंह (इत्यादि सात नाम)

सकल पंच सभापति मालिकान हिस्से वगैरह

मौजा घोसारवां······· कीनार थीक नाम··· ····

वो वोकरत नाम·········वो बीकता नाम

बधुआ छौंड़ा वेटा रुपिया कौम धनुकाईन के मोल मरदामरदी

खरीददार औ फरोशीनदार

मनोमान रुपया ११, सीका चलन प्यारा इत्यादि·········"

इन पुराने दस्तावेजों में, जैसा निवेदन किया जा चुका है, इतिहास, भूगोल, समाज के जिज्ञासु सुधी जनों के लिये प्रचूर सामग्री प्राप्त हैं।

परमात्मा, देवता, तीर्थ स्थान, सम्राट, उनके तमाम अधिकारी को स्मरण और नमस्कार करने की प्रणाली प्रचलित थी जो अंग्रेजी सरकार के Impersonal व्यक्ति-विहीन सरकार के आने पर बंद हुई।

अजीमाबाद पटना के महाराज कल्याण सिंह गवंनर, मनी साहव, रिकेट साहव इत्यादि कलेक्टर और सम्राट शाह आलम शाह बादशाह शानी अकवर शाह जी, कम्पनी अंग्रेज वहादुर साहव मिस्टर सीरन, मिस्टर, टकर ई० एवं अनेक कानूनगो, मुंशी इत्यादि के नाम से तत्कालीन इतिहास की कड़ियां मिलती हैं।

लखत् दिल्ली :

लखत् दिल्ली के साथ आगरा, नागपुर, करनाटक ई० के भी माने गये हैं।

बड़हिया बड़ही कबतक किस थाने, किस जिले, में इसके मुंशी, कानूनगो ई० कब कहां थे यह सबका पता चलता है।

मुसलमानी राज्य ११९४ ई० में शुरू हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक ने राज्य की स्थापना की और १५२६ तक इन पाठान वंशों का राज्य रहा अर्थात ३३२ वर्ष। १५२६ ई० में शाह बाबर सम्राट हुए और १८५७ ई० में अबुल मुजफर सिराजुद्दीन महम्मद बहादुर शाह द्वितीय जफर अंग्रेजों के द्वारा बंदी किये गये। इस प्रकार मोगल वंश का राज्य भी ठीक ३३२ वर्ष ही रहा। कुल ६६४ साल मुसलमानी राज्य रहा।

अबुल नसर मुईनुद्दीन अबबर शाह सानी (द्वितीय) के नाम से १८०६ से १८३१ तक सम्राट रहे। इनके पहले अलां गौहर शाह आलम १७५९ से १८०३ तक थे। इन्हीं दोनों के नाम इन दस्तावेजों में हैं। इनके पिता सम्राट अजीमुद्दीन आलमगीर द्वितीय, जो जहान्दरशाह का पुत्र था। जहान्दर शाह सम्राट औरंगजेब का पुत्र था। शाह आलम अपने पिता के विद्रोही थे अतएव बिहार बंगाल में गवर्नर होकर बहुत समय तक रहे थे। बाप बेटा के मनोमालिन्य और इनके लोभी स्वभाव एवं मूर्खता का लाभ उठाकर अंग्रेजों ने इन्हें राजी कर रखा था। आप ही ने १२ अगस्त १७६५ ई० के दिन बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवानी बन्दोबस्त २२ लाख रूपये के मालगुजारी सालाना पर अंग्रेजों को दे दिया था। आपके उत्तराधिकारियों ने आपकी आंखें फोड़वा दी तो आप General lake के शरणार्थी होकर १८०३ से १८०६ तक रहकर प्राण त्याग दिए।

गौड़गौड़ेश्वर :

इन कागजों में गौड़ गौड़ेश्वर का उल्लेख आया है। हिन्दी विश्वकोश के अनुसार गौड़ नाम से पांच स्थान प्रसिद्ध हुए। काश्मीर, प्रयाग, बरार, अयोध्या, बंगाल। बाद में मिथिला और बंगाल के बीच का प्रदेश इस नाम से प्रसिद्ध रहा। सेन और पाल वंश के राजाओं की राजधानी यहां कई शताब्दी तक रही थी। ये राजा अपना परिचय गौड़ेश्वर नाम से देते थे। पाल वंश नवीं सदी से १२ वीं सदी तक रहा। उनके पहले और समकालीन भी सेन वंश था। सेन वंश का प्रथम राजा विजय सेन ने ही राढ़ से आकर अपनी राजधानी गौड़ में स्थापित की थी।

इन दिनों मालदह जिले में गंगा के प्राचीन गर्भ में अक्षांश २४/५४ और देशान्तर ८०८ पू० में यह प्राचीन गौड़ अवस्थित था, जो बाघ-भालू का जंगल हो रहा है।

११९८ ई० में बख्तियार खिलजी ने इसे दखल किया और १६३९ तक यह मुसलमान शासकों का मुख्यालय रहता रहा था।

वड़ही गांव अवश्य ही इसी गौड़ेश्वर के अधीन भी कभी रहा ही होगा, जिसके अवशेष प्रभाव के कारण उनका स्मरण भी कर लिया जाता होगा।

वर विक्रमादित्य:

वीर विक्रमादित्य का भी उल्लेख आया है। यह कौन थे ? विश्वकोश के अनुसार भारत में कम से कम पन्द्रह विक्रम राजा प्रसिद्ध हुए हैं। मगध सम्राट गुप्तवंशीय चन्द्रगुप्त प्रथम के विख्यात पुत्र समुन्द्रगुप्त हुए और इनके पुत्र चन्द्रगुप्त द्वितीय (३८८–४०१ ईसवी सन्) सम्राट, जो भी वैसे ही विख्यात होकर विक्रम कहलाए।

उज्जयिनी के शकारि विक्रम भी भारत प्रसिद्ध थे। उनने बंग गौड़ तक अपनी विजय पताका फहराई थी। इनका राज्य १ली शताव्दी में था। शकाव्द ७८ ई० से शुरू होता है। यह इतिहास के प्रथम विक्रम हैं।

परमभट्टारक :

परमभट्टारक शव्द, पूज्य, सूर्य, तपोधन ई० के माने में गुप्त एवं मौर्य सम्राटों के विशेषण में प्रयुक्त होता था। कैसी थी गरिमा इन सम्राटों की कि उनके विशेषण का व्यवहार गांवों में उन्नीसवीं शताव्दी तक हो रहा था ? अन्यान्य दस्तावेज, कर्ज का रूक्का तमसुक, केवाला ई० संबंधी हैं। गाछ, फल, जेवर इत्यादि के भी तमसुक चलते थे। सूद का दर १ रुपये से ५ रुपये माहवारी तक पाया जाता है।

निष्पादन :

१२२५ फसली १८१८ ई० के पत्र में दो विक्रेता हैं किन्तु एक ही भाई ने निष्पादित (तामिल) कर दिया है।

सन् १२५५ साल १८६२ ई० तक के कागजों में अपढ़ प्रणेता का हस्ताक्षर या अंगूठा का चिंन्ह या कलम का निशान कुछ भी नहीं है।

१२३६ फसली के एक कागज में एक साक्षी ने लिख दिया है कि प्रणेता ने कलम छूँआ। यही पर्याप्त था।

१२५५ साल फसली के बाद के कागजों मे वा कलम हस्ताक्षर गवाह करने लगे। और प्रणेता कलम से कोई निशान दे देते थे।

अंगूठा का चिन्ह तो १८९८ तक भी एक भी नहीं पाया जाता है। अंगूठा के चिन्ह लगने और वाकलम खास लिखने का कायदा कव शुरू हुआ ? उन्नीसवीं सदी के इन सभी ६७ कागजों में स्टाम्प तो हैं किन्तु किसी से यह जाहिर नहीं होता कि इसकी रजिष्ट्री हुई थीं। किसी पर रजिष्ट्रार का हस्ताक्षर, मुहर या प्रमाण भी नहीं पाया जाता है।

हस्ताक्षर के पहले प्रायः 'सही' शव्द का प्रयोग हुआ है। दस्तखत का वहुत कम।

अध्याय—१६

बड़हिया थाने का संक्षिप्त परिचय

अध्याय—१६

बड़हिया थाने का संक्षिप्त परिचय

समूचे मुंगेर जिला का भूमिक्षेत्र, जनगणना के मतानुसार ३९४३ वर्गमील है। जबकि सर्वे विभाग के अनुसार ३९७५ वर्गमील है । यह मामूली अन्तर दियारे की भूमि की परिवर्त्तनशील अवस्था के कारण है ।

इसके उत्तर: दरभंगा और भागलपुर जिला, दक्षिण : गया, हजारीबाग एवं संस्थालपरगना, पूर्व : भागलपुर संस्थालपरगना एवं पश्चिम : गया, दरभंगा, एवं हजारीबाग जिला की सीमाएं है।

इस प्रकार यह जिला बिहार प्रदेश का हृदय स्थल है। इस प्रदेश के चारों प्रमंडल का संगम यहां होता है।

इस जिले में मगही, मैथिली, अगकी, संथाली एवं दक्षिणी हिन्दी इन सभी बोलियों का राज है।

इस जिला की जनसंख्या १९७१ के गणनानुसार करीब ३४ लाख है। अभीतक इस जिले में ३० थाना हैं और ३९ विकास खड। बड़हिया थाना सन् १९४४ इसवी में लखासराय थाना से अलग कर स्वतन्त्र किया गया।

किन्तु बड़हिया थाना का विधान सभा-निर्वाचन-क्षेत्र १९५७ से पृथक हुआ। इस निर्वाचन क्षेत्र में अभी भी लखीसराय का एक भाग सम्मिलित है।

बड़हिया थाना की दक्षिण सीमा पर हरूहर नदी पश्चिम से पूरब बहती हुई रेहुआ गांव के समीप गंगा नदी में मिलती है। पहले जमाने में बंगाल से पटना तरफ जाने का जल एवं स्थल मार्ग रहुआ होकर पड़ता था। भारत के दो बादशाह हुमायूं और शेरशाह की मुलाकात एवं सन्धिवार्ता का स्थान यही रहुआ नाला के पास बतलाया जाता है।

किसी समय रहुआ चोर एवं उठाई-गिरों के लिये बदनाम हो गया था। कहावत बन गया था—"बंगाले की कमाई, रहुआ नाले पर गंवाई।"

इस थाने की पश्चिम सीमा पर केसभा टाल इत्यादि है, जो शेखपुरा थाना के अन्तर्गत है। उत्तर पटना जिला और पूरब गंगा जी।

रामचन्द्रपुर से पाली करीब १२ मील पूरब-पश्चिम तथा पटना जिला की सीमा से हरहर नदी तक उत्तर-दक्षिण करीब ९ मील प्राय: ९९ वर्गमील का भूमिक्षेत्र इस थाने का है। १९७१ के गणनानुसार इस थाने की कुल जनसंख्या ९६७९७ है। उसमें से २४६६१ अधिसूचित क्षेत्र की जनसंख्या एवं शेष ७२१३६ ग्रामीण क्षेत्र की जन संख्या है।

थाने का अधिकांश भाग टाल क्षेत्र एवं शेष अंश दियारा क्षेत्र का है। समतल करारो वास-भूमि बहुत कम हैं। परन्तु जमीन की पैदावार और खेती की आसानी के आकर्षण से आबादी अधिक है। वास्तियां अधिकतर गड़हों में वसी हुई हैं। वगीचे काफी है।

सड़कों एवं रास्ता का बड़ा ही अभाव है। पशुधन इनकी लोकप्रिय संपत्ति है। कृषि एकमात्र व्यवसाय है। बड़हिया इनका शहरी क्षेत्र हैं और-एक मात्र बाजार एवं रेलवे स्टेशन इत्यादि है।

बड़हिया के अतिरिक्त रामचन्द्रपुर में अस्पताल है। खूटहा और जैतपुर में हाई इंगलिश स्कूल है। भारत के स्वाधीनता संग्राम में इस थाने की जनता का सदैव सराहनीय सहयोग एवं चिरस्मरणीय स्थान रहा है।

इस थाने की समस्याएं अनेक एवं जटिल हैं। सड़कों का निर्माण एवं उन्नति, गंगानदी के भूक्षरण से रक्षा, कृषि की उन्नति और वाणिज्य व्यवसाय का विकास इनकी प्रमुख समस्याएं हैं।

शिक्षा का प्रचार सन्तोष जनक हो रहा है। एक दर्जन वकील एवं अध्यापक गण तैयार हो गये हैं।

वर्तमान विधायक एवं उपमंत्री सिद्धेश्वर प्रसाद सिंह जी इसी क्षेत्र के प्रतापपुर गांव के निवासी हैं। आप अनुभवी मजदूर नेता भी हैं।

इस थाने के कुछ उल्लेखनीय नेता एगं कार्यकर्त्ता के नाम नीचे दिए जाते हैं। जिनके त्याग, वलिदान, परिश्रम एगं सवल सहयोग का स्मरण किए विना इस थाने के लोकजीवन का इतिहास अधूरा रह जायगा।

बड़हिया गांव से वाहर इस थाने में पिपरिया के स्व० वैजनाथ प्रसाद सिंह, वलीपुर के स्व० दशरथ प्र० सिंह वीरूपुर के स्व० वापू छेदी प्रसाद सिंह के गण्यमान्य धनी मानी परिवार हैं।

जिला विकास समिति की गैठक में इस थाने के लिये निम्नानुसार सड़कों के निर्माण एगं विकास की योजना स्वीकार की गई थी। यह निर्णय २०, ११, १९६० के दिन हुआ था। किन्तु अभी तक इस निर्णय के अनुसार कार्य कुछ भी नहीं हुआ है। उस समय इस समिति के सदस्य श्री कपिलदेव सिंह, विधायक एगं मै था।

इस विकास योजना के अनुसार सड़कों की पांच प्रकार की श्रेणी बनाई गई-थीं। प्रथम श्रेणी में National-High Way राष्ट्रीय महापथ। ऐसा कोई पथ इस थाने में नहीं है।

द्वितीय श्रेणी में State High way राजपथ ऐसी एक सड़क पटना मुंगेर वाली है जो इस थाने की मुख्य एगं एक मात्र सड़क है।

तृतीय श्रेणी का नामकरण किया गया Major District Road जिला की बड़ी सड़कें। इस श्रेणी में १८ मील लम्बी शेखपुरा-कुंसुमा—बड़ही एवं दूसरी १२ मील लंबी वढ़ही,खूटहा रामचन्द्रपुर:रामपुर रखी गई थीं।

चौथी श्रेणी में Other District Roads जिले की अन्यान्य सड़कें। इस श्रेणी में निम्नोक्त सड़कों की योजना थीं।

लखीसराय-कल्याणपुर-खुटहा =९ मील

गरसंडा-स्टेशन-महरामचक मोरवां सांझायन होते हुए = ११ मील

बड़हिया-जगदम्वा स्थान से बड़ापोखर = २ मील

बड़हिया चौक बाजार से पटना सड़क = १ मील

वड़हिया वाजार से नीलकोठी = २ मील

बड़हिया पटना सड़क से रेलपुल = १ मील

प्रतापपुर-लखीसराय-कल्याणपुर-चकदुनियां डूमरी,जखोर,निजाय-शरमाटाल ऐजनी = ९ मील

नथनपुर-कोठवा- महरामचक–चकवली।

पांचवीं श्रेणी के रास्ते का नाम रखा गया था Classibied village Road श्रेणीवद्ध ग्रामपथ। इस श्रेणी में दिए गए रास्ते के नाम हैं :

गंगासराय : तूकऐजनी : ऐजनीघाट = ७½ मील

कल्याणपुर : जैतपुर = ४½ मील

मालीपुर : कल्याणपुर = ४ मील

जैतपुर : खूटहा = ५ मील

बड़े प्रतापी यशस्वी होंगे कोई महापुरुष जो इस योजना की पूर्ति की व्यवस्था करा सकेंगे। इस योजना के विकास पर इस थाना के सर्वतोमुखी विकास का भविष्य निर्भर है।

भौगोलिक स्थिति की दृष्टि से इस थाने के तीन खड हैं। टाल, दियारा और राहपर,टाल खंड इस थाने का वृहत भूभाग है। इस खंड के उत्तर पश्चिम छोर पर मोकामा टाल, पश्चिम सीमा पर शेखपुरा थाने का टाल, दक्षिण में लखासराय थाना के गांव और पूरव में रेलवे लाईन है।

पुरानी शेरशाही सड़क की दोनों ओर बसे हुए गांव राह पर के गांव कहलाते है।

इनके पूरव गंगा तक फैला हुआ भूखड दियारा है। इसी दियारा और गांव के बीच बगीचा है।

पूर्वांचल दियारा के गांवों की वोली मैथिली भाषा का एक स्थानीय अपभ्रंश रूप है।

शेष थाने की वोली मगही है। मालूम होता है कि दियारा के गांवों के निवासी संभवतः गंव के

उत्तरी भूभाग से आकर यहां वसते गये हैं या उनके गाँव ही कालान्तर से गंगा के दक्षिण ओर चले आए हैं। यह इलाका मलकी प्रगना का अंश है जो वेगूसराय अनुमंडल का भाग है। जव कि इस थाना के शेष भूभाग सलेमावाद प्रगना में है। इससे भी उपरोक्त अनुमान की पुष्टि होती है।

राहपर के गांवों के लोग कुछ शहरी किस्म के हैं। परन्तु टाल की वस्तियों और दियारे की वस्तिओं के लोगों को पिछड़े वर्ग के सभी लाभ के अधिकारी मानना चाहिए।

इस थाने के प्रायः सभी गांव की सूची कुछेक आवश्यक सूचनाओं के साथ नीचे दी जाती है :

थाना संख्या	ग्राम	भूक्षेत्र एकड़ में	मकान	पुरुष	नारी	योगसंख्या	शिक्षित	
							पुरुष	नारी
१	जैतपुर	१५८१	३४७	१२२०	१२०४	२४२४	६५८	३२०
२	खूटहा	४६५१	१५८६	७५८४	७२७५	१४८५९	९६५	२०१
३	मालपुर	६८७	१००	३२२	२७२	५९४	७२	९
४	पिपरिया	४४०१	११०४	४३६६	४१४५	८५११	५२५	८२
५	वलीपुर	१७९१	५०५	२१९३	२०१५	४२०८	३५३	३३
६	रामचन्द्रपुर	२५३५	६०१	२२०३	२२०२	४२२५	३००	१०५
७	अंतिराली	६४३				जनहीन		
८	मोहनपुर	२१३	१८२	६२३	६३२	१२५५	१२६	२
९	रहुआटोला मुड़िआरी	१३७२	११०	४१४	४८५	८९९		
१०	रहुआ	११६९	१५२	४७५	४२६	९०१	६०	
११	गणेशपुर	१३९				निर्जन		
१२	सलोनाचक	३०७				,,		
१३	कोरिया जिला भागलपुर	१०६				,,		
१५९	नीमचक	१८६				,,		
१६०	सदायवीघा	३३६	८४४	२३४	१७६	४१०	११	
१६१	डुमरी	१५६१	२३९	६०३	५५०	११५३	१९९	१९
१६२	जखौर	३६३	१३४	३७२	२८६	६५८	५२	३
१६३	मनोहपुर	३४५	५८	३६०	१५३	३१३	२२	

थाना संख्या	ग्राम	भूक्षेत्र एकड़ में	मकान	पुरूष	नारी	योग संख्या	शिक्षित	
							पुरूष	नारी
१६४	निजाई	१८७	४३	१७८	१८९	३६७	७५	
१६५	सायरवीघा	२१३	३४	१६१	१५०	३११	२१	२
१६६	सरमा	३३२	८३	२८९	२७९	५६८	१३०	४
१६७	नरसिंहोली	२५५	१०६	२७१	३१२	५८३	४१	१
१६८	लक्ष्मीपुर	११७०	१९२	५६१	५२५	१११६	१०३	३
१६९	तुर्क ऐजनी	४७३	११२	३८०	३६६	७४६	६९	
१७०	रुस्तमपुर	५२	२८	७१	५६	१२७		
१७१	निजामपुर	२५५	८२					
१७२	गिरिधरपुर	३१८	११२	२७३	२७३	५४६	७४	
१७३	विरूपुर	६५४	३२	३७९	३९५	७७४	१४९	
१७४	कमरपुर	५४०	८३	१५२	१२४	२७६	१८	१
१७५	ऐजनीघाट	१०७५	८१	२६५	२३३	४९८	८	
१७६	सलाईन	८९६	१४२	२४४	२७१	५१५	८५	३
१७७	पाली	४९२१	२०२	४६८	४५८	९२६	९०	
१७८	महरामचक	५३७४	८२	४५३	४५७	९१०	१३८	५
१७९	ननपुर	१४८९	२६	२८४	३१३	५६७	६५	१
१८०	कोठंवा	२२६७	४५५	१०९	९८	२०७	८	
१८१	गंगासराय	७९९	४५५	१३४६	१२७७	२६२३	३९१	११२
१८२	उफरैल	१७१	८१	२१७	१८३	४००	७५	२१
१८३	इन्दुपुर	१४०८	२१४	१४०२	१३७७	२७७९	२६०	५१
१८४	छविसैंया	१७८९	शहर					
१८५	ईर्गालिश	३६५१	,,					
१८६	बड़हिया	१३२९	,,					
१८७	चकइन्दुपुर	५३	,,					
१८८	हीरदनवीघा	२६८	६०	२२१	१७६	३९७	५०	२६
१८९	जैतपुर	१३७२	१००	४४३	३०२	६४५	१०	
१९०	प्रतापपुर	२०९	४१८	५१३	५८३	१०९५	२१२	२८
१९१	पहाड़पुर	३८७	८०	२४९	२१९	४६८	१२५	५०

क्रम संख्या	ग्राम	भूक्षेत्र एकड़ों	मकान	पुरुष	नारी	योगसंख्या	शिक्षित	
							पुरूष ।	नारी
१९२	लक्ष्मीपुर	८१६	३०७	११२५	१०८४	२२०९	२११	४८
१९३	दरियापुर	७०९	११	५३६	४६७	१००३	२८१	१४१
१९४	वहादुरपुर	२६७	१५६	१८८	१७२	३६०	५०	
१९५	सामतडीह	८६						
१९६	सालुपुर	२३०						
१९७	लोदिया विहार	३३५						
१९८	लोदिया भागलपुर	३३६						
१९९	गुजराडीह	२०९						
२००	लोदिया इंगलिश	६५	निर्जन					
२०१	हसनपुर	५६०	४२	११९	८३	२०२	३६	
२०२	सावीपुर	१४६		निर्जन				
२०३	दामोदग्पुर	१५४		,,				
२०४	सावीपुर	२०४		,,				
२०५	दामोदरपुर	२७३		,,				
२०६	कल्याणपुर	६६१	११७	३३८	३४९	६८७	५६	३
२०७		८२			निर्जन			
२०८	चकदुनियां	२३९		,,				

ये आंकड़े १९५१ की गाणना के अनुसार है। टाल क्षेत्र के निवासी मुख्यत:भूमिहीन खेतिहार मजदूर है। धानुक,कहार, ढाढ़ी और अन्यान्य जाति के। दियारा में तरफ भूमिहारों के बाद ग्वालों की संख्या हैं। राहपूर के गांवों में भूमिहार सर्वाधिक हैं।

राह पर एक गांव गंगासराय है। इसका राजस्व इत्यादि पटना जिला प्रगना गयासपुर में है। इसका, रेवेन्यू खतियान इत्यादि इसी प्रकार है। अन्य सभी वातों के लिये यह मुंगेर जिला में है।

वड़हिया के सटे उत्तर गंगापुर, पंचमहला ग्राम का रेवेन्यू जिला मुंगेर है। जवकि अन्य बातों के लिये वह पटना जिलान्तर्गत है। सर्वे के समय यह गोलमाल हो गया। दोनों गांवों के एक सा नाम होने के कारण गलती हुई होगी और उसका सुधार फिर नहीं किया जा सका।

इस थाने के भारतीय-स्वाधीनता-संग्राम के गण्यमान सैनिकों की सूची :—

यद्यपि इस सूची को सम्पूर्ण नहीं मानना चाहिए :—

क्रमांक	नाम	पिता	पता	राजनैतिक जीवन का प्रारम्भ
१.	श्री प्रताप ना० सिंह उर्फ काशी बाबू	श्री राजाराम सिंह	बड़हिया धनराज	१९२१
२.	श्री नाथो साहु		"	१९२१
३.	श्री मुकुन्दी साह	जुल्हाई साह	"	१९२१
४.	श्री शिवगोबिन्द सिंह		बड़हिया रामचरण	
५.	श्री रामखेलावन सिंह, बच्चू बाबू		बड़हिया इन्द	१९२१
६.	श्री गंगा प्रसाद सिंह	श्री गैजनाथ प्र० सिंह	"	१९३०
७.	श्री शत्रुघ्न प्र० सिंह	श्री नूनूलाल सिंह	"	१९२१
८.	श्री रामरीझन प्र० सिंह उर्फ चूमाई	श्री नूनूलाल सिंह	धनराज	१९३०
९.	श्री चन्द्रभानु प्र० सिंह	श्री गीता प्र० सिंह	"	१९३०
१०.	श्री बलराम प्र० सिंह	श्री महावीर प्र० सिंह	"	१९३०
११.	श्री विश्वनाथ शर्मा	श्री वीकू सिंह	बड़हिया इन्द	१९३०
१२.	श्री अखिलेश्वरी सिंह	श्री लूटन सिंह	बड़हिया इन्द	१९३०
१३.	श्री त्रियुगी प्रसाद सिंह	श्री रामकिशोर शर्मा	बड़हिया इन्द	१९३०
१४.	श्री लूचो सिंह		बड़हिया प्रयाग	१९३०
१५.	श्री अम्बिका सिंह			
१६.	श्री निरसू प्र० सिंह	श्री तिलकधारी सिंह	बड़हिया धनराज	१९३०
१७.	श्री भूपाल चौधरी		बड़हिया बाजार	
१८.	श्री शुकदेव प्रसाद	श्री नाथो साह	बड़हिया	१९४२
१९.	श्री सूर्यनारायण सिंह	श्री चन्द्रमोहन सिंह	बड़हिया इंगलिश	१९३०
२०.	श्री बबुआ सिंह	श्री ईश्वरी सिंह	बड़हिया गौर	१९३०
२१.	श्री वेलू गोप	श्री दरवारी गोप	बड़हिया रामचरण	१९३०
२२.	श्री यमुना प्रसाद सिंह	श्री रामेश्वर प्र० सिंह	बड़हिया रामचरण	१९३०
२३.	श्री रामावतार सिंह	श्री सरयू सिंह	बड़हिया श्रीकंठ	१९३०
२४.	श्री गैजनाथ साह	श्री मूरल साह	बड़हिया रामसेन	१९३०
२५.	श्री रामरक्षा सिंह	श्री लूटन सिंह	बड़हिया प्रयाग	१९३०
२६.	श्री केदारनाथ सिंह	श्री जगदम्ब प्रसाद सिंह	बड़हिया धनराज	१९४२
२७.	श्री भगीरथ प्रसाद सिंह	श्री रमेश प्रसाद सिंह	बड़हिया धनराज	१९३२
२८.	श्री रामेश्वर प्र० सिंह उर्फ विलायती बाबू		बड़हिया इन्द	१९३०

क्रमांक	नाम	पिता	पता	राजनैतिक जीवन का प्रारम्भ
२९.	श्री मटुकधारी सिंह उर्फ जुल्मी बाबू	श्री रामसहाय सिंह	धनराज	१९३०
३०.	श्री श्रीकृष्ण सिंह उर्फ बच्चू बाबू	श्री जटाधारी सिंह	धनराज	१९३०
३१.	श्री कपिलदेव सिंह	श्री लखन सिंह	रामचरण	१९४२
३२,	श्री विरंची सिंह	श्री धीरज प्रसाद सिंह	धनराज	१९४२
३३.	श्री विश्वनाथ वर्मा		बाजार	१९३०
३४.	श्री सुरेश सिंह	श्री टुनटुन सिंह	रामसेन	१९४२
३५.	श्री बच्चू सिंह		इन्द	१९४२
३६.	श्री केदार नाथ सिंह	श्री छोटन प्र० सिंह	धनराज	१९४२
३७.	श्री रामकृष्ण सिंह उर्फ सिद्ध जी	श्री हलखोरी सिंह	इंगलिश	१९२१
३८.	श्री रामनारायण सिंह	श्री शिवटहल सिंह	इंगलिश	१९४२
३९.	श्री चंडी पोद्दार		बाजार	१९२१
४०.	श्री परशुराम सिंह		धनराज	१९३०
४१.	श्री महादेव प्रसाद सिंह	श्री परमेश्वरी प्र० सिंह	रामचरण	१९४२
४२.	श्री बनारसी प्रसाद सिंह	श्री हितो सिंह	रामचरण	१९४२
४३.	श्री राजेश्वरी प्रसाद सिंह	श्री रामरीझन प्र० सिंह	धनराज	१९४२
४४.	श्री गवेन्द्र नारायण सिंह	श्री नित्यानन्द सिंह	बाजार	१९४२
४५.	श्री रामविलास सिंह	श्री हरि प्रसाद सिंह	धनराज	१९३०
४६.	श्री बनारसी प्रसाद सिंह	श्री यमुना प्र० सिंह	इन्दुपुर	१९४२
४७.	श्री बांके प्रसाद सिंह		तथा	१९३०
४८.	श्री हरि प्रसाद शर्मा		तथा	१९३०
४९.	श्री लालजी सिंह	श्री जुल्मी सिंह	तथा	१९४२
५०.	श्री नूनूलाल सिंह	श्री रामफल सिंह	तथा	१९४२
५१.	श्री गेंधारी सिंह	श्री छोटू मिंह	तथा	१९४२
५२.	श्री सुरेन्द्र सिंह उर्फ विदेशी	श्री सुकन सिंह	तथा	१९३२
५३.	श्री चान्दो सिंह	श्री गाजो सिंह	तथा	१९४२
५४.	श्री नारायण सिंह	श्री रामगुलाम सिंह	जैतपुर	१९२१
५५.	श्री राजकुमार शर्मा	श्री धोबी सिंह	डुमरी	१९२१
५६.	श्री मथुरा शर्मा	श्री रामनारायण सिंह	टालसरमा	

क्रमांक	नाम	पिता	पता	राजनैतिक जीवन प्रारंभ
५७.	श्री विन्देश्वरी सिंह			
५८	श्री राजेन्द्र शर्मा		टालसरना	१९४२
५९	,, वासुदेव सिंह	श्री राघो सिंह		
६०	,, जयदेव शर्मा	श्री रामनारायण शर्मा	टालसरमा	
६१	,, वैद्यनाथ शर्मा	श्री दर्शन सिंह	गंगासराय	१९३०
६२	,, जयराम सिंह	श्री अकल सिंह	तथा	१९३०
६३	,, मटुकी सिंह	श्री सुवत सिंह	तथा	१९३२
६४	,, रामलखन सिंह ,, उर्फ लखन सिंह	श्री छत्रधारी सिंह	तथा	१९३०
६५	,, रामरक्षा सिंह	श्री रन्नू सिंह	तथा	१९३२
६६	,, श्रीधर जी	श्री कलट्टू सिंह	तथा	१९२१
६७	,, मथुरा सिंह	श्री लोकनाथ सिंह	तथा	१९४२
६८	,, नूनूलाल सिंह			
६९	,, रामबालक सिंह	श्री रामरक्षा सिंह	तथा	१९४२
७०	,, वैष्णवदास सिंह			
७१	,, शीतल प्रसाद	श्री गोविन्द प्रसाद		१९४२
७२	,, सरयू सिंह			
७३	,, मंगल मल्लाह	गोपाल	रंपुरा	१९४२
७४	,, राधे प्रसाद सिंह		हिरदतबीघा	१९३०
७५	,, रामानुज प्रसाद सिंह	श्री ननकेश्वर सिंह		
७६	,, उमाशंकर सिंह			
७७	,, रामचन्द्र प्रसाद सिंह			
७८	,, राज्यश्वरी प्रसाद सिंह		पीपरिया	१९४२
७९	,, राधारमण प्र० सिंह	श्री रामसुन्दर सिंह		
८०	,, राम सिंह			
८१	,, महावीर प्रसाद सिंह			

क्र०	नाम	पिता	पता	राजनैतिक जीवन
८२ श्री	गिरीवर ना० सिंह	श्री विशुनदेव ना० सिंह	पिपरया	
८३ ,,	बनारसी प्रसाद सिंह			
८४ ,,	कपिलदेव सिंह		ताजपुर	१९३०
८५ ,,	जगदम्बी सिंह	श्री रामलाल सिंह		
८६ ,,	हरवंश सिंह		मालपुर	
		रामचन्द्रपुर		
८७ ,,	जनक शर्मा	श्री फीरगी शर्मा		१९३०
८८ ,,	भोला शर्मा	श्री वीजो शर्मा		१९३०
८९ ,,	अजवी सिंह	श्री दारोगा सिंह		१९३२
९० ,,	अनाथ शर्मा	श्री भगवान शर्मा		१९३०
९१ ,,	राधे प्र० सिंह		रामचन्द्रपुर	
९२ ,,	श्यामनन्दन शर्मा	श्री मेही शर्मा		
९३ ,,	माधव शर्मा	श्री पतरू शर्मा		१९३१
९४ ”	प्रताप शर्मा	श्री वीरो शर्मा		
९५ ”	खोपड़ी शर्मा	श्री महावीर शर्मा		
९६ ,,	मुन्दिका प्र० सिंह		कल्यानपुर	१९३०
		खुटहाडीह		
९७ श्री	सुन्दर प्रसाद सिंह		खुटहा डीह	१९३०
९८ ”	सरयू प्रसाद सिंह		”	१९३०
९९ ”	सरयुग प्र० सिंह		खुटहा डीह	१९३०
१०० श्री	ब्रह्मदेव सिंह	श्री रामदेव सिंह लेला	”	
१०१ ”	सीताराम सिंह	श्री रूपन सिंह	”	
१०२ ”	रामरक्षा सिंह	श्री रामचन्द्र सिंह	”	
१०३ ”	विन्देश्वरी सिंह	श्री प्रसन्न सिंह	”	
१०४ ”	गंगा सिंह	श्री श्याम सिंह	”	
१०५ ”	परमहंस सिंह			

क्र०	नाम	पिता	पता	राजनैतिक जीवन
१०६	श्री गीता प्रसाद सिंह			
१०७	" लखन प्रसाद सिंह			
	नीजाई			
१०८	श्री हरखित सिंह	श्री लोका सिंह	नीजाई	
१०९	" अखीलेश्वरी प्रसाद सिंह		"	
११०	" अम्बिक सिंह		"	
१११	" लखन सिंह		"	
	सरौरा			
११२	श्री दुखा महतो		सरौरा	
११३	" परमानन्द महतो			
११४	" लखन ढाढ़ी			
	ताजपुर			
११५	" जगदम्बी प्रसाद सिंह			
	लक्ष्मीपुर			
११६	श्री सुखदेव सिंह			
	नथनपुर			
११७	श्री यमुना महतों			
	वीरूपुर			
११८	श्री रामनन्दन प्रसाद सिंह			
११९	" मुन्द्रिका प्रसाद सिंह			
१२०	" गुलाब सिंह			
१२१	" बनवारी सिंह			
	वोलीपुर			
१२२	" विश्वनाथ शर्मा			

क्र०	नाय	पिता	पता	राजनैतिक जीवन
१२३	" लखन सिंह			
	खेशीहाल टोला			
१२४	" यमुना सिंह			
	मोहनपुर			
१२५	" मोहन पंडित			

बड़हिया

प्रमुख समर्थक

श्री	बद्री नारायण सिंह	इन्द
,,	श्यामकिशोरी प्रसाद सिंह	धनराज
,,	रामाश्रय प्रसाद सिंह	धनराज
,,	द्वादश प्रसाद सिंह	धनराज
,,	विन्दा बाबू	धनराज
,,	निवास मल	बाजार

अध्याय—१७

अधूरे प्रसंग

अध्याय-१७

अधूरे-प्रसंग :

मैं मानता हूँ कि इस पुस्तक के प्रतिपाद्य विषय का प्रणयन तथा विवरण व्यापक एवं संपूर्ण रीति से नहीं हो पाया है । मैंने श्रम करने, समय देने या चेष्टाओं में कमी नहीं आने दी है । परन्तु समय, शक्ति, साधन तो मेरे सीमित हैं । अपने कार्य से स्वतः मैं संतुष्ट हूँ । परन्तु, जो सूधी-जन अधिक की आशा करते होंगे; उन्हें ठीक ही संतोष नहीं हो सकेगा ।

ऐसे सूधी जन यदि इस ग्रन्थ के अधूरे या अछूते प्रसंग को लेकर आगे बढ़ें; अध्ययन, मनन, अनुशीलन कर इन अंगों की परिपुष्ट कर सकें तो मेरा यह परिश्रम पूर्णतः सार्थक होगा ।

ऐसे कुछ आवश्यक प्रसंग एवं प्रश्न का उल्लेख नीचे किया जाता है । आप स्वतः भी और दिशायें खोज लेंगे :-

(१) श्री पृथु ठाकुर के वंशजों की वंशावली प्राप्त है । उनके भाई श्री जयजय ठाकुर की वंशावली उपलब्ध हो सकती है—कुछ परिश्रम से । जयजय ठाकुर हमारे वर्तमान पुरोहित वंश के संस्थापक हैं । इनकी वंशावली उतनी लम्बी भी नहीं मालूम होती जितनी इनके यजमान भाइयों की हैं ।

(क) इनके वंश में 'पंच-पांडव' कौन थे ? इनकी परपरा क्या है ? कब से हैं ? इनकी वंशावली ?

(ख) बाबा श्रीधर ठाकुर कौन थे ? इनके बारे में दन्तकथायें क्या सब हैं ?

(२) पृथु ठाकुर से प्राण ठाकुर तक की वंशावली । इस गांव के बसाने वाले पृथु ठाकुर हुए । तो 'काजी' के दफ्तर में इनके एवं इनके वंशजों के नाम के सनद और अन्य कागजात मिलने चाहिए ।

(३) पृथु ठाकुर से उपर की यथासंभव वंशावली ।

(४) यह परिवार बड़हिया में बरौनी से आकर बसा है । बरौनी संदहपुर से और संदहपुर आए थे छपरा जिले के दीघवादीवौली से ।

दीघवादीवौली–संदहपुर–बरौनी–बड़हिया की आवास-प्रवास कहानी । मनोरंजक होगी । बड़हिया आने के पहले वे कैसे थे ? क्या वृति थी ? इत्यादि ।

(५) मरांची-कांड में बड़हिया से प्रायः सभी परिवार गांव त्याग कर चले गए थे । उनमें से कितने का पता मिल जाता है । कष्टसाध्य तो है परन्तु परिश्रम से वांछित फल मिल सकता है ।

(६) माता जगदम्बा का माहात्म्य? कौन हैं ये? कब पधारी यहां? शाक्त मत का प्रभाव अधिक अंश में लुप्त हो जाने पर भी इनका प्रताप उक्षुण है। देवी-पूजन और वैष्णव धर्म तथा शैवमत के प्रभाव का तूलनात्मक अध्ययन एवं समीक्षा।

(७) स्थानीय ग्रामगीत, मोहावरे, कहावत, शब्दावली।

(८) स्थानीय हस्तलिखित ग्रंथ, कवितायें, चित्रावली।

(९) स्थानीय किस्से कहानियों का संग्रह।

(१०) स्थानीय सम्पन्न मारवाड़ी परिवारों का इतिहास।

(११) स्थानीय जागीरदारों की कहानी।

(१२) स्थानीय पहलवानों की शौर्य-कहानी।

(१३) स्थानीय रईसों के मौज (Fads) की कहानी।

(१४) स्थानीय सामासिक संस्कृति का विश्लेषण :—

जाति से मैथिल ब्राह्मण,
व्यवसाय से कृषक,
पश्चिमी भूमिहारों से सम्बन्ध,
जागीरदारों एवं मारवाड़ी प्रदेशियों से सम्पर्क
फारसी, संस्कृत, अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव,
दंगल, झूलन, भांग, तम्बाकू, ताश का व्यसन,
राजनैतिक हलचल,
कांग्रेसी भूमि-सुधार,
शहरी जीवन—

इत्यादि-इत्यादि विभिन्न शक्तियों एवं गतिविधि के मिश्रित प्रभाव से बनी हुई स्थानीय सामासिक संस्कृति (Composite culture) का विश्लेषण।

(१५) अन्यान्य विषय :

परिशिष्ट—१

जय मां जगदम्बे

लेखक

श्री हरिकान्त प्रसाद सिंह

परिशिष्ट—१

जय मां जगदम्बे

ब्रह्म और उनकी शक्ति-महामाया-में भेद नहीं है। वे एक ही तत्व हैं जो कार्य-भेद से भिन्न नामों से जाने जाते हैं। जब तक वह तत्व अव्यक्त और निष्क्रिय स्थिति में है, ब्रह्म शब्द से संबोधित होता है। निर्गुण ब्रह्म में शक्ति अप्रबुद्ध अवस्था में रहती है। ब्रह्म में जब यह संकल्प होता है कि "एकोऽहं बाहुस्याम्" अर्थात् मैं एक हूं पर अनेक होऊंगा तब तत्क्षण योग-माया प्रकट होती हैं और ब्रह्म की वही शक्ति संसार की सृष्टि,पालन और लय की क्रिया प्रकृति अथवा माया के रूप में करती है।

बिना प्रकृति के ब्रह्म निष्कल है और शक्ति सहित ब्रह्म सकल है। वही शक्ति संसार की रक्षा के लिए विविध रूप धारण करती है। और इस शक्ति का साक्षात् करने के लिये महर्षियों द्वारा निर्मित अनेक साधन-पद्धतियां हैं। इनके भिन्न-भिन्न रूप और प्रकार है।

सम्प्रदाय अथवा प्रतीक भेद से एक ही परमेश्वरी महाशक्ति को,भिन्न-भिन्न नामों से अभिहित करके उपासना होती आई है। वस्तुतः सकल महाविद्याओं की स्थिति समष्टि रूप में महात्रिपुर सुन्दरी में है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव की सृष्टि भी जिनके द्वारा हुई है और जो वेदों के पूर्व भी विद्यमान थी तथा महा प्रलय के उपरान्त पुनः सृष्टि रचना में समर्थ हैं उन्हीं तीन लोकों की माता त्रिपुर-जननी भगवती को त्रिपुरा कहते हैं। बाला अथवा बाला त्रिपुरा त्रिपुरसुन्दरी के ही भिन्न रूप हैं। बाला का अर्थ होता है कुमारी अथवा छोटी लड़की। यह भगवती बालवत् लीला करने में समर्थ हैं जैसा कि शास्त्रों में उल्लेख मिलता है।

बाल क्रीड़ा में आनन्दित रहने वाली उस लीला-विनोदिनी का बाला विशेषण संज्ञा है। महात्रिपुरसुन्दरी और बाला में कोई भेद नहीं। जो शक्ति विश्वोत्तीर्णा है अर्थात् विश्व के बाहर रहती है वह महात्रिपुरसुन्दरी है और जब वही शक्ति कामेश्वर के साथ विश्वात्मिका होती है तो बाला कही जाती है। यह महाशक्ति स्त्री देवतात्मिका होने से आदि नित्या अथवा श्रीविद्या नाम से भी प्रख्यात है। त्रिपूरा रहस्य के पैंतालीसवें अध्याय में जो व्याख्या त्रिपुरा की दी गई है उससे प्रमाणित होता है कि भगवती दुर्गा भी त्रिपुरा के अंश से समुद्भूत हुई हैं। उन्होंने देवताओं को दुर्गति से बचाया और उनके स्मरण से संकट टल जाता है इसलिये दुर्गा कही जाती हैं। इस भगवती की अवस्था आठ अथवा नौ साल की है और नौ साल की कन्या की संज्ञा दुर्गा आई है, इससे भी इस बात की पुष्टि होती है कि दुर्गा भी इसी भगवती के अंश से समुद्भूत हैं। भगवती बाला में समष्टि रूप में अवस्थित वागीश्वरी, कामेश्वरी और शक्तिश्वरी का त्रिरूपात्मिका में वस्तुतः एक रूपत्व ही निहित हैं।

जैसे--विभिन्न पुराणों में भिन्न-भिन्न देवताओं की कथा आई है उसी तरह भगवती बाला के भी अवतार की कथा त्रिपुरा रहस्य या हारीतायन संहिता में भी है। इनके चरित्र का विशद वर्णन ब्रह्माण्ड पुराण के उत्तरखण्ड में पाया जाता है जो ललितोपाख्यान के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें भगवान् हयग्रीवका अगस्त्य ऋषि से सम्वाद रूप में भण्डासुर की उत्पत्ति तथा भगवती ललिता अम्बा के अवतार की कथा के अन्तर्गत ललिता अम्बा को अंश भूता पुत्री भगवती बाला का भण्ड-पुत्रों के साथ सग्राम की भी कथा है। बाला अम्बा से भण्डासुर के तीस पुत्रों ने ६: हजार अक्षौहिणी सेना के साथ संग्राम आरम किया। बाला भगवती का यह सग्राम-कौतुक वर्णनातीत है। अन्त में युद्ध कौशल से बाला अम्बा ने असुरों को परास्त किया और सभी भण्ड पुत्र मारे गये। भण्डासुर जब पीछे युद्ध क्षेत्र में उपस्थित हुआ तो भगवती को पहचान कर बाण फेंककर चरणों की वन्दना की। बड़हिया ग्राम में इन्हीं भगवती त्रिकूट-मयी ब्राह्मी, रौद्री और वैष्णवी के प्रतीकों की स्थापना हुई थी। तन्त्र और पुराण ग्रन्थों में भगवतो के अनेक सिद्ध पीठों का वर्णन आया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सिद्धपीठ वे ही सिद्ध स्थल हैं जहाँ जगन्माता भगवती शिवा दाक्षायणी के अग्नि प्रवेश के उपरान्त पार्थिव शरीर के विभिन्न अंगों का अनादिकाल में पतन हुआ था। इन स्थानों में साधना करने से सत्वर सिद्धि प्राप्त होती हैं और भगवती प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में इन स्थानों में सतत् विराजमान रहती हैं। इन सिद्ध पीठों में से एक सिद्ध-स्थल अंग देशान्तरगत वर्त्तमान मुंगेर जिले के बड़हिया ग्राम में भी है जिसे पता लगाने के लिये अंग देश का प्राचीन इतिहास के साथ ही कुछ अतीत कथाओं की जानकारी प्राप्त करना उचित हैं। यह संक्षेप में इस प्रकार है—विहार प्रान्त के अन्तर्गत न्यूनाधिक भागलपुर तथा दक्षिणी मुंगेर प्रमण्डल ही प्राचीन अंग देश था जिसकी राजधानी चम्पा थी जो भागलपुर शहर के ही समीप थी। ईसा की चौथी शताब्दी में ही दक्षिणी मुंगेर तथा भागलपुर जिले को मगध में मिला लिया गया था और कुछ काल बाद तो अंग राज्य का अस्तित्व भी नहीं रहा। अंग का अतीतकाल गौरवपूर्ण था जब इसके राजा बलि थे। महर्षि दीर्घतमा के पांच पुत्रों में अंग बड़े प्रतापी निकले जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था। उन्हीं के नाम पर अंग देश प्रसिद्धि को पाकर एक समय में भारत का मुकुट बन गया था। बौद्ध और जैन ग्रन्थों में तो अंग का वर्णन तथा एक जनपद होना कई प्रसंगों में मिलता है।

द्वापर युग में कर्ण अंग के महान प्रतापी और बड़े दानी राजा हुए जो अंग-राज के नाम से प्रख्यात हुए। राजा कर्ण की दानशीलता के पीछे भी एक इतिहास है। उनकी राजधानी मुद्गलपुर अथवा मुंगेर में भगवती चण्डी देवी अधिष्ठित थी। उनकी कृपा से ही राजा कर्ण को दान के लिये स्वर्ण प्राप्त होता था। इस तरह अंग देश का इतिहास बताता है कि यह प्रदेश भी शक्ति उपासना का देश रहा है। इसी प्रदेश के अन्तर्गत बड़हिया ग्राम में भगवती बाला त्रिपुरसुन्दरी का प्रादुर्भाव किस प्रकार हुआ, इसका इतिहास भी बड़ा रोचक है।

शाक्तों के इतिहास में वह गौरवशाली दिवस था जब दो शाक्त-बन्धु श्री पृथु ठाकुर तथा श्री जयजय ठाकुर जगन्नाथपुरी को जाते हुए गंगा पार करके इस ग्राम में पहुँचे और संध्या विश्राम के लिये यहां आकर ठहर गये। ये सहोदर भ्राता मैथिल ब्राह्मण-कुल भूषण थे। दरभंगा स्टेशन के समीप सन्दहपुर ग्राम में मैथिल ब्राह्मणों के

"योग्य" परिवार में इनका जन्म था। इसलिये इनका मूल दिघवै सन्दहपुर प्रख्यात हुआ। धर्म में इनकी बड़ी निष्ठा थी और विविध शास्त्रों के ज्ञाता थे। अपने अतीन्द्रिय बोध द्वारा सुगमतापूर्वक इन्हें भूत, भविष्य, वर्त्तमान तीनों कालों का सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता था। बड़हिया ग्राम में वर्त्तमान जगदम्बा स्थान जिस डीह पर स्थित है वहां इनलोगों ने एक अलौकिक चमत्कार देखा। वह था मूषिका का मार्जार से युद्ध जिसमें मूषिका से बिल्ली पराजित हो रही थी। यह इस स्थान की श्रेष्ठता तथा इस समृद्धिशालिनी वसुन्धरा की ओजस्विता का द्योतक था। वे शाक्त तो थे ही। सिद्ध साधक भी रहे होंगे। इन्हें यह भान अथवा परख हो गई कि इसी स्थान पर अनादि स्वरूपा बाला भगवती का प्रादुर्भाव होगा और यह शक्ति संयुता पृथ्वी ऐसे अजेय और समयोपयोगी स्वरूपों को जन्म देगी जिनके द्वारा भावी संकट यहाँ के दूर हो सकेंगे। देवी भागवत में ऐसा बचन आया है कि गंगा तट पर भगवती का एक सिद्ध पीठ है जो मंगला पीठ कहा जाता है। संभव हैं कि वह सिद्ध पीठ यही स्थान है।

ईसा पूर्व छठी शताब्दो में भारतीय राजनीति में एक नई हलचल हुई। राज्य-सीमा के विस्तार की मनोवृत्ति प्रवल हुई और फलस्वरूप कई छोटे-छोटे राज्य विलीन होकर बड़े राज्यों में मिला लिये गये। सोलह राज्य अथवा जो जनपद कहे जाते थे उनमें अङ्ग भी एक जनपद था। मगध के राजाओं में बिम्बसार बहुत प्रसिद्ध हुए, जिन्होंने अङ्ग प्रदेश को अपने राज्य में मिला लिया। नवीं शताब्दी में गोपाल ने पालवंश की नींव डाली और बङ्गाल का शासक बनकर उन्होंने बिहार को भी अधिकृत कर लिया। इस तरह अङ्ग जो मगध में सम्मिलित हो गया था पाल वंशी राजाओं के अधीन हुआ। इस वंश में देवपाल राजा ने नालन्दा के मन्दिरों का जीर्णोद्धार कर प्रतिमायें स्थापित कीं। कई राजाओं के बाद इस वंश का शक्तिशाली राजा महीपाल हुआ जिसने बनारस तक अपनी राज्य-सीमा का विस्तार किया। अन्त में यशस्वी राजा रामपाल के बाद के राजा शक्ति-हीन निकले और आगे चलकर इस वंश का राजा इन्द्रद्यम्न या इन्द्रदिम्म हुआ जिसने अपना किला जयनगर में बनाया। यह जयनगर अब एक छोटा ग्राम है जो मुङ्गेर जिले में लक्खीसराय के पास है। यह तो उपर कहा जा चुका है कि पालवंश के राजा उत्तरोत्तर शक्ति-हीन होते गये और इस प्रकार साम्राज्य की शक्ति भी क्षीण हो ही गई। बङ्गाल से विजयसेन ने उनका आधिपत्य छीन लिया था। फिर भी दक्खिनी बिहार में खासकर अङ्ग तथा मगध का राज्य उनके हाथ में था। उस समय यह भू-भाग अर्थात् बड़हिया तथा पास की भूमि इसी राज्य में रही होगी, जिसकी राजधानी बड़हिया से कुछ ही दूर जयनगर में थी। बख्तियार–खिलजी ने पालवंश के इस अन्तिम राजा को हराकर इस प्रदेश को मुसलमानी साम्राज्य में मिला लिया।

कहा जाता है कि इस पालवंशी अन्तिम राजा इन्द्रद्यम्न का युद्ध मखदुम मौलाना नूर (जिनका मकबरा पटना के पास खगौल में है) से भी हुआ था जिसमें भी इन्द्रद्यम्न को हार खानी पड़ी। जो भी हो जयनगर का राज-भवन ध्वस्त हो गया और इसके भग्नावशेष की एक शिला लेखक के पूर्वज को भी प्राप्त हुई थी जिसे

लेखक के पूज्य पिताजी (स्वर्गीय श्री भभीखन सिंह) ने धरोहर के रूप में अपने घर में रखा था जो लेखक के पास अभी भी सुरक्षित है। इस प्रकार यह प्रदेश भी मुसलमानी राज्य के अन्तर्गत हो गया और अंग्रेजी शासन स्थापित होने के पूर्व तक इसकी ऐसी ही अवस्था वनी रही। यहां मुसलमानों के आधिपत्य के सम्वन्ध में एक शिलालेख १२९७ ई० का है जो लक्खीसराय में मिला है। इसमें वंगाल के सुलतान रूक्नुद्दीन कैंकस का विवरण है। संभवतः मुंगेर सरकार का यही नायक रहा हो। इसी समय वड़हिया के वास्तविक इतिहास का श्री गणेश होता है। तुर्क-अफगान काल में भारतीय शासन-व्यवस्था इस तरह की थी कि राज्य कई सूवों में वंटा था जिसके शासक सुलतान अथवा उसके वजीर नियुक्त करते थे। ये शासक वख्शी, प्रधान काजी, सदर इत्यादि को वहाल करते थे। ये शासक प्रायः नियुक्ति के वाद स्वतंत्र भी रहते थे और मनमाना हुकूमत चलाते थे। जागीरें भी वांटते थे और उपाधियां वितरण करते थे। साम्राज्य सूवों में और सूवे सरकारों में तथा सरकार परगनों अथवा महालों में या चकलों में विभाजित था। सूवे का अधिकारी सिपहसालार और उसके नीचे दीवान, आमिल तथा फौजदार मोकर्रर होते थे। यह ग्राम पहले से ही वरही जाति के लोगों को आवास के लिये दिया गया था जिस कारण से सरकारी कागजों में इसका नाम वड़ही अथवा वरही का गांव दर्ज हुआ था। किसी भी वस्ती अथवा ग्राम का नाम जव एक वार निश्चित अथवा निर्धारित हो जाता है तो सदा के लिये उसका संवोधन वही वन जाता है। अतएव वही नाम अवतक प्रचलित और प्रख्यात है। कुछ दिनों से वड़हिया इसका नामाकरण हुआ है।

देश में यवनों का साम्राज्य स्थापित हो जाने के कारण जनता में उत्साह और गौरव का अवसर नहीं रह गया था क्योंकि उनके समक्ष ही उनके देव-मन्दिर ढ़ाहे जा रहे थे और उनके धार्मिक कृत्यों के करने में भी पग-पग पर वाधायें खड़ी होती थीं। मगध में विशेषता यही थी कि वल-पूर्वक उनका धर्म-परिवर्तन कराया जाता था और रमणीहरण जैसे अत्याचार भी आये दिन हो रहे थे। अपने पौरुष से निराश होकर जनता को भगवान की शक्ति और ध्यान के अतिरिक्त, सान्त्वना का दूसरा मार्ग ही नहीं था। अस्त्र-शस्त्रहीन अधिकांश धर्मवीर हिन्दू राम के आसरे पर ही अवलम्वित होकर वैठ गये थे।

संसार में जव-जव अत्याचारों की अन्तिम सीमा आ जाती है तव-तव प्रकृति के नियम के अनुसार इन अत्याचारों को रोकने के लिये महान शक्तियों का प्रादुर्भाव होता है। दुर्दान्त यवनों के अत्याचार से यहां की जनता जव दमनचक्र में पीसी जा रही थी उसी समय उपरोक्त दो शाक्त-वन्धु श्री पृथु ठाकुर और श्री जयजय ठाकुर जगन्नाथपुरी से लौटती यात्रा में यहां फिर रूके और इस भू-भाग की प्राप्ति के लोभ को संवरण नहीं कर सके। पूछताछ से उन्हें यहां के अधिकारी का पता चल गया। वह था मुसलमानी साम्राज्य का अधिकारी—विशेष जो यहां का शासक था और वह कुष्ठरोगाक्रान्त था। ब्राह्मण तो याचक होते ही हैं, परन्तु यवन से याचना करना भी तो उनके धर्म के विरूद्ध था। अतः आरोग्यता प्रदान कर उपहार के रूप में उससे इस भू-भाग को लेना इन्हें श्रेयस्कर प्रतीत हुआ। अस्तु अपनी उपासना के द्वारा भगवान भास्कर को प्रसन्न कर इनलोगों ने उसे

नीरोग कर दिया। उपहार रूप में उन्हें वह ग्राम तो मिल गया परन्तु सरकारी कागजों में जो इसका नाम बरही अथवा बरहियों का ग्राम लिखा जा चुका था वह वैसा ही रहा। पहले इनलोगों ने अपना-अपना गृह-निर्माण इस डीह पर किया। तदुपरान्त परिवार को लाकर बसाया। श्री जय-जय ठाकुर कर्मकाण्ड के प्रकाण्ड विद्वान् थे। और उनकी ख्याति इतनी फैल चुकी थी कि कर्म विशेष के अवसर पर आचार्यत्व के लिये इनकी बुलाहट होने लगी। उन्होंने देखा कि भरण-पोषण तथा परिवार के निर्वाह के लिये यहां पाण्डित्य से भी यथेष्ट लाभ है। इस लिए उन्होंने इस वृत्ति को अपनाया। परन्तु पृत्थू ठाकुर को यह वृत्ति पसन्द नहीं थी और उनकी जीविका का साधन कृषि कर्म हो गया। श्री पृत्थू ठाकुर ने अपने पुरोहित जलेवार ब्राह्मण को भी यहां बुलाकर बसाया। आगे- चलकर इसी जलेवार ब्राह्मण-कुल में प्रातः स्मरणीय श्री श्रीधर देव का जन्म हुआ। श्री पृत्थू ठाकुर के वंश में कई-पुस्तक बाद श्री प्राण ठाकुर नाम के एक विशिष्ट व्यक्ति हुए जिन्होंने भूमिहृत ब्राह्मण अथवा भूमिहार ब्राह्मण वंश के मरांची ग्राम की एक कन्या से विवाह किया और उनके वंशज का आधिपत्य इस प्रखण्ड में हो गया।

श्री श्रीधर ओझा एक युग-पुरुष थे और उनकी आराध्य-देवी भगवती श्री बाला त्रिपुर सुन्दरी थीं।

अनन्त श्री विभूषित पूज्यपाद श्री श्रीधर ओझा का जन्म मैथिल ब्राह्मण–कुल में सत्कर्मों के पालन करने वाले माता-पिता से हुआ था। वह आदर्श गृहस्थ होते हुए भी महान् विरक्त निःस्पृह और त्यागी व्यक्ति थे। बाल्यास्था से ही उनमें नैसर्गिक मातृ-भक्ति थी और उनका आविर्भाव जनकल्याणार्थं तथा मुख्यरूप में धर्मरक्षार्थं ही हुआ था। वह अधिक शक्ति-पूजा में विश्वास रखते थे और तत्वाधिकार संबंधी अनेक साधनाओं के द्वारा सिद्धि प्राप्त की थी। इनके जीवन-वृत्त के सम्बन्ध में प्रामाणिक लिखित सामग्री तो कोई है नहीं परन्तु इनके जीवन-काल में अनेक चमत्कारिक बातें हुई जिनका आधार अब किंवदन्तियां हैं। हमारे देश के अतीत काल के महापुरुष अपना जीवन–वृत लिखना प्रायः पसन्द नही करते थे इस लिए उन महापुरुषों की जीवनी ये ही किंवदन्तियां प्रकट करती हैं। ये युग के महान् पुरुष थे और आगे चलकर इनका नाम श्री श्रीधर देव प्रख्यात हुआ। यह जितेन्द्रिय, सकल शास्त्रों को जानने वाले और पराये दुःख को दूर करने वाले थे।

श्री श्रीधरदेव को सुषुप्तावस्था में रात्रि में यह स्वप्न हुआ कि प्रातःकाल वह ज्योतिःस्वरुपा बाला के प्रत्यक्ष दर्शन पावेंगे और वह ज्योति मृत्तिका के खप्पर में उन्हें गंगा में प्रवाहित होती दीख पड़ेगी। इसी अवस्था में उनको यह भी प्रेरणा मिली कि ज्योतिःस्वरुपा बाला को प्रज्वलित शिखा के रूप में पावेंगें। उन्हें वह मृत्तिका-पिण्ड में उनकी लीला-भूमि में पधार कर पूजन करें और इन्हीं भगवती की अराधना से जनता का दुःख दूर हो सकेगा।

यहाँ भगवती का प्रादुर्भाव साधारण जन के कल्याणार्थ हुआ था। साधारण जन को तो आत्म-भेद के कारण विशिष्ट मूर्त्ति अथवा प्रतीक का ही अवलम्ब लेकर सेवा परिचर्या इत्यादि के द्वारा भगवत् सान्निध्य की प्राप्ति होती है।

अपने ध्यान को केन्द्रित करने के लिये साधारण कोटि के साधक को प्रतीक की बड़ी आवश्यकता होती है, इस लिये जन-कल्याण ही के लिये ऐसी प्रेरणा श्री श्रीधरदेव को मिली।

ऊपर बताया जा चुका है कि यह गांव गंगा-तटवर्ती है और जिस स्थान पर मूषिका-मार्जार-युद्ध हुआ था उस समय उसी डीह के नीचे गंगा का घाट था। श्री श्रीधर देव अपनी आराध्य देवी की प्रतीक्षा उसी स्थान पर पहुंच कर करने लगे।

प्रातः काल जब पूर्व क्षितिज पर भगवान भास्कर उदीयमान हो रहे थे तो उनके अरूण-किरण जाल में आवृत ज्योतिः स्वरूपा भगवती बाला मृत्तिका के खापर में पुण्य सलिला गंगा के प्रवाह में तिरोहित होने लगी। श्री श्रीधरदेव को अपनी इष्ट देवी के इस रूप में सद्यः दर्शन मिले और फिर विनती पूर्वक अभिवादन कर उस देदीप्यमान खप्पर को छान कर जन-समूह के बीच ही घाट वाले डीह के ऊपर लाये। यह वही स्थान था जहां पहले मूषिका-मर्जार युद्ध हुआ था। उस ज्योति स्वरूपा बाला भगवती को श्री श्रीधर देव ने मिट्टी की पिण्डी में शास्त्रीय विधि से प्रतिष्ठित किया। महाकाली, महालक्ष्मी तथा महासरस्वती समष्टिरूप में भगवती बाला में ही अधिष्ठित हैं।

इसलिये इन देवियों का पृथक-पृथक भी प्रतीक श्री श्रीधर देव ने स्थापित किया और इस प्रकार उस समय मृत्तिका की चार पिण्डियां पधराई गई। इन्हीं चार पिण्डियों में क्रम से भगवती बाला, महाकाली, महा लक्ष्मी और महासरस्वती का पूजन अर्चन होने लगा श्री श्रीधर देव ने पीछे चलकर अपनी समाधि इन प्रतीकों के उत्तर भाग में ली थी इसलिये समाधिस्थल की पिण्डी मिलाकर अब कुल पांच पिण्डियों का पूजन होता है।

स्थापना हो जाने के बाद उपासना का क्रम चला और जनता के सहयोग से मन्दिर का निर्माण भी हो गया। श्री श्रीधर देव ने क्रमशः शक्त धर्म-प्रचारार्थ और जन-कल्याणार्थ आसपास के अन्य स्थानों में भी महाविद्याओं के प्रतीकों एवं विग्रहों की स्थापना की। उनमें पाली में परमेश्वरी की स्थापना भी की गई थी जो भगवती परमेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हैं।

यह पाली ग्राम टाल की उपजाऊ भूमि के बीच हरूहर नदी के तट पर है। प्राचीन काल में टाल की भूमि आबादी नहीं थी और बड़हिया ग्राम के पश्चिमी भू-भाग झाड़ियों से अच्छादिन था जिनमें विषैले सर्प अत्यधिक पाये जाते थे। ये ही सर्प बरसात के मौसम में जल प्लावन होने पर बड़हिया ग्राम में भी चढ़ आते थे और उनके काटने से अनेक प्राणियों को काल कवलित होना पड़ता था। श्री श्रीधर ओझा ने जगदम्बा श्री बाला से यह बरदान प्राप्त किया था कि यहां के जो निवासी जगदम्बा का स्मरण करते हुए श्री श्रीधर ओझा के वरदान की योजना वाक्यों में करके एक हांथ से कूप जल खींच कर जिस प्राणी को पान करायेंगे वह सर्प विष से मुक्त हो जायगा। आज तब वह वरदान सफल हो रहा है। सर्प विष निवृत्ति के लिये इस से बढ़ कर कोई महौषधि नहीं है।

दुर्दान्त यवन कांमगार खां द्वारा मगध में जब बल पूर्वक धर्म परिवर्त्तन का कार्य आरंभ हुआ, तब उसने इस ओर भी आक्रमण करना चाहा। यहां के निवासी बड़ी मुसिबत में पड़े। वे लोगों करूणामयी भवानी की कातर स्वरों में प्रार्थना की। भगवती की कृपा से आक्रमणकारियों को भागना पड़ा। तब से यवनों का आतंक यहां से समाप्त हो गया। इस तरह के उदाहरण अनेक हैं जब भगवती ने यहां के लोगों को संकट से उबारा है। आये दिन भी अनेक घटना इस तरह की देखी गई हैं जिन्हें लिखना संभव नहीं है। प्रत्येक वर्ष यहां के ग्रामीण द्वारा शत्चण्डी पूजा कई बार होते आया है और सहस्त्र चण्डी यज्ञ भी कई बार सम्पन्न हुए है। अन्य पूजा उपचारों के साथ भगवती को झांप भी चढ़ाया जाता है। दोनों नवरात्र में भगवती स्थान में अपार भीड़ होती है। इस तरह यहां के निवासी भगवती की सेवा में तत्पर है।

श्री जगदम्बार्पणमस्तु :

पटना

रामनवमी, संवत् २०२६ विक्रमी

परिशिष्ट—२

कविता और गीत

परिशिष्ट—२

कवितायें

श्री रामरूप शर्मा जी 'स्वच्छ' उपनाम से कविताओं की रचना करते थे। स्वरचित कविता का पाठ उमंग के साथ किया करते थे। उनकी रचनाओं का खासा संग्रह तैयार है। वह नितान्त निर्धन थे। कई बार अच्छी नौकरियों पर गये परन्तु स्वच्छन्द आचरण एवं कवि की प्रकृति के कारण कहीं पर टिक नहीं सके। उनकी रचनाओं में साहित्य का पुट भी मिलता है। अच्छा होता कि किसी संस्था की ओर से उनकी कृतियों का संग्रह प्रकाशित हो जाता।

उनका 'जन्मभूमि-स्तवन' यहां दिया जा रहा है :

भारत पवित्र देश सुन्दर सुरम्य भूमि
नाम बड़ही को सब जाने हो सुज्ञानियो।
बड़ही विशद ग्राम बसे मुंगेर जिलवा में
धन-धर्म-पूर्ण प्रकाश हो सुज्ञानियो॥

जहवां की रक्षा करें सारंग धनुषधारी
संग में विराजे आदि शक्ति हो सुज्ञानियो।
जगमग ज्योति जग विदित विशद यश
त्रिपुर सुन्दरी सुखदानी हो सुज्ञानियो॥

सर्प दर्प दलित दुरावे दुख दुर्मति
भारी अवलम्ब जगदम्ब हो सुज्ञानियो॥
सवा कोस सीमा बीच बड़ही महाल
टाल लाखों बीघा खड़ी-खड़ी खेती हो सुज्ञानियो॥

कोट सम चारो ओर सुन्दर सघन वृक्ष
प्रकृति नटी की नृत्यभूमि हो सुज्ञानियो।
महुआ पनस अम्ब अमरूद बेल
बांस सीसो नीम कदम कतार हो सुज्ञानियो॥

बहु जाति बहु भांति विहग किलोल करैं नभ में
सरस राग रागै हो सुज्ञानियो।
पाली परमेश्वरी के प्रवल प्रताप तैं
हरूहर सरिता सुहावे हो सुज्ञानियो ।।

बड़ही में धर्मशाला, पाठशाला, गोशाला
स्कूल, कालेज, पुस्तकालय हो सुज्ञानियो।
राजा इन्द्रदमन से प्राप्त किये पृथु ठाकुर
तब हीं से ख्यात गुण गौरव हो सुज्ञानियो ।।

उन्हीं के वंशज में महा भाग्यशाली भए
प्राण चौधरी के नाम विमल सुज्ञानियो।
इन्द्र, शिव, गोपीनाथ, दानी सन्मानी भये
जीवन सुनाम के आधार हो सुज्ञानियो ।।
दुखन, प्रयाग, गौर, श्याम, रामचरण, रामसेन,
धनी धनराज हो सुज्ञानियो।
अन्न-धन-जन परिपूर्ण है विशाल ग्राम
हिन्द में न औरो ऐसन ठाम हो सुज्ञानियो ।।
तोताराम, महेश सिंह, सुन्दर न्यायकारी
जाकि बल पाये सब सुख हो सुज्ञानियो।
धनद विभीपण के धाक धनवान
बीचमान टुकानाथ के महान हो सुज्ञानियों।

बड़ अकल रामपाल के जिला बीच
जीतू मल्ल युद्ध में निपुण हो सुज्ञ'नियो।
बदरी विशाल तन तौलई में आठ मन
ऐसो जन जग न लखात हो सुज्ञानियो ।।

बल वेप्रमान मान महिषा के दर्प दलि
मही माहिं मुँह की खिलाय हो सुज्ञानियो।
गजब के गौरव गुमान गंज निहार
भये रामसहाय सिंह बलवान हो सुज्ञानियो ।।

शूरवीर वली की प्रसूता पूण्य भूमि यह
एक से सपूत एक भये हो सुज्ञानियो।
बड़ही में माननीय पंडित जगतानन्द जी हैं
जो हैं व्याकरण में निपुण हो सुज्ञानियो॥

गांव के दक्षिण मांहि सुन्दर बाजार बसे
जहँ सोभे सेठ अर्जुन दास हो सुज्ञानियो।
उन्हीं के लघु भ्राता सेठ घनश्याम दास जी के
कृपा सोभे स्कूल हो सुज्ञानियो॥

यशी डाक्टर में सुयोग्य सानुकूल बाबू जनता में
मान्यता पावे हो सुज्ञानियो॥
कवि रामरूप सुजन्य - भूमि पुण्य - भूमि
गुण गाउँ वलि जाउँ हो सुज्ञानियो॥

गेहूं, जव, मटर, मसूर, चना,
होत घना रवी की फसल अंगना हो सुज्ञानियो॥

—०—

[illegible]

स्वर्गीय श्री रामसरोवर शरण सिंह जी, (रामचरण) इस गांव के आदरणीय विद्वान सज्जन थे। रामायण के निपुण ज्ञाता थे, श्री दीनदयाल सिंह जी के शिष्य थे और नियमित रूप से रामायण की शिक्षा प्रतिदिन दिया करते थे। उनके कनिष्ठ पुत्र श्री मथुरा प्रसाद जी अपने ढंग के कवि हैं। ४१ वर्ष के तरुण हैं तथा साहित्य सेवा, कविता एवं मगही-बोली के साहित्य शोध में तल्लीन रहते हैं। स्थानीय बोली में आपकी स्वरचित कवितायें आपकी वाणी में सुनकर स्थानीय व्यक्तियों को विशेष आनन्द प्राप्त होता हैं। 'रुदन का-गान'; 'चुनाव का हुड़दंग' तथा 'कजरौटी नामक आपके कविता संग्रह प्रकाशन की प्रतिक्षा में है। यहां आपकी पांच कविताओं का अवलोकन अभीष्ट है।

आपकी आकाशवाणी पटना से प्रसारित कुद कवितायें उद्धृत हैं:—

– १ –

तीर - तलवार

व्यंग – कटाक्ष

जे कि धरती पर उगल हल फसल नै रहलै
सब यहाँ नकली कहीं कुछ असल नै रहलै
डालडा = मय ई जगत के हाल नै पूछोऽ
आदमी में आदमी के – नसल न रहलै।

१३ सितम्बर १९७०

– २ –

सरकार बदल के की करतै

जव दिल न बदलतै यारन के दिलदार बदल के की करतै
जब गांव के लोग बदलतै नै सरकार बदल के की करतै

प्रज्वलित शिखर हिमगिरि के है
गंगा के जल उफनाव ऽ है
आजादी गिरि के खंडक में
अंखिया भर लोर वहाव ऽ है

मनु के पशु अैसन जीअै के अधिकार वदल के की करतै
जब गांव के लोग वदलतै नै सरकार बदल के की करतै

रामायण गीता या कुरान
पढ़ते–पढ़ते युग बीत गेलै
माया न पलटलै ममता के
उल्टे जग से परतीत गेलै

जव मन के रोग वदलतै नै उपचार वदल के की करतै
जब गांव के लोग वदलतै नै सरकार वदल के की करतै

कोय केतनै काकातूआ सन
रट-रट के जान गाँवैतै गन
आपस के भेद न मिटतै जब
असली सुराज नै पैतै गन

हर रात कटऽ है कारा में भिनसार वदल के की करतै
जब गांव के लोग बदलतै नै सरकार वदल के की करतै

कोय के तनै वांटै नोट यार
राशन दै उझल कोठारी में
दै पेट भले भर सोना से
झुलवै चांदी के थारी में

जब तक समाज में समता नै सत्कार वछल के की करतै
ज़ब गांव के लोग बदलतै नै सरकार बदल के की करतै

१२ फरवरी
आकाश वाणी–पटना

– ३ –

सींमा सुरक्षा

अव आंख देखैंतै नै दुश्मन सीमा में हमर समैंतै नै
ई शस्य श्यामला धरती केऽअँचरा में दाग लगैंतै नै
हे 'गरव ज्ञान के गीता से
जे गाल वजैतै गरस लेबै'
जे ताव चढ़ैतै त्योरी पर
तलवार से तरवातरस लेबैं

हक और हकीकत रोटी पर कोय जुल्मी दाँत गड़ैंतै नै
ई शस्य श्यामला धरती के अंचरा में दाग लगैंतै नै
अब दिन बितलै बतियाबै के
हम गजग ही समां गमर जैतै
जब सींच देबै हम ताकत से
असमान के देह नमर जैतै
जब शंखफूंकबै पांचजन्य दुर्योधन विगुल वजैंतै नै
ई शस्य श्यामला धरती के अँचरा में दाग लगैंतै नै

हम शिवा क्षत्रपतिसन सुरियल
भाला प्रताप के नोंक नियर

हम ही कराल कदराहा नै
तूफान हवा के झोंकनियर
हम जने फेरबै आँख अपना कोय अप्पन आँख नेंचैतै नै
ई शस्य श्यामला धरती के अँचरा में दाग लगैतै नै
ताण्डव हम्मर भौं पर थिरकल
त्रिशुल हाथ में धैने ही
शिव सन समधि ले सीमा पर
वाघम्बर अपन बिछैने ही

हर हस्ती हमर हिमालय है कोय हमरा से टकड़ैतै नै
ई शस्यमला धरती के अँचरा में दाग लगैतैं नै

१८ अक्टूबर' ७१
आकाशवाणी–पटना

– ४ –

किसान गीत

चल रे गोला चल रे मैना राह में, केखनै अटकें नै
राहे रात अन्हरिया कटतौ कान्हा अपन पटकें नै

चल जल्दी चल गाँव दूर हौ
अभी तो आधे अैलें हें
दिन दमकश भर दौनी करके
साँझे सानी खैलें हें
चल दौड़ल चल, चल मटकल चल, मस्त बनल चल, मटके नै
राहे रात अन्हरिया कटतौ, कान्हा अप्पन पटकें नै

हम की करियौ दाना खल्ली
घी मक्खन तो सपना हौ
तोरा छोड़ के ई गरीव के
कोय न जग में अपना हौ
तोहीं हम्मर भाग्य किरण हें चाँद गहन में चटकें नै
राहे रात अन्हरिया कटतौ, कान्हा अप्पन पटकें नै

पढ़े साल सब परती पड़लौ
एको बूँट उपजलौ नै
नै लगलौ नख नेह महावर
ढ़ोल पिपहियां वजलौ नै
वेटी रहल कुमार, कुन्डली देखल गेल उलटके नै
राहे रात अन्हरिया कटतौ कान्हा अप्पन पटकें नै

१२-७-७१
आकाशवाणी—पटन

॥ ५ ॥

सावधान

सावधान सीमा पर रह सगरे निगरानी रखिहा
लुटै न दिहा सुहाग देश के मुह के पानी रखिहा

सीमा पर गोला बरसैहा
घरो में रहिहा – बचले
घुर रहलो हे घर के दुश्मन
स्वांग धरे – घर – रचले
सावधान रहिहा ओकरो से हर – नजरानी रखिहा
लुटै न दिहा सुहाग देश के मुह के पानी रखिहा

जात जो कहतो जात में आनें
कहियो जात न बोलें
अमृत न छींटे दुश्मन पर
घर में विष नै घोलें
माल बचैहा, लुटे न लुटिया, खुद मलकानी रखिहा
लुटै न दिहा सुहाग देश के मुह के पानी रखिहा

गाँव के लोग जमान से कहदा
सीमा पर जो – डट जो
एक-एक दुश्मन पर पलखत
पा पिपड़ी सन पट जो
मन के गैंठ जोड के मन से तन के तानी रखिहा
लुटै न दिहा सुहाग देश के मुह के पानी रखिहा

कसो न दिहा कसम हो तोहरा
कमर कसौ जो अहिया
धँसो न दिहा कभी धरती पर
धर्म युद्ध के पहिया
मुख रखिहा राणा सन चकमक, रुख, मलखानी रखिहा
लुटै न दिहा सुहाग देश के मुह के पानी रखिहा

परिशिष्ट—२

ग्राम गीत

परिशिष्ट–३

ग्राम गीत

ग्रामगीत हमारी प्राचीन संस्कृति के प्राण हैं।

इनमें इतिहास बैठा रहता है। सभ्यता दौड़ती रहती है। संस्कार झलकते हैं। रवाज झांकते हैं। परम्परागत संस्कृति चमकती है। यद्यपि विद्या का गौरव और बुद्धि का चमत्कार खोजने वाले को हताश होना होगा।

साहित्य की विविध विधायें, छन्द शास्त्र के व्यायाम, काव्य शास्त्र के उहापोह, और भाषा की दुरूहता इत्यादि के जंजाल और प्रपंच इन्हें नहीं छूते। पर ये गीत रस से भरे रहते हैं। आप को गुदगुदाने और गद्गद करने के लिये सदा ही काफी होते हैं।

हमारे मर्म को छूने वाले, अनुभूतियों को जगाने वाले, अजीव मोहक मनोहर ये गीत भावनाओं एवं वास्तविकताओं की ठोस, कोमल, कठोर भूमि पर आधारित होते हैं। ऐसे ग्रामगीत एवं भजन प्रायः स्थानीय प्रतिभाओं की ही कृति होते हैं जो अज्ञात रहते हैं ताकि उन्हें सनातनता का सम्मान प्राप्त होता रहे। इनका भंडार अक्षय है। गुण–ग्राहकों के परिश्रम की आवश्यकता है कि इनका संग्रह और संपादन करें। किन्तु इनकी सहज स्वाभाविकता, इनकी भाषा की सरलता, इनकी शब्द-योजना का अल्हड़पन और इनके रस-परिपाक की मौलिकता पर इनके शोध संपादन का विपरीत प्रभाव नहीं पड़ने देना चाहिए।

इन गीतों से हमारी स्थानीय भाषा एवं बोली के सनातन रूप का परिचय मिलता है। जीवन पद्धति का पता मिलता है और आपस की नातेदारी के व्यवहार एवं मनोविनोद की रीति-नीति पर भी प्रकाश पड़ता है। इसी दृष्टि से कुछ ही नमूने उपस्थित किये जाते हैं।

जन्म समय गाये जाने वाले गीत, जन्म के पहले भी गाये जाते हैं, इन्हें सोहर कहते हैं। जच्चा के कमरे के द्वार पर बैठकर घर की महिलाएं प्रेम पूर्वक ये गीत गाती हैं।

(१)

अंगना वहारैत चेरिया, सुनह वचन हमार

ललना द्वार ही सुतल देवरवा,
देवरवा के बुलावह।

जुअवा खेलते तो हैं ब-बुआ········(नाम)
सुनह वचन हमार॥

ललना हो सुनह वचन हमार।
बबुआ तोरे भौजी दरद व्याकुल,
तोहरा के बुलाहट।
एक गोर एहरी से देहरी
दूसरा गोर पलंग पर।
भौजी कौन गरज तोहरा लागल,
हमरा के बुलाहट॥
ववुआ दुअरहीं सुतल वलमुंआ,
बलमुंआ के वुलावह।
पोथिआ पढ़त तो हैं भईया
तो सुनह वचन हमार।
भईया तोहर धनिया दरद व्याकुल,
तोहरा के बुलाहट।
एक गोर एहरी से देहरी,
दूसरा गोर उपरे।
धमसि पैसल गढ़ उपर,
कहु धनि अपन कुशल।
का कहब हम कुशल,
डांड़ा मोरे माथा ले करेजी, जीउ।
ओटिया चिहकि मारे।
ऐ ललना बांधल केशिया भसम लोटे।
ऐल बड़ा दरद।
लाली रे चुनरिया पहराय देव,
पलंग बैठाय देव।

दूधवा पिलाय देव,
दरद कसे बांटिव।
पलंगहि बैठल हथिन सासुजी,
सासुजी के बुलाय लाव।
बैठल तोहे भईया
सुनह वचन हमार।
मोरेघनियां दरद व्याकुल,
तोहरा के बुलाहट।
कौन व्रत तोहें कैली,
पुत्रफल पायल।
आठही माघ नहैली,
नवें बैशाख,
विधि के कैली एतवार
पुत्रफल पायल॥
आधी रात गैल, पहरी राती
होरिल जन्म लेला
बाजे लगल आनन्द बधावा
महल उठे सोहर।
सासुजी उठलन गावैत ननद; बजावैत।
ललन चेरिया उठल हरखाई।
मंगल गावे, गाके सुनावे।
ललना सुनह बचन हमार।

॥ २ ॥

दुरवा से मोरे पिया हंसत ऐलन और बिहुसत ऐलन।
चकरायल घनियां दिन-दिन मुहमां पियरायल
छंडवा चकरायल, बहिनियां हम बुलायव।
एतना वचनियां जब सुनलन, सुनि के चिहकि उठलन,
ललना कहां रे ऐहैं ननद उजागर,
घरवा मोरा बिगाड़ि हैं।

एतनौ बचनियां जब सुनेलन, सुनलेन दुलरैत भैंयां।
घोड़े पीठ भेला सवार, बहनियां हम बुलायब।
चौथे महीनमां जब बीतल, ननद बिहुंसि बोलेल
भोजी हमे लेव हाथ के कंगनमां, होरिला खेलायब।
पहिल वनिज के कंगनमां, कंगनमां कैसे देब दीहव।
मचिया बैठल मैया, मैया सुनह बचन मोरा।
तोहर पुतहु कहल कंगना, कंगना जीया लागल।
सहुरिया बैठल तोहें पुतहु, सुनहु वंचन मोरा।
दे चालु हाथ के कंगनमां, बेटिया मोरा पाहुना।
होरिल पुत हम तेजब, जाली बन्द सेबव।
पहिल वनिज कंगन, कंगना कैसे दीहव।
चुप रह चुप रह बहिन, सुनहु बचन हमार।
लेव, दुसर विआह, कंगन पहिरायव।
खोईछा कै लीहलन, कंगनमां अंगनमा बीच दीहलन।
लेहु छीनरो हाथ के कंगना, सैतीन बनि जाहु॥

॥ ३ ॥

सोहर

मचिया बैठलि तोहिं सासुजी,
तों सुनहु बचन हमार। ये सासुजी,
कौन वरत रउरे कैलीं
पुतर फल पैलीं हे। ए सासुजी॥
एक हम माघ नहैली, दुसरे वैशाख न
हे बहुआ। विधि के कइलीं एतवार॥
पुतर फल पैलीं।
भंनसा पईसलो तोहे गोतनी, सुनहु वचन मोर।
हे गोतनी अपना बलक का पैंचा दीहो तो राजा सुनिहैं
सोहर न॥
हे गोतनी नोन पैंचा, तेल पैंचा औरी सब पेंचा।

गोतनी है ।

बड़रे दरद के होरिलबा से हो कैसे पेंचा ।
आधी रात गइल, पहर रात होरिलबां
जनम ले ले ।।
बाजे लगल आनन्द बधाबा महल उठे सोहर ।।
सासुजी उठलन गावत है ननद बजाबत,
हे ललन गोतनी उठल विषभाघल,,
गोतिवा घर सोहर । हे ललना ।।
सासु के देवत खटिया, ननद के मचिया
हे ललन । गोतनी के देवत पलंगिया हमें गोतनी ।
पेंचा ।।
सासु के देवन करुआ तेल । ननद के तिसिया तेल ।।
औरा गोतनी के फुलल तेला । हो रामा ।।

॥ ४ ॥

दूरवा से पिया मोर हंसत आइलन और विहंसत
अइलन; ऐ ललन
दिन-दिन मुंहवा पियरायल, डंड़वा चकरायल
बहिनियां के हम बोलायव हे ।।
एतना बचनियां जब सुनलन
सुनके चिहुंक उठलन प्रभु जी ।
कहां हे अइहें ननद उजागरि घरवा मोरा
विगाड़िहैं ।।
एतना बचनमा जब सुनलन, सुनलन दुलरैत (नाम) भैया
घोड़े पीठ होला असवार, बहनियां हम
बोलाईल ।।
अगिलैहैं घोड़बा अमुक भईया
डड़िया अमुकी बहिनियां ।।
आव है, ननद सोहागिन बैठ हे पलंग चढ़ी ।
भइयाजी के जनमल भतीजबा

मेटिया करिए लेहो ।
चुमिए लाबर लेह,
लबटि घर चलिजा ॥

(५)

कोठी में से निकलत खखरी
रौदा में सुखावल ऐ ललना ।
रगड़ि–रगड़ि खखरी पीसब
रोटिया बनाएब है ललना ।
कब गेली, किय गैली ननदो, तुही मोरा
रानी न है ।
हाली-हाली करहो जेवनार चेतह गृह आपन ।
भउजी भैयाजी से भेंटवा करा दोह
चेतव गृह आपन हो लाल ।
तोहर भईया विदेशवा औरा चकरिया गेलन
हो लाल ।
खोइंछा में ली हो बंगौरा, चेतह गृह आपन ।
एक कोस गेली, दूई औरो तीसर कोस
ऐ ललना, रास्ता में मिललन (अमुक) भईया
भेंटिया होईगइल हो लाल ।
वहिनी, के तोरा कैलको बिदगिया चेतह गृह आपन ।
ए भईया भउजी मोरा कैलन बिदगिया ॥
गैठ आगे वहिन मोर गेलतरे और चन्दन तर,
हम तोरा करवउ बिदगरिया, चेतह गृह आपन ।
कने गेली, किय भैली, धनियां तो सुनहु बचन मोर,
ए धनियां नैहर से ऐलो मेउतवा हम जायब हो लाल
झांपी में से निकालल पियरी और पीतंवर
हे ललना ।
तहे-तहे मोहर बिछावल, पेन्हऽ अगे वहिन मोर
पीयरी औरे पीतम्बर हो लाल ।
खोइंछा में जे लीह मोहुरिया चेतह गृह आपन ।

॥ ६ ॥

कौने बाबू के अंगना जमीरिया जमीरी लहालही
हो लाल,
ललना कौने बाबू के बबुआ गरब हो सांई।
मने-मने हरसे हो लाल।
अमुक बाबू के अंगना जमीरी लहालही हो लाल
(अमुक) बाबू के बहुआ गरब हो सांई।
मने-मने हरसे हो लाल। मने-मने विहंसे हो लाल।
वर पछुआ बढ़इया भैया तों ही मोरा हित बसहु हो लाल।
ललना रंचि काटहु जमीरिया खटोला सजाई हो लाल,
घर पछुआ परेवा भईया तोंही मोरा हित बसहु हो लाल,
ललना पारे सुत बिनह खटोलवा तो होड़िलवा
सुलाइब हो लाल।
एक कोर सुतल दुलरैत अमुक तोसर कोर दुलहनिया
हो लाल,
ललना मांझे ठैंया सुतले होड़िलवा, देखन
सुहावन लागे हो लाल।
हंस के पुछथीन दुलरैत बाबू और दुलरैते बाबू,
हो लाल।
ललना कहु धनी बाप माय के नाम।
बांचि सुनावहु हो लाल।
बाप जे हमर पंडित भैया पंडिताईन हो लाल,
ललना सातो भईया पढ़ल पंडित बहिनी ससुर घर
हो लाल।

मुंडन (१)

अंगना सजि बाबा दुअरे निर्गेह जी बाबा
हाली--हाली ब्राह्मण के बुलाव
पतरवा सहित चलि आव। लल्ला जी के मुंडना हे।
बाबा हाली--हालो नउवा के बुलाव हे

अस्तुरवा सहित चलि आव। बबुआ जी के मुंड़ना है।
बाबा हाली-हाली फुआजी के बुलाव,
दहिया सहित चलि आव। लल्ला जी के मुंड़ना है।

बाबू जी, चाचा जी भईया जी ई० के संबोधन से इसकी आवृति की जाती रहती है और गीत का गायन प्रलंबित होता रहता है।

लल्ला नउआ जे अउरी पसारे
हमें लैबी सोना के उस्तुरवा। लल्लाजी के मुड़ना
बाबा ब्राह्मण जे अउरी पसारे,
हमें लैबी सोना के परतबा। लल्ला जी के मुड़ना
लल्ला फूआजी औरे पसारे
हमें ले बो सोना के कंगनमा।
होड़िला जी के मुड़ना
फूफा जी औरी पसारे
हमें लैबो चढ़ने के घोड़बा
लल्ला जी के मुंड़ना
लल्ला, घोखा चढ़िए घरबा जायब
होड़िला जी के मुंड़ना।

उपनयन

।। १ ।।

दे द्दी मामां हे,
लड्डुआ ओरों घीआ शक्कर
हमें जैबो काशी विद्या पढ़े।
विद्या फल चाही।
काहे के देब बरुआ लड्डुआ औरो घीआ शकर।
घर ही में बाबा पढ़ल पडित, घर ही पोथी बांच।

चाचा, भाई बाबूजो इत्यादि के संबोधन से आवृति रहती है।

।। २ ।।

खंभवा ओटंगल दुलरैते मामा

सु पिया पंडित ।
आठ वरस [illegible] अमुक वरूआ
पडित कहि डालह । ब्राह्मण करि डालह
अहे अहे धनी सुलच्छन हे सुनह धनी सुन्दरी
लाख टका लाख धोतिया लाख विप्र के भोजन ।

विवाह

।। १ ।।

कैसे हाथी आवत, कैसे लोग,
कैं भाई राम अवत, तिलक लिलार। गे माई।।
दश सै हाथी आवत, पचास से लोग
चार भाई रामे ऐता, तिलक लिलारा गे माई।।
हाथी खायत किय,. लोग किय
किय राम खेता तिलक लिलार गे माई ।।
घास भूसा हाथी खायत, दाल भात लोग
दूध, खांड़ राम पियत, तिलक राम गे माई।।
कहमां हाथी उतरत, कहमां लोग
कहमां रामा उतारता तिलक लिलार। गे माई।।
कुरूखेत हाथी उतरत, दुआरिह लोग
मंडवहि रामा उतारता, तिलक लिलार। गे माई।।
राम जी के हाथ नारियल करू दान,
दान दई हाथी समदब दहेज दई लोग,
धिया देई राम समदब, तिलक लिलार। गे माई।।

।। २ ।।

जब रे गहूम के अवटन राई सरसों के तेल
और फूलेल
से हो बेट बैठल अवटनमां लगाबहे मामा
हाथ कंगना डोलावे नैन घुमावे से हो वेटा बैठल अवटन
लगाबहे माता।
हे चाची।

हे फूआ ।
हे भउजी ।
हे वहिनी ।
हे सोहागिनी, हाथ कंगना···· ···· इत्यादि···· ····

।। ३ ।।

चन्दन काठ के मलबा हे मलवा से हो
मलवा हे नारायण तेल ओहो मलवा हे
सोहाग के तेल
ओहे मलवा ओह मलवा, रंचि एक नुंहमां
पसारू दुलरैते बाबू लोग जाईले
जइले । सोहाग के तेल। लोग जइती है नारायण

(४)

कन्याह्वान

कौने वन वोले काली कोयलिया
कौन वोले मोर हे ।
केकर महलिया में वोलथीन सिया वेटी ?
अवे वावा भइली सयान हे ।

पूरव खोजल वेटी, पछिम खोजल,
खोजल देश विदेश हे,
तोहरा के जोगे वेटी, वर नांही मिलल
अवे वेटी रहती कुमार हे ।

चली जाहो वावा है अयोध्या नगरिया,
जहां वसे राजा दशरथ हे !
राजा दशरथजी के चारि हो लाल
दूई सांवर दूई गोर हे ।

उनके के अजी वावा चन्दन चढ़ैह
उनके से होंत विवाह हे ।
कर जोड़ि अजी वावा विनती करिह
मान जैतन श्री राम हे ।

(५)

आजु सोहाग की रात चन्दे तुम उगियो।
मौरी पर उगियो नदिया पर उगियो।
आजु नवेली की रात। चन्दे तुम उगियो।
जोड़ पर उगियो। कालर पर उगियो।
आजु नवेली की रात चन्दे तुम उगियो।
मौजा पर उगियो मेहदी पर उगियो।
आजु सोहाग की रात चन्दे तुम उगियो।
दुलहा पर उगियो, दुलहीन पर उगियो।
आजु सोहाग की रात चन्दे तुम उगियो।

(६)

पर्वत ऊपर बाबा मुरगवा बोले
बोले जी मुरगवा बोलिया जे करेजवा साले।
जागी सोइयह जनगी सोइयह जी सभे बाबा
मंड़वा तोहर जी बाबा चोरी होयत।
सारी राते बेटीयजनबां बाजे
जे भिसरवा होने जो बेटी पराया होयवी।

(७)

बाबा के घोड़ा चढ़ि आते महरजवा
हमार गलिया।
इतर छोटे महराज हमार गलिया
हे जी चाचा के घोड़ा चड़ि आवे गलिया महरजवा
हमार गलिया।
फूल छोटे महाराज, हमार गलिया।

।। ८ ।।

द्वार पूजाः

कहमां से ऐलो वर हे रसिया के जोगे
लैलन मोतिअन के हार माई हे।
हंसि हंसि पूछे रामजी, सखियां जनकपुर के
मैया तोरा कारी, बाप तोरा कारे जी राम जी

नयना सुवयना कैसे गोर माई हे
कहमां से ऐले वर ए हो रसिया के जोगे ।
अवध से ऐले वर ए रसिया के जोगे
लैलन मोतिअन के हार माई हे ।

(९)

द्वार छेंकीः

छोड़व नहिं दुआरे हो सुनिए रघुनन्दन
जो नहिं राखहु पास रतन, कुछ,
वैठहु बहन महतारी जी ।
सुनिए रघुनन्दन ।

छोड़व नहिं दुआरे हो सुनिये रघुनन्दन ।

(१०)

मंगनी के हथिया है भंड़आ झलकी
दिखाया रे

दूर भंडुआ, कूटना, नगर को हंसाया रे
थूक तेरी दाढ़ी में, विलोकी वाजा लाया रे
हम तो मांगा छौंड़ा, छौंड़ा बूढ़ा काहे आया रे
थूक तेरी दाढ़ी में विलोकी वाजा लाया रे
हम तो मांगा गोरा गोरा, काला काहे लायारे
थूक तेरी दाढ़ी में विलोकी वाजा लाया रे

(११)

आशिर्वादः

एहो वड़ भैसुर के कैसे देवन गारी जी
टीका लैलन, ऐरन लैलन, नेकलेस संभारी जी
एहो वड़ ···· ····
वाजू लैलन, जौसन लैलन, कंगना संभारी जी,
एहो वड़ भैसुर के ···· ····
साड़ी लैलन, साया लैलन, वलाउज संभारी जी,
एहो वड़ ···· ····
कड़ा लैलन, छड़ा लैलन, पांजेव संभारी जी
एहो वड़ ···· ····

।। १२ ।।

माय ननदो के आंगना में वेली हे चमेलिया
माय तेही तर दुलरंते वावू डसलन सेजिया।
सूपती खेलैती हे राजाजी के वेटिया
माय लपकि धैलनि हे धाय के दाहिनी हे बंहिया
छोड़ि छैल छोड़ि छैला मोही दाहिनी हे बंहिया
टुटि जैतन संख चूड़िया, मुरकि जैती है बंहिया।
टुटि देहीं टुटि देहीं शंख चूड़ि हे वहियां
माय फेनु के वेसाही देवो सोना के हे कंगना।
माय असल जो होइव दुलरंते वाप के वेटिया,
लीलुहा न छुअव छैल सोने के हे कगना,
माय असल जो होईव दुलरंते वावू के बेटवा
लिलुहा पकड़ के पहनाम देव हे कंगना।

।। १३ ।।

कोहबर :

कांचीओ मेथिया हे सुवासे वासे
मेथिया हे ठुरी ठुरी सेहो देश चलल हे
दुलरैत वावू
घोड़ा वांधलन हे चन्दन तर
धाय पैसल वावू गौरी घर
गौरी मोरा दुलहीनिया रानी
किए तो खेलवी कमलदह धानी
कमलदह
किए खेलबी जमुना दह
कि चलवी हमरा संग।।
जव हम हलिए प्रभु खेलन जोग
तव खेलली कमलदह तव खेलली जमुना दहं
अव हम भेलिए जी प्रभु तोरे जोग
अव चलव तोरे संग।
अगिलैहे घोड़वा हे दुलरैते वावू

पीछू डंड़ीआ हे दुलहीनीया रानी।
अंटहीत पूछु हे बटोहिया भैया हे
कौने तपे हे ऐसन घानी कौने तपे है, सुन्दरी धानी।
बावा मोरा पूजलन है महादेव देवता
अमा पूजलन गौरी देवता
हमें प्रभु पढ़ली हे हरवंश पोथी
उहे तपे ऐसन धानी, उहे तपे सुन्दरी धानी।

नालछेंकी :

॥ १२ ॥

धन धन भाग तोहरा दुलरैते वावा
बेटा पुतहु घर आए
वहुआ सुंख संपत्ति आइ
वहुआ मनोरंजन आई
उंचहि झरोखा चढ़ि सासु निरेखे
निरखे लाल ओहार हरसाई
बहुआ सुंख संपत्ति आई
वहुआ मनोरजन आई।

विदाई :

॥ १३ ॥

डोला लेह डोलिया हे भैया
डोरी डोरी लेह कहार
छतवा लेहु अमुक भैया
बहिनियां संग हे जाउ
यही कोर अमुक भैया
ओही कोर अमुकी वहिनी
ओहलन देही तुहरा लिखल जी भैया
वावा चौपरिया
हमरा लिखल जी भईया जोगिया तपस्या
ओलहन उपदर गे बहिनी मोहि न सुहाय
वावा जी के अर्जन गे वहिनी आधा वांटि लिह

छुट अंगनवां गे वेटी वड़ी परिवार
मिलैते जुलैते गे वेटी परि गेल शाम

बारात प्रस्थान :

॥ १४ ॥

वावा साजु वरतिया सभे मिलि मामा देहु आशीष, सभे मिलि।
जुगे जिओ जुगे जिओ दुल्हा
दुलरैते वावू लौटि जाहो हे
लौटि लाड़ो के सेजिया
हे पलटि जाहो पलटि देलहीन के
सेजिया हो पलटि जा हो ॥
चाचा साजहु वरतिया.... ....
दादा साजुहु वरतिया............
भैया साजहु वरतिया ....

समधी भोजन

॥ १५ ॥

सव सखियां सव सखियां कहे कर जोरी
दशरथ जी पे मिनती मोरी
वहां कोठा महल अटारी
यहां परनकुटीर एक छाई
दशरथ जी से मिनती मोरी ।
एजी वहां तोशक तकिया गलीचा
यहां कुटीओ खरही छाई
दशरथ जी से विनती मोरी
एजी वहां छपन रंग प्रकार
यहां साग अनोना अहारी
दशरथ जी से विनती मोरी
वहां समधी जोरुआ खेलवारी
दैहुन देहुन जनक जी खेलाई
दशरथ जी से विनती मोरी ।

॥ १६ ॥

सात महलिया केरा एक रे दुअरिया लाल
ताहीं मैं दुंलरैंते बाबू मोरिया संभाले रे लाल
मामा दुलरी बाल पूछै अलवेला रे लाल
ऐहो रंगल मोरिया बाबू के रे संभाले लाल
मलिया के जनमल दुलरैंते बहनोईया लाल
एहो रंगल मोरिया माम उहे संभाले लाल।

॥ १७ ॥

सभा में बैठल तोंही बाबा सभे उठे घाय
बाबा साजहु बरतिया उठि काय
मचिया बैठलि तोंही मामा सभे मामा उठि काय
सुपती खेलैती तोंही बहिनी सभे बहिनी उठिकाय
बहिनी हे रंजहु भईया के अंखिया उठिकाय
किय लागि अहो भईया मुंहमां उगारव किय लाय
हे रांजन भईया के अंखिया किए लाय
तेल उबटन लाय मुंहमां उगारव
कजरवा लाय
हे राजन भईया के अंखिया काजरवा लाय।

बेटा विवाह

॥ १८ ॥

जब हे अमुक बाबू घर से बाहर
मेलन, बाजन बाजे पंचगेर हे
बजना के शब्द ही लोग सब आए
छोट बड़ देखन जाहीं हे
धनि तोहर माई धनि तोहर बाप
धनि कोखि लेला अवतार हे।
झरोखाहि मुंह देय सरहज निरखे
कल दल आवे बारियात हे।
गदहा के छाने घोड़ा भल आवें
भुरगा के छनें बरियात हे

सरहज दैया नठली छिनरिया हंसली
मोरा बरियात हे
हथियो घोड़वा हमें नगर खुदायव
सरहज लेव दहेज हे
कानि कानि चिठिया लिखलीन
दुलरैते देई देहनुगे शसुर के हाथ में
कैसन जमईया मायगे रउरे
वैसाही पुत वहु मांगे दहेज हे
जनु बहु हहरो
जनु वहु हहरो
चित जनि फरहु मलीन हे
सोनमां ऐसन धीया डांड़िया चढ़ायव
तोहरा के राखव नुकाय हे।

जोग :

॥ १९ ॥

माय जोग मांगे गेली बेटी बाबा जी के दुअरिया; जोग देलन मामा
सोहाग देलन मामा मनमोहन झूलन लागे।
माय हमें न जानलियो गे वेटी जोग मांगे अइली सोहाग
मांगे अइली अलमनुआ अरता से पातर दुलरैते वेटी।
जोग मांगे गेली वेटी चाचा दुअरिया
जोग देलन चाची, जोग देलन मैया.......वगैरह वगैरह

चुमावन :

॥ २० ॥

अपन महलिया से मामा निकली अपन........

चुमावहु रे ललना धीरे-धीरे। बजावहु रे बीछिया धीरे-धीरे।
अपन महलिया से चाची निकली........
किनका हाथ नारियल किनका हाथ चनन
किनका हाथ बटा भरी पान
आज पुरल मनोरथ मोर। नैन जुड़ाएल, बदन सईं मोर।
रामजी हाथें नारियल, लक्ष्मण हाथें चनन,
कौशल्या हाथें वटा भरी पान, यशोदा हाथें बटा भरी पान।
आज पुरल मनोरथ मोर। नैन जुड़ायल वदन सईं मोर।

बेटा ब्याह :

॥ २१ ॥

मौरी जे तेरा दुल्हा मोहरों की बनी है,
मोरिया की झकाझक वने वागों में हो रही है।
लड़िया की झकाझक वागों में हो रही है
उसी बगिया में एक डलिया झुकी है।
गुरदेव वने की फूल वने वागों में हो रही है।
दुलहिन तेरा दुल्हा एक मोहरों की बनी है।
घूंघट की झकाझक वागों में हो रही है।

॥ २२ ॥

काहे जी दुलरैते बाबू एकेएक अइल, काहे लैला ओछे वरियात है।
हमरा दुलरैते भैया रस्ना पसारल ओहे लइलन ओछे वरियात है।
बांही धरी उठैत दुलरूआ पैंया पड़ी मनैत, साजी ले अइल वरियात हे।

॥ २ः ॥

मण्डपाच्छादन :

केलवा काटी काटी खंभा गड़ायल पान ही मड़वा छड़ाल
हल्दी मंगल के
सखी कीजै सकल व्यवहार हल्दी मंगल के।
हल्दी जे पीसे राजा दुलारी नेग जे मांगे हजार, हल्दी मंगल के।
सखी कीजै सकल व्यवहार हल्दी मगल के।

पडित श्री चंडीदत्त मिश्र रचित कुछ पद नीचे दिए जाते हैं—

कवित्त :

प्रथम जगदम्ब धाम, मौजे बड़हिया ग्राम,
जिला मुंगेर नाम सुघड़ सुहायो है।
द्वितीय पुरव गंगाधार, पच्छिम नदी आर पार,
ठाकुर मंदिर वहार सोभा सरसायो है।
तृतीय ब्राह्मण हैं भूमिहार, वारह पुत्र अति पवित्र माता पिता जाय्रो है
चौथे वलवान धनवान के वखान कविचन्द ये
प्रमाण काव्य रुचिके वनायो है॥

॥ २ ॥

पद महारानी झूमर :

सुनयना गो तोरी गति अगम अपार।
बुद्ध गुनत गणपति खर वदन कुमार सुनयना गो........
वेद पढ़त ब्रह्म थाके शिव न पायो पार सुनयना गो
कवीचन्द नख दुति कान्ती विलोकत तजी देलो कुल परिवार।
सुनयना गो तोरी गति अगम अपार।

जन्मोत्सव झूमर :

॥ ३ ॥

चलो सखी देखे आज भूप के भवनवां वधाई वाजे हो,
भेलई सुन्दर ललनवां बधाई बाजे हो ॥ भेलई ॥
वजत दुआरे पर विविध वजनवां, पड़ेना सुनिहो
बोलो आपनो विरनवां वधाई वाजे हो ॥ भेलई ॥
करिके शृंगार सव पुर नरनारी, मंगल गीत हो गावें
आनन्द मंगनवां वधाई वाजे हो ॥ भेलई ॥
कवि चन्द चल किजे सुफल नयनवां रिझाए
लिये रानी जी के हाथ के कंगनवां वधाई बाजे हो ॥ भेलई ॥

झूला : झपताला

॥ ४ ॥

झूला ना झूलूंगी तोरी पइंआं पड़त हूँ ।
अवहीं उमर लड़िकैंआ डरत हूँ ॥
गरजत चहुंओर, वरसत जलजोर,
रटत पपिहरा सो पिउ पिउ करत हूँ।
बहु विधि वोलत संग लागि डोलत कविचन्द
तुम बिन व्याकुल रहत हूँ।

झूला : गजल

। ५ ।

चलो महराज महरानी कदम छहिआ हिन्दोरे में।
किए शृंगार सव सखिआं खड़ी आकर निहोरे में॥
गड़े हैं खंभ कंचन के जड़े हैं मनिन मोतियन से।
पड़े पटली है चन्दन के गुंधे रेशम के डोर में॥
ये सावन सुख सुहावन है हरएक दुख को नसावन है।
मुनिन के मन को भावन है चहुँ दिसि मोर शोरे में॥
मलारे गारहे बैठके सितारे वजरहे चढ़के।
कवीचन्द का हिआ धड़के निरिख नभके झिकोरे में॥

॥ ६ ॥

झूला : दादरा

कदमतर झूला शाम लगा दो।
दादुर मोर पपीहा बोले, झींगुर की सुधि भूला ॥ कदम
जूही गुलाब केतकी केवड़ा, सघन लता द्रुम फूला ।
कवीचन्द मोरी मिनती सुनिए, दीजे नही उरशूला ॥

कजली : मिर्जापुरी

॥ ७ ॥

आइगैले सावन बहरिआ अरे सांवरिआ ।
दादुर मोर पपीहा बोले घेरी आई कारी वदरिया,
अरे सांवरिआ ॥
घर घर सखीआ डारेली हिन्डोरा, हिलमिल
गावेली कजरीआ अरे सांवरिआ ।
हमरो वलम परदेश में छाये, कब मोरी लींहे खबरिआ
अरे सांवरिआ ॥
कवीचन्द कोई आन मिलावे, होइहों मैं चेरीआ
अरे सावरिआ ॥

होली खंथाली झूमर :

होरी खेलइ मदन गोपाल वृन्दावन गो होरी खेलई
मदन गोपाल
कोई सखि रंग लिये कोई मृदंग लिये कोई लिये
अवीर को गुलाल, वृन्दावन गो होरी खेलई मदन गोपाल ॥
कोई सखी गावई, कोई सखी नाचई, कोई वजावे
करताल, वृन्दावन गो होरी खेलई मदन गोपाल ॥
कवीचन्द निरखत कहत बनत नाही, लखी लखी
होत निहाल, वृन्दावन गो होली खेलई मदन गोपाल ॥

चंडीदत्त मिश्र जी के पुत्र श्री रघुनाथ शरण जी से रचित पद :—

॥ १ ॥

बड़हिया बारह तरफ हैं मान
जहां श्री जगदम्बा स्थान ॥
श्रीमान् परान सिंह के हुए

बारह संतान । कितने संत सुजान
भए धनी गुनी बलवान ॥
रामचरण धनराज इन्द्र
दुखन दानी गौर रामसेन
धनराज गोपी प्रयाग जीवन एक ठौर
सभी दिघवै भ्राता संतान ॥
मूसा और विलाड़ का सवा पहर
भया युद्ध गंगा तीर
पूरब बड़ही में राजत हैं
लेतीं जन का सुध ॥
अगम महिमा जो करै बखान
पाली परमेश्वरी बड़ही में जगदम्ब
दोनों दो दीश बसत हैं, दोनों का अवलम्ब
अगम महिमा को करे बखान ॥
अन्नदाता हैं पाली के जीवदाता त्रिपुर
बड़ही ऐसे नगर को सदा रखें भरपुर
करें नर उनका कहीं भी खयाल
बस्ती में गीरस्ती करते
गौड़ा दीआरा टाल
दश मांह घर बैठे रहले
मिलन भोजन माल ॥
कह हैं एक प्राचीन गीत जन्मभूमि की महिमा में ।
गाया हुआ किसी ग्रामीण कवि का
एक साथ ही इतिहास भूगोल धर्म साधन ।
एवं कृषि व्यवसाय की झांकी
प्रस्तुत है इस छोटी सी कविता में ॥

पंडित चंडीदत्त मिश्र के ज्येष्ठ पुत्र श्री वैदेही शरण मिश्र जी के रचित गीत :

लज्जा राखो मात हमारी
त्रिपुर शरण में आए तिहारी
मठ पैं चार धजा फहरायी

नित्य नरनारी दरस को जायी
अछत चन्दन पुष्प चढ़ाई
करमें साज नैवेद्य की थारी
हे रक्षेश्वरी मां जगदम्ब
नगर निवासी के तु अवलम्ब

कष्ट काटत नहिं होत विलम्ब
जो रखले मन में ध्यान तिहारी
सर्प काटे तेहि विष हर लेत
भक्त को मन वांछित फल देत
वैदेही शरण में रहत अचेत
मात तरें चरण के रज चित्रधारी ।।

॥ २ ॥

जय जय जगदम्ब माय
महिमा अगम गाय वेदो न पार पाय
दीनन प्रतिपाली है
वड़ही नगर मांही मन्दिर सुघर सुहाई
दास करहीं जाय धाम पुष्प लिये डाली ।
अष्टगंध धूप दीप चन्दन से लीपलीप
श्रीधर पिंड समीप हवन होत साली
भगतन पर भीड़ पड़त त्रिपुर के
शरण धरत, जन के सव पीड़
रहत वैदेही रक्षा पाली ॥

* * *

बचपन में जब पाठशालाओं पर पढ़ने की रीति थी तो भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी के दिन 'चकचन्दा' पर्व के अवसर पर गुरुजी अपने शिष्यों को उनके घर पर जुलूस में ले जाते थे। डंटा बजाकर, गीत गाकर बच्चे गुरुजी की दक्षिणा का संग्रह करते थे। दो एक प्रचलित गीत का नमूना है ।

(१)

श्री गणेश जी औरे बौरे
मुठिए मूठ चबावें चौरे
भादो चौथ गणेश जी आए
डंटा खेलन गुरु जी बुलाए
बबुआ रे बबुआ, लाल
लाल ढ़ेबुआ
मांय के कोशल निकाल रे बबुआ।

(२)

श्री गणेश जी चढ़े तुरंग
नौ से मोती झलके अंग
एक मोती हर ताला ताला,
गुरुजी पढ़ाये पंडित वाला।
पण्डित वाला दियो आशीष,
जीओ छातर लाख वरिष।
लाख वरीष के दरस मंगाये,
दिल्ली से गल मोछ मंगाये।
ओढ़ो पिन्हो करो सीगार,
दुष्मण छाती परे अंगार।
सरोस्वती विष्णु विश,
विद्या दे सरस्वती मा।

सभ्यता की प्रारंभिक अवस्था में जैसे साहित्य में पद्य का ही स्थान था; गद्य का पूर्णतः अभाव था; यहां तक की धर्म, दर्शन-विज्ञान, आयुर्वेद इत्यादि का साहित्य भी पद्यबद्ध ही होते थे; उसी प्रकार सामुहिक काम करते समय भी सामुहिक गान की रीति थी। मजदूर बोझा उठाते हों, मजदूरिनें फसल काटती हों; मंगलनृत्य के समय महिलायें किसी रस्म का पालन करती हों, तो सामूहिक गान होते रहता था। गुरुजी की पाठशाला जिसे यहां 'गुरुपिंडा' कहा जाता है भी इस नियम से वंचित नहीं रहता था छोटे-छोटे छात्र जब आकर पिंडा की सफाई करते थे तो सब मिलकर गाते भी रहते थे।

"पिंडा बुहारे; विद्या पावे।
विद्या के फल बैठे खाय"। इत्यादि

'पहाड़ा' को यहां 'खोढ़ा' कहते हैं। पहाड़ा पढ़ने वाले छात्र आवृत्ति करने के लिए अपने गुरु भाई की सहायता भी पद्य में ही मांगते और पाते थे।

"पढ़ा दे हो गुरु भैया
कौन खोंढ़ा हो गुरु भैया
पांचवां खोढ़ा हो गुरु भैया
पढ़ ला हो गुरु भैया।
पांचवां पांच; पांच दूना दश; पांच तीआ पंद्रह;
पांच चौके बीस; पांच पचे पचीस;
पांच छक्के तीस; पांच सते पैंतीस;
पांच अठे चालीस; पांच नमां पैंतालीस,
पांच दहे पचास ॥
बस भेलो हे गुरु भैया
हां जी गुरु भैया।

'गिनती' सीखने और याद करने के लिए एक रीति थी—कि एक बार एक से सौ तक गिन लेते थे तो दूसरे बार सौ से एक तक।

यथा—सैंयां निनांनवे; अंठानवे संतानवे,
छिआनवे–पंचानवे; इत्यादि;…………

परिशिष्ट—४

हमारा स्वास्थ्य

डा० मदन मोहन प्रसाद सिंह
एम० बी० बी० एस०

परिशिष्ट–४

हमारा स्वास्थ्य

हमारा स्वास्थ्य जितना स्वस्थ, सुन्दर और सबल हिन्दुस्तान के अन्तर्गत पंजाब का है, वही स्थान बिहार राज्य में बड़हिया का है। पंजाब की भांति ही यहां के लोग लम्बे, छरहरे, सुन्दर, सुडौल शरीर वाले चमकता हुआ उन्नत ललाट और सौम्य आकृति वाले होते हैं। यहां के लोगों का रहन-सहन, खान-पान भी पंजाब से मिलता-जुलता है। यहां के निवासी पंजाबियों की तरह ही मजबूत, बलवान और निर्भीक होते हैं। इनका स्वभाव बड़ा ही सरल, सीधा और विनम्र होता है। किन्तु ये जितना ही समुद्र की भांति ठंढे होते हैं, उतने ही बड़वानल की भांति प्रचण्ड और उग्र भी होते हैं। ये अपनी आन पर बात-बात में सर कटाने के लिये उतारू भी होते हैं। यहां के लोगों को कुश्ती लड़ने और गाय भैंसों को पालने का बहुत ही शौक रहा है। यहां की उपज में गेहूं और चना की प्रधानता है। इसलिये यहां के निवासियों का मुख्य भोजन गेहूं की रोटी, चने की दाल और दूध दही है। यहां कोसों में फैले हुए आम की वाटिका भी है, जिसके कारण आम भी भोजन में एक महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। यहां के लोग चने की बनी हुई मिठाई, चने का भभरा और गेहूं और चने का होरहा, खाने के बहुत शौकीन होते हैं। आम तो फलों का राजा ही है। उसका कहना ही क्या? ये लोग आम खाने के भी बहुत शौकीन होते हैं। एक समय वैसा अवश्य होगा जब यहां दूध घी की नदी बहती होगी। इसका एक प्रमाण आज भी मिलता है। मैं बिहार के बहुत से गांवों में घूम आया हूं। किन्तु भगवान सत्यनारायण कथा के अवसर पर सभी जगह पंचामृत, मिट्टी का छोटा सा पात्र, दिया या आम्र पल्लव का दोना, बना कर परोसा जाता है। परन्तु बड़हिया में आज भी पंचामृत दूध, शकर, मधु, गेहूं का चूर्ण और पंचमेवां मिट्टी का बना हुआ बड़ा सा पात्र से कोरमाभर भर कर परोसने की प्रथा है। आज भी किसी के घर में सत्यनारायण की कथा हो रही है तो मन दो मन दूध इकट्ठा हो जाना दुर्लभ नहीं है। इस क्षेत्र में आज भी दूध घी की बहुतायत है। इन्हीं सब कारणों से बड़हिया के लोग हृष्ट-पुष्ट और तगड़े होते हैं।

किन्तु आज युग बदल गया। नयी पीढ़ी वाले नौजवानों का विचार भी बदल गया है। जहां यहां के लोग का सुन्दर स्वास्थ्य के लिये कुश्ती लड़ना, व्यायाम करना और पौष्टिक भोजन के लिये गाय भैंसों का पालन करना प्रमुख कार्य था, वहां अब फैशन में इन चीजों का कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं रहा है। पर यह मानना पड़ेगा कि व्यायाम जीवन का अंग है। जिसके अभाव में हमारा जीवन सुखी नहीं रह सकता। सुन्दर स्वास्थ्य ही सुखद जीवन है और सुखद जीवन व्यायाम पर आधारित है। शरीर से चंगा गरीब मनुष्य भी एक धनी वैभव सम्पन्न रोगी से हजार गुणा सुखी है। स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन का संयोग ही जीवन है। मानव शरीर एक स्वचालित मशीन के सामान है।

निरन्तर चलते रहने से जैसे मशीन के पुर्जे घिसते हैं वैसे ही निरन्तर कार्यरत रहने से हमारे देहाणु (Cells) भी घिसते टूटते हैं। इन टूटने वाले देहाणु की पूर्ति के लिये संतुलित भोजन (Balanced Diet) और विश्राम की आवश्यकता होती है।

परन्तु खेद है कि नये विचार वाले लोगों में बहुत ही नवीनता आ गई है। नये नौजवानों को व्यायाम और कुश्ती लड़ने में शर्म आने लगी है। गाय भैंसों के पालने का शौक कम होता जा रहा है। दोनों साम जहां रोटी चलती थी अब एक साम चावल खाना अनिवार्य हो गया है। जहां पहले व्यायाम करने के वाद बादाम खाकर दूध पीने का रिवाज था अब बाजार घुमकर पकौड़ी खाने और चाय पीने का रोग पकड़ लिया है। हमें भी खुशी होती है कि आज बुद्धिजीवियों की संख्या बढ़ रही है। हमारे बड़हिया में भी प्रत्येक विभाग में ऊँचे-ऊँचे पदों पर बुद्धिजीवी लोग हैं, जिन्हें व्यायाम करने का अवसर नहीं मिल पाता, ऐसी बात नहीं है। वरन व्यायाम करना हर तरह के व्यक्ति उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं। छोटे बन्द कमरे में दिन रात बन्द रहने के कारण स्त्रियों का स्वास्थ्य तो और भी गिरता जा रहा है। अंधेरे और तंग स्थान में ऐसे कमरे में जहां बहुत व्यक्ति एक साथ रहते हैं, वहां का वायु अशुद्ध हो जाता है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बुद्धिजीवी लोगों के लिये टहलना भी सबसे अच्छा व्यायाम है। टहलना स्वास्थ के लिये लाभप्रद है। भगवान ने बड़हिया में टहलने के लिये अत्यन्त ही सुहावनी भूमि सुदूर तक फैली हुई आम्र वाटिका, प्रकृति सुषमा से भरी गंगा का किनारा, फसलों से लहराता हुआ हरी धरती प्रदान की है। इसलिये टहलने से ही कसरत करने का पूरा फल मिल सकता है, अगर तेजी के साथ कुछ दूर तक टहला जाय। खुली हवा में टहलते समय नांकों के रास्ते से ज्यादा हवा फेफड़े में पहुँचती है, जिससे ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन खून के अन्दर जाकर रक्त को शुद्ध करता है। इसलिये नियमित ढ़ंग से टहलना भी सुन्दर स्वास्थ्य के लिये आवश्यक है।

बुद्धिजीवियों के अतिरिक्त भी बड़हिया के बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें शारीरिक परिश्रम नहीं करना पड़ता है। उनसे मेरा अनुरोध है कि व्यायाम अवश्य करें। क्योकि व्यायाम करने से हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। धड़कनों के बढ़ने से रक्त संचार बढ़ जाता है। इस प्रकार परिसंचरित रक्त शरीर के विभिन्न अंगों की गंदगी अपने में ले लेता है एवं अपनी शुद्ध चीज उन्हें दे देता है। रक्त कार्बन डाई ऑक्साइड के रूप में अपने तन्तुओं से गन्दगी निकाल लेता है और ऑक्सीजन के रूप में अपनी शुद्ध चीजें तन्तुओं को दे देता है। यह ऑक्सीजन रक्त को हवा से मिलता है जिसे हम सांस में लेते हैं। व्यायाम के समय हमारी में सांस की गति भी बढ़ जाती है, जिससे अधिक ऑक्सीजन रूधिर को मिलता है। व्यायाम से पाचन क्रिया भी बढ़ जाती हैं। कसरत से अंग मजबूत और सुडौल होते हैं। शरीर में लचीलापन और फुर्ती आती है जिससे जवानी बनी रहती है। व्यायाम से शरीर की सुन्दरता बढ़ती और बनी रहती हैं। अतः जो काम अधिक समय तक बैठकर करते हैं या जिनका काम नौकर करता है उनके लिये व्यायाम नहीं करना अपनी उम्र घटाना है।

जो लोग शारीरिक परिश्रम करते हैं, उन्हें कसरत की क्या जरूरत है। जो किसान खेतों में जी तोड़ परिश्रम करते हैं या टहलने को सबेरे मील दो मील निकल जाते हैं उन्हें कसरत की क्या आवश्यकता है?

इसी तरह जो औरतें अपने घर का काम काज अपने हाथों करती है, चक्की पीसती है और धान कुटती है उन्हें कसरत की क्या आवश्यकता है ? जहां कुछ दिन पूर्व बड़हिया के चारो ओर सुदूर तक फैली हुई विस्तृत भूमि, सुन्दर उद्यान और गांव की प्रकृति प्रदत्त रोशनी, हवा और पानी की सुविधा प्राप्त थी, वहां आज बड़हिया की बढ़ती हुई आवादी और मकानों की सकीर्णता के कारण हमारा स्वास्थ्य खतरे में पड़ गया है। बड़हिया की सकीर्ण और गंदी गलियां और पेय जल का अभाव एक समस्या है। जिस तरह बनारस की गलियां अपनी सकीर्णता के लिए प्रसिद्ध हैं उसी तरह बड़हिया की गलियाँ अपनी गंदगी के लिये हैं। बरसात में तो यहाँ की गलियां चलने लायक भी नहीं रह जाती हैं। गांव की आवादी बढ़ रही है। मकान बढ़ते और ऊँचे होते जा रहे हैं और गंदगी भी बढ़ती जा रही है। इतनी अव्यवस्था है कि कई आवश्यक मार्ग भी वन्द कर दिये गये हैं।

पेय जल की उचित व्यवस्था नहीं है जिससे अशुद्ध जल द्वारा फैलने वाले रोग जैसे चेचक, हैजा, टायफायड, डिसेन्ट्री आदि की महामारी फैलने का डर हमेशा बना रहता है। यहां हर घर में हाथों से कमानेवाला पैखाना है जो स्वास्थ के दृष्टिकोण से ठीक नहीं है, क्योंकि उसकी नियमित सफाई नहीं होती है।

आवादी बढ़ जाने के कारण बड़हिया में वसने की भूमि की कमी हो गई है। यों तो इसके चारों तरफ काफी जमीन है लेकिन वर्षा का पानी चारों ओर फैल जाता है। फिर भी वसने की समस्या हल की जा सकती है। जमीन को ऊंची कर मकान बनाये जांय। जो मकान वने हुए हैं उनमें खिड़कियां अधिक देकर सूर्य की रोशनी और शुद्ध हवा आने का मार्ग विस्तृत किया जाय। सड़कें और गलियां हर मौसम आने-जाने लायक रहें इसके लिये आवश्यक है कि उन्हें पक्की बना दी जाय। पानी के निकास के लिये पक्की नालियों का होना भी आवश्यक है।

पेय जल की समस्या तभी हल होगी जब यहां घर-घर नल द्वारा पानी पहुंचाया जाय। यह जल छना हुआ और शुद्ध रहता है। इसलिये जल द्वारा फैलने वाला रोग घट सकता है। रहन-सहन में सफाई और सादगी को प्रधानता दें। प्रत्येक ग्रामीण अपने स्वास्थ्य और शरीर की रक्षा स्वयं करें। जीवन में हर रोज करने वाली क्रियाओं को नियत समय पर करें। सवेरे शौचादि से निवृत होकर हाथ मुंह की सफाई कर दांतों को ताजा दतुअन या ब्रश से साफ करें। ये अंग अगर साफ नहीं रहेंगे तब भूख कम लगेगा, पाचन शक्ति मन्द पड़ जायेगी और शरीर दुर्वल होता जायेगा। भोजन के पहले हाथ को साबुन से धोना चाहिए। हाथ, मुंह और पैर धोकर भोजन पर बैठना हमलोगों की प्राचीन संस्कृति है जिसका पालन धर्म के रूप में हमलोग आजतक करते आ रहे हैं। शरीर के साथ-साथ वस्त्रों की सफाई भी आवश्यक है। खास कर उन वस्त्रों का जो शरीर से लगे होते हैं। बिछावन को हफ्ते में एक बार धूप में अवश्य देना चाहिए।

गाय भैंसों के पालने पर ध्यान दें, क्योंकि दूध ही एक ऐसी वस्तु है जिनमें सभी तरह के विटामिन पाये जाते हैं। आम के नये-नये वगीचे लगाकर स्वयं देख-रेख करें। मानव शरीर की बनावट ऐसी है कि शरीर के अन्दर

के विकार को दूर कर अपने अन्दर को सफाई आप ही कर लेता है। मुंह, पेट, और दांत में भोजन की पाचन क्रिया शुरु होती है। कई प्रकार के रस इस क्रिया में सहयोग देते हैं। पचा हुआ भोजन छोटी आत में absorbtion के लिए छोटी-छोटी खून की नलियों के द्वारा प्रवेश करता हैं और शरीर के काम में आता है। खून द्वारा ही प्राण वायु (आक्सीजन) और पोषक तत्व उन (Cells) शेल्स तक पहुंचाया जाता है, जो लगातार काम करते-करते थक जाते हैं और टूटने लगते हैं। और शरीर की वेकार चीजों (waste Products) को खून फिर वाहर निकालने वाले आर्गन तक पहुंचाता हैं जैसे—फेफड़ा, किडनी, वड़ी आंत और चमड़ा। अतः इन टूटने वाले देहाणु की पूर्ति के लिये व्यायाम के साथ-साथ आवश्यक आराम की भी आवश्यकता है। कसरत और मेहनतक रने वाले को काफा आराम भी चाहिए। काम के समय जितनी शक्ति हो लगाइए। आराम का मतलव काहिल वनकर लेटे रहना नहीं है वल्कि आराम का मतलव काम और मेहनत के खिंचाव के वाद शरीर को ढ़ीला करना और छुट्टी देना है। खिंचाव की हालत में बने रहने से शरीर जल्द ही घिस जायगा। आराम तो सब के लिये आवश्यक है। परन्तु रोगियों की एक खास दवा है। अनियमित जीवन से रोग होता है। नियमित और प्राकृतिक जीवन के बिना आदमी तनदुरुस्त नहीं रह सकता। और शरीर सुन्दर और स्वस्थ हो तो हमारा मन भी निर्मल, जगा हुआ और तेज रहेगा। अतः संतुलित भोजन, नियमित व्यायाम और आवश्यक आराम से ही हमारा स्वास्थ्य सुन्दर, सवल और सुदृढ़ होगा।

परिशिष्ट—५

हमारी सभ्यता और संस्कृति

श्री ललित विजय
I. P. S.

परिशिष्ट—५

हमारी संस्कृति और सभ्यता

क्या वस्तु है यह संस्कृति और यह सभ्यता ?

एक विद्वान कहते हैं :—

जो व्यवहार तुम स्वतः के साथ करते हो वह तुम्हारा धर्म है। जो व्यवहार तुम अन्य के साथ करते हो वह तुम्हारी संस्कृति है। और जो व्यवहार तुम सामुहिक रूप से अपने समाज, जाति, राष्ट्र इत्यादि के साथ होकर करते हो, वह हैं तुम्हारी सभ्यता।

एक अन्य विद्वान कहते हैं जो कुछ तुमने अपने जीवन में सीखा है, सोचा, समझा है, अभ्यास किया है, प्रयोग किया है, वह सब यदि पूर्णतः भूल जाओ फिर भी जो कुछ अवशेष रह जाय, वही है तुम्हारी संस्कृति।

संस्कृति हमारा धर्म, हमारी सभ्यता, हमारे शिष्टाचार का अंग भी है और श्रोत भी। संस्कृति हमारे जीवन की सिद्धि है और साधन भी. सस्कृति हमारे जीवन प्रदीप की ज्योति है और वार्ता भी।

सस्कृति का अर्थ है हमारे संस्कारों का परिणाम। जो संस्कार प्राप्त किए हैं, उनका अर्क (Essence) जो हमारे स्वभाव में अंगीभूत होकर रह जाय, वही है संस्कृति।

संस्कार है बनी हुई या बनाई हुई अच्छी चीज। परिष्कार, सुधार, पालिश एव परिशोधन। संस्कार मूलतः मनोवैज्ञानिक वृत्ति है, जिसका निर्माण विविध प्रकार से विविध सामग्री के ताल मेल से होता है।

जन्म अर्थात कुल, परम्परा, शिक्षा, व्यवसाय, धार्मिक विश्वास, पेशा, परिवेश, पारिवारिक एवं सामाजिक संगति और जीवन के विविध अनुभव ये हैं सामग्री जिनके रस-परिपाक से इस संस्कृति की निष्पत्ति होती है।

इन प्रभावशाली शक्तियों का प्रभाव एक बार ही नहीं आता है और नहीं एक बार ही में इसकी समाप्ति हो जाती है। प्रभाव आता है, और जीवन प्रभावित करते रहता है। अतएव सस्कार भी बनते हैं एवं बनते रहते हैं।

सस्कृति इस प्रकार बिल्कुल व्यक्तिगत, निजी वस्तु होती है। परन्तु इसका परिचय अन्य के सम्पर्क में ही मिलता है या यों कहा जाय कि संस्कृति की क्रिया अन्य व्यक्ति की संस्कृति के सम्पर्क में उत्पन्न होती है।

मनुष्य बिकासशील जीव हैं। जड़, चेतन और गुण दोष मय। पशु से विकसित होकर सर्वश्रेष्ठ चेतनशील प्राणी (Rgtional Animal) फिर भी पाशविकता और मानवता अर्थात जड़ता एवं विवेक दोनों ही की मात्राएँ प्रत्येक मनुष्य में रह ही जाती है। मात्राओं का अनुपात एक समान प्रत्येक मनुष्य में नहीं रहता और नहीं है। किन्तु जैसे जैसे पशुता को त्याग कर विवेकशीलता की ओर आगे वढ़ता है वैसे-वैसे वह व्यक्ति धार्मिक, सुसंस्कृत एवं सभ्य बनता जाता है। प्रकृति हैं जड़ता और स्वाभाविकता। संस्कृति है कृत्रिमता, विकास शीलता, मानवता। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर ये स्वाभाविक पाशविक वृतियां (Instincts) हैं जो कम वेश प्रत्येक प्राणी में हैं। हमारे शास्त्रकारों ने इन्हें मानव के षट् रिपु बतलाये हैं। यानी मानव जीवन के विकास की बाधाएँ। इन्हें नियंत्रित करके ही कोई अपने सद्गुणों का विकास करता है। यदि मनुष्य को अकेला ही रहना हो तो उनके ये छः विकार, ये स्वाभाविक वृतियां हानिकर नहीं भी हैं परन्तु, जब वह एक समाज, एक परिवार, एक राष्ट्र का सदस्य बनता हैं तो एक दूसरे से टकराकर टूटता और जुड़ता रहता है। मनुष्य समाज के बिना नहीं रह सकता है तो उसे सामाजिक प्राणी बनना होगा और समाज का पहला आधार हैं :—समझौता (adjustment) अपनी सुख सुविधा के साथ दूसरे की सुख सुविधा का संतुलन। अर्थात प्रतियोगिता और प्रतिस्पर्धा को त्याग कर सहयोग और सहकारिता। काम के स्थल पर सयम, क्रोध के वदले शान्ति, लोभ के लिये सन्तोष, मद के स्थान पर विनम्रता ओर मत्सर के स्थान पर प्रेम को अपनाना होगा। त्याग, प्रेम, सहनशीलता, पारस्परिक सहायता और सहयोग ही समाज या राष्ट्र के मूल स्तम्भ हैं। ये ही सद्गुण हैं जिन्हें अपने निजी आचरण में हम धर्म कहते हैं। पारस्परिक व्यवहार में संस्कृति और सामूहिक आचरण में सभ्यता। यथा इस जाति की, इस देश की, इस सम्प्रदाय की सभ्यता। तो क्या थी हमारी संस्कृति ? और कैसी थी हमारी सभ्यता ? और अब हम कहां हैं इस मामले में ?

वेदान्त ने हमें सिखलाया है कि जो कुछ है ईश्वर है। मैं स्वयं ईश्वर हूं और उनके अतिरिक्त कहीं कुछ भी नहीं है। इस शिक्षा को मानने वाले के लिये किसी प्रकार के लोभ, क्रोध, इर्ष्या, अभिमान, लालसा या आसक्ति रखने की आवश्यकता कैसे होगी ?

इशस्वास्य - मिदं सर्वम्
यो पुरूषः
सो अहमस्मि।
सर्वं भूतेपु चात्मन्।

सभी प्राणी में मै ही निवास करता हूं। सभी प्राणी मुझमें ही हैं। सो अहं। तत् त्वमसि। तत् सत् इत्यादि के विश्वास करने वाले के लिये कहीं भेदभाव करने का मोका नहीं मिलता। फिर उनकी उत्कृष्टतम संस्कृति में क्या त्रुटि हो सकती है ? उदार चरितानां वसुधैव कुटुम्वकम्।

यदि जीव, जगत, ईश्वर, भिन्न-भिन्न है तो भक्ति मार्ग के पूज्य आचार्यों के मतानुसार जीव का एक मात्र कर्तव्य है भगवद् भक्ति। उनके अनुग्रह की प्राप्ति। उनके शरण में होना और रहना। हम सब उनके शरणार्थी हैं। उनकी इच्छा ही प्रधान है। जो कुछ किया जाय उनकी प्रसन्नता के लिए निमित्त होकर। इसे विश्वास करने वालों के लिये भी संस्कृति की उपरोक्त परिभाषा के किसी अंग के उल्लंघन करने का वाहा नहीं मिल सकता। ईश्वर अंश जीव एक दूसरे के प्रति आपस में दुष्टता या विरोध की भावना कैसे रखें। जिन्हें ईश्वर के अस्तित्व ही में विश्वास नहीं, बौध या लोकायतन, चार्वाक, वे भी समाज और राष्ट्र की सुरक्षान एवं प्रगति के लिये सद्‌विचार और सदाचार में निष्ठा की आवश्यकता ही वतलाते हैं। सम्यक आचरण ही तो संस्कृति का उद्देश्य है।

अर्वाचीन एक जगद्‌गुरू कार्ल माक्स हुए हैं जिनने उत्तम और कल्याणकारी उद्देश्य की परिपूर्ति के लिये ओछे और अनैतिक साधनो यथा संघर्ष, हिंसा एवं बल प्रयोग की शिक्षा दे डाली। कहा जा सकता है कि रामायण, महाभारत और गीता में भी धर्म की विजय और स्थापना के लिये इस मार्ग की प्रतिष्ठा बतलाई गई थीं। इस्लाम ने भी।

विश्व इतिहास में बुद्ध, ईसा एवं गांधी तीन ऐसे धर्म गुरू हुए हैं जिनने साध्य और साधन (End and Means) दोनों की पवित्रता एवं महानता पर बल दिया है एवं आग्रह किया है। अवश्य ही सत्य, अहिंसा और प्रेम के प्रतिष्ठाता ये तीनों महामानव भिन्न-भिन्न रीति से अपने निष्कर्ष पर पहुंचे हैं परन्तु उपदेश एक ही हैं। हमारी सभ्यता प्राचीन है। अतिप्राचीन और प्राचीनतम। कहा जाता है कि अन्य समकालीन सभ्यतायें हजारों वर्ष पहले ही काल के गर्भ में विलीन हो गई, किन्तु कुछ वात है कि "मिटती हस्ती नहीं हमारी"। वेद, ब्राह्मण, उपनिषद, पुराण, छैशाल, छै आचार्यमत, ज्ञान, कर्म, भक्ति, सन्यास, वैराग्य, गीता, रामायण, जैन, बुद्ध, सिख, इस्लाम, इसाईमत, इत्यादि अनेक विचार धाराओं ने अनादि काल से हमारी सभ्यता का सृजन, विकास और प्रसार किया है। परन्तु मूलतः हमारा रूप स्वरूप ज्यों का त्यों है।. विद्वान इसे सामासिक सभ्यता की संज्ञा देते हैं (Composite culture.)।

इस लोक से अधिक चिन्ता परलोक की करनी चाहिए। आत्मा और अनात्मा के चक्कर से बचकर परमात्मा का चिन्तन ज्येष्ठ हैं। लौकिक ऐश्वर्य से ऊपर आध्यात्मिक अनुभवों के आनन्द का स्थान है। सांसारिक सुख से अधिक वांछनीय हैं आन्तरिक आनन्द यह हमारी प्रथम सांस्कृतिक संपदा है।

हमारा कर्मफल का सिद्धान्त दूसरी महत्वपूर्ण संपत्ति है। कर्म प्रधान विश्व करि राखा। जो जस करहिं सो तस फल चाखा। धर्मराज स्वयं पृथ्वी पर युधिष्ठिर होकर आए। स्वयं भगवान श्रीकृष्ण के आदेश से वह एक वार झूठ वोले 'हतो अश्वसथामा' और उन्हें भी इसका दण्ड भोगना पड़ा। नर्क के द्वार पर जरा देर रुक जाना पड़ा था। कर्म फल के योग की ऐसी कठोर शिक्षा हमारे धर्मशास्त्र हमें देते हैं।

परन्तु कर्त्तव्य पथ के निर्णय की कठिनता आए दिन उलझन में डालती है। इसका सर्व सुलभ समाधान इशावास्योपनिष्द् एवं श्रीमद् भगवद् गीता से मिलता है अनासक्त कर्म "कर्मण्येव अधिकारस्तु माफलेषु कदाचना।" तब प्रश्न उठता है कि निरासक्त कर्म किया क्यों जाय ? Incentive क्या होगा। उत्तर है लोक संग्रह, समाज के कल्याण के लिये।

इसी कर्मफल के सिद्धान्त में दृढ़ और सतत विश्वास करने के लिये पुर्नजन्म के सिद्धान्त का आविष्कार हुआ जिन बातों पर विश्वास इस जन्म में नहीं जमता हैं, उसका कैफियत पुनर्जन्म के हवाले आसानी से कर दिया जा सकता है।

ईश्वर, इशभक्ति, समस्त मानव की समानता, कर्मफल, पुनर्जन्म और अनासक्त कर्म-परायणता ये ही है मुख्य स्तभ हमारी सनातन सभ्यता के जिनका आरोपण हजारों हजार वर्ष पहले हमारे पूर्वजों ने किया था। ऐसी महान, विराट, उदार, उदात्त और प्राणवती थी, हमारी संस्कृति जो हमें विरासत में मिलती आई है।

व्यवहार में हमें दी गई थीं, परिवार, वर्ण, आश्रम, संस्कार (उपनयन, विवाह, श्राद्ध इत्यादि) पूजा, उपासना, मंत्र-तन्त्र इत्यादि की संस्थाएँ एवं व्यवस्थाएँ।

आज साम्यवाद और समाजवाद का जय गान समस्त मानव समाज में उच्च घोषणा के साथ हो रहा है। बतलाया गया है कि इस नये धर्म का मूलाधार सिद्धान्त है : From each according to his capacity to each according to his necessity.

प्रत्येक समाज या राष्ट्र या समस्त मानव समाज अपने को एक परिवार (Commune) मान ले। प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार धन का उत्पादन करे किन्तु उसका उपयोग प्रत्येक व्यक्ति अपनी आवश्यकता के अनुसार करे। हमारी अति प्राचीन संयुक्त परिवार की व्यवस्था का भी यही मूल आधार था और हजारों वर्ष इसका सफल प्रयोग हमने कर दिखलाया।

परन्तु फ्रांस की राज्य क्रान्ति, इंगलैंड की औद्योगिक क्रान्ति, जर्मनी की वैज्ञानिक क्रान्ति, अमेरिका का व्यक्तिवाद (Free Enterprize). रूस की समाजवादी क्रान्ति, फ्रायड की मनोवैज्ञानिक क्रान्ति एवं डारवीन के विकासवाद आदि ने नई विचारधारा को जन्म देकर समस्त मानव जाति के विचार और आचार को आमूल प्रभावित कर बदल दिया है।

इधर अपने देश में हमारी राजनैतिक स्वतन्त्रता और सामाजिक समता के संविधान इन दोनों घटनाओं के फलस्वरुप हमारी उत्कट अर्थ-पिपासा ने वर्त्तमान पीढ़ी को आन्दोलित कर दिया है।

साम्यवाद या समाजवाद ने प्रायः प्रत्येक प्राचीन विश्वास का मूलोच्छेद कर डाला है। हमारी सभ्यता के प्राचीन लंगर उखाड़ कर फेंक दिये गये हैं। परन्तु हम नई दिशा नहीं ले सके हैं। नीति, धर्म और आध्यात्म

के गहरे रंग में रंगे हुए हम छूछे और छिछले आदर्शों को पकड़ नहीं पा रहे हैं। हमारी सभ्यता, संस्कृति और आचरण के क्या आदर्श, उद्देश्य एवं रूप स्वरूप होना चाहिए ये महान विकट प्रश्न सामने खड़े हैं? इसके समाधान के बिना हम नहीं तो आगे बढ़ सकते हैं और नहीं शान्ति सुख का जीवन पा सकते हैं। केवल दौड़ते ही रहना, धन, ऐश्वर्य, ख्याति के पीछे भागते ही रहना, और इसी दौड़ धूप में थक कर या लड़कर, कट मर कर समाप्त हो जाना ही विवेकशील मानव जीवन का चरम सनातन लक्ष्य नहीं हो सकता।

उपरोक्त परिवेश में यदि हम स्थानीय लोक जीवन की समीक्षा करें तो पायेंगे कि :

हम उच्च कुलीन मैथिल ब्राह्मण के वंशज हैं। पांच सात सौ वर्ष से अवश्य शिक्षा और साक्षरता है। उच्चतम व्यवसाय कृषि के हम व्यवसायी हैं, सम्पन्नता एवं स्वास्थ्य भी साधारणतः सन्तोषजनक ही है।

फिर भी धन लोलुपता, आपस में वैमनस्य, द्वेष, आलस्य एवं अनुपार्जित धन का लोभ हमारे जातीय संस्कार बन गये हैं।

जमीन्दारी के उन्मूलन, महाजनी के ह्रास, शिक्षा के प्रचार, जन संख्या की वृद्धि एवं राजनैतिक समाजवाद के प्रसार के फलस्वरूप हमारा सुधार होगा। हम अपने बलबुद्धि से धन उपार्जन करना सीखेंगे। "संचितम् न खादामि", बाप दादा के जमा किये हुए के भरोसे नहीं रहेंगे। गोतिए और कुटुम्ब के धन की भीखमंगी या मोकदमे बाजी नहीं करेंगे, और इस तरह शिक्षा, संस्कृति सभ्यता के क्षेत्र में शीघ्र ही हमारा स्थानीय समाज अग्रसर होकर रहेगा ऐसी मेरी पूर्ण आशा एवं पूर्ण विश्वास है।

परधन अपहरण या मुफ्तखोरी की आदत छोड़ने से ही हमारी सारी बुराईयां दूर होगी ऐसा निश्चित मानना चाहिए।

पर्दा टूट रहा है, बाल विवाह छूट रहा है। अंध विश्वास छिन्न-भिन्न हो गये हैं। छूआछूत का लोप हो गया है, शिक्षा बढ़ रही है। महिलाओं का आदर मान आगे बढ़ा है। व्यक्तिगत स्वाधीनता और आत्म निर्भरता बढ़ चली है। यह सब ठीक है।

परन्तु साथ ही परिवार टुट रहा है। पारस्परिक प्रेम एवं सहयोग लुप्त हो रहा है। धन लोलुपता में तीव्र ओछापन आ रहा हैं। मानसिक दासता बढ़ रही है। शिष्टाचार की मर्यादा में भंग हो रही है और सामाजिक एवं सामुहिक जीवन पंगु एवं निर्जीव सा हो रहा है। यह हमारे शुभचिन्तकों की चिन्ता का विषय है।

स्वतन्त्र भारत में हमारी अवस्थाएं तेजी से बदल रही है। मनोवृत्ति बदल रही हैं इसीलिये शायद परिभाषाएं भी बदल रही हैं, मान्यता ये भी।

सांस्कृतिक कार्यक्रम की एक प्रथा इन दिनों चल पड़ी है और सांस्कृतिक सम्मेलनों की। भारतीय संस्कृति कर्म प्रधान है, कर्त्तव्य परायण है। लोक से अधिक परलोक, व्यक्ति से अधिक समष्टि, मांग से अधिक

त्याग लोभ से अधिक सन्तोष, संघर्ष से अधिक सहयोग एवं संकीर्णता पर विश्व बन्धुत्व एवं प्रेम को हमारी संस्कृति महत्व देती आ रही है। किन्तु इन आधुनिक सांस्कृतिक सम्मेलनों में आप इन प्राचीन परम्पराओं की झलक नहीं पायेगे। वहां पायेंगे भोजन, संगीत और नृत्य का कार्यक्रम। इन भोजनों पर भी हमारी संस्कृति की झलक और इस नृत्य संगीत में हमारी ललित कलाओं का लास्य नहीं पाकर आप फिल्मी, सस्ते, बाजारू गाने और ट्वीस्ट एवं उछल कूद के महफीली नाच की ही झांकी पायेंगे।

एक All India cultural conference के समारोह में राजाजी (श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य जी) को लोग ले गये थे तो उनने ठीक ही कहा था कि उनके समारोह के आयोजन और कार्यक्रम में कुछ भी Indian या culture या conference के चिन्ह नहीं पा रहे थे।

ललित कलाओं के विकास, अभ्यास और प्रेम, शुद्ध मनोरंजन एवं आनन्द सेवन भी अवश्य ही संस्कृति के अंग और परिचायक हैं। परन्तु बड़ी तेजी से हम इस दिशा में भी मार्ग भ्रष्ट होकर संस्कृति के विकृत रुप के ही आकर्षण में गिरते जा रहे हैं।

सभ्य और शिक्षित व्यक्ति के लिये संस्कृति तो उनकी जिन्दगी है। प्रत्येक श्वास में, प्रत्येक विचार और आचार में संस्कृति का परिचय और अखंड परिचय प्राप्त होना चाहिए। तब ही उसके जीवन की उपलब्धि है।

अपने घर पर अपने स्वजन के साथ आपका जो व्यवहार है। समाज में अन्य के साथ आपका जो व्यवहार होता है। व्यवसाय में जो आचरण आपका अपने व्यवहारी के साथ होता है, रेल यात्रा में, सड़क पर, बाजार में अपरिचितों के साथ आपका जो व्यवहार होता है यह सब आपकी संस्कृति के निर्माता भी हैं; निर्णायक भी।

मनुष्य के दो पैर हैं। किन्तु वह चलने के लिये दोनों पैर से एक साथ काम नहीं लेता है। एक चरण को रोक कर एक चरण से आगे बढ़ता है। "चलत्येकेन पादेन तिष्ठत्येकेन बुद्धिमान।"

संस्कृति के संबंध में भी यही सत्य है। परम्परा एवं आधुनिकता को संस्कृति के दो चरण मानना चाहिए। आधुनिकता संस्कृति का बढ़ता हुआ चरण होना चाहिए और परम्परा रूका हुआ पैर, परम्परा को त्यागकर मात्र आधुनिकता की ओर दौड़ना दोनों पांव से चलने की असंभव, और असफल चेष्टा के समान है। परिणाम है-आगे बढ़ने के बदले गिर जाना। प्रगति के नाम पर पतन।

अतीत की बुनियाद पर ही भविष्य की इमारत खड़ा करना संस्कृति का सच्चा सफल निर्माण होगा।

मानव जीवन के सभी पहलुओं पर पूर्ण विचार कर हमारे जीवन के उद्देश्य के लिये हमारे प्राचीन ऋषियों ने एक आदर्श उपस्थित किया था सत्यम्, शिवम्, सुन्दरम् का। इनमें से प्रत्येक आदर्श हैं। परन्तु एक के बिना दूसरा अग्राह्य हो जाता है। सत्य भी हो, कल्याणमय भी हो और साथ ही सुरूचिपूर्ण रमणीक हो। हमारी

संस्कृति का यह सनातन बोध है और यही हमारा शाश्वत आदर्श होना चाहिए। हमारे प्रत्येक प्रयास में इन तीनों की प्रेरणाओं का सामंजस्य रहा करे।

स्वच्छ हमारा जीवन हो, स्वच्छ हमारे वस्त्र हो, स्वच्छ हमारे मकान और रास्ते हों, मधुर हमारी वाणी हो, मीठे हमारे व्यवहार हों, अपनी संपत्ति से सन्तोष हो, अपने उपार्जन का भरोसा रहे, छीना झपटी से अलग, मोकदमेंबाजी से दूर, फिजूल खर्ची से परहेज और झूठे दिखावे की जिन्दगी को छोड़कर सादगी, स्वच्छता, पवित्रता का मधुर हमसब का जीवन हो यही हमारी शुभ कामना है।

"मधुराधिपिते अखिलम मधुरम"।

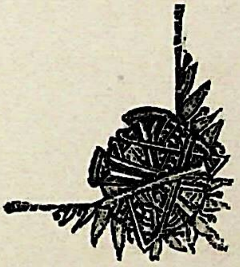

परिशिष्ट—६

कृषि क्रान्ति

शान्ति प्रसन्न कुमार
स्नातक, कृषि शास्त्र

परिशिष्ट—६

कृषि क्रान्ति

भारत वर्ष १९४७ ई० में स्वाधीन हुआ। १९५० ई० में अपना संविधान स्वीकृत हुआ और १९५१ ई० से देश के विकास का काम क्रमिक पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा शुरू हुआ।

कृषि के सुधार और विकास पर प्रारंभ से ही उचित ध्यान दिया ज़ाने लगा।

कृषि क्रान्ति के अग्रदूत रूप में अनुसंधान एवं प्रयोगशालाओं की स्थापना की गई

उत्तम बीज तैयार करने, अधिकाधिक उपज देने वाली फसलें तैयार करने, कृमिनाशक तैयार करने, पौधों को रोगमुक्त रखने, भू-क्षरण से रक्षा करने, कम से कम जमीन में अधिक से अधिक अन्न उपजाने, बिजली की सहायता, सिंचाई के पानी की व्यवस्था के लिये नहर या नलकूप, जल-प्लावन से रक्षा पाने और हल इत्यादि अनेक किस्म के औजार के आविष्कार करने के उपाय खोज निकालने के काम में ये वैज्ञानिक लग गये और लगे हुए हैं। उन्हें इन विविध दिशाओं में आशातीत सफलता मिली है एवं मिल रही है।

अमेरिका, रूस, जापान, नोर्वे, स्वीडन इत्यादि उन्नत देशों में अपने कृषि-विशारदों को भेजकर विशेषज्ञ तैयार किए जा रहे हैं।

कृषि शिक्षा की व्यवस्था का विकास किया जा रहा है। बिहार राज्य भर में एक सबौर कॉलेज के स्थान पर तीन कॉलेज चल रहे हैं और अब देशपूज्य श्री राजेन्द्र बाबू के नाम पर एक कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना भी हो गई है।

नहरों का निर्माण; बिजली का विस्तार, बीज के भंडार और खाद एवं कृमि-नाशकों के बाजार का समुचित प्रबंध किया गया है।

ट्रैक्टरों के प्रचार की काफी व्यवस्था की जा रही है।

किसानों को इस तीव्र-गामिनी कृषि क्रान्ति के लाभ उठाने के निमित्त पूंजी के लिये कर्ज का इन्तजाम भी किया गया है।

गेहूं और धान और उख के नये किस्मों का प्रचार तो तेजी से हो रहा है।

बड़हिया के टाल, दिआरे और बगीचे बहुत ही उत्तम उपयुक्त साधन है। इनका विकास समुचित रूप से

होना चाहिए और हो सकता है। हर्ष की बात है कि हमारे शुभ चिन्तक समर्थ पुरूषों का ध्यान इस ओर गया हुआ है। यथोचित प्रयास चल रहे हैं।

यहां अभी तक चार इंच गहरा एवं छ इंच चौड़ा सीरोर में मसलन-धनसलम पुराने बीजों की सहायता से खेती चल रही है। दश साल पहले तक तो आधुनिक वैज्ञानिक उन्नत तरीके की खेती की बातों पर हमारे किसान भाई विश्वास ही नहीं करते थे। जलवायु, भाग्य और देवता पूजन के भरोसे ही वे अपनी एक मात्र जीविका के लिये निर्भर रहते आए हैं।

परन्तु सन् १९६६ ई० के अनावृष्टि के घोर अकाल ने उन्हें झकझोर दिया है। आसपास वे कृषि क्रान्ति के साक्षात उदाहरण के दर्शन कर आए और उनका विश्वास जमने लगा है। यह एक बड़ी शुभ घटना है।

मेरी राय में इस समय तत्काल बड़हिया में एक सम्पन्न सुसंगठित कृषि सहकार समिति की स्थापना होनी चाहिए।

इस समिति का कर्त्तव्य निम्नानुसार होना चाहिए :--

१ एक कृषि विशेषज्ञ एवं कृषि इन्जिनियर तत्पर परामर्श के लिये रखना।

२ कृषि औजारों के मरम्मत के लिये एक छोटा कारखाना और कारीगर।

३ अच्छे बीज, खाद, कृमि-नाशक एवं औजार की दूकान।

४ ट्रक, ट्रैक्टर, पंप ई० की एजेन्सी।

५ कृषि क्रान्ति संबंधी साहित्य एवं सूचनाओं का केन्द्र।

६ भूमि बंधक बैंक और

७ अन्न भंडार जो अनाज लेकर रुपये किसानों को दे भी सकै।

बड़हिया और फतूहा के बीच फैले लगभग १,२५,००० एकड़ भूमि का स्थल टाल कहलाता है। वर्षा ऋतु में यह भूमि जलमग्न हो जाती है। महानय, पूनपून, हरुहर आदि कई नदियों के द्वारा इस भूखण्ड का जल प्लावन होता है। श्रावण के आरम्भ से भाद्र मास के अंत तक यह विशाल भूमि जलमग्न रहती है। जलमग्न रहने के कारण इस भूमि पर के सभी घास पात मर जाते हैं। पिछली रब्बी फसल की जड़ खूंटी भी जो खेत में रह जाती है वह सभी इस पानी में सड़ जाती हैं और जमीन के नीचे वहां पर खाद के रूप में पड़ी रहती हैं, जहां से फिर दूसरी फसल की जड़ अपना खूराक खोजती है। जल प्लावन के कारण किसी भी तरह का कोई खड़पात जिन्दा नहीं रहता है, सभी की जड़े सड़ जाती है। यही कारण है कि टाल में फसल छोड़कर अन्य अवांछित (Unwanted) पौधा नजर नहीं आता है जबकि किसी भी अन्य जगह की खेतों में घास पात को निकालना और रोककर रखना ही बहुत बड़ा खर्चीला काम रहता है। यही कारण है कि टाल भूमि इतनी उपजाऊ है।

भारतवर्ष में यह टाल भूमि एक अधिक उपजाऊ क्षेत्र है। और यह अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर यह कहा जाय कि संसार में भी यह विशेष उपजाऊ भूमि है। बड़हिया टाल में १० से १६ मन अनाज प्रति बीघा बिना किसी प्रकार की खाद या उन्नत बीज के व्यवहार से प्राप्त हो जाता है और किसी वर्ष यदि मौसम अनुकूल रहा तो उपज इससे भी ज्यादा होती है।

परन्तु आज के बदलते हुये वैज्ञानिक युग में यह उपज कुछ भी नहीं है। आज खेती के नये-नये उपायों और विधियों को अपनाकर आसानी से प्रति बीघा ३० से ४० मन अनाज एक फसल में प्राप्त किया जा सकता है।

लगभग सभी फसलों के अधिक उपज देने वाले बीजों का अन्वेषण हो चुका है। खेती के नये तरीकों का स्थायित्व (Stabilisation) हो चुका है, जिससे एक एकड़ खेत में से साल भर में १०० मन अनाज आसानी से पैदा किया जा सकता है।

तब यह प्रश्न उठता है कि खेती के इन आधुनिक और वैज्ञानिक तरिकों का समावेश (Introduction) टालक्षेत्र में क्यों नहीं हो पाया ? इसके कई एक कारण (Limitations) हैं। टाल क्षेत्र का पानी जब हटता तो जल्दी से जल्दी खेत को जोतकर बाउग कर दिया जाता है। किसानों के पास इतना समय नहीं रहता है कि खेत को जोतकर तैयार करे और उसमें खाद का उपयोग करे। अगर ऐसा करें तो खेत की नमी उड़ जाती है। दूसरी बात यह है कि टाल में सिंचाई की कोई व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाई है। ये अधिक उपज देने वाले बीज अधिक खाद और पानी खोजते हैं जो सब टाल में अभी उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है।

फिर भी आज के वैज्ञानिक तरीकों में से कुछ का समावेश टाल क्षेत्र में सफलतापूर्वक किया जा सकता है। टालक्षेत्र की समस्याओं की ओर जब हम ध्यान देते हैं तो पाते हैं कि यहां की जो सबसे बड़ी और ज्वलंत समस्या है, वह है, 'कजरा पिल्लू' का आक्रमण। सदियों से कजरा पिल्लू का आक्रमण बड़हिया टाल एवं अन्य टाल क्षेत्रों में होता आया है। पहले प्राचीन समय में इसे लोग 'भगवती माई' का प्रकोप समझ कर इससे हुये नुकसान को अंगीकार कर लेते थे। परन्तु अब सभी गृहस्थ समझ चुके हैं कि इस कजरा पिल्लू के आक्रमण की रोक थाम हो सकती है। यह संतोष की बात है कि अब अपने ग्राम में अलड्रीन (Aldrin) का उपयोग बहुत अधिक मात्रा में होने लगा है। और इस वर्ष तो इसका उपयोग ६० प्रतिशत किसानों ने किया है। परन्तु इन कीट नाशकों का भुरकाव अधिकतर हाथ द्वारा किया गया है। यदि इसे भुरकाव करने वाले यंत्र (Duster) से भुरकाव किया जाय तो ये कीटनाशक अधिक उपयुक्त और प्रभावकारी (effective) सिद्ध होंगे। कजरा पिल्लू के रोक थाम के लिये नीचे लिखे अनुसार उपाय पूर्ण सफलता के लिए अपनाया जा सकता है।

	कीटनाशक	मात्रा प्रति एकड़
१.	एलड्रीन (Alderin) ५% प्रतिशत पाउडर	१० किलो ग्राम
२.	हैप्टाक्लोर (Heptaclore) ५% प्रतिशत पाउडर	१० किलो ग्राम
३.	बी० एच० सी० (B.H.C.) १०% प्रतिशत पाउडर	१५ किलो ग्राम

ऊपर लिखे हुए में से किसी भी कीटनाशक का उपयोग टाल वाउग करने के समय ही किया जाय। ऐसे तो यह उचित होता कि इन रसायनों का भुरकाव करने के बाद खेत को दो चार बार जोत दिया जाय जिससे कि यह मिट्टी में पूर्णतः मिल जाय। परन्तु टाल क्षेत्र में यह सम्भव नहीं है क्योंकि यहां तो एक ही बार खेत की बोआई हो जाती है। अतः इन रसायनों के व्यहवार के लिए ऐसे उपाय अपनाए जांय जिससे ज्यादा यह मिट्टी में मिल सके। टाल क्षेत्र की अपनी स्थितियां को (Conditions & Environments) देखते हुये जो तरीका अपनाया जा सकता है वह इस प्रकार है:—

१— चार (४) किलो एलड्रीन ५ प्रतिशत धूल प्रति एकड़ के दर से परती खेत पर डस्टर के द्वारा भुरकाव करें। (खेत में हल उतारने के पहले)

२— ४ (चार) किलो एलड्रीन ५ प्रतिशत धूल प्रति एकड़ की दर से वाउग करते समय सिरोड़ पर डस्टर के द्वारा भुरकाव करें।

३-२ (दो) किलो एलड्रीन ५ प्रतिशत धूल एक एकड़ में गिराये जाने वाले बीज के साथ पहले ही मिला लें। इस रसायन मिश्रित बीज को चोंगें के द्वारा वाउग करें।

कीटनाशक व्यहवार करते समय कुछ सावधानियां :

१— कीटनाशक औषधियों को ऐसी जगह पर रक्खें जहां घर के खाने की चीजें नहीं रखी जाती हो।

२— इसका भुरकाव या छिड़काव हवा के रूख के विरुद्ध कदापि नहीं करें। याने कि अब पुरवा हवा चल रही हो तो छिटने वाले आदमी का मुंह पश्चिम की तरफ हो।

३— दवाओं के खाली टीन या बोरों को कुँआ या नदी में कभी भी डुबा कर नहीं धोयें, खासकर ऐसी जगह पर जहाँ आदमी या जानवर उस पानी का व्यहवार करते हों।

४— औषधियों का व्यहवार करते समय मुंह और नाक पर कपड़े रखें ताकि जिससे इसका धूल या गंध स्वांस के द्वारा अन्दर नहीं जाने पावे।

५— औषधि के खाली टीन या बोरों को दूसरे किसी काम में नहीं लायें। इसे जला कर नष्ट कर डालें।

टाल क्षेत्र में आधुनिक विकास की दूसरी आवश्यकता है। आधुनिक विकसित नये बीजों का समावेश। हमारे यहां जो बीज व्यवहार हो रहे हैं, यह सभीं पुराने हो चुके हैं। अतः यह आवश्यक है कि उन्नत किस्म के ऐसे बीजों का व्यवहार किया जाय जो टाल की असिंचित अवस्था में भी अधिक उपज दे सकें। ऐसे कुछ बीजों का उल्लेख नीचे दिया जा रहा है।

१— गेहूं एन० पी०—८५२ लम्बे किस्म का उजला गेहूं है। यह ११५-२० दिन में पक कर तैयार हो जाता है। टाल क्षेत्र के लिए बिलकुल उपयुक्त है।

२— गेहूं एन० पी०—८८४	लम्बे किस्म का उजला गेहूं है। इसका आटा दूध के समान उजला होता है। अभी तक जितने भी गेहूं का अविष्कार हुआ है (Evolve) उन सभी में इसका आंटा सुन्दर एवं स्वादिष्ट होता है। यह १३५-४० दिन में पक कर तैयार हो जाता है। टाल के लिए सबसे उपयुक्त है।
३— कल्याण सोना	यह देर से पकने वाली बौने किस्म का गेहूं है।
४— चना बी० आर०—१७	इसके फूल गुलावी तथा वीज भूरे रंग के होते हैं। यह १३०-४० दिनों में पक कर तैयार हो जाता है।
५— चना वी० आर०—७७	फूल गुलावी तथा बीज भूरे रंग के होते हैं। इसके दाना पुष्ट होते हैं। यह १३५-१४५ दिनों में पक कर तैयार हो जाता है।
६— चना वी० आर०—७६	यह एक हरे रंग का चना है। इसके बीच पकने के वाद भी हरे रंग के रहते हैं। यह सब्जी के काम में विशेष रूप से उपयुक्त है। यह १४६ दिनों में पक जाता है।
७— चना वी० आर०—६५	इसके फूल गुलावी एवं दाने भूरे रंग के होते हैं। यह १५०-१६० दिनों में पक कर तैयार हो जाता है।
८— मसूर बी० आर०—२०	इसके दाने हरे रंग के होते हैं।
९— मसूर वी० आर०—२५	इसके दाने पुष्ट एवं इंटे के रंग के होते हैं। यह विहार में काफी प्रचलित है और टाल के लिए सबसे उपयुक्त है।
१०— मसूर वी० आर०—३७	इसके दाने स्याह लाल होते हैं।
११— तीसी एन० पी०—५१	इसके वीज पुष्ट एवं भूरे रंग के होते हैं।
१२— तीसी टी०—३९७	इसके बीज पुष्ट होते हैं।
१३— राई वी० आर०—४०	यह पिछात किस्म है और १३० दिनों में पक कर तैयार हो जाती है। बीज छोटे एवं लाल भूरे रंग के होते हैं।
१४— राई वी० आर०—१३	यह पिछात १३० दिनों में पकनें वाली राई की किस्म है। बीज छोटे एवं लाल भूरे रंग के होते हैं।
१५— सरसों वी० आर०—२२	यह अमात किस्म है। यह १०० दिनों में पक कर तैयार हो जाता है। इसके दाने मध्यम एवं लाल भूरे रंग के होते हैं। यह टाल के लिए सबसे उपयुक्त है।

परिशिष्ट — ७

व्यायाम, मनोरंजन, अनुशासन :

आनन्द विजया

एम० ए०, बी० एल०

परिशिष्ट—७

व्यायाम-
मनोरंजन-
अनुशासन

शरीर ही प्राणों का आधार है। आत्मा का निवास है, लोक या परलोक की सिद्धि का साधन है। समाज सेवा, आत्मोन्नति, एवं अध्यात्म का उत्कर्ष, धर्म साधना, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष किसी भी प्रकार के पुरूषार्थ की उपलब्धि के निमित्त इस शरीर की प्रथम आवश्यकता है। शरीर कायम रहे और वांछित कार्य के उपयोग के योग्य हो इस वास्ते व्यायाम की प्रथम आवश्यकता है। रोगी होकर, शारीरिक कष्ट, मानसिक क्लेश एवं आर्थिक क्षति उठाकर स्वास्थ्य सुधार की चेष्टा में सदा लीन रहने से कहीं अधिक उत्तम और आवश्यक है कि रोग को पास आने ही नहीं दिया जाय। और स्वास्थय की कूंजी है संयमित जीवन चर्या, नियमित व्यायाम।

कुश्ती, दंगल, कवड्डी, सेलचुक्का, गूली डंडा, चीरामीरा, एक टंगो ईत्यादि पुरूषोचित खेल हमारे पूर्वजों के लोकप्रिय खेल थे। उसके पहले आखेट और युद्ध।

मात्र व्यायाम एक कठोर संयम है और अभ्यास है। परन्तु क्रीड़ा के सम्मिश्रन से इसमें आनन्द, मनोरंजन, आकर्षण, रूचि की मात्रा आजाती है।

शरीर की पुष्टि के साथ मन की तुष्टि का भी सामंजस्य।

किन्तु शरीर का इतना अधिक व्यायाम या अधिक कठोर श्रम भी उचित और लाभदायक नहीं जो असहनीय हो जाय। उसी प्रकार मनोरंजन भी इतना अधिक ठीक नहीं कि व्यायाम तमाशा बन जाय। अति सर्वत्र-वर्जयेत्। जार्ज वर्नार्डशा फुटवाल, हौकी, क्रिकेट के भारी तमाशाओं का मजाक यह कह कर किया करते थे कि २२ वीर परिश्रमी युवकों को बाईस हजार आलसी लोग अपने ही समान वेवकूफ वना रहे हैं।

लोकतंत्री समाजवादी आधुनिक समाज में अनुशासन की भी प्रथम और महती आवश्यकता है। राजनीति हो या समाजनीति, अर्थ का क्षेत्र हो कि धर्म का, व्यापार का बाजार हो कि किसी व्यवसाय का, सभी ओर अनुशासन-हीनता। उच्छंखलता, नियम एवं मर्यादा का भंग। शिक्षा एवं लोक जीवन के क्षेत्र कितना दूषित हो रहे हैं आज उचित संयम, नियम और शासन के बिना।

व्यायाम के अखाड़े पर अनुशासन का अनुपालन बड़ा ही कठोर था। घरेलू जीवन से अधिक; विद्यालय से भी अधिक अखाड़े के उस्ताद के प्रति उनके शिष्य और पठ्ठों का भक्ति भाव दृढ़ और विश्वसनीय रहता था।

और आज भी आप अनुशासन का प्रत्यक्ष उदाहरण केवल एक ही स्थान पर देख सकेंगे। वह है खेल का मैदान। क्रीड़ांगन में।

वहां अपने दल के प्रधान कैप्टन के प्रति प्रत्येक खेलाड़ी अनुगत रहता है। विश्वस्त रहता है। नहीं रहे तो मैदान से हट जाता है। परन्तु मैदान में रहते हुए अनुशासन का उलंघन नहीं कर सकता है।

अपने दल में कप्तान और मैदान में पंच का राज अवाध और निर्विघ्न रखा जाता है।

और फिर एक मत, एक लक्ष्य, एक उमंग से सत्यनिष्ठ होकर Team spirit से एक-दलगत भावना से कार्य करने की शिक्षा पाने का भी यही स्थान है।

अपने निजी यश, अपनी वाहवाही, अपनी आत्मतुष्टि के लोभ का दमन करते हुए एक दूसरे की सहायता करते हुए, सहकारिता की भावना से कार्य को आगे बढ़ाते हुए हम शत्रुदल पर अपने पक्ष की विजय की कामना ले प्रेरित होकर खेल खेलते हैं।

कितनी एकाग्रचित्त शक्ति, केन्द्रित-ध्यान, संयमित अभ्यास और एक मनोगत Integrated भावना से ये खेलाड़ी अभ्यास करते हैं।

एक साथ ही शरीर का विकास, मन का मनोरंजन, लोभ और उच्छृंखलता पर संयम, नियम एवं संगठन का अनुपालन, चित्त की एकाग्रता और निःस्वार्थ कार्य करने की मनोवृति का अध्यास; इतने सद्‌गुणों के विकास और अभ्यास का मौका हमें देते हैं ये हमारे खेल-कूद, व्यायाम; कीड़ा-कौतुक।

बूढ़े; लाचार और रोगी होने के पहले आप अपने पसन्द और सुविधा के खेलकूद व्यायाम में शामिल हो जाइए। शुरू कर दें और अभ्यास में लग जांय।

खेल-कूद, व्यायाम के व्यसन रूप में ग्रहण करना भी हानिकर नहीं है। परन्तु आपके मनोनुकूल होना चाहिए। आपके समय का अपव्यय नहीं हो। अनावश्यक या अधिक खर्चीला नहीं हो तो ठीक है। व्यसन रूप में भी ग्राह्य है।

हमारे गांव की संख्या छोटे नगर जैसी है। फिर स्कूल, कॉलेज, अखाड़े चलते ही हैं।

संगठित रूप से इन व्यायाम, खेल-कूद, क्रीड़ा की व्यवस्था क्यों नहीं हो रही है यही चिन्ता की बात है।

कुछ दिनों तक फुटवाल और भालीवाल का शौक अच्छा चला था।

ऐसे दर्शनीय स्वस्थ शरीर-धारी प्राणी एक स्थान पर एकत्र कम ही नजर आते हैं।

हम क्यों नहीं उम्मीद करें कि इन व्यायाम और खेलकूद की व्यवस्था भी यहां स्थायी तौर से सुचारू रूप से संगठित हो सकेगी

दंगल की प्रथा फिर भी चालू हो सके-तो कितना उत्तम ?

एक पंथ कई काज ।

परिशिष्ट—८

नार्यस्तु यत्र पूज्यन्ते…………

सौभाग्यवती शान्ता रानी

परिशिष्ट—८

नार्यस्तु यत्र पूज्यन्ते,
रमन्ते तत्र देवता।

मेरा जन्म १९३७ ई० के जुलाई मास में हुआ। मुंगेर नगर में पिताजी के साथ रहते बैजनाथ Girls High English School में नवीं श्रेणी तक पढ़ाई हुई।

तब पटना के Women's College के Mount Carmel में दो वर्ष रहकर १९५४ में Matriculation प्रथम श्रेणी में किया। १९५५ में विवाह हुआ। १९५६ में Women's College पटना से ही द्वितीय श्रेणी में आई० ए० पास किया और तभी पढ़ाई समाप्त हुई। Women's College पटना विदेशी इसाई मिशन की स्थापित और संचालित संस्था है। उसके छात्रावास में १९५३ से १९५५ तक तीन वर्ष रहने का मौका मुझे मिला। १९६२ ई० के अक्टूबर से १९६३ के अक्टूबर तक भारतीय सेना कुमक 2nd Maratha light Infantry मिश्रदेश एवं इसराइली देश के बीच शान्ति स्थापना के काम से संयुक्त राष्ट्रमंडल United Nation organisation की ओर से गाजा क्षेत्र में जाकर रही थी। गाजा मिश्र देश के पूरब और इसराईल और जर्दन के दक्षिण-पश्चिम है। उस सिलसिले में मेरे पतिदेव जाकर वहां रहे थे। मेरे पतिदेव उस समय उसी सेना में कप्तान थे। अभी लेफ्टिनेंट कर्नल हैं। उस समय मैं भी उनके साथ मिश्र, इसराईल, जर्दन, इटली, ग्रीस, फ्रांस, जर्मनी, इंगलैन्ड इत्यादि के कुछ प्रमुख स्थान देख आई।

पिछले पन्द्रह वर्ष में सेना में रहने के कारण मुझे भारत के विभिन्न एवं विविध प्रदेश में जाने, रहने और निकट से देखने का मौका मिला है। असम, विहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, कश्मीर, दिल्ली और दार्जिलिंग में विशेष रहना हुआ है।

मेरे पितृ एवं पति कुल के प्रायः सभी उच्च शिक्षित हैं और शहरी हैं। इस प्रकार इस छोटी सी उम्र में ही मुझे विविध स्थानों एवं विविध लोगों को देखने जानने का अवसर मिला है। सच कहा जाय तो अपनी पितृभूमि बड़हिया में ही रहने और स्थानीय लोगों को निकट से जानने का मौका बहुत कम मिला है। तो मैं बड़हिया की जनता के इतिहास के प्रसंग में स्थानीय नारी-लोक के विषय में क्या कुछ और कैसे अपने विचार व्यक्त करूं ?

मेरे पूज्य पिताजी ने इस ग्रन्थ का प्रणयन परिश्रम के साथ किया है और उनकी इच्छा है कि मुझे भी कुछ कहना ही चाहिए, तो आदेश पूर्ति भी आवश्यक है।

अब तो सुनती हूँ कि बड़हिया में मेरी बहनें एवं भाभियां डाक्टर, प्रोफेसर ईत्यादि का कार्य उच्च शिक्षा

पाकर रही हैं। किन्तु १९५४ तक मैट्रिक पास देवियों की सख्या शायद नहीं के बराबर थी। हमारी इतनी बड़ी जनसंख्या के अनुपात में अभी भी स्त्री शिक्षा का प्रचलन यथेष्ट नहीं हुआ है। बेटियों की पढ़ाई पर खर्च करने का समुचित उत्साह नजर नहीं आता। इसकी जरूरत समझी नहीं जाती। जमीन्दारी के उन्मूलन, महाजनी के ह्रास एवं जमीन पर खतरे आने के कारण बेटी की शिमें पर तो उचित रूचि पैदा हो गई है। किन्तु पढ़-लिखकर पराये घर चली जाने वाली बेटियों पर क्यों खर्च किया जाय ?

एक माने में हम बड़हिया की बेटियां सौभाग्यवती हैं। वह यह कि हमारे पिता, चाचा, भाई का प्यार और सरक्षण समाज के अन्य स्थानों सें यहां अधिक प्राप्त होता है। विवाह के तिलक दहेज में यहां के बराबर अन्यत्र कम खर्च किया जाता है। विवाहोपरान्त भी यह प्यार दुलार अजस्र चलता रहता है।

नारी शिक्षा प्रचार का रास्ता अब साफ है किन्तु सर्व साधारण की सुविधा के लिये उच्च कोटि की पढ़ाई के निमित्त प्रारंभिक श्रेणी से कालेज तक की एक उन्नत सस्था की यहां तत्काल बड़ी आवश्यकता है। पर्दा, झूठी लोकलाज, गृह कलह, आभूषण प्रेम, आलसी बेकार जीवन, चुगली और निन्दा, भांति-भांति के अन्धविश्वास, सगे-संबंधियों के साथ भद्दे गन्दे मजाक और अन्य मूर्खताओं के वातावरण ने स्थानीय नारी-लोक को मुर्दा, गंदा, कलुषित, अशोभन, निष्प्राण सदियों से बना रखा है।

जमाने ने करवट बदला है। जीवन के हर पहलू में क्रान्तिकारी परिवर्त्तन आए हैं। अपने गांव की कुछेक बहनों को शिक्षा मिली भी है तो वे गाव से बाहर ही रह रहीं हैं। परन्तु इस वृहत महिला-समूह का लोक जीवन तो उसी प्राचीन पथ पर लुड़कता जा रहा है।

१९५६ ई० से हिन्दू नारी के अधिकारों में भारी परिवर्त्तन हुए हैं। अपनी एवं अपने पति और पिता से मिली संपत्ति की अब नारी पूर्ण स्वामिनी है। किन्तु इस क्रान्ति का सन्देश भी अभी बड़हिया के कितन आंगन में पहुंचा है ?

आज भी हमारी विधवाओं का जीवन निरवलंब असहाय ही हैं। जिस संबंधी का अवलंब वह लेती हैं, वही धोखा दे जाता है। अपने निकट के दायाद की लालची और इर्ष्यालु नजरों से उनकी जान सांसत में रहती है।

क्या यह आवश्यक और उचित नहीं होगा कि स्थानीय शिक्षित महिलाएं, पुत्रियां हों या बधू, समय-समय पर अपने गांव आकर नई रोशनी एवं नवजागृति का सन्देश अपनी अभागी और रूढ़ियों में कैद बहनों को देकर उन्हें सभी निरर्थक बन्धनों से मुक्त करें ?

नारी केवल पत्नी नहीं है, केवल सखी और संगिनी नहीं हैं, वह पुत्री भी हैं। बहन भी और है जननी। राष्ट्र को जन्म देने वाली, मानव जाति की माता, उच्चतम सृष्टि-मानव-की सृष्टि करने वाली। इस जाति की उपेक्षा और अवहेलना करके ही हमारा समाज पतित और दलित हुआ। अब और समय नष्ट करने का नहीं है।

समाज के बदलते हुए रूप को देखकर इतना समझ लेना आसान और आवश्यक है कि बहनों का स्थान अब कमरों और आंगने के भीतर नहीं रह सकता। समाजवाद का वरदान कहें या अभिशाप किन्तु उसके फलस्वरूप अब किसी को चौकी और खाट पर बैठकर भोजन नहीं मिलेगा। अपने वास्ते अपने ही रोजगार करना होगा। तब उनकी अर्धांगिनी को भी उस रोजगार में साथ होना होगा। यह निश्चित है; पसन्द हो या नापसन्द।

अगर यह अवश्यंभावी है तो हम अभी से अपनी बेटियों को इसके लिये तैयार करें। और इस उद्देश्य से शिक्षा के साथ-साथ विविध शिल्प, विविध कलाओं एवं विविध वृत्तियों यथा डाक्टर, वकील, अध्यापिका, किरानी ईत्यादि सेविका के प्रशिक्षण के लिये भी समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। और भी जैसे सिलाई, मूर्तिकला, खिलौने, तरह-तरह की हस्तकारी, पाक-शास्त्री ईत्यादि। इसकी कर्मशाला की व्यवस्था इस सम्पन्न स्थान पर आसानी से हो सकती है !

नारी मानव की सृष्टि करती है। जीवन में मानव को संभालकर रखती है, रक्षा करती है और उन्हें सतत आनन्द भी प्रदान करती है। इसी अर्थ में नारी की आह्लादिनी शक्ति का विशेष अभिनन्दन किया गया है। इसलिये गार्हस्थसुख, दाम्पत्यसुख, के साथ ही विविध ललितकलाओं की शिक्षा भी वांछित और आवश्यक है। यथा नृत्य, संगीत, अभिनय, चित्र मूर्तिकला इत्यादि।

देश की स्वाधीनता के साथ हम भी स्वाधीन हुई हैं। यह ठीक है। संविधान, कानून, राजनीति, समाज और मानिए कि परिवार भी हमें इच्छित स्वाधीनता देने को प्रस्तुत है। परन्तु यह स्वाधीनता व्यर्थ है और दूषित है यदि हम इसकी पात्रता अपने में न पैदा करलें, अपनी शिक्षा से, स्वावलम्बन से और चरित्रबल से।

स्वाधीनता को हम स्वच्छन्दता कभी नहीं समझें। हम कभी नहीं भूलें कि हम भारत की कन्या हैं। त्याग, तपस्या, प्रेम, सेवा और सतीत्व ही हमारा धर्म है, सिद्धि है, साधन है। पश्चिम की उनमुक्त महिलाओं से हम स्वावलम्ब और और योग्यता की शिक्षा अवश्य ग्रहण करें परन्तु, परिवार, समाज और राष्ट्र की एकता एवं दृढ़ता के अटूट बंधन हम महिलाएं ही हैं और रहेंगी, सो भी याद रखें।

इन्हीं कुछ विनम्र निवेदनों के साथ मैं अपनी मातृ-पितृ भूमि की महिलाओं को नमस्कार करती हूं।

परिशिष्ट—६

बुद्धिजिवियों के नाम

परिशिष्ट—९

इस ग्राम के कुछ शिक्षित बुद्धिजिवियों के नाम :—

वकील :—

(१) श्री विश्वनाथ सिंह
(२) श्री आनन्द विजय
(३) श्री सच्चिदानन्द सिंह
(४) श्री इन्द्रदेव नारायण सिंह
(५) श्री वीरेन्द्र प्रसाद सिंह
(६) श्री गवेन्द्र नारायण सिंह
(७) श्री महेन्द्र प्रसाद सिंह
(८) श्री देवेन्द्र प्रसाद सिंह
(९) श्री नवल किशोर सिंह
(१०) श्री राम नरेश सिंह
(११) श्री नवल प्रसाद सिंह
(१२) श्री अर्जुन प्रसाद सिंह
(१३) श्री शीतल प्रसाद
(१४) श्री गणेश मुरारका

वकील हाईकोर्ट :—

(१) श्री इन्द्रभातु सिंह
(२) श्री मधुसूदन सिंह
(३) श्री नागेन्द्र प्रसाद सिंह
(४) श्री मदन मोहन सिंह
(५) श्री छोटे नारायण सिंह

वकील :—

(१) श्री कमलेश्वरी सिंह (असम मैं)

डाक्टर-चिकित्सक M. B. B. S.

(१) श्री सीताराम सिंह (लंदन में)
(२) श्री मदन मोहन सिंह
(३) श्री मोती सिंह
(४) श्री जनार्दन सिंह
(५) श्री रामासागर सिंह
(६) श्री रामनरेश सिंह
(७) श्री विन्देश्वरी मंडल(अमेरिका में)
(८) श्री मती इन्दु सिंह
(९) श्री गोपाल कृष्ण (लंदन में)
(१०) डाक्टर विजय कुमार
(११) डा० अवध किशोर सिंह

अफसर :–

(१) श्री ललित विजय सिंह I.P.S.
(२) श्री गिरिजानन्दन सिंह डिपुटी मैजिस्ट्रेट
(३) श्री गंगाधर सिंह ,, ,,
(४) श्री मदन मोहन प्रसाद सिंह मुंसिफ

इंजिनियर:–

(१) श्री मदन प्रसाद सिंह
(२) श्री कृष्णपाल सिंह

सहकारिता:–

(१) श्री कैलाशपति सिंह Principal.

पशु चिकित्सक

(१) श्री रामकृष्ण शर्मा
(२) श्री अवधेश कुमार सिंह
(३) श्री नवल किशोर सिंह

(४) श्री हरिनन्दन सिंह
(५) श्री राजेन्द्र सिंह
(६) श्री रेयाजुद्दीन

कालेज-अध्यापक :—

(१) श्री बमबम सिंह M.A.,D. lilt. Vice Princip.
(२) श्री उदय शंकर सिंह M. A.
(३) श्री श्याम सुन्दर सिंह M. Sc D. Sc.
(४) श्री नरेश सिंह M. A.
(५) श्री मती शकुनतला देवी M. A.
(६) श्री मती शांति देवी M.A. Vice Principal
(७) श्री लखन लाल M. Sc.
(८) श्री बच्चू शास्त्री
(९) श्री चन्द्रशेखर शास्त्री

अराजपत्रित नौकरी वालों, स्कूल के शिक्षक, किरानी के नाम नहीं दिए जा रहे हैं। वे बहुसंख्यक हैं। कतिपय सज्जन बी०ए० बी०एल० या बी०एल० इत्यादि की योग्यता प्राप्त कर किसी वृति या नौकरी नहीं कर गृहस्ती में रहते हैं, उनके नाम नहीं दिए जा रहे हैं।

सभव है कुछ नाम का उल्लेख नहीं हो रहा है, उनकी क्षमा याचना की जाती है।

१. डा० केदार नाथ साह Radio logist
Avon-
U. S. A.

२. डा० बालेश्वर मंडल तथा

३. Mr. Ramchandra Prasad Singh.
Peterloeyli
Peusylvania
Design Engineer.

४. Ramanand Prasad.
Marketting Research

U. S. A.

५. Krishna Prasad Singh.
Engineering Sludeynt
Petersbey.

परिशिष्ट—१०

ग्रन्थकार परिचय

परिशिष्ट—१०

ग्रन्थकार परिचय :-

नाम : विश्वनाथ सिंह
माता : श्रीमती उत्तम-वती
पिता : श्रीयुत नान्हा प्रसाद सिह जी
जन्म : २९ अक्टूबर १९०७। सोमवार कार्तिक सुदी संवत् १९६४
चूड़ाकरण : १९१२ ई०
उपनयन : १९१९ ई०
विवाह : २९ जनवरी १९२५ वसन्त पचमी, शुक्रवार।
शिक्षा : वड़हिया मिडल स्कूल—१९१३-१९२०
जिला स्कूल, मुंगेर- १९२१-१९२४ / छात्रावास भी
पटना कालेज —१९२५-१९२९ / छात्रावास भी
पटना ला कालेज —१९२९-१९३१ / छात्रावास भी
मैट्रिक —१९२५
आई० ए० —१९२७
वी० ए० —१९२९
बी० एल० --१९३२
ऐडवोकेट --१९४५
विधि व्यवसाय आरम्भ : ६-२-१९३३
Assistant Public Prorecutor : १९४४-१९६२
जेल जीवन : ७ सितम्बर १९४२ से २७ नवम्बर १९४२
पिता का स्वर्गवास : जून १९२८
माता का स्वर्गवास : जनवरी १९४०
पारिवारिक विभाजन : १९३० और १९३८। ज्येष्ठांश त्याग
धर्म पत्नी : श्रीमती लीलावती देवी

सन्तान : पुत्र : श्री ललित विजय, आई० पी० एस०, बी० ए० आनर्स (भारतीय आरक्षी सेवा)
श्री शान्ति प्रसन्न कुमार, बी० एस० सी० एग्रीकलचर
श्री आनन्द विजय, एम० ए०, बी० एल०; ऐडवोकेट

पुत्री : श्रीमती शान्ता रानी, आई० ए०
जामाता : वीर किशोर प्रसाद सिंह, भारतीय सेना में कर्नल।

एक और पुत्र थे लेफ्टिनेन्ट अरूंजय कुमार सिंह, जिला स्कूल मुंगेर; Prince of wales, Royal Indian Military College of Dehradun, National Defence Academy of Kharagwasla तथा Indian Military College of Dehradun से प्रशिक्षित होकर भारतीय सेना में ६ जून १९५९ को प्रविष्ट होकर दुर्भाग्यवश २७ दिसम्बर १९५९ के दिन मद्रास के St. Thomas Mount के सैनिक अस्पताल में स्वर्गवासी हुए।

लोक जीवन :

सदस्य : कांग्रेस १९२३ से १९६९ नवम्बर तक
छात्र परिषद : बड़हिया
जगदम्बा हिन्दी पुस्तकालय, बड़हिया
जिला परिषद मुंगेर १९४२ से ४७
नगरपालिका मुंगेर–१९५१ से १९५६
जिला विकास परिषद–१९६० से १९६२
सदर अस्पताल मुंगेर–१९४४ से ६७
Lady stephension child welfare and
Maternity centre–१९४८ से १९६७
Temple of Hanuemman १९५१ से १९६७
जिला शिशु कल्याण समिति १९५८ से ६६
मुंगेर हिन्दी साहित्य परिषद १९३३ से १९६०
जिला हिन्दी साहित्य सम्मेलन
मुंगेर नगर कांग्रेस–१९४४ से १९६९
मुंगेर जिला कांग्रेस–१९५९ से १९६९
भागलपुर विश्वविद्यालय परिशोधन समिति इत्यादि १९६५ से ६८

न्यासधारी सदस्य

१. श्री रामधनी सिंह छात्रावास, मुंगेर १९३७ से
२. श्रीकृष्ण सेवासदन, मुंगेर १९५३ से

३. श्री रामविहारी शरण न्यास, बड़हिया १९७७ से
४. श्री रामाश्रय न्यास पर्षद, बड़हिया १९४७ से
५ श्री रामाश्रय गोशाला, बड़हिया १९५७ से
६. श्री ज्ञान भारती, बड़हिया १९७२ से

मंत्री :

छात्र परिषद बड़हिया १९२७ से १९२९
जगदम्बा हिन्दी पुस्तकालय बड़हिया १९२८ से १९३०
हाई इंगलिश स्कूल बड़हिया १९३६ से १९३९
District Boy Scouts Association १९४४ से ४५
Monghyr Bar Association १९५३ से १९६६
वीणा पाणि संगीत सदन

Dist. council for child welfare
श्रीकृष्ण सेवा सदन १९४७ से १९७१
श्री जयप्रकाश अभिनन्दन समिति १९४४
श्री रवीन्द्र नाथ शताब्दी जयन्ती १९६१
वर्षा पीड़ित सहायता समिति १९६१
सयुक्त मंत्री विहार वकील सम्मेलन, मुंगेर १९५०

अध्यक्ष :

बड़हिया सहयोग समिति :	१९४७ से १९५२
सदर लोकल बोर्ड	१९५४
महात्मा गांधी शताब्दी जयन्ती	१९६९
प्रारम्भिक शिक्षक सम्मेलन, शेखपुरा	
ज्ञान भारती बड़हिया	१९४४

परीक्षक : बी० एल० परीक्षा, भागलपुर विश्व विद्यालय
संयोजक : विकास सम्मेलन बड़हिया १९५२
जिला राजनैतिक सम्मेलन बड़हिया १९४७
महात्मा गांधी की सभा बड़हिया १९३४
महात्मा गांधी की महिला सभा बड़हिया १९३४

प्रान्तीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन मुंगेर १९५७

काश्तकार सभा बड़हिया १९३८, ३९, ४०

संस्थापक या प्रेरक :

१. श्रीकृष्ण सेवासदन, मुंगेर
२. श्री रामाश्रय न्यास पर्षद बड़हिया
३. श्री रामाश्रय गोशाला बड़हिया
४ ज्ञान भारती बड़हिया
५. श्री बद्री नारायण मुक्तेश्वर नाथ कालेज बड़हिया
६. श्री 'हरदेवदास अस्पताल बड़हिया
७. श्री नौरंगी सिंह आरोग्य सदन बडहिया
८. श्री गोवर्धन कणोडिया आरोग्य सदन बड़हिया

अन्य सेवा कार्य

सेवा समिति	१९२३ से १९२६
बाढ़ पीड़ित	१९३४, ४८, ६१
भूकम्प पीड़ित	१९३४, ३५
असहाय छात्र	
हिन्दी भाषा	
पुलिस विद्रोह	१९४६
पर्दा निवारण	
छूआछूत विरोध	
अन्ध विश्वास विरोध	
राजनीतिक पीड़ितों के मोकदमा की पैरवी	
कांग्रेस चुनाव प्रचार	१९२७-१९६७ तक
नाटक अभिनय	१९२६-१९३५

ईत्यादि ।

परिशिष्ट — ११

वंशावलि :—

पृष्ठ

प्राण ठाकुर ३६१
१. चौधरी गोपीनाथ ठाकुर ३६२
२. चौधरी शिव ठाकुर ३६४
३ चौधरी जीवन ठाकुर
४. चौधरी इन्द ठाकुर ३६७
५. चौधरी गौर ठाकुर ३८१
६. चौधरी श्याम ठाकुर ३८५
७. चौधरी प्रयाग ठाकुर ३८७
८. चौधरी दुखहरण ठाकुर ३८९
९. चौधरी रामचरण ठाकुर ३९२
१०. चौधरी रामसेन ठाकुर ४०७
११. चौधरी घनराज ठाकुर ४१९
१२. चौधरी दानी ठाकुर ४३४
१३. चौधरी श्रीकंठ ठाकुर ४३७

१४. मेरे पुरोहित परिवार ४४९
१५. एक मिश्र परिवार ४५०
१६. एक सावर्ण गोत्रीय परिवार ४५१
१७. एक वत्स गोत्रीय परिवार ४५५
१८. एक कश्यप गोत्रीय परिवार ४५७
१९. एक गौतम गोत्रीय परिवार ४५९

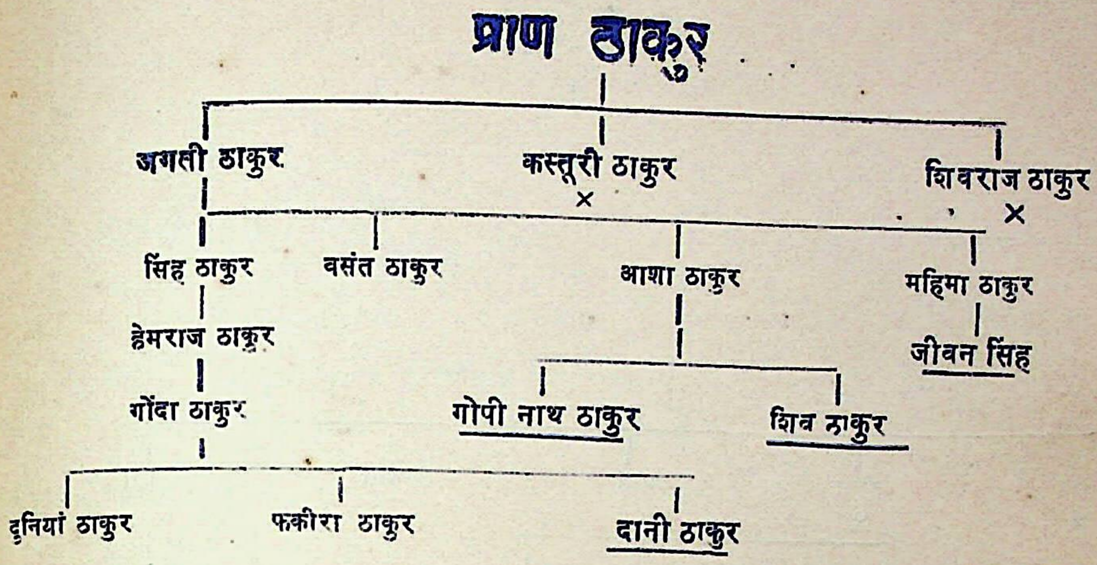
प्राण ठाकुर
जगती ठाकुर
कस्तूरी ठाकुर
×
शिवराज ठाकुर
×
सिंह ठाकुर
वसंत ठाकुर
आशा ठाकुर
महिमा ठाकुर
हेमराज ठाकुर
जीवन सिंह
गोंदा ठाकुर
गोपी नाथ ठाकुर
शिव ठाकुर
दुनियां ठाकुर
फकीरा ठाकुर
दानी ठाकुर

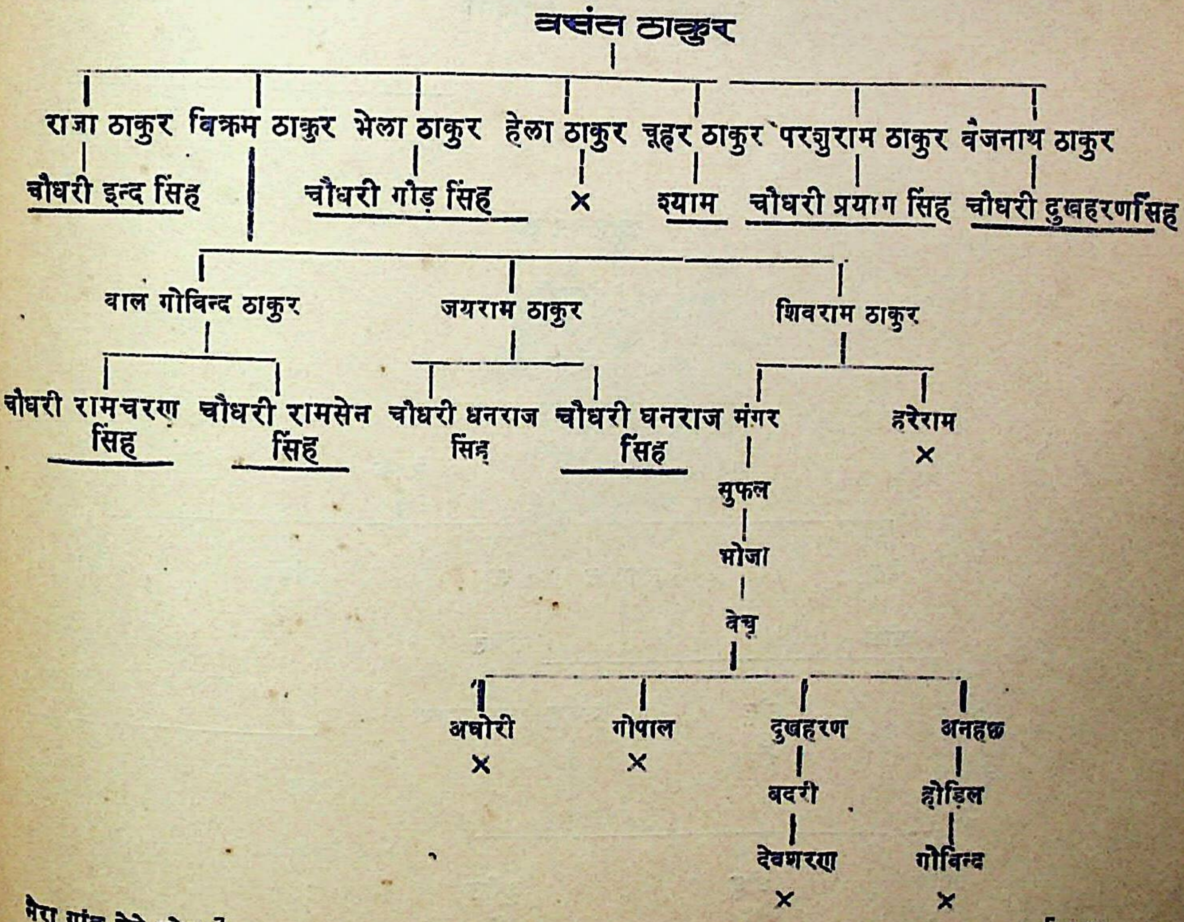
वसंत ठाकुर
राजा ठाकुर
विक्रम ठाकुर
भेला ठाकुर
हेला ठाकुर
चूहर ठाकुर
परशुराम ठाकुर
बैजनाथ ठाकुर
चौधरी इन्द सिंह
चौधरी गौड़ सिंह
×
श्याम
चौधरी प्रयाग सिंह
चौधरी दुखहरणसिंह
बाल गोविन्द ठाकुर
जयराम ठाकुर
शिवराम ठाकुर
चौधरी रामचरण सिंह
चौधरी रामसेन सिंह
चौधरी धनराज सिंह
चौधरी घनराज सिंह
मंगर
हरेराम
×
सुफल
भोजा
बेचू
अघोरी
×
गोपाल
×
दुखहरण
अनहक
बदरी
झोड़िल
देवशरण
×
गोविन्द
×

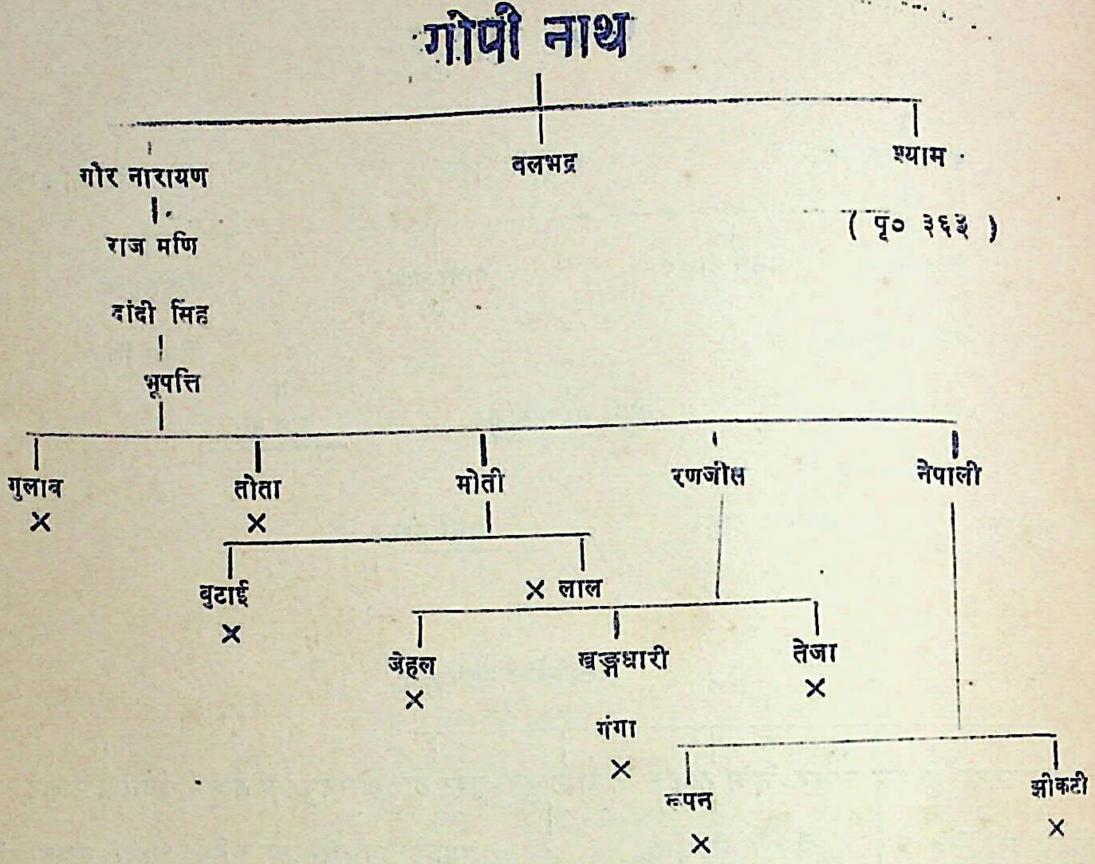
गोपी नाथ
गौर नारायण
वलभद्र
श्याम
राज मणि
दांदी सिंह
भूपत्ति
गुलाब ×
तोता ×
मोती
रणजीत
नेपाली
बुटाई ×
× लाल
जेहल ×
खड्गधारी
तेजा ×
गंगा ×
रूपन ×
झीकटी ×

(पृ० ३६३)

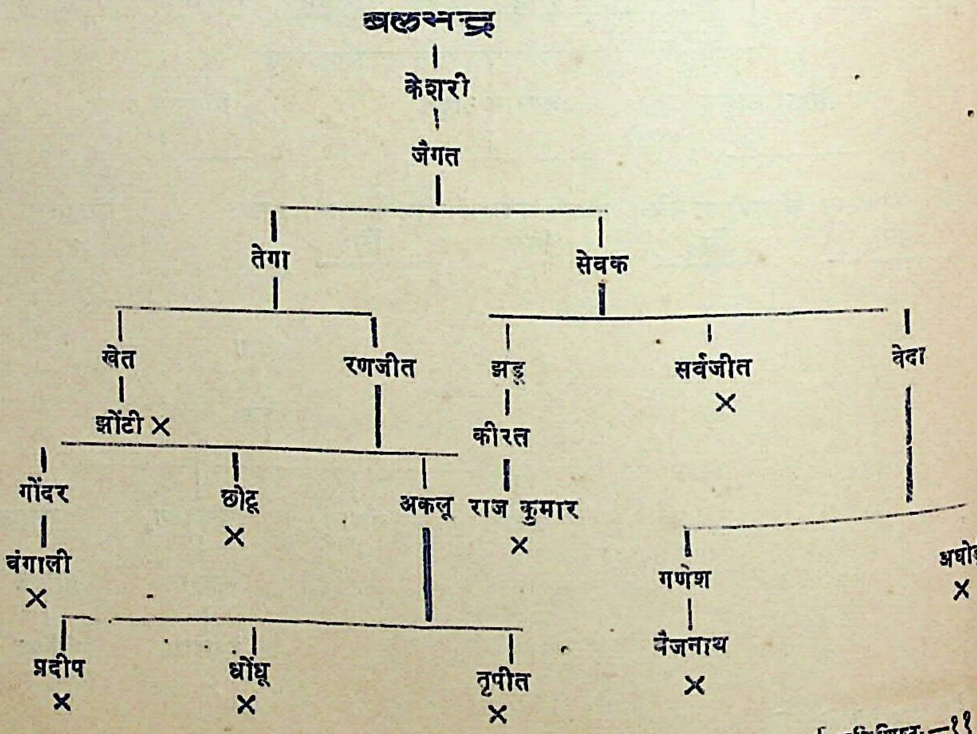
बलभद्र
केशरी
जैगत
तेगा
सेवक
खेत
झोंटी ×
रणजीत
झड़ू
कीरत
राज कुमार ×
सर्वजीत ×
वेदा
गोंदर
बंगाली ×
छोट्ट ×
अकलू
प्रदीप ×
धोंधू ×
तृपीत ×
गणेश
बैजनाथ ×
अघोड़ी ×

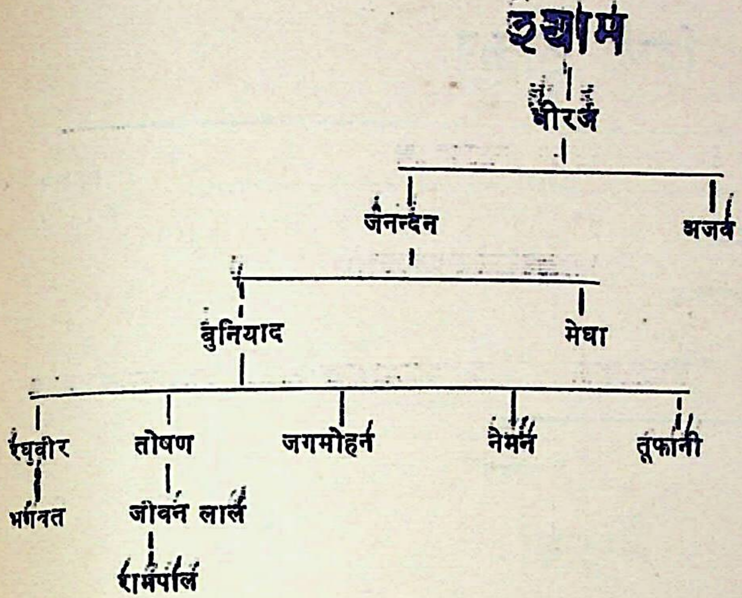
श्याम
नीरज
जनन्दन
अजब
बुनियाद
मेघा
रघुवीर
तोषण
जगमोहन
नेमन
तूफानी
भगवत
जीवन लाल
रामपाल

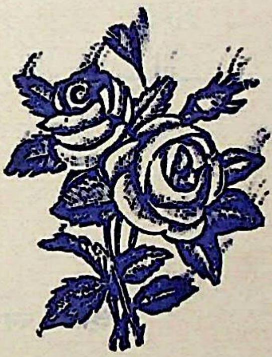

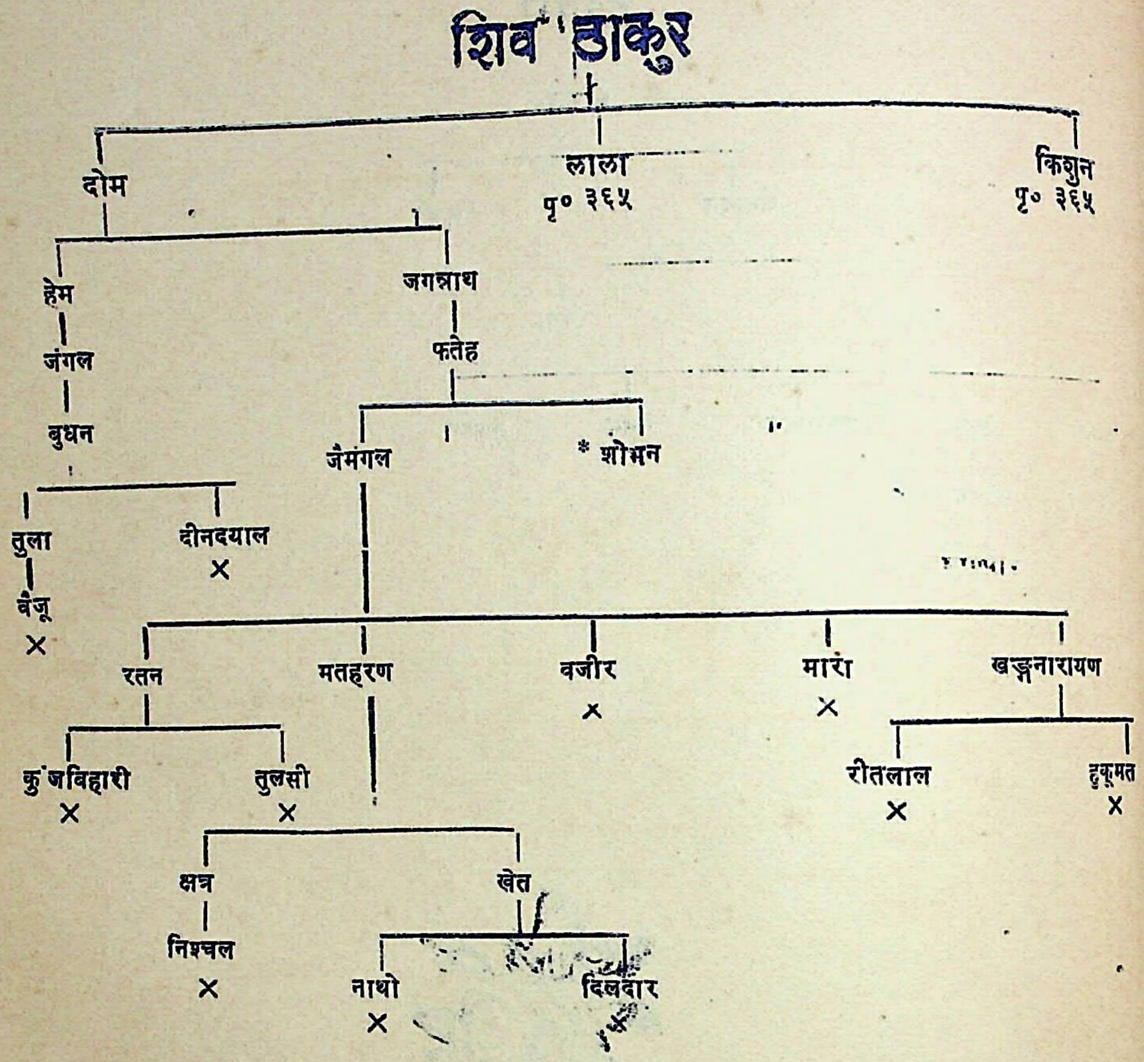
शिव ठाकुर
दोम
लाला
पृ० ३६५
किशुन
पृ० ३६५
हेम
जगन्नाथ
जंगल
फतेह
बुधन
जैमंगल
* शोभन
तुला
दीनदयाल
×
बैजू
×
रतन
मतहरण
वजीर
×
मारा
×
खड्गनारायण
कुंजविहारी
×
तुलसी
×
रीतलाल
×
हुकूमत
×
क्षत्र
खेत
निश्चल
×
नाथो
×
दिलदार

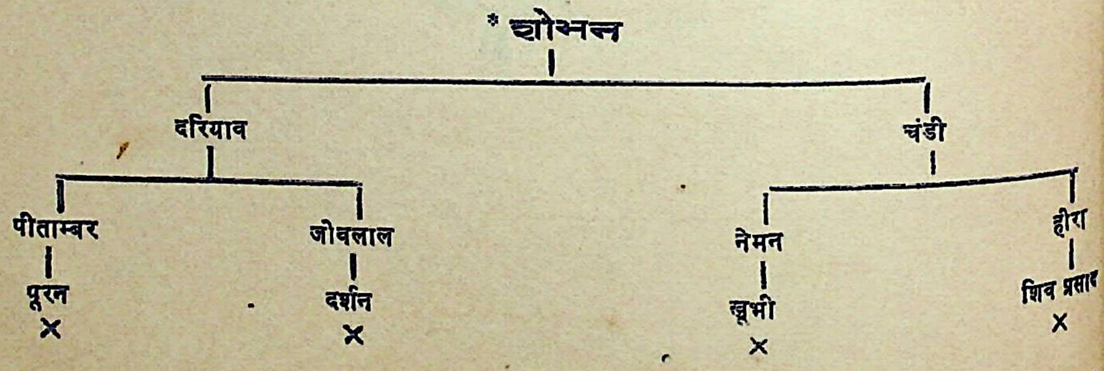
* शोभन
दरियाव
चंडी
पीताम्बर
जोवलाल
नेमन
हीरा
पूरन
×
दर्शन
×
खूभी
×
शिव प्रसाद
×

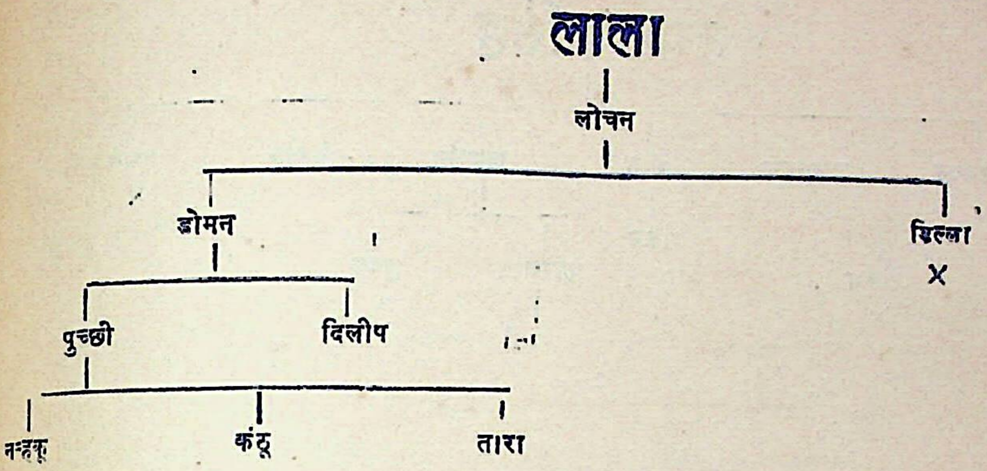
लाला
लोचन
डोमन
डिल्ला
×
पुच्छी
दिलीप
नन्हकू
कंटू
तारा

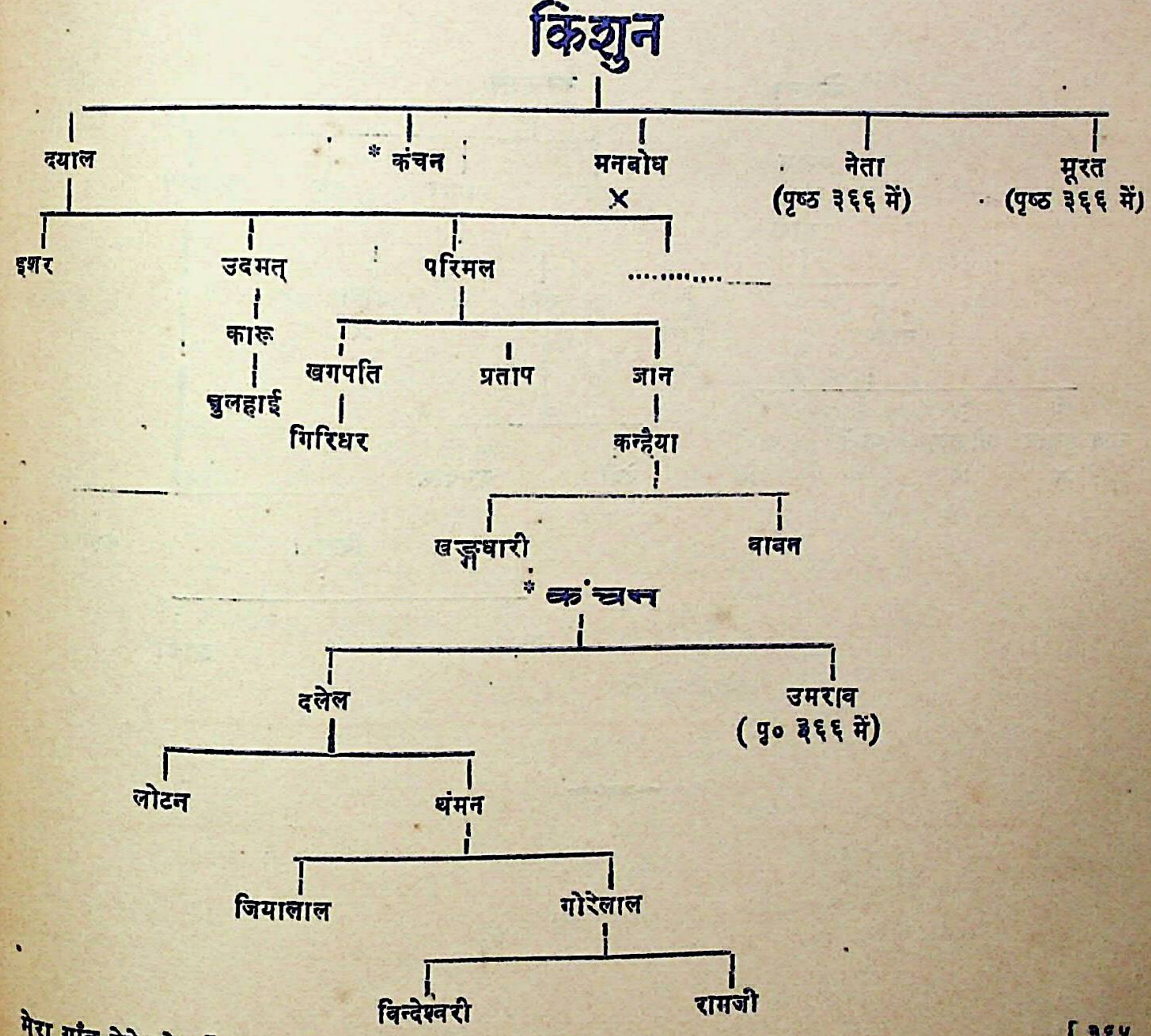
किशुन
दयाल
* कंचन
मनबोध
×
नेता
(पृष्ठ ३६६ में)
मूरत
(पृष्ठ ३६६ में)
इशर
उदमत्
परिमल
....
कारू
घुलहाई
खगपति
प्रताप
जान
गिरिधर
कन्हैया
खड्गधारी
बाबन
* कंचन
दलेल
उमराव
(पृ० ३६६ में)
लोटन
थंमन
जियालाल
गोरेलाल
विन्देश्वरी
रामजी

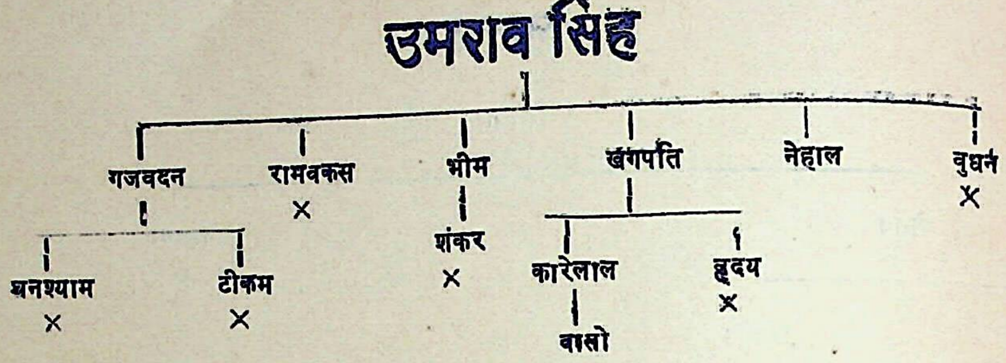
उमराव सिंह
गजवदन
रामवकस
×
भीम
खंगपति
नेहाल
वुधर्न
×
घनश्याम
×
टीकम
×
शंकर
×
कारेलाल
हृदय
×
वासो

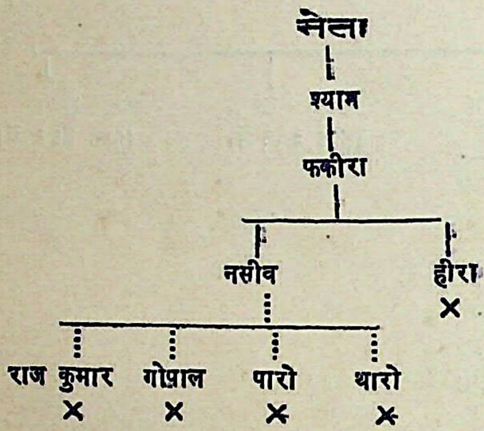
सेता
श्याम
फकीरा
नसीव
हीरा
×
राज कुमार
×
गोपाल
×
पारो
×
थारो
×

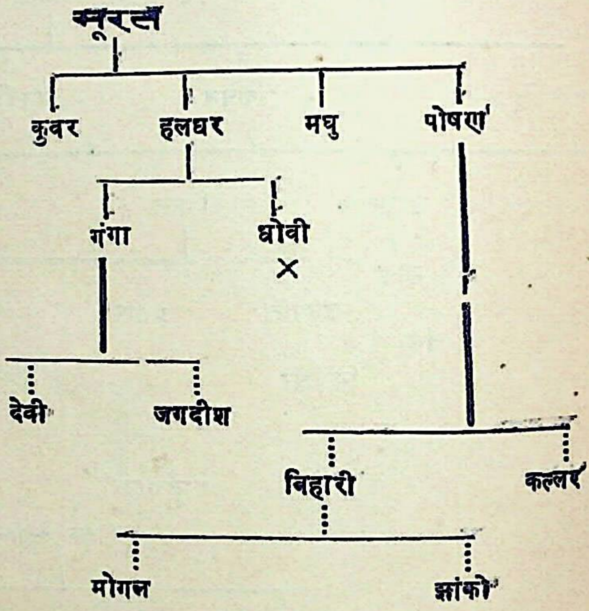
सूरत
कुवर
हलधर
मघु
पोषण
गंगा
धोवी
×
देवी
जगदीश
बिहारी
कल्लर
मोगल
झांको

चौधरी इन्द्र ठाकुर

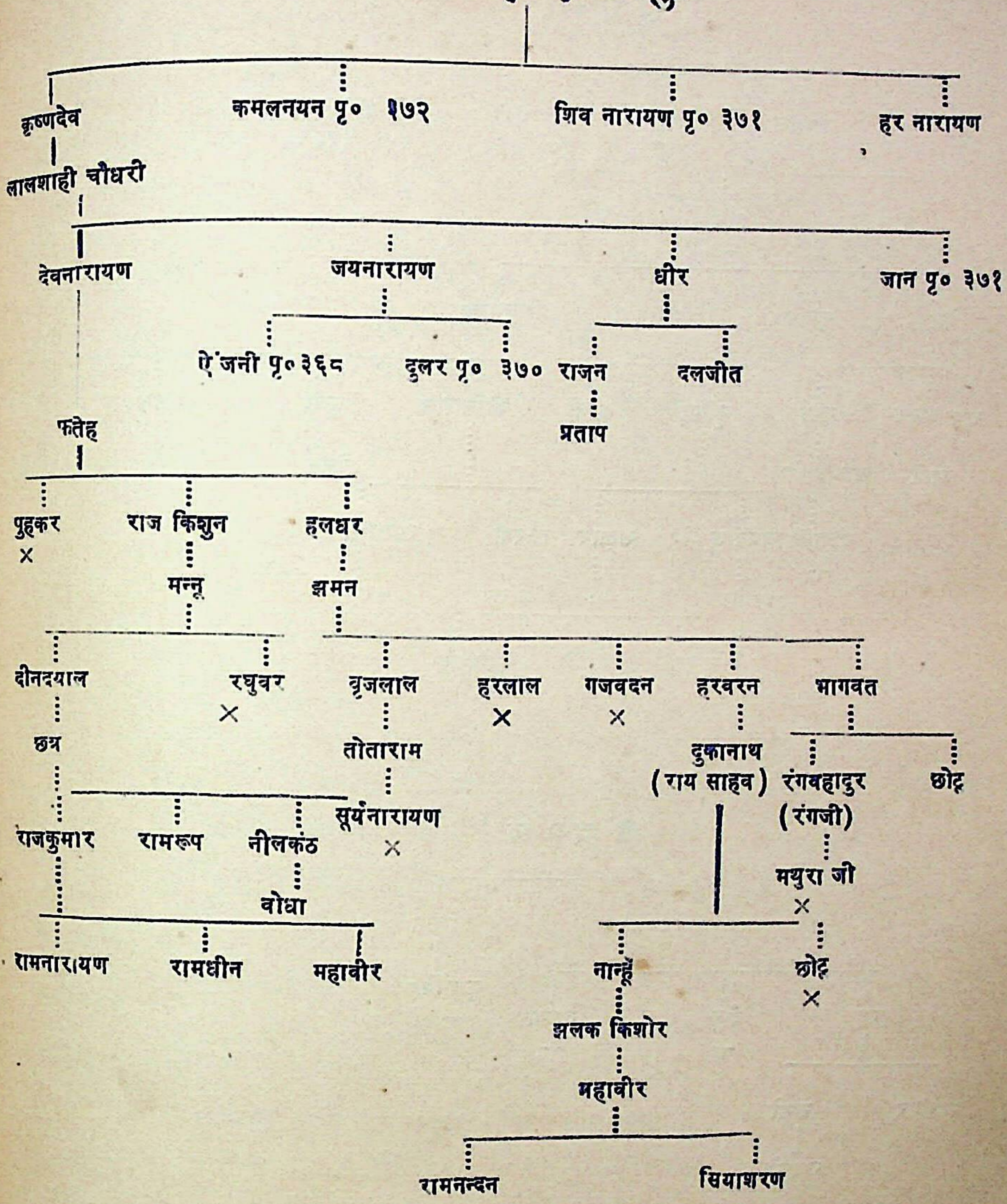
कृष्णदेव
कमलनयन पृ० १७२
शिव नारायण पृ० ३७१
हर नारायण
लालशाही चौधरी
देवनारायण
जयनारायण
धीर
जान पृ० ३७१
ऐंजनी पृ० ३६८
दुलर पृ० ३७०
राजन
दलजीत
प्रताप
फतेह
पुहकर
×
राज किशुन
हलधर
मन्नू
झमन
दीनदयाल
रघुवर
×
बृजलाल
हरलाल
×
गजवदन
×
हरवरन
भागवत
छत्र
तोताराम
दुकानाथ (राय साहब)
रंगबहादुर (रंगजी)
छोटू
राजकुमार
रामरूप
नीलकंठ
सूर्यनारायण
×
बोधा
मथुरा जी
×
रामनारायण
रामधीन
महावीर
नान्हूँ
छोटू
×
झलक किशोर
महावीर
रामनन्दन
सियाशरण

ऐंजनी

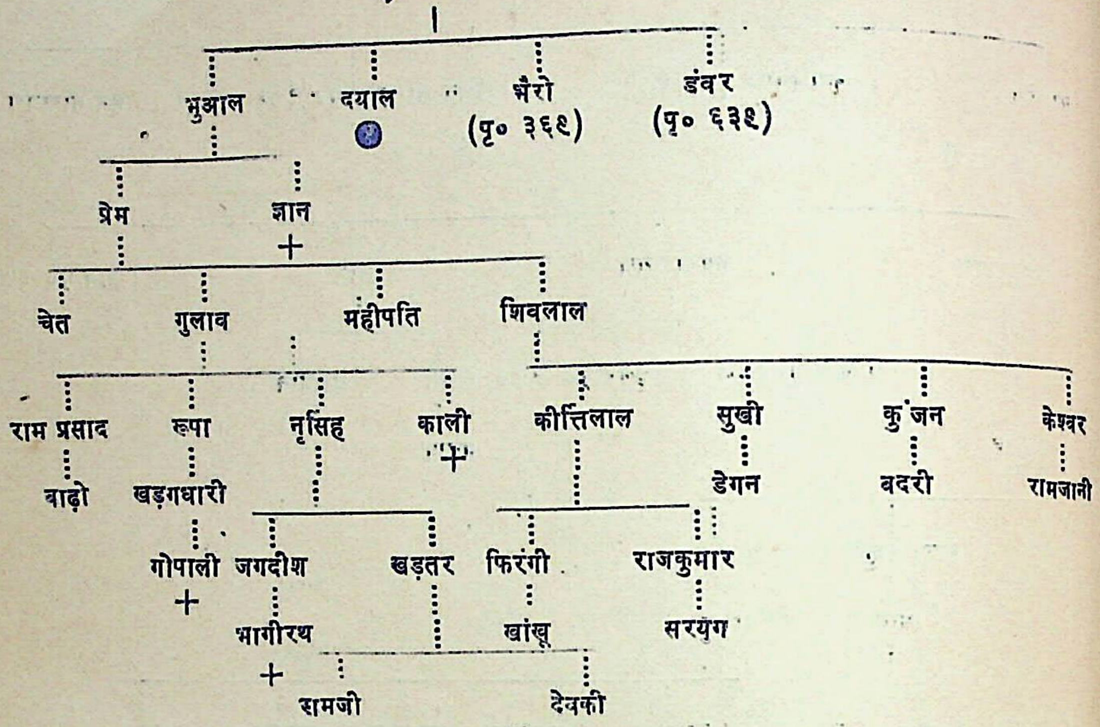
भुआल
दयाल ●
भैरो
(पृ० ३६९)
इंवर
(पृ० ६३९)
प्रेम
ज्ञान
+
चेत
गुलाव
महीपति
शिवलाल
राम प्रसाद
रूपा
नृसिंह
काली
+
कीर्त्तिलाल
सुखी
कुंजन
केश्वर
बाढ़ो
खड़गधारी
डेगन
बदरी
रामजानी
गोपाली
+
जगदीश
खड़तर
फिरंगी
राजकुमार
भागीरथ
+
खांखू
सरयुग
रामजी
देवकी

● दयाल

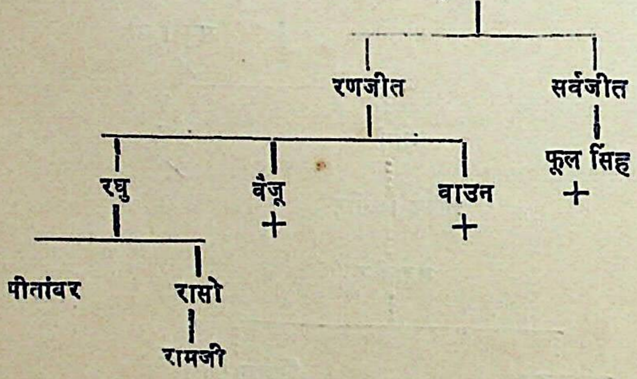
रणजीत
सर्वजीत
रघु
वैजू
+
बाउन
+
फूल सिंह
+
पीतांबर
रासो
रामजी

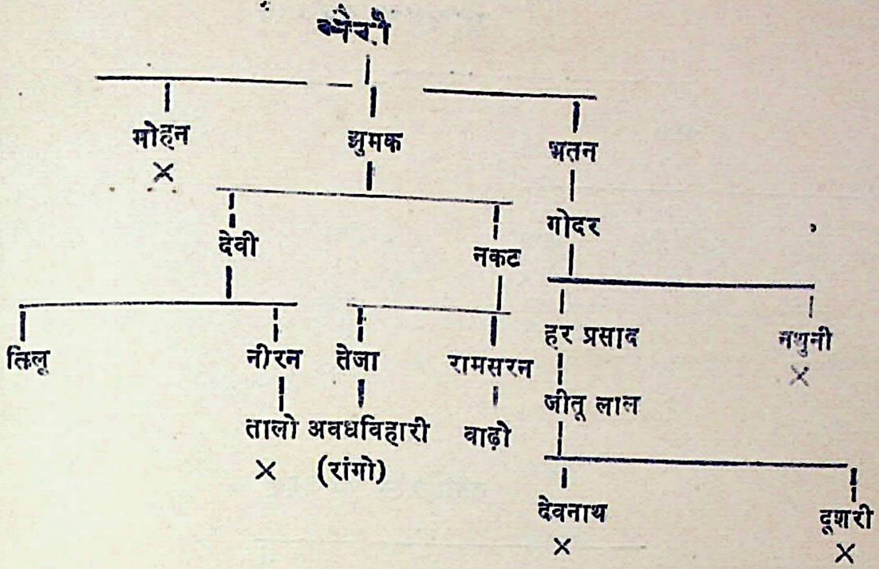
भैरो
मोहन
×
झुमक
भतन
देवी
नकट
गोदर
तिलू
नीरन
तेजा
रामसरन
हर प्रसाद
नथुनी
×
जीतू लाल
तालो
×
अवधविहारी
(रांगो)
वाढ़ो
देवनाथ
×
दूशरी
×

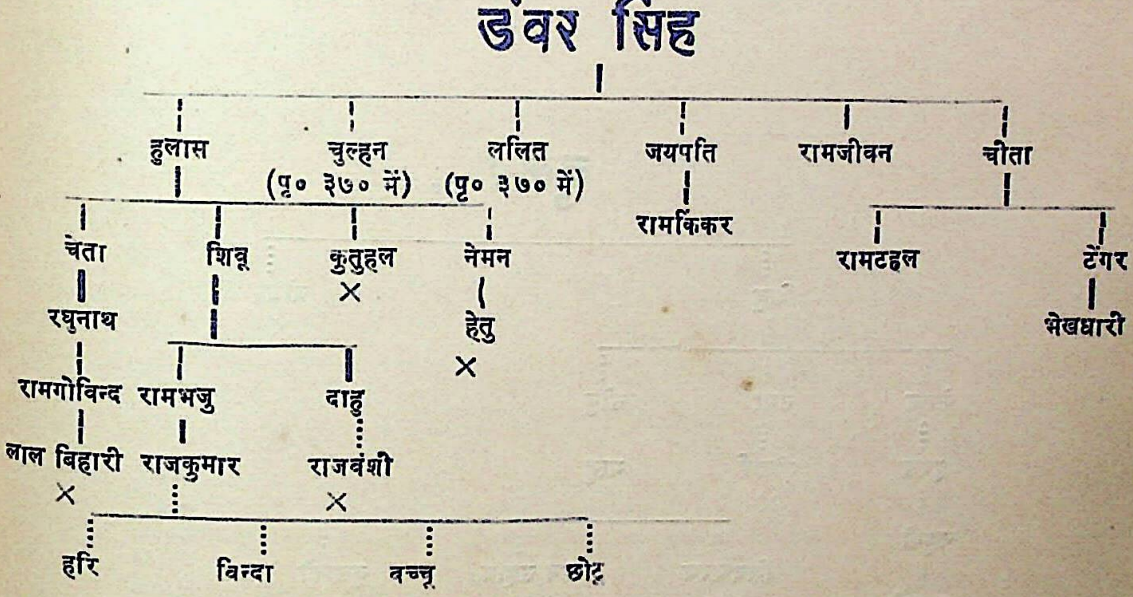
डंवर सिंह
हुलास
चुल्हन
(पृ० ३७० में)
ललित
(पृ० ३७० में)
जयपति
रामकिंकर
रामजीवन
चीता
चेता
रघुनाथ
रामगोविन्द
लाल बिहारी
×
शिवू
रामभजु
राजकुमार
दाहु
राजवंशी
×
कुतुहल
×
नेमन
हेतु
×
रामटहल
टेंगर
भेखधारी
हरि
विन्दा
वच्चू
छोटू

खुल्हन पृ० ३६९

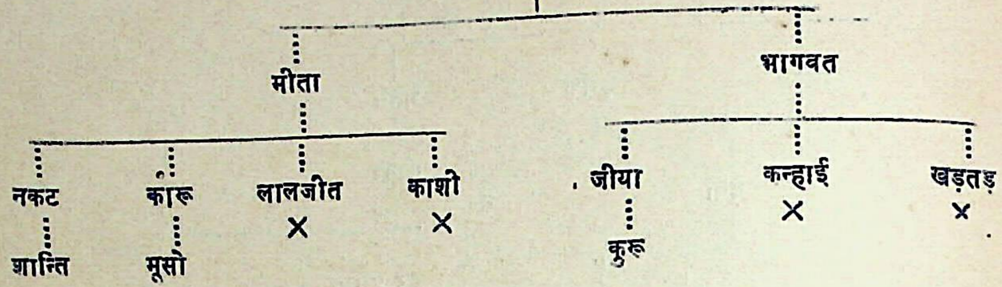
मीता
भागवत
नकट
कारू
लालजीत
×
काशी
×
जीया
कन्हाई
×
खड़तड़
×
शान्ति
मूसो
कुरू

ललित पृ० ३६९

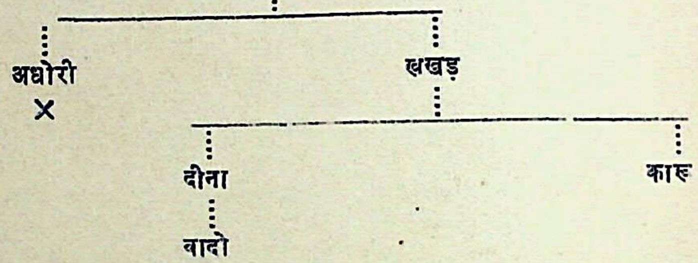
अघोरी
×
खखड़
दीना
कारू
वादो

दुलर पृ० ३६७

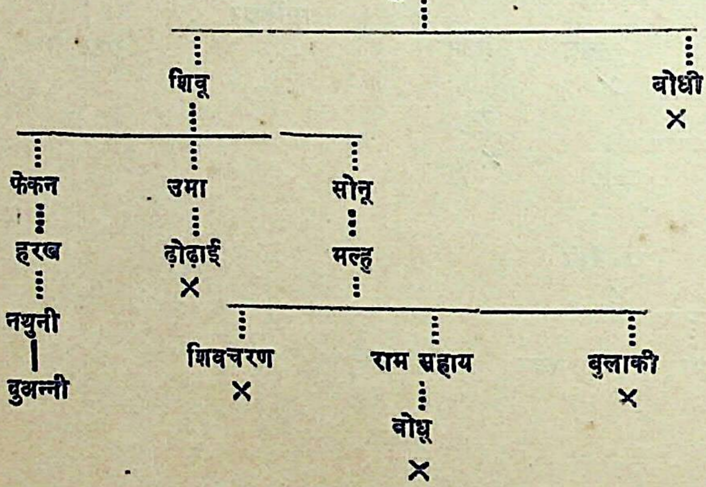
शिवू
बोधी
×
फेकन
उमा
सोनू
हरख
ढोढ़ाई
×
मल्हु
नथुनी
बुअन्नी
शिवचरण
×
राम सहाय
बोधू
×
बुलाकी
×

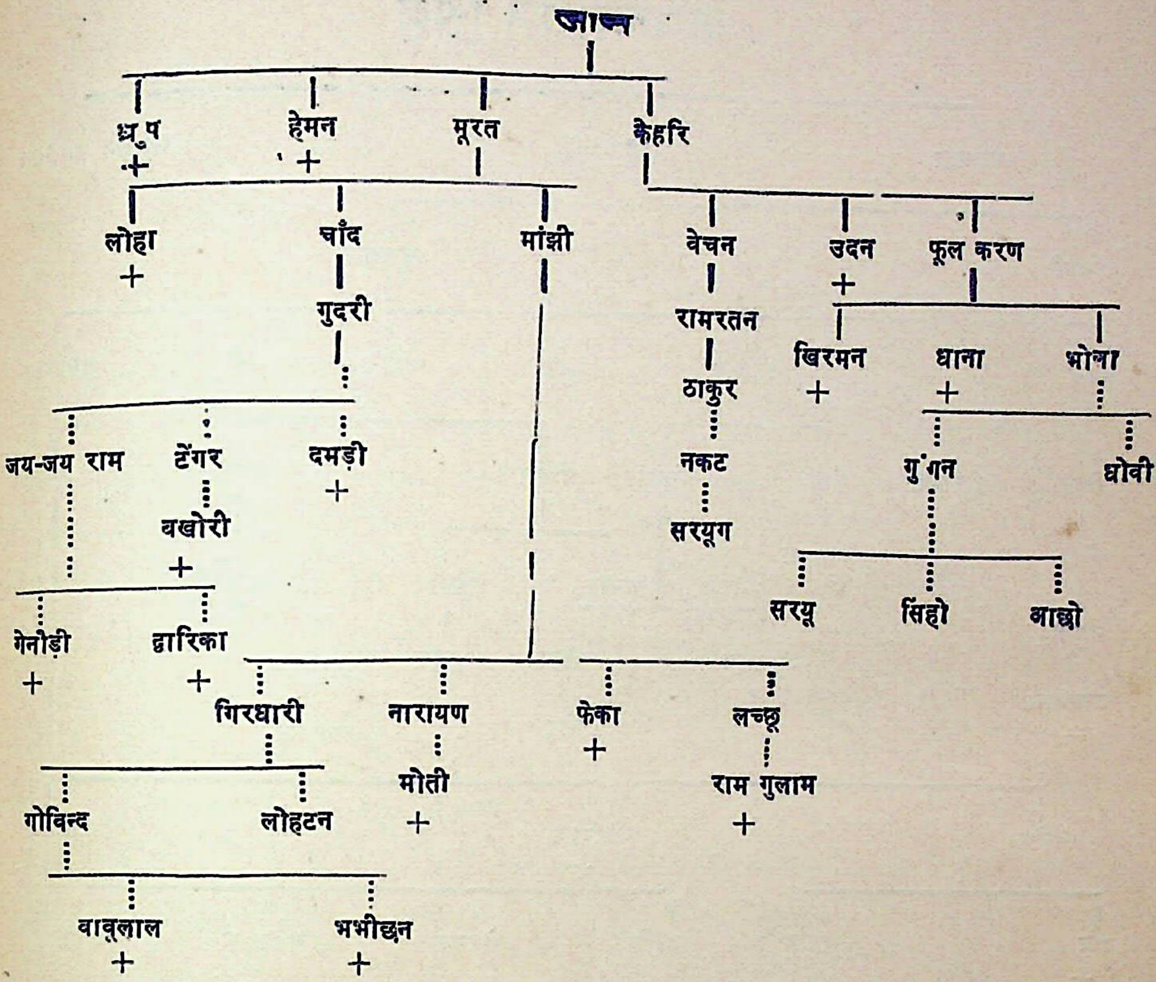
जान
धुप +
हेमन +
मूरत
केहरि
लोहा +
चाँद
मांझी
वेचन
उदन +
फूल करण
गुदरी
रामरतन
खिरमन +
धाना +
भोला
ठाकुर
जय-जय राम
टेंगर
दमड़ी +
नकट
गुंगन
धोवी
वखोरी +
सरयूग
सरयू
सिहो
वाछो
गेनोड़ी +
द्वारिका +
गिरधारी
नारायण
फेका +
लच्छू
मोती +
राम गुलाम +
गोविन्द
लोहटन
वावूलाल +
भभीछन +

कमलनयन सिंह

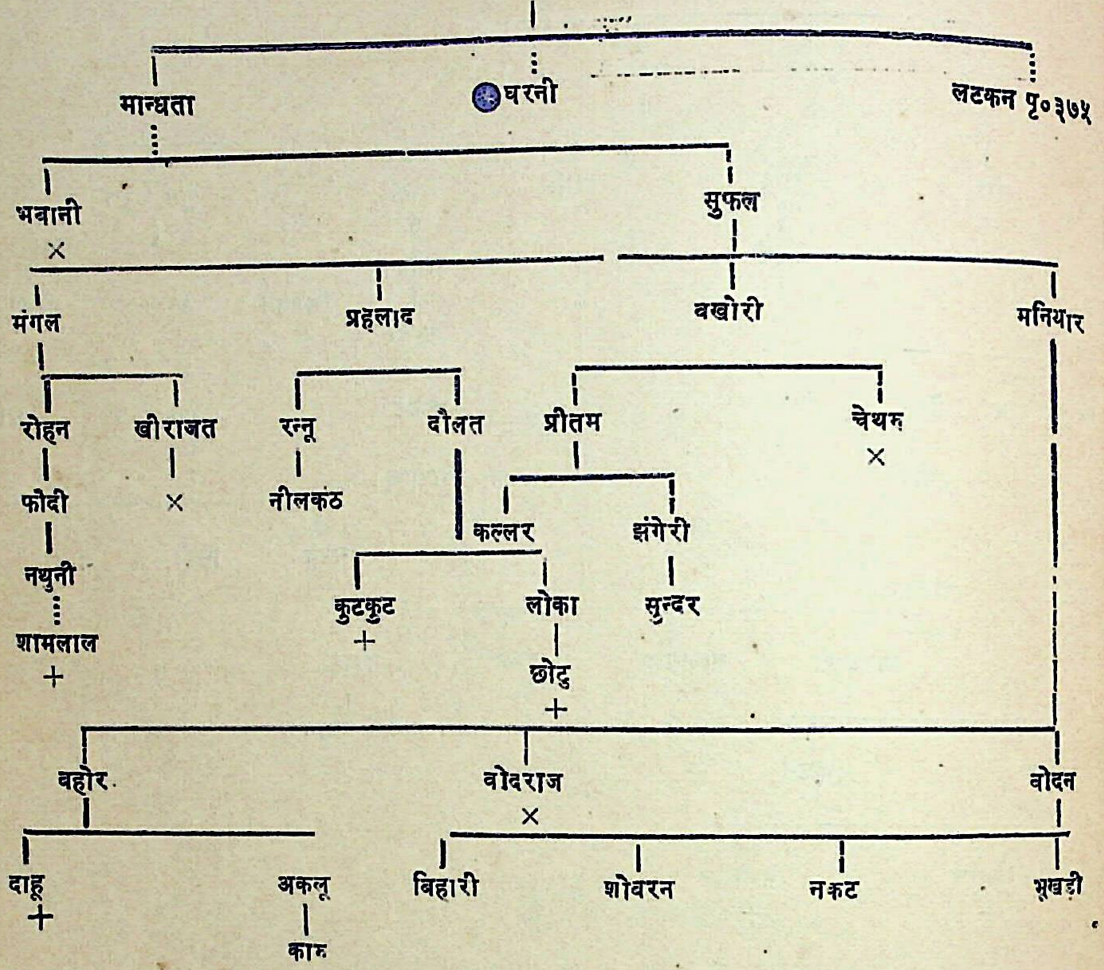
मान्धता
●धरनी
लटकन पृ०३७५
भवानी
×
सुफल
मंगल
प्रह्लाद
बखोरी
मनिहार
रोहन
खीराजत
रन्नू
दौलत
प्रीतम
चेथरु
×
फोदी
×
नीलकंठ
कल्लर
झंगेरी
नथुनी
कुटकुट
+
लोका
सुन्दर
शामलाल
+
छोटू
+
बहोर
बोदराज
×
बोदन
दाहू
+
अकलू
कारु
बिहारी
शोबरन
नकट
भूखड़ी

●धरनी

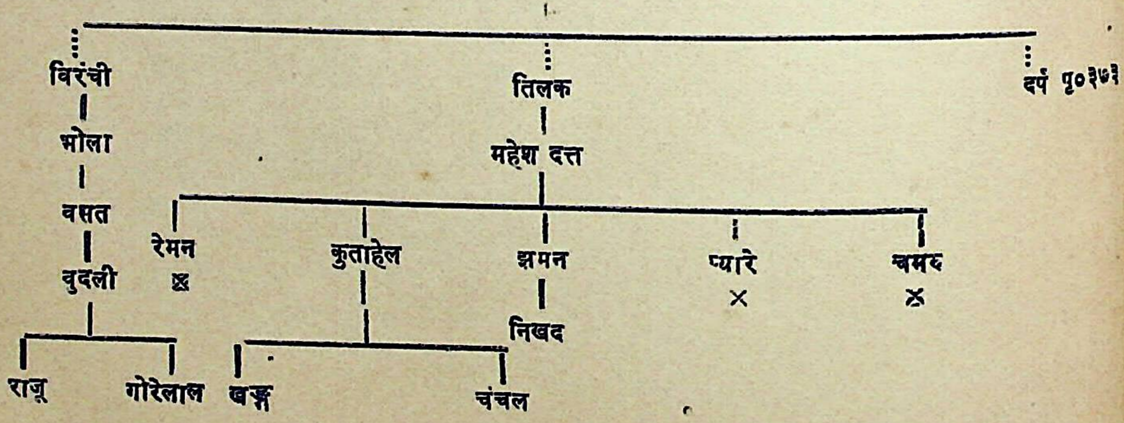
विरंची
तिलक
दर्प पृ०३७३
भोला
महेश दत्त
बसत
रेमन
×
कुताहेल
झमन
प्यारे
×
बमरु
×
बुदली
निखद
राजू
गोरेलाल
बच्चू
चंचल

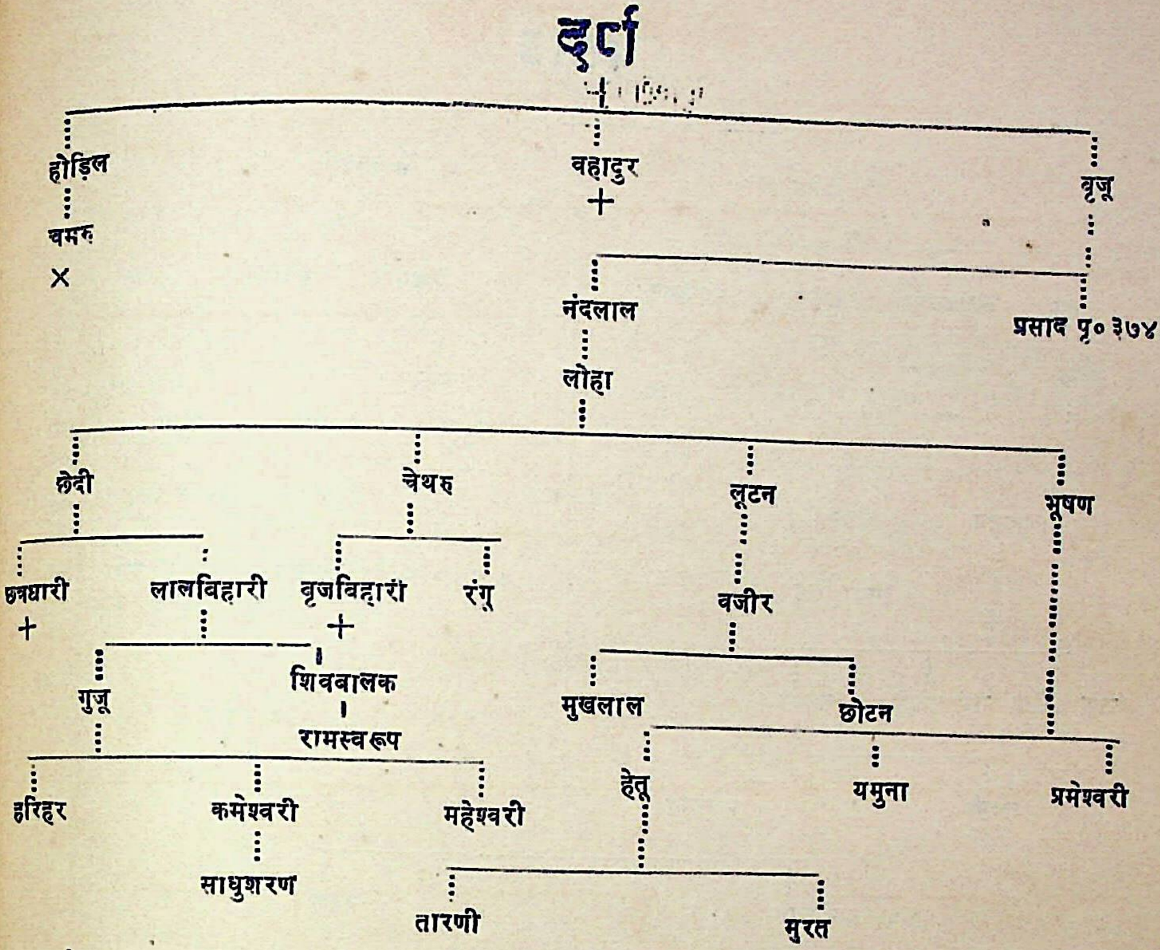
दुर्गा
होड़िल
बहादुर
+
बृजू
चमरु
×
नंदलाल
प्रसाद पृ० ३७४
लोहा
छेदी
चेथरु
लूटन
भूषण
छत्रधारी
+
लालबिहारी
बृजबिहारी
+
रंगू
वजीर
गुजू
शिवबालक
रामस्वरूप
मुखलाल
छोटन
हरिहर
कमेश्वरी
साधुशरण
महेश्वरी
हेतू
यमुना
प्रमेश्वरी
तारणी
मुरत

प्रसाद

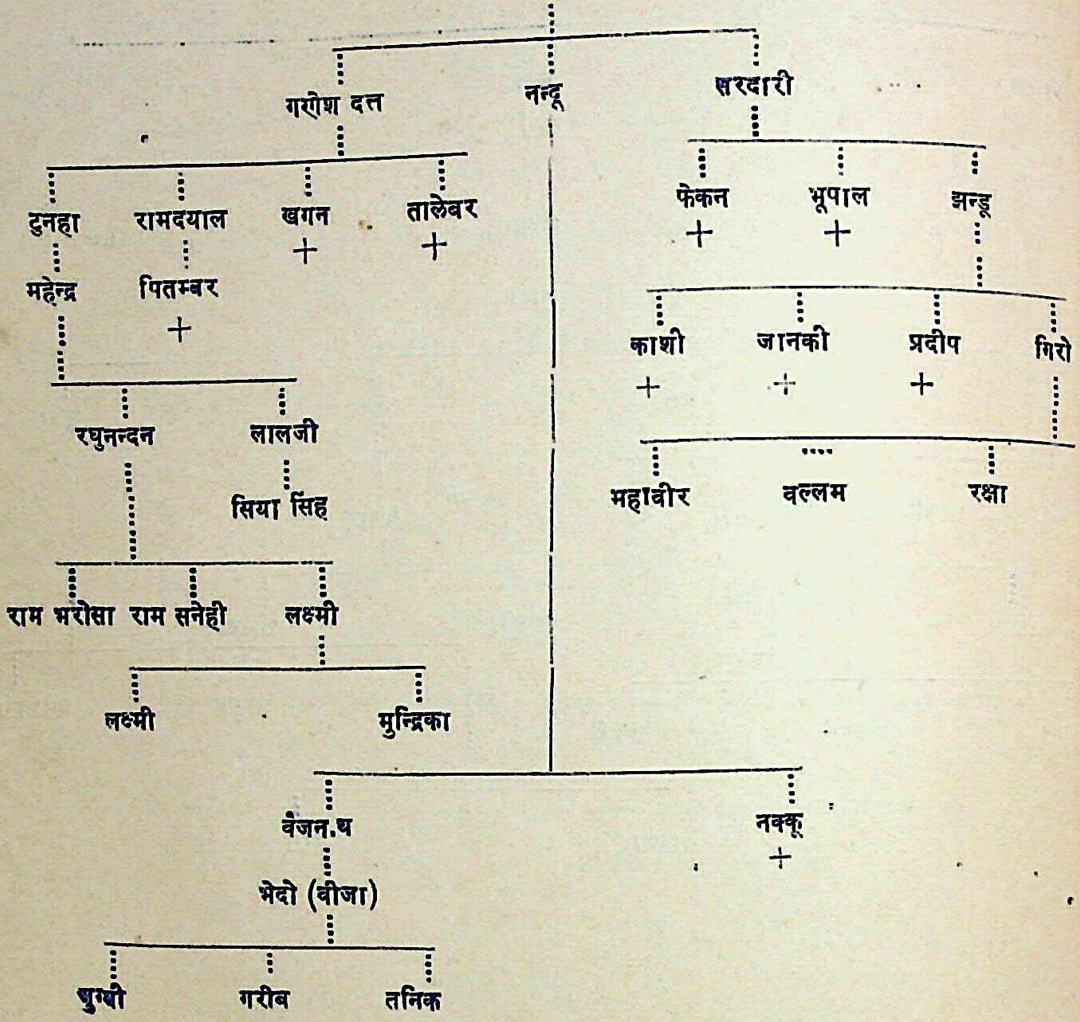
गणेश दत्त
नन्दू
सरदारी
दुनहा
रामदयाल
खगन
तालेवर
फेकन
भूपाल
झन्डू
महेन्द्र
पितम्बर
काशी
जानकी
प्रदीप
गिरो
रघुनन्दन
लालजी
महावीर
वल्लभ
रक्षा
सिया सिंह
राम भरोसा
राम सनेही
लक्ष्मी
लक्ष्मी
मुन्द्रिका
वैजनाथ
नक्कू
भेदो (वीजा)
घुग्घी
गरीब
तनिक

लटकन

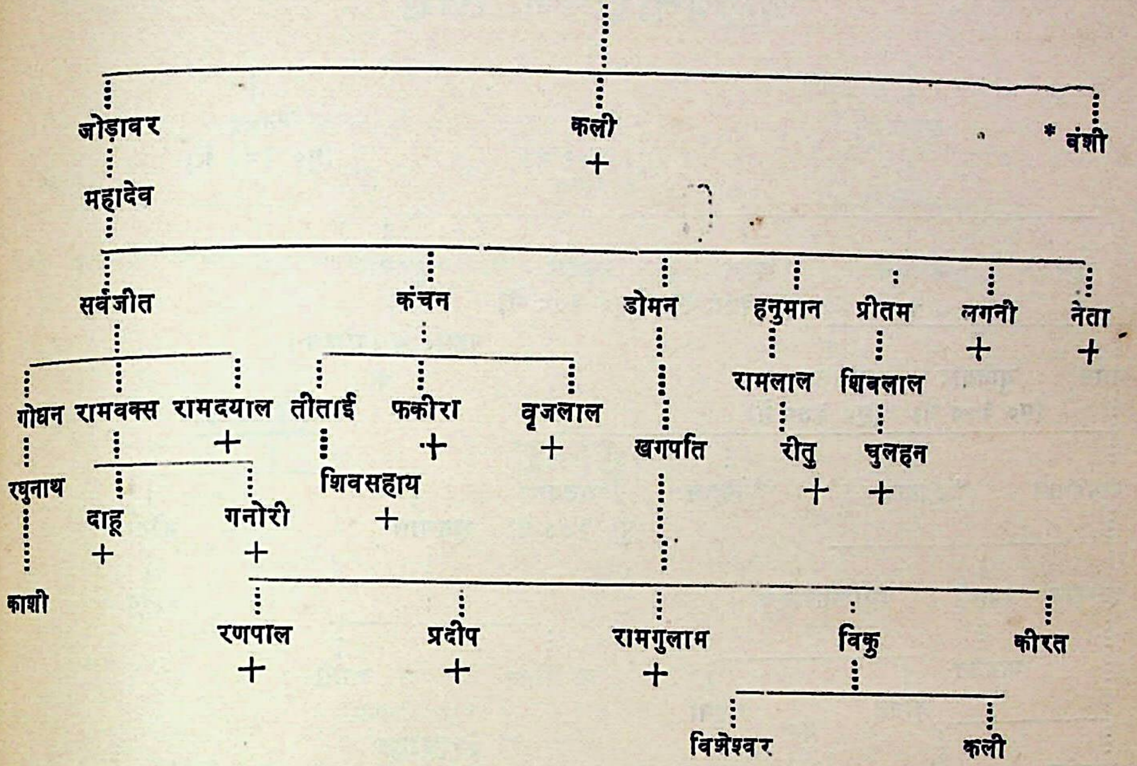
जोड़ावर
कली +
* वंशी
महादेव
सर्वजीत
कंचन
डोमन
हनुमान
प्रीतम
लगनी +
नेता +
गोधन
रामवक्स
रामदयाल +
तीताई
फकीरा +
वृजलाल +
रामलाल
शिवलाल
खगपति
रीतु +
घुलहन +
रघुनाथ
दाहू +
गनोरी +
शिवसहाय +
काशी
रणपाल +
प्रदीप +
रामगुलाम +
विकु
कीरत
विशेश्वर
कली

* वंशी

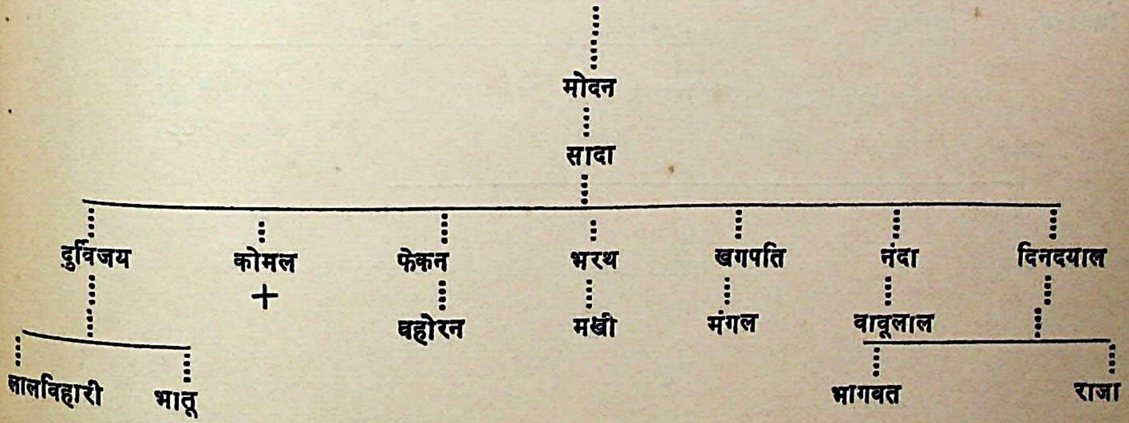
मोदन
सादा
दुर्विजय
कोमल +
फेकन
भरथ
खगपति
नंदा
दिनदयाल
वहोरन
मखी
मंगल
वावूलाल
लालविहारी
भातू
भागवत
राजा

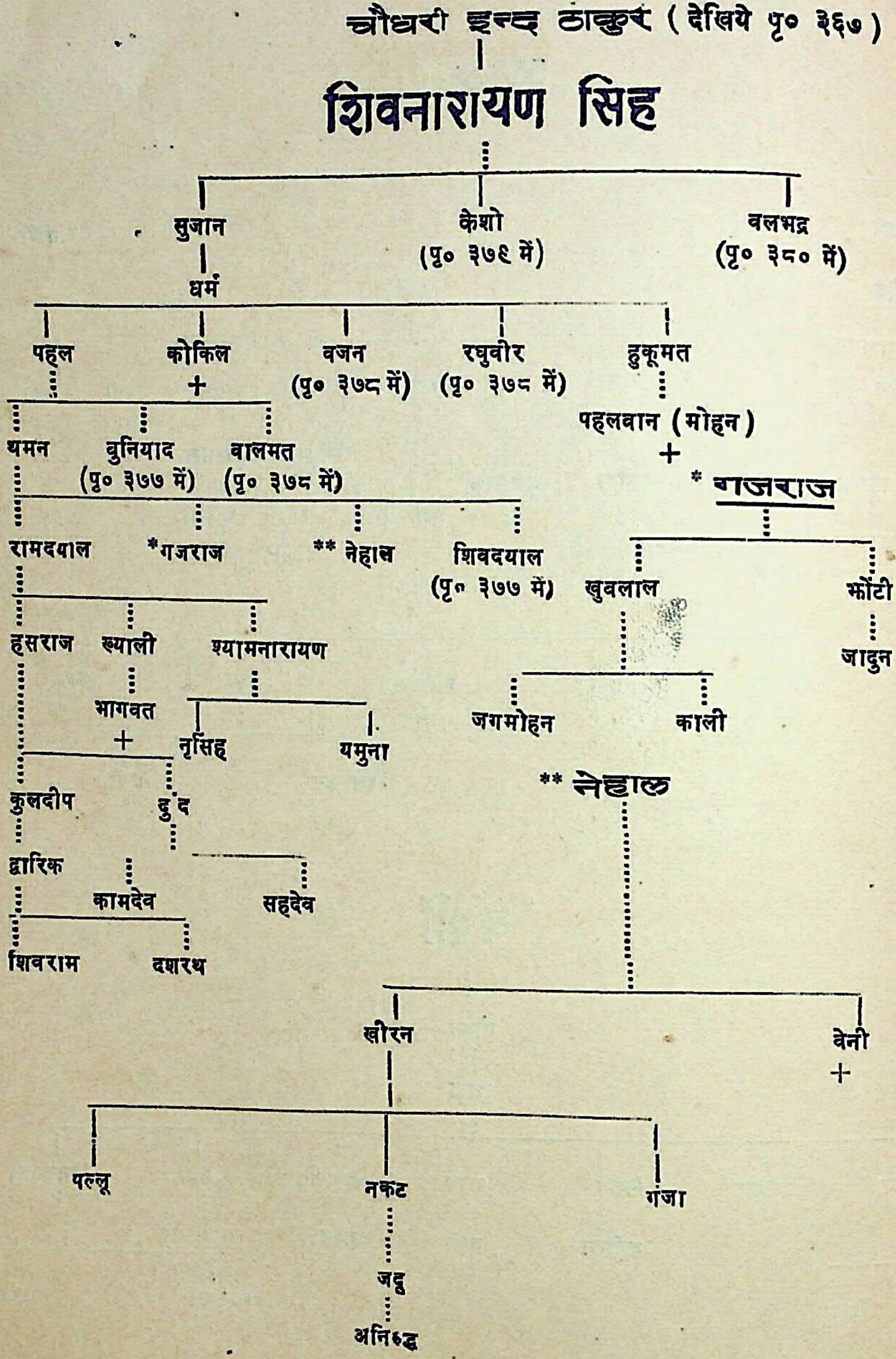
चौधरी इन्द्र ठाकुर (देखिये पृ० ३६७)
शिवनारायण सिह
सुजान
केशो (पृ० ३७९ में)
बलभद्र (पृ० ३८० में)
धर्म
पहल
कोकिल +
वजन (पृ० ३७८ में)
रघुवीर (पृ० ३७८ में)
हुकूमत
थमन
बुनियाद (पृ० ३७७ में)
बालमत (पृ० ३७८ में)
पहलवान (मोहन) +
* गजराज
रामदयाल
*गजराज
** नेहाल
शिवदयाल (पृ० ३७७ में)
खुबलाल
झोंटी
हसराज
ख्याली
श्यामनारायण
जादुन
भागवत +
नृसिंह
यमुना
जगमोहन
काली
कुलदीप
ढुंढ
** नेहाल
द्वारिक
कामदेव
सहदेव
शिवराम
दशरथ
खीरन
बेनी +
पल्लू
नकट
गंजा
जद्दू
अनिरुद्ध

शिवदयाल

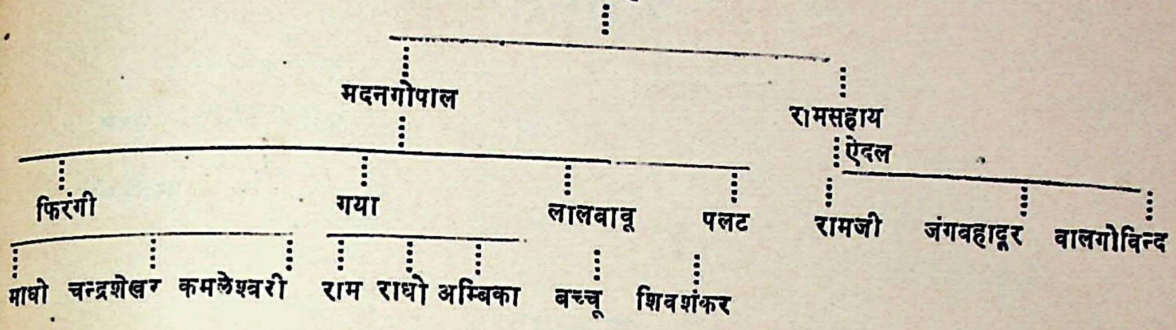
मदनगोपाल
रामसहाय
ऐदल
फिरंगी
गया
लालवाबू
पलट
रामजी
जंगवहादुर
वालगोविन्द
माधो
चन्द्रशेखर
कमलेश्वरी
राम
राधो
अम्बिका
वच्चू
शिवशंकर

वुनियाद

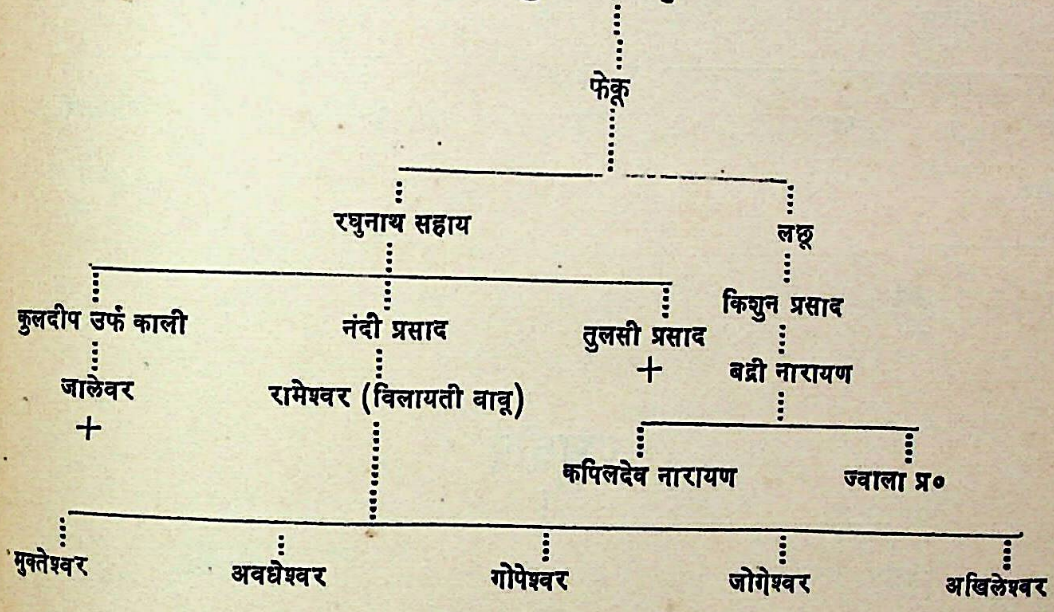
फेकू
रघुनाथ सहाय
लछू
कुलदीप उर्फ काली
नंदी प्रसाद
तुलसी प्रसाद
+
किशुन प्रसाद
जालेवर
+
रामेश्वर (विलायती वावू)
बद्री नारायण
कपिलदेव नारायण
ज्वाला प्र०
मुक्तेश्वर
अवधेश्वर
गोपेश्वर
जोगेश्वर
अखिलेश्वर

वालमंत

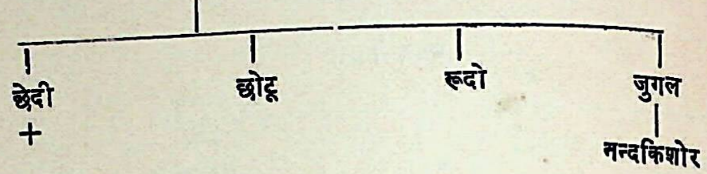
छेदी
+
छोटू
रूदो
जुगल
नन्दकिशोर

वजन

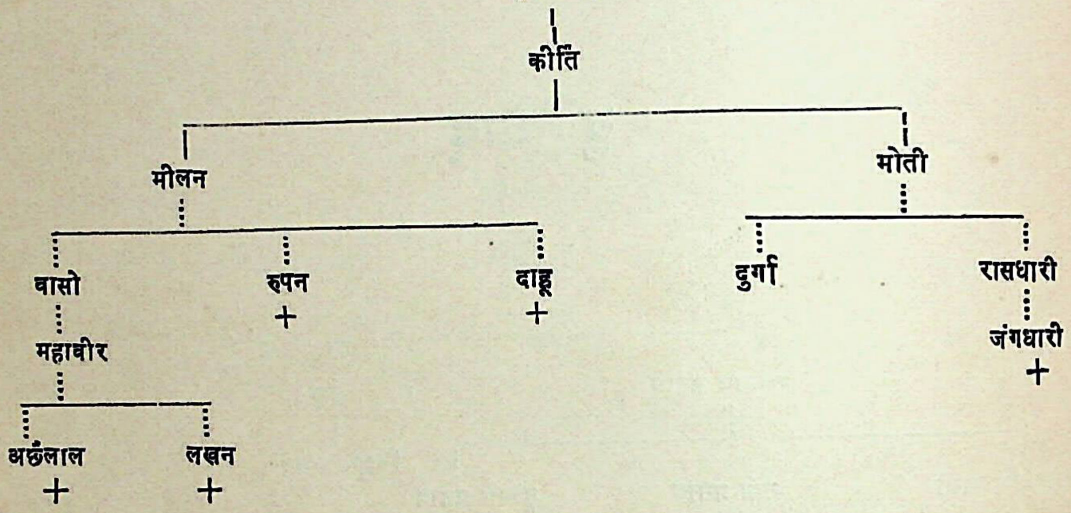
कीर्ति
मीलन
मोती
वासो
रुपन
+
दाहू
+
दुर्गा
रासधारी
महावीर
जंगधारी
+
अछैलाल
+
लखन
+

रघुवीर

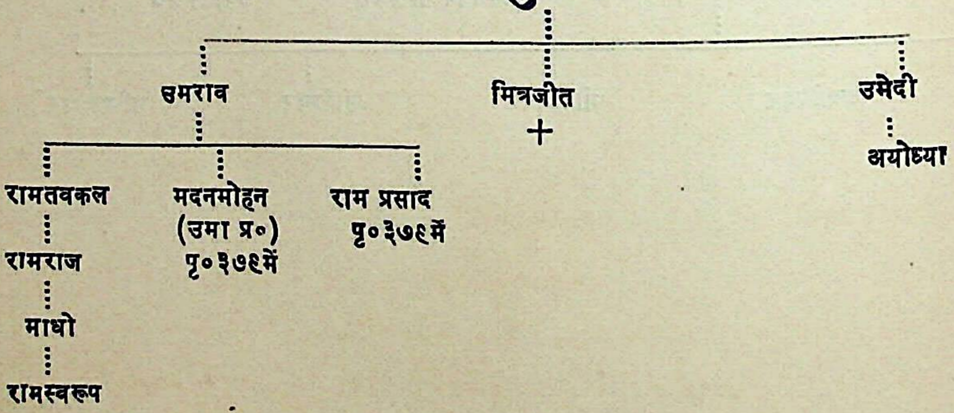
उमराव
मित्रजीत
+
उमेदी
अयोध्या
रामतवकल
मदनमोहन
(उमा प्र०)
पृ० ३७९ में
राम प्रसाद
पृ० ३७९ में
रामराज
माधो
रामस्वरूप

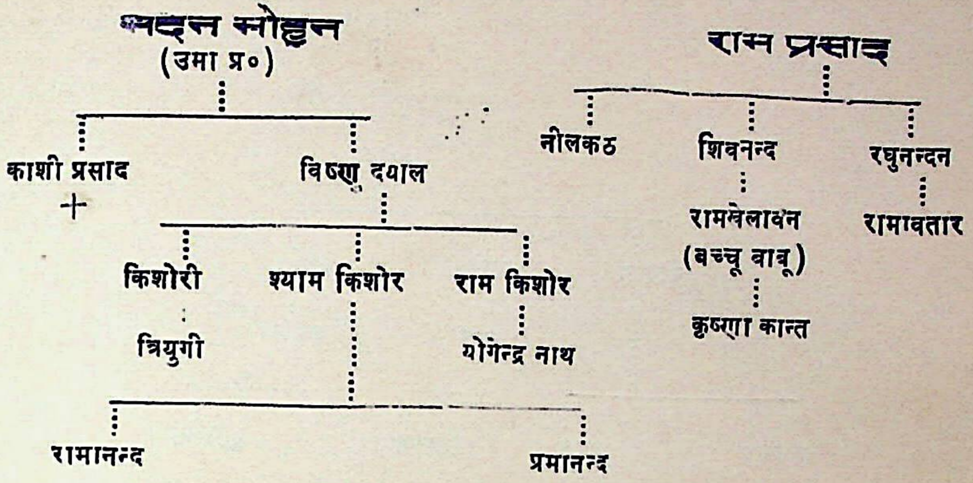
मदन मोहन
(उमा प्र०)
काशी प्रसाद
+
विष्णु दयाल
किशोरी
त्रियुगी
श्याम किशोर
राम किशोर
योगेन्द्र नाथ
रामानन्द
प्रमानन्द
राम प्रसाद
नीलकंठ
शिवनन्द
रामखेलावन
(बच्चू बाबू)
कृष्णा कान्त
रघुनन्दन
रामावतार

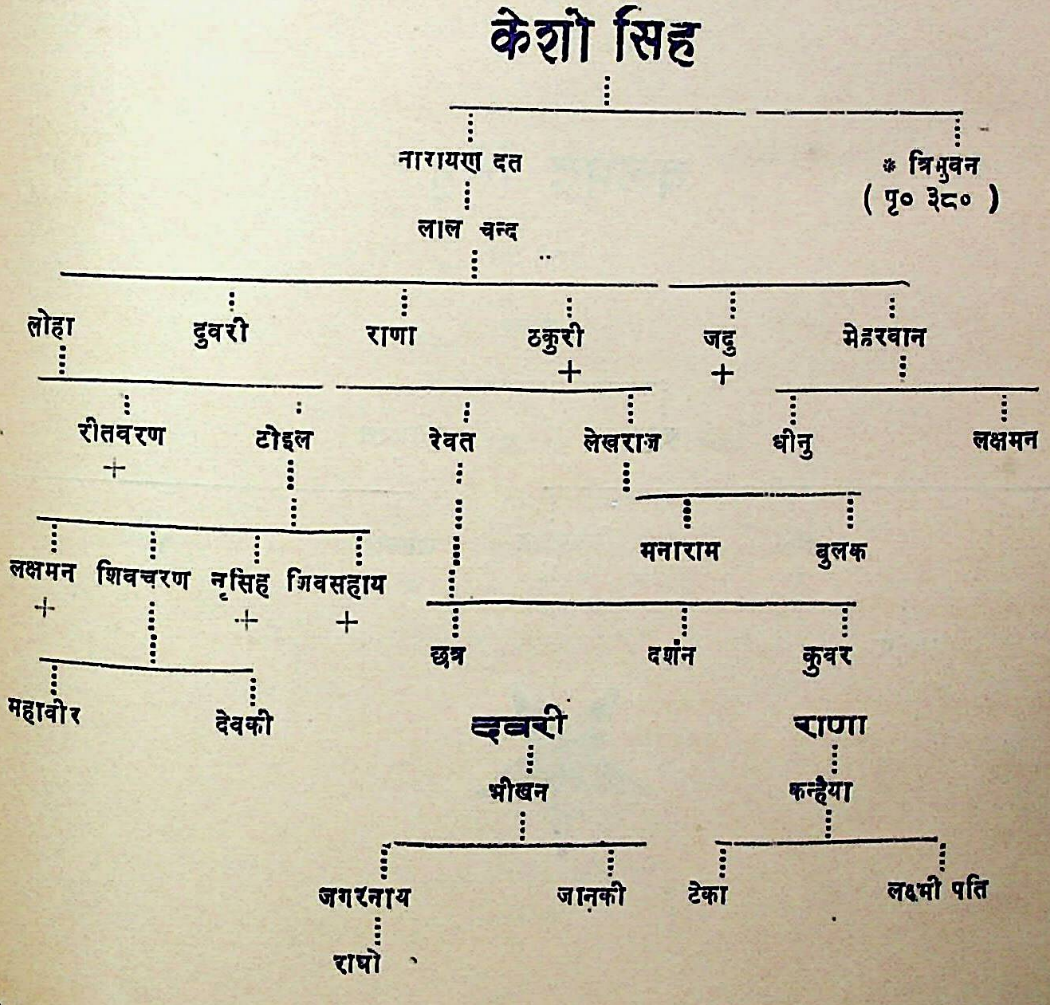
केशो सिंह
नारायण दत
* त्रिभुवन
(पृ० ३८०)
लाल चन्द
लोहा
दुवरी
राणा
ठकुरी
+
जदु
+
मेहरवान
रीतवरण
+
टोहल
रेवत
लेखराज
धीनु
लक्षमन
लक्षमन
+
शिवचरण
नृसिंह
+
शिवसहाय
+
महावीर
देवकी
मनाराम
बुलक
छत्र
दर्शन
कुवर
दुवरी
भीखन
जगरनाथ
जानकी
राघो
राणा
कन्हैया
टेका
लक्ष्मी पति

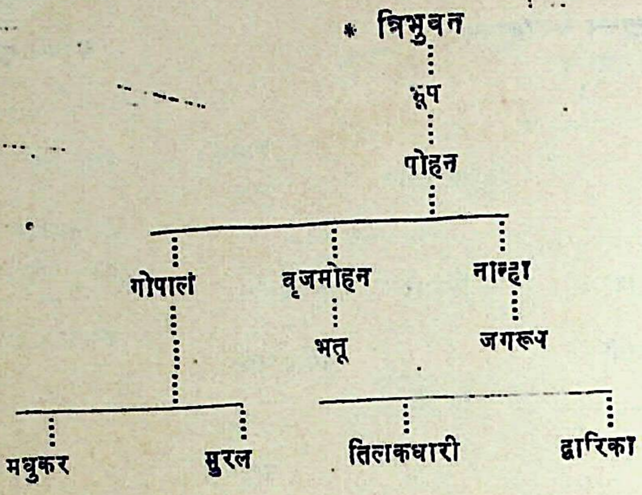
* त्रिभुवन
भूप
पोहन
गोपाल
वृजमोहन
नान्हा
भतू
जगरूप
मधुकर
मुरल
तिलकधारी
द्वारिका

बलभद्र सिह

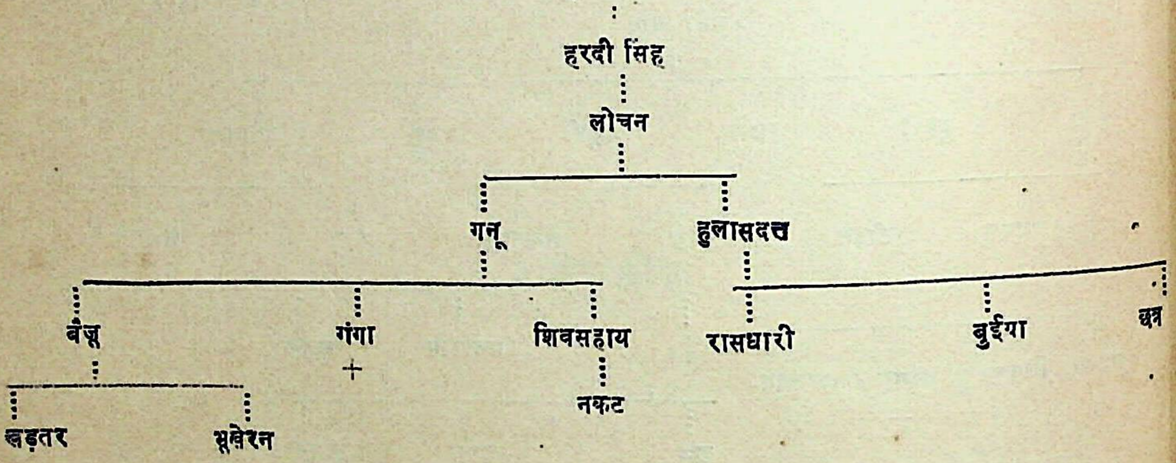
हरदी सिंह
लोचन
गनू
हुलासदत्त
बैजू
गंगा
+
शिवसहाय
रासधारी
बुईया
छत्र
नकट
खड़तर
भूखेरन

गौर ठाकुर

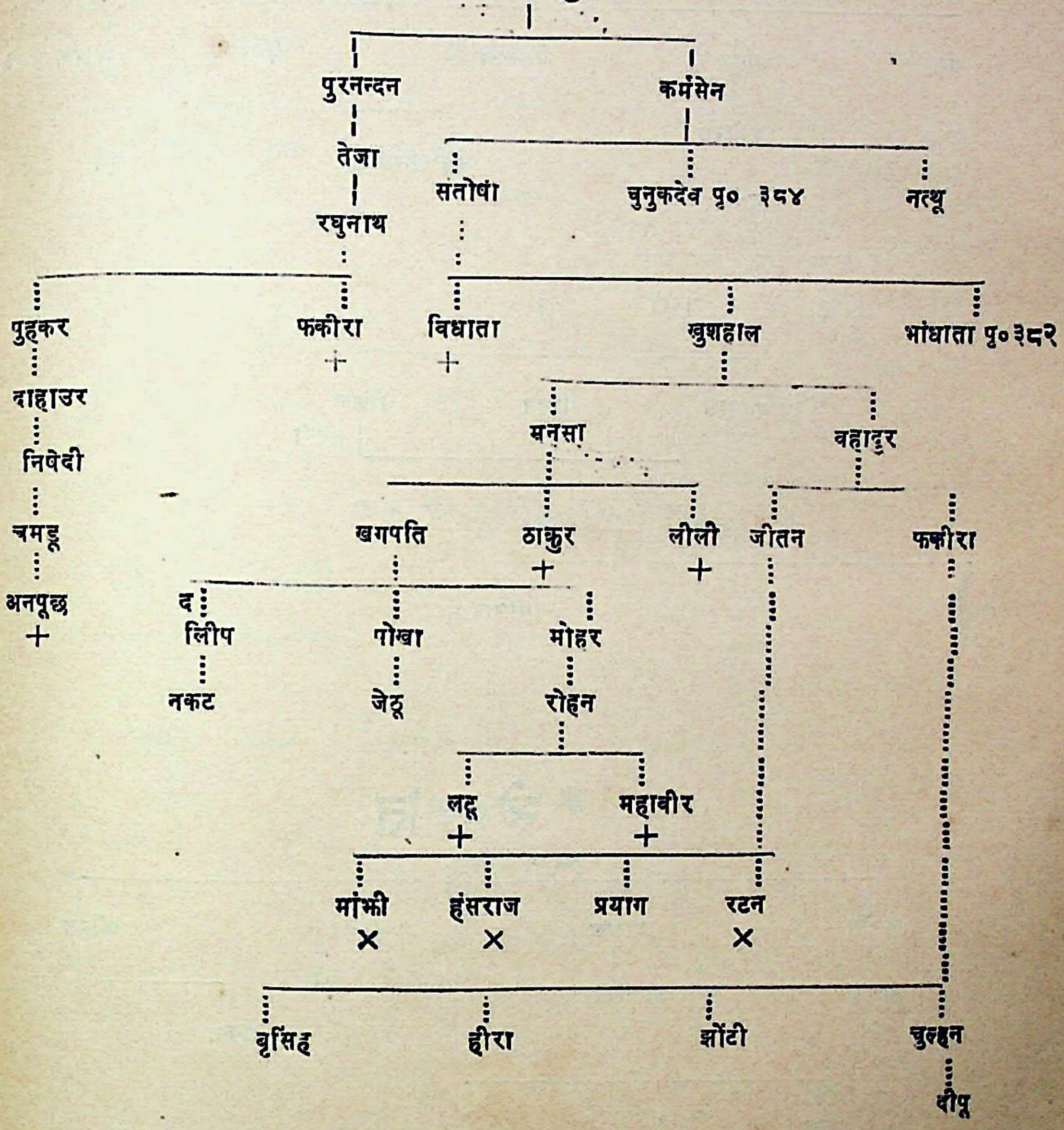
पुरनन्दन
कर्मसेन
तेजा
सतोखा
चुनुकदेव पृ० ३८४
नत्थू
रघुनाथ
पुहकर
फकीरा +
विधाता +
खुशहाल
भांधाता पृ० ३८२
दाहाउर
मनसा
वहादुर
निवेदी
चमडू
खगपति
ठाकुर +
लीली +
जीतन
फकीरा
अनपूछ +
दलीप
पोखा
मोहर
नकट
जेठू
रोहन
लद्दू +
महावीर +
मांझी ×
हंसराज ×
प्रयाग
रटन ×
वृसिंह
हीरा
झोंटी
चुल्हन
दीपू

मांधाता

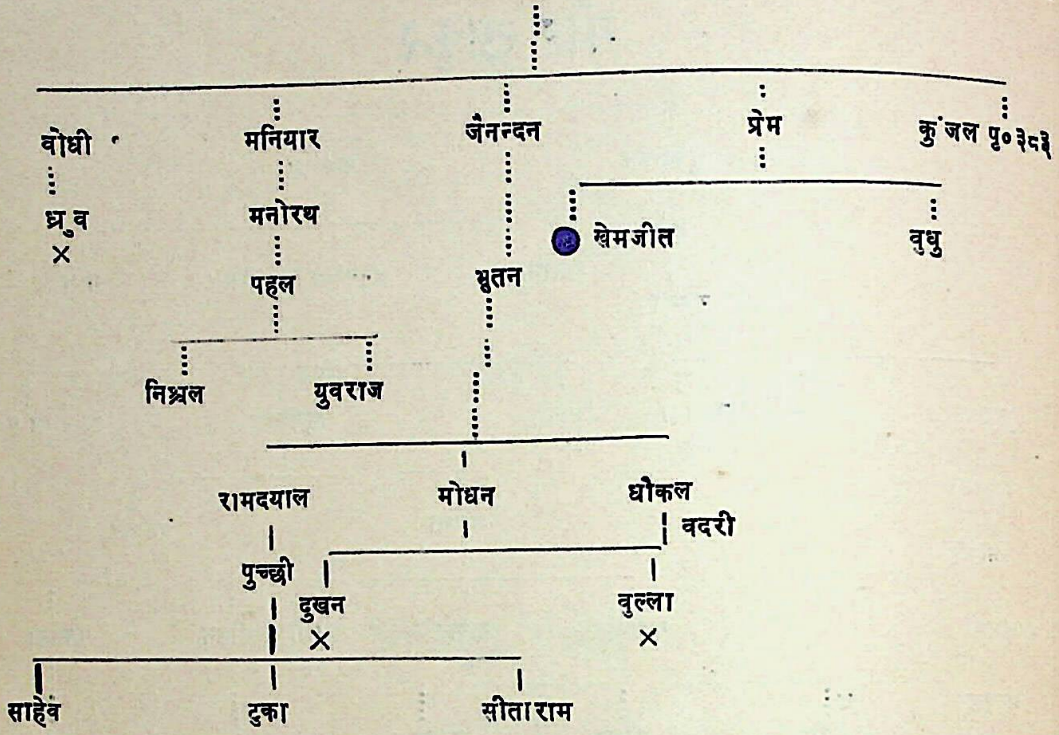
बोधी
ध्रुव
×
मनियार
मनोरथ
पहल
निश्चल
युवराज
जैनन्दन
भुतन
रामदयाल
पुच्छी
मोधन
दुखन
×
धौकल
बदरी
बुल्ला
×
साहेब
टुका
सीताराम
प्रेम
● खेमजीत
बुधु
कुंजल पृ० ३८३

● खेमजीत

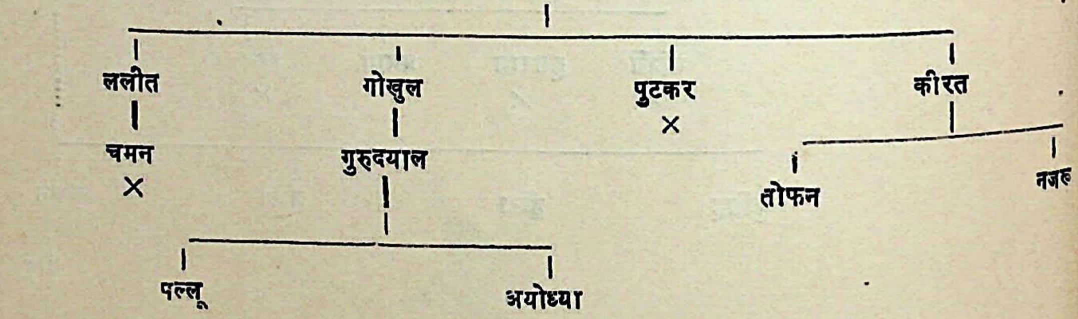
ललीत
चमन
×
गोखुल
गुरुदयाल
पल्लू
अयोध्या
पुटकर
×
कीरत
तोफन
नजल

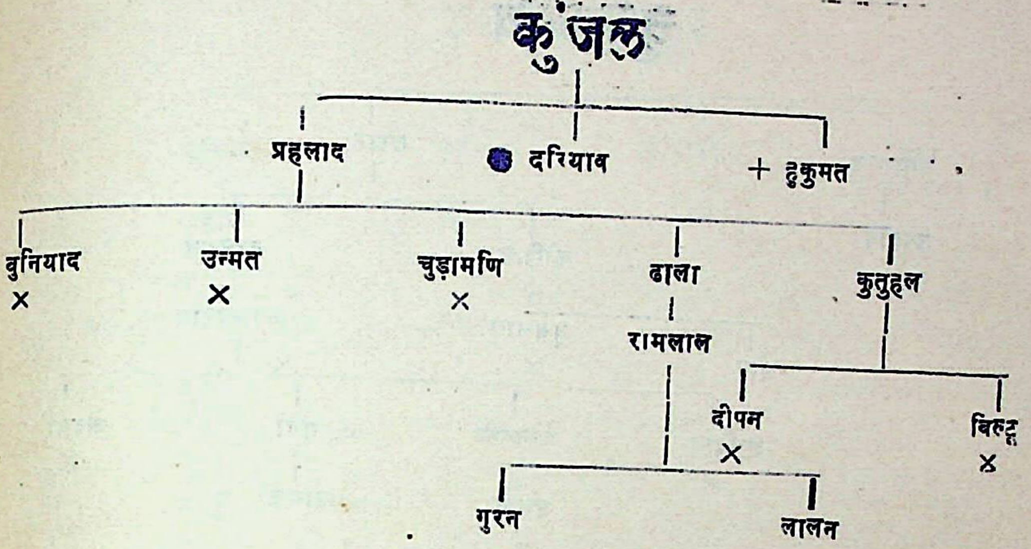
कुंजल
प्रहलाद
● दरियाव
+ हुकुमत
बुनियाद ×
उन्मत ×
चुड़ामणि ×
ढाला
कुतुहल
रामलाल
दीपन ×
बिल्टू ×
गुरन
लालन

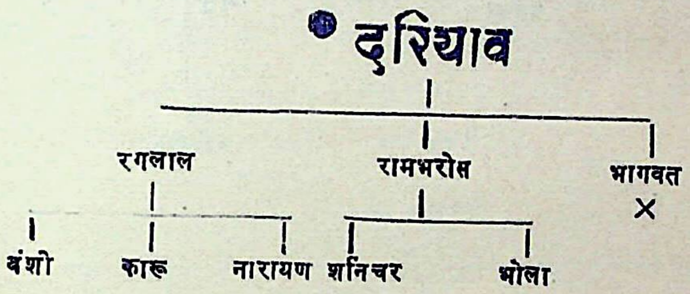
● दरियाव
रगलाल
रामभरोस
भागवत ×
बंशी
कारू
नारायण
शनिचर
भोला

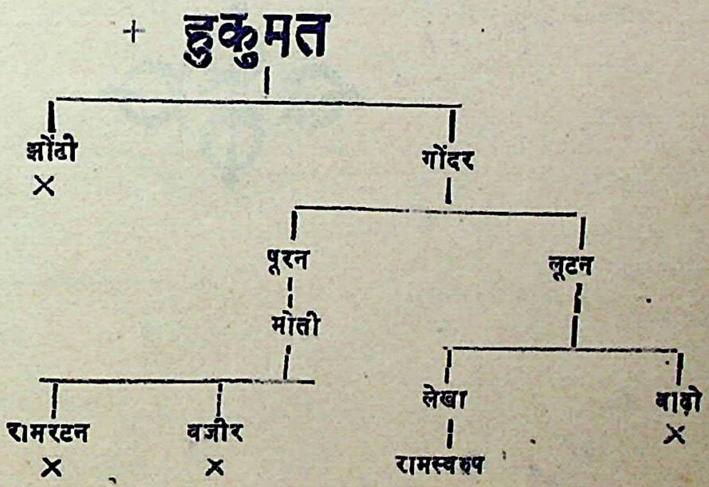
+ हुकुमत
झोंटी ×
गोंदर
पूरन
लूटन
मोती
लेखा
बाढ़ो ×
रामरटन ×
वजीर ×
रामस्वरूप

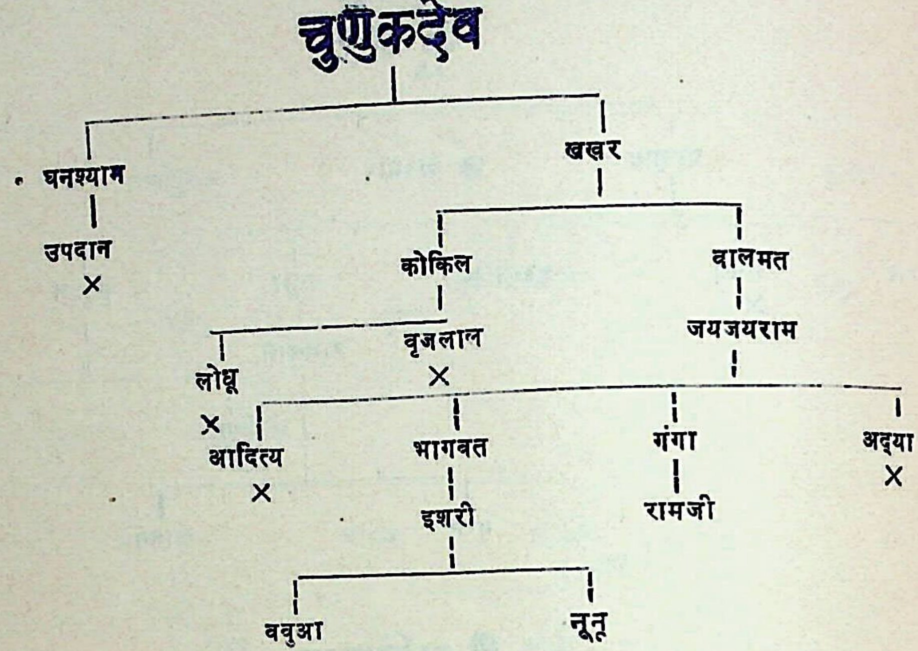
चुणुकदेव
घनश्याम
खखर
उपदान
×
कोकिल
वालमत
लोधू
×
वृजलाल
×
जयजयराम
आदित्य
×
भागवत
गंगा
अद्या
×
इशरी
रामजी
ववुआ
नूनू

॥ ६ ॥

श्याम ठाकुर

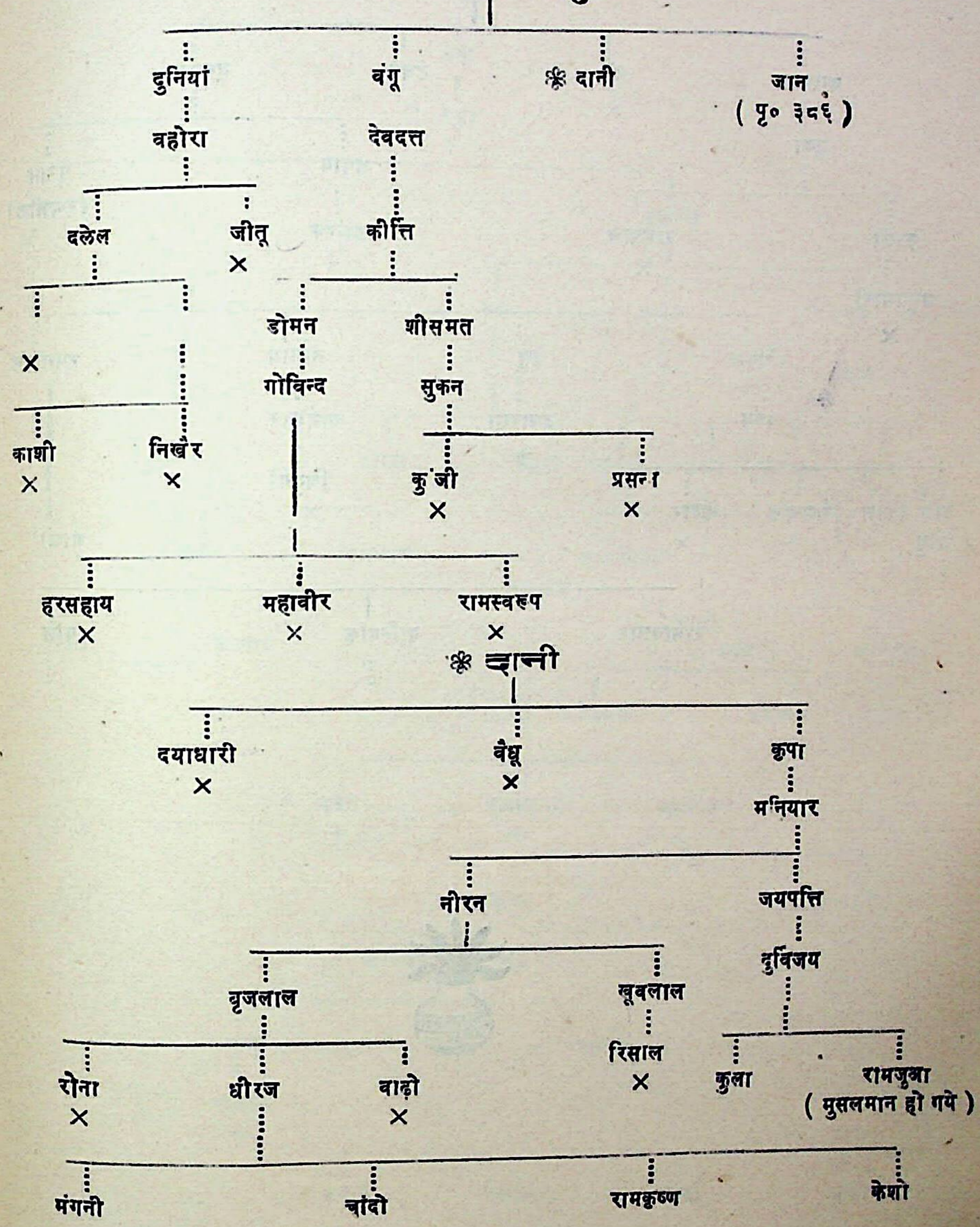
दुनियां
वंगू
❀ दानी
जान
(पृ० ३८६)
वहोरा
देवदत्त
दलेल
जीतू ×
कीर्त्ति
×
डोमन
शीसमत
गोविन्द
सुकन
काशी ×
निखैर ×
कुंजी ×
प्रसन्न ×
हरसहाय ×
महावीर ×
रामस्वरूप ×
❀ ज्ञानी
दयाधारी ×
वैधू ×
कृपा
मनियार
नीरन
जयपत्ति
बृजलाल
खूबलाल
दुर्विजय
रिसाल ×
कुला
रामजुआ
(मुसलमान हो गये)
रोना ×
धीरज
वाढ़ो ×
मंगनी
चांदो
रामकृष्ण
केशो

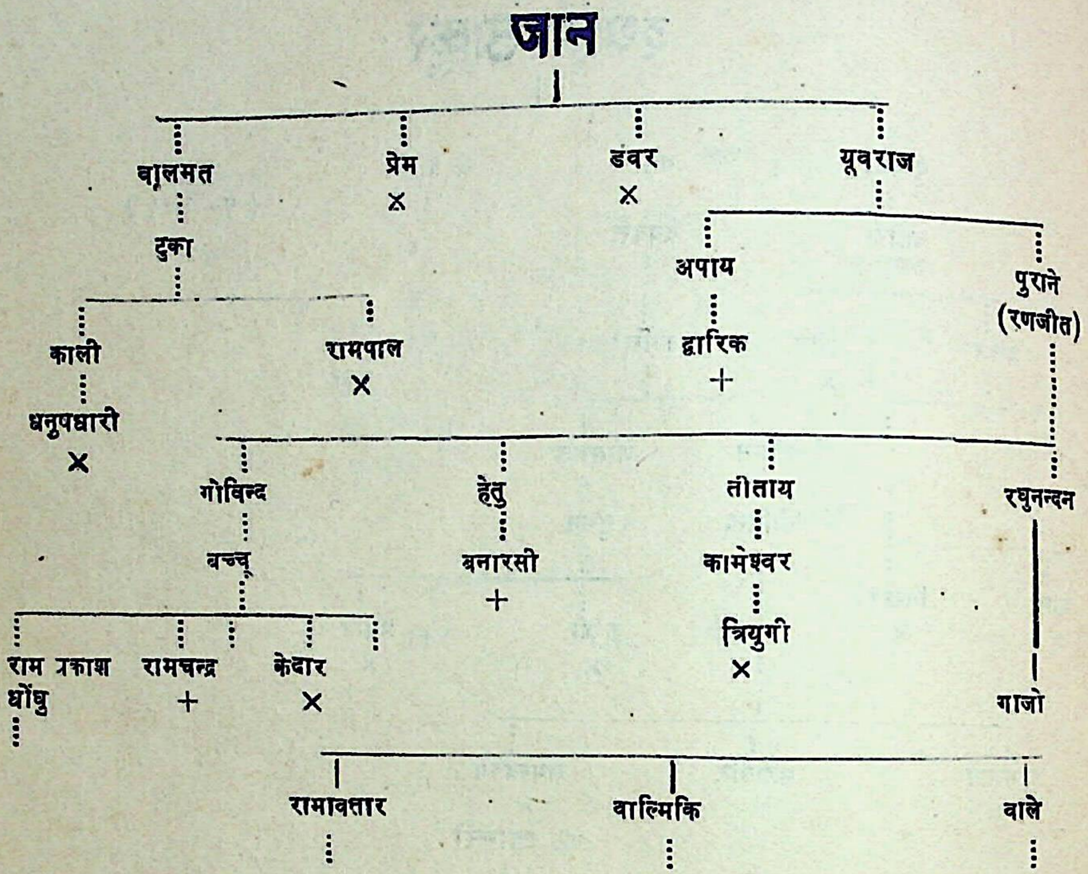
जान
बालमत
प्रेम
×
डवर
×
यूवराज
टुका
अपाय
पुराने
(रणजीत)
काली
रामपाल
×
द्वारिक
+
धनुषधारी
×
गोविन्द
हेतु
तीताय
रघुनन्दन
बच्चू
बनारसी
+
कामेश्वर
त्रियुगी
×
राम प्रकाश
धोंधु
रामचन्द्र
+
केदार
×
गाजो
रामावतार
वाल्मिकि
वाले

चौधरी प्रयाग ठाकुर

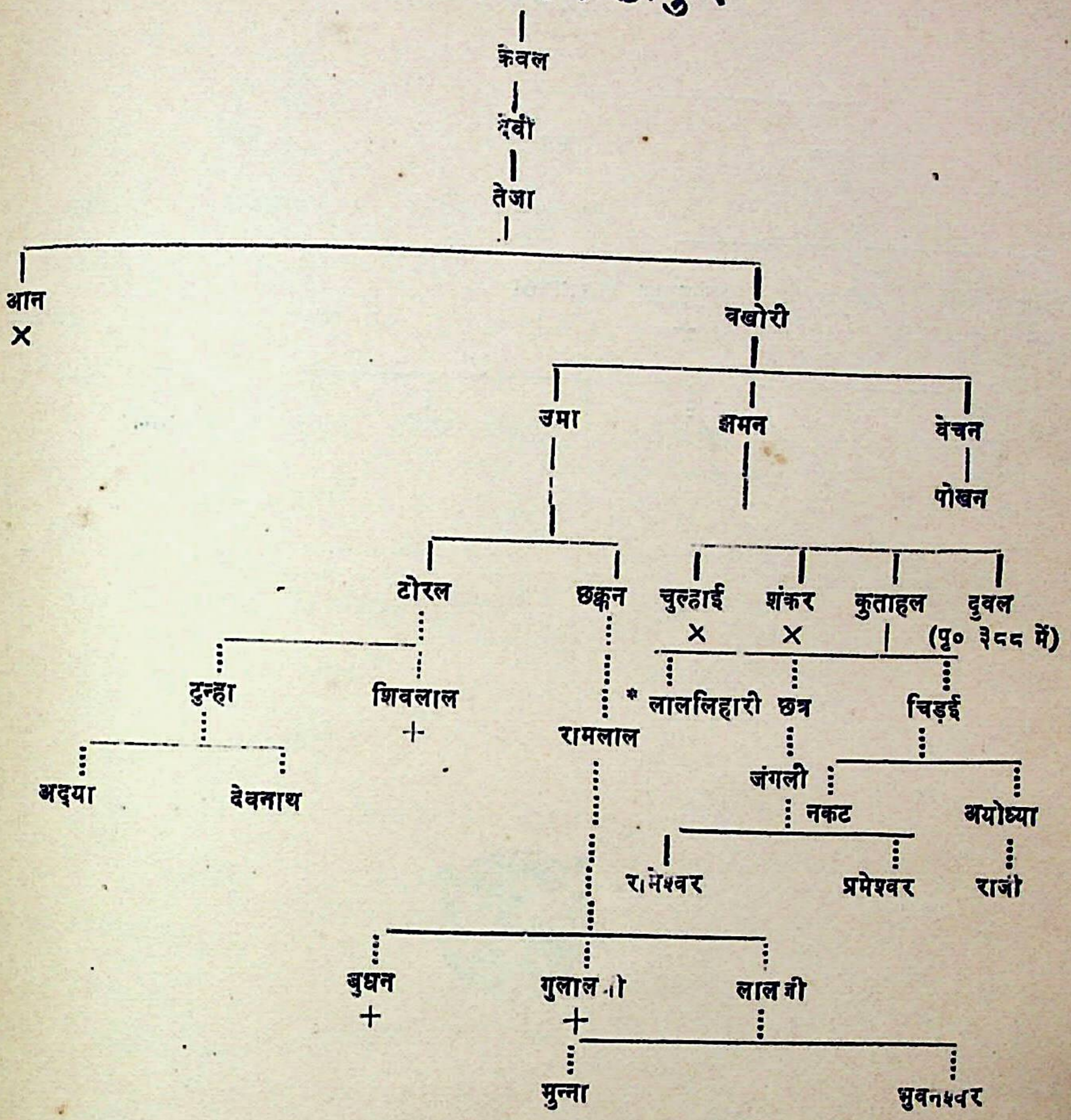
कंवल
देवी
तेजा
आन
×
बखोरी
उमा
झमन
बेचन
पोखन
टोरल
छक्कन
चुल्हाई
×
शंकर
×
कुताहल
दुवल
(पृ० ३८८ में)
ढुन्हा
शिवलाल
+
* लाललिहारी
छत्र
चिड़ई
अद्द्या
देवनाथ
रामलाल
जंगली
नकट
अयोध्या
रामेश्वर
प्रमेश्वर
राजो
बुधन
+
गुलालजी
+
लालजी
मुन्ना
भुवनेश्वर

* लालबिहारी

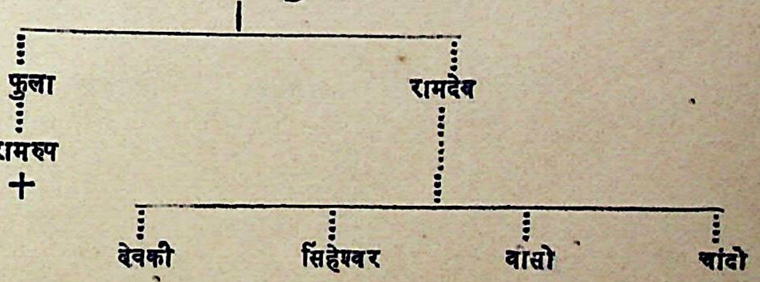
फुला
रामदेव
रामरूप
+
देवकी
सिंहेश्वर
वासो
चांदो

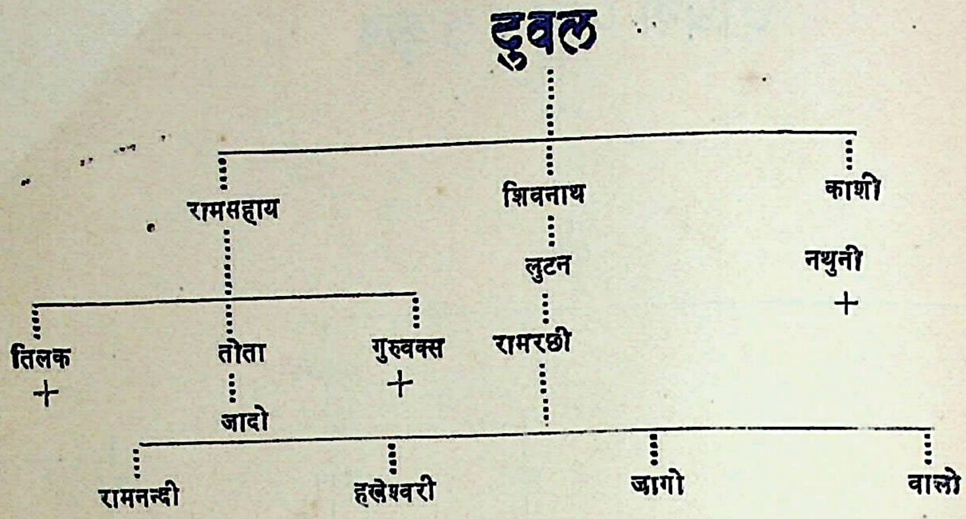
डुबल
रामसहाय
शिवनाथ
काशी
लुटन
नथुनी
+
तिलक
+
तोता
गुरुबक्स
+
रामरछी
जादो
रामनन्दी
हलेश्वरी
जागो
वालो

चौधरी दुखहरण

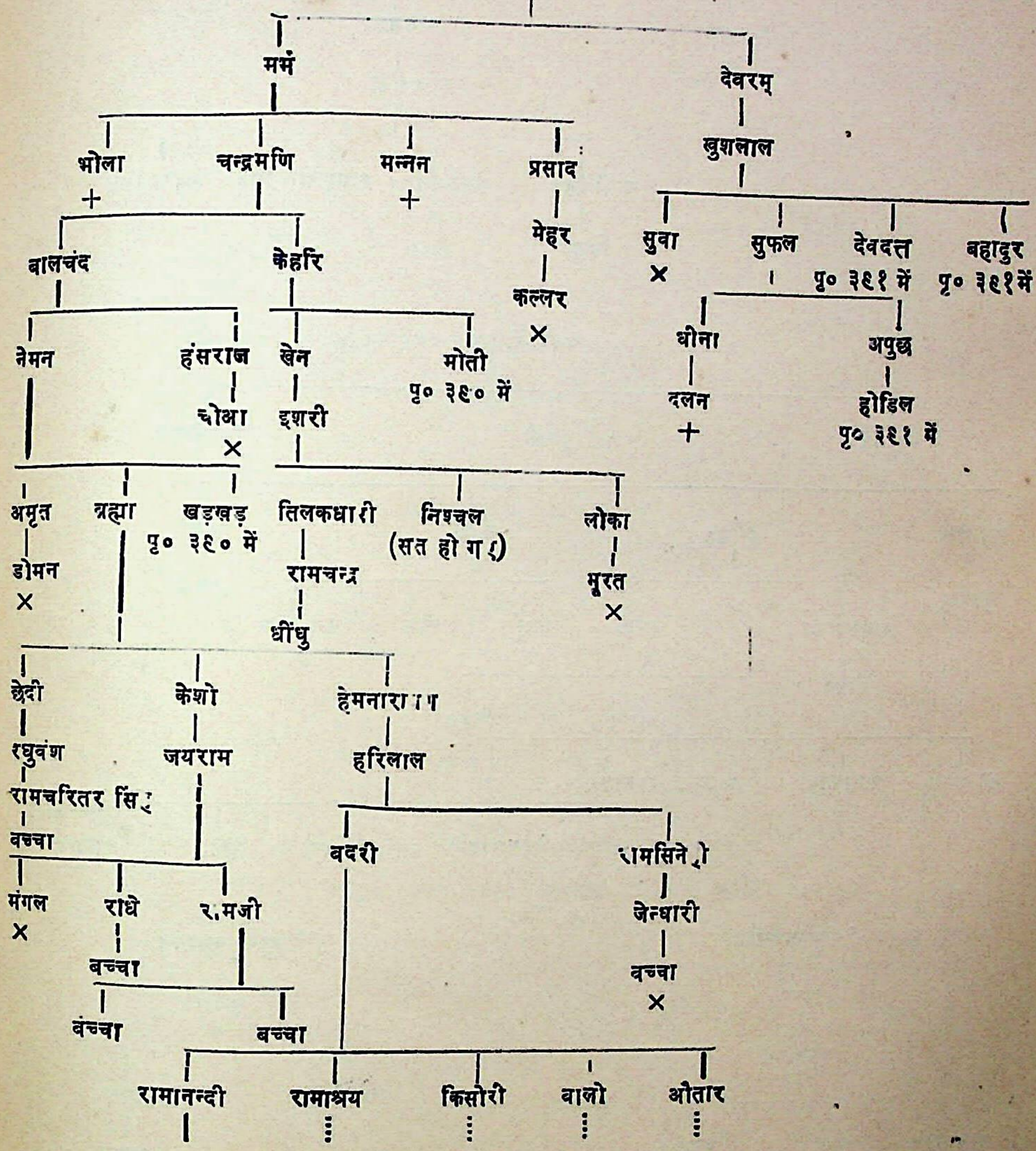
मर्म
देवरम्
भोला +
चन्द्रमणि
मन्नन +
प्रसाद
खुशलाल
मेहर
कल्लर ×
सुवा ×
सुफल
देवदत्त पृ० ३९१ में
बहादुर पृ० ३९१ में
बालचंद
केहरि
धीना
दलन +
अपुछ
होरिल पृ० ३९१ में
नेमन
हंसराज
चोआ ×
खेन
इशरी
मोती पृ० ३९० में
अमृत
डोमन ×
ब्रह्मा
खड़खड़ पृ० ३९० में
तिलकधारी
रामचन्द्र
धींधु
निश्चल (सत हो गए)
लोका
मूरत ×
छेदी
रघुवंश
रामचरितर सिंह
बच्चा
मंगल ×
राधे
बच्चा
बच्चा
रामजी
बच्चा
केशो
जयराम
हेमनारायण
हरिलाल
बदरी
रामसिनेही
जेन्धारी
बच्चा ×
रामानन्दी
रामाश्रय
किसोरी
बालो
औतार

खड़खड़ (पृ० ३८९ का)

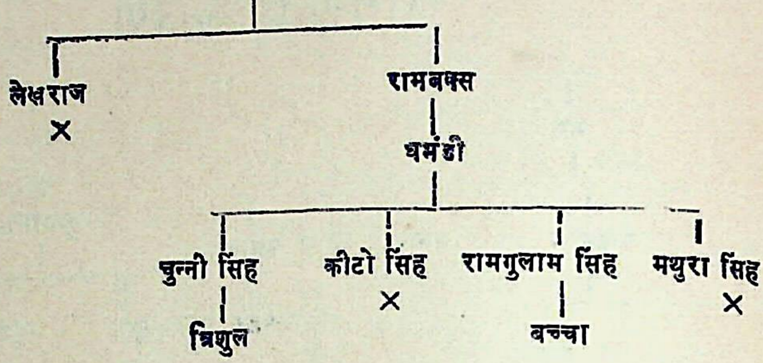
लेखराज
×
रामबक्स
घमंडी
चुन्नी सिंह
त्रिशुल
कीटो सिंह
×
रामगुलाम सिंह
बच्चा
मथुरा सिंह
×

भोली (पृ० ३८९ का)

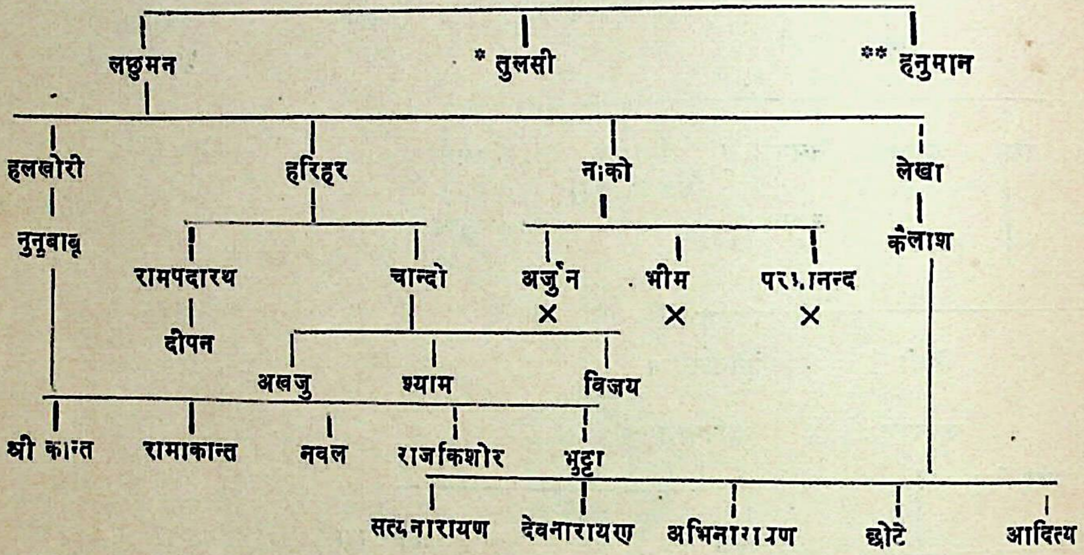
लछुमन
* तुलसी
** हनुमान
हलखोरी
नुनुबाबू
हरिहर
रामपदारथ
दीपन
चान्दो
अखजु
श्याम
विजय
नाको
अर्जुन
×
भीम
×
परमानन्द
×
लेखा
कैलाश
श्री कान्त
रामाकान्त
नवल
राजकिशोर
भुट्टा
सत्यनारायण
देवनारायण
अभिनारायण
छोटे
आदित्य

* तुलसी

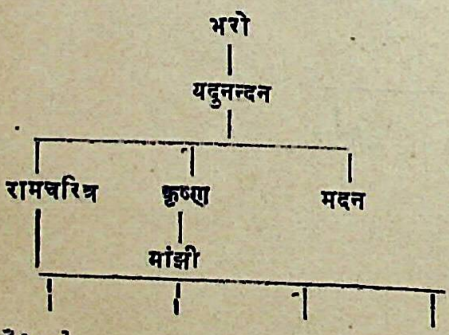
भरो
यदुनन्दन
रामचरित्र
कृष्ण
मांझी
मदन

** हनुमान

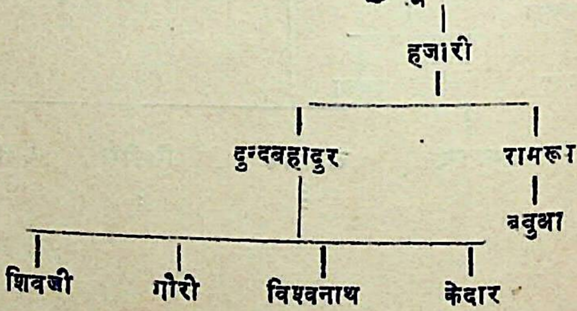
हजारी
दुन्दबहादुर
शिवजी
गौरी
विश्वनाथ
केदार
रामरूप
बबुआ

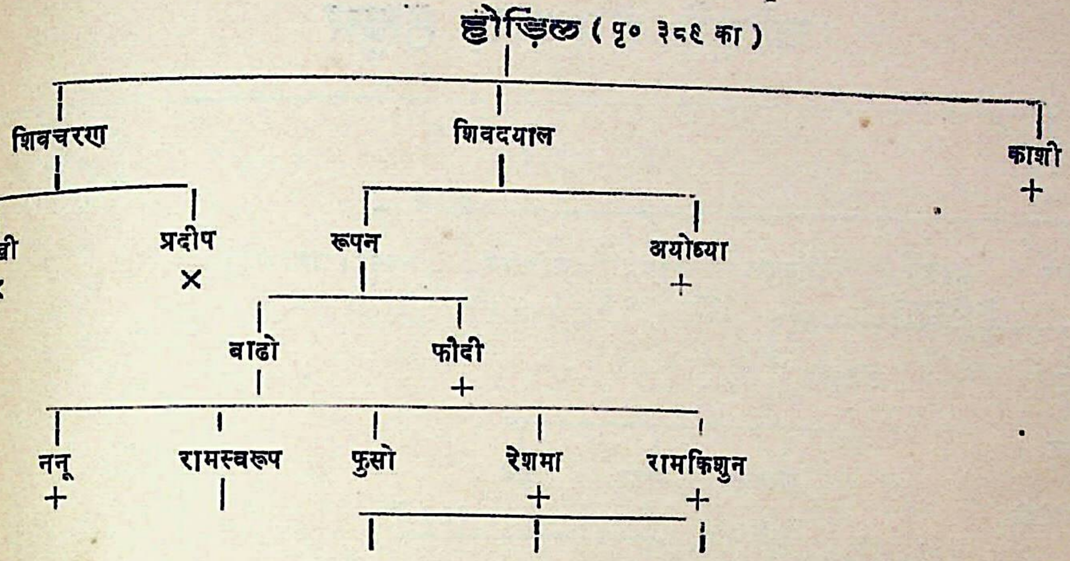
हौड़िल (पृ० ३८९ का)
शिवचरण
शिवदयाल
काशी +
मुखी ×
प्रदीप ×
रूपन
अयोध्या +
बाढो
फीदी +
ननू +
रामस्वरूप
फुसो
रेशमा +
रामकिशुन +

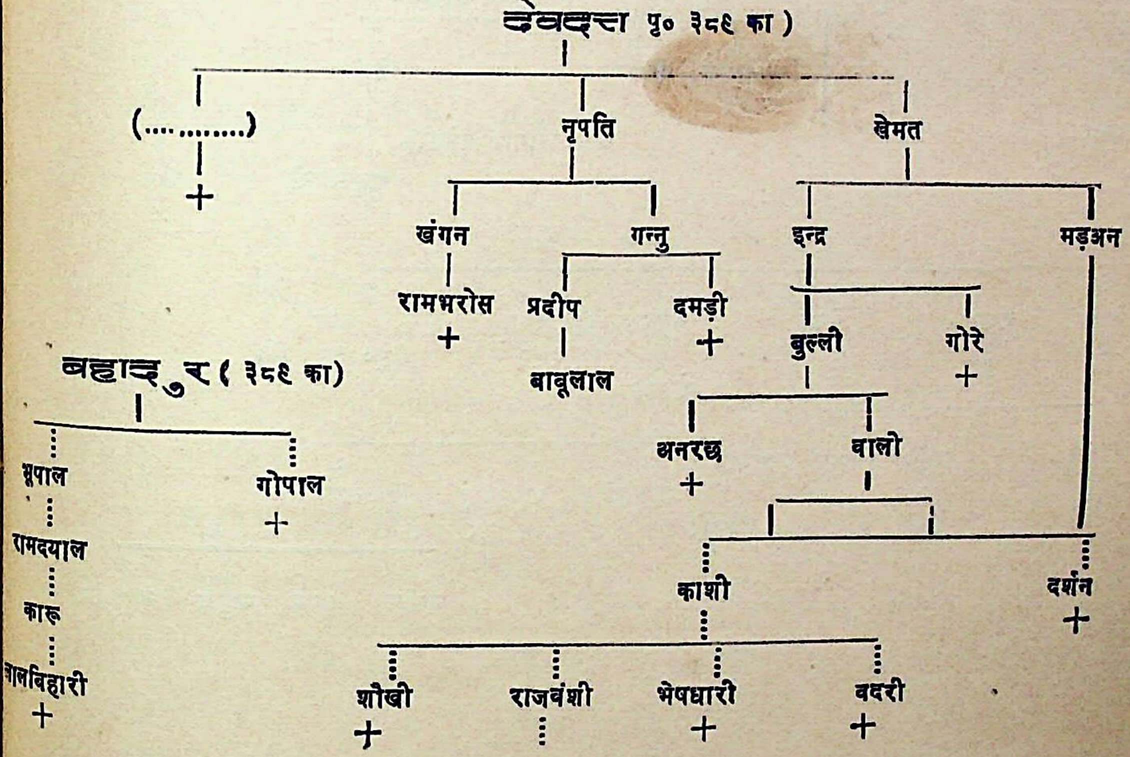
देवदत्त पृ० ३८९ का)
(………)
+
नृपति
खेमत
खंगन
गन्नु
इन्द्र
मड़अन
रामभरोस +
प्रदीप
दमड़ी +
बुल्ली
गोरे +
बाबूलाल
अनरुद्ध +
बालो
काशी
दर्शन +
शौखी +
राजवंशी
भेषधारी +
बदरी +
बहादुर (३८९ का)
भूपाल
गोपाल +
रामदयाल
कारू
लबिहारी +

चौधरी रामचरण ठाकुर

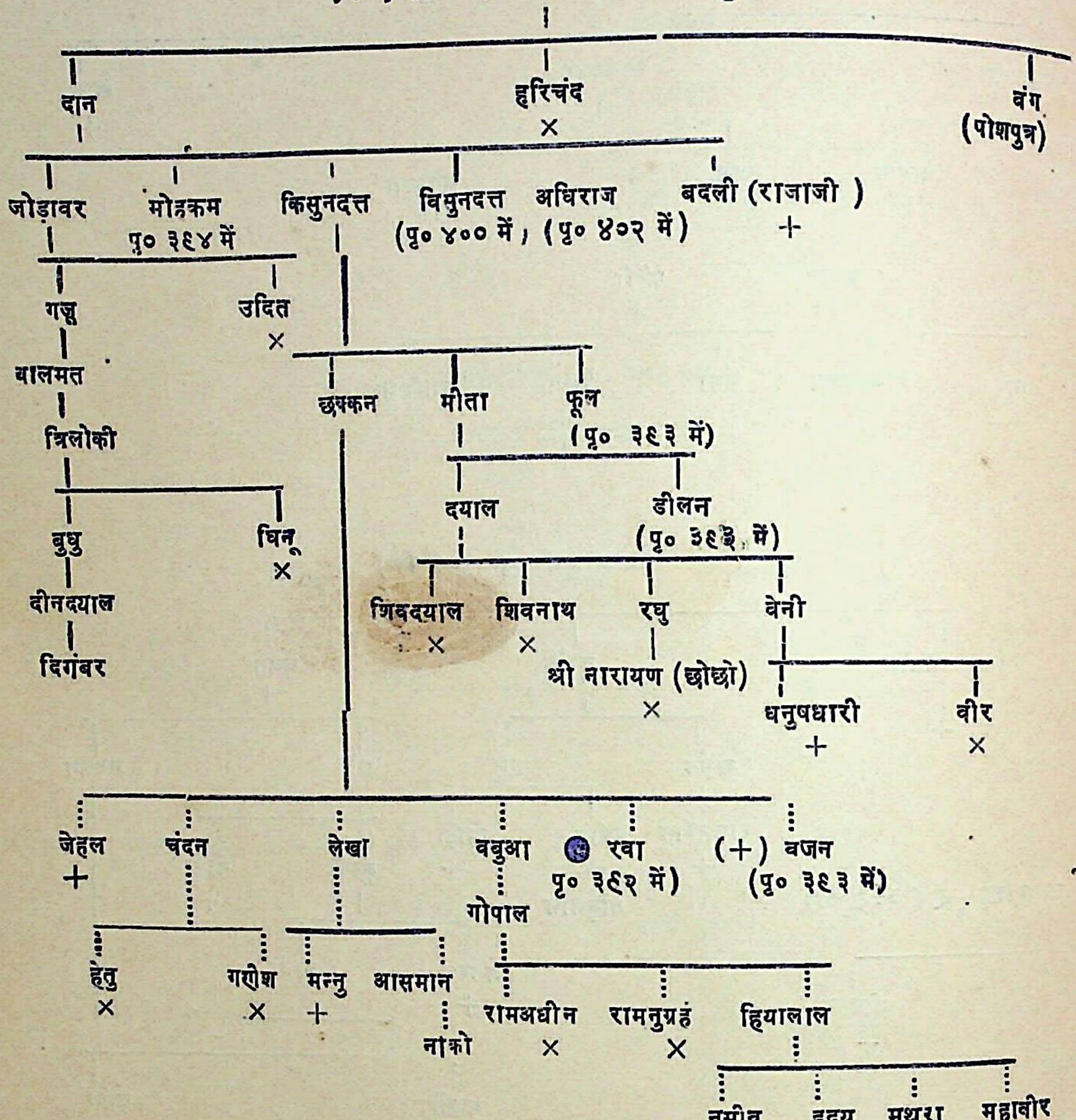
दान
हरिचंद
×
वंग
(पोशपुत्र)
जोड़ावर
मोहकम
पृ० ३९४ में
किसुनदत्त
विसुनदत्त
(पृ० ४०० में,
अधिराज
(पृ० ४०२ में)
बदली (राजाजी)
+
गज्जू
उदित
×
बालमत
त्रिलोकी
बुधु
घिनू
×
दीनदयाल
दिगंबर
छक्कन
मीता
फूल
(पृ० ३९३ में)
दयाल
डीलन
(पृ० ३९३ में)
शिवदयाल
×
शिवनाथ
×
रघु
वेनी
श्री नारायण (छोछो)
×
धनुषधारी
+
वीर
×
जेहल
+
चंदन
लेखा
बबुआ
रवा
पृ० ३९२ में)
(+) बजन
(पृ० ३९३ में)
गोपाल
हेतु
×
गणेश
×
मन्नु
+
आसमान
नाको
रामअधीन
×
रामनुग्रह
×
हियालाल
नसीब
हृदय
मथुरा
महावीर

● रेवा (पृ० ३९२ का)

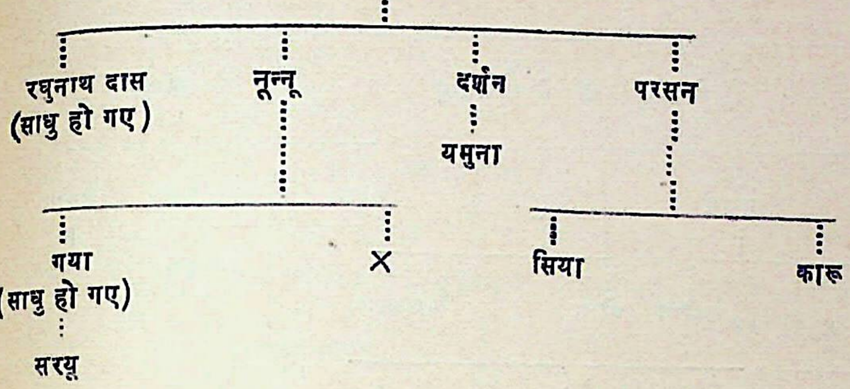
रघुनाथ दास
(साधु हो गए)
नून्नू
दर्शन
परसन
यमुना
गया
(साधु हो गए)
सरयू
×
सिया
कारू

+ वजन्न (पृ० ३९२ का)

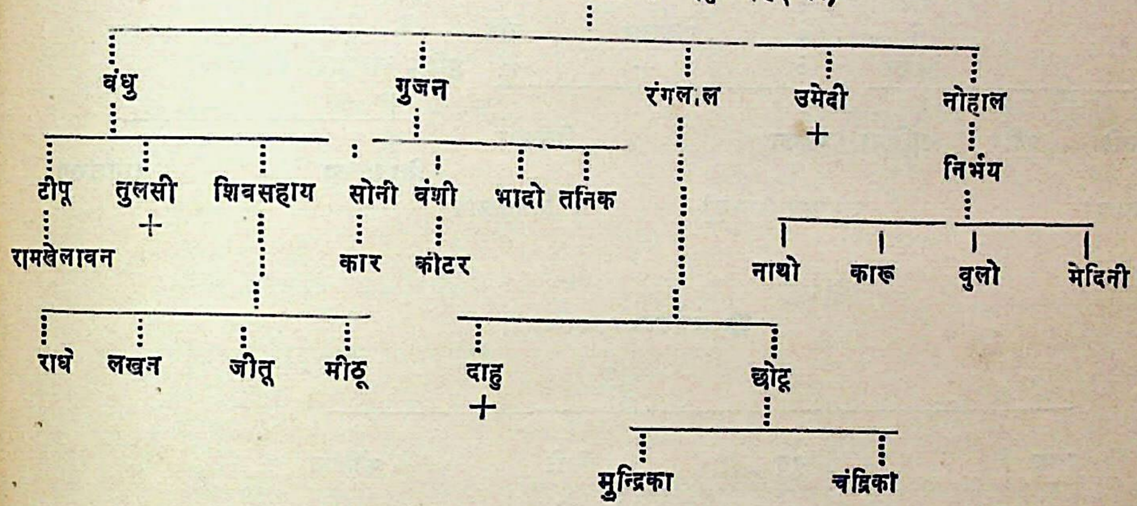
बंधु
गुजन
रंगल.ल
उमेदी
+
नोहाल
निर्भय
टीपू
रामखेलावन
तुलसी
+
शिवसहाय
सोनी
कार
वंशी
कोंटर
भादो
तनिक
राधे
लखन
जीतू
मीठू
दाहु
+
छोटू
मुन्द्रिका
चंद्रिका
नाथो
कारू
वुलो
मेदिनी

डीलन्न (पृ० ३९२ का)

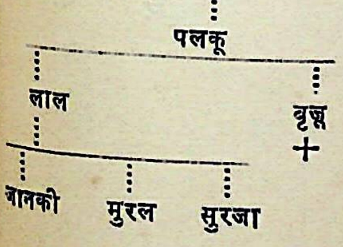
पलकू
लाल
वृक्ष
+
जालकी
मुरल
सुरजा

फूलू [पृ० ३९२ का]

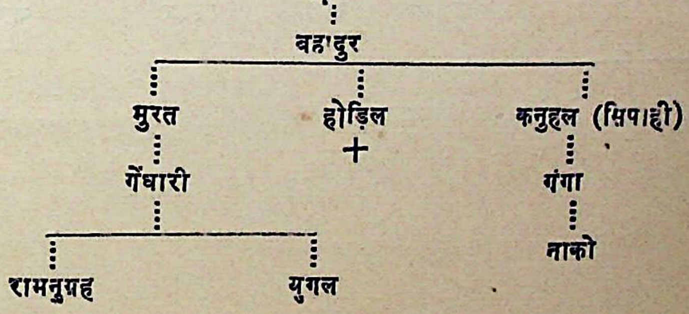
बहादुर
मुरत
गेंधारी
रामनुग्रह
युगल
होड़िल
+
कनुहल (सिपाही)
गंगा
नाको

मोहकम चौधरी (पृ० ३९२ का)

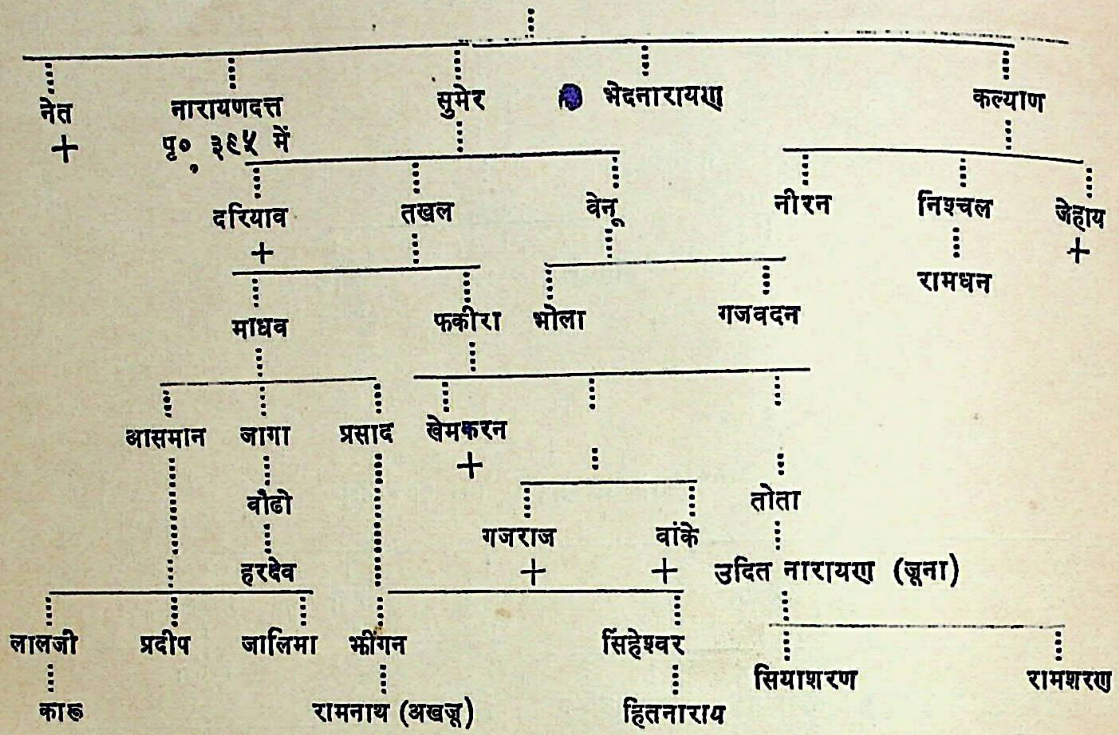
नेत
+
नारायणदत्त
पृ० ३९५ में
सुमेर
● भेदनारायण
कल्याण
दरियाव
+
तखल
वेनू
नीरन
निश्चल
जेहाय
+
रामधन
माधव
फकीरा
भोला
गजवदन
आसमान
जागा
प्रसाद
खेमकरन
+
तोता
बौढो
गजराज
+
बांके
+
हरदेव
उदित नारायण (जूना)
लालजी
प्रदीप
जालिमा
भींगन
सिंहेश्वर
सियाशरण
रामशरण
कारू
रामनाथ (अखजू)
हितनाराय

● भेदनारायण

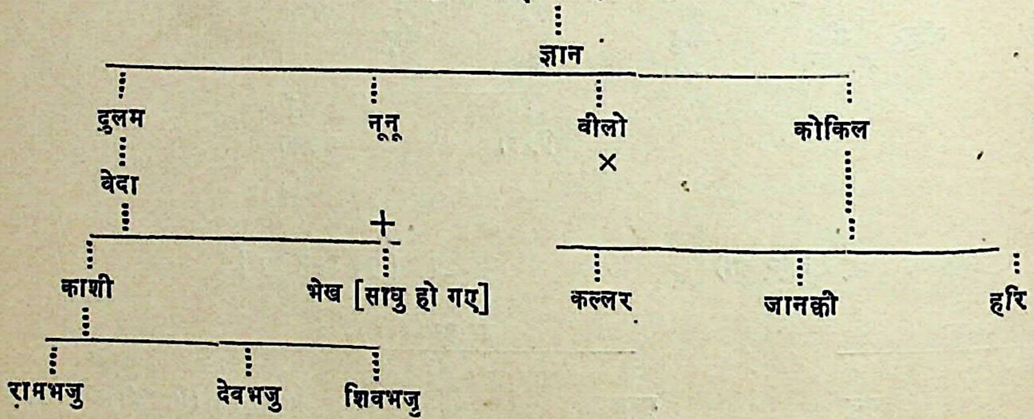
ज्ञान
दुलम
नूनू
वीलो
×
कोकिल
वेदा
+
काशी
भेख [साधु हो गए]
कल्लर
जानकी
हरि
रामभजु
देवभजु
शिवभजु

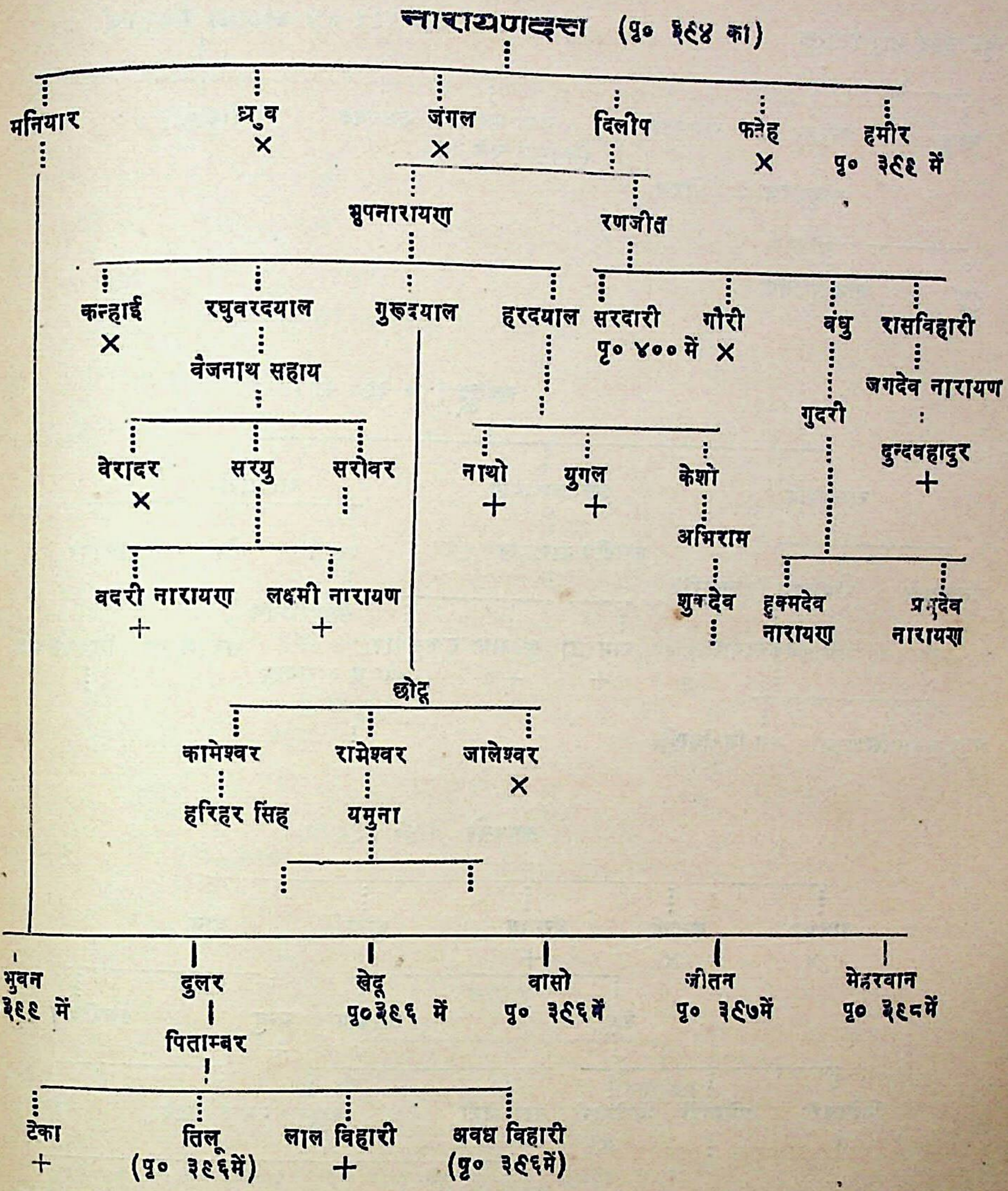
नारायणदत्त (पृ० ३९४ का)
मनियार
ध्रुव ×
जंगल ×
दिलीप
फतेह ×
हमीर पृ० ३९१ में
भूपनारायण
रणजीत
कन्हाई ×
रघुवरदयाल
गुरुदयाल
हरदयाल
सरदारी पृ० ४०० में
गौरी ×
बंधु
रासविहारी
वैजनाथ सहाय
जगदेव नारायण
गुदरी
दुन्दवहादुर +
वेरादर ×
सरयु
सरोवर
नाथो +
युगल +
केशो
अभिराम
शुकदेव
हुक्मदेव नारायण
प्रभुदेव नारायण
वदरी नारायण +
लक्ष्मी नारायण +
छोटू
कामेश्वर
रामेश्वर
जालेश्वर ×
हरिहर सिंह
यमुना
भुवन पृ०३९९ में
दुलर
खेदू पृ०३९६ में
वासो पृ० ३९६में
जीतन पृ० ३९७में
मेहरवान पृ० ३९८में
पिताम्बर
टेका +
तिलू (पृ० ३९६में)
लाल विहारी +
अवध विहारी (पृ० ३९६में)

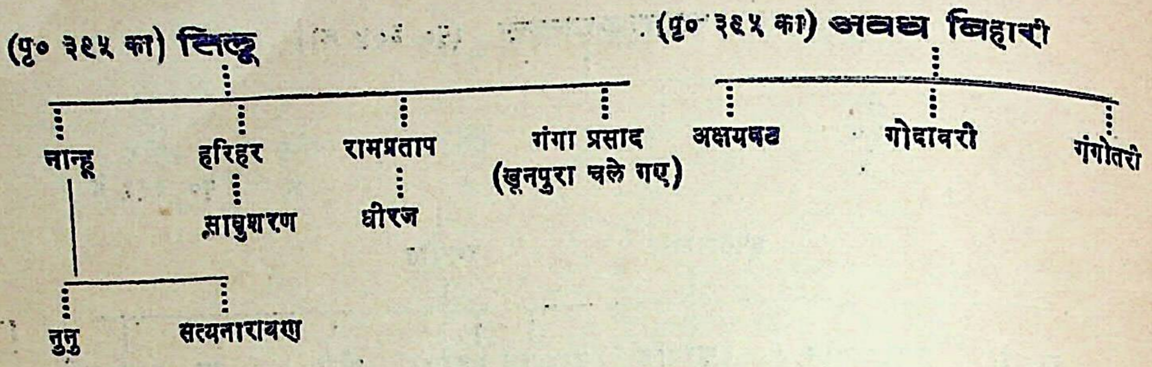
(पृ० ३९५ का) सिट्टू
नान्हू
हरिहर
रामप्रताप
गंगा प्रसाद (खूनपुरा चले गए)
साधुशरण
धीरज
तुनु
सत्यनारायण
(पृ० ३९५ का) अवध बिहारी
अक्षयबट
गोदावरी
गंगोतरी

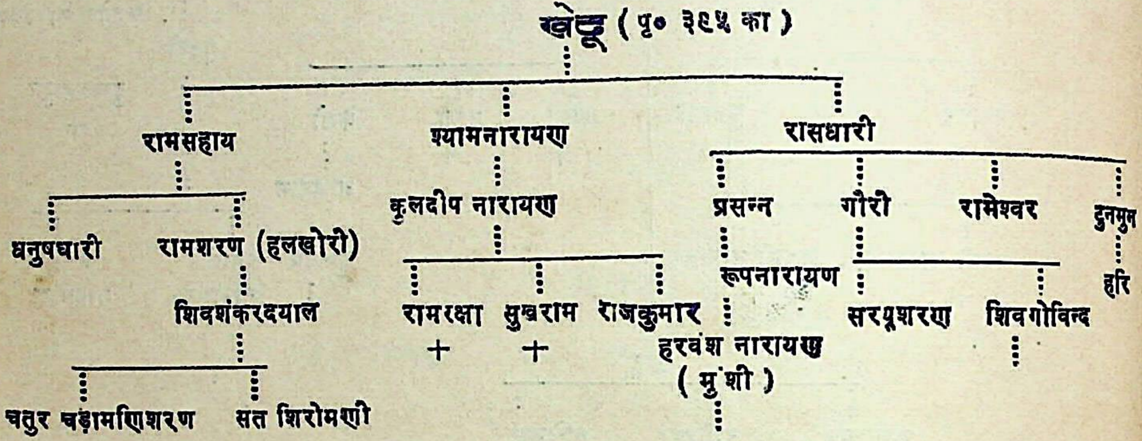
खेटू (पृ० ३९५ का)
रामसहाय
श्यामनारायण
रासधारी
धनुषधारी
रामशरण (हलखोरी)
शिवशंकरदयाल
चतुर चूड़ामणिशरण
संत शिरोमणी
कुलदीप नारायण
रामरक्षा +
सुखराम +
राजकुमार
हरवंश नारायण (मुंशी)
प्रसन्न
गौरी
रामेश्वर
टुनमुन
रूपनारायण
सरयूशरण
शिवगोविन्द
हरि

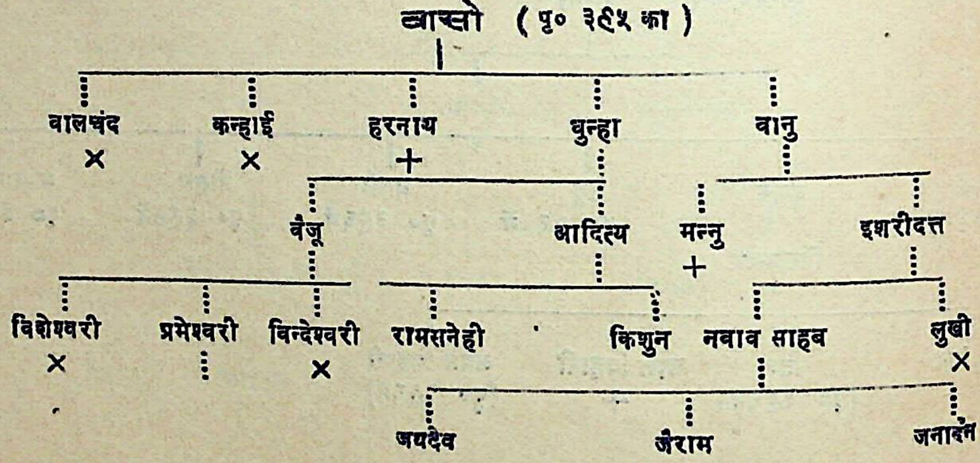
बासो (पृ० ३९५ का)
बालचंद ×
कन्हाई ×
हरनाथ +
बुन्हा
बानु
बैजू
आदित्य
मन्नु +
ईशरीदत्त
विशेश्वरी ×
प्रमेश्वरी
विन्देश्वरी ×
रामसनेही
किशुन
नवाब साहब
लुखी ×
जयदेव
जैराम
जनार्दन

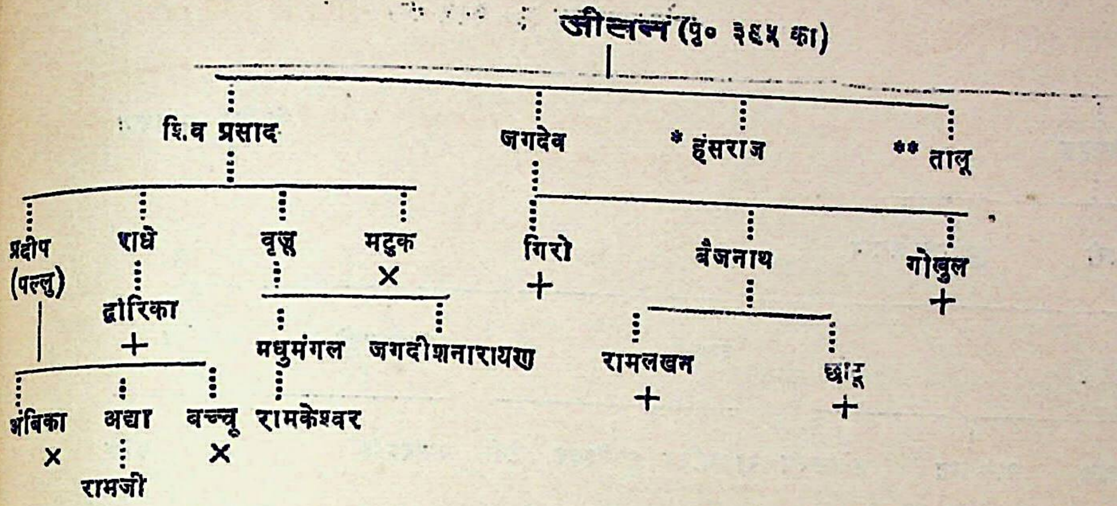
जीसन्न (पृ० ३६५ का)
शि.व प्रसाद
जगदेव
* हंसराज
** तालू
प्रदीप (पल्लु)
राधे
वृन्नु
मट्ठक
×
गिरो
+
बैजनाथ
गोखुल
+
द्वारिका
+
मधुमंगल
जगदीशनारायण
रामलखन
+
छाट्टू
+
अंबिका
×
अद्या
रामजी
बच्चू
×
रामकेश्वर

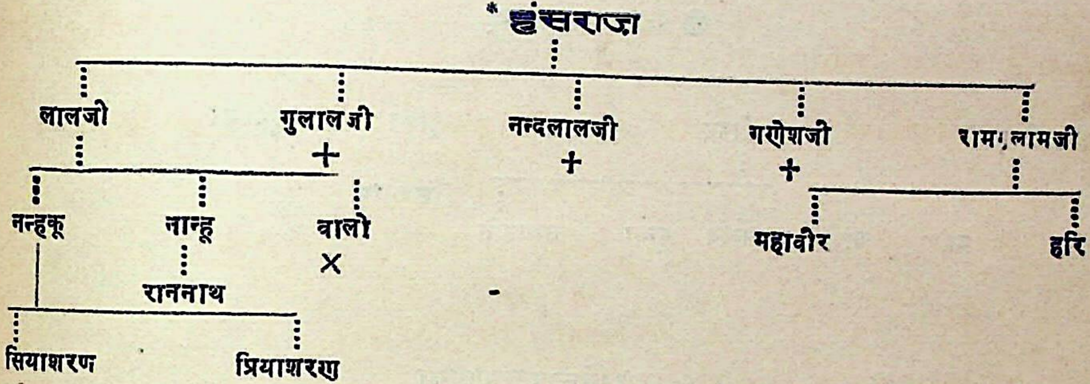
* हंसराज
लालजी
गुलालजी
+
नन्दलालजी
+
गणेशजी
+
राम.लामजी
नन्हकू
नान्हू
वालो
×
महावीर
हरि
राननाथ
सियाशरण
प्रियाशरण

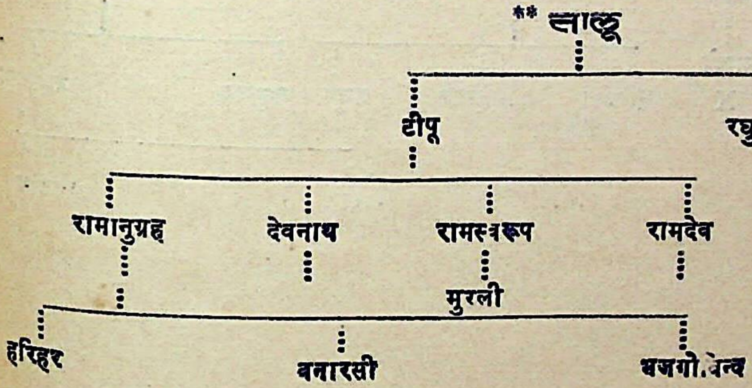
** लालू
टीपू
रघुनन्दन
×
रामानुग्रह
देवनाथ
रामस्वरूप
रामदेव
मुरली
हरिहर
बनारसी
भजगो.वेन्द

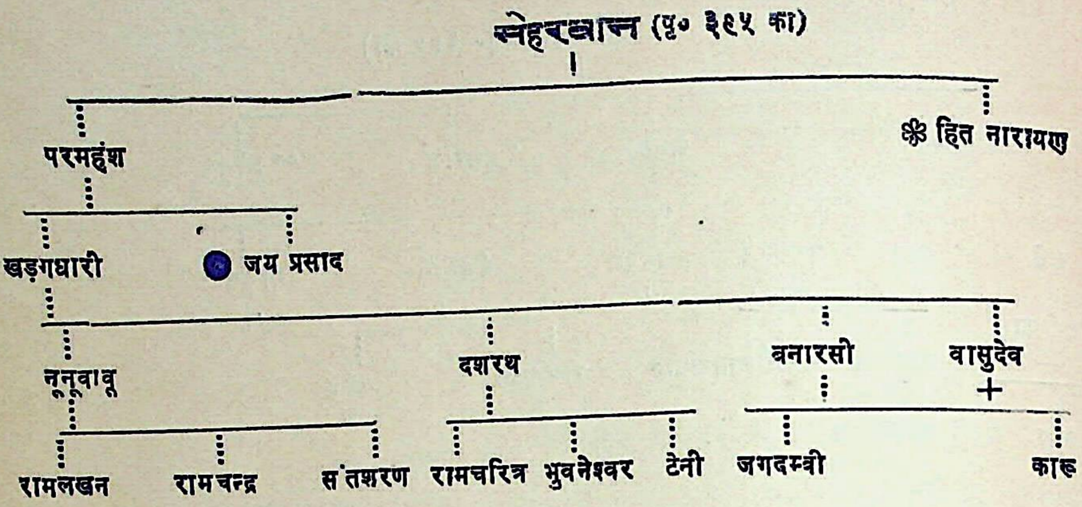
मेहरबान (पृ० ३९५ का)
परमहंश
❀ हित नारायण
खड़गधारी
● जय प्रसाद
नूनूबाबू
दशरथ
बनारसी
वासुदेव
+
रामलखन
रामचन्द्र
संतशरण
रामचरित्र
भुवनेश्वर
टेनी
जगदम्बी
कारू

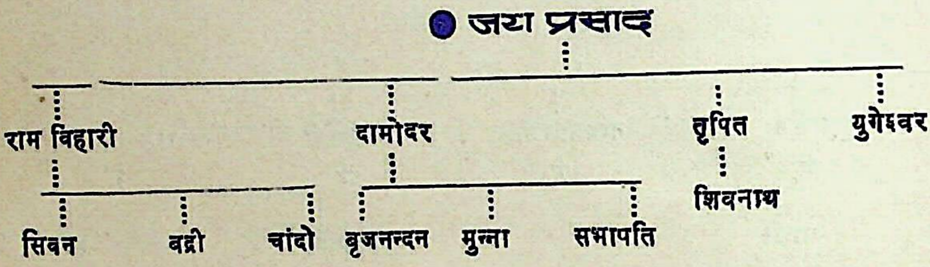
● जय प्रसाद
राम विहारी
दामोदर
तृपित
युगेश्वर
सिवन
बद्री
चांदो
बृजनन्दन
मुन्ना
सभापति
शिवनाथ

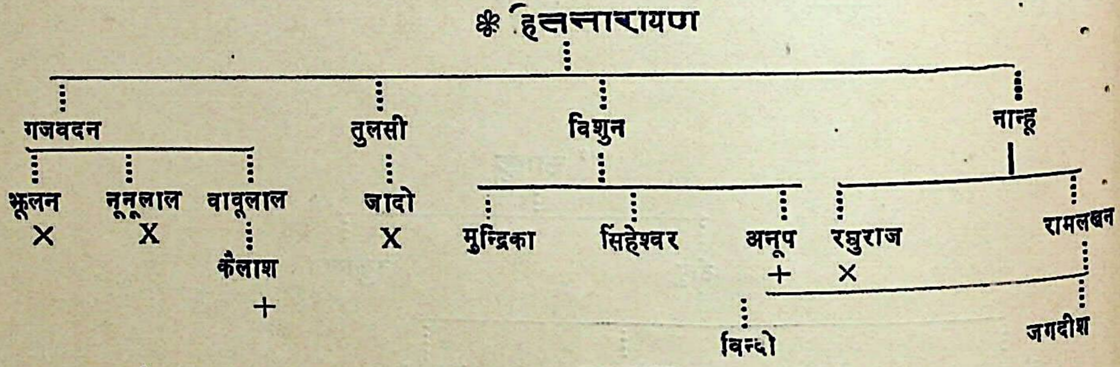
❀ हितनारायण
गजवदन
तुलसी
विशुन
नान्हू
झूलन
X
नूनूलाल
X
बाबूलाल
कैलाश
+
जादो
X
मुन्द्रिका
सिंहेश्वर
अनूप
+
रघुराज
×
रामलखन
बिन्दो
जगदीश

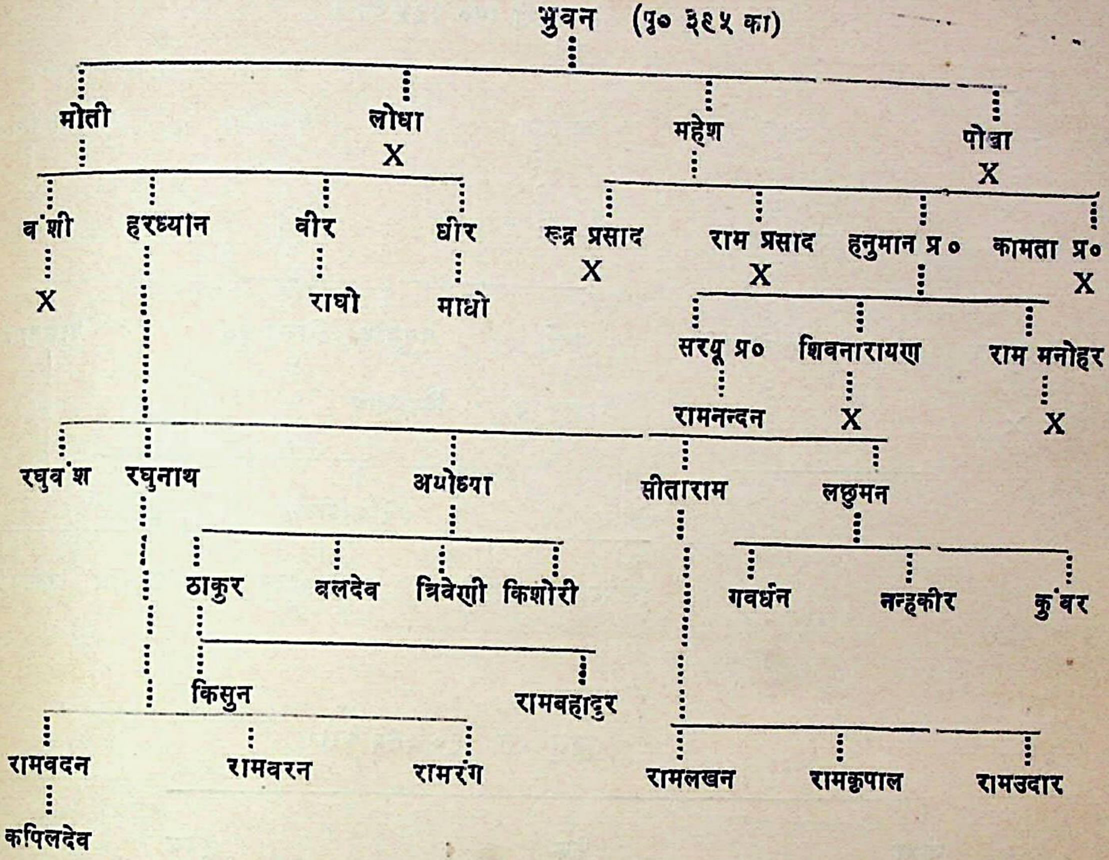
भुवन (पृ० ३९५ का)
मोती
लोधा
X
महेश
पोखा
X
बंशी
X
हरध्यान
वीर
राघो
धीर
माधो
रुद्र प्रसाद
X
राम प्रसाद
X
हनुमान प्र०
कामता प्र०
X
सरयू प्र०
रामनन्दन
शिवनारायण
X
राम मनोहर
X
रघुवंश
रघुनाथ
अयोध्या
ठाकुर
बलदेव
त्रिवेणी
किशोरी
किसुन
रामबहादुर
रामवदन
कपिलदेव
रामवरन
रामरंग
सीताराम
लछुमन
गवर्धन
नन्हकीर
कुंवर
रामलखन
रामकृपाल
रामउदार

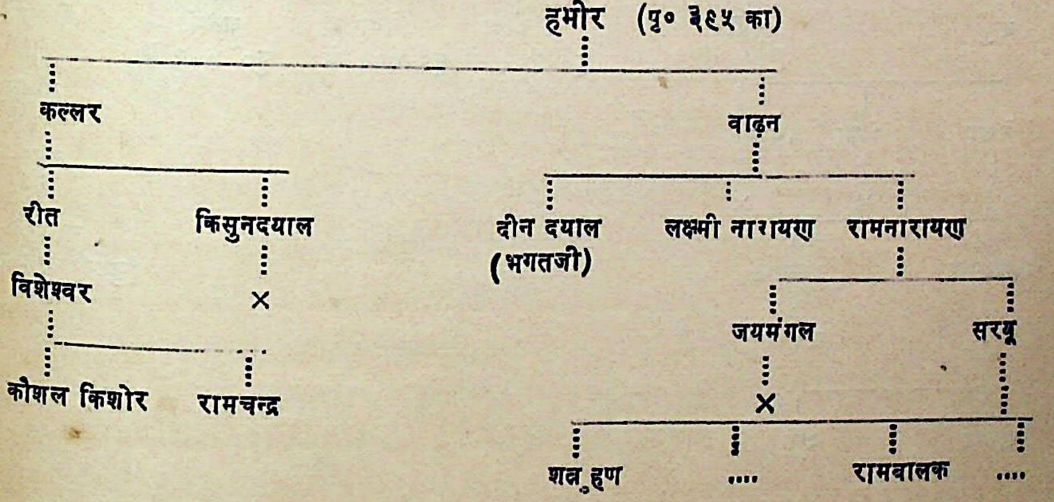
हमीर (पृ० ३९५ का)
कल्लर
रीत
विशेश्वर
कौशल किशोर
रामचन्द्र
किसुनदयाल
×
वाढ़न
दीन दयाल
(भगतजी)
लक्ष्मी नारायण
रामनारायण
जयमंगल
×
सरयू
शत्रुहण
....
रामबालक
....

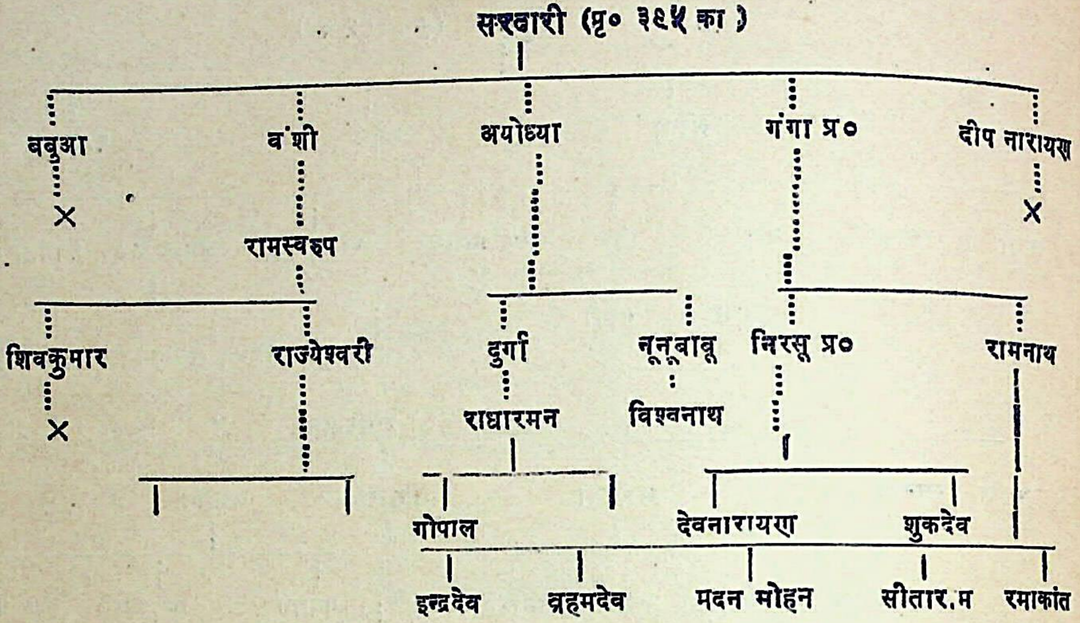
सरवारी (पृ० ३९५ का)
बबुआ
×
वंशी
रामस्वरूप
शिवकुमार
×
राज्येश्वरी
अयोध्या
दुर्गा
राधारमन
गोपाल
नूनूबाबू
विश्वनाथ
गंगा प्र०
निरसू प्र०
देवनारायण
शुकदेव
रामनाथ
दीप नारायण
×
इन्द्रदेव
ब्रह्मदेव
मदन मोहन
सीताराम
रमाकांत

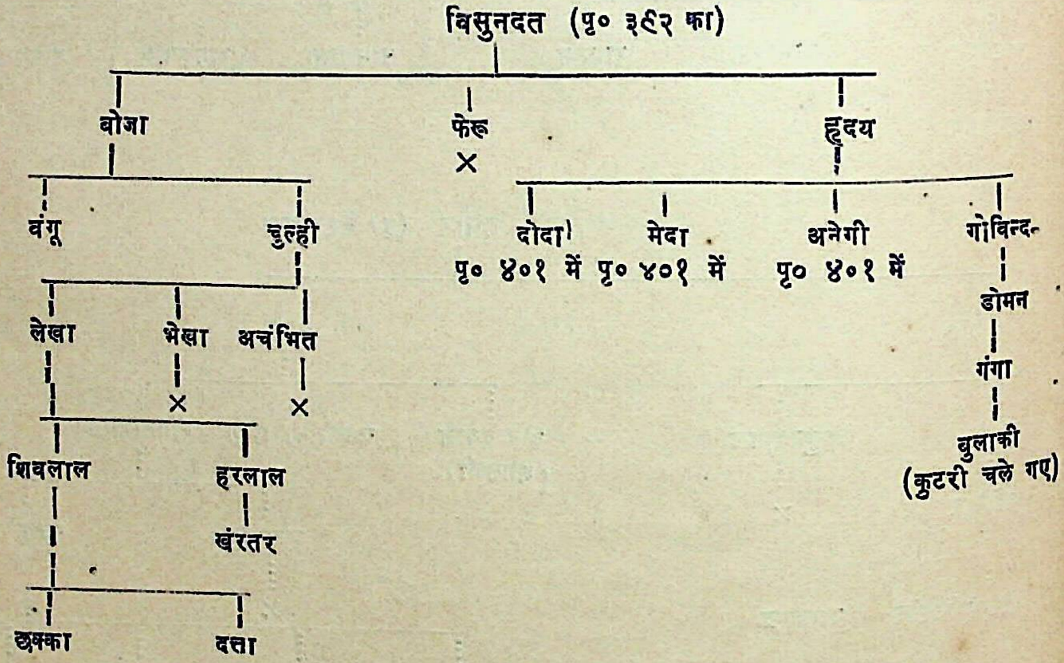
बिसुनदत (पृ० ३९२ का)
बोजा
वंगू
चुल्ही
लेखा
भेखा
×
अचंभित
×
शिवलाल
हरलाल
खंरतर
छक्का
दत्ता
फेरू
×
हृदय
दोदा
पृ० ४०१ में
मेदा
पृ० ४०१ में
अनेगी
पृ० ४०१ में
गोविन्द
डोमन
गंगा
बुलाकी
(कुटरी चले गए)

ओझा (पृ० ४०० का)

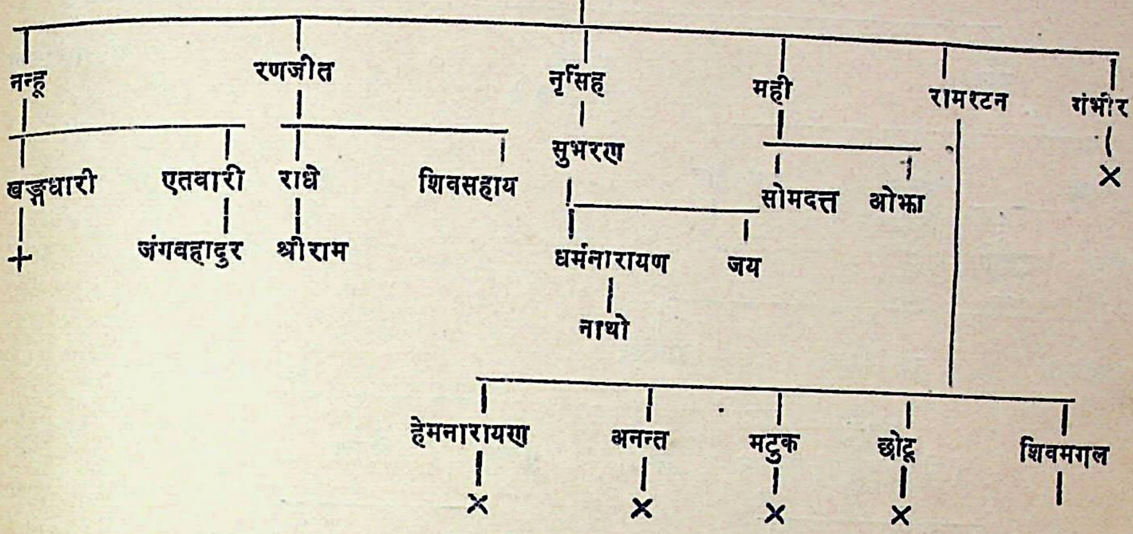
नन्हू
रणजीत
नृसिंह
मही
रामरतन
गंभीर
खड्गधारी
एतवारी
राधे
शिवसहाय
सुभरण
सोमदत्त
ओझा
×
+
जंगवहादुर
श्रीराम
धर्मनारायण
जय
नाथो
हेमनारायण
अनन्त
मटुक
छोटू
शिवमगल
×
×
×
×

[illegible] (पृ० ४०० का)

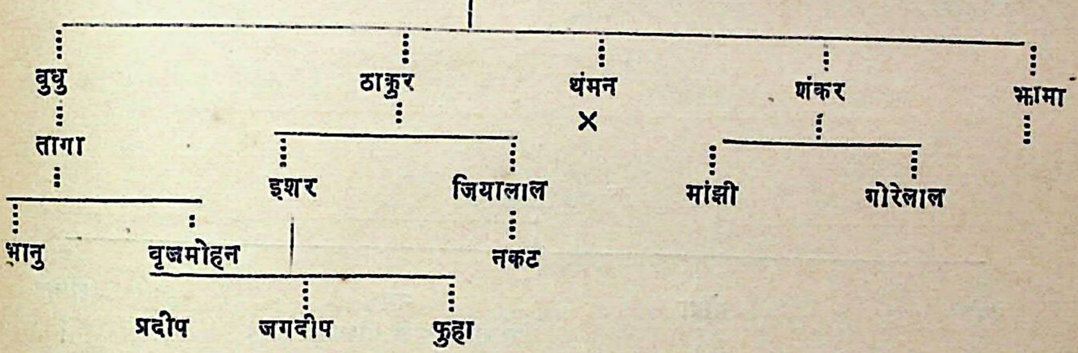
वुधु
ठाकुर
थंमन
शंकर
झामा
×
तागा
इशर
जियालाल
मांझी
गोरेलाल
भानु
वृजमोहन
नकट
प्रदीप
जगदीप
फुहा

अन्नेवी (पृ० ४०० का)

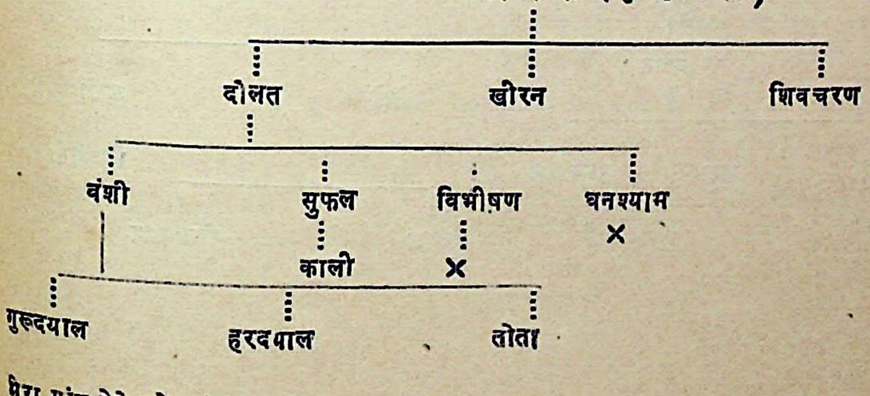
दोलत
खीरन
शिवचरण
वंशी
सुफल
विभीषण
घनश्याम
×
काली
×
गुरुदयाल
हरदयाल
तोता

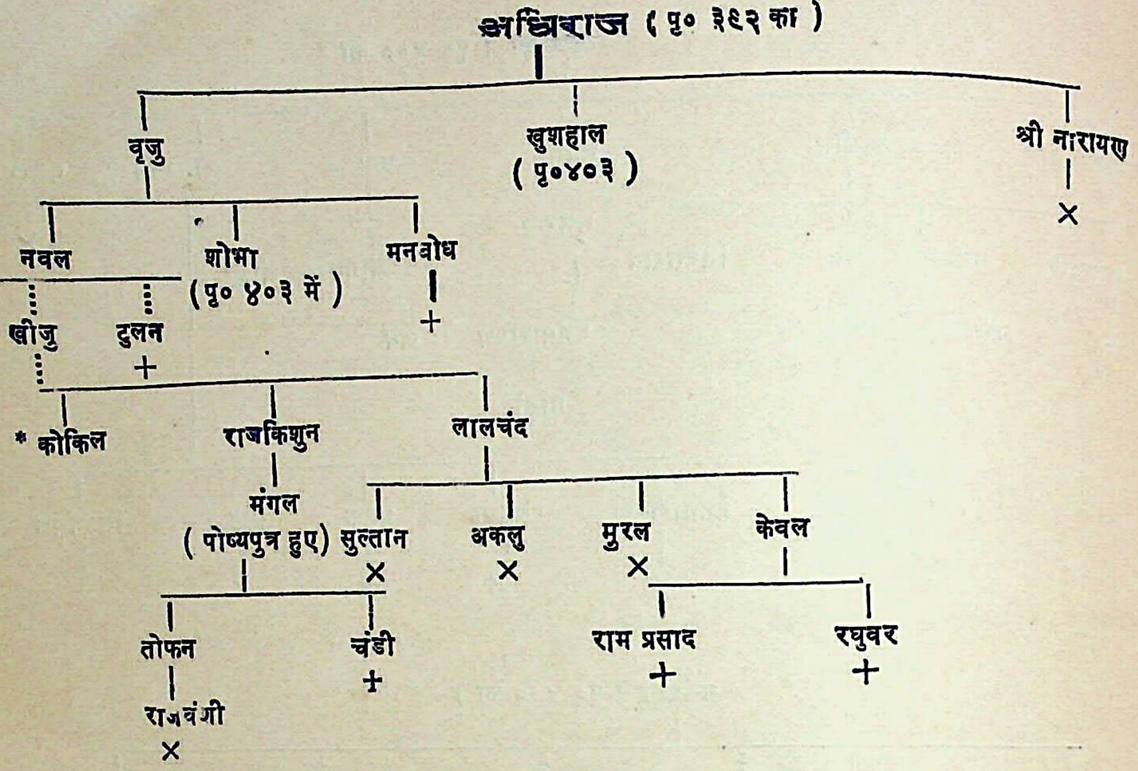
अधिराज (पृ० ३९२ का)
वृजु
खुशहाल (पृ०४०३)
श्री नारायण
×
नवल
शोभा (पृ० ४०३ में)
मनबोध
+
खीजु
टुलन
+
* कोकिल
राजकिशुन
लालचंद
मंगल (पोष्यपुत्र हुए)
सुल्तान
×
अकलु
×
मुरल
×
केवल
तोफन
चंडी
+
राम प्रसाद
+
रघुवर
+
राजवंशी
×

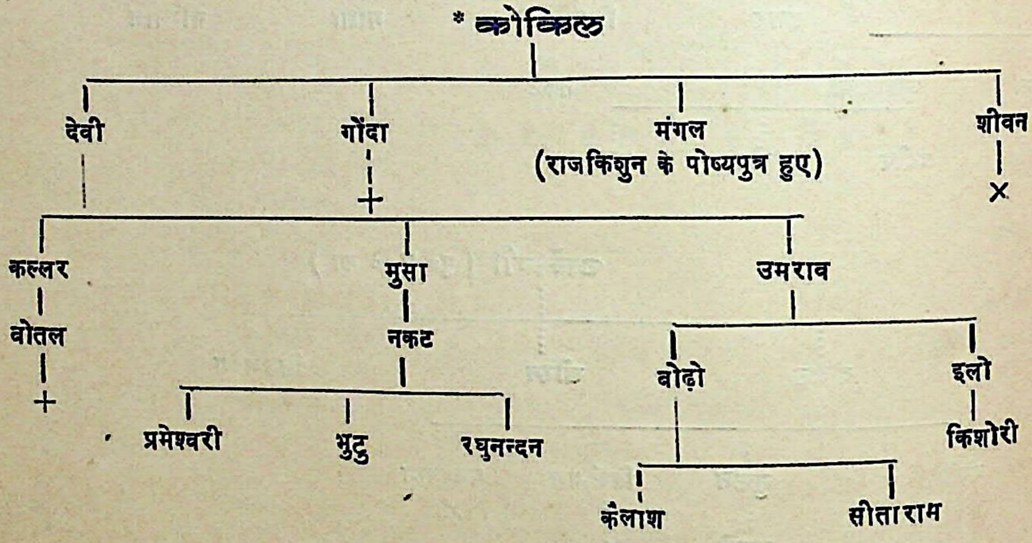
* कोकिल
देवी
गोंदा
+
मंगल (राजकिशुन के पोष्यपुत्र हुए)
शीवन
×
कल्लर
बोतल
+
मुसा
नकट
प्रमेश्वरी
भुटु
रघुनन्दन
उमराव
बोढ़ो
कैलाश
सीताराम
इलो
किशोरी

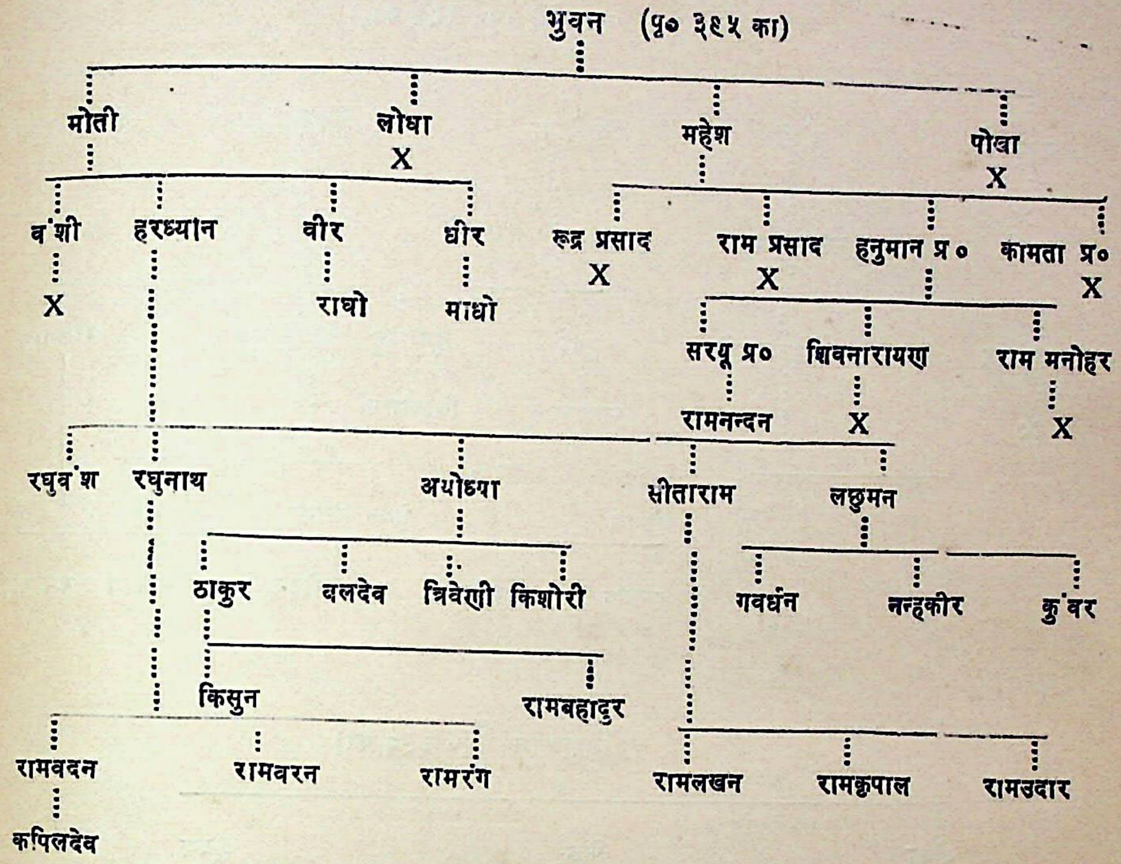
भुवन (पृ० ३९५ का)
मोती
लोधा
X
महेश
पोखा
X
वंशी
X
हरध्यान
वीर
राघो
धीर
माधो
रुद्र प्रसाद
X
राम प्रसाद
X
हनुमान प्र०
कामता प्र०
X
सरयू प्र०
शिवनारायण
राम मनोहर
रामनन्दन
X
X
रघुवंश
रघुनाथ
अयोध्या
सीताराम
लछुमन
ठाकुर
वलदेव
त्रिवेणी
किशोरी
गवर्धन
नन्हकीर
कुंवर
किसुन
रामबहादुर
रामवदन
रामवरन
रामरंग
कपिलदेव
रामलखन
रामकृपाल
रामउदार

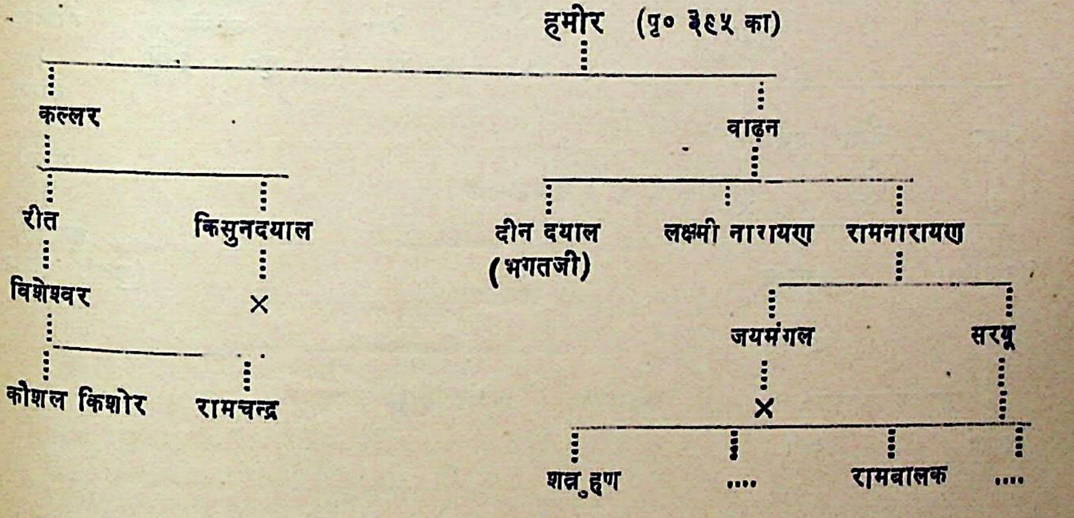
हमीर (पृ० ३९५ का)
कल्लर
वाढ़न
रीत
किसुनदयाल
×
विशेश्वर
कौशल किशोर
रामचन्द्र
दीन दयाल (भगतजी)
लक्ष्मी नारायण
रामनारायण
जयमंगल
सरयू
X
शत्रुहण
....
रामबालक
....

सरदारी (पृ० ३९५ का)

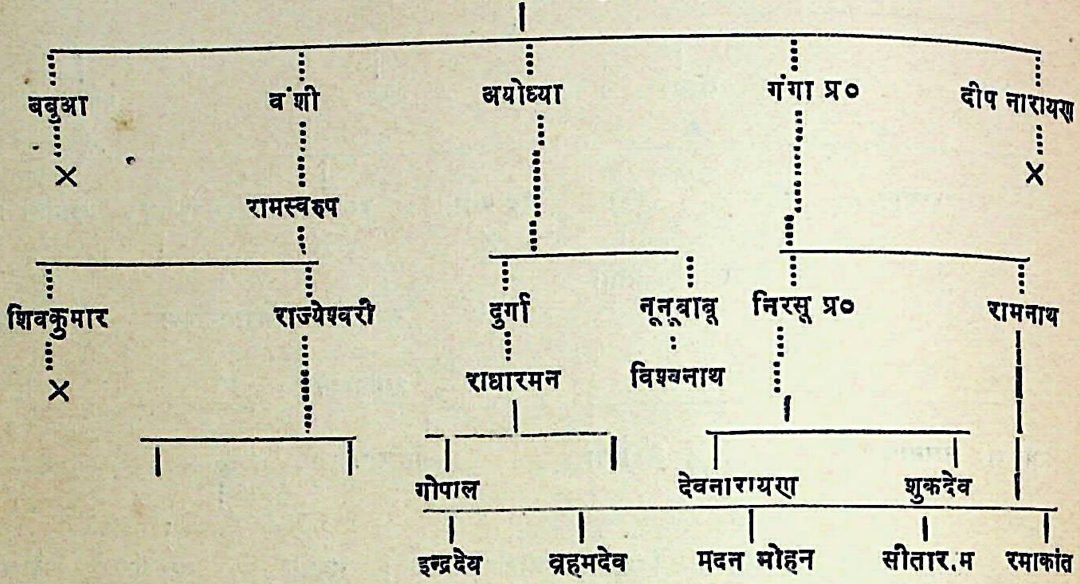
बबुआ
वंशी
अयोध्या
गंगा प्र०
दीप नारायण
×
×
रामस्वरूप
शिवकुमार
राज्येश्वरी
दुर्गा
नूनूबाबू
निरसू प्र०
रामनाथ
×
राधारमन
विश्वनाथ
गोपाल
देवनारायण
शुकदेव
इन्द्रदेव
ब्रह्मदेव
मदन मोहन
सीतार.म
रमाकांत

विसुनदत (पु० ३९२ का)

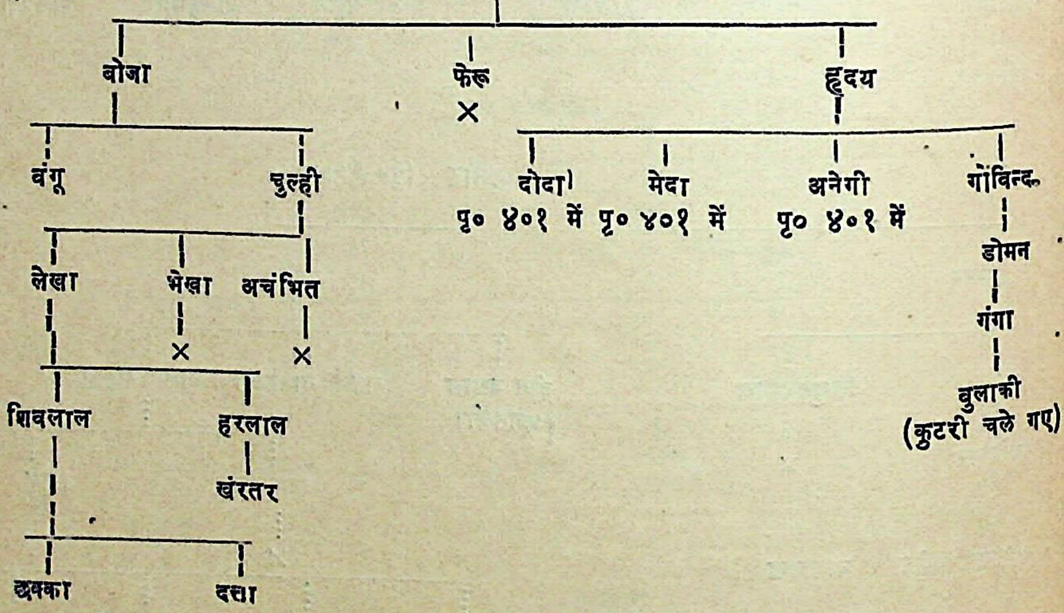
बोजा
फेरू
हृदय
×
बंगू
चुल्ही
दोदा
पृ० ४०१ में
मेदा
पृ० ४०१ में
अनेगी
पृ० ४०१ में
गोविन्द
लेखा
भेखा
अचंभित
डोमन
×
×
गंगा
शिवलाल
हरलाल
बुलाकी
(कुटरी चले गए)
खंरतर
छक्का
दत्ता

ओझा (पृ० ४०० का)

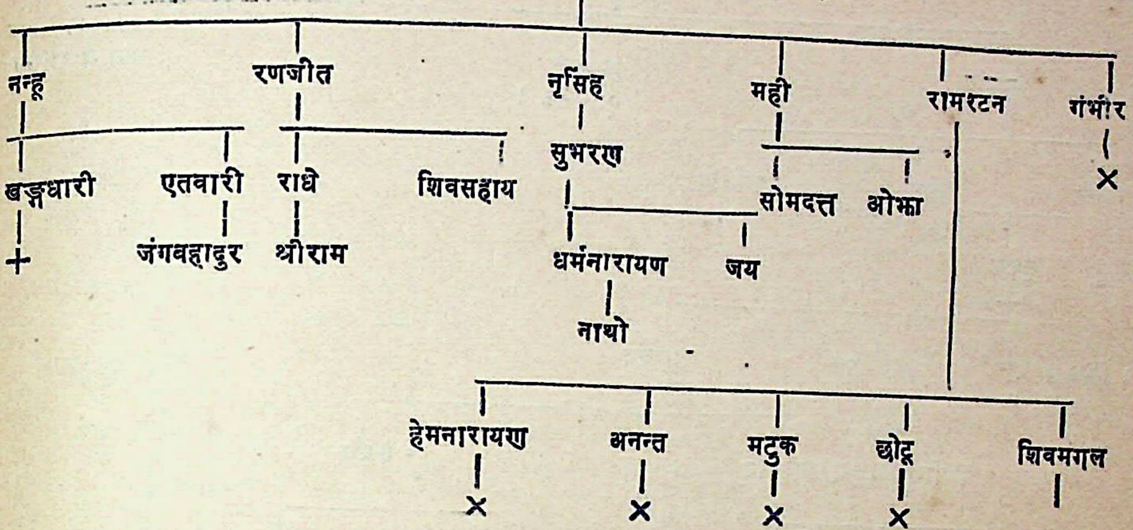
नन्हू
रणजीत
नृसिह
मही
रामरटन
गंभीर
खड्गधारी
एतवारी
राधे
शिवसहाय
सुभरण
सोमदत्त
ओझा
×
+
जंगबहादुर
श्रीराम
धर्मनारायण
जय
नाथो
हेमनारायण
अनन्त
मटुक
छोटू
शिवमगल
×
×
×
×

ओझा (पृ० ४०० का)

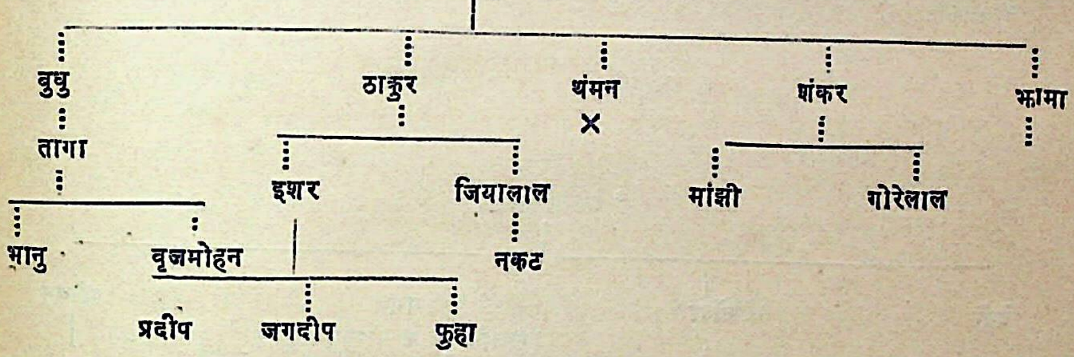
बुधु
ठाकुर
थंमन
शंकर
झामा
×
तागा
इशर
जियालाल
मांझी
गोरेलाल
भानु
बृजमोहन
नकट
प्रदीप
जगदीप
फुहा

अन्नेची (पृ० ४०० का)

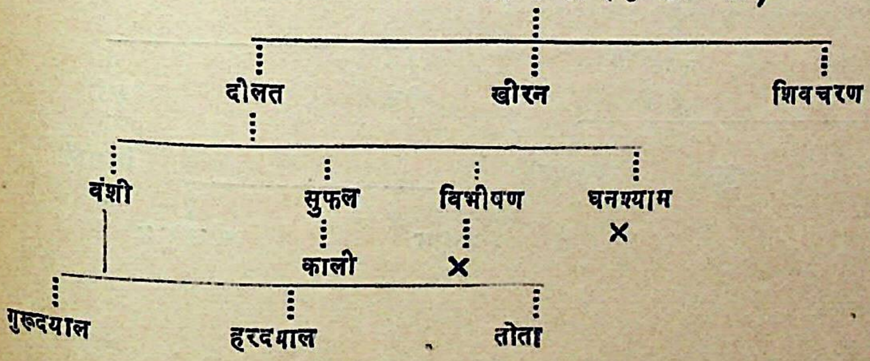
दौलत
खीरन
शिवचरण
वंशी
सुफल
विभीषण
घनश्याम
×
कालो
×
गुरुदयाल
हरदयाल
तोता

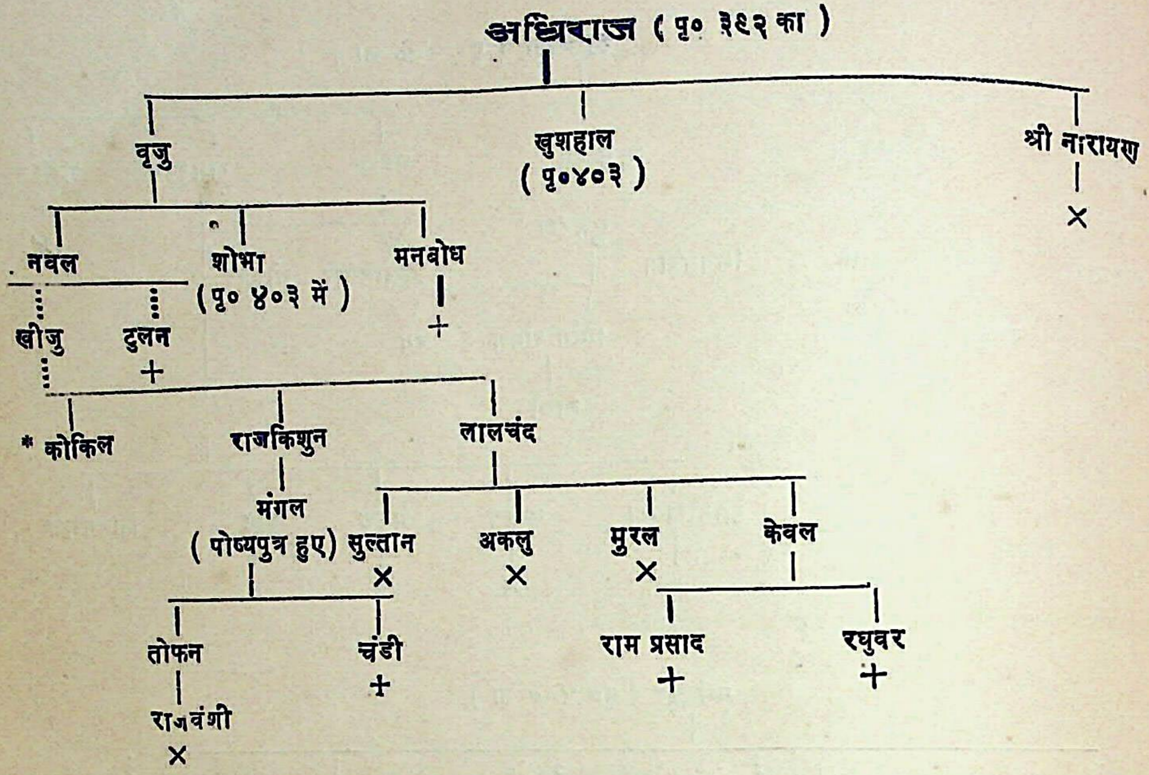
अधिराज (पृ० ३९२ का)
वृजु
खुशहाल (पृ०४०३)
श्री नारायण
×
नवल
शोभा (पृ० ४०३ में)
मनबोध
+
खीजु
टुलन
+
* कोकिल
राजकिशुन
लालचंद
मंगल (पोष्यपुत्र हुए)
सुल्तान
×
अकलु
×
मुरल
×
केवल
तोफन
चंडी
+
राम प्रसाद
+
रघुवर
+
राजवंशी
×

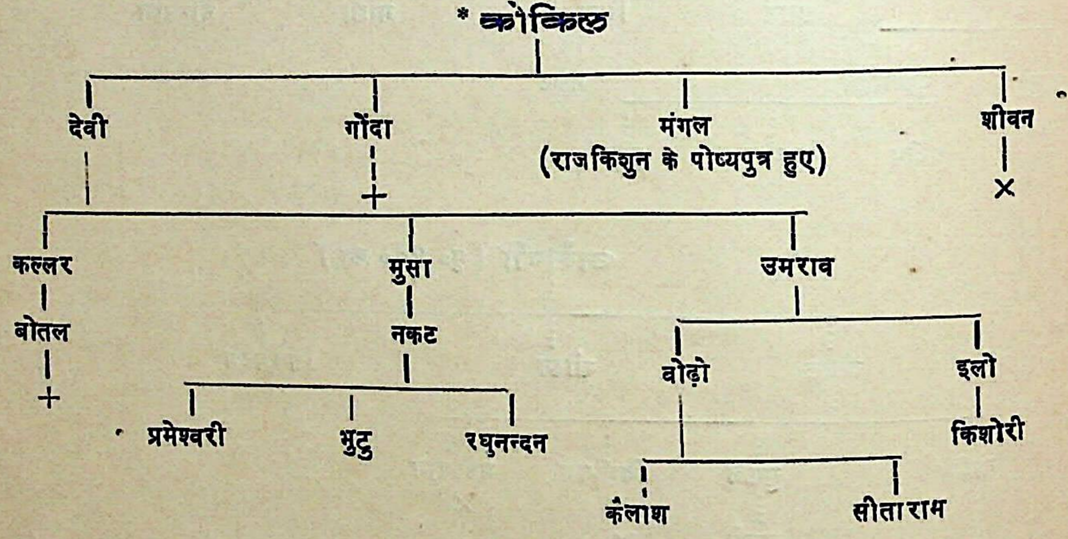
* कोकिल
देवी
गोंदा
+
मंगल (राजकिशुन के पोष्यपुत्र हुए)
शीवन
×
कल्लर
बोतल
+
मुसा
नकट
प्रमेश्वरी
भुटु
रघुनन्दन
उमराव
बोढ़ो
इलो
किशोरी
कैलाश
सीताराम

शोभा (पृ० ४०२ में)

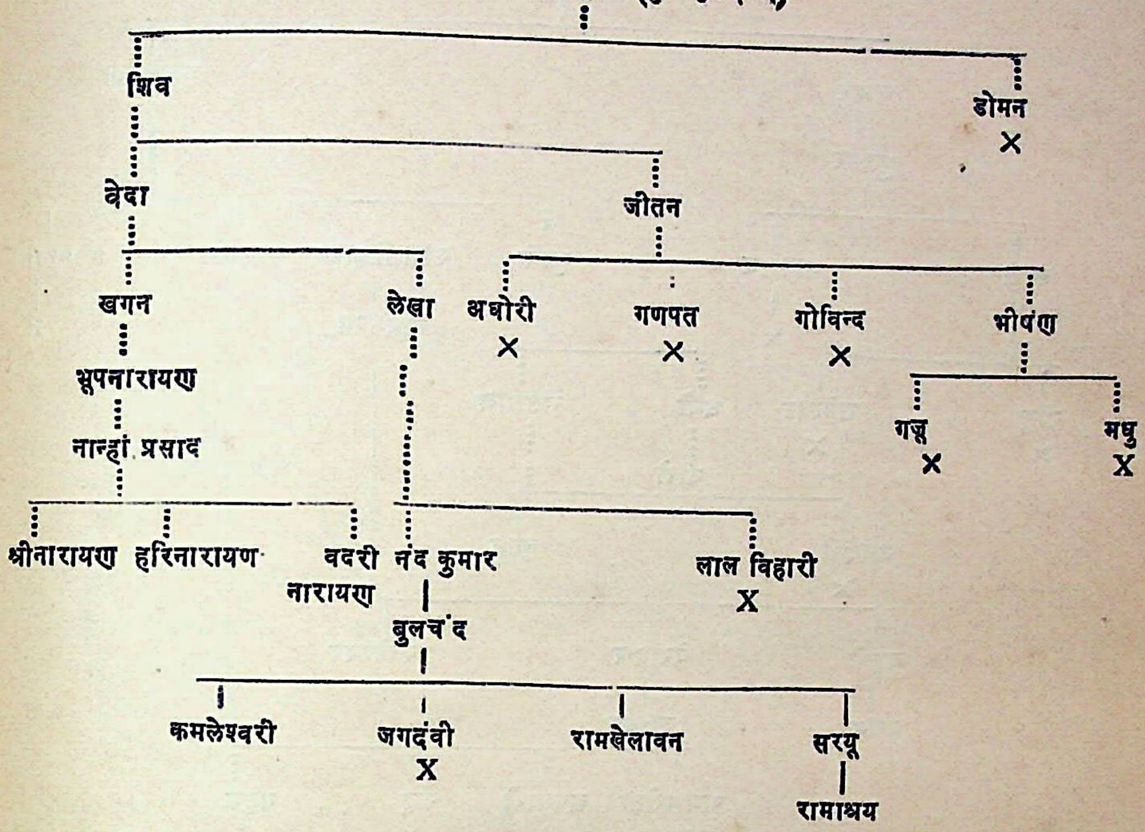
शिव
डोमन
X
वेदा
जीतन
खगन
लेखा
अघोरी
X
गणपत
X
गोविन्द
X
भीषण
भूपनारायण
गजू
X
मधु
X
नान्हां प्रसाद
श्रीनारायण
हरिनारायण
वदरी नारायण
नंद कुमार
लाल विहारी
X
बुलचंद
कमलेश्वरी
जगदंवी
X
रामखेलावन
सरयू
रामाश्रय

खुशहाल (पृ० ४०२ का)

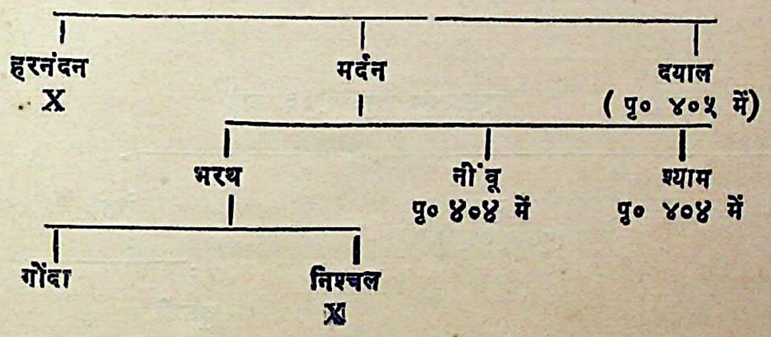
हरनंदन
X
मर्दन
दयाल
(पृ० ४०५ में)
भरथ
नींबू
पृ० ४०४ में
श्याम
पृ० ४०४ में
गोंदा
निश्चल
X

नीबू (पृ० ४०३ का)

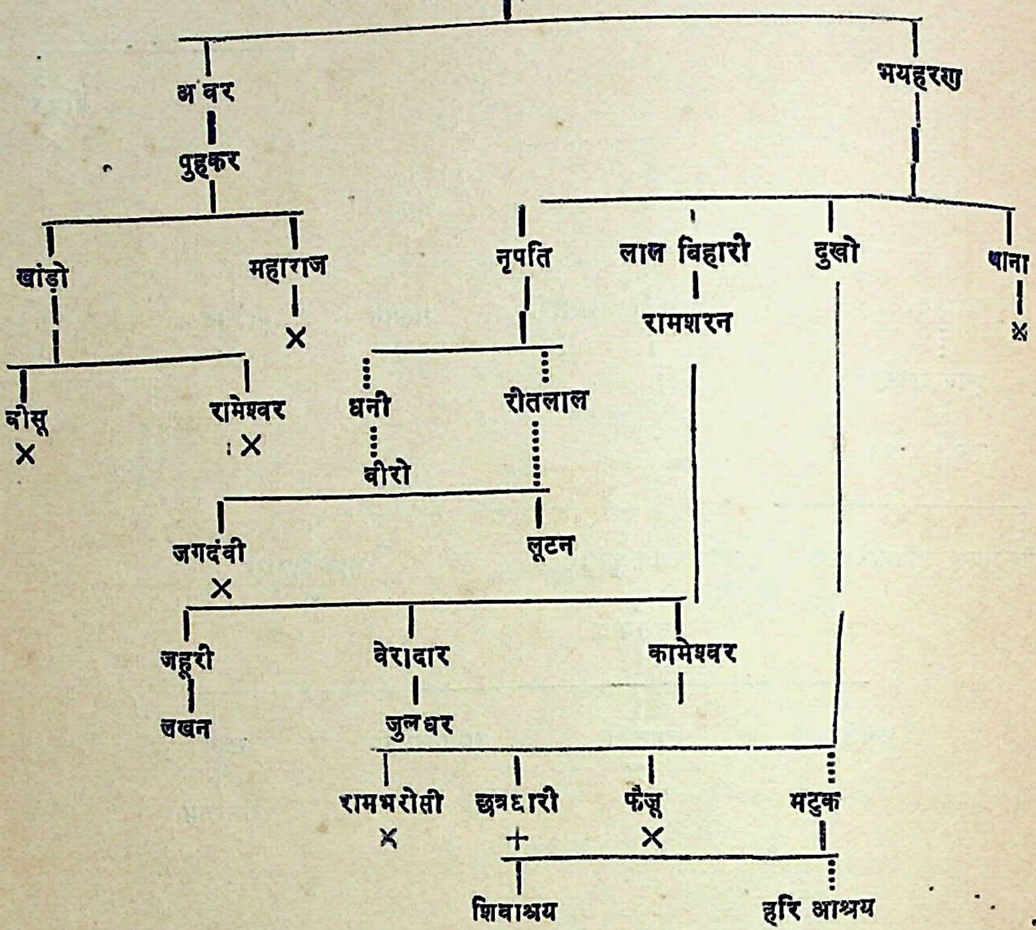
अवर
पुहकर
खांड़ो
महाराज
×
दोसू
×
रामेश्वर
×
भयहरण
नृपति
लाल विहारी
रामशरन
दुखो
थाना
×
धनी
वीरो
रीतलाल
जगदंबी
×
लूटन
जहूरी
लखन
वेरादार
जुलधर
कामेश्वर
रामभरोसी
×
छत्रधारी
+
फैजू
×
मटुक
शिवाश्रय
हरि आश्रय

श्याम (पृ० ४०३ का)

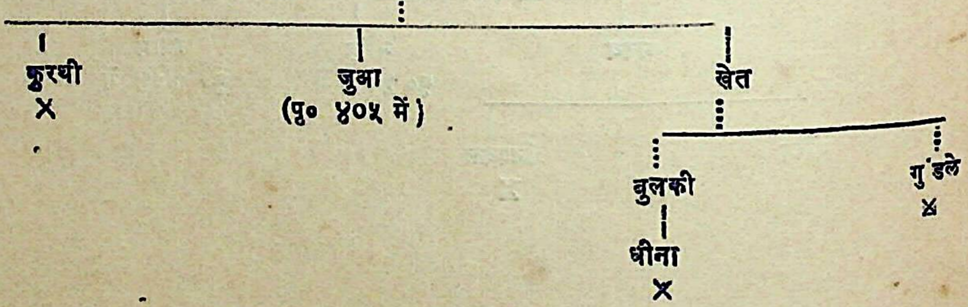
कुरथी
×
जुआ
(पृ० ४०५ में)
खेत
बुलकी
धीना
×
गुंडले
×

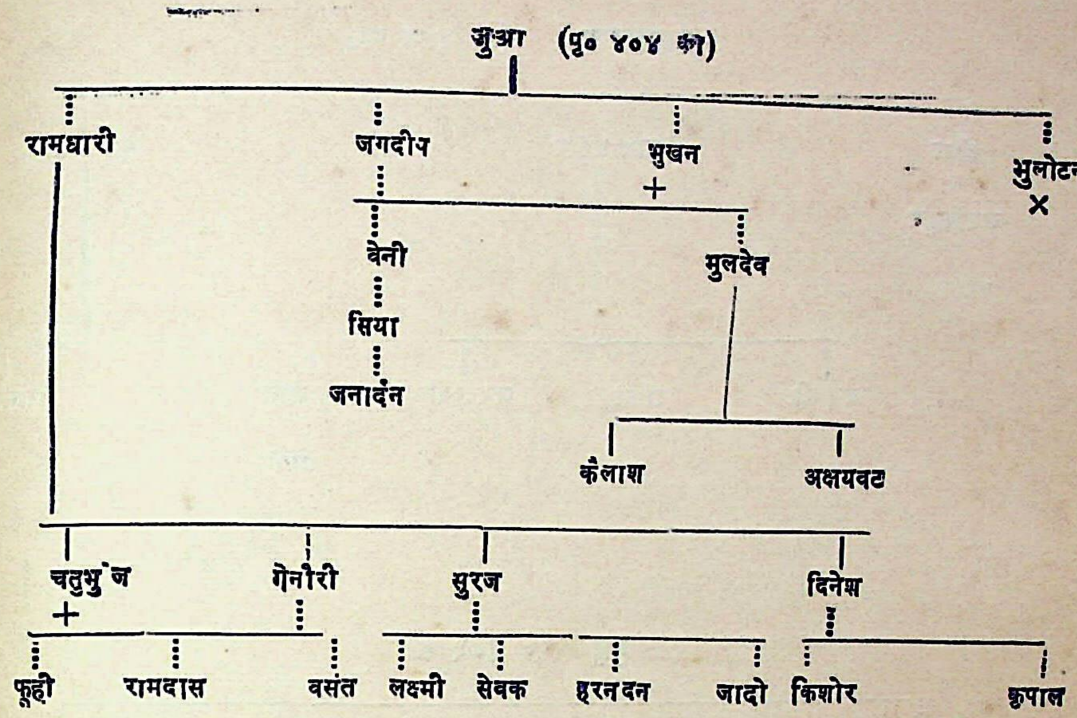
जुआ (पृ० ४०४ का)
रामधारी
जगदीप
सुखन
+
भुलोटन
×
वेनी
मुलदेव
सिया
जनार्दन
कैलाश
अक्षयवट
चतुर्भुज
+
गेनौरी
सुरज
दिनेश
फूही
रामदास
वसंत
लक्ष्मी
सेवक
हरनदन
जादो
किशोर
कृपाल

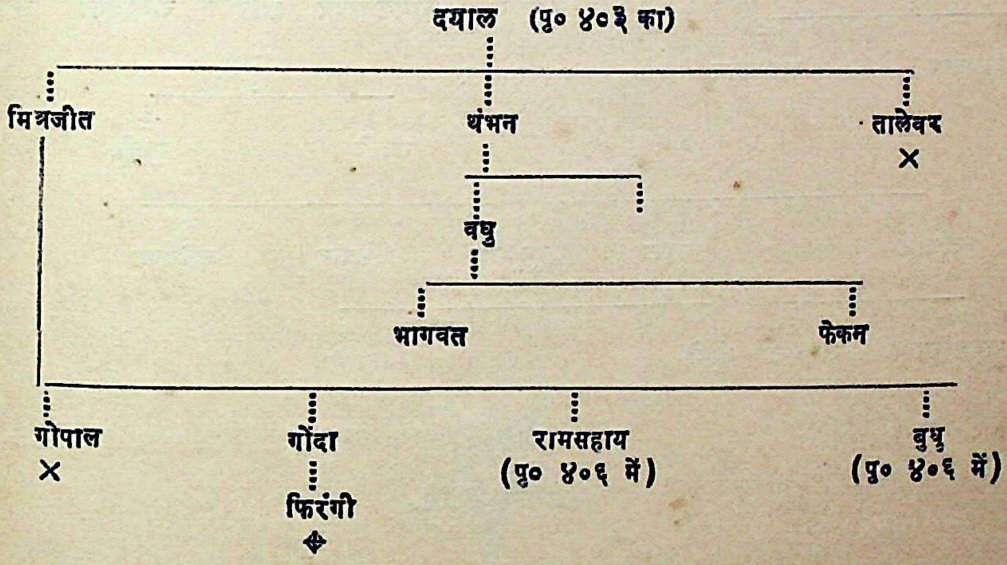
दयाल (पृ० ४०३ का)
मित्रजीत
थंभन
तालेवर
×
वधु
भागवत
फेकम
गोपाल
×
गोंदा
फिरंगी
रामसहाय
(पृ० ४०६ में)
बुधु
(पृ० ४०६ में)

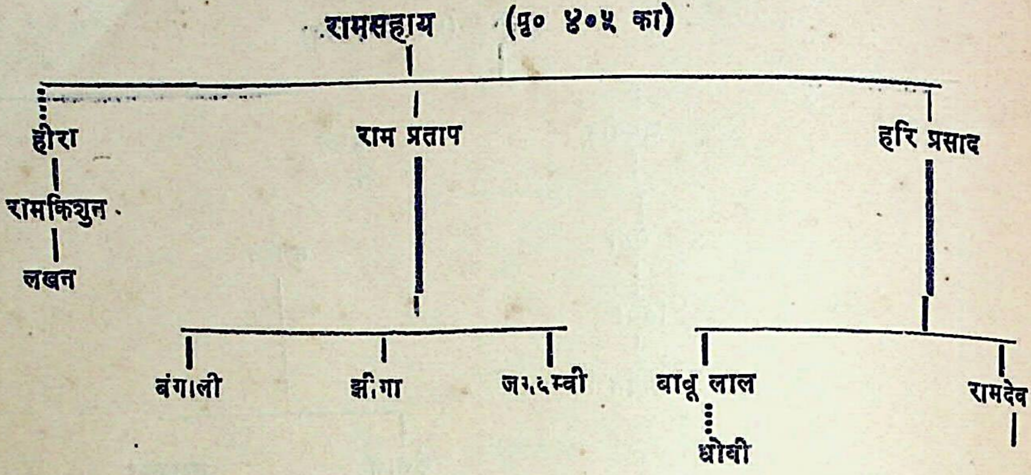
रामसहाय (पृ० ४०५ का)
हीरा
राम प्रताप
हरि प्रसाद
रामकिशुन
लखन
बंगाली
झींगा
जगदम्बी
बाबू लाल
धोबी
रामदेव

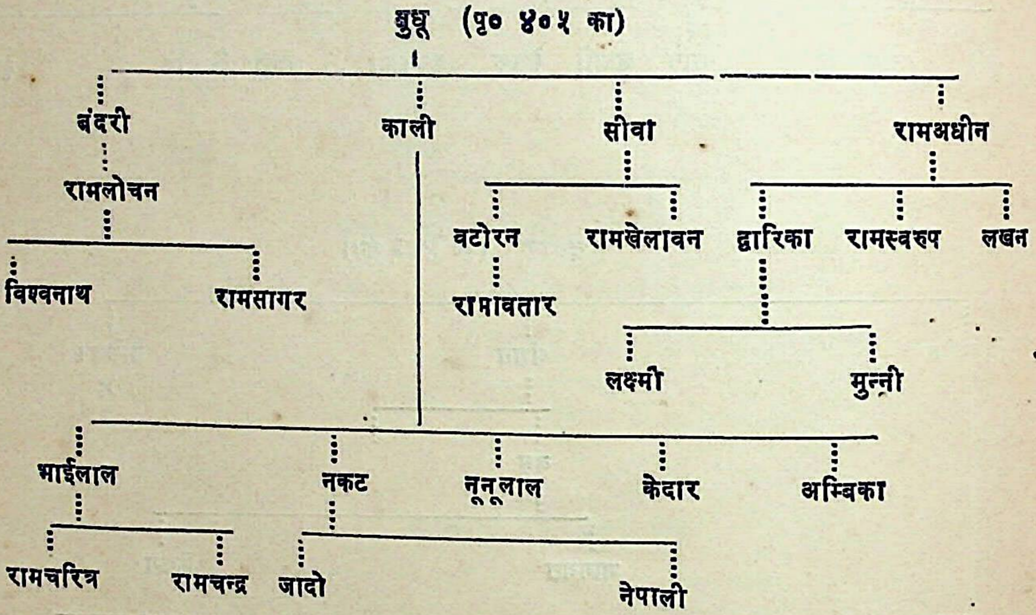
बुधू (पृ० ४०५ का)
बंदरी
काली
सीवा
रामअधीन
रामलोचन
वटोरन
रामखेलावन
द्वारिका
रामस्वरुप
लखन
विश्वनाथ
रामसागर
रामावतार
लक्ष्मी
मुन्नी
भाईलाल
नकट
नूनूलाल
केदार
अम्बिका
रामचरित्र
रामचन्द्र
जादो
नेपाली

॥ १० ॥

चौधरी रामसेन

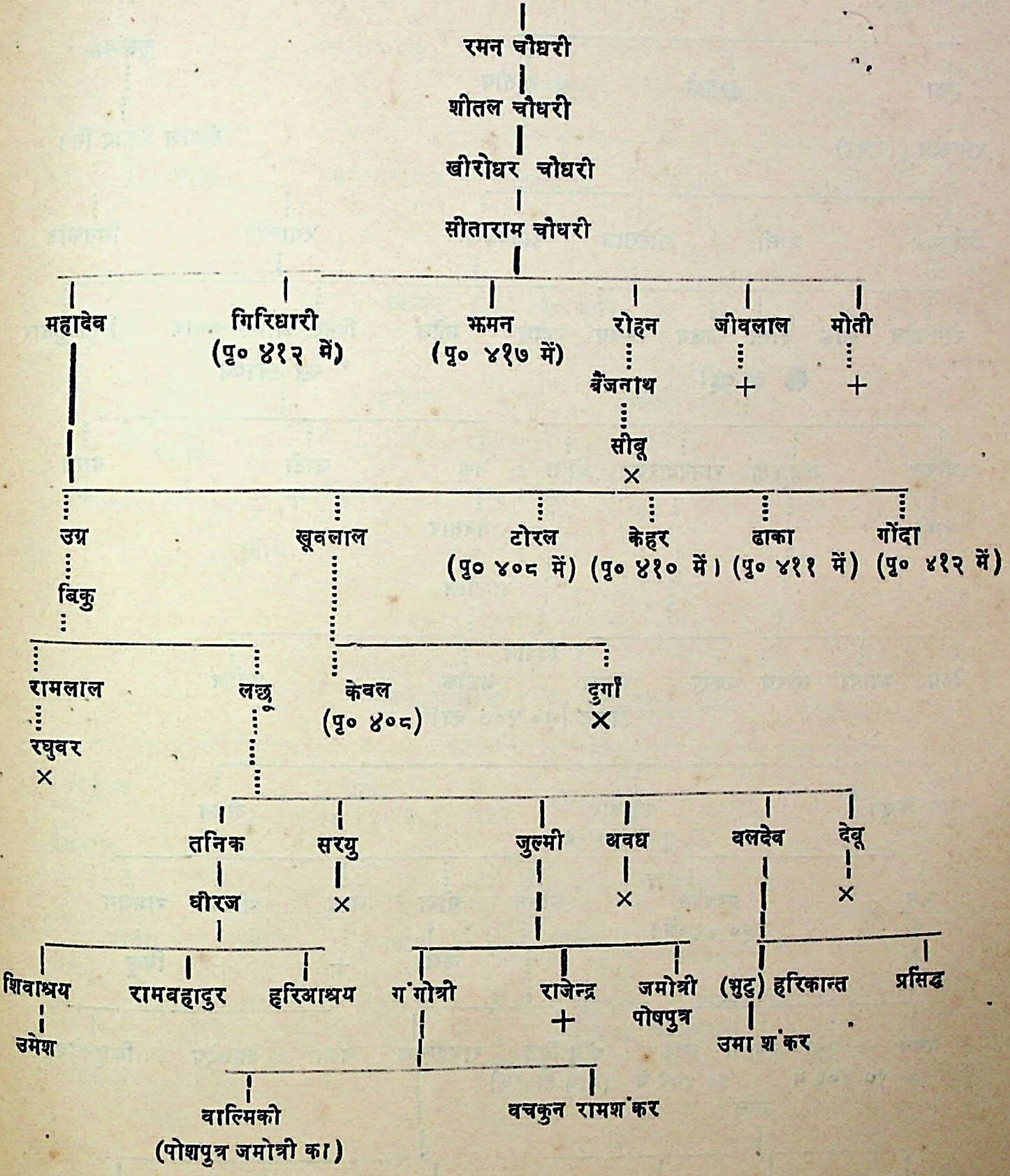
रमन चौधरी
शीतल चौधरी
खीरोधर चौधरी
सीताराम चौधरी
महादेव
गिरिधारी (पृ० ४१२ में)
झमन (पृ० ४१७ में)
रोहन
जीवलाल
मोती
बैंजनाथ
+
+
सीबू
×
उग्र
खूबलाल
टोरल (पृ० ४०८ में)
केहर (पृ० ४१० में)
ढाका (पृ० ४११ में)
गोंदा (पृ० ४१२ में)
बिकु
रामलाल
लछू
केवल (पृ० ४०८)
दुर्गा
×
रघुवर
×
तनिक
सरयु
जुल्मी
अवध
बलदेव
देवू
धीरज
×
×
×
शिवाश्रय
रामबहादुर
हरिआश्रय
गंगोत्री
राजेन्द्र
+
जमोत्री पोषपुत्र
(भुट्ट) हरिकान्त
प्रसिद्ध
उमेश
उमा शंकर
वाल्मिकी (पोशपुत्र जमोत्री का)
बचकुन रामशंकर

केवल (पृ० ४०७ का)

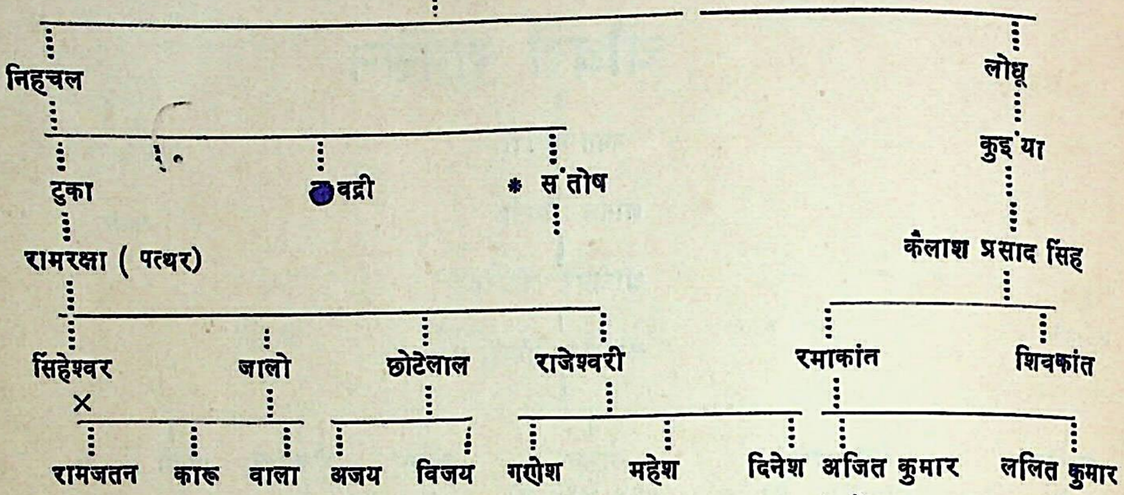
निहचल
लोधू
टुका
● वद्री
* संतोष
कुइंया
रामरक्षा (पत्थर)
कैलाश प्रसाद सिंह
सिंहेश्वर
×
जालो
छोटेलाल
राजेश्वरी
रमाकांत
शिवकांत
रामजतन
कारू
वाला
अजय
विजय
गणेश
महेश
दिनेश
अजित कुमार
ललित कुमार

● वद्री

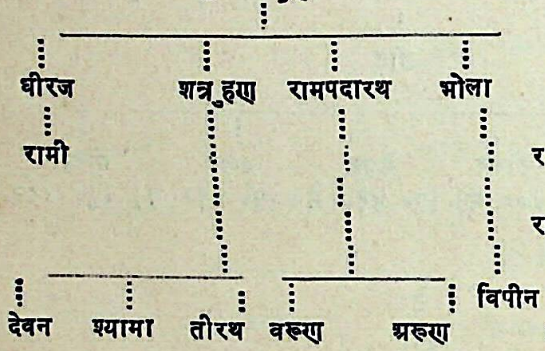
धीरज
रामी
शत्रुहण
रामपदारथ
भोला
देवन
श्यामा
तीरथ
वरूण
अरुण
विपीन

*** संतोष**

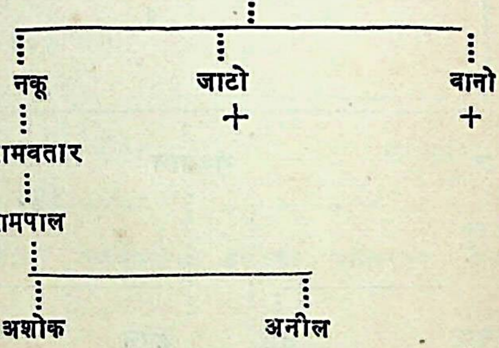
नकू
रामवतार
रामपाल
अशोक
अनील
जाटो
+
वानो
+

टोरल (पृ० ४०७ का)

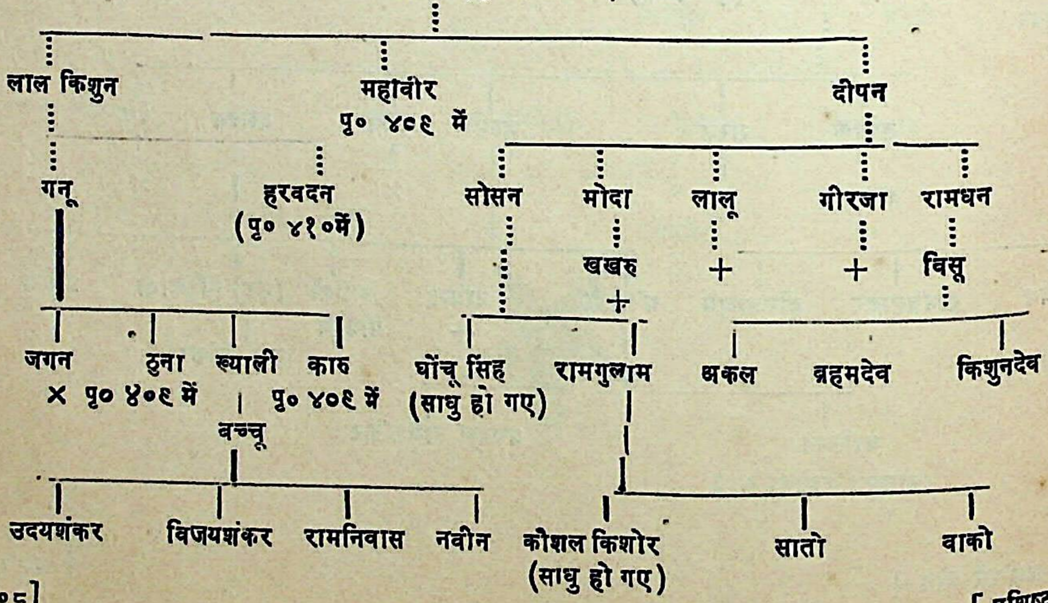
लाल किशुन
महावीर
पृ० ४०९ में
दीपन
गनू
हरवदन
(पृ० ४१०में)
सोसन
मोदा
लालू
गीरजा
रामधन
खखरु
+
+
+
विसू
जगन
× पृ० ४०९ में
ठुना
ख्याली
कारु
पृ० ४०९ में
वच्चू
घोंचू सिंह
(साधु हो गए)
रामगुलाम
अकल
ब्रहमदेव
किशुनदेव
उदयशंकर
विजयशंकर
रामनिवास
नवीन
कौशल किशोर
(साधु हो गए)
साती
वाको

डुन्ना (पृ० ४०८ का)

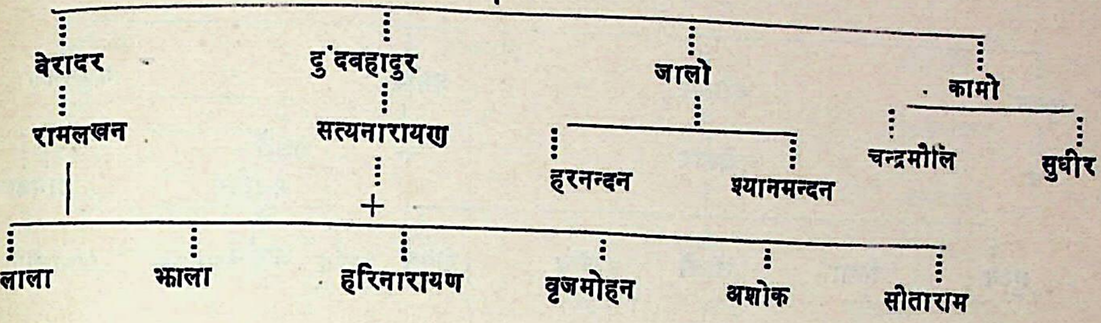
बेरादर
रामलखन
दुंदवहादुर
सत्यनारायण
+
जालो
हरनन्दन
श्यामनन्दन
कामो
चन्द्रमौलि
सुधीर
लाला
झाला
हरिनारायण
वृजमोहन
अशोक
सीताराम

कारू (पृ० ४०८ का)

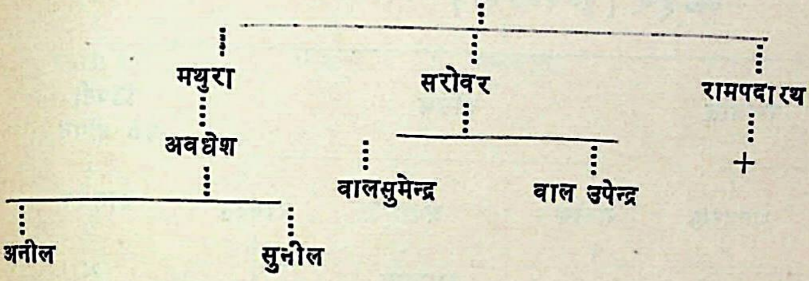
मथुरा
अवधेश
अनील
सुनील
सरोवर
बालसुमेन्द्र
बाल उपेन्द्र
रामपदारथ
+

महावीर (पृ० ४०८ का)

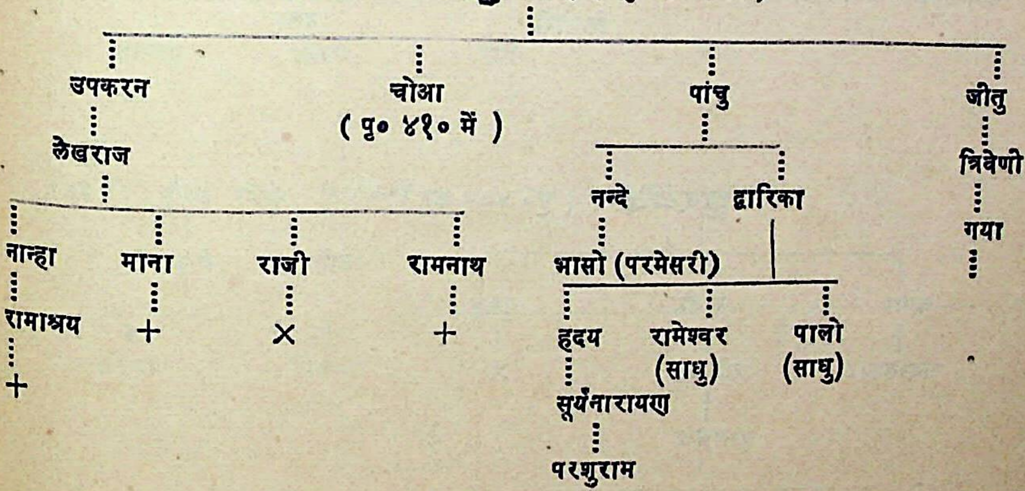
उपकरन
लेखराज
नान्हा
रामाश्रय
+
माना
+
राजी
×
रामनाथ
+
चोआ
(पृ० ४१० में)
पांचु
नन्दे
द्वारिका
भासो (परमेसरी)
हृदय
सूर्यनारायण
परशुराम
रामेश्वर
(साधु)
पालो
(साधु)
जीतु
त्रिवेणी
गया

चौआ (पृ० ४०९ का)

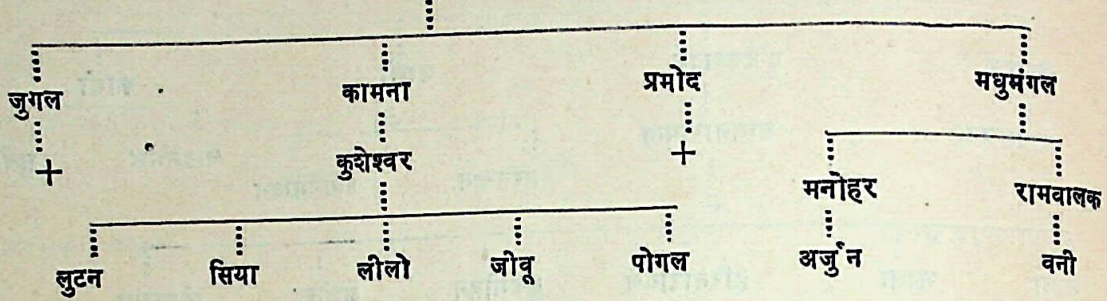
जुगल
+
कामना
कुशेश्वर
लुटन
सिया
लीलो
जीवू
पोगल
प्रमोद
+
मधुमंगल
मनोहर
अर्जुन
रामबालक
वनी

केहर (पृ० ४०७ का)

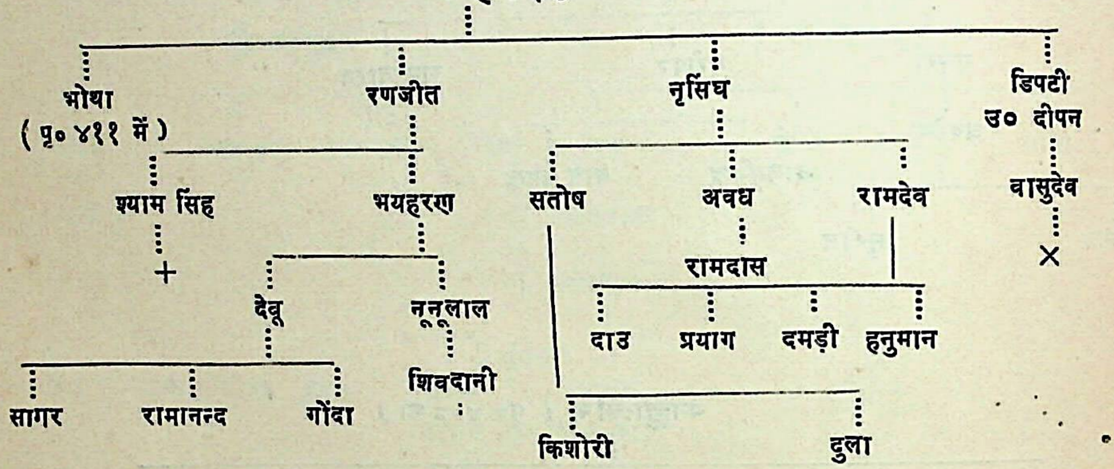
भोथा
(पृ० ४११ में)
श्याम सिंह
+
रणजीत
भयहरण
देवू
सागर
रामानन्द
गोंदा
नूनूलाल
शिवदानी
नृसिंघ
सतोष
किशोरी
दुला
अवध
रामदास
दाउ
प्रयाग
दमड़ी
हनुमान
रामदेव
डिपटी
उ० दीपन
वासुदेव
×

हरवद्धन (पृ० ४०८ का)

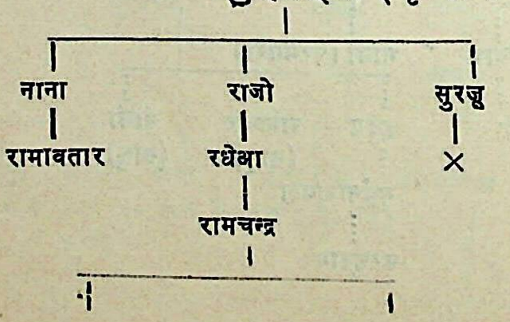
नाना
रामावतार
राजो
रधेआ
रामचन्द्र
सुरजू
×

भौथा (पृ० ४१० का)

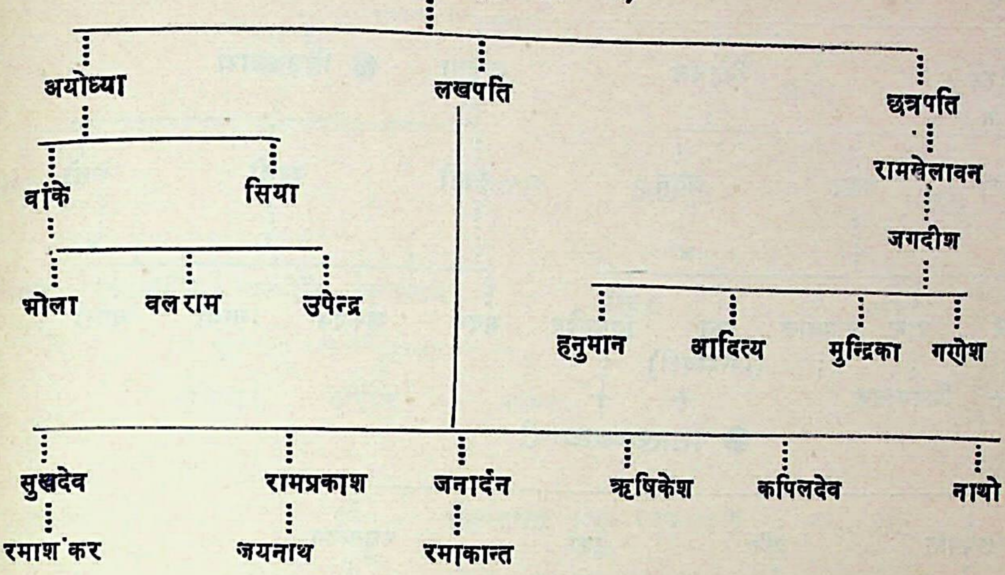
अयोध्या
लखपति
छत्रपति
बांके
सिया
रामखेलावन
जगदीश
भोला
वलराम
उपेन्द्र
हनुमान
आदित्य
मुन्द्रिका
गणेश
सुखदेव
रामप्रकाश
जनार्दन
ऋषिकेश
कपिलदेव
नाथो
रमाशंकर
जयनाथ
रमाकान्त

ढाक्का (पृ० ४०७ का)

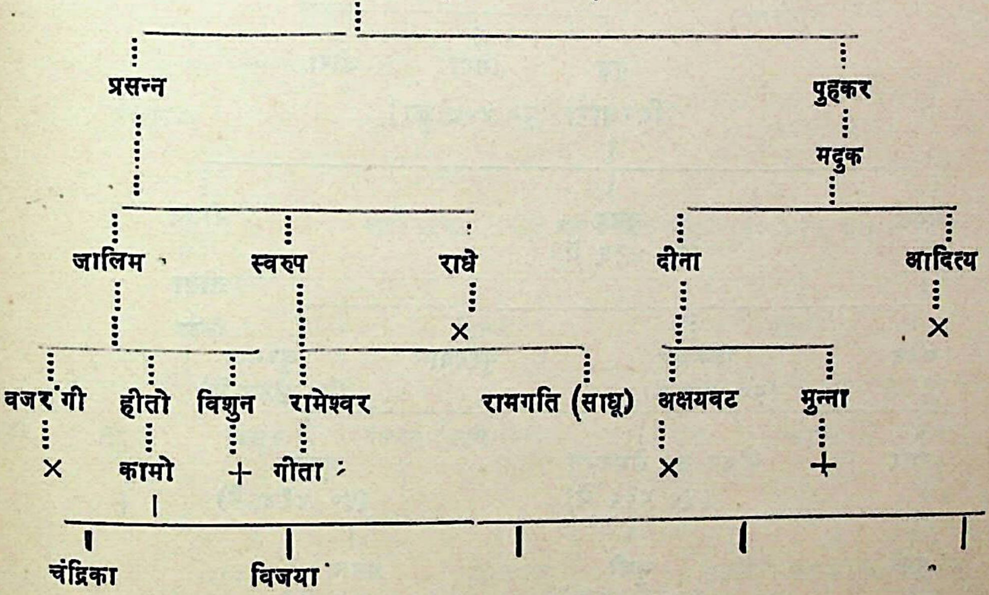
प्रसन्न
पुहकर
मदुक
जालिम
स्वरुप
राधे
दीना
आदित्य
×
×
वजरंगी
हीतो
विशुन
रामेश्वर
रामगति (साधू)
अक्षयवट
मुन्ना
×
कामो
+
गीता
×
+
चंद्रिका
विजया

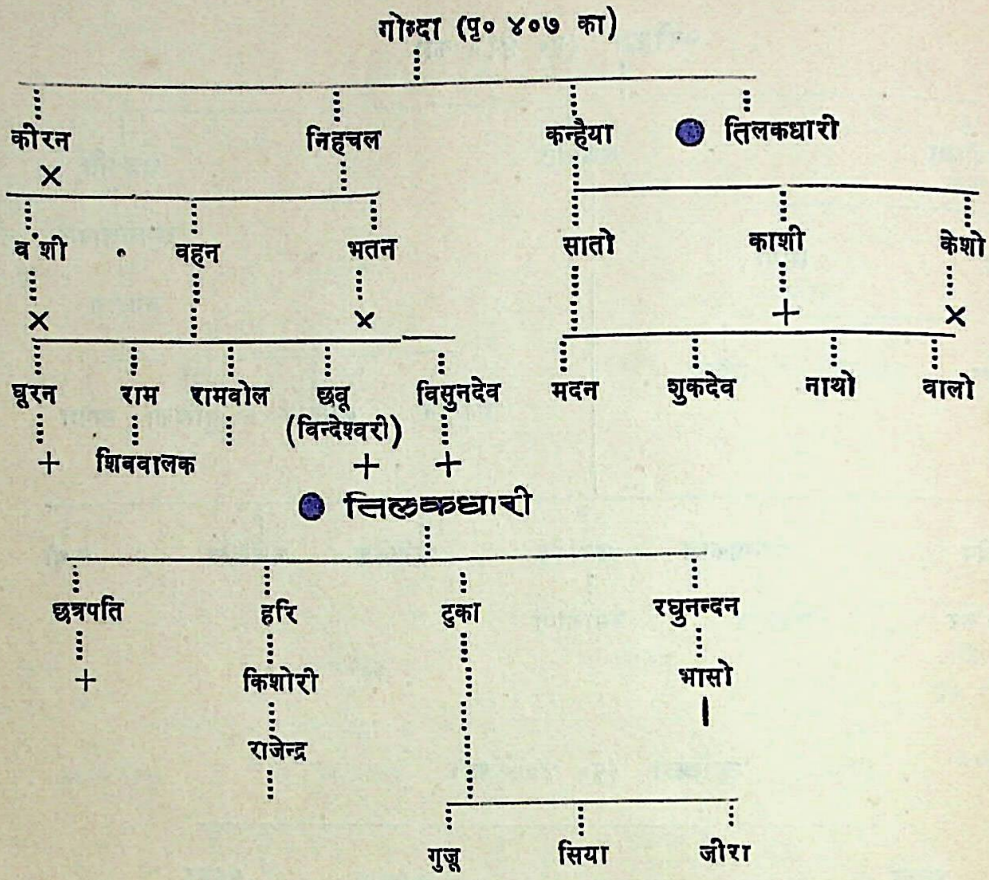
गोब्दा (पृ० ४०७ का)
कौरन
निहचल
कन्हैया
● तिलकधारी
×
वंशी
वहन
भतन
सातो
काशी
केशो
×
×
+
×
घुरन
राम
रामवोल
छवू (विन्देश्वरी)
विसुनदेव
मदन
शुकदेव
नाथो
वालो
+
शिववालक
+
+
● तिलकधारी
छत्रपति
हरि
टुका
रघुनन्दन
+
किशोरी
राजेन्द्र
भासो
गुजू
सिया
जीरा

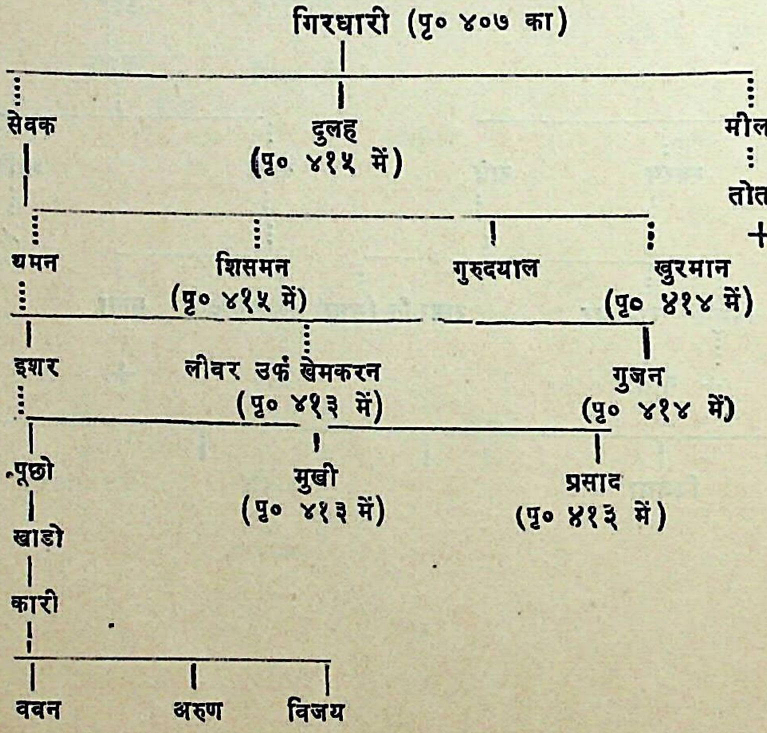
गिरधारी (पृ० ४०७ का)
सेवक
दुलह (पृ० ४१५ में)
मीलन
तोता
+
थमन
शिसमन (पृ० ४१५ में)
गुरुदयाल
खुरमान (पृ० ४१४ में)
इशर
लीवर उर्फ खेमकरन (पृ० ४१३ में)
गुजन (पृ० ४१४ में)
पूछो
मुखी (पृ० ४१३ में)
प्रसाद (पृ० ४१३ में)
खाडो
कारी
ववन
अरुण
विजय

मुखी (पृ० ४१२ का)

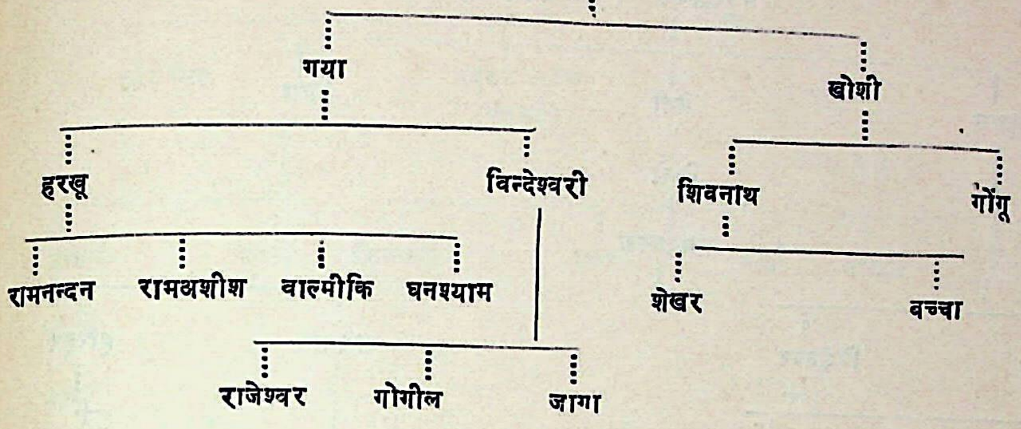
गया
खोशी
हरखू
विन्देश्वरी
शिवनाथ
गोंगू
रामनन्दन
रामअशीश
वाल्मीकि
घनश्याम
शेखर
बच्चा
राजेश्वर
गोगील
जागा

प्रसाद (पृ० ४१२ का)

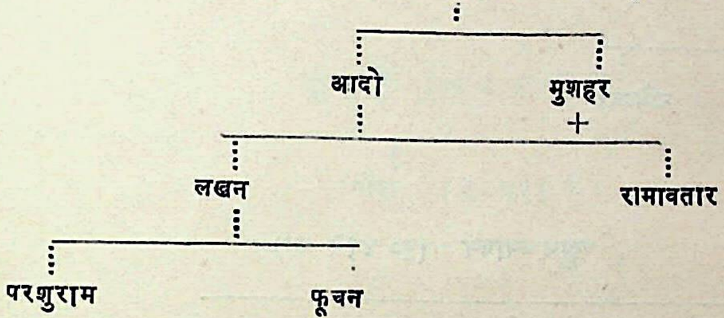
आदो
मुशहर
+
लखन
रामावतार
परशुराम
फूचन

लीवर उर्फ खेमकरन (पृ० ४१२ का)

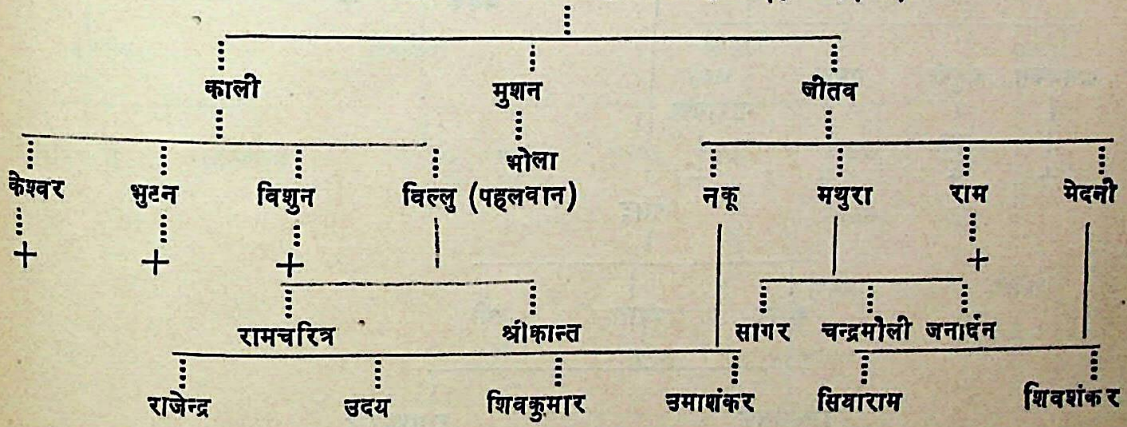
काली
मुशन
जीतव
भोला
केश्वर
भुटन
विशुन
विल्लु (पहलवान)
नकू
मथुरा
राम
मेदनी
+
+
+
+
रामचरित्र
श्रीकान्त
सागर
चन्द्रमौली
जनार्दन
राजेन्द्र
उदय
शिवकुमार
उमाशंकर
सियाराम
शिवशंकर

गुजन्न (पृ० ४१२ का)

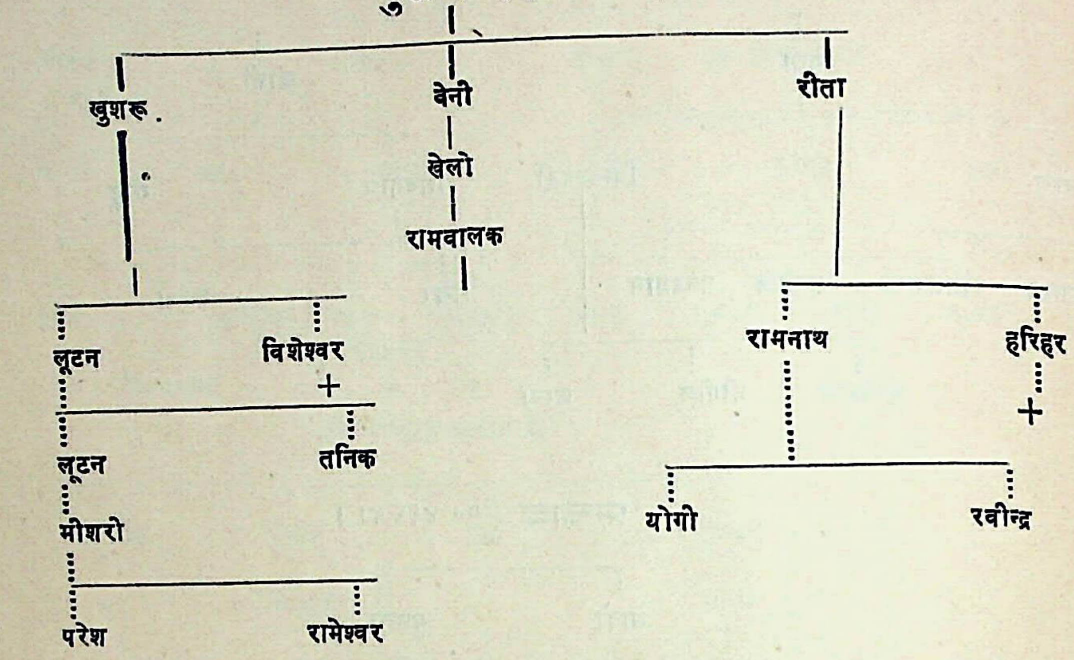
खुशरू
बेनी
रीता
खेलो
रामवालक
लूटन
विशेश्वर
+
रामनाथ
हरिहर
+
लूटन
तनिक
योगी
रवीन्द्र
मोशरो
परेश
रामेश्वर

खूरमान्न (पृ० ४१२ का)

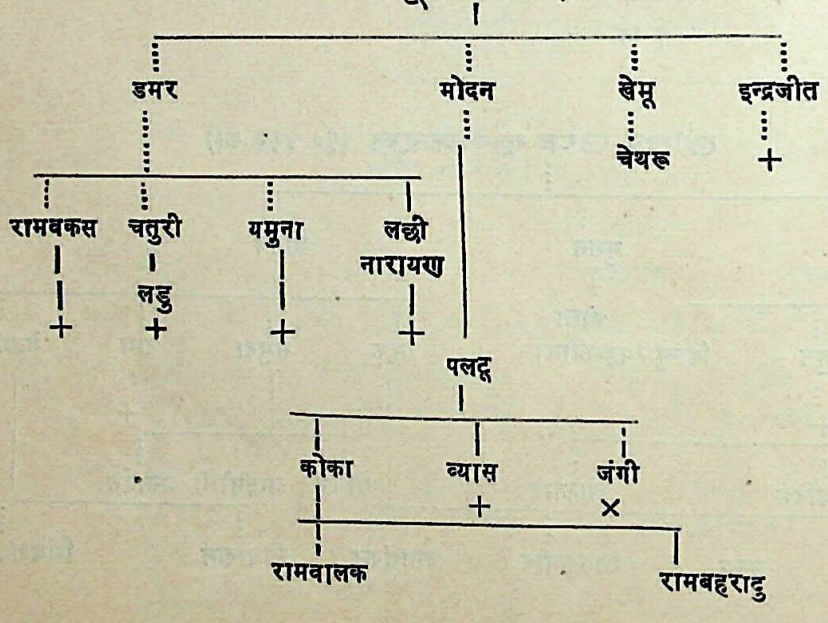
डमर
मोदन
खेमू
इन्द्रजीत
चेथरू
+
रामवकस
चतुरी
यमुना
लछ्मी नारायण
लड्डु
+
+
+
+
पलट्टू
कोका
व्यास
जंगी
+
×
रामवालक
रामबहरादु

शिसभन्न (पृ० ४१२ का)

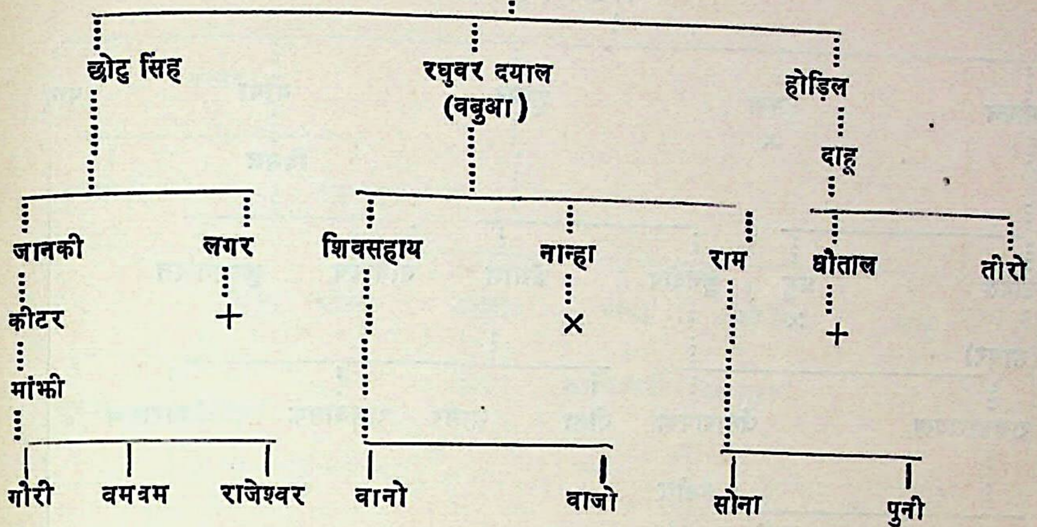
छोटु सिंह
रघुवर दयाल (वबुआ)
होड़िल
दाहू
जानकी
लगर
+
शिवसहाय
नान्हा
×
राम
घौताल
तीरो
+
कीटर
मांझी
गौरी
वमत्रम
राजेश्वर
वानो
वाजो
सोना
पुनी

दूलह (पृ० ४१२ का)

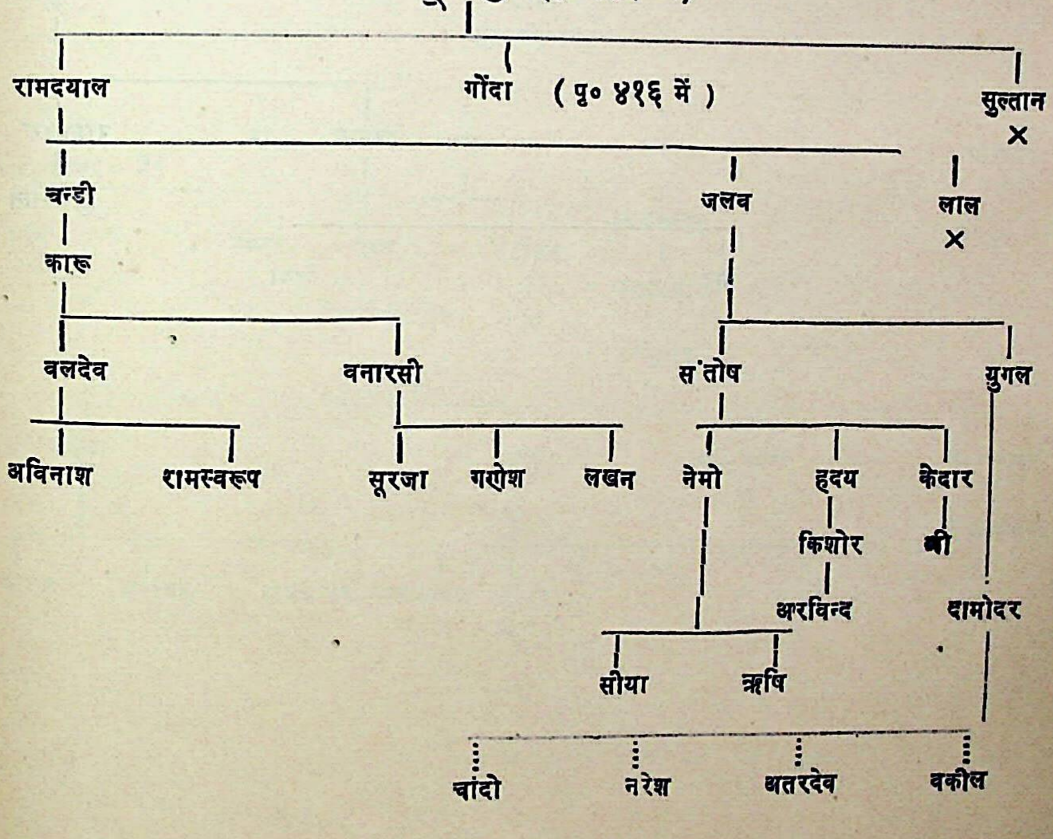
रामदयाल
गोंदा (पृ० ४१६ में)
सुल्तान
×
चन्डी
जलव
लाल
×
कारू
वलदेव
वनारसी
संतोष
युगल
अविनाश
रामस्वरूप
सूरजा
गणेश
लखन
नेमो
हृदय
केदार
किशोर
श्री
अरविन्द
दामोदर
सीया
ऋषि
चांदो
नरेश
अतरदेव
वकील

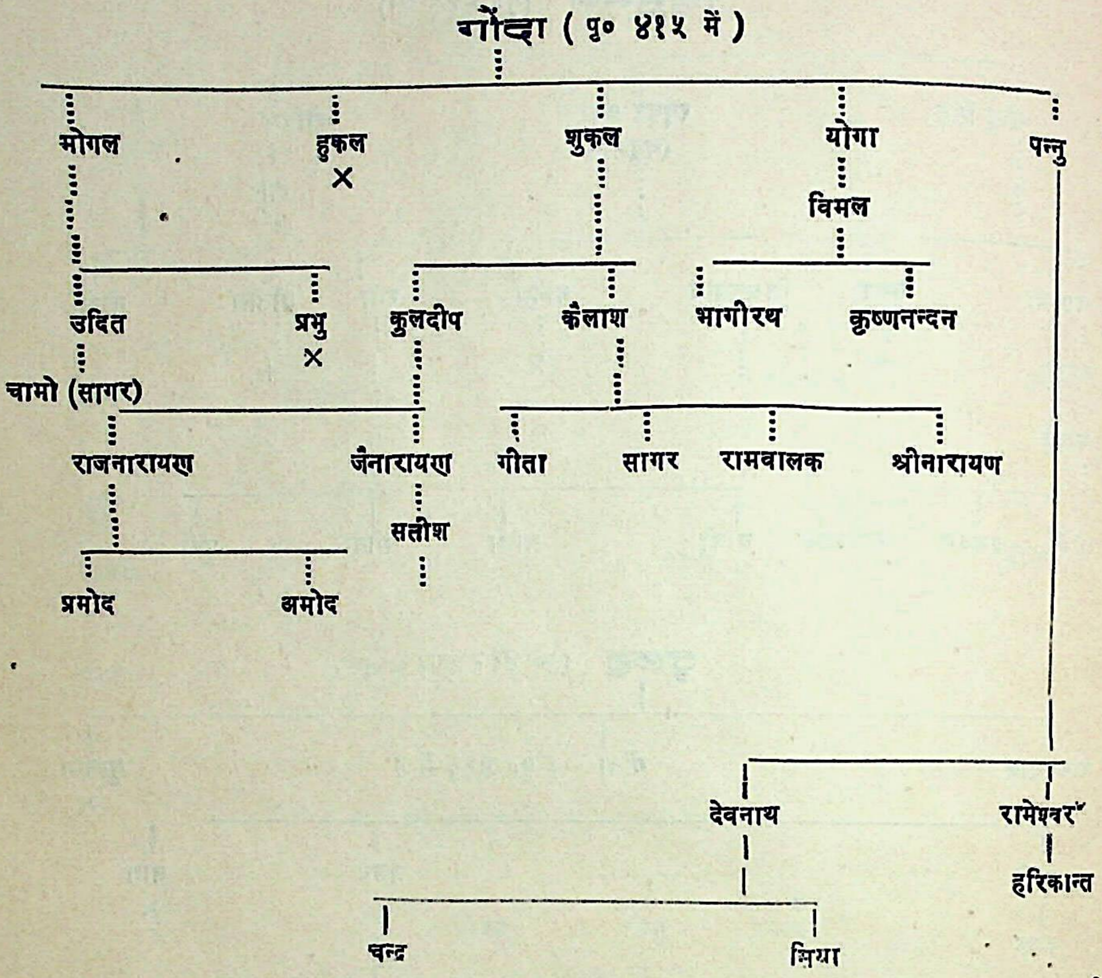
वौंद्वा (पृ० ४१५ में)
मोगल
हुकल
×
शुकल
योगा
पन्नु
विमल
उदित
प्रभु
×
कुलदीप
कैलाश
भागीरथ
कृष्णनन्दन
चामो (सागर)
राजनारायण
जैनारायण
गीता
सागर
रामबालक
श्रीनारायण
सतीश
प्रमोद
अमोद
देवनाथ
रामेश्वर
हरिकान्त
चन्द्र
प्रिया

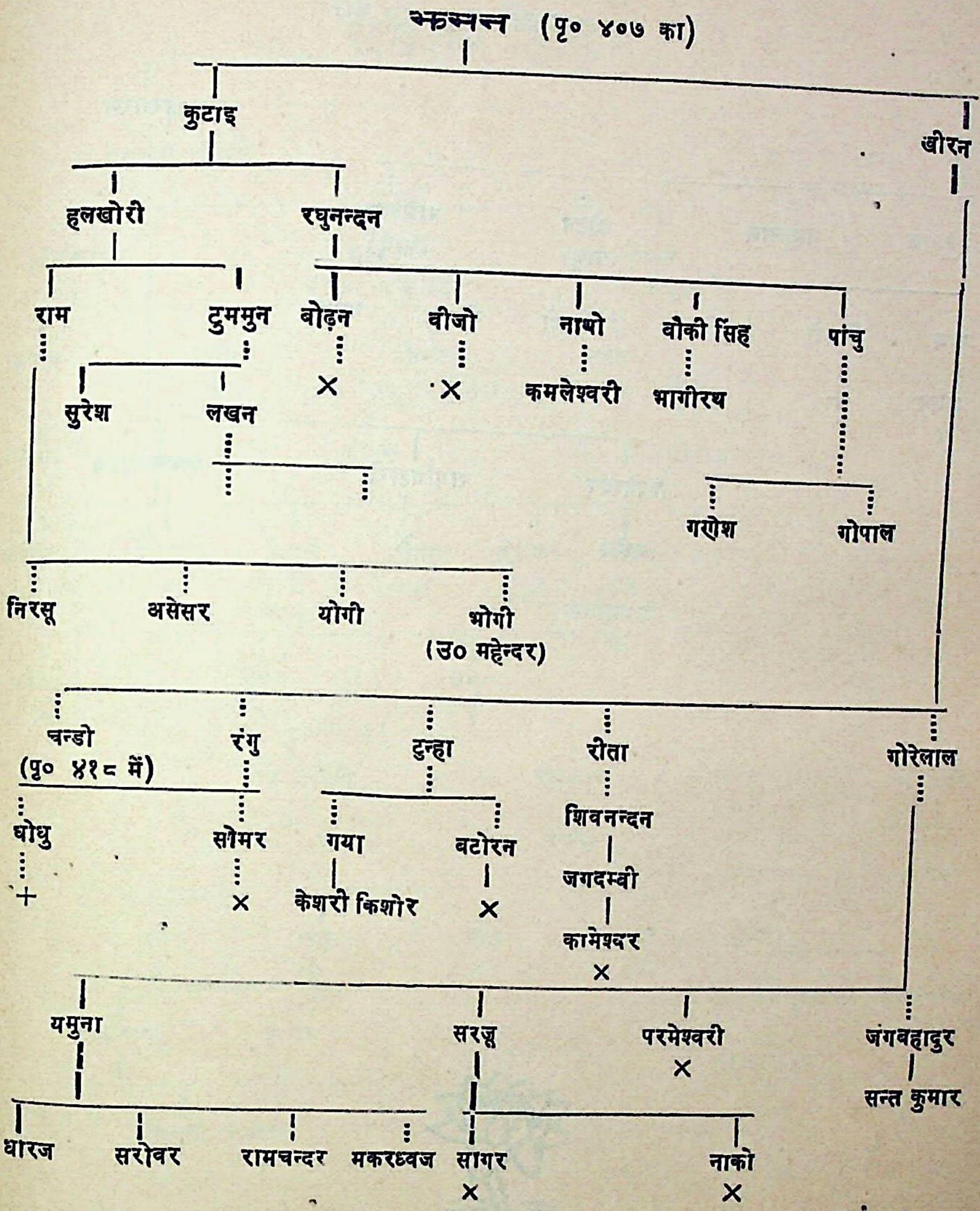
झकमन्न (पृ० ४०७ का)
कुटाइ
खीरन
हुलखोरी
रघुनन्दन
राम
टुममुन
बोढ़न
बीजो
नाथो
बौकी सिंह
पांचु
सुरेश
लखन
×
×
कमलेश्वरी
भागीरथ
गणेश
गोपाल
निरसू
असेसर
योगी
भोगी
(उ० महेन्दर)
चन्डो
(पृ० ४१८ में)
रंगु
टुन्हा
रीता
गोरेलाल
घोघु
+
सोमर
×
गया
केशरी किशोर
बटोरन
×
शिवनन्दन
जगदम्बी
कामेश्वर
×
यमुना
सरजू
परमेश्वरी
×
जंगबहादुर
सन्त कुमार
धारज
सरोवर
रामचन्दर
मकरध्वज
सागर
×
नाको
×

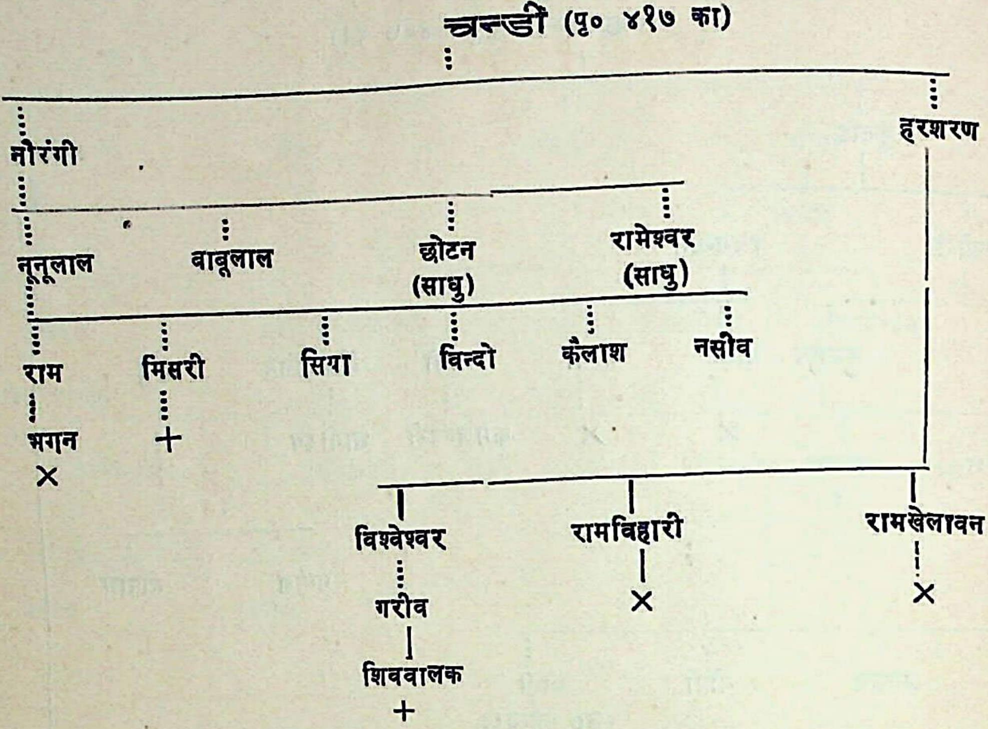
चन्डीं (पृ० ४१७ का)
नौरंगी
हरशरण
नूनूलाल
वावूलाल
छोटन (साधु)
रामेश्वर (साधु)
राम
मिसरी
सिगा
विन्दो
कैलाश
नसीव
भगन
×
+
विश्वेश्वर
रामविहारी
रामखेलावन
गरीव
×
×
शिववालक
+

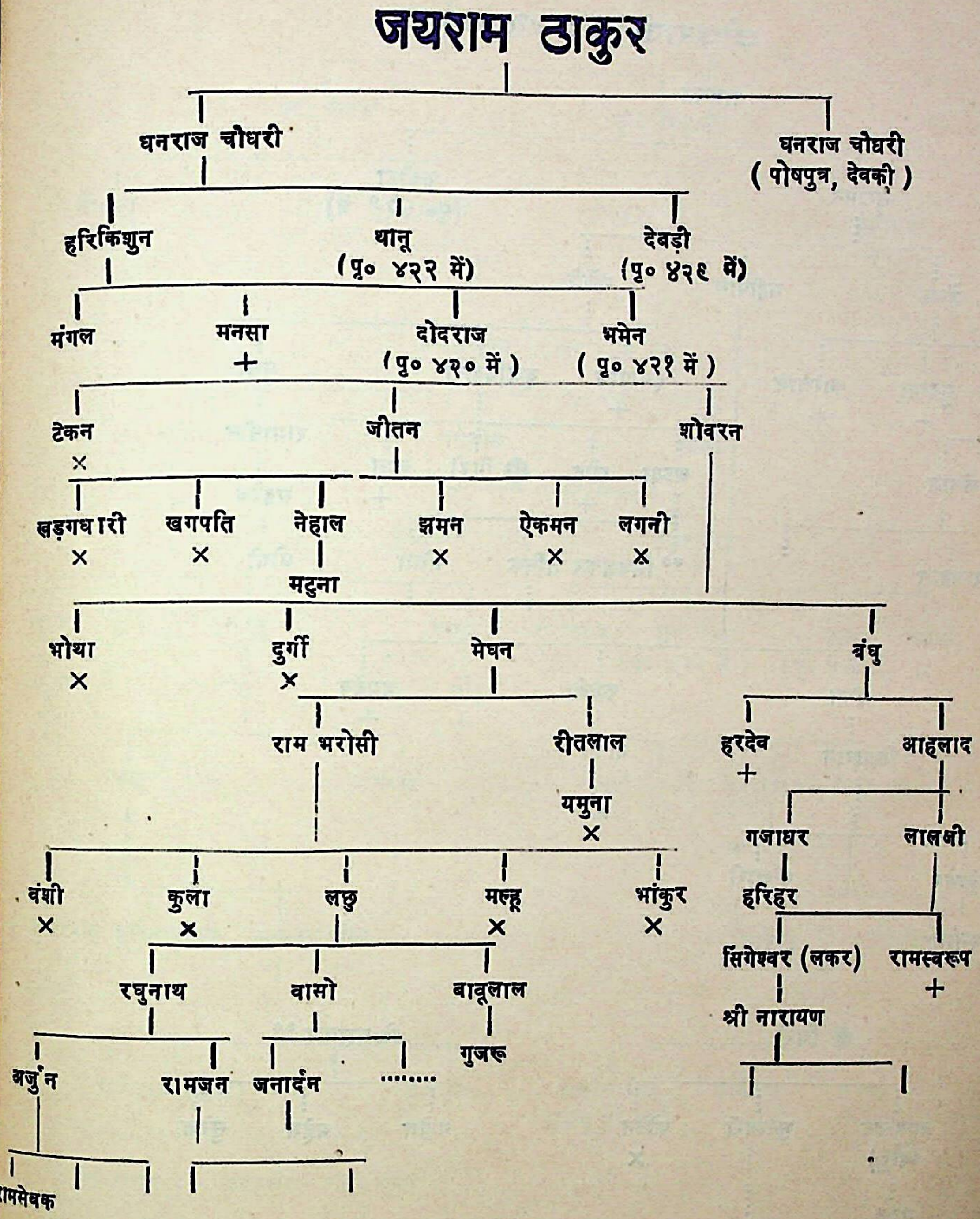
जयराम ठाकुर
धनराज चौधरी
धनराज चौधरी
(पोषपुत्र, देवकी)
हरिकिशुन
थानू
(पृ० ४२२ में)
देवड़ी
(पृ० ४२९ में)
मंगल
मनसा
+
दोदराज
(पृ० ४२० में)
भमेन
(पृ० ४२१ में)
टेकन
×
जीतन
शोवरन
खड़गधारी
×
खगपति
×
नेहाल
मटुना
झमन
×
ऐकमन
×
लगनी
×
भोथा
×
दुर्गी
×
मेघन
बंधु
राम भरोसी
रीतलाल
यमुना
×
हरदेव
+
आह्लाद
गजाधर
लालजी
वंशी
×
कुला
×
लछु
मल्हू
×
भांकुर
×
हरिहर
सिंगेश्वर (लकर)
रामस्वरूप
+
रघुनाथ
वासो
बाबूलाल
श्री नारायण
अर्जुन
रामजन
जनार्दन
....
गुजरू
ामसेवक

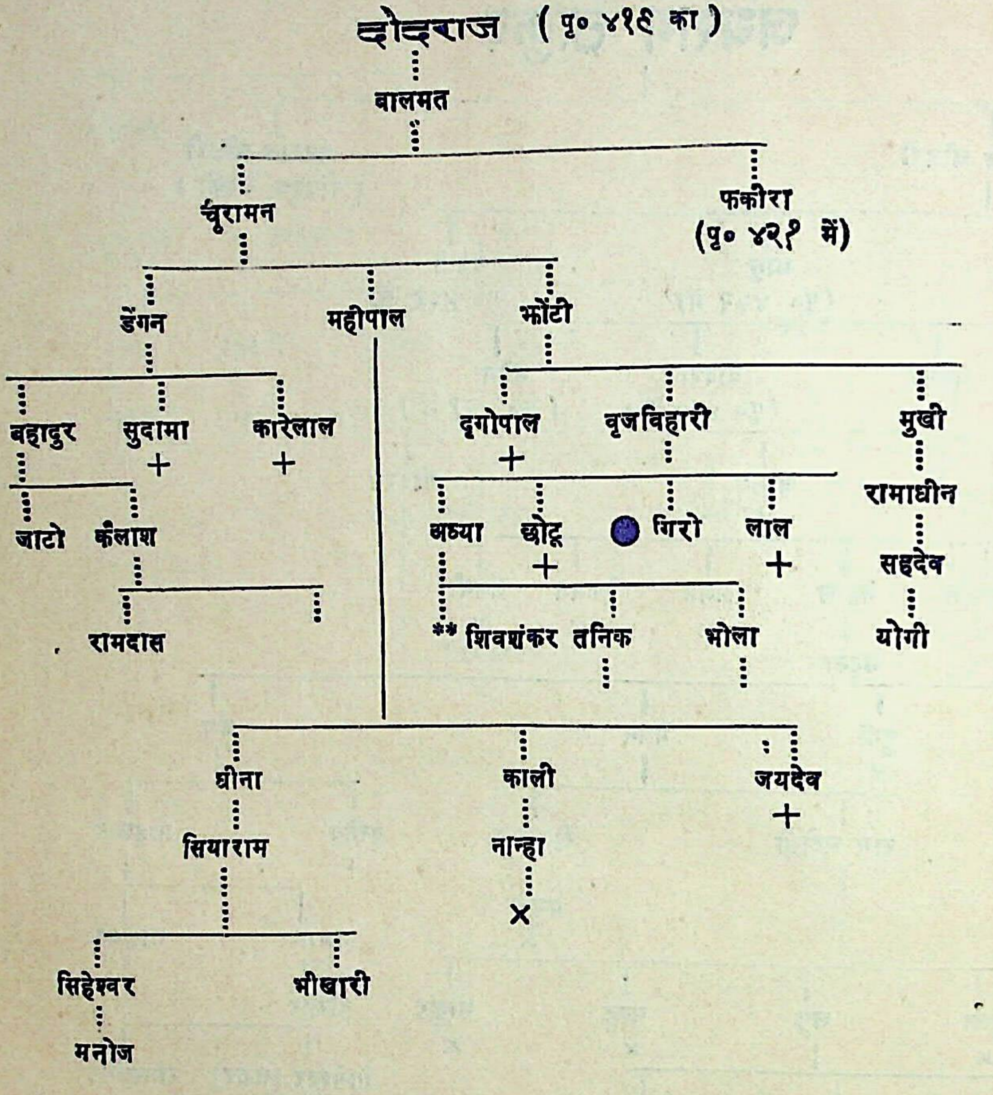
छोटूराज (पृ० ४१९ का)
बालमत
चूरामन
फकीरा
(पृ० ४२१ में)
डेंगन
महीपाल
झोंटी
बहादुर
सुदामा
+
कारेलाल
+
दृगोपाल
+
वृजविहारी
मुखी
रामाधीन
सहदेव
योगी
जाटो
कैलाश
रामदास
बच्चा
छोटू
● गिरो
लाल
+
+
** शिवशंकर
तनिक
भोला
धीना
सियाराम
सिद्देश्वर
मनोज
भीखारी
काली
नान्हा
×
जयदेव
+

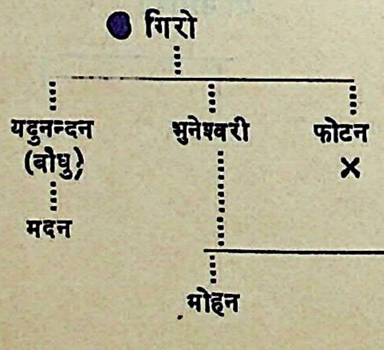
● गिरो
यदुनन्दन
(बोधु)
मदन
भुनेश्वरी
मोहन
रमेश
फोटन
×

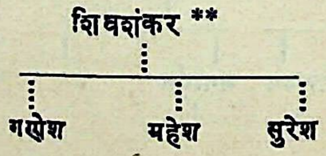
शिवशंकर **
गणेश
महेश
सुरेश

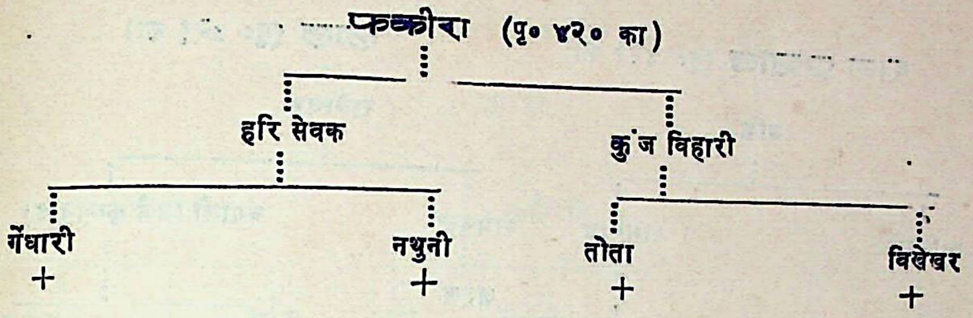
फक्कीरा (पृ० ४२० का)
हरि सेवक
कुंज विहारी
गेंधारी
+
नथुनी
+
तोता
+
विसेखर
+

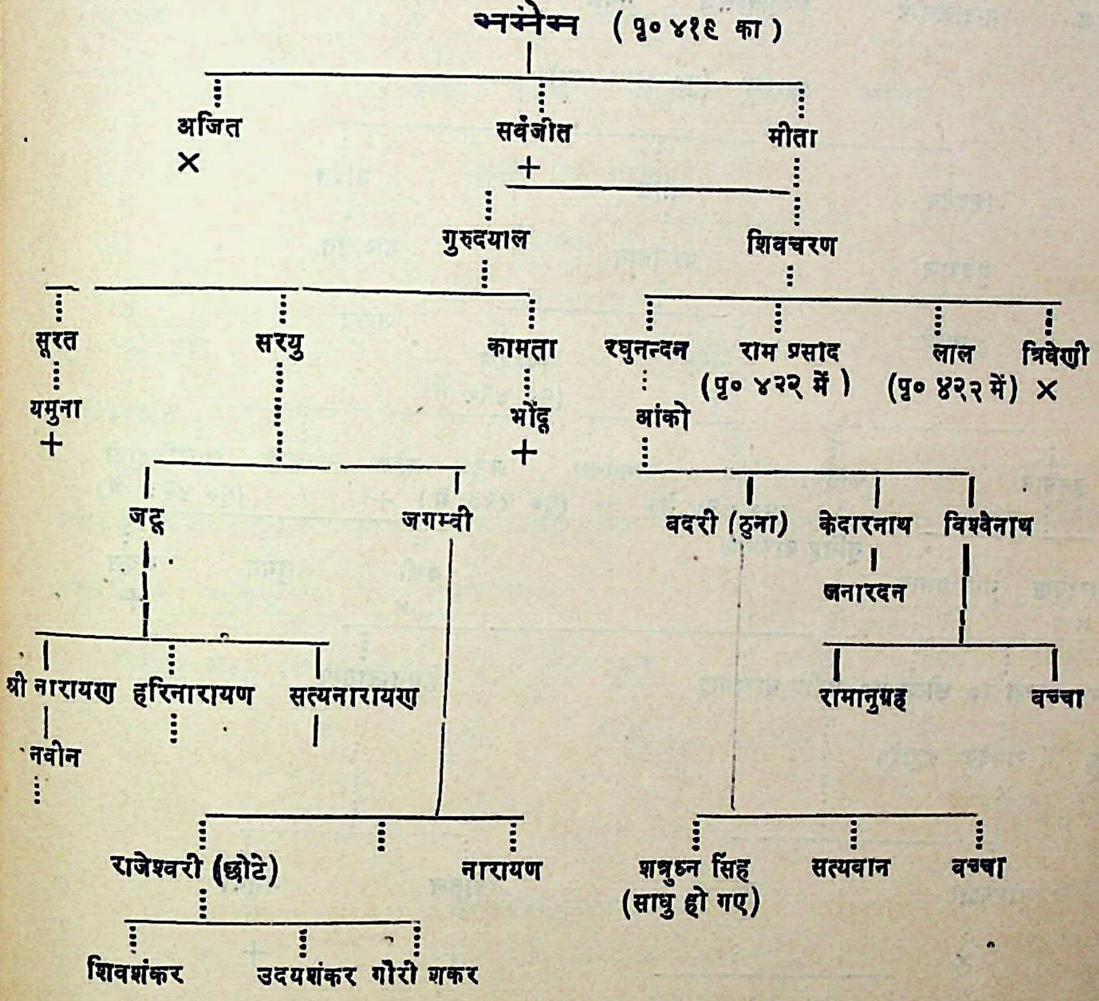
भसेम्म (पृ० ४१६ का)
अजित
×
सर्वजीत
+
मीता
गुरुदयाल
शिवचरण
सूरत
यमुना
+
सरयु
कामता
भोंदू
+
रघुनन्दन
आंको
राम प्रसाद
(पृ० ४२२ में)
लाल
(पृ० ४२२ में)
त्रिवेणी
×
जट्टू
जगम्वी
बदरी (ठुना)
केदारनाथ
जनारदन
विश्वेनाथ
श्री नारायण
नवीन
हरिनारायण
सत्यनारायण
रामानुग्रह
बच्चा
राजेश्वरी (छोटे)
नारायण
शत्रुघ्न सिंह
(साधु हो गए)
सत्यवान
बच्चा
शिवशंकर
उदयशंकर
गौरी शकर

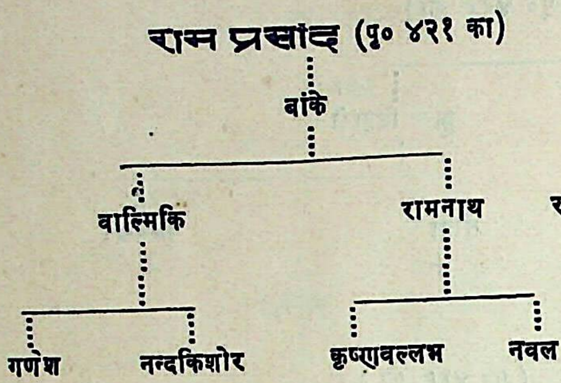
राम प्रसाद (पृ० ४२१ का)
बांके
वाल्मिकि
रामनाथ
गणेश
नन्दकिशोर
कृष्णवल्लभ
नवल

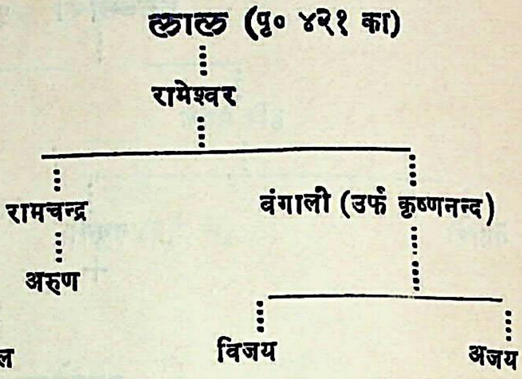
लाल (पृ० ४२१ का)
रामेश्वर
रामचन्द्र
वंगाली (उर्फ कृष्णनन्द)
अरुण
विजय
अजय

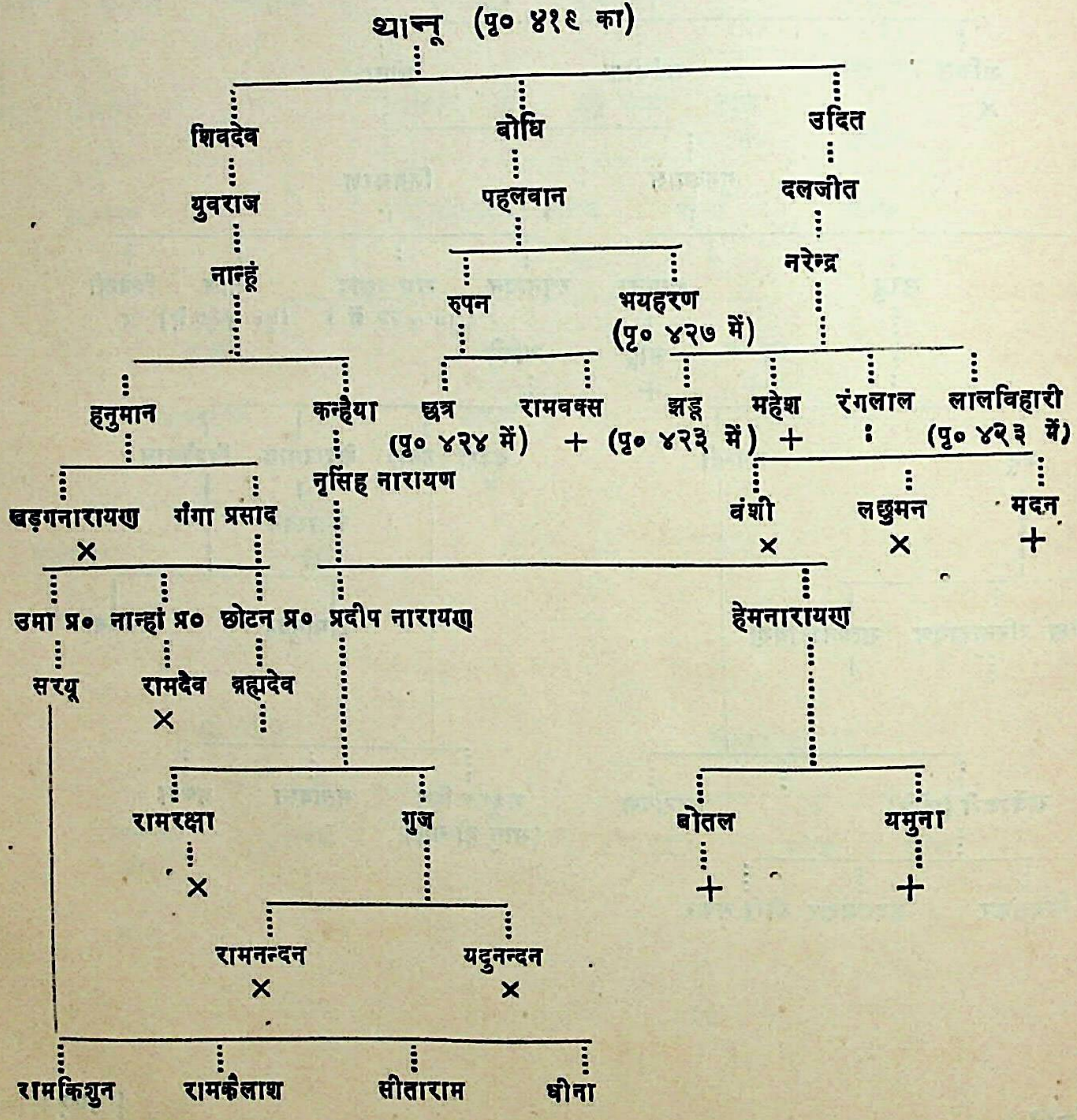
थान्नू (पृ० ४१९ का)
शिवदेव
बोधि
उदित
युवराज
पहलवान
दलजीत
नान्हूं
रुपन
भयहरण (पृ० ४२७ में)
नरेन्द्र
हनुमान
कन्हैया
छत्र (पृ० ४२४ में)
रामवक्स +
झड्डू (पृ० ४२३ में)
महेश +
रंगलाल
लालविहारी (पृ० ४२३ में)
नृसिंह नारायण
खड़गनारायण ×
गंगा प्रसाद
वंशी ×
लछुमन ×
मदन +
उमा प्र०
नान्हां प्र०
छोटन प्र०
प्रदीप नारायण
हेमनारायण
सरयू
रामदेव ×
ब्रह्मदेव
रामरक्षा ×
गुज
बोतल +
यमुना +
रामनन्दन ×
यदुनन्दन ×
रामकिशुन
रामकैलाश
सीताराम
धीना

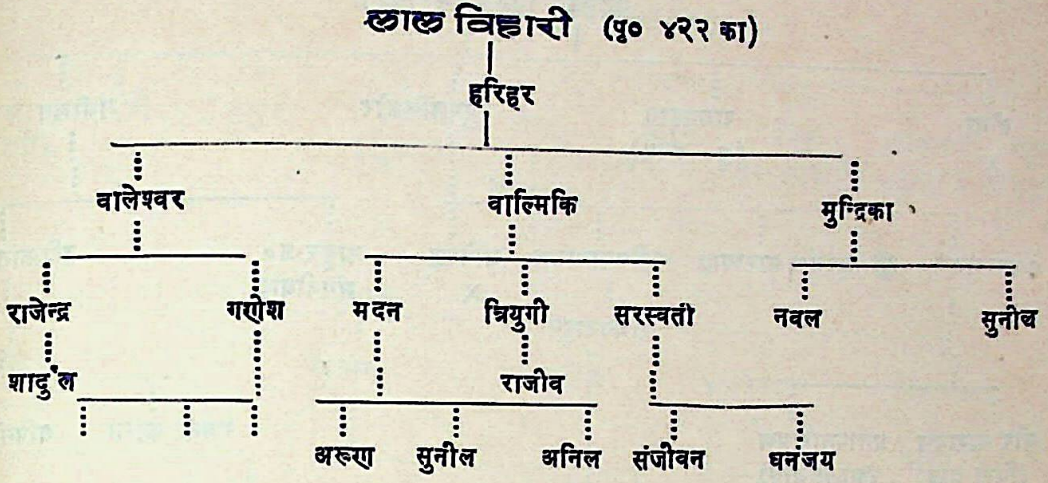
लालबिहारी (पृ० ४२२ का)
हरिहर
वालेश्वर
वाल्मिकि
मुन्द्रिका
राजेन्द्र
गणेश
मदन
त्रियुगी
सरस्वती
नवल
सुनीव
शादु'ल
राजीव
अरुण
सुनील
अनिल
संजीवन
धनंजय

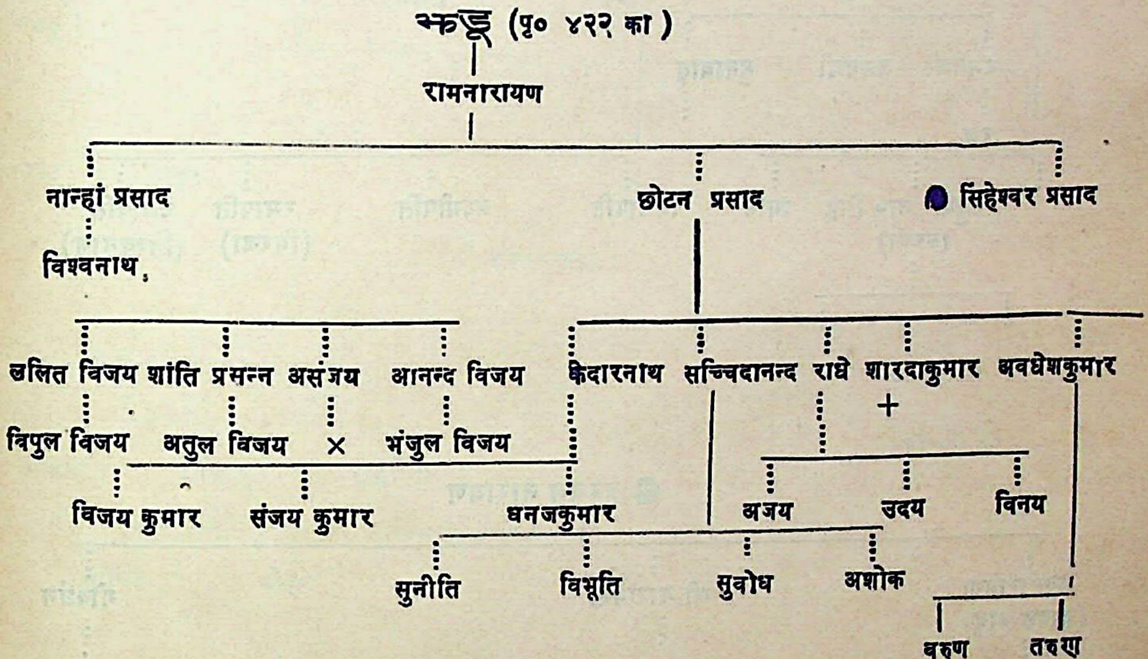
झड्डू (पृ० ४२२ का)
रामनारायण
नान्हां प्रसाद
छोटन प्रसाद
● सिंहेश्वर प्रसाद
विश्वनाथ,
ललित विजय
शांति प्रसन्न
असंजय
आनन्द विजय
केदारनाथ
सच्चिदानन्द
राधे
शारदाकुमार
अवधेशकुमार
+
विपुल विजय
अतुल विजय
×
भंजुल विजय
विजय कुमार
संजय कुमार
धनजकुमार
अजय
उदय
विनय
सुनीति
विभूति
सुबोध
अशोक
वरुण
तरुण

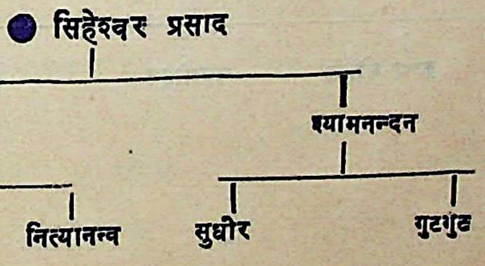
● सिंहेश्वर प्रसाद
मधुसूदन
श्यामनन्दन
वालानन्द
नित्यानन्द
सुधीर
गुटगुट

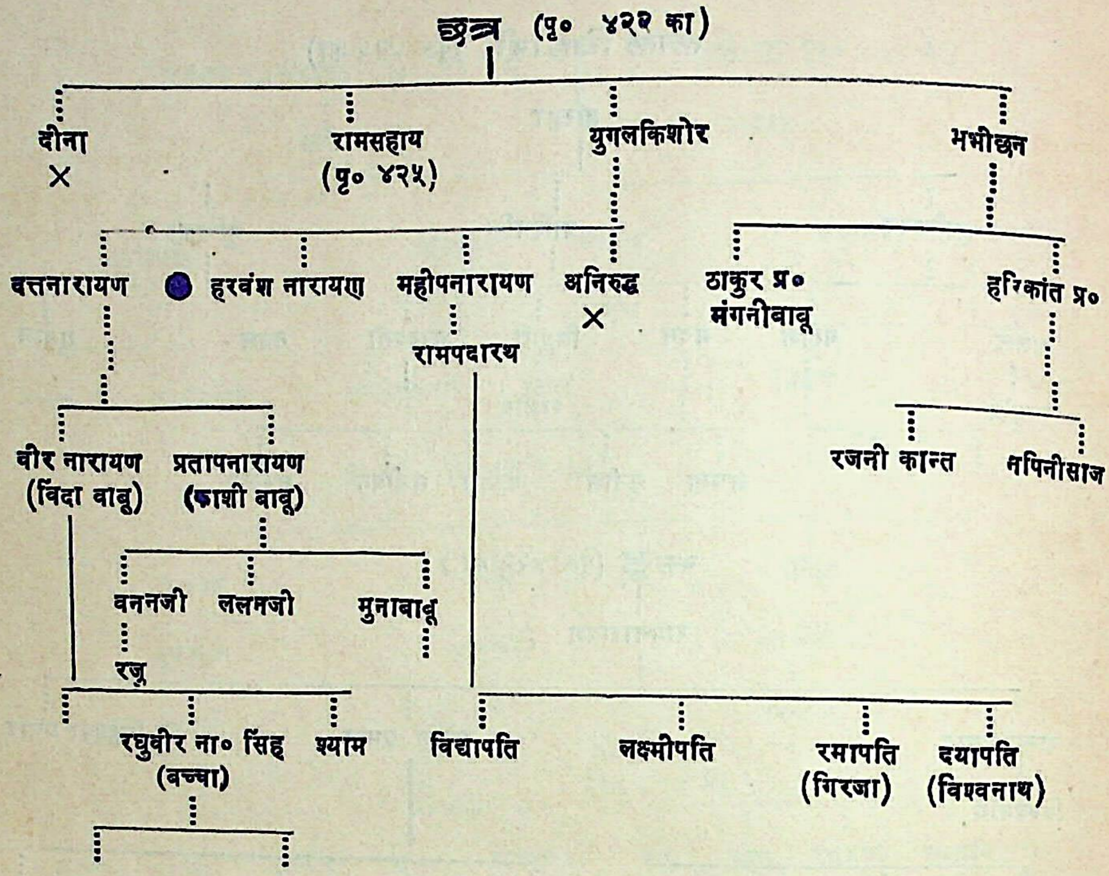
छत्र (पृ० ४२२ का)
दीना
×
रामसहाय
(पृ० ४२५)
युगलकिशोर
भभीछन
वत्तनारायण
● हरवंश नारायण
महीपनारायण
अनिरुद्ध
×
ठाकुर प्र०
मंगनीबाबू
हरिकांत प्र०
रामपदारथ
वीर नारायण
(विंदा बाबू)
प्रतापनारायण
(काशी बाबू)
रजनी कान्त
नपिनीसाज
वननजी
ललनजी
मुनाबाबू
रजू
रघुवीर ना० सिंह
(बच्चा)
श्याम
विद्यापति
लक्ष्मीपति
रमापति
(गिरजा)
दयापति
(विश्वनाथ)

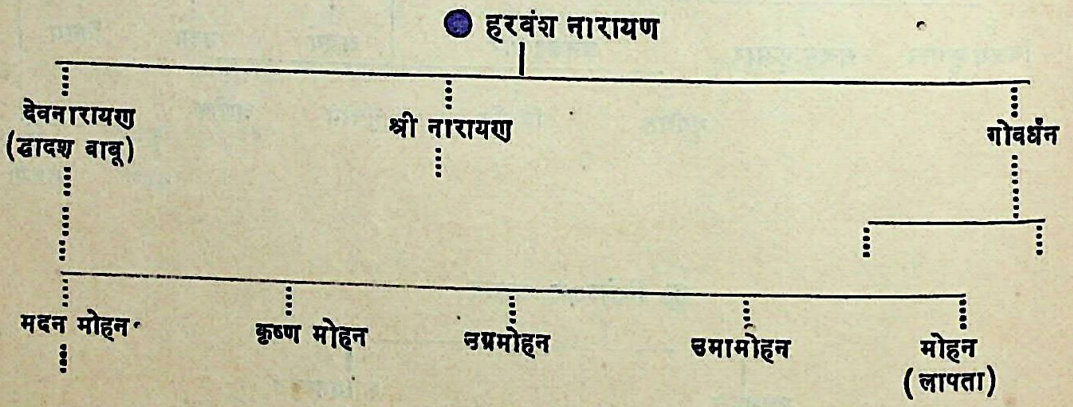
● हरवंश नारायण
देवनारायण
(द्वादश बाबू)
श्री नारायण
गोवर्धन
मदन मोहन
कृष्ण मोहन
नम्रमोहन
उमामोहन
मोहन
(लापता)

राम सहाय (पृ० ४२४ का)

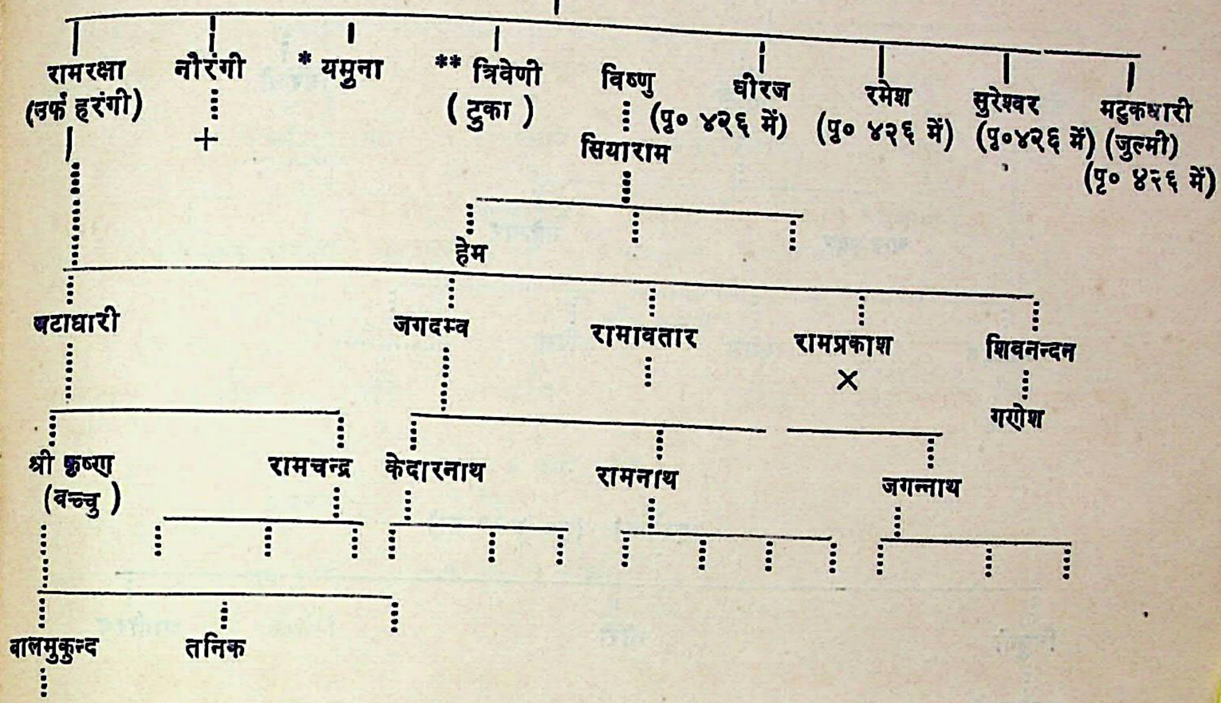
रामरक्षा (उर्फ हरंगी)
नौरंगी
+
* यमुना
** त्रिवेणी (टुका)
विष्णु
सियाराम
धीरज (पृ० ४२६ में)
रमेश (पृ० ४२६ में)
सुरेश्वर (पृ०४२६ में)
मटुकधारी (जुल्मी) (पृ० ४२६ में)
हेम
जटाधारी
जगदम्ब
रामावतार
रामप्रकाश
×
शिवनन्दन
गणेश
श्री कृष्ण (बच्चु)
रामचन्द्र
केदारनाथ
रामनाथ
जगन्नाथ
बालमुकुन्द
तनिक

* यमुना

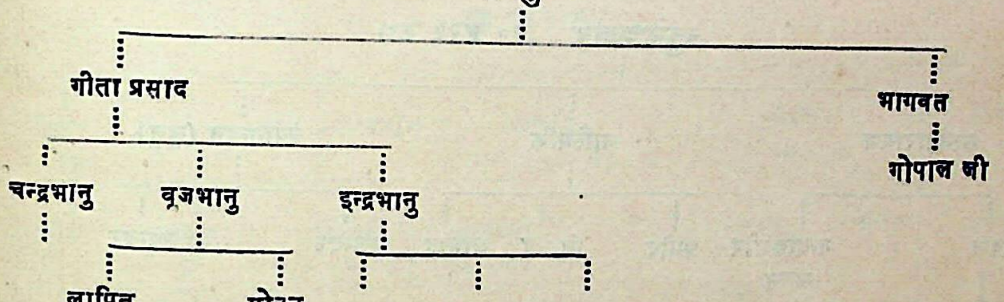
गीता प्रसाद
भागवत
गोपाल जी
चन्द्रभानु
वृजभानु
इन्द्रभानु
लापित
मोहन

** त्रिवेणी (टुका)

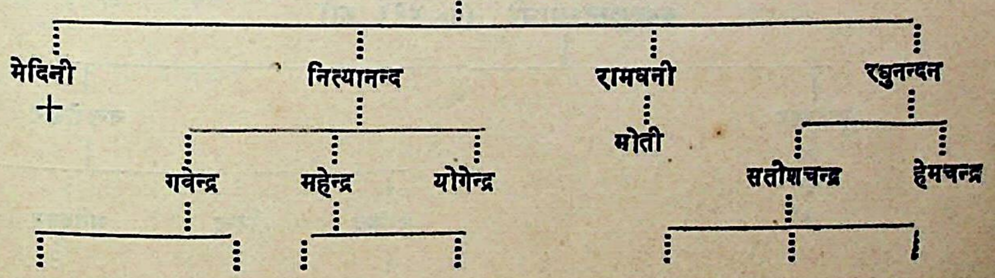
मेदिनी
+
नित्यानन्द
रामवनी
रघुनन्दन
मोती
गवेन्द्र
महेन्द्र
योगेन्द्र
सतीशचन्द्र
हेमचन्द्र

धीरज (पृ० ४२५ का)

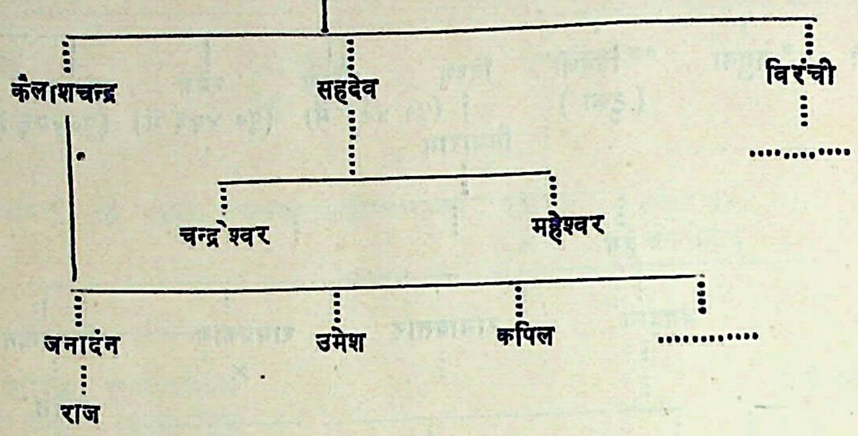
कैलाशचन्द्र
सहदेव
विरंची
....
चन्द्रेश्वर
महेश्वर
जनार्दन
उमेश
कपिल
....
राज

रमेश (पृ० ४२५ का)

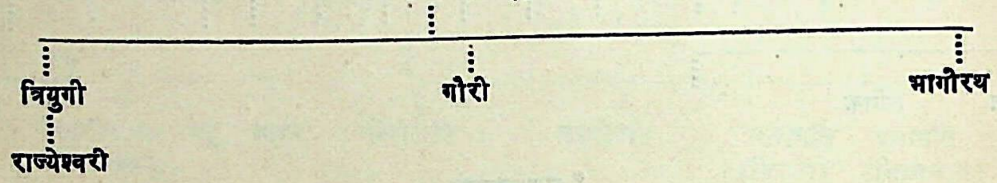
त्रियुगी
गौरी
भागीरथ
राज्येश्वरी

सुरेश्वर (पृ० ४२५ का)

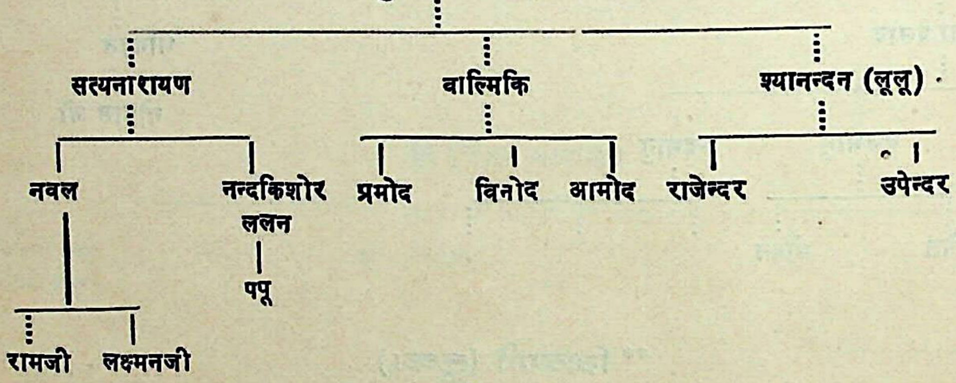
सत्यनारायण
वाल्मिकि
श्यानन्दन (लूलू)
नवल
नन्दकिशोर
ललन
पपू
प्रमोद
विनोद
आमोद
राजेन्दर
उपेन्दर
रामजी
लक्ष्मनजी

मुकुटधारी (पृ० ४२५ का)

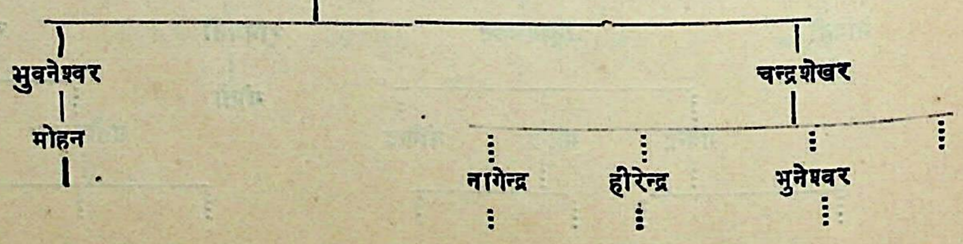
भुवनेश्वर
मोहन
चन्द्रशेखर
नागेन्द्र
हीरेन्द्र
भुनेश्वर

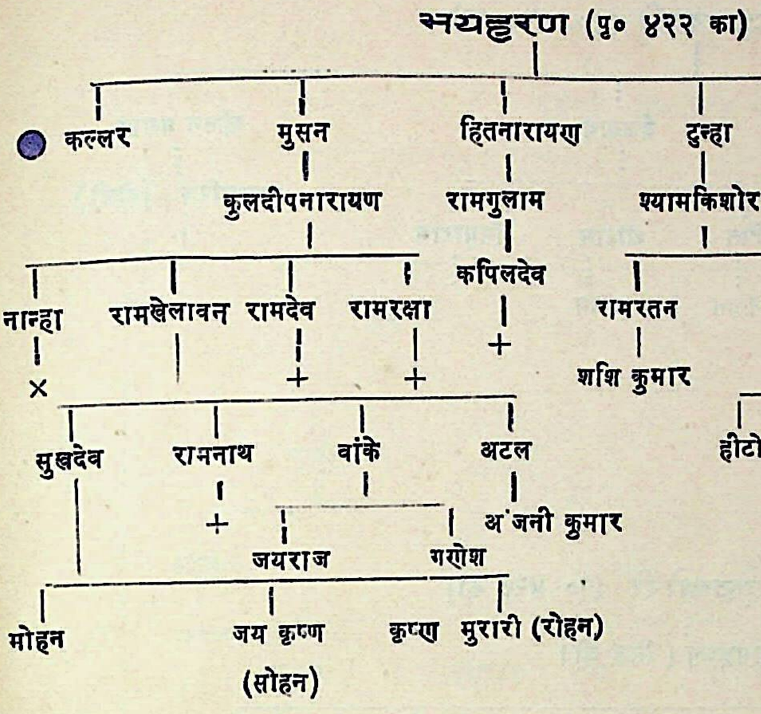
भयहरण (पृ० ४२२ का)
कल्लर
मुसन
हितनारायण
दुन्हा
रघुवर
हरखू
कुलदीपनारायण
रामगुलाम
श्यामकिशोर
दर्शन
रामानुग्रह
कपिलदेव
नान्हा
रामखेलावन
रामदेव
रामरक्षा
रामरतन
रामानुज
शशि कुमार
हींटो
टींटो
पींटो
सुखदेव
रामनाथ
बांके
अटल
अंजनी कुमार
जयराज
गणेश
मोहन
जय कृष्ण
(सोहन)
कृष्ण
मुरारी (रोहन)

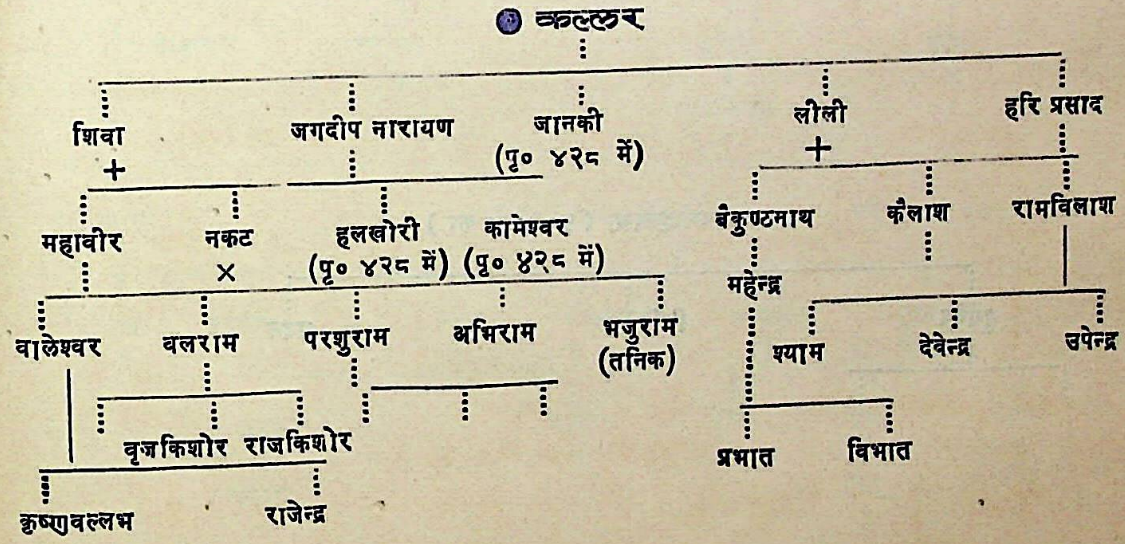
कल्लर
शिवा
जगदीप नारायण
जानकी
(पृ० ४२८ में)
लीली
हरि प्रसाद
महावीर
नकट
हलखोरी
(पृ० ४२८ में)
कामेश्वर
(पृ० ४२८ में)
बैकुण्ठनाथ
कैलाश
रामविलाश
वालेश्वर
बलराम
परशुराम
अभिराम
भजुराम
(तनिक)
महेन्द्र
श्याम
देवेन्द्र
उपेन्द्र
वृजकिशोर
राजकिशोर
प्रभात
विभात
कृष्णवल्लभ
राजेन्द्र

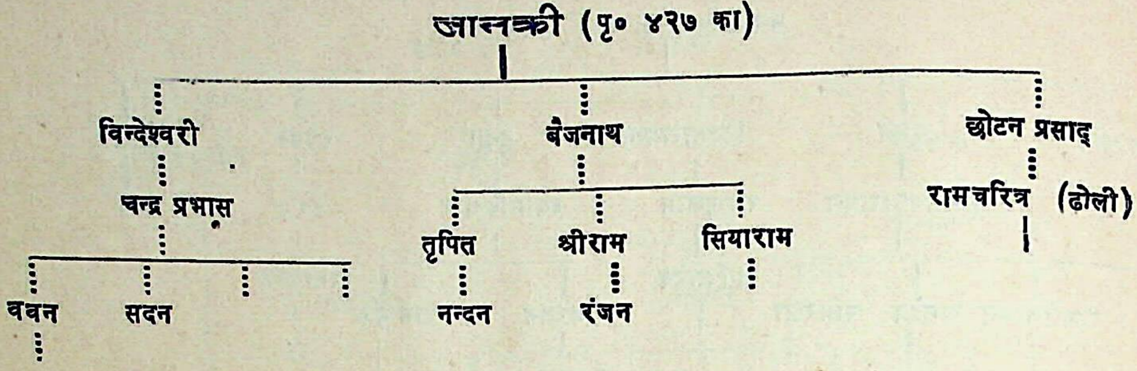
जानकी (पृ० ४२७ का)
विन्देश्वरी
चन्द्र प्रभास
ववन
सदन
बैजनाथ
तृपित
श्रीराम
सियाराम
नन्दन
रंजन
छोटन प्रसाद
रामचरित्र (ढोली)

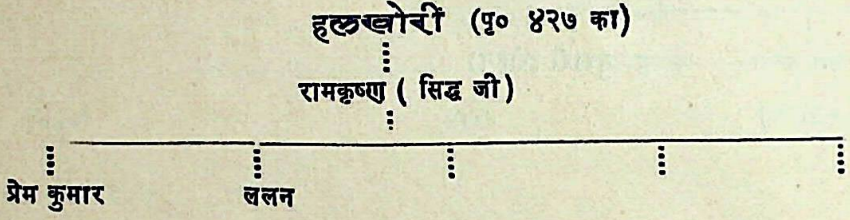
हलखोरी (पृ० ४२७ का)
रामकृष्ण (सिद्ध जी)
प्रेम कुमार
ललन

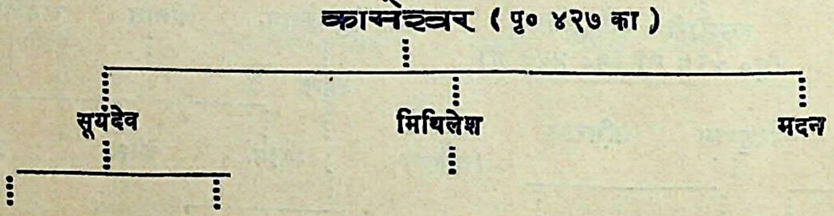
कामेश्वर (पृ० ४२७ का)
सूर्यदेव
मिथिलेश
मदन

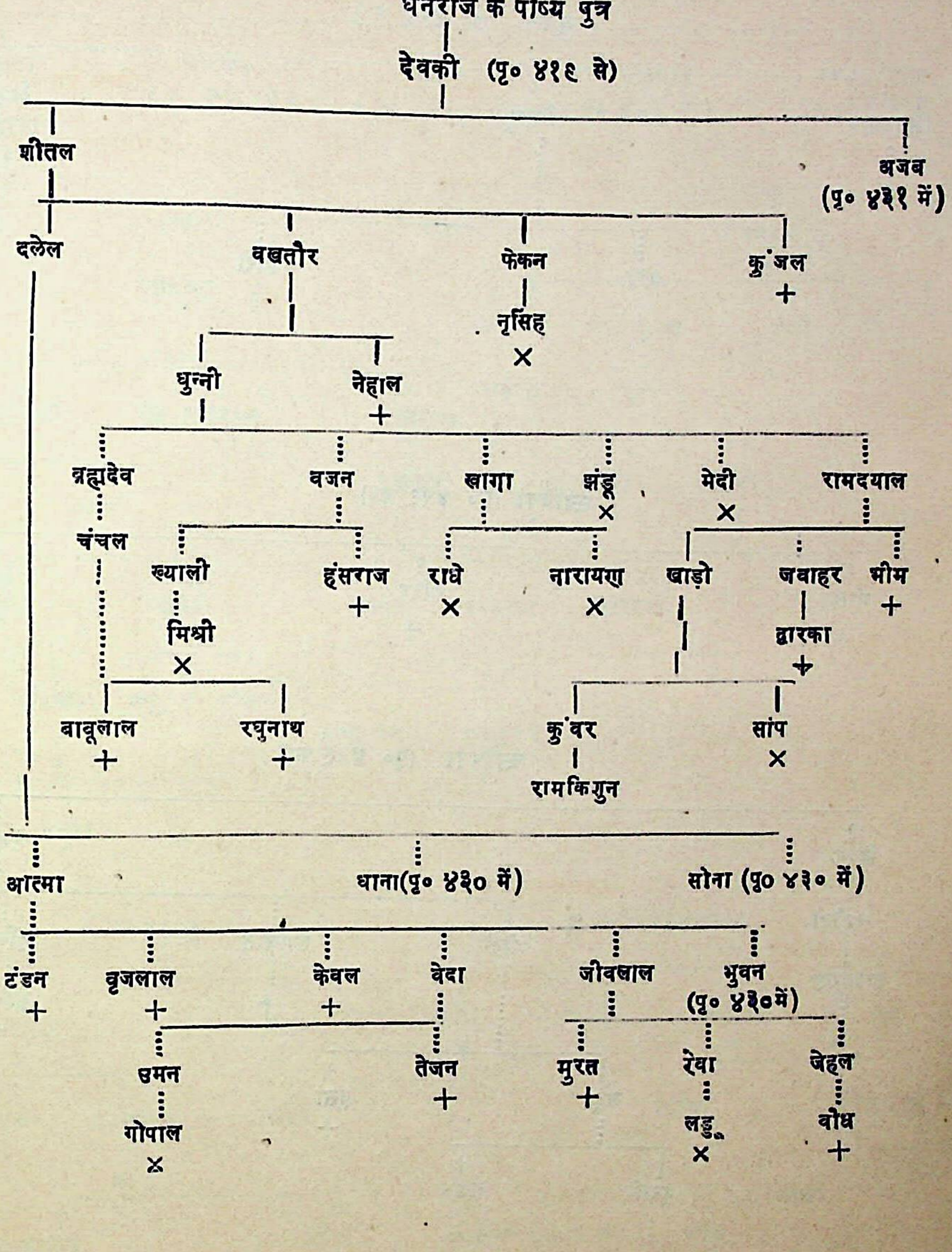
धनराज के पोष्य पुत्र
देवकी (पृ० ४१९ से)
शीतल
अजब (पृ० ४३१ में)
दलेल
बखतौर
फेकन
कुंजल +
नृसिंह ×
घुन्नी
नेहाल +
ब्रह्मदेव
वजन
खागा
झंडू ×
मेदी ×
रामदयाल
चंचल
ख्याली
हंसराज +
राधे ×
नारायण ×
खाड़ो
जवाहर
भीम +
मिश्री ×
द्वारका +
बाबूलाल +
रघुनाथ +
कुंवर
सांप ×
रामकिशुन
आत्मा
धाना (पृ० ४३० में)
सोना (पृ० ४३० में)
टंडन +
बृजलाल +
केवल +
वेदा
जीवलाल
भुवन (पृ० ४३० में)
उमन
तेजन +
मुरत +
रेवा
जेहल
गोपाल ×
लड्डू ×
बोध +

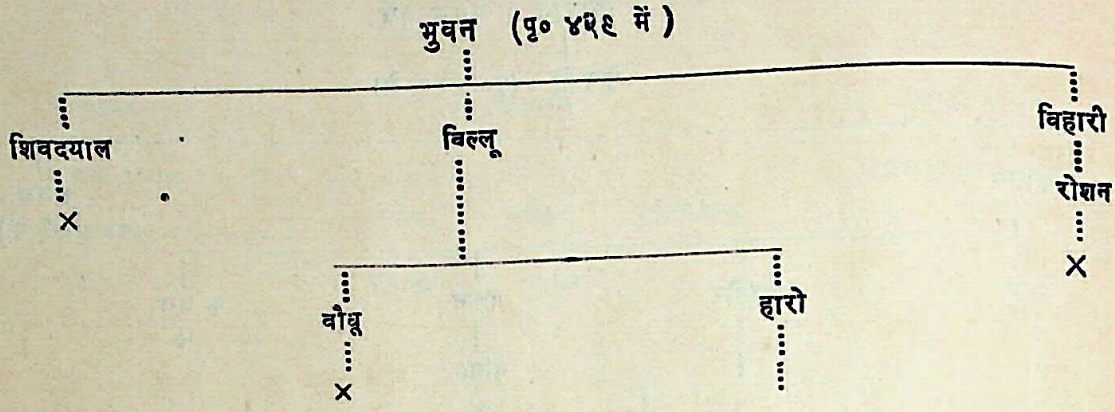
भुवन (पृ० ४२९ में)
शिवदयाल
×
बिल्लू
विहारी
रोशन
×
वौधू
×
हारो

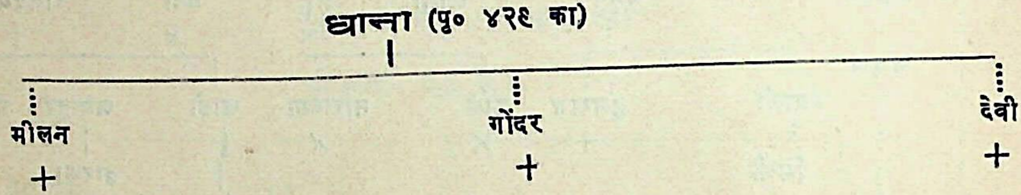
धान्ना (पृ० ४२९ का)
मीलन
+
गोंदर
+
देवी
+

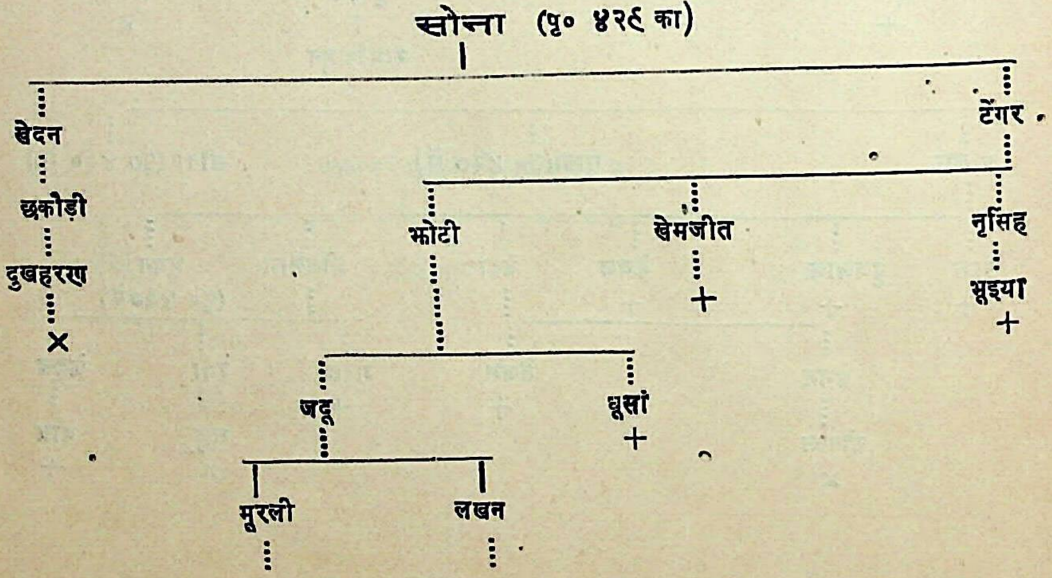
सोन्ना (पृ० ४२९ का)
खेदन
छकौड़ी
दुखहरण
×
टेंगर
झोंटी
खेमजीत
+
नृसिह
झूइया
+
जद्दू
धूसां
+
मुरली
लखन

अजब्ब (पृ० ४२९ का)

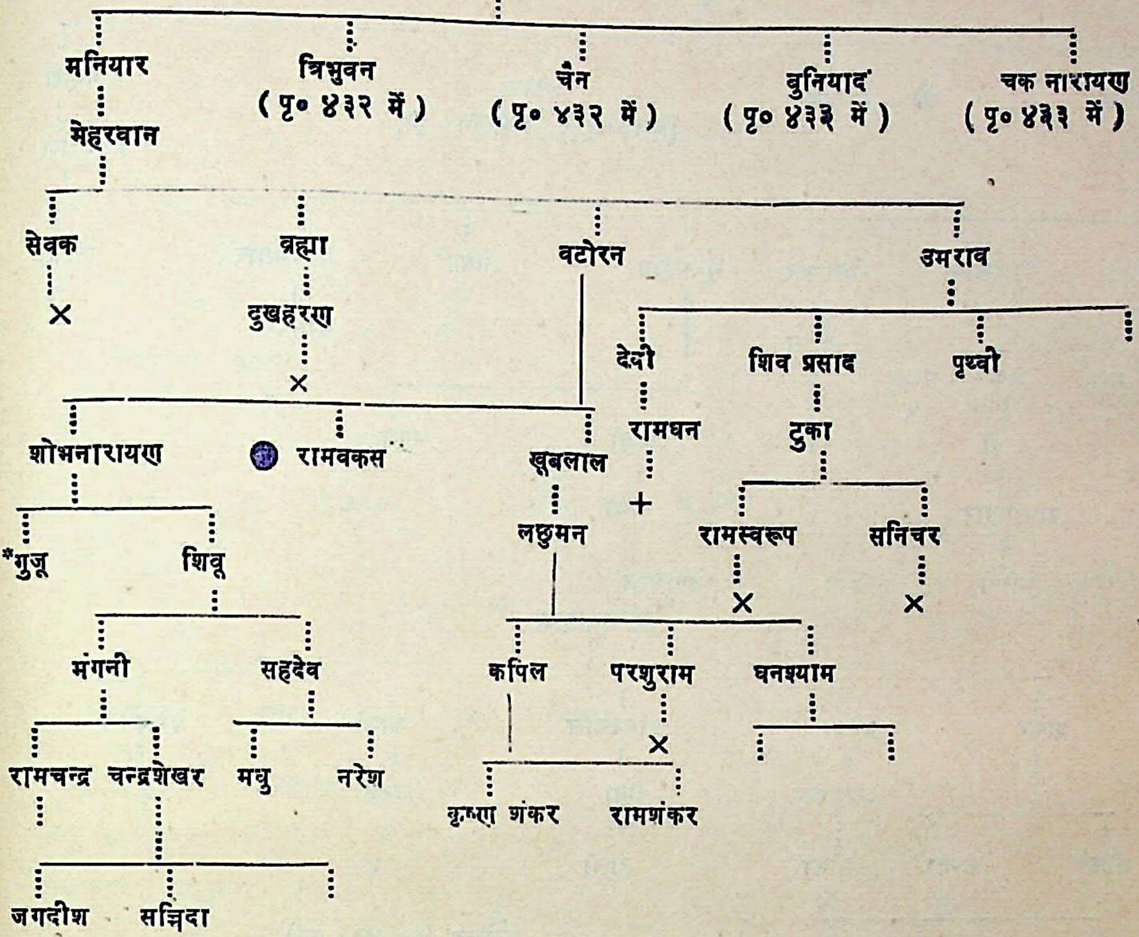
मनियार
मेहरबान
त्रिभुवन (पृ० ४३२ में)
चैन (पृ० ४३२ में)
बुनियाद (पृ० ४३३ में)
चक नारायण (पृ० ४३३ में)
सेवक
×
ब्रह्मा
दुखहरण
×
वटोरन
उमराव
देवी
रामधन
+
शिव प्रसाद
टुका
पृथ्वी
शोभनारायण
● रामबकस
खूबलाल
लछुमन
*गुजू
शिवू
मंगनी
सहदेव
रामचन्द्र
चन्द्रशेखर
मधु
नरेश
जगदीश
सच्चिदा
कपिल
परशुराम
×
घनश्याम
कृष्ण शंकर
रामशंकर
रामस्वरूप
×
सनिचर
×

*** गुजू**

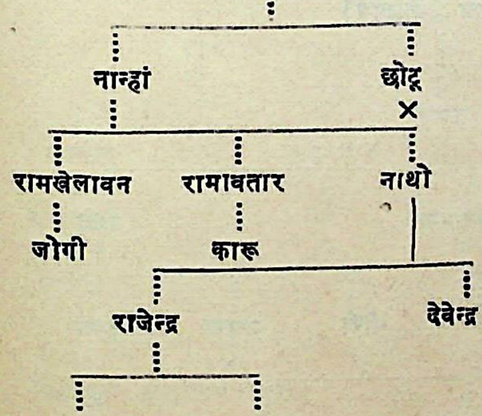
नान्हां
छोटू
×
रामखेलावन
जोगी
रामावतार
कारू
नाथो
राजेन्द्र
देवेन्द्र

● रामबकस

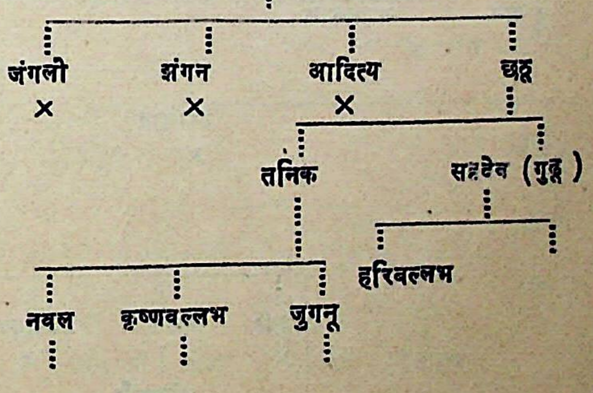
जंगली
×
झंगन
×
आदित्य
×
छट्ठू
तनिक
सहदेव (गुड्डू)
हरिवल्लभ
नवल
कृष्णवल्लभ
जुगनू

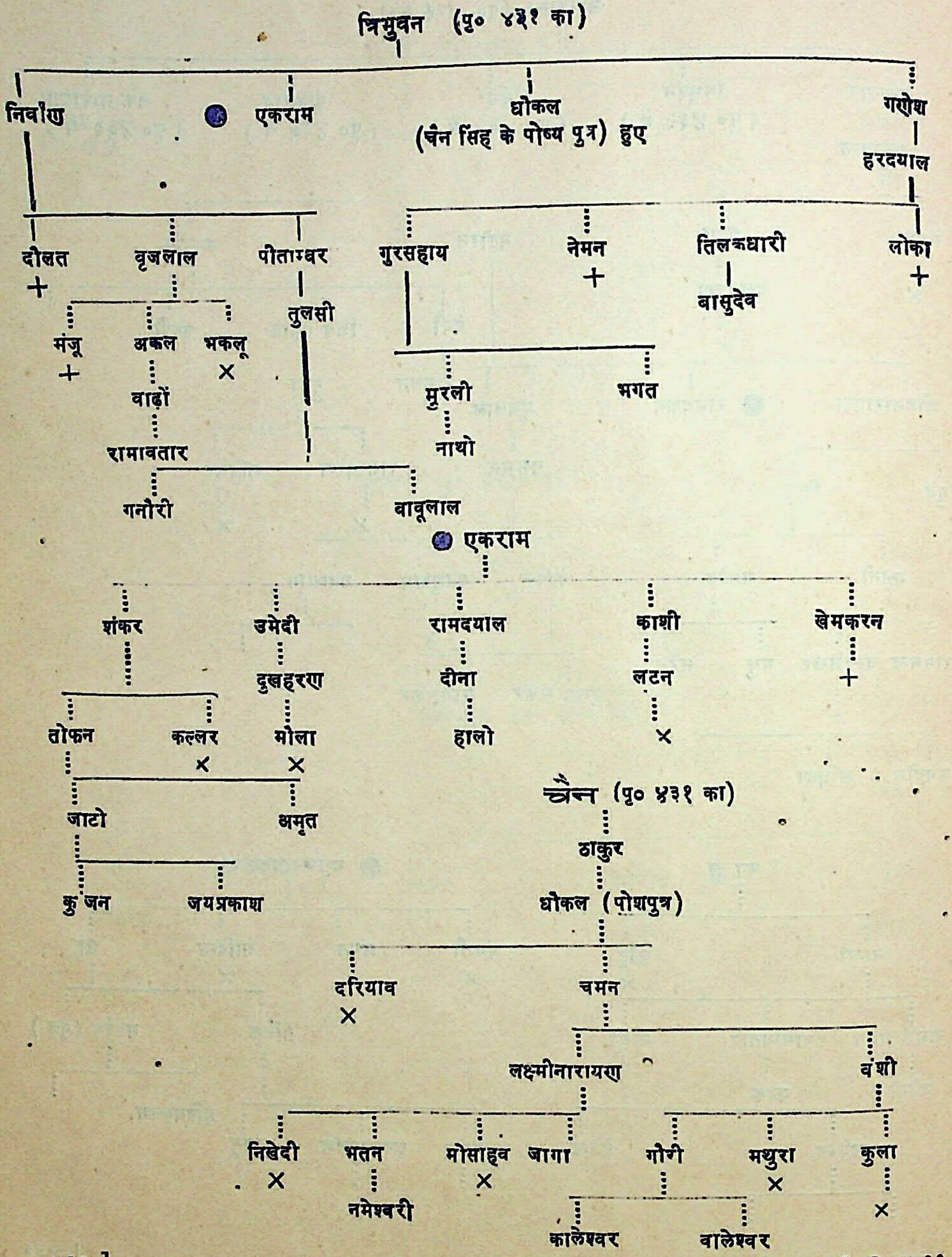
त्रिभुवन (पृ० ४३१ का)
निर्वाण
● एकराम
धोकल
(चैन सिंह के पोष्य पुत्र) हुए
गणेश
हरदयाल
दौलत
+
बृजलाल
पीताम्बर
गुरसहाय
नेमन
+
तिलकधारी
लोका
+
बासुदेव
मंजू
+
अकल
भकलू
×
तुलसी
वाढ़ों
रामावतार
मुरली
भगत
नाथो
गनौरी
बाबूलाल
● एकराम
शंकर
उमेदी
रामदयाल
काशी
खेमकरन
+
दुखहरण
दीना
लटन
तोफन
कल्लर
×
मौला
×
हालो
×
जाटो
अमृत
कुंजन
जयप्रकाश
चैन्न (पृ० ४३१ का)
ठाकुर
धोकल (पोशपुत्र)
दरियाव
×
चमन
लक्ष्मीनारायण
वंशी
निखेदी
×
भतन
नमेश्वरी
मोसाहब
×
जागा
गोगी
मथुरा
×
कुला
×
कालेश्वर
वालेश्वर

बुनियाद (पृष्ठ ४३१ का)

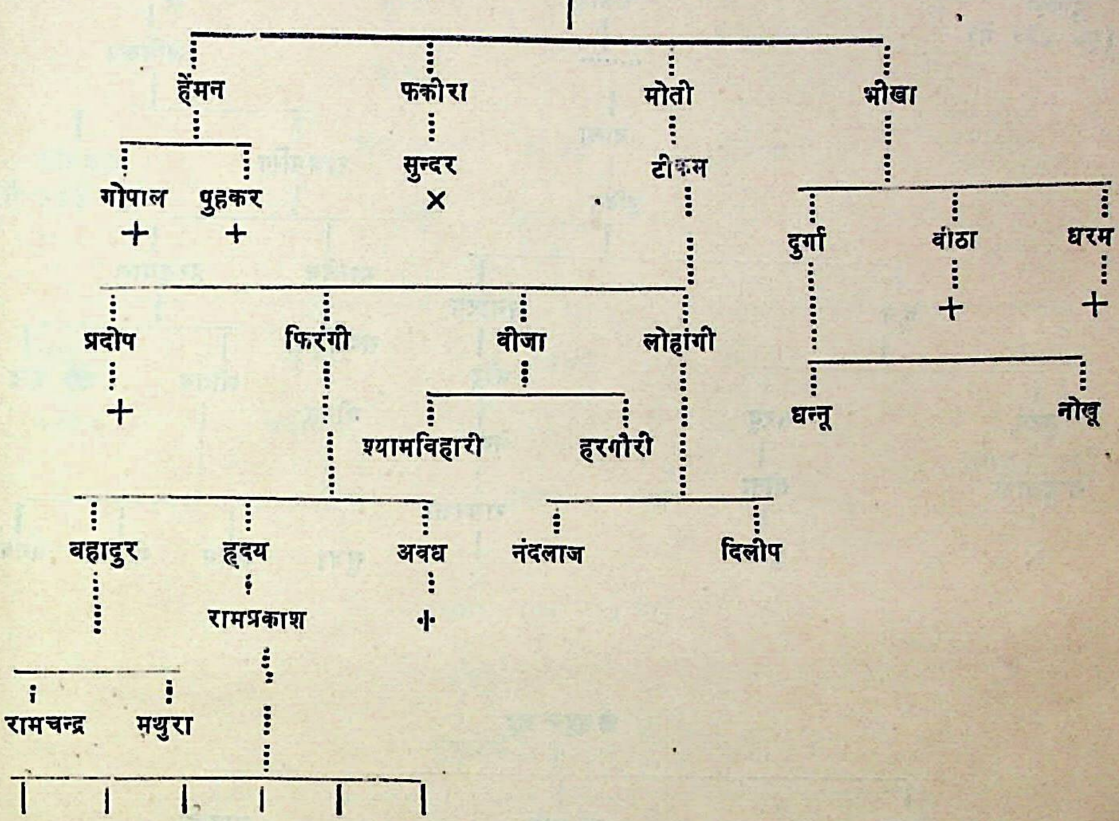
हेंमन
फकीरा
मोती
भीखा
गोपाल
+
पुहकर
+
सुन्दर
×
टीकम
दुर्गा
बांठा
+
धरम
+
धन्नू
नोखू
प्रदीप
+
फिरंगी
बीजा
लोहांगी
श्यामविहारी
हरगौरी
बहादुर
हृदय
अवध
+
नंदलाज
दिलीप
रामप्रकाश
रामचन्द्र
मथुरा

चक्रनारायण (पृष्ठ ४३१ का)

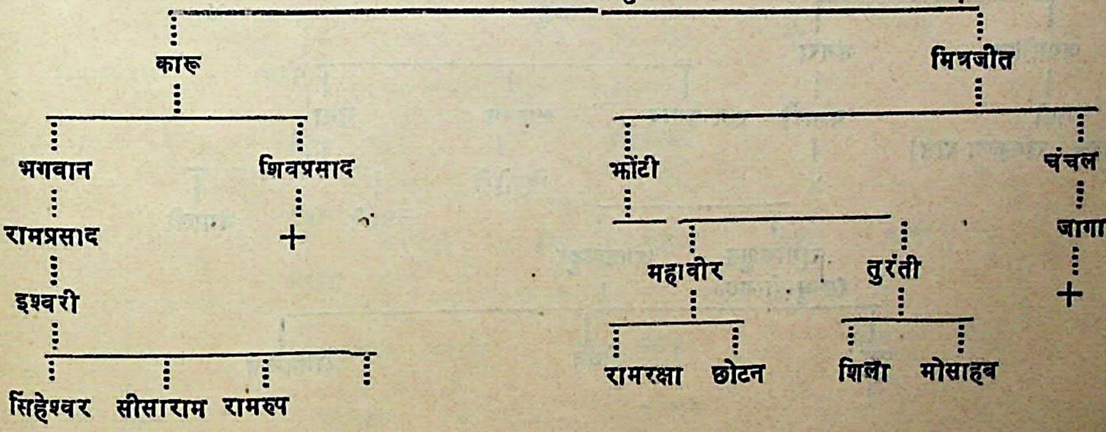
कारू
मित्रजीत
भगवान
शिवप्रसाद
+
रामप्रसाद
इश्वरी
सिंहेश्वर
सीसाराम
रामरूप
झोंटी
चंचल
जागा
+
महावीर
तुरंती
रामरक्षा
छोटन
शिला
मोसाहब

१२

गोंदा ठाकुर

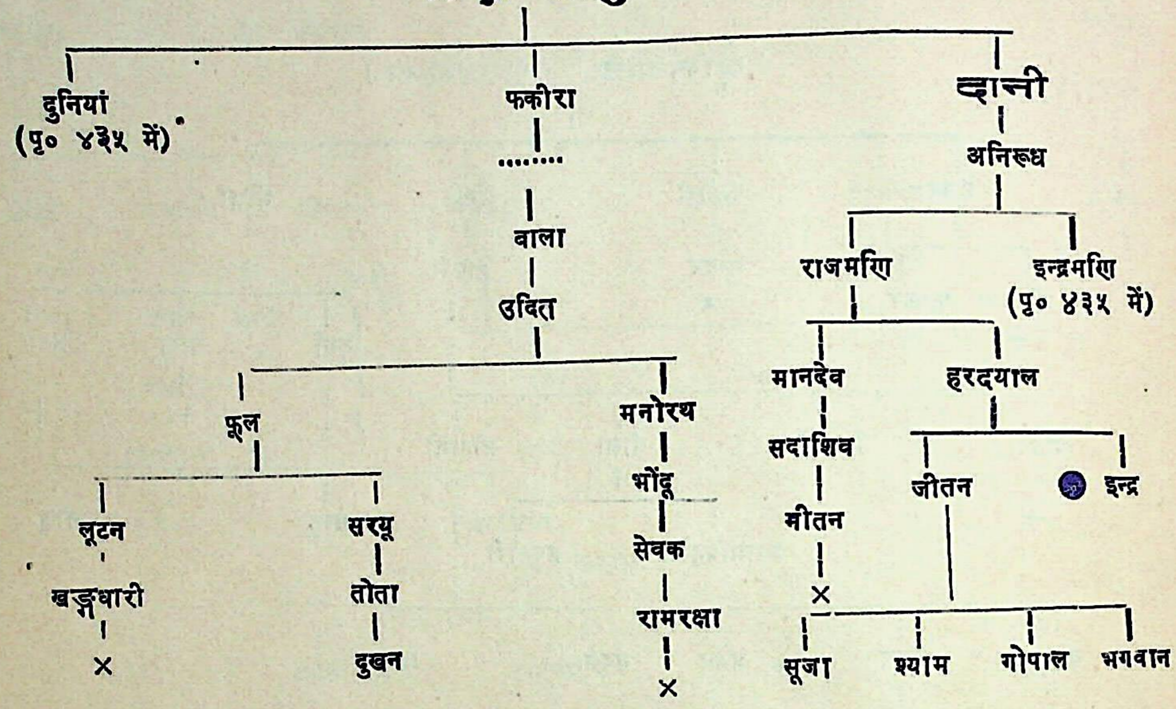
दुनियां
(पृ० ४३५ में)
फकीरा
....
वाला
उदित
फूल
लूटन
खड्गधारी
×
सरयू
तोता
दुखन
मनोरथ
भोंदू
सेवक
रामरक्षा
×
छान्नी
अनिरूध
राजमणि
मानदेव
सदाशिव
मीतन
×
हरदयाल
जीतन
सूजा
श्याम
गोपाल
भगवान
● इन्द्र
इन्द्रमणि
(पृ० ४३५ में)

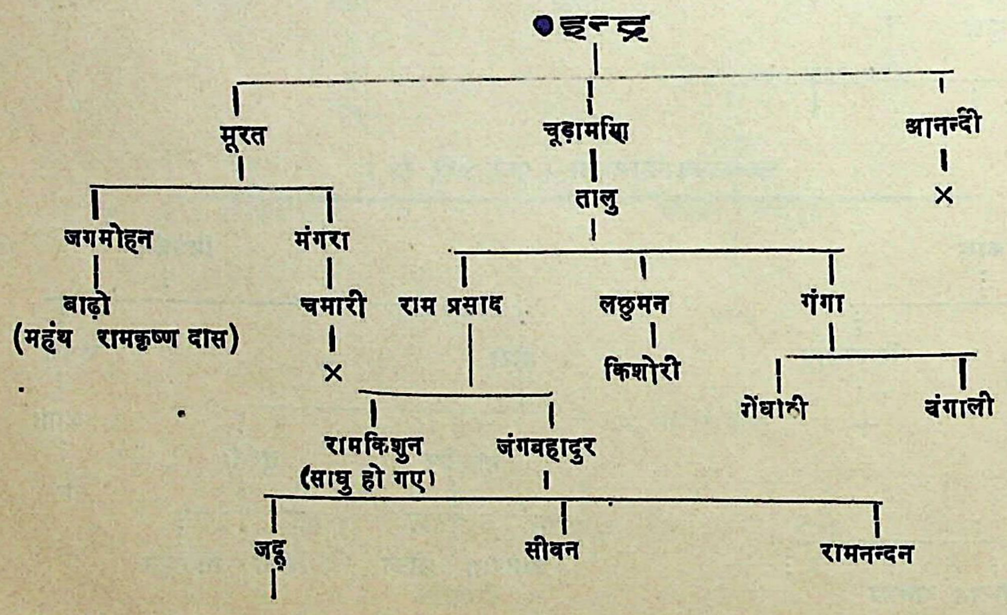
● इन्द्र
मूरत
जगमोहन
बाढ़ो
(महंथ रामकृष्ण दास)
मंगरा
चमारी
×
चूड़ामणि
तालु
राम प्रसाद
रामकिशुन
(साधु हो गए।
जंगबहादुर
जट्टू
सीवन
रामनन्दन
लछुमन
किशोरी
गंगा
गेंधारी
बंगाली
आनन्दी
×

इन्द्रमणि (पृ० ४३४ का)

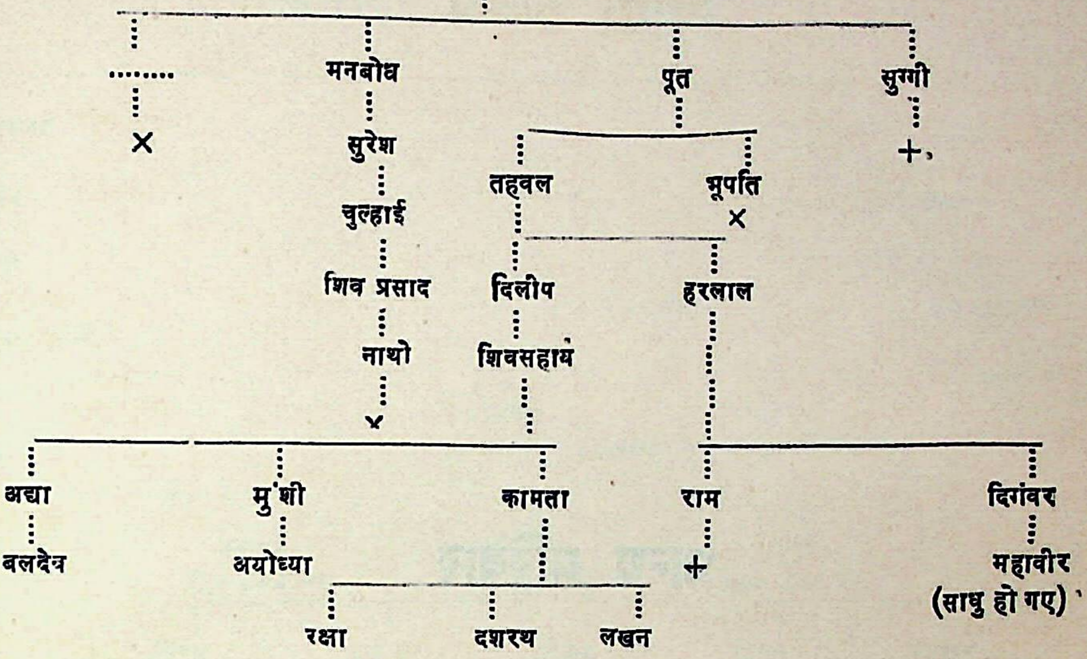
....
मनबोध
पूत
सुग्गी
×
सुरेश
तहवल
भूपति
×
+
चुल्हाई
शिव प्रसाद
दिलीप
हरलाल
नाथो
शिवसहाय
×
अद्या
मुंशी
कामता
राम
दिगंबर
बलदेव
अयोध्या
+
महावीर
(साधु हो गए)
रक्षा
दशरथ
लखन

दुमियां (पृ० ४३४ का)

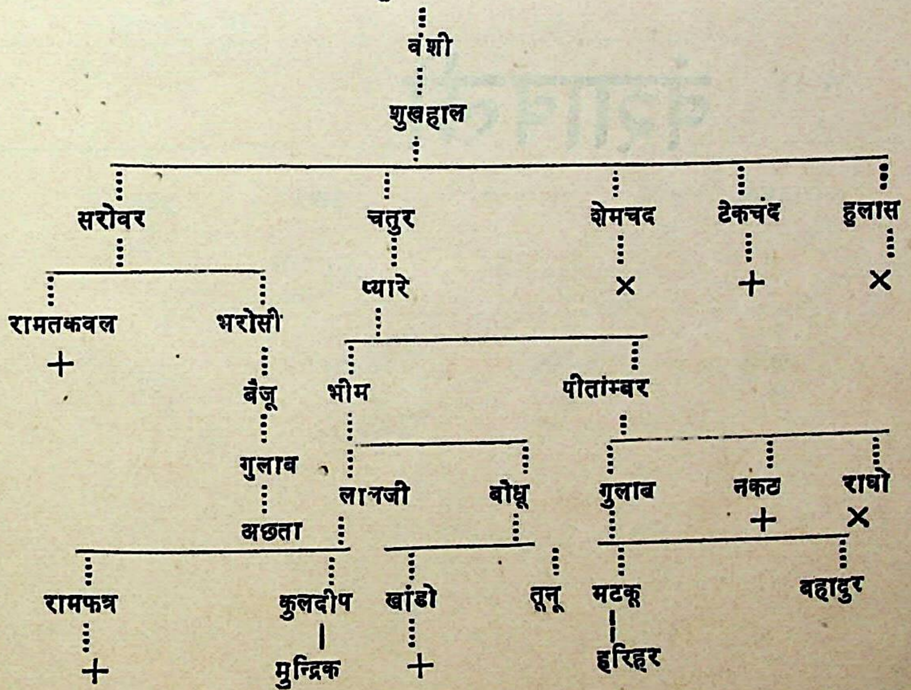
वंशी
शुखहाल
सरोवर
चतुर
शेमचद
टेकचंद
हुलास
रामतकवल
+
भरोसी
प्यारे
×
+
×
बैजू
भीम
पीताम्बर
गुलाब
लालजी
बोधू
गुलाब
नकट
+
राघो
×
अछता
रामफत्र
+
कुलदीप
मुन्द्रिक
खांडो
+
तूनू
मटकू
हरिहर
बहादुर

अन्य परिवार

की

बंशावली

= १२ =

चौधरी श्रीकंठ ठाकुर

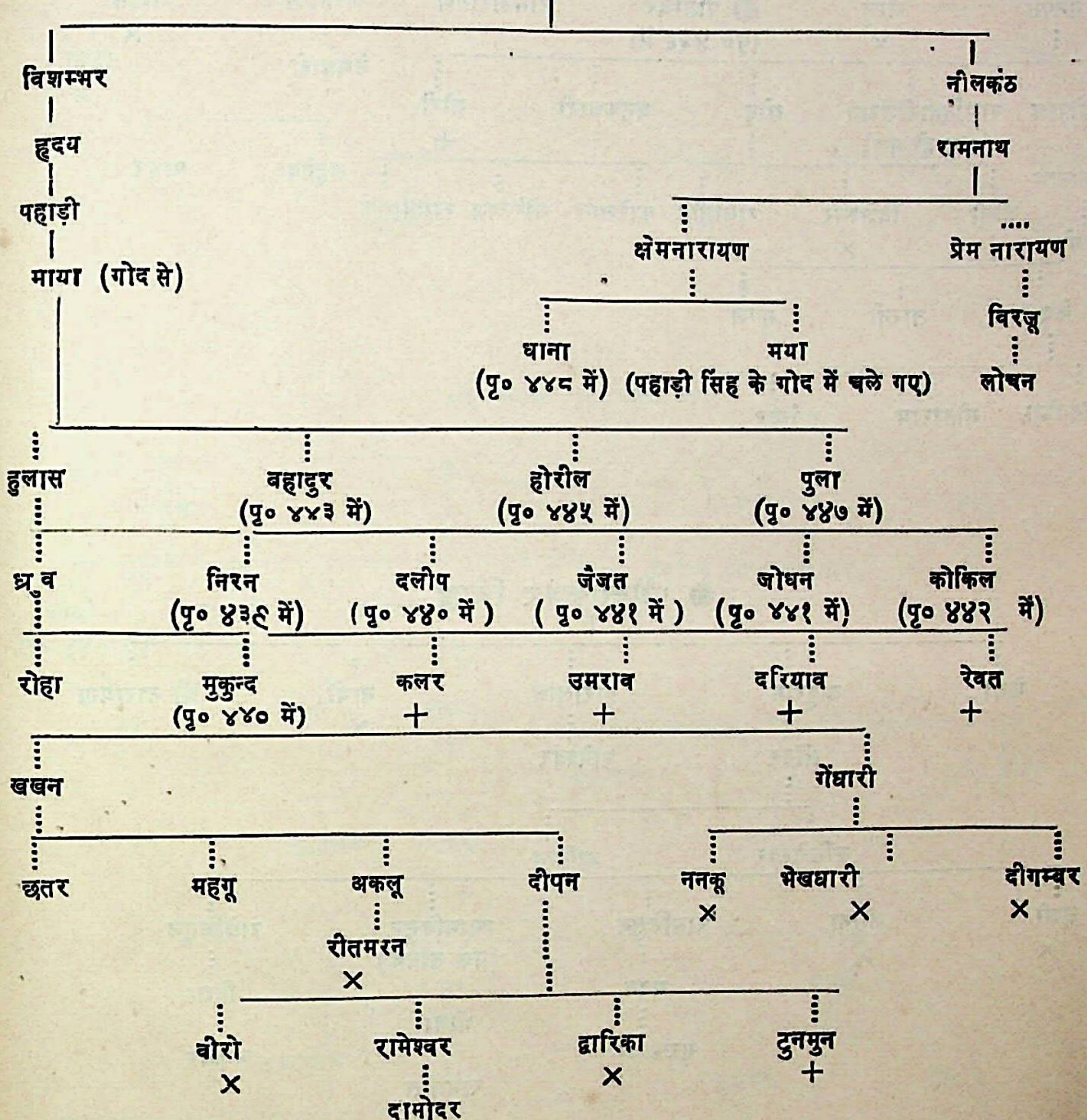
विशम्भर
हृदय
पहाड़ी
माया (गोद से)
नीलकंठ
रामनाथ
क्षेमनारायण
प्रेम नारायण
धाना
(पृ० ४४८ में)
मया
(पहाड़ी सिंह के गोद में चले गए)
विरजू
लोचन
हुलास
बहादुर
(पृ० ४४३ में)
होरील
(पृ० ४४५ में)
पुला
(पृ० ४४७ में)
ध्रुव
निरन
(पृ० ४३९ में)
दलीप
(पृ० ४४० में)
जैजत
(पृ० ४४१ में)
जोधन
(पृ० ४४१ में)
कोकिल
(पृ० ४४२ में)
रोहा
मुकुन्द
(पृ० ४४० में)
कलर
+
उमराव
+
दरियाव
+
रेवत
+
खखन
गेंधारी
छतर
महगू
अकलू
रीतमरन
×
दीपन
ननकू
×
भेखधारी
×
दीगम्बर
×
बीरो
×
रामेश्वर
दामोदर
द्वारिका
×
टुनमुन
+

मुकुन्द सिंह (पृ० ४३७ का)

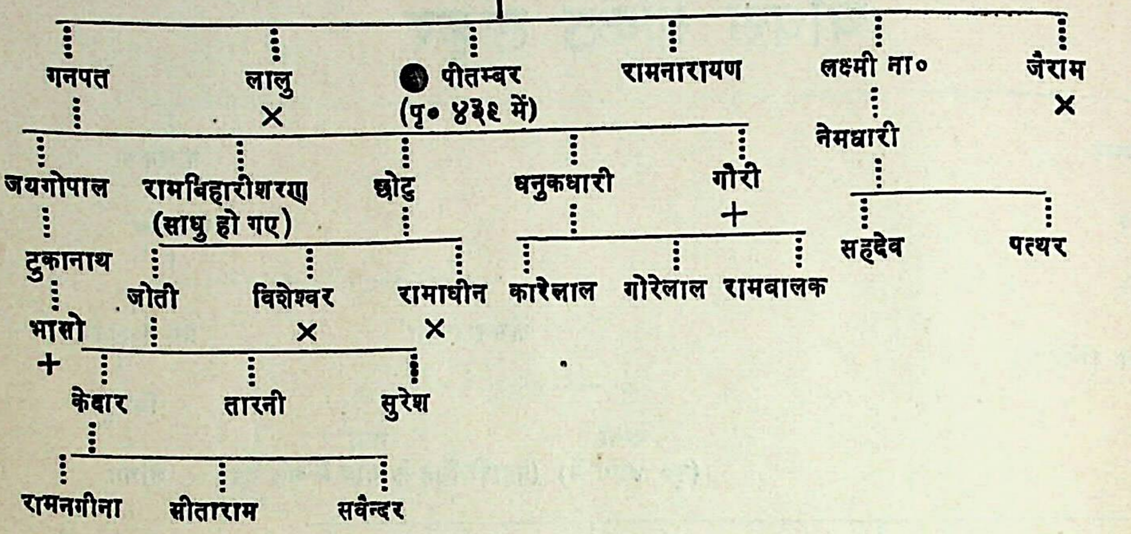
गनपत
लालु
×
● पीताम्बर
(पृ० ४३९ में)
रामनारायण
लक्ष्मी ना०
जैराम
×
नेमधारी
जयगोपाल
रामबिहारीशरण
(साधु हो गए)
छोटु
धनुकधारी
गौरी
+
सहदेव
पत्थर
टुकानाथ
जोती
विशेश्वर
×
रामाधीन
×
कारेलाल
गोरेलाल
रामबालक
भासो
+
केदार
तारनी
सुरेश
रामनगीना
सीताराम
सर्वेन्द्र

● पीताम्बर सिंह

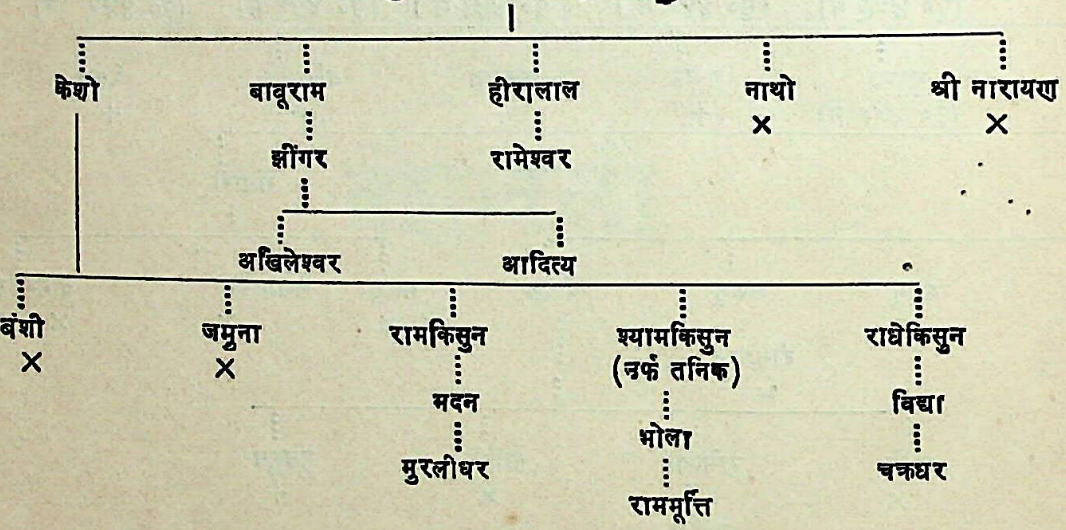
केशो
बाबूराम
हीरालाल
नाथो
×
श्री नारायण
×
झींगर
रामेश्वर
अखिलेश्वर
आदित्य
बंशी
×
जमुना
×
रामकिसुन
श्यामकिसुन
(उर्फ तनिक)
राधेकिसुन
मदन
भोला
विद्या
मुरलीधर
राममूर्त्ति
चक्रधर

रामनारायण (पृष्ट ४३८ का)

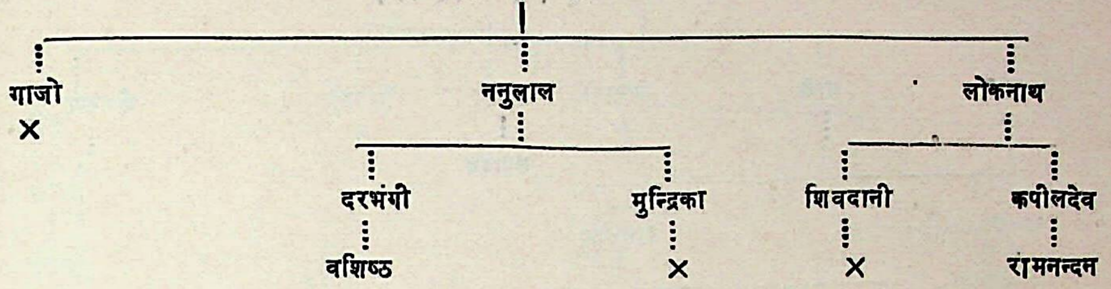
गाजो
×
ननुलाल
लोकनाथ
दरभंगी
मुन्द्रिका
शिवदानी
कपीलदेव
वशिष्ठ
×
×
रामनन्दन

जीवन (पृ० ४३७ का)

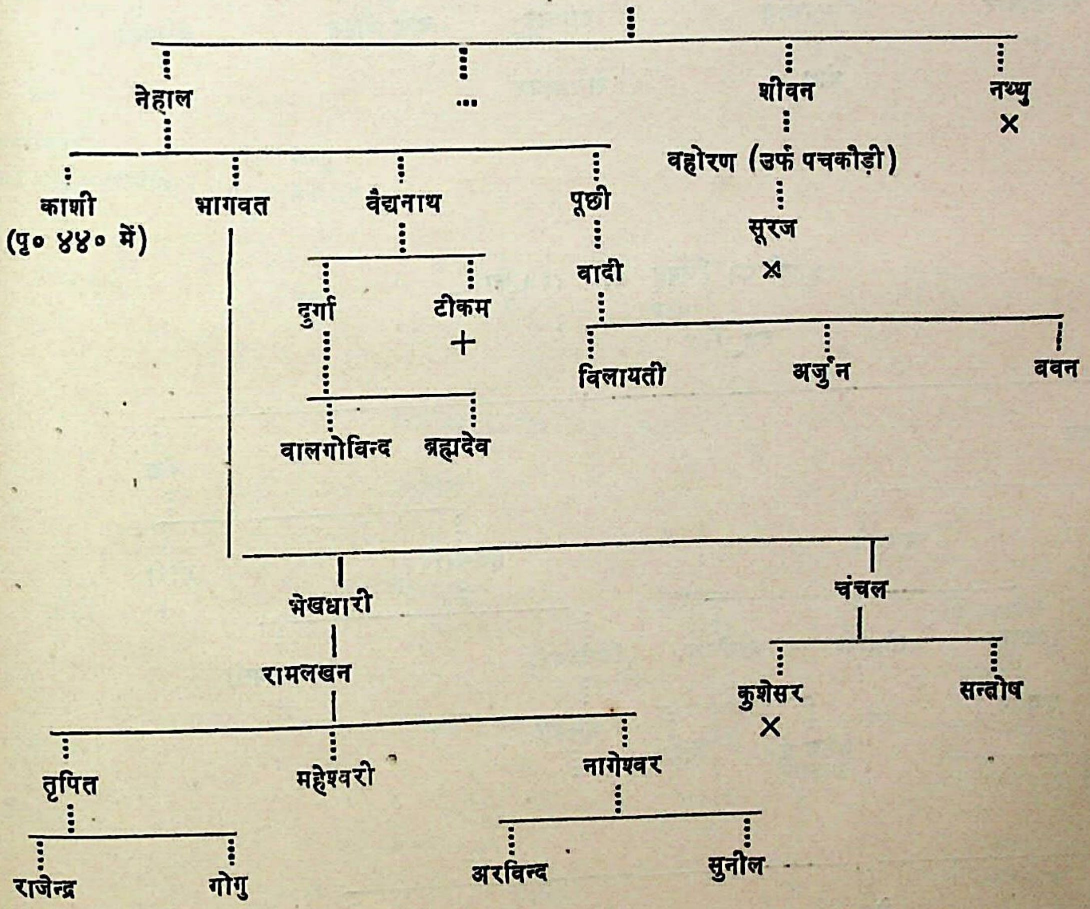
नेहाल
...
शीवन
नथ्थु
×
वहोरण (उर्फ पचकौड़ी)
काशी
(पृ० ४४० में)
भागवत
वैद्यनाथ
पूछी
सूरज
×
दुर्गा
टीकम
+
वादी
विलायती
अर्जुन
ववन
वालगोविन्द
ब्रह्मदेव
भेखधारी
चंचल
रामलखन
कुशेसर
×
सन्तोष
तृपित
महेश्वरी
नागेश्वर
राजेन्द्र
गोगु
अरविन्द
सुनील

काशी सिंह (पृ० ४३६ का)

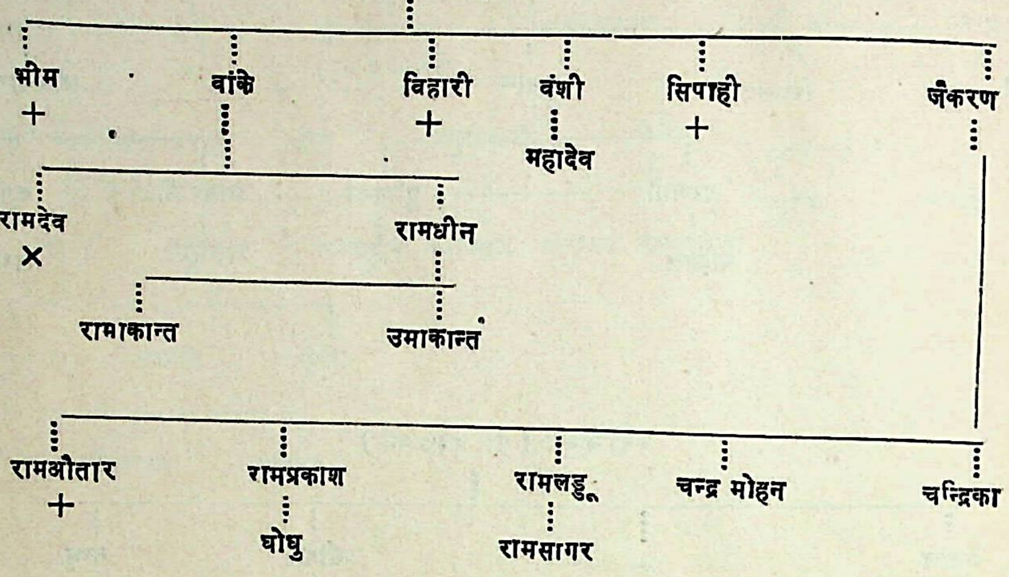
भीम
+
वांके
विहारी
+
वंशी
महादेव
सिपाही
+
जैकरण
रामदेव
×
रामधीन
रामाकान्त
उमाकान्त
रामऔतार
+
रामप्रकाश
घोघु
रामलड्डू
रामसागर
चन्द्र मोहन
चन्द्रिका

दलीप सिंह (पृ० ४३७ का)

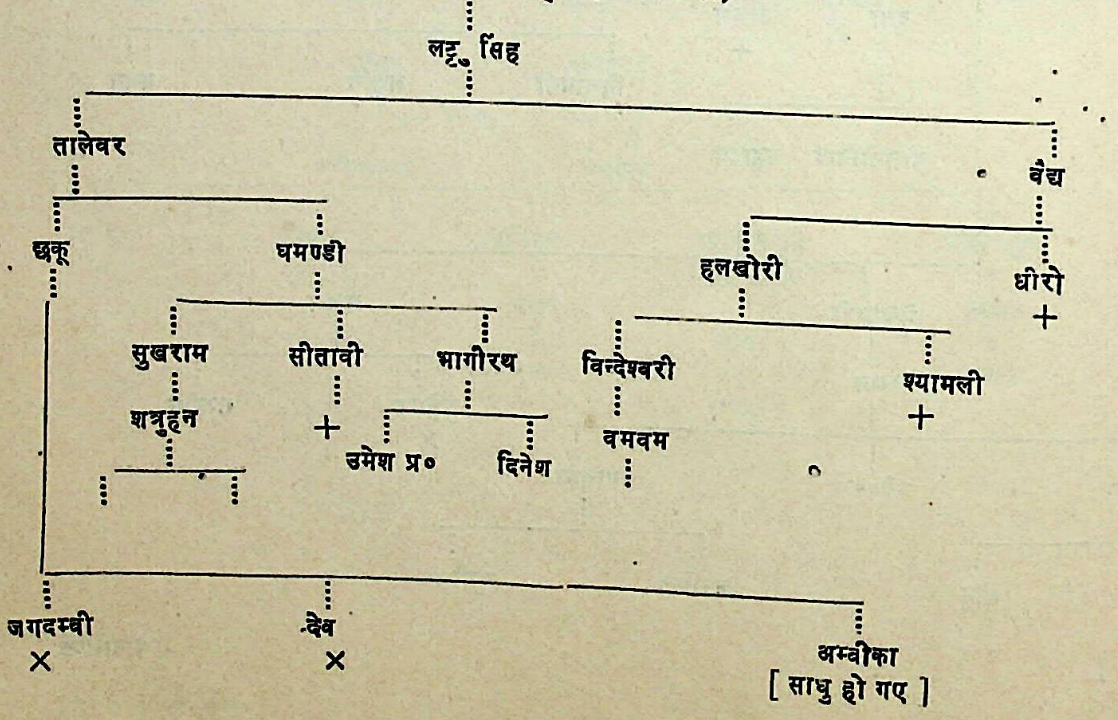
लट्टू सिंह
तालेवर
वैद्य
छक्कू
घमण्डी
हलखोरी
धीरो
+
सुखराम
सीतावी
भागीरथ
विन्देश्वरी
श्यामली
+
शत्रुहन
+
उमेश प्र०
दिनेश
वमवम
जगदम्बी
×
देव
×
अम्बीका
[साधु हो गए]

जौजन सिंह (पृ० ४३९ का)

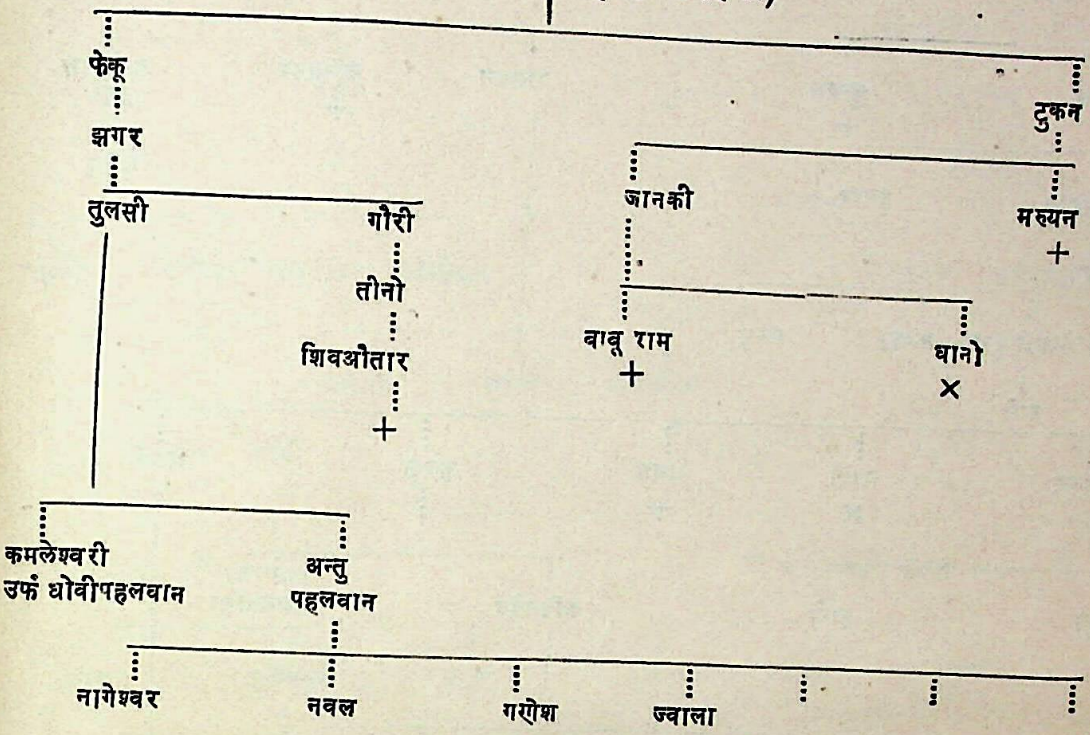
फेकू
झगर
तुलसी
गौरी
तीनो
शिवऔतार
+
टुकन
जानकी
मरुथन
+
बाबू राम
+
धानो
×
कमलेश्वरी
उर्फ धोबीपहलवान
अन्तु
पहलवान
नागेश्वर
नवल
गणेश
ज्वाला

जोधन (पृ० ४३७ का)

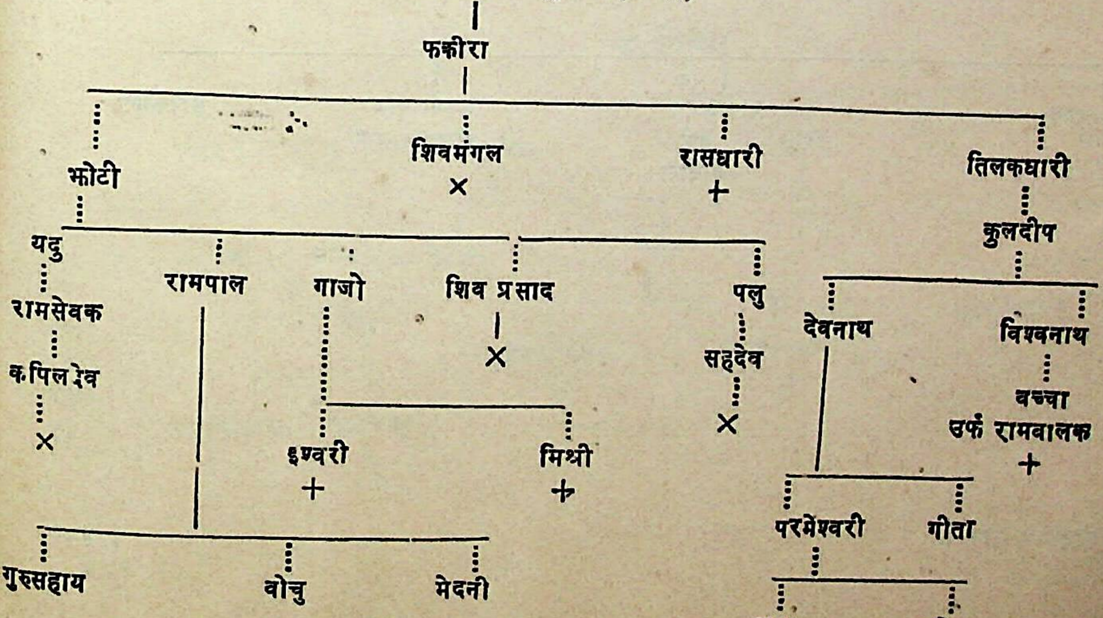
फकीरा
झोटी
शिवमंगल
×
रासधारी
+
तिलकधारी
कुलदीप
यदु
रामसेवक
कपिलदेव
×
रामपाल
गाजो
शिव प्रसाद
×
पलु
सहदेव
×
देवनाथ
विश्वनाथ
बच्चा
उर्फ रामबालक
+
इश्वरी
+
मिश्री
+
परमेश्वरी
गीता
उमा
लटेरा
गुरुसहाय
बोचु
मेदनी

कोकिल सिंह (पृ० ४३७ का)

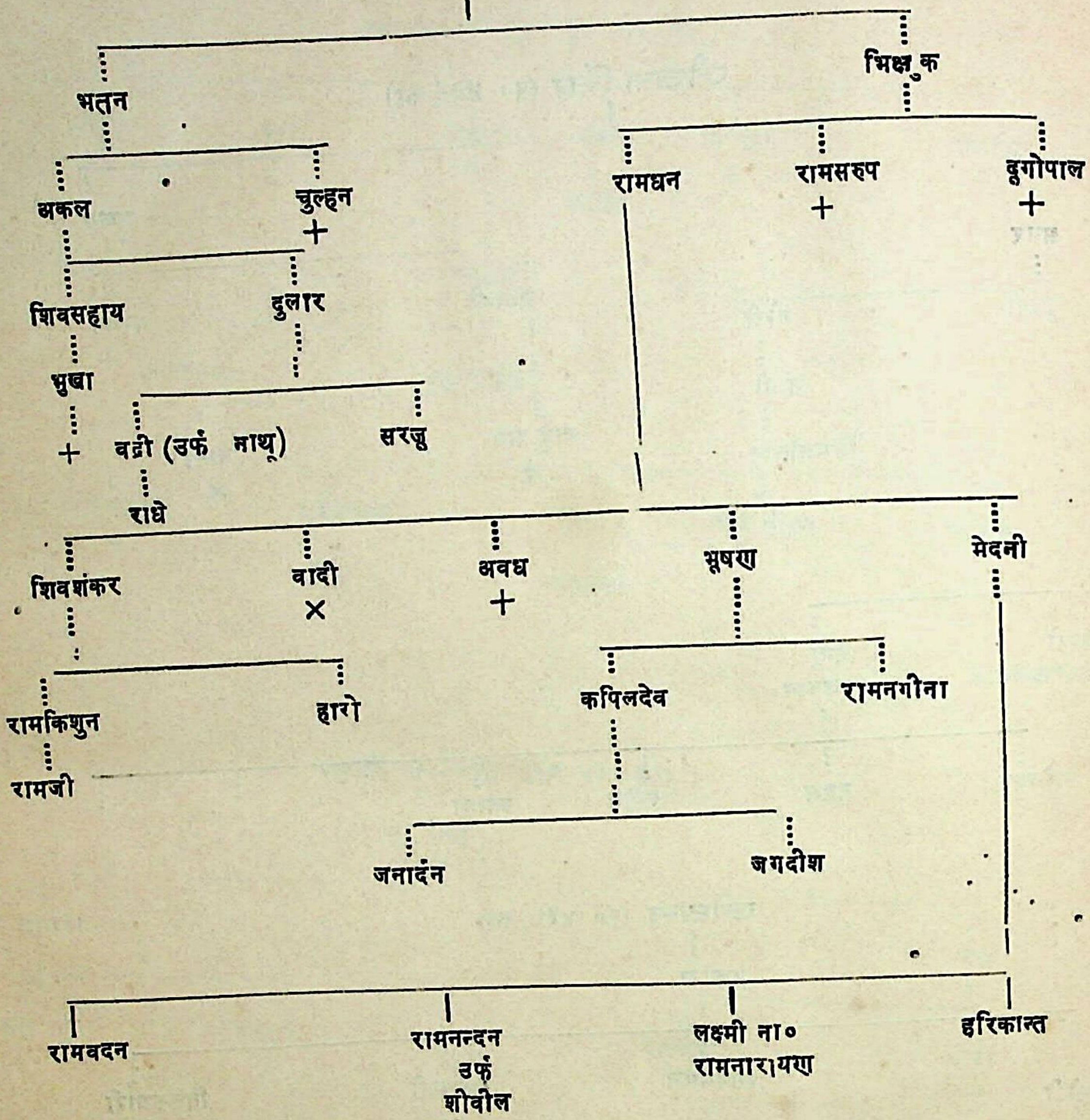
भतन
भिक्षुक
अकल
चुल्हन +
रामधन
रामसरुप +
दुर्गोपाल +
शिवसहाय
दुलार
भुखा +
बद्री (उर्फ नाथू)
सरजू
राधे
शिवशंकर
बादी ×
अवध +
भूषण
मेदनी
रामकिशुन
हारो
कपिलदेव
रामनगीना
रामजी
जनार्दन
जगदीश
रामवदन
रामनन्दन उर्फ शीबील
लक्ष्मी ना० रामनारायण
हरिकान्त

बहादुर सिंह (पृ० ४३७ का)

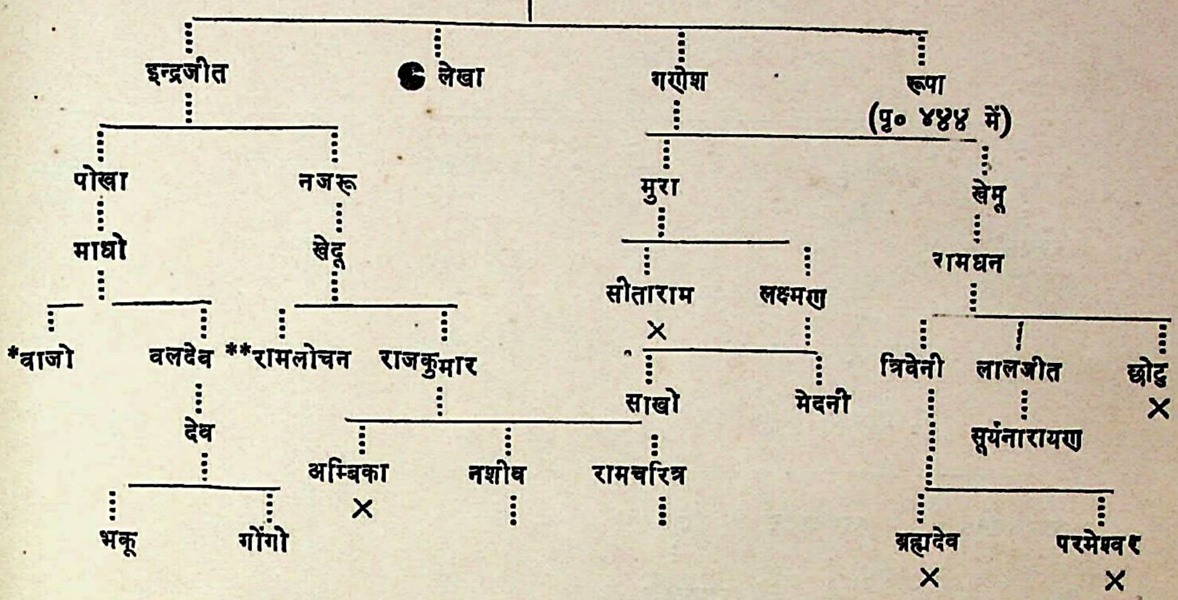
इन्द्रजीत
लेखा
गणेश
रूपा
(पृ० ४४४ में)
पोखा
नजरू
मुरा
खेमू
माधो
खेदू
सीताराम ×
लक्ष्मण
रामधन
*बाजो
बलदेव
**रामलोचन
राजकुमार
साखो
मेदनी
त्रिवेनी
लालजीत
छोटु ×
देव
सूर्यनारायण
अम्बिका ×
नशीब
रामचरित्र
भकू
गोंगो
ब्रह्मदेव ×
परमेश्वर ×

*** बाजो**

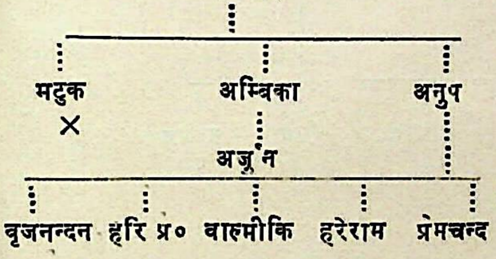
मट्ठुक ×
अम्बिका
अनुप
अर्जुन
वृजनन्दन
हरि प्र०
वाल्मीकि
हरेराम
प्रेमचन्द

**** रामलोचन**

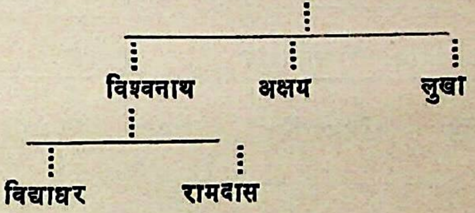
विश्वनाथ
अक्षय
लुखा
विद्याधर
रामदास

लेखा

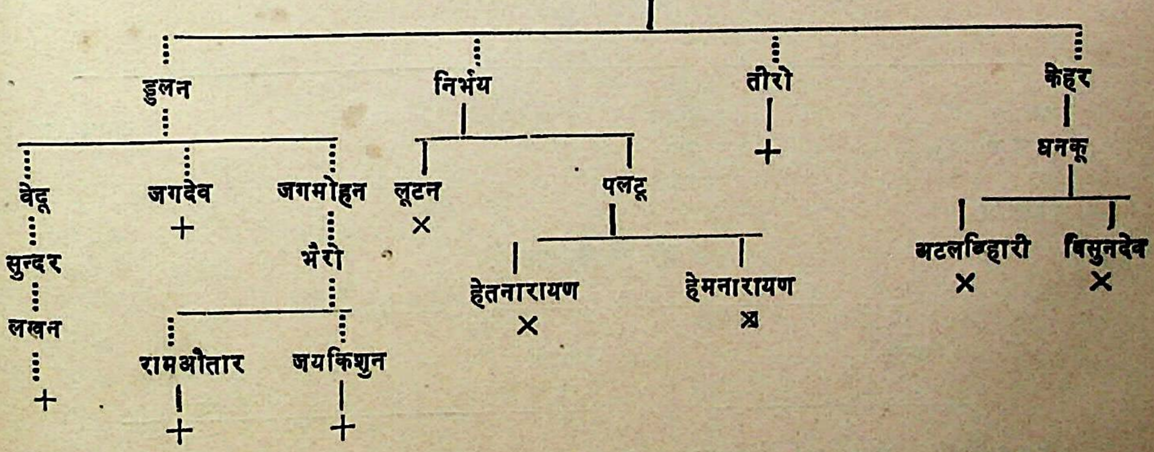
डुलन
निर्भय
तीरो +
केहर
वेदू
जगदेव +
जगमोहन
लूटन ×
पलटू
धनकू
सुन्दर
भैरो
हेतनारायण ×
हेमनारायण ×
अटलबिहारी ×
बिसुनदेव ×
लखन +
रामऔतार +
जयकिशुन +

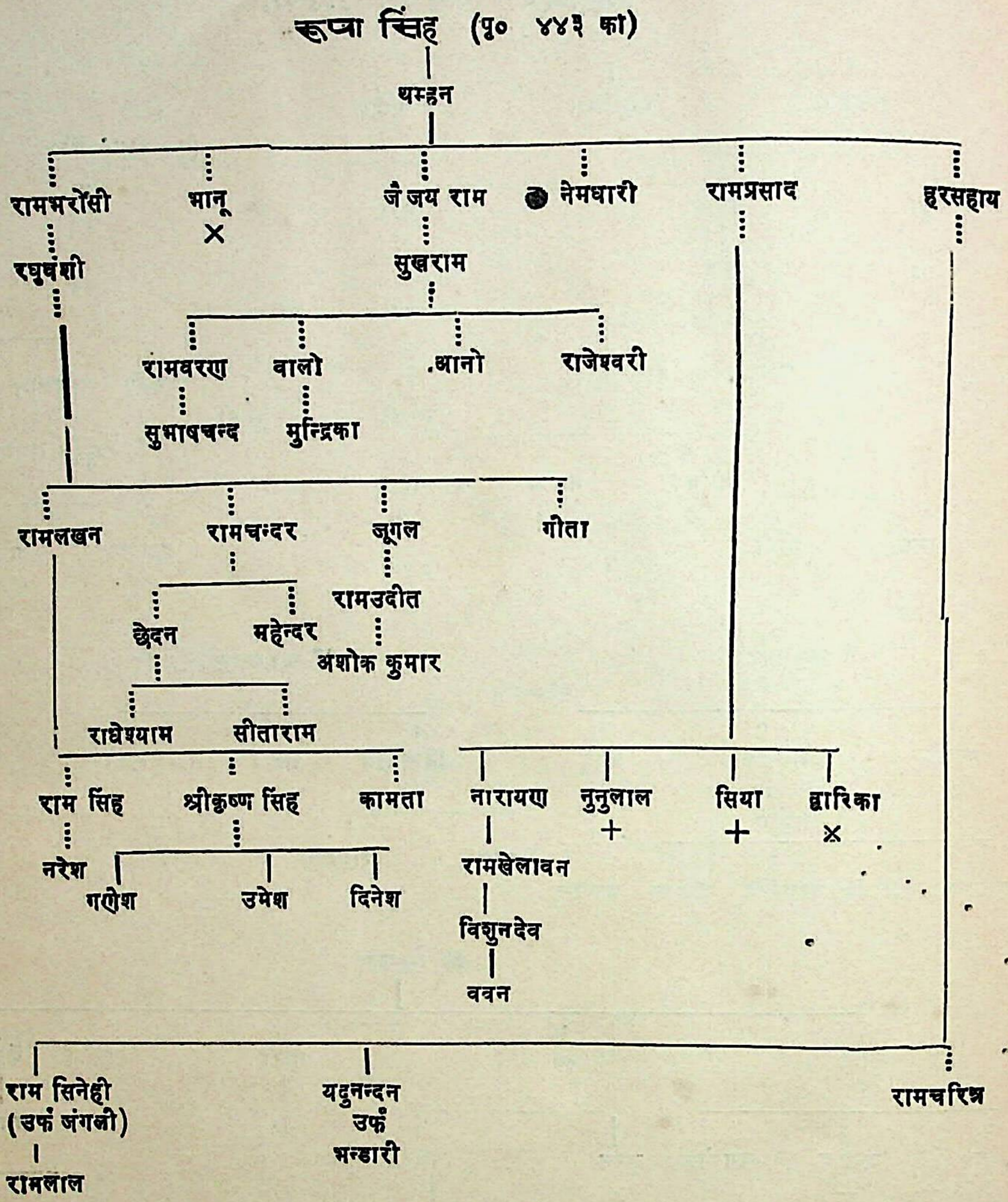
रूपा सिंह (पृ० ४४३ का)
थम्हन
रामभरोसी
भानू
×
जैजय राम
● नेमधारी
रामप्रसाद
हरसहाय
रघुवंशी
सुखराम
रामवरण
वालो
.आनो
राजेश्वरी
सुभाषचन्द
मुन्द्रिका
रामलखन
रामचन्दर
जूगल
गीता
रामउदीत
छेदन
महेन्दर
अशोक कुमार
राधेश्याम
सीताराम
राम सिंह
श्रीकृष्ण सिंह
कामता
नारायण
नुनुलाल
+
सिया
+
द्वारिका
×
नरेश
गणेश
उमेश
दिनेश
रामखेलावन
विशुनदेव
ववन
राम सिनेही
(उर्फ जंगली)
रामलाल
यदुनन्दन
उर्फ
भन्डारी
रामचरित्र

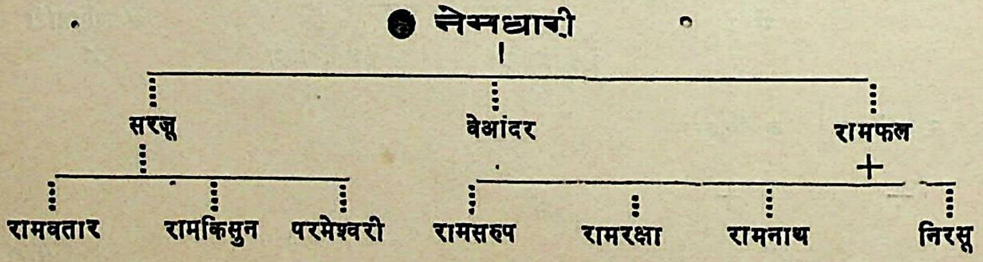
● नेमधारी
सरजू
वेआंदर
रामफल
+
रामवतार
रामकिसुन
परमेश्वरी
रामसरुप
रामरक्षा
रामनाथ
निरसू

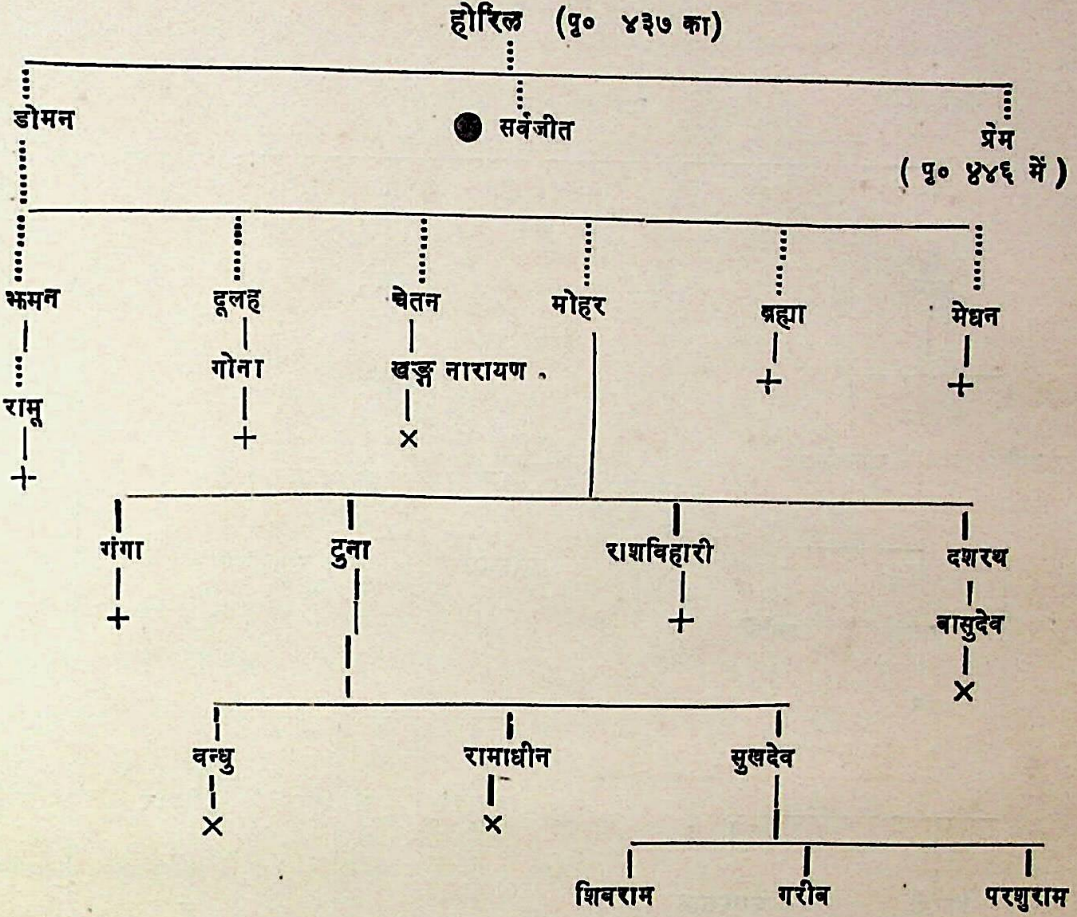
होरिल (पृ० ४३७ का)
डोमन
● सर्वजीत
प्रेम
(पृ० ४४६ में)
झमन
रामू
+
दूलह
गोना
+
चेतन
खड्ग नारायण
×
मोहर
ब्रह्मा
+
मेघन
+
गंगा
+
टुना
राशविहारी
+
दशरथ
वासुदेव
×
वन्धु
×
रामाधीन
×
सुखदेव
शिवराम
गरीब
परशुराम

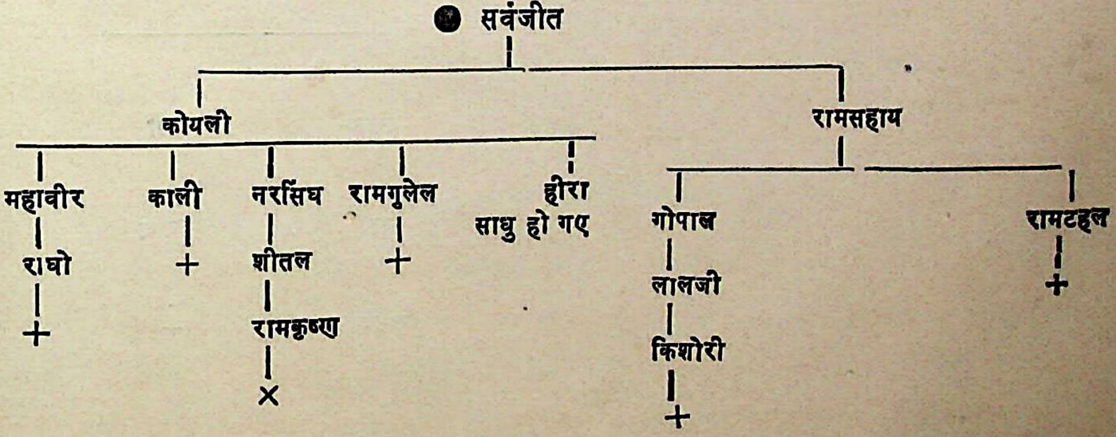
● सर्वजीत
कोयली
रामसहाय
महावीर
राघो
+
काली
+
नरसिंघ
शीतल
रामकृष्ण
×
रामगुलेल
+
हीरा
साधु हो गए
गोपाल
लालजी
किशोरी
+
रामटहल
+

प्रेम (पृ० ४४५ का)

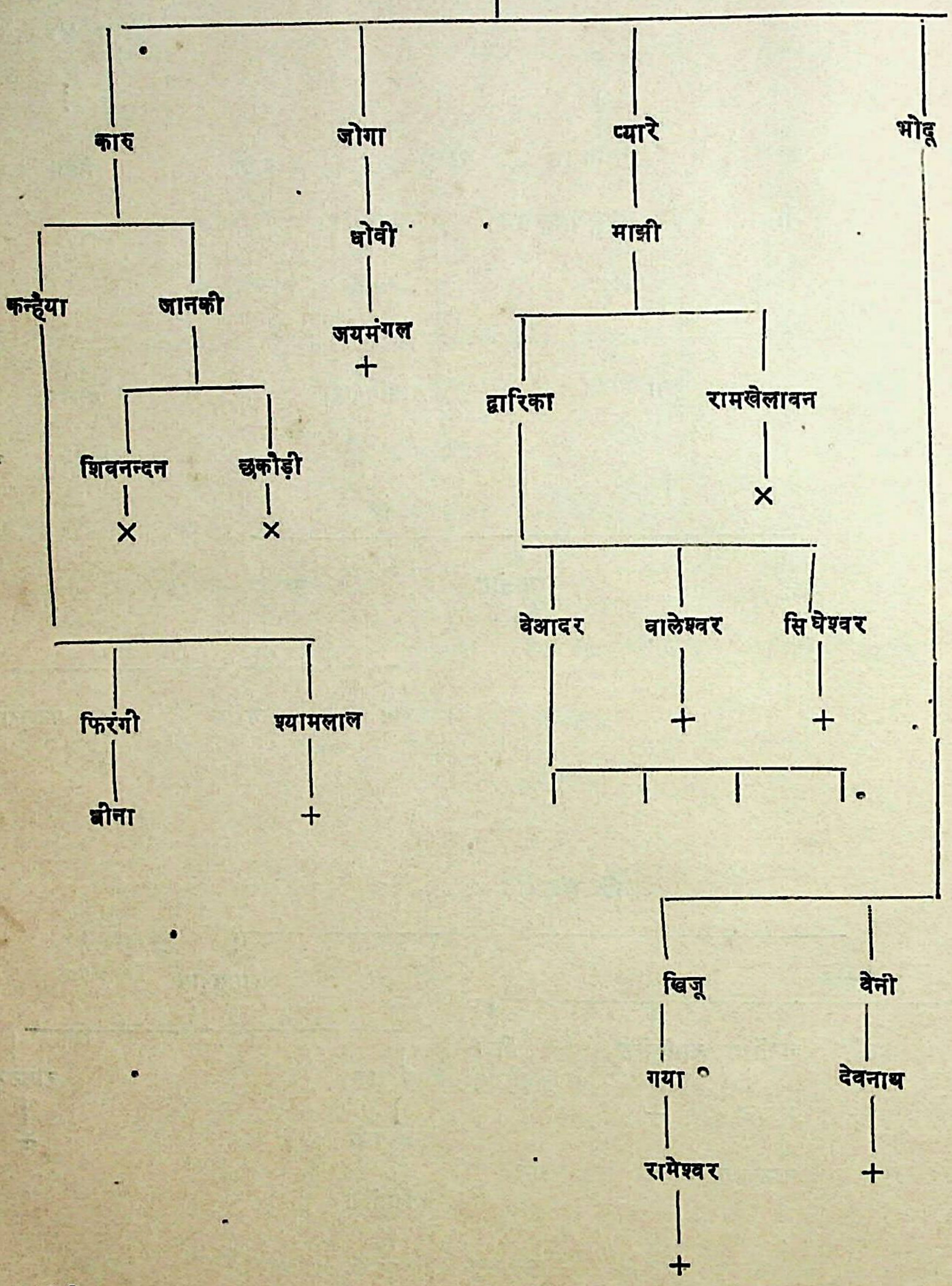
कारु
जोगा
प्यारे
भोदू
कन्हैया
जानकी
धोवी
जयमंगल
+
माझी
द्वारिका
रामखेलावन
×
शिवनन्दन
×
छकौड़ी
×
वेआदर
वालेश्वर
+
सिघेश्वर
+
फिरंगी
बीना
श्यामलाल
+
खिजू
गया
रामेश्वर
+
वेनी
देवनाथ
+

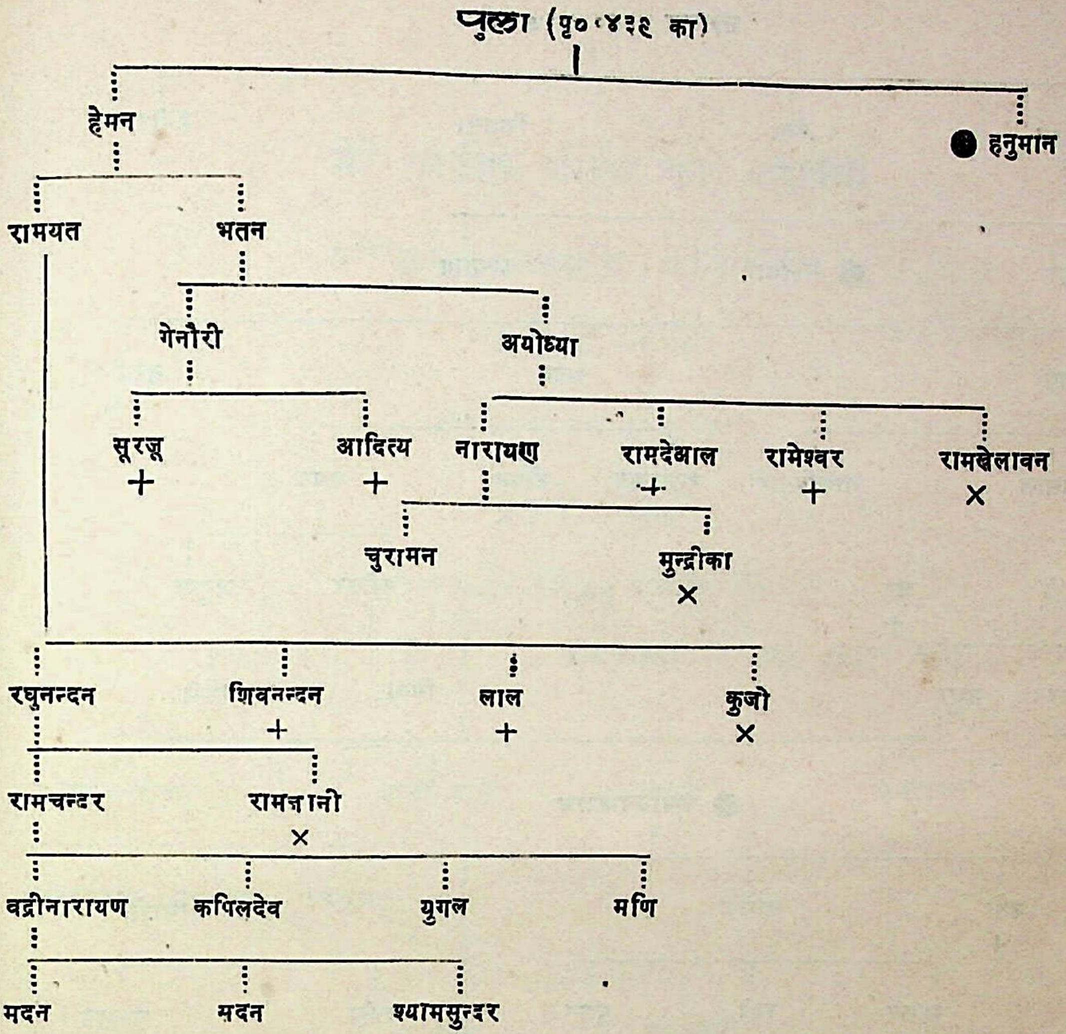
पुला (पृ० ४३९ का)
हेमन
● हनुमान
रामयत
भतन
गेनौरी
अयोध्या
सूरजू +
आदित्य +
नारायण
रामदेश्राल +
रामेश्वर +
रामखेलावन ×
चुरामन
मुन्द्रीका ×
रघुनन्दन
शिवनन्दन +
लाल +
कुजो ×
रामचन्दर
रामजानी ×
बद्रीनारायण
कपिलदेव
युगल
मणि
मदन
मदन
श्यामसुन्दर

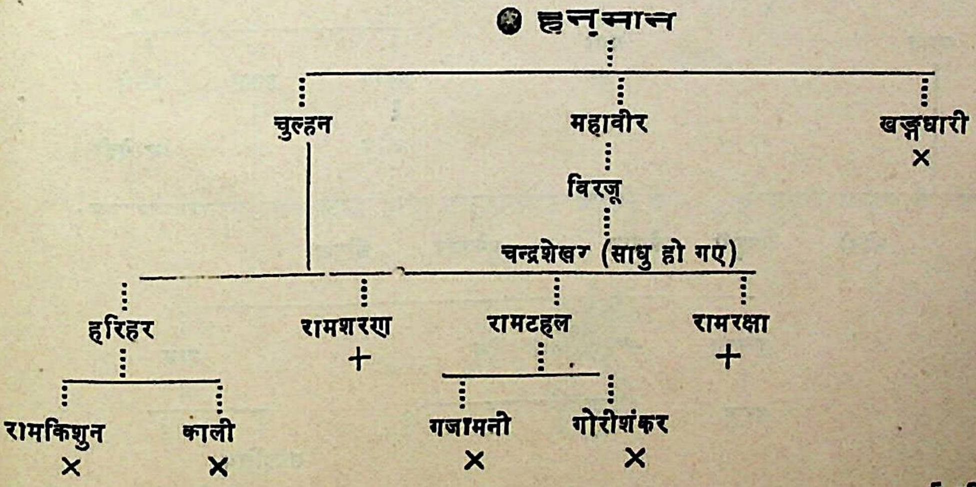
● हनुमान
चुल्हन
महावीर
खड्गधारी ×
विरजू
चन्द्रशेखर (साधु हो गए)
हरिहर
रामशरण +
रामटहल
रामरक्षा +
रामकिशुन ×
काली ×
गजामनी ×
गोरीशंकर ×

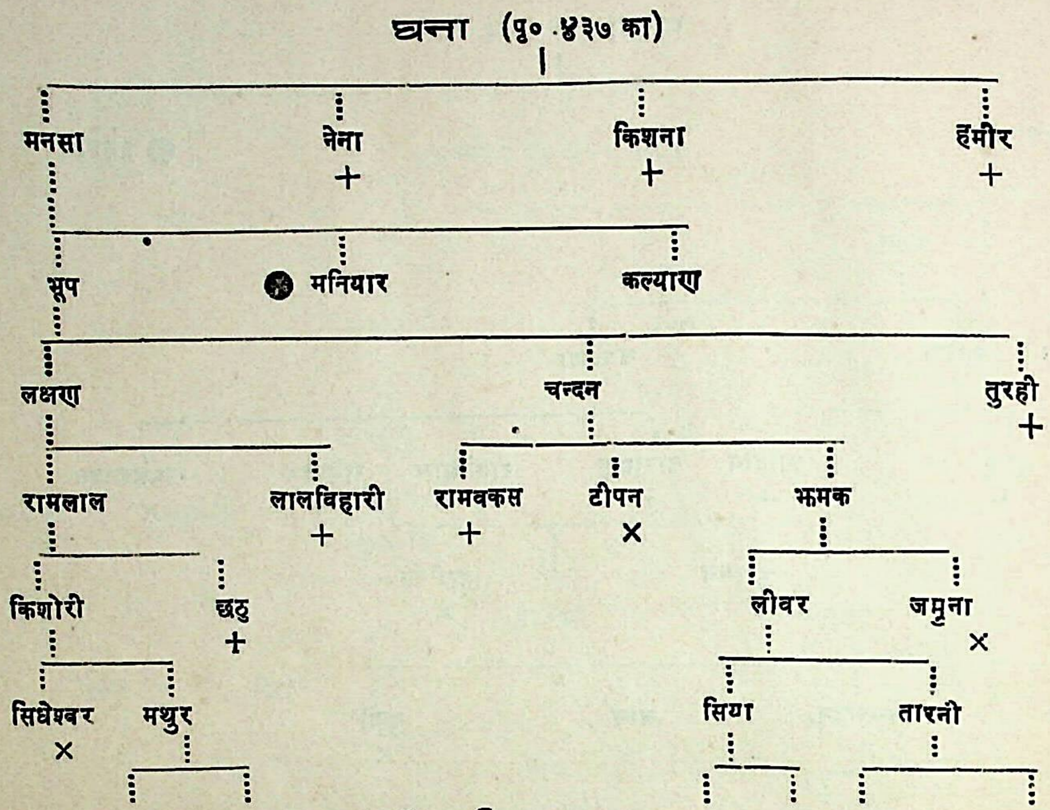
घन्ना (पृ० ४३७ का)
मनसा
नेना +
किशना +
हमीर +
भूप
● मनियार
कल्याण
लक्षण
चन्दन
तुरही +
रामलाल
लालविहारी +
रामवकस +
टीपन ×
झमक
किशोरी
छठु +
लीवर
जमुना ×
सिधेश्वर ×
मथुर
सिया
तारनी

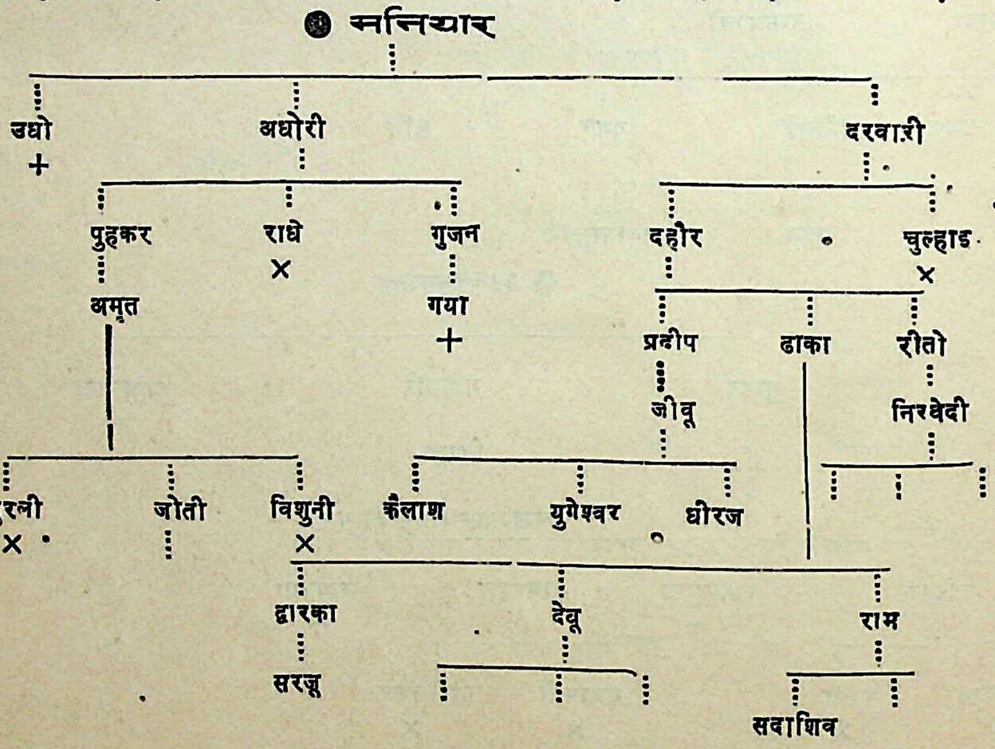
● मनियार
उधो +
अघोरी
दरबारी
पुहकर
राधे ×
गुजन
दहौर
चुल्हाइ ×
अमृत
गया +
प्रदीप
ढाका
रीतो
जीवू
निरबेदी
मुरली ×
जोती
विशुनी ×
कैलाश
युगेश्वर
धीरज
द्वारका
देवू
राम
सरजू
सदाशिव

॥ १३ ॥

मेरे पुरोहित परिवार की वंशावली

श्री हरदेव ठाकुर (शान्डिल्य गोत्र)

इनके नाती

गोपाल झा (कात्यायन गोत्र)

इनके दामाद

भागवत मिश्र (कश्यप गोत्र)

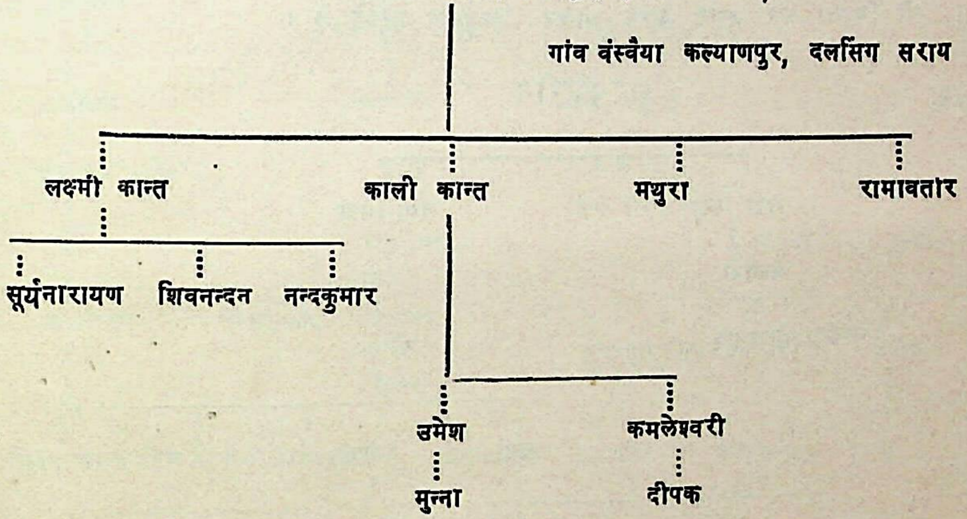
गांव वंस्वैया कल्याणपुर, दलसिंग सराय
लक्ष्मी कान्त
काली कान्त
मथुरा
रामावतार
सूर्यनारायण
शिवनन्दन
नन्दकुमार
उमेश
कमलेश्वरी
मुन्ना
दीपक

इस परिवार के कालीकान्त मिश्र जी सुप्रसिद्ध विद्वान थे। मुरादावाद कालेज के संकृत अध्यापक थे।

॥ १५ ॥

गोरखपुर जिला के सलेमगढ़ के पास पीपरा गांव के निवासी सरयुपारीन ब्राह्मण, गौतम गोत्रीय, तीन प्रवरधारी एक मिश्र वंश की —

वंशावली :

चूड़ाकरण, उपनयन, विवाह इत्यादि का दिनगुनी करना, मुहूर्त वतलाना, श्राध कर्म में विश्वदेव का भाग ग्रहण करना, ग्रहदान, ग्रहपूजा, अनुष्ठान ई० का कार्य संभालना इनकी वृत्ति है । इनका छुआ अन्ना स्थानीय परिवार के भूमिहार नहीं खाते थे ।

इस परिवार के महापात्र या कनटाहा ब्राह्मण निकटवर्त्ती वालगूजर गांव के शाण्डिल्य गोत्रीय-ब्राह्मण हैं जो श्राद्ध के एकादशा कर्म का पौरोहित्य करते हैं ।

श्राद्ध कर्म के भोज में विशेष रुप से निमंत्रित होने वाले सार्वण गोत्रीय ब्राह्मण सजियाना या हंकारा आते हैं । जो चिल्ला कर हल्ला करके भोजन हठपूर्वक माँगते हैं ।

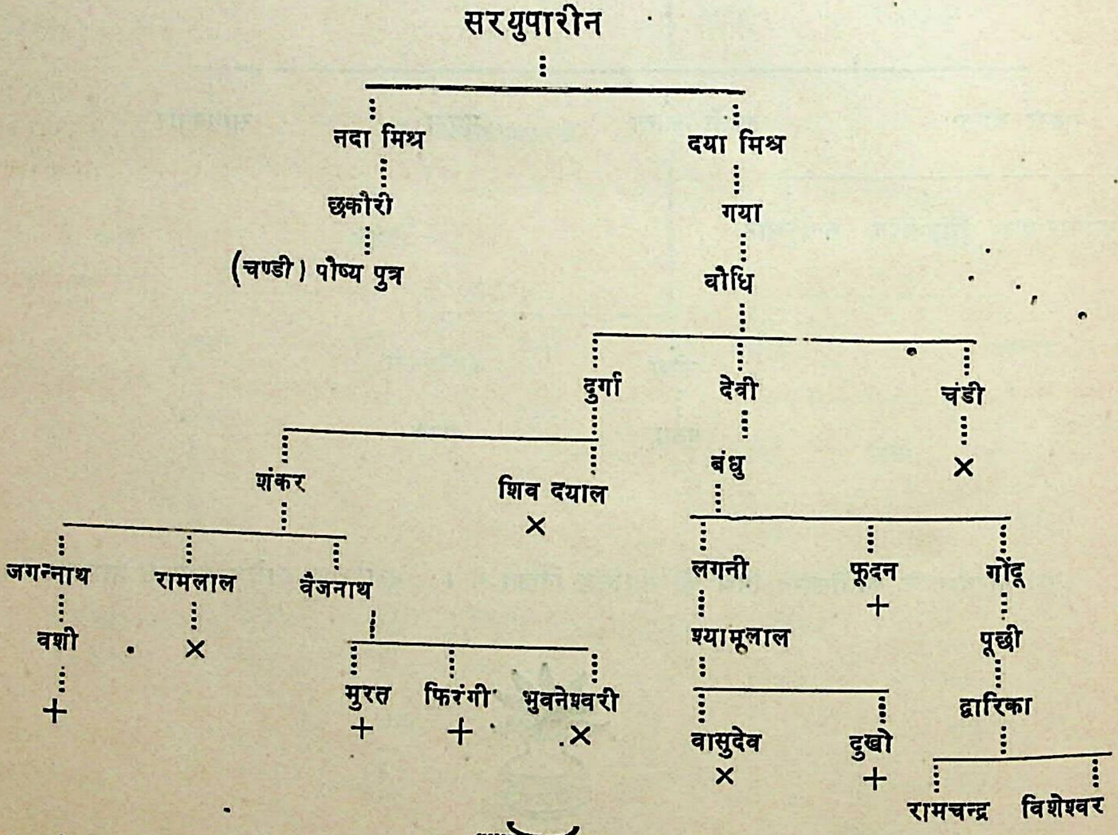
सरयुपारीन
नदा मिश्र
दया मिश्र
छकौरी
(चण्डी) पौष्य पुत्र
गया
वौधि
दुर्गा
देवी
चंडी
×
शंकर
शिव दयाल
×
बंधु
जगन्नाथ
रामलाल
वैजनाथ
वशी
+
×
मुरत
+
फिरंगी
+
भुवनेश्वरी
×
लगनी
श्यामूलाल
वासुदेव
×
दुखो
+
फूदन
+
गोंदू
पूछी
द्वारिका
रामचन्द्र
विशेश्वर

॥ १६ ॥

एक सावर्णगोत्रीय परिवार की वंशावली

गया जिला के वारसलीगंज थानान्तर्गत कुटरी ग्राम के निवासी बाबू फेकू सिंह, बाबा रामचरण के वंश के नातो थे। गरीबी के मारे जिविका की खोज में वह बड़हिया आकर रहे। मातृकुल की सहायता से नवाब मिर्जा के परिवार में नौकरी मिली। हजारी हजाम के घर निवास किया। बुद्धि और बाहुबल से धन-जन का विस्तार किया।

इस परिवार के श्री रामरीझन बाबू 'चूभाई' इस गांव के सुविख्यात कांग्रेस सेवी हैं। १९३० ई० से अनवरत सेवा में लीन हैं। सार्वजनिक क्षेत्र तथा राजनैतिक जीवन में आपका सार्वाधिक लोक प्रिय एवं विश्वसनीय स्थान है। इस परिवार के अनेक सज्जन बेजोड़ पहलवान हुए। श्री रामश्रय बाबू अनुपम रइस उदार, पहलवान, संगीत प्रेमी एवं प्रभावशाली सज्जन थे। इस परिवार में अभी तीन एम० बी० बी० एस डाक्टर भी हैं।

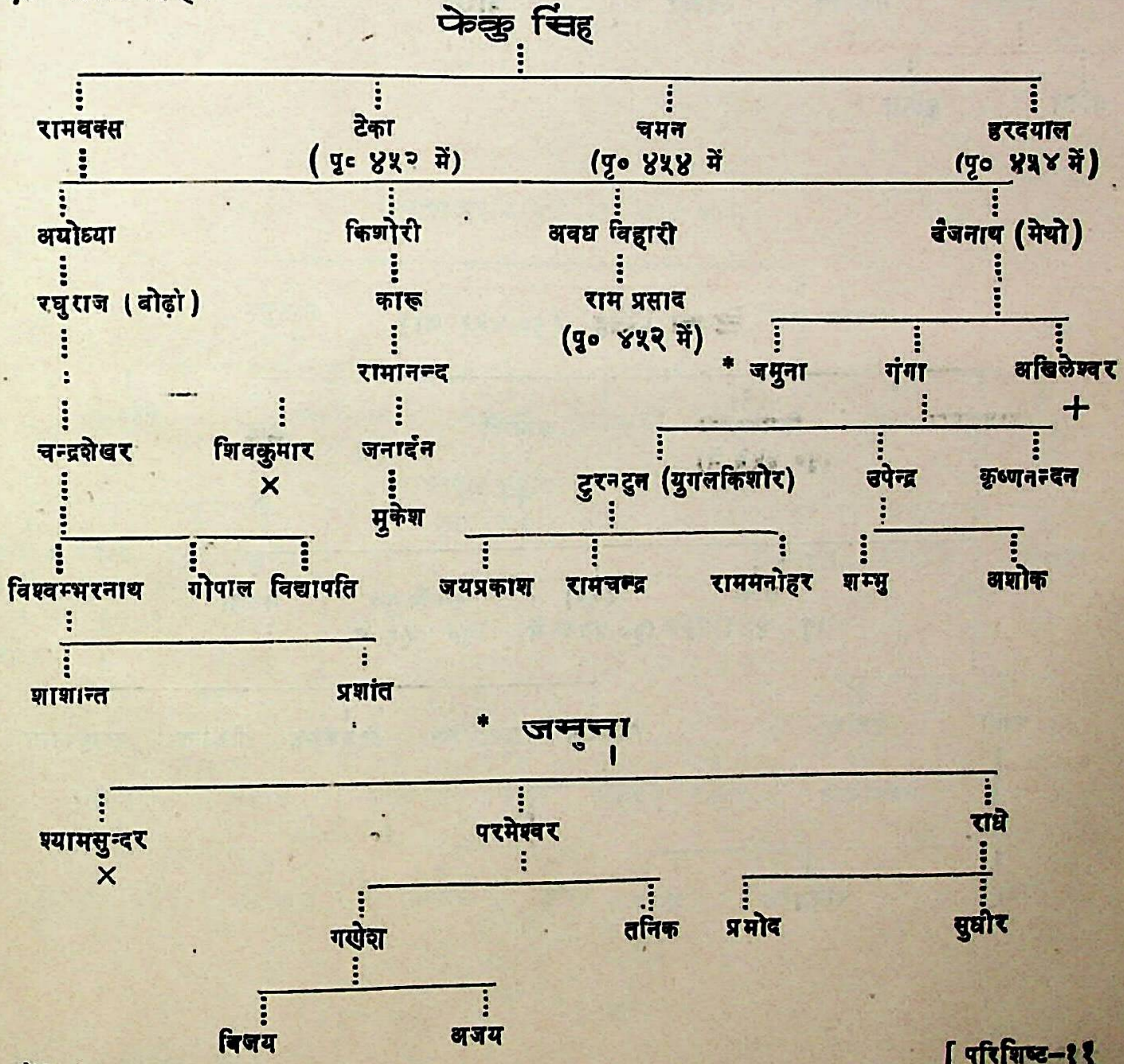
फेकु सिंह
रामवक्स
टेका (पृ० ४५२ में)
चमन (पृ० ४५४ में
हरदयाल (पृ० ४५४ में)
अयोध्या
किशोरी
अवध विहारी
बैजनाथ (मेथो)
रघुराज (बोढ़ो)
कारू
राम प्रसाद (पृ० ४५२ में)
रामानन्द
* जमुना
गंगा
अखिलेश्वर
+
चन्द्रशेखर
शिवकुमार
×
जनार्दन
टुरनटुन (युगलकिशोर)
उपेन्द्र
कृष्णनन्दन
मुकेश
विश्वम्भरनाथ
गोपाल
विद्यापति
जयप्रकाश
रामचन्द्र
राममनोहर
शम्भु
अशोक
शशान्त
प्रशांत
* जम्मुना
श्यामसुन्दर
×
परमेश्वर
राधे
गणेश
तनिक
प्रमोद
सुधीर
विजय
अजय

राम प्रसाद (पृ० ४५१ का)

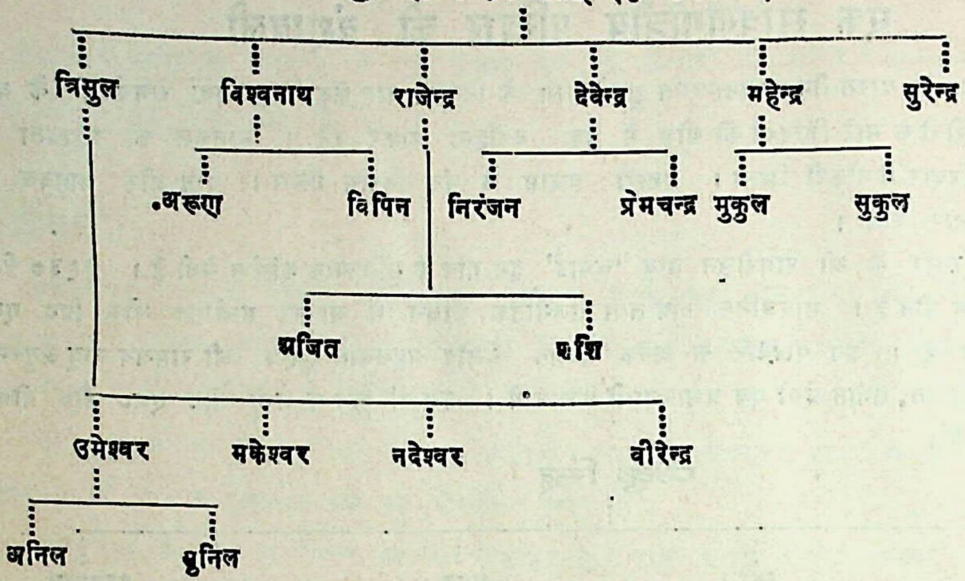
त्रिसुल
विश्वनाथ
राजेन्द्र
देवेन्द्र
महेन्द्र
सुरेन्द्र
अरुण
विपिन
निरंजन
प्रेमचन्द्र
मुकुल
सुकुल
अजित
शशि
उमेश्वर
मकेश्वर
नदेश्वर
वीरेन्द्र
अनिल
सुनिल

टेक्का सिंह (पृ० ४५१ का)

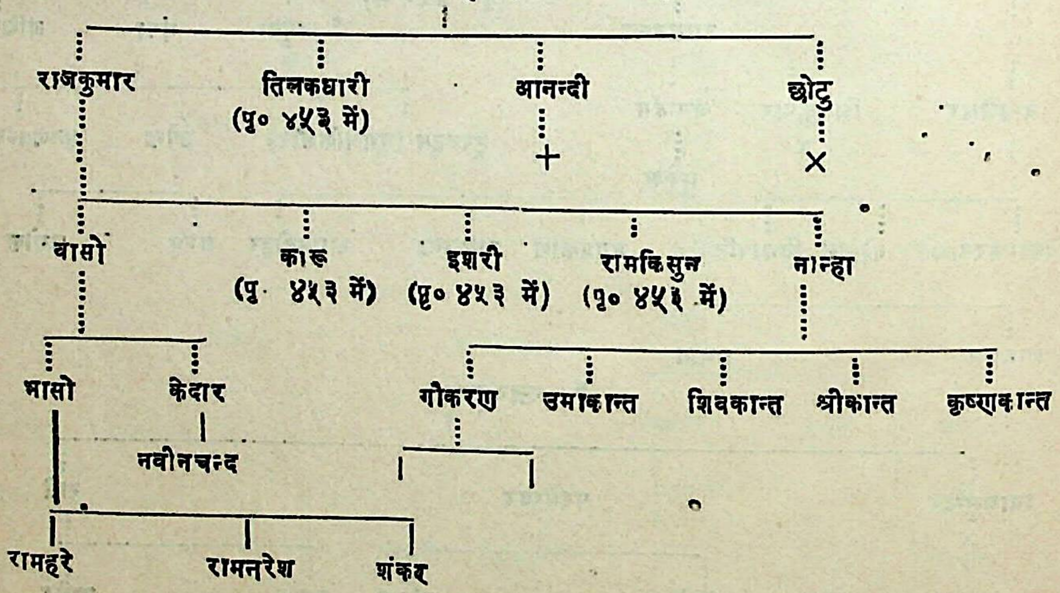
राजकुमार
तिलकधारी (पृ० ४५३ में)
आनन्दी
+
छोटु
×
वासो
कारु (पृ० ४५३ में)
इशरी (पृ० ४५३ में)
रामकिसुन (पृ० ४५१ में)
नान्हा
भासो
केदार
नवीनचन्द
गोकरण
उमाकान्त
शिवकान्त
श्रीकान्त
कृष्णकान्त
रामहरे
रामनरेश
शंकर

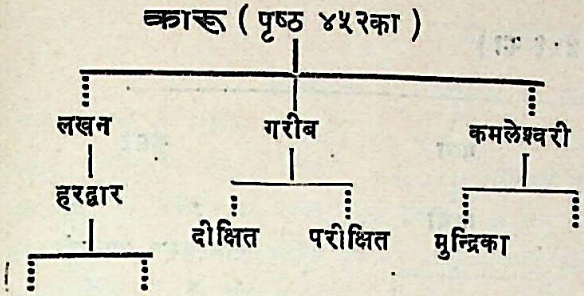
कारू (पृष्ठ ४५२का)
लखन
गरीब
कमलेश्वरी
हरद्वार
दीक्षित
परीक्षित
मुन्द्रिका

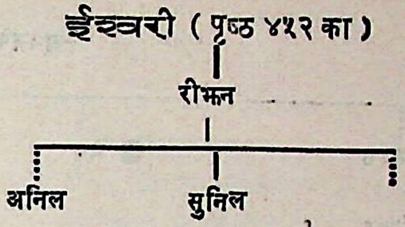
ईश्वरी (पृष्ठ ४५२ का)
रीझन
अनिल
सुनिल

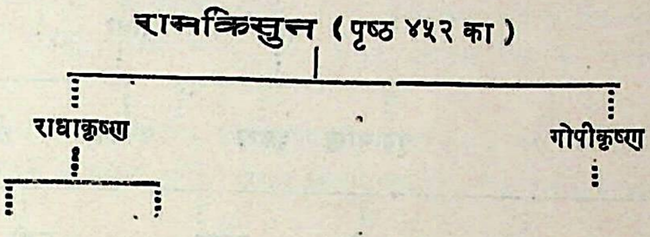
रामकिसुन (पृष्ठ ४५२ का)
राधाकृष्ण
गोपीकृष्ण

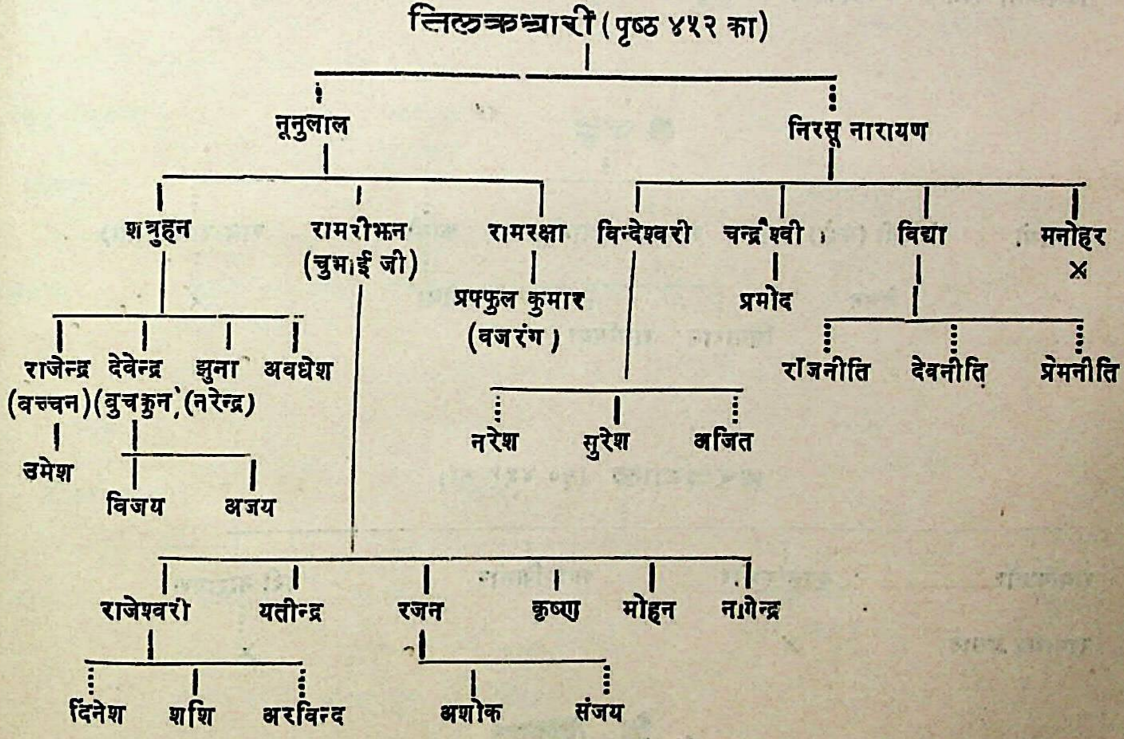
तिलकधारी (पृष्ठ ४५२ का)
नूनुलाल
निरसू नारायण
शत्रुहन
रामरीझन (चुमाई जी)
रामरक्षा
विन्देश्वरी
चन्द्रेश्वी
विद्या
मनोहर ×
प्रपफुल कुमार (वजरंग)
प्रमोद
राजेन्द्र (वच्चन)
देवेन्द्र (बुचकुन)
झुना (नरेन्द्र)
अवधेश
उमेश
विजय
अजय
राजनीति
देवनीति
प्रेमनीति
नरेश
सुरेश
अजित
राजेश्वरी
यतीन्द्र
रजन
कृष्ण
मोहन
नागेन्द्र
दिनेश
शशि
अरविन्द
अशोक
संजय

चमन (पृ० ४५१ का)

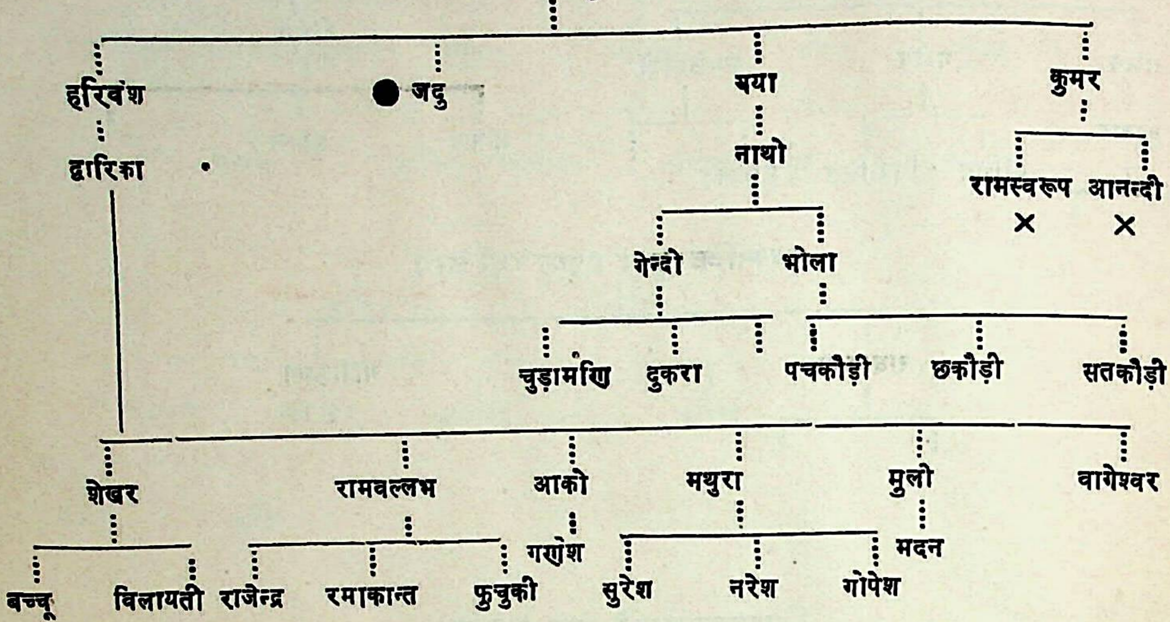
हरिवंश
● जदु
भया
कुमर
द्वारिका
नाथो
रामस्वरूप ×
आनन्दी ×
गेन्दो
भोला
चुड़ामणि
दुकरा
पचकौड़ी
छकौड़ी
सतकौड़ी
शेखर
रामवल्लभ
आको
मथुरा
मुलो
वागेश्वर
गणेश
मदन
बच्चू
विलायती
राजेन्द्र
रमाकान्त
फुचुकी
सुरेश
नरेश
गोपेश

● जद्दू

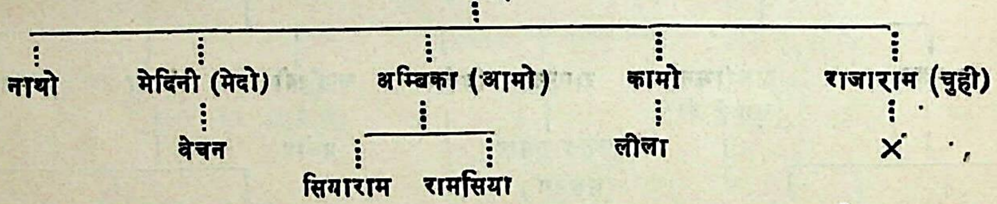
नाथो
मेदिनी (मेदो)
अम्बिका (आमो)
कामो
राजाराम (चुही)
वेचन
लीला
×
सियाराम
रामसिया

हरदयाल (पृ० ४५१ का)

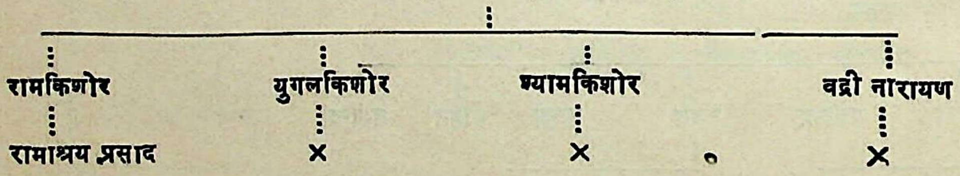
रामकिशोर
युगलकिशोर
श्यामकिशोर
बद्री नारायण
रामाश्रय प्रसाद
×
×
×

॥ १७ ॥

एक वत्सगोत्रीय परिवार का परिचय

यह परिवार कैलगढ़ का निवासी था। इनके मूलपुरुष गजाधर देव के पुत्र कमलाधर तथा वेणीधर तीर्थयात्रा के सिलसिले में एकरामा पहुंचे। वह जंगल था। वहां अपना गढ़ बनाकर रह गए। वाद में एकाढ़ा (शेखपुरा थाना) आए। वहां पर गनमनियां का राजा शिकार खेलने आए। कमलाधर के हाथ में चक्र की रेखा देखकर वह राजा उन्हें कैयारगढ़ ले गए और 'अपनी वेटियों से विवाह कर दिया। उक्त राजा के दो लड़के थे। सात लड़कियाँ थीं। उनके लड़कों को इन वहनोइयो से इर्ष्या हो गई। सात वहनोइयों में से ६ मार दिये गये एक ही वच पाए। तो वेणीधर कंय्यार में रहे और कमलाधर लोहान आकर वसे।

इस वंश में केहरि सिंह, धनराज के नान्हु सिंह के पुत्र युवराज सिंह के दामाद थे, वही वड़हिया आकर वसे थे।

इस परिवार में वावू चतुर्भुज सिंह उल्लेखनीय हुए, जिनने काफी धन उपार्जित किया। इस वंश में छोटू सिंह पहलवान और कुश्ती के उस्ताद हुए। इनका अखाड़ा चल रहा है। एक ठाकुरवाड़ी भी इस परिवार के संरक्षण में कायम है।

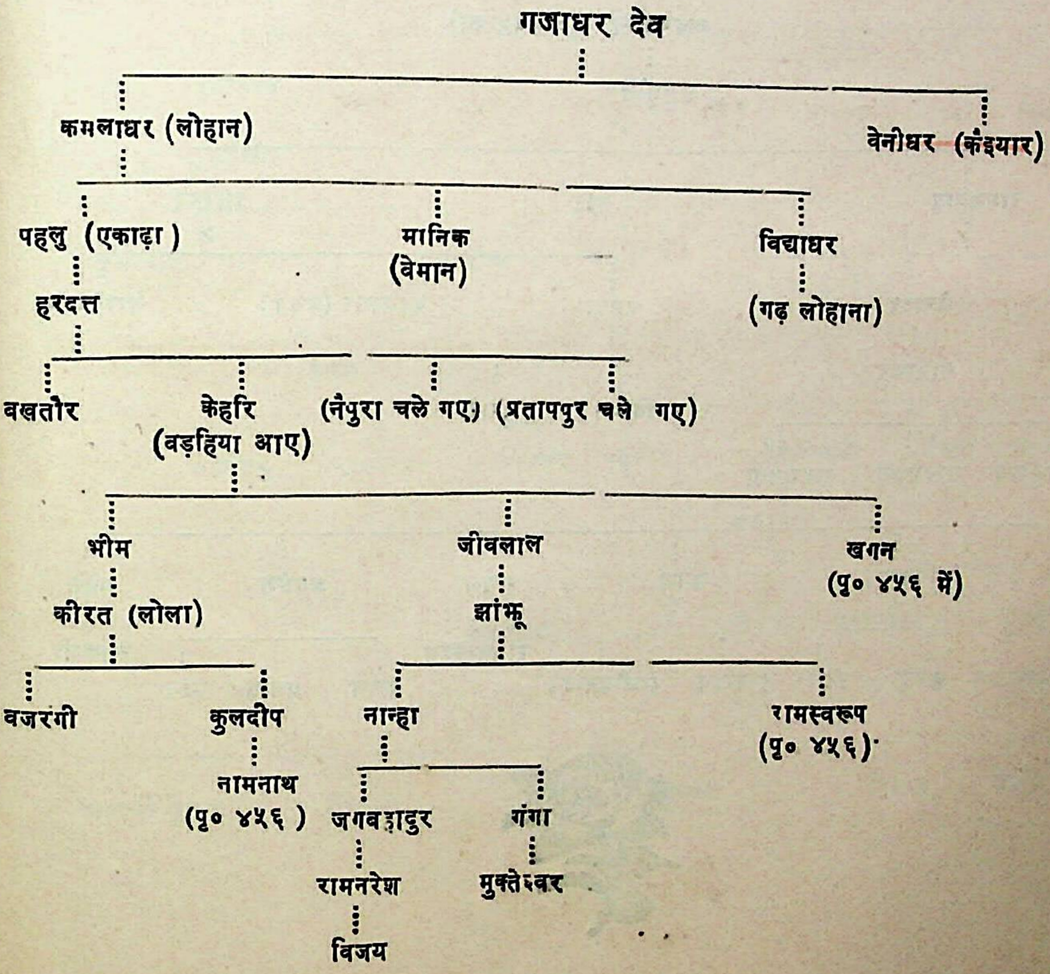
गजाधर देव
कमलाधर (लोहान)
वेनीधर (कंइयार)
पहलु (एकाढ़ा)
मानिक (वेमान)
विद्याधर (गढ़ लोहाना)
हरदत्त
वखतौर
केहरि (वड़हिया आए)
(नैपुरा चले गए)
(प्रतापपुर चले गए)
भीम
जीवलाल
खगन (पृ० ४५६ में)
कीरत (लोला)
झांभू
वजरंगी
कुलदीप
नान्हा
रामस्वरूप (पृ० ४५६)
नामनाथ (पृ० ४५६)
जगवहादुर
गंगा
रामनरेश
मुक्तेश्वर
विजय

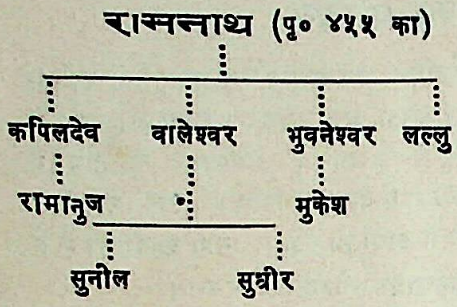
रामनाथ (पृ० ४५५ का)
कपिलदेव
वालेश्वर
भुवनेश्वर
लल्लु
रामानुज
मुकेश
सुनील
सुधीर

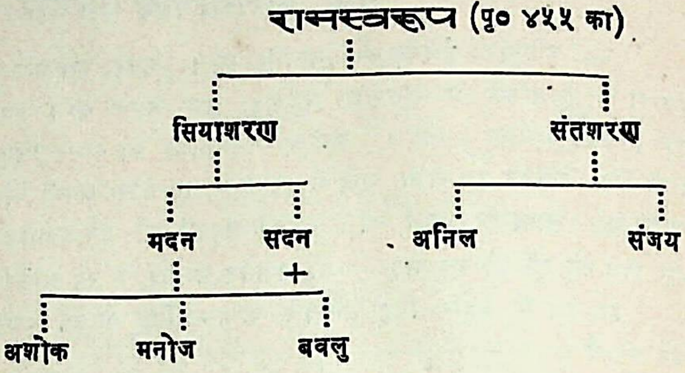
रामस्वरूप (पृ० ४५५ का)
सियाशरण
संतशरण
मदन
सदन
+
अनिल
संजय
अशोक
मनोज
बबलु

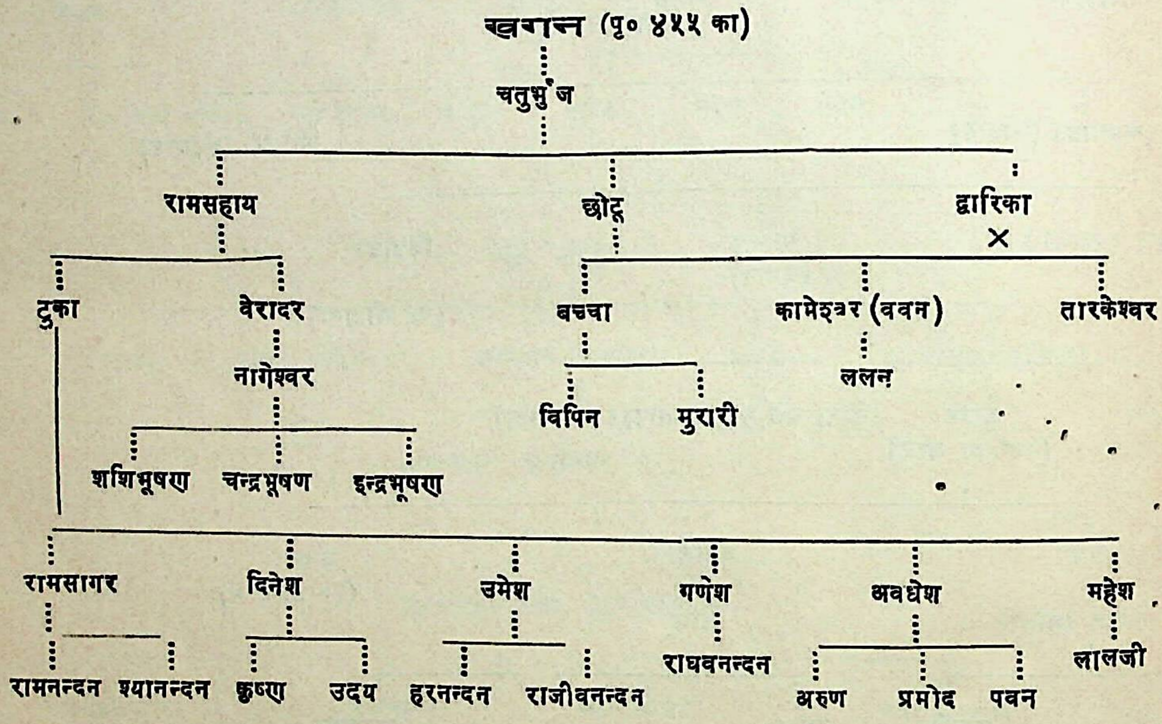
खगान्त (पृ० ४५५ का)
चतुर्भुज
रामसहाय
छोटू
द्वारिका
×
टुका
वेरादर
नागेश्वर
शशिभूषण
चन्द्रभूषण
इन्द्रभूषण
बच्चा
कामेश्वर (ववन)
तारकेश्वर
विपिन
मुरारी
ललन
रामसागर
दिनेश
उमेश
गणेश
अवधेश
महेश
रामनन्दन
श्यानन्दन
कृष्ण
उदय
हरनन्दन
राजीवनन्दन
राघवनन्दन
अरुण
प्रमोद
पवन
लालजी

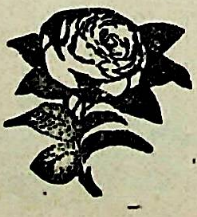

॥ १८ ॥

एक कश्यप गोत्रीय परिवार की वंशावली

पटना जिलान्तर्गत पाली ग्राम के प० महादेव दत्त जी बड़हिया इन्द के राय साहब टुकांनाथ सिंह जी के मामा थे। राय साहब के मैनेजर होकर वह बड़हिया में ही रहे थे। सुप्रसिद्ध रामायणी विद्वान थे और गोस्वामी तुलसी दास जी की शिष्य परम्परा में थे। बड़हिया में रामभक्ति एवं रामायण के प्रचार का श्रेय आपका है आपको अपना परिवार नहीं था। गया जिले के खड़वा ग्राम से अपने सम्बन्धी श्री शिवप्रसाद सिंह को आपने ही लाकर यहां बसाया और उन्हीं के वंश के बाबू रामपाल सिंह अपनी चतुरता, बुद्धि पराक्रम तथा कानूनी ज्ञान के लिए सुप्रसिद्ध हुए। अपने परिवार की उन्नति उनने की।

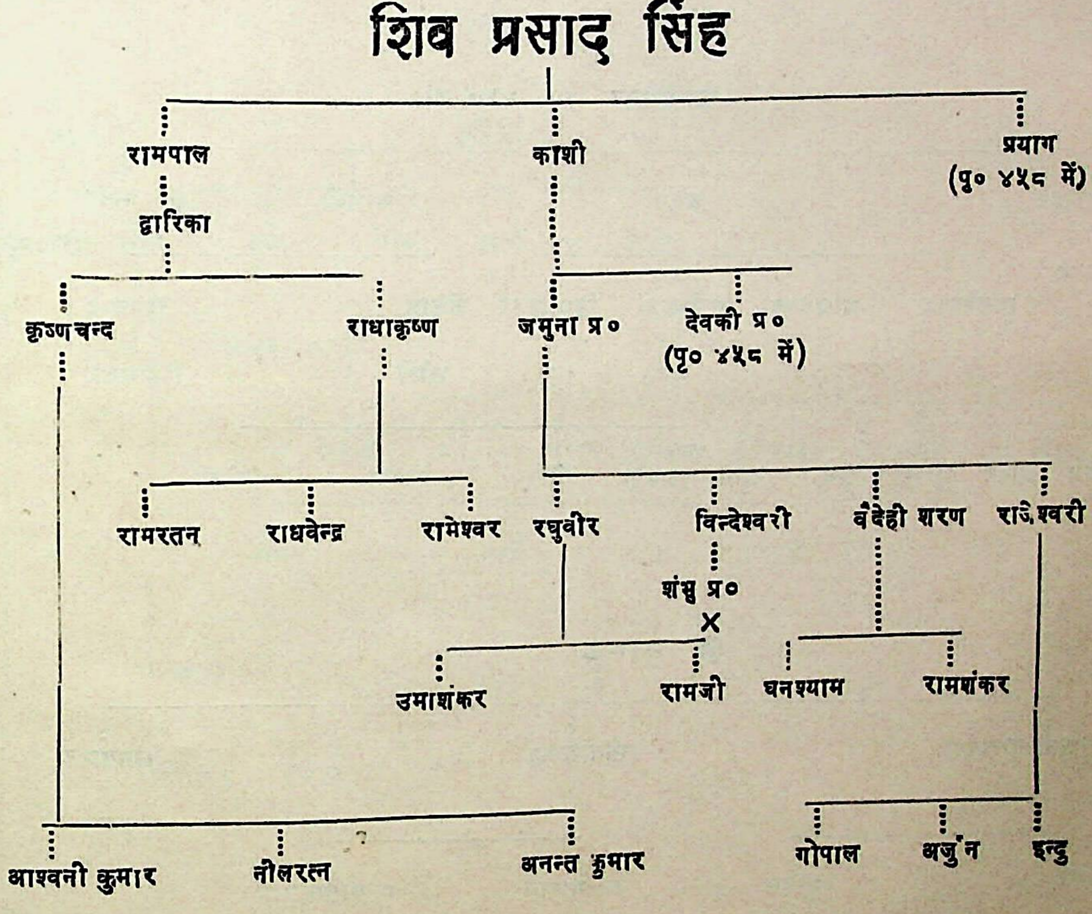
शिव प्रसाद सिंह
रामपाल
काशी
प्रयाग (पृ० ४५८ में)
द्वारिका
कृष्णचन्द
राधाकृष्ण
जमुना प्र०
देवकी प्र० (पृ० ४५८ में)
रामरतन
राघवेन्द्र
रामेश्वर
रघुवीर
विन्देश्वरी
वैदेही शरण
राजेश्वरी
शंभु प्र०
X
उमाशंकर
रामजी
घनश्याम
रामशंकर
आश्वनी कुमार
नीलरत्न
अनन्त कुमार
गोपाल
अर्जुन
इन्दु

देवकी प्रसाद (पृ० ४५७ का)

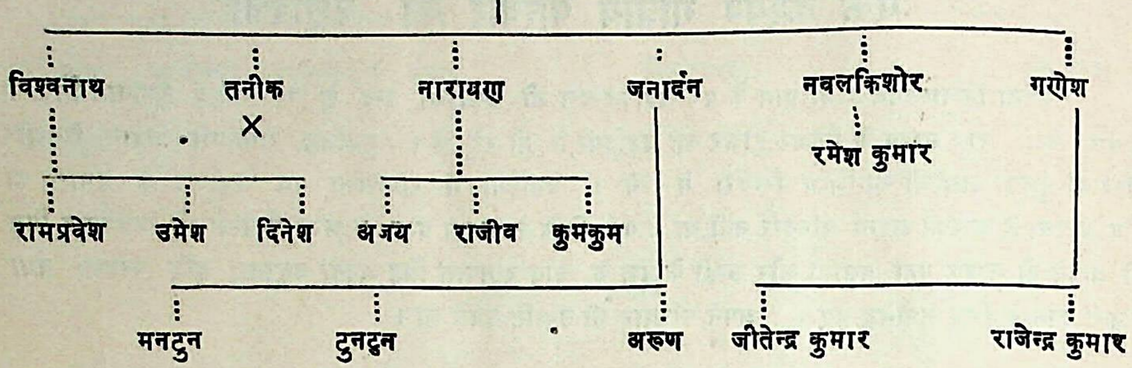
विश्वनाथ
तनीक
×
नारायण
जनार्दन
नवलकिशोर
गणेश
रमेश कुमार
रामप्रवेश
उमेश
दिनेश
अजय
राजीव
कुमकुम
मनटुन
टुनटुन
अरुण
जीतेन्द्र कुमार
राजेन्द्र कुमार

प्रयाग (पृ० ४५७ का)

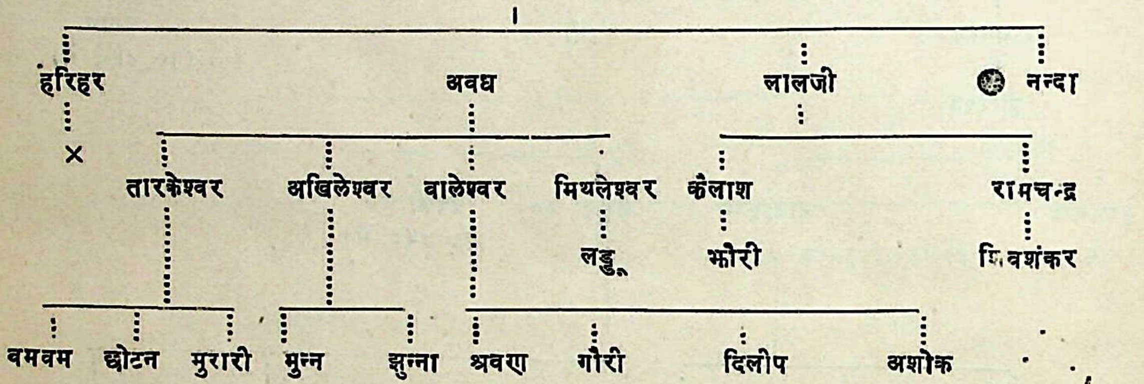
हरिहर
×
अवध
लालजी
● नन्दा
तारकेश्वर
अखिलेश्वर
वालेश्वर
मिथलेश्वर
कैलाश
रामचन्द्र
लड्डू
झोरी
शिवशंकर
बमबम
छोटन
मुरारी
मुन्न
झुन्ना
श्रवण
गौरी
दिलीप
अशोक

● नन्दा

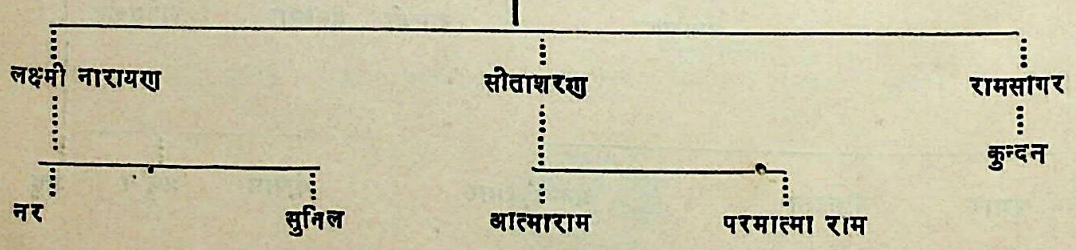
लक्ष्मी नारायण
सीताशरण
रामसागर
कुन्दन
नर
सुनिल
आत्माराम
परमात्मा राम

एक गौतम गोत्रीय वंश का परिचय

यह छोटा परिवार प्राचीन काल से यहां बसा हुआ है । श्री जगदम्बा स्थान के निकट ही इनका निवास है । इनके परिवार की पूजा सती स्मारक के रूप में होती है । इनकी नातेदारी का पता नहीं चला । यह भी नहीं मालूम कि किस सिलसिले में यहां आकर बसे थे । ये बेगूसराय अनुमंडल के नवलागढ़ के निवासी थे । जीवन की भूमि पर वास है परन्तु अपना पता दानी के नाम से देते हैं । समवतः इनके पूर्व पुरुष की बहन यहां विवाहित थी । उसी बहन ने यहां आकर उनको बसाया था ।

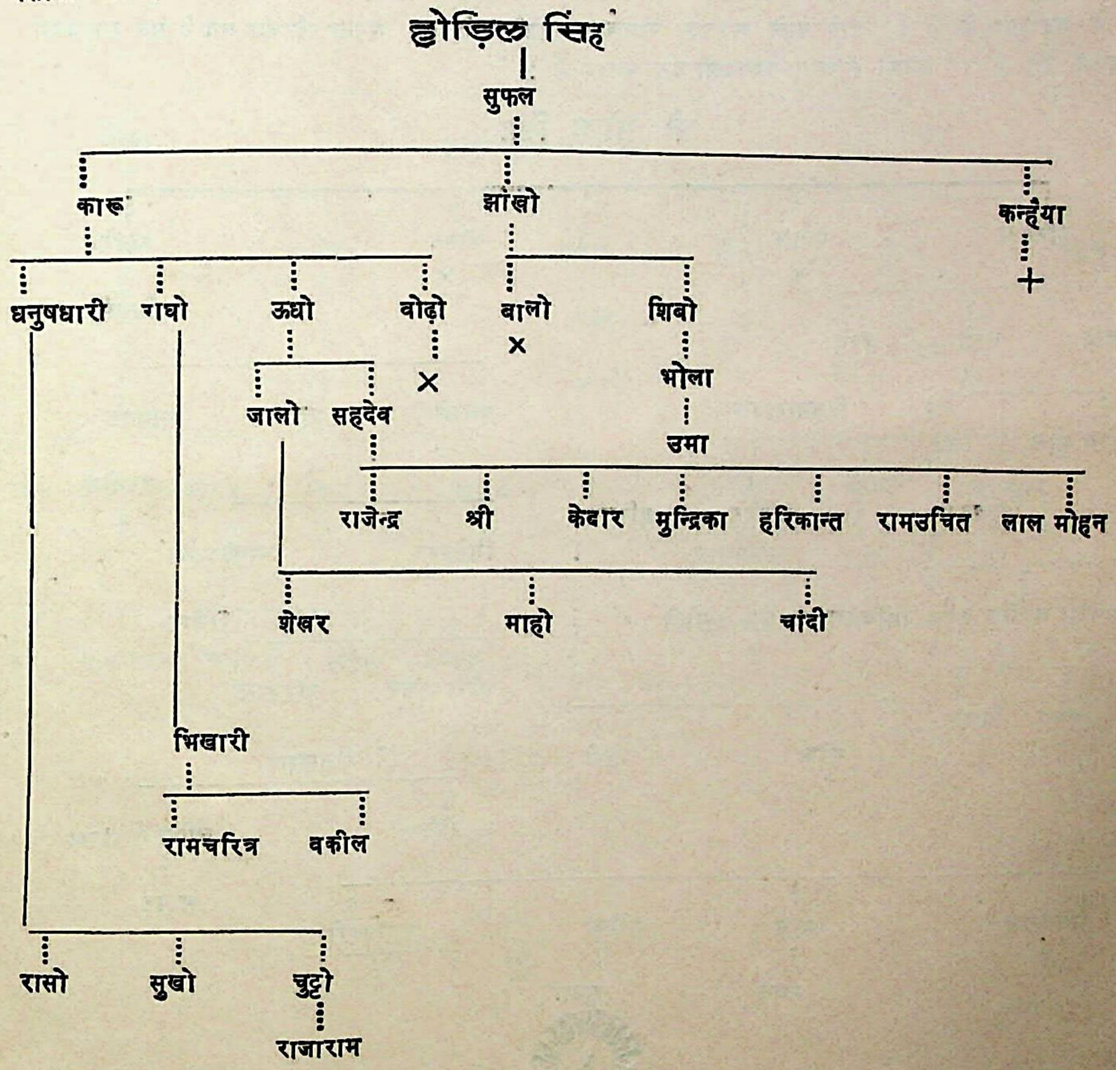
छोड़िल सिंह
सुफल
कारू
झांखो
कन्हैया
+
धनुषधारी
गाघो
ऊधो
वोढ़ो
बालो
शिबो
×
×
भोला
जालो
सहदेव
उमा
राजेन्द्र
श्री
केदार
मुन्द्रिका
हरिकान्त
रामउचित
लाल मोहन
शेखर
माहो
चांदी
भिखारी
रामचरित्र
वकील
रासो
सुखो
चुट्टो
राजाराम

॥ २०॥

पीपरतर वाले की वंशावली

एक परिवार वाले पीपरतर के नाम से जाने जाते हैं—

इनका कथन है कि यह भी पूर्व पुरुष पृथुठाकुर ही के वंशज हैं और मरांची कांड के समय अन्यत्र चले गए थे

इनके कोई पूर्वज नवादा अनुमंडल के कौआकोल थाना के रूपौर गांव में निर्धन जीवन व्यतीत कर रहे थे। बड़हिया के कोई महापुरुष सयोगवश वहां पहुँचे जो उन्हें बड़हिया ले आए और तत्र से वे बड़हिया में हैं। लाने वाले संभवतः रामचरण बंशीय थे। अपना परिचय अब ये सब रामचरण कहकर देते हैं। इनकी संक्षिप्त वंशावली इस प्रकार है :

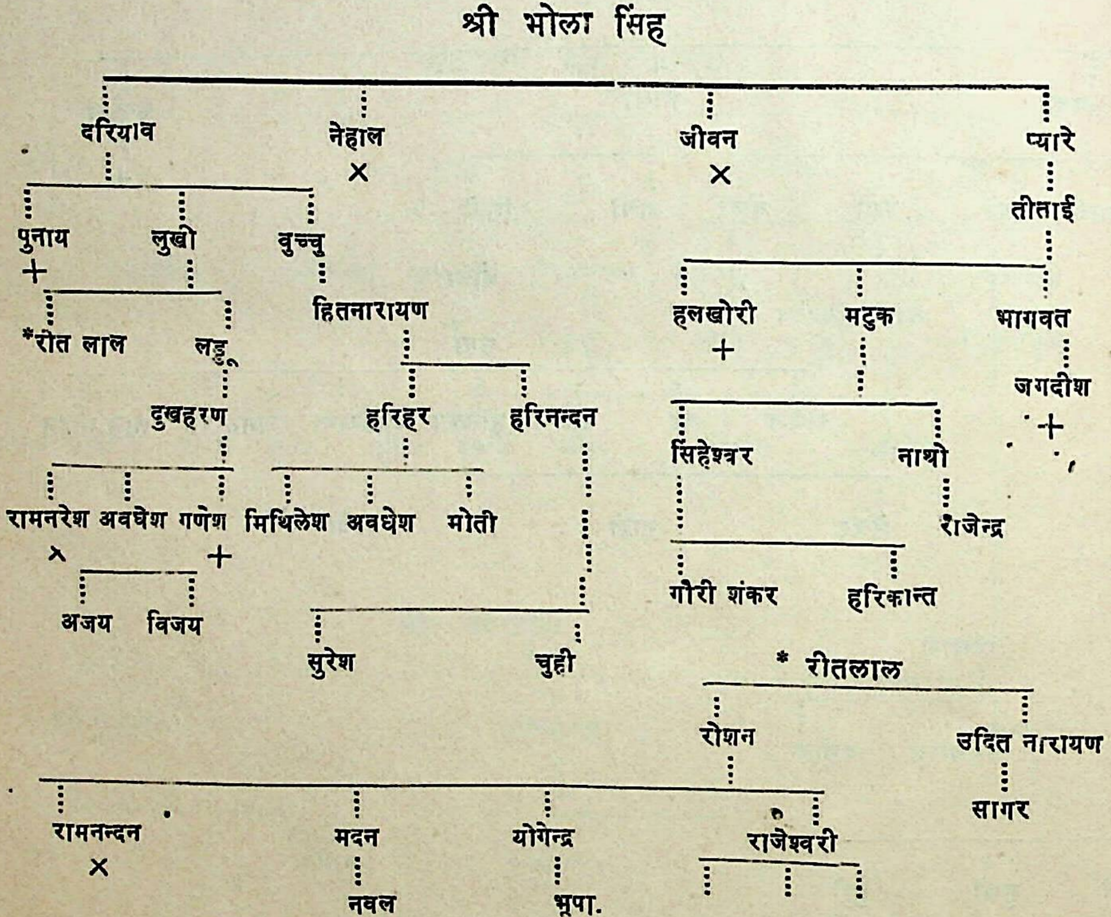
श्री भोला सिंह
दरियाव
नेहाल ×
जीवन ×
प्यारे
पुनाय +
लुखी
बुच्चु
तीताई
*रीत लाल
लड्डू
हितनारायण
हलखोरी +
मट्टुक
भागवत
दुखहरण
हरिहर
हरिनन्दन
जगदीश +
सिंहेश्वर
नाथो
रामनरेश ×
अवधेश
गणेश +
मिथिलेश
अवधेश
मोती
राजेन्द्र
अजय
विजय
गौरी शंकर
हरिकान्त
सुरेश
चुन्नी
* रीतलाल
रोशन
उदित नारायण
सागर
रामनन्दन ×
मदन
योगेन्द्र
राजेश्वरी
नवल
भूपा.

जोधा की वंशावली

नोट:—'जोधा' वंशीय भाई यद्यपि घनराज या धनराज या प्राण चौधरी के वंश में इनका कहीं उल्लेख नहीं है, परन्तु ये अपने को धनराज के ही वंशज बतलाते हैं।

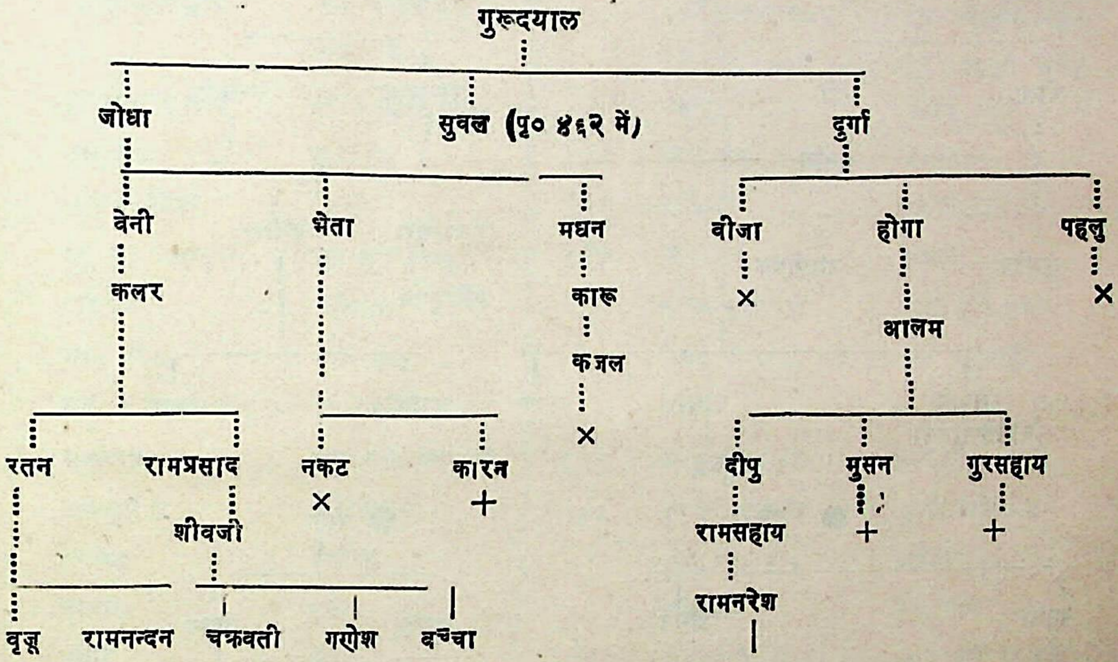
गुरूदयाल
जोधा
सुवंश (पृ० ४६२ में)
दुर्गा
वेनी
भेता
मधन
वीजा
होगा
पहलु
कलर
कारू
×
आलम
×
कजल
×
रतन
रामप्रसाद
नकट
कारन
दीपु
मुसन
गुरसहाय
×
+
शीवजी
रामसहाय
+
+
रामनरेश
वृजू
रामनन्दन
चक्रवती
गणेश
बच्चा

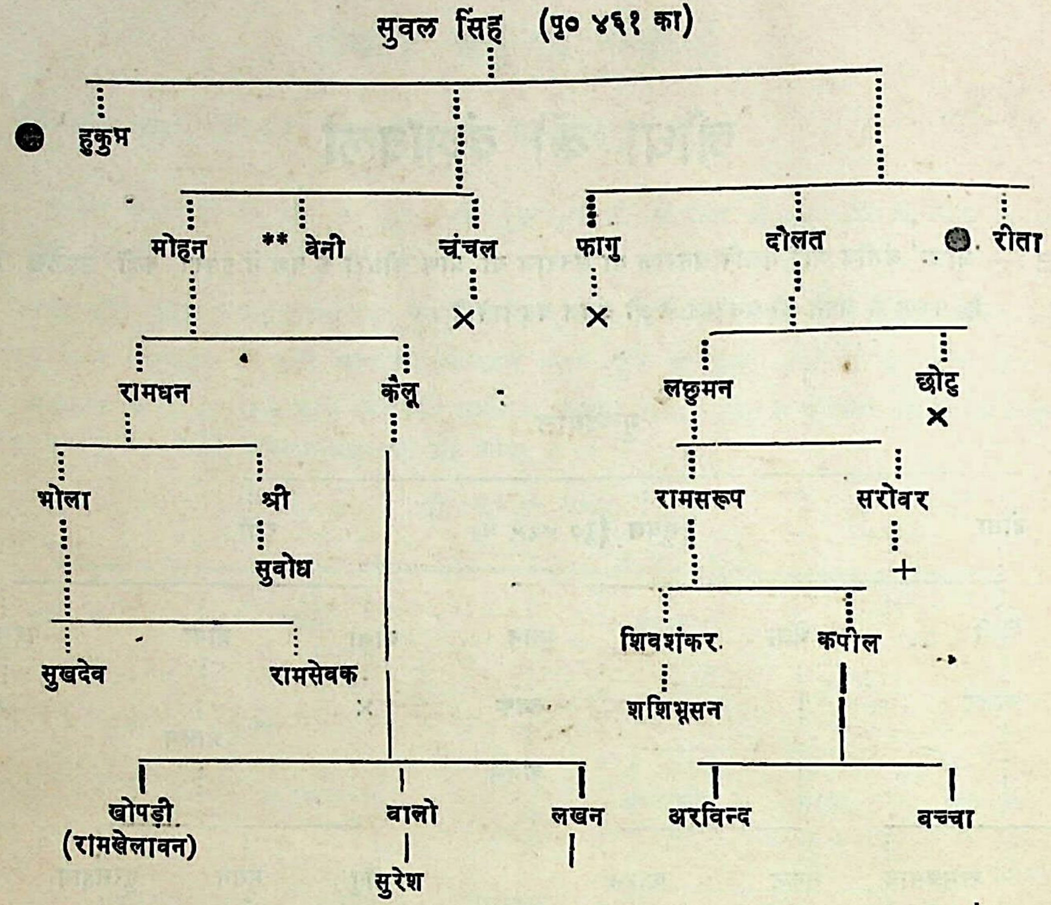
सुवल सिंह (पृ० ४६१ का)
हुकुम
मोहन
** वेनी
चंचल
×
फागु
×
दौलत
रीता
रामधन
कैलू
लछुमन
छोटु
×
भोला
श्री
सुवोध
रामसरूप
सरोवर
+
सुखदेव
रामसेवक
शिवशंकर
शशिभूसन
कपील
खोपड़ी
(रामखेलावन)
वालो
सुरेश
लखन
अरविन्द
वच्चा

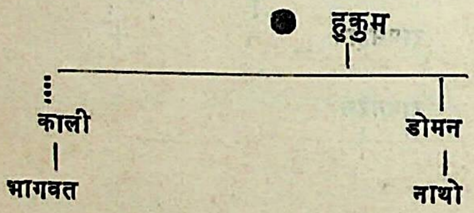
हुकुम
काली
भागवत
डोमन
नाथो

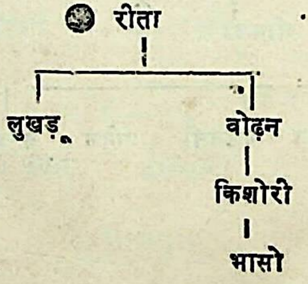
रीता
लुखड़
वोढ़न
किशोरी
भासो

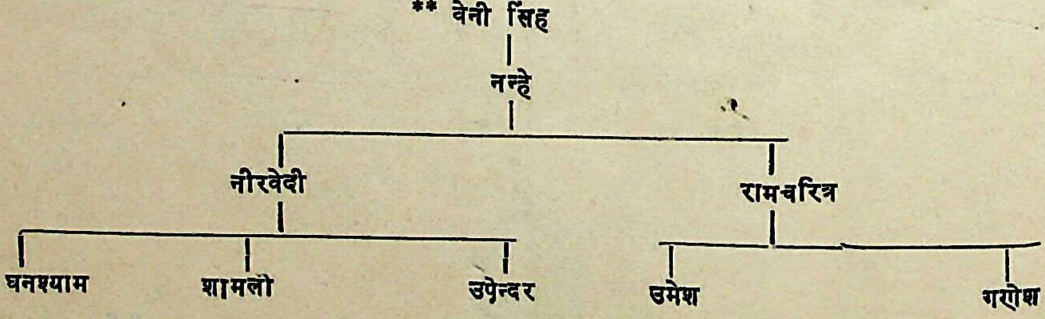
** वेनी सिंह
नन्हे
नीरवेदी
घनश्याम
शामलो
उपेन्दर
रामचरित्र
उमेश
गणेश

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ	अशुद्ध	शुद्ध
१	सीमा मिलती	सीमा से मिलती है
२३	यह सी संभव है	यह भी संवभ है
२७	इनक राज्यकाल	इनके
२८	राजा टोड़ा मल से	राजा टोडर मल के समय से
३६	हमलोगों के मध्य	इन लोगों के मध्य
३७	शुनः शेक	शुनः शेप
३९	श्रीमती लिडा	लिंडा
४६	इस मूल निवासी-	इन मूल निवासी-
	पश्चिया	पश्चिमा
४७	मध्य प्रेदेश	मध्य देश
५०	कभी वे लगान और लेशमात्र	कभी वे लगान और कभी लेशमात्र.
५१	राजाओं के	राजाओं को
५२	निसिद्ध	निषिद्ध
५९	सामान	समान
६३	माघी	माछी
	याभिज्ञक	याज्ञिक
७१	मोशारक्त	मोशारकत
	यह प्रचलित विश्वास भी	यह प्रचलित विश्वास असिद्ध होता है कि दमामी ....
७६.	सान्तातर	सान्हातर
८२	पितमह	पितामह
८३	मोसमात साख	मोसमात साहव
८९	प्रेतीक	प्रतीक
९०	साम्म भी	लोभ भी
१७७	नकद रुपए है यह	नकद रुपए हैं यह
	इम जातीय दोष	इस जातीय दोष
	रेहू मतली अभी स्वाद	रेहू मछली अपेने स्वाद
१८२	चमत्लकर	चमक्तार
१८५	खरीदा	खरीदी
१९७	जोने	जोतने
२००	हमला होने लगा	हमला होने लगा
	हिंसा भी वाकी नहीं रहा	वाकी नहीं रही
२०१	रेलगाड़ी क कुछ	रेलगाड़ी के कुछ
२०८	सुपरिन्टेन्डेन्ट से	सुपरिन्टेन्डेन्ट ने
	लाठिया	लाटियां
	दीघ्र का	दीर्घ काल
९६	जांच हो के वाद	जांच होने के वाद
९७	लडढ	लड्ड
१०४	विदागरि	विदागरी
१०७	समान	सामान
११५	माया	माथा
	में	मैं
११८	कमचारी	कर्मचारी
	वेशूभसा	वेशभूषा
१२०	गाला	गाल

पृष्ठ	अशुद्ध	शुद्ध
१२२	अव नजर में कोई	अव कोई
१२३	कहा जाता है विश्यात	कहा जाता है कि
१२५	भोला इर	भोला ई०
१३१	न्याछावर	न्योछावर
१३५	एन्हें	उन्हें
१४४	मुदा	मुद्रा
	गोड़यत	गोड़ायत
१४७	ओर वे सिद्धान्त	और वे सिद्धान्त
१५०	अंग्रेजी	अंग्रेजों
	पकेड़े	पकड़े
	की नामकत्व	के नायकत्व
	वे टलहों	वे टलहे
१६३	भूखा	भूख
१६४	जनसंख्या का प्राणरक्षा	जनसंख्या की प्राणरक्षा
१६६	यहां की कृसि विकास	यहां के कृषि विकास
१६८	सकारी	सरकारी
१७०	थैकर जी ने दियी थी	थैकर जी ने दी थी
	जमालपुर	जलालपुर
२१६	२६ जनवरी १९०	२६ जनवरी १९५०
२१७	कायम हुआ	हुई
	स्पष्ट वादित	स्पस्ट वादिता
२१९	१९३३ से १९३८	१९३३ से १९३६
२२५	न्याय	न्यास
२३९	घोरचरामा	घोसरामा
२४०	कपापि	कदापि
२४४	वघुआ	नुघुआ
२४६	सांघी	संवंघी
२४९	सस्थान	सथाल
२६९	इन्द्र दुयप्त	इन्द्रद्युम्न

पृष्ठ	अशुद्ध	शुद्ध
२७१	कई पुस्तक वाद	कई पुश्त के वाद
२७३	ये लोगों करुणामयी	उन लोगों ने करुणामयी
	पूजा कई वार होते आया है	पूजा कई वार होते आई है
२८३	गांव के लोग जमान	गांव के लोग जवान
२९१	सासु के देवत	देवन
	ननद के देवत	देवन
	घर पाछु परेवा	घर पाछु पटेवा
३१३	कोरमामर	कोरमकोर
	य अग	ये अंग
३१९	वार्ता	वाती
३२१	वाहा	वहाना
	सुरक्षान	सुरक्षा
	छै शाल	छै शास्त्र
३२२	सामाजिक समता क संविधान	सामाजिक समता के संविधान
३२३	मर्यादा में भंग हो रही है	मर्य्यादा भंग हो रही है
३३०	दशन	दर्शन
३३१	तरिकों	तरीकों
३४४	वेटी की शिमें	वेटी की शिक्षा
३४७	वुद्धि जिवियों	वुद्धि जीवियों
	कुछ शिक्षित वुद्धि जिवियों	कुछ शिक्षित वुद्धिजीवियों
३६४	दोश	द्वेश
३६४	जंगल | वुधन	जंगल | जीतन | वुधन

पृष्ठ	अशुद्ध	शुद्ध
३६५	शभव | गोरे लाल	शंमंन | कारेलाल
३८१	वृसिंह	नृसिंह
३८९	देवरम | खुशलाल	दैवरम | खुशहाल
३९०	मरो	भैरो
३९२	अधिराज	यह वंश के पोष्यपुत्र हुए।
४४३	पौरवा वच्चू — माघो (वच्चू) राजो — विलू	

पृष्ठ	अशुद्ध	शुद्ध
४४४	नारायण | रामखेलावन	विशुनदेव | बबन
४५८	नर	नर्मदेश्वर
	निल	सुनिल
४६१	दीपु | रामसहाय	दीपु | भगिता रामसहाय